14 अगस्त 2013

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 88
Dated 12 Sept 2016

(खंड 34 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 34, चौदहवां सत्र, 2013/1935 (शक)]

अंक 7, बुधवार, 14 अगस्त, 2013/23 श्रावण, 1935 (शक)

विषय	**कॉलम**
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
ओडिशा के कुल्दा में कोयले की खान ढह जाने से लोगों की मौत	1
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली द्वारा अकारण हमले का हवाला देते हुए भारत की निंदा करने वाले पारित संकल्प के बारे में	2-3
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में संकायों की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में	4-14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 140	15-108
अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610	109-731
सभा पटल पर रखे गए पत्र	731-736
राज्य सभा से संदेश तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	737-738
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
36वां प्रतिवेदन	738
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
अध्ययन दौरे से संबंधित प्रतिवेदन	738
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 42वें से 45वां प्रतिवेदन	738
(दो) विवरण	739
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 240वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री के.एच. मुनियप्पा	740-741

---

*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका, इसलिए तारांकित प्रश्नों को अतारांकित मान लिया गया।

विषय	कॉलम
सभा का कार्य	741-745
कार्य मंत्रणा समिति के 50वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	745-751
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) हरियाणा के फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम के सुधार और जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने की आवश्यकता	
श्री अवतार सिंह भडाना	752
(दो) राजस्थान में मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन के बीच रेललाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता	
श्री गोपाल सिंह शेखावत	752-753
(तीन) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जिलों/क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार लाने संबंधी प्रयासों को बल देने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से निधियों के आवंटन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	753
(चार) ओडिशा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांवों का विद्युतीकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री हेमानंद बिसवाल	753-754
(पांच) राजस्थान में भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए पिछले रेल बजटों में स्वीकृत रेल परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रतन सिंह	754
(छह) सेवाकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर तुरन्त नियुक्त करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री चार्ल्स डिएस	755
(सात) देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में युवाओं को उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	755-756
(आठ) केरल में एक नया रेल ज़ोन बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री एन. पीताम्बर कुरुप	756

विषय	कॉलम
(नौ) मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक नई सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोले जाने की आवश्यकता	
श्री राकेश सिंह	757
(दस) गुजरात के छोटा उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की घोघंबा तहसील में इंटरनेट सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामसिंह राठवा	757–758
(ग्यारह) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी	758–759
(बारह) झारखंड के धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धनबाद-गया और धनबाद-कतरास रेल लाइनों पर सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री पशुपति नाथ सिंह	759
(तेरह) केरल में मन्नुथी और वडक्कनचेरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 के हिस्से की मरम्मत और नवीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.के. बिजू	759–760
(चौदह) ओडिशा के क्योंझर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 पर एक उपरिपुल अथवा बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री यशवंत लागुरी	760
(पंद्रह) देश में गायों की सुरक्षा करने के लिए एक "गाय बोर्ड" का गठन किए जाने की आवश्यकता	
श्री चंद्रकांत खैरे	761
(सोलह) तमिलनाडु में सलेम नगर को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) चरण-II के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस. सेम्मलई	761–762
(सत्रह) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निधियों का समुचित उपयोग और योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री बिभू प्रसाद तराई	762

विषय	कॉलम
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 (राज्य सभा द्वारा यथापारित) — वापस लिया गया	763
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 — पुरःस्थापित	763-766
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013	
प्रो. के.वी. थॉमस	766-767
पाकिस्तानी सेना के कृत्य की निन्दा करने तथा पाकिस्तान सरकार को युद्ध विराम संबंधी वचनबद्धता के पालन की याद दिलाने के बारे में संकल्प	767-768
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	769-770
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	770-780
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	781-782
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	781-784

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री सतपाल महाराज

श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 14 अगस्त, 2013/23 श्रावण, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

ओडिशा के कुल्दा में कोयले की खान ढह जाने से लोगों की मौत

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह जानकारी देनी है कि 10 अगस्त, 2013 को ओडिशा के सुन्दरगढ़ जिले में कुल्दा में कोयले की खान ढहने से कथित रूप से ग्यारह लोगों की मृत्यु हो गई ओर अनेक लोग घायल हो गए।

सभा इस दु:खद घटना पर जिसके फलस्वरूप शोक संतप्त परिवारों को काफी वेदना और पीड़ा हुई गहरा शोक और घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय, श्री के. नारायण राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 121.

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली द्वारा अकारण हमले का हवाला देते हुए भारत की निंदा करने वाले पारित संकल्प के बारे में

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने प्रश्न काल को निलंबित करने की सूचना दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब श्री जसवंत सिंह बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह (दार्जिलिंग) : महोदया, पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की असेंबली और नेशनल असेंबली द्वारा दो संकल्प पारित किए जाने के बाद एक अत्यधिक असामान्य और अस्वीकार्य स्थिति पैदा हो गई है। ये संकल्प इसलिए अस्वीकार्य हैं क्योंकि इनमें भारत में होने वाली घटनाओं पर गलत बयानबाजी की गई है। यह पूरी तरह अनुचित है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री जसवंत सिंह के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने और इन दो संकल्पों की निंदा करते हुए आपकी अनुमति से सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया जाए।...*(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : इस मुद्दे पर सभा को सर्वसम्मति व्यक्त करनी चाहिए। हम दिन में एक वक्तव्य तैयार करेंगे और एक साझा संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, जैसा कि सुझाव दिया

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गया है हम सभा के सभा सदस्यों की सर्वसम्मति हेतु एक संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही गंभीर सवाल सदन के सामने उठाना चाहता हूं। भारत सरकार की ओर से जो मिड-डे-मील योजना चलाई जाती है, उसके बारे में अखबारों में आये दिन कोई-न-कोई घटना सामने आती रहती है। देश का कोई भी हिस्सा इससे बचा नहीं है, चाहे दिल्ली हो या कोई और प्रदेश हो और बिहार में तो इस संबंध में रिकार्ड ही बन चुका है जहां मिड-डे-मील में या स्कूल के चापाकल में छिपकली के मरने की घटना होती रहती हैं। खास कर दिनांक 16.07.2013 को छपरा जिले के मसरक प्रखंड ग्रामीण नवसृजित विद्यालय में विषाक्त भोज की वजह से 23 बच्चों की जानी चली गई और काफी लोग बीमार हो गए।

पूर्वाह्न 11.04½ बजे

इस समय, श्री तूफानी सरोज और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, जब इन सवालों को हमने मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार के सामने उठाया, तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहे।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.05 बजे

इस समय, श्री दिनेश चन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

बिहार के मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों के बाद बयान दिया कि इस घटना में विपक्ष का हाथ हो सकता है। अध्यक्ष महोदया, हमारा आपसे निवेदन है कि इस घटना को गंभीरता से लिया जाए। केन्द्र का निर्देश बराबर जारी होता रहता है कि मिड-डे-मील योजना कैसे चलती है। योजना को जो निर्देश जारी होता है, उसका अनुपालन सही ढंग से नहीं होने के कारण इस तरह से बिहार में बच्चों के मरने की घटना हुई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, हम आपसे निवदेन करना चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। मेरी नज़र में इस घटना की मुख्य जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री और छपरा के कलेक्टर की बनती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : *अगर इस मामले में विलंब किया गया तो काफी परेशानी हो सकती है। इस समय बिहार में काफी तनाव का वातावरण बना हुआ है और बिहार सरकार इस घटना को दबाने की कोशिश कर रही है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

इस समय, श्री तूफानी सरोज, श्री दिनेश चन्द्र यावद और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.07 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन – *जारी*

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में संकायों की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय को निर्णय के बारे में।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं और सारे सदन के लोग इस बारे में बेचैन हैं। इन लोगों ने फैसला लिया है कि सुपरस्पैशियलिटी और स्पैशियलिटी में कौन-सी पोस्ट होगी और कौन-सी नहीं होगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अलतमस कबीर ने जाते समय, एक दिन पहले, इस तरह का फैसला किया, जिसमें आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग को पूरी तरह से समाप्त करके सिर्फ सी-ग्रेड और डी-ग्रेड में रहने दिया। सरकार को, मंत्री श्री कपिल सिब्बल को इस बारे में जवाब देना चाहिए कि इस बारे में क्या रास्ता निकाला जाएगा? कौन रास्ते से इसे खत्म किया

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जाएगा? यह इतना बड़ा मामला है कि जो 85 फीसदी लोग हैं, इनका हक है, सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं बल्कि पांच-छह बार इसमें दखल देने का काम करती है।...*(व्यवधान)* उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। इसके बाद भारतीय समाज में झुनझुना पकड़ाया गया है। आज ये लोग आरक्षण के इस झुनझुने को चुरा रहे हैं।...*(व्यवधान)* हम आरक्षण वाले नहीं हैं। मैं तो चाहता था कि इस मामले को सुषमा जी उठाएं। पहले इसे लोहिया जी उठाते थे, जयप्रकाश जी उठाते थे, मधुलिमये जी उठाते थे, राजनारायण उठाते थे, मुझे अफसोस है कि आज मैं इस मामले को सदन में उठा रहा हूं। मैं तो देश भर के लोगों का मामला सदन में उठाता हूं। लेकिन यह जो फैसला है आप किस रास्ते से इसे निरस्त कराएंगे? किस रास्ते से इसका हल निकलेगा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का काम ठीक नहीं चल रहा है लेकिन यह दस मिनट का मामला था। आप जानती हैं, आपसे सभी लोग मिले हैं।...*(व्यवधान)* आज यह मामला पूरे देशभर में गर्म हो रहा है। बेकार की बात पर, कोई मुद्दा नहीं है।...*(व्यवधान)* आज देश की आर्थिक स्थिति खराब है, महंगाई बढ़ रही है। प्याज के दाम आज कहां पहुंच गए हैं, लेकिन हम यह मामला नहीं उठना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि उसे तत्काल इस बारे में जवाब देना चाहिए कि इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है ओर जो हक मारा गया है, उसे कैसे वापिस किया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.एल. पुनिया, श्री सुरेन्द्र सिंह नागर और श्री कमल किशोर कमांडो अपने आपको श्री शरद यादव द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदया, माननीय उच्चतम यायालय ने जो फैसला किया है, वह पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि सदन सर्वोच्च है और इस सदन में सर्वसम्मति से ही आरक्षण लागू हुआ है। यह किसी एक दल का फैसला नहीं है, पूरे हाउस ने मिलकर आरक्षण स्वीकार किया है।...*(व्यवधान)* लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर आरक्षण को खत्म कर सकता है और क्यों कर सकता है?...*(व्यवधान)* सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि यहम मामला केवल एम्स से संबंधित था।...*(व्यवधान)* यह मामला एम्स से संबंधित था और वहां के दो डॉक्टरों का था।...*(व्यवधान)* यह पूरा का पूरा खत्म कर दिया। मामला एम्स का था।...*(व्यवधान)* ऐसा कर दिया कि जहां कोई मुद्दा नहीं था। इससे ज्यादा और संविधान का पक्षपातपूर्ण कोई निर्णय नहीं हो सकता और इस पर हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते।...*(व्यवधान)* हमारे कपिल सिब्बल साहब और संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, इसको तत्काल रिव्यू नहीं, निरस्त करिए। हाउस के अंदर अभी पेश करिए और इसको तत्काल निरस्त कर दीजिए।...*(व्यवधान)* *अब क्या कोई चुप रहेगा?...*(व्यवधान)* लोग खड़े होंगे। आंदोलन सड़कों पर होगा। हिंसा भी होगी। आगजनी तक होगी। यह मामूली बात नहीं है।...*(व्यवधान)* हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, अब कृपया करके अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सैनानी थे।...*(व्यवधान)* इन सारे लोगों ने मिलकर आरक्षण को स्वीकार किया है।...*(व्यवधान)* इसलिए हमारी सरकार से अपील है कि तत्काल इसको निरस्त कीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री मुलायम सिंह जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री कमल किशोर 'कमांडो' को भी एसोशिएट किया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। आज जिस सवाल को लेकर चर्चा हो रही है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, हमारा अधिकार है।...*(व्यवधान)* हम पार्लियामेंट के अंदर तो संविधान की शपथ लेकर यहां आते हैं।...*(व्यवधान)* संविधान में हमें हक है कि इस देश में जो भी आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)* एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वहां प्रोफेसर के सवाल को लेकर जब आरक्षण नहीं था, तब आरक्षण को लेकर...*(व्यवधान)* एम्स के बहाने पूरे हिन्दुस्तान में जिस तरीके से एससीएसटी ओबीसी के लोगों को...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बस, अब आपकी बात हो गयी। अब अपने आप को इससे संबद्ध करिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदया, यह साजिश हो रही है, मैं यह कहना चाहता हूं। कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमारी पार्टी ने कहा था कि जब राज्य सभा में एससीएसटी...*(व्यवधान)* पास हुआ और अगर लोक सभा में पारित हो गया होता तो शायद यह आदेश इस तरीके से जारी नहीं किया जाता।...*(व्यवधान)* इसलिए

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं आपके माध्यम से माननीय कानून मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बस अब अपनी बात समाप्त करिए। कृपया अपने भाषण को लंबा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सांसद श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, श्री कमल किशोर 'कमांडो' और श्री वीरेन्द्र कुमार को भी श्री दारा सिंह चौहान द्वारा उठाये गये विषय के साथ एसोशिएट किया जाए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, भारत के उच्चतम न्यायालय की 12 जजों की सदस्यता वाली एक खंडपीठ ने आरक्षण के मुद्दे का उचित समाधान कर दिया था परन्तु, इन जजों ने पदों को निर्दिष्ट नहीं किया था...*(व्यवधान)* उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह आरक्षण केवल निम्न स्तरीय पदों के लिए है उच्चस्तरीय अथवा उच्च स्तरीय तकनीकी योग्यता वाले पदों के लिए नहीं।...*(व्यवधान)* अब उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व निर्णय से हट रहा है या उसका उल्लंघन कर रहा है...*(व्यवधान)* अत:, सरकार को तत्काल इस संबंध में हस्तक्षेप करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए. ..*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत रॉय (दमदम) : महोदया, मैं उच्च तकनीकी पदों हेतु आरक्षण के मुद्दे पर श्री शरद यादव और श्री मुलायम सिंह जी के तर्क का समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)* उच्चतम न्यायालय द्वारा एम्स में एक प्रोफेसर की नियुक्ति के प्रश्न पर दिया गया निर्णय न तो संविधान और न ही संविधान निर्माताओं के स्वप्नों के अनुरूप है. ..*(व्यवधान)* हमारी यह मांग है कि सरकार द्वारा इस संबंध में समुचित विधिक उपाय किए जाए, ताकि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उच्च तकनीकी पदों पर आरक्षण का लाभ मिल सके...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : डॉ. तम्बिदुरई, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर) : महोदया, मैं आरक्षण संबंधी इस मुद्दे को उठाने वाले सदस्यों की भावनाओं का समर्थन करता हूं... *(व्यवधान)* आरक्षण बहुत ही आवश्यक चीज है...*(व्यवधान)* संविधान में वंचित लोगों के उत्थान के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है...*(व्यवधान)* इन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की भावना के प्रतिकूल निर्णय कैसे दिया है?...*(व्यवधान)* अत:, यह बात स्वीकार्य नहीं है...*(व्यवधान)* सरकार को इस संबंध में सुधार करने तथा संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखने तथा प्रभावित लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.एल. पुनिया। कृपया बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, दारा सिंह चौहान जी और अन्य सम्मानित सदस्यों ने जो मामला उठाया हैं, मैं इससे अपने आपको पूरी तरह सम्बद्ध करता हूं। यह ऑल इंडिया इंस्टीटयूट से संबंधित मामला है। वर्ष 2002 से यह मामला पेंडिंग था। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लग रहा था तब मैं माननीय कानूनी मंत्री जी से मिला था और मैंने अनुरोध किया था कि दुर्भावना से इसकी सुनवाई शुरू हो रही है। मैं दुर्भावना शब्द का विशेष उल्लेख इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अनेक जजमेंट का हवाला दिया गया है। आर्टिकल 335 का भी हवाला दिया गया है जिसके आधार पर यह पूरा फैसला है। लेकिन इसमें उन्होंने यह नहीं लिखा कि आर्टिकल 332, 335 में भी इसी संसद ने संशोधन किया है और करने के बाद विशेष उल्लेख किया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए फिक्स स्टैंडर्ड में रिलेक्सेशन करने का पावर भी है। वे चाहते थे और उन्होंने तय किया हुआ था कि क्या फैसला करना है। हमारे पक्ष में जितने बिंदु थे, रिजर्वेशन देने के पक्ष में जितने बिंदु थे, उसकी उन्होंने घोर उपेक्षा की है। इससे साबित होता है और आज यह हाइलाइट करता है कि ज्यूडिशियरी में रिजर्वेशन की आवश्यकता बहुतद दिनों से है। आर्टिकल 312 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस का गठन होना चाहिए लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है और दलितों और गरीबों की जान-बूझकर उपेक्षा की जा रही है। इस जजमेंट से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे पक्ष के जितने भी बिंदु थे, उनकी उपेक्षा करके एक तरफा फैसला यानी जो पहले से तय कर रखा था, प्रिजुडिस की भावना से तय कर रखा था, वही तथ्य देकर, वही आर्ग्युमेंट देकर गलत फैसला किया है।

मैं समझता हूं कि पूरे सदन की यह भावना है कि इसका उपाय किया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि इस जजमेंट को रिवर्स करने की तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया जी द्वारा उठाए गए

मुद्दे के साथ श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, श्री कमल किशोर 'कामांडो' को संबद्ध किया जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह विषय भाई शरद यादव जी ने उठाया है। आपको याद होगा कि एक दिन पहले आपके कक्ष में सभी नेता बैठे थे तब यह विषय उन्होंने उठाया था। यह विषय गंभीर इसलिए हो जाता है कि एम्स फेकल्टी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उसका विषय बहुत सीमित था कि सुपर स्पेशिएलिटी में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं। लेकिन जजेज़ ने उसके स्कोप से आगे जाकर निर्णय दे दिया कि इंदिररा साहनी केस के मामले में हम केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को कहते हैं कि वे उसका पालन करें। जो विषय जजेज़ के सामे नहीं था, उस पर भी उन्हों टिप्पणी कर दी और इसी से यह एजिटेशन आया। इस पर मैंने वहां सुझाव दिया था कि सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और बताए कि वह इस पर क्या करना चाहती है। कल उसी समझ के अनुसार बैठक हुई। उस बैठक में जो मुद्दे सरकार ने रखे, उसमें पहला मुद्दा यही था। वहां कानून मंत्री ने सरकार की स्थिति बताते हुए कहा था कि वे एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं और सोमवार को रिव्यु पैटिशन दायर हो जाएगी। इस पर उन्होंने यह भी कहा था कि जो टिप्पणी की गई है यह 'विषय के दायरे से बाहर' थी, इसे निकालने की दरख्वास्त दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वहां से राहम मिल गई तो ठीक है, और अगर राहत नहीं मिली तो संवैधानित तरीका अपनाना होगा। आज सारे सदस्य एजिटेटिड हैं इसलिए मैं चाहूंगी कि जो बात कल सर्वदलीय बैठक में कही गई थी वही बात कानून मंत्री आज सदन में खड़े होकर कह दें ताकि सारे सदन की आश्वस्ती हो जाए। अगर कानून मंत्री यह कह देंगे कि हम यह करने जा रहे हैं तो लोग आश्वस्त हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ श्री अर्जुन मेघवाल, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री वीरेन्द्र कुमार, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री सोहन पोटाई, श्री रामसिंह राठवा, श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल को संबद्ध किया जाए।

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदया, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं?

अध्यक्ष महोदया : अभी कुछ और सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। डॉ संजीव गणेश नाईक।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठिए। मानीय सदस्य, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा) : मानीय अध्यक्ष महोदया, मेरा कहना है कि कानून मंत्री इस बारे में सदन में बात करें और सदन को आश्वस्त करें कि इस पर सरकार सही कदम उठाएगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : मैडम, 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, श्री अल्तमश कबीर ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन जो राय दी है, उसका दुष्प्रभाव हमारे देश भर पर पड़ेगा। हमारे देश में जो आरक्षण की नीति है, आरक्षण का अधिकार है, इस अधिकार को छीनने के लिए इस तरह की राय दी गई है। परंतु ताज्जुब की बात यह है कि करीब एक महीना गुजर गया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जब एक जुलाई को तमाम नेताओं ने ऑल पार्टी मीटिंग में मांग की थी कि इस स्टेज पर सरकार विचार करे और इस राय को रिवर्स करने के लिए जो उचित कदम उठाना चाहिए, वह कदम सरकार उठाये। लेकिन आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण आज देश भर में इसका विरोध हो रहा है। यह जो राय है, यह दलित विरोधी राय नहीं, यह राय शेडयूल्ड कास्ट्स, शेडयूल्ड ट्राइब्स विरोध नहीं, बल्कि इस राय को हम राष्ट्र विरोधी राय मानते हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, प्लीज कनक्लूड।

श्री बसुदेव आचार्य : इसीलिए हम चाहेंगे कि कानून मंत्री ने जो ऑल पार्टी मीटिंग में बताया था...*(व्यवधान)* वहह सदन को बतायें।

अध्यक्ष महोदया : श्री गुरुदास दासगुप्ता जी, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्ता जी (घाटल) : महोदया, सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि वंचितों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वे संसद के इस सत्र में संविधान के संशोधन हेतु तैयार हैं। सेवाओं में आरक्षण कोई विलासिता नहीं हैं, आरक्षण एक अधिकार है क्योंकि समाज में जो अधिकारों से वंचित है और ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें संविधान के संशोधन द्वारा सशक्त किया जाना चाहिए। सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि इस संबंध में इसी सत्र में संविधान संशोधन लाया जायेगा। मैं सरकार से यही चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : गुरुदास दासगुप्ता जी, आपका बहुत धन्यवाद। कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदया, एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों का आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, इस अधिकार का हनन किसी भी तरह नहीं होना चाहिए, न ही इसके लिए कोई प्रयास करना चाहिए। इसीलिए जैसा सुषमा जी ने कहा है और जैसे कल सर्वदलीय नेताओं की बैठक में मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि वह इस संदर्भ में रिव्यू पैटीशन डालने जा रहे हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो वह अेम्डमैन्ट लाने जा रहे हैं। हमारा कहना है कि आप अमैडन्मैन्ट लाइये, सारा सदन आपका समर्थन करेगा।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : यह मुद्दा जिसे मानसून सत्र की शुरूआत से उठाया जा जा रहा है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अ.पि.व. को सुपर स्पेशियलिटि संस्थानों में आरक्षण उपलब्ध कराने से संबंधित है। इस संबंध में जनता द्वारा पुरजोर की जा रही है अत: यथाशीघ्र संविधान में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। न्यायालय को अपनी सीमा पार नहीं करनी चाहिए। भारत के संविधान में दिए गए प्रावधान का सभी वर्गों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। उस संबंध में मेरी मांग है कि यदि सरकार द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। साथ ही, मुझे यह भी कहना है कि संविधान संशोधन लाना जरूरी है। हम सभी उस र्णिय का पालन करेंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फ़रीदकोट) : मैडम, यह बड़ा संवेदनशील मसला है। मैं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से इससे सहमत हूं और जो हमारा दलित भाईचारा है, हर मोड़ पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे सभी मैम्बर्स ने आपसे रिक्वैस्ट की है, मैं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आपसे रिक्वैस्ट करती हूं कि संविधान में जो प्रावधान है, उसमें अमैन्डमैन्ट होना चाहिए, क्योंकि जो दलित लोग हैं, वे उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, जहां वे पहुंचना चाहते हैं। उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वे इलीट क्लास का मुकाबला कर सकें। उनके बच्चे कॉनवेंट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे हायर क्लास में बच्चों को पढ़ा सकें। इसलिए मैं शिरोमणी अकाली दल की तरफ से इसका विरोध करती हूं।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं इस सभा के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा व्यक्त सभी टिप्पणियों और भावनाओं का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

मैं आज आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि आरक्षण एक संवैधानिक हक है।...*(व्यवधान)* इस संवैधानिक हक पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने था, वह सुपर-स्पेशियलिटी और स्पेशियलिटी के संबंध में था।...*(व्यवधान)* लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर कुछ ऐसे ऑब्ज़रवेशंस आबिटर हैं।...*(व्यवधान)* उन ऑब्ज़रवेशंस को रद्द करनाा चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं सोमवार को याचिका डाल कर उनसे रिव्यू मांगूंगा।...*(व्यवधान)* और रद्द करने की मांग करूंगा।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.27 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री महेश्वर हज़ारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

श्री कपिल सिब्बल : अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं करती है...*(व्यवधान)* तो हम संवैधानिक संशोधन लाएंगे।...*(व्यवधान)* हम उसको रद्द करवाएंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया उन्हें समाप्त करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.27½ बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री कपिल सिब्बल : मैं पहले कह चुका हूं। *[हिन्दी]* अगर हमारी रिव्यू पिटीशन नहीं मानी गई तो हम कॉन्स्टिटयूशन अमेंडमेंट लाएंगे।...*(व्यवधान)* हम यह आश्वासन देना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* हम कॉन्स्टिटयूशन अमेंडमेंट इसी सेशन में लाएंगे।...*(व्यवधान)* मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जहां तक आरक्षण का माला है ...*(व्यवधान)* हमारी पार्टी सबसे आगे रही है।...*(व्यवधान)* पहल करती है।...*(व्यवधान)* जब-जब यह आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है... *(व्यवधान)* हमने उसको आगे बढ़ाया है।...*(व्यवधान)* हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है।...*(व्यवधान)* संवैधानिक हक कांग्रेस पार्टी ने दिए।. ..*(व्यवधान)* संवैधानिक हक आप लोगों ने नहीं दिए।...*(व्यवधान)* संवैधानिक हक कांग्रेस पार्टी ने दिए और सारे सदन ने, सब सहमत कर के दिए।...*(व्यवधान)* आज भी हम पहल करेंगे।...*(व्यवधान)* और पहल कर चुके हैं।

पूर्वाह्न 11.28 बजे

इस समय श्री अब्दुल रहमान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया वापस जाईये। मैं खड़ी हूं। कृपया वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। मैं कुछ कहना चाहती हूं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप पहले बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : इस समय इस विषय को लेकर बहुत उद्वेलित है। पूरे सदन की भावना हमने देख ली है। पूरा सदन एकजुट है। सरकारी पक्ष से मेरा अनुरोध होगा कि वे संशोधन के बारे में सोचें।

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैडम, इसमें कोई शक नहीं है कि सदन इस विषय पर एक है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं और अभी लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि वे रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, पर इस सेशन में...*(व्यवधान)* मैडम हम इस सेशन में संविधान संशोधन लाएंगे।...*(व्यवधान)* मैडम, ये सुनना नहीं चाहते हैं...*(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि हम संविधान में संशोधन आवश्यक इस सदन में लाएंगे।

मैं तो कह रहा हूं कि संविधान संशोधन विधेयक लायेंगे।... *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.29 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.29½ बजे

इस समय श्री ए.के.एस. विजयन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : वे तो कह रहे हैं कि विधेयक लायेंगे। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : वह ऐसा कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र हेतु खरीद नीति

***121. श्री रामसिंह राठवा : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के अंतर्गत हैं तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद और विनिर्माण निर्गम में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र का कितना योगदान है;

(ख) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र हेतु सरकार की खरीद नीति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म तथा लघु एककों को प्राथमिकता देती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं उन मदों की सूची क्या है जिनकी खरीद अनिवार्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से की जाती है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सुविधा अल्पसंख्यकों के स्वामित्व वाले उद्यमों को प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की संख्या कितनी है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्योगों के विकास पर कितना प्रभाव पड़ेगा?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की समय-समय पर अखिल भारतीय गणना आयोजित करके पंजीकृत क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संख्या पर नजर रखती है। संदर्भ आधार वर्ष 2006-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम7 के साथ आयोजित नवीनतम गणना (चौथी गणना), जिसमें 2009 तक के आंकड़े एकत्र किएगए थे और जिसके परिणाम 2011-12 में प्रकाशित हुए थे, के अनुसार पंजीकृत क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संख्या 15.64 लाख है जिनमें से 1.64 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व में हैं।

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएस एंड पीआई), द्वारा सुझाई गई संशोधित पद्धति के अनुसार, सीएसओ, एमओएस एंड पीआई द्वारा प्रकाशित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों तथा नवीनतम गणना (चौथी गणना) के अंतिम परिणामों के आधार पर वर्ष 2010-11 के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में अनुमानित योगदान 7.42 प्रतित है। वर्ष 2010-11 के दौरान देश के विनिर्माण उत्पादन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विनिर्माण क्षेत्र का अनुमानित योगदान 38.48 प्रतिशत है।

(ख) सूक्ष्म, लघु एवं उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 में यह अधिदेशित है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने वार्षिक खरीद मूल्य के न्यूनतम 20 प्रतिशत की सामग्री सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदत्त सेवाओं से प्राप्त करेगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक खरीद के 20 प्रतिशत लक्ष्य में से 20 प्रतिशत का उप-लक्ष्य (अर्थात 20% में से 4%) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए रखा गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र से अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाने वाली मदों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उद्योगों का विकास इससे प्रभावित नहीं होगा।

विवरण

हस्तशिल्प क्षेत्र सहित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों इकाइयों से खरीद के लिए आरक्षित मदों की सूची

क्र. सं.	मद विवरण
1	2
1.	एएसी/और एसीएसआर कन्डक्टर 19 स्ट्रैंड तक
2.	एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स
	क. हस्तचालित औजार और इम्पलीमेंट्स
	ख. पशु चालित इम्पलीमेंट्स

1	2
3.	एयर/रुम कूलर
4.	एल्यूमिनियम बिल्डर्स हार्डवेयर
5.	एम्बुलेंस स्ट्रेचर
6.	एममीटर्स/ओहम मीटर/वोल्ट मीटर (क्लास1 परिशुद्धता तक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक)
7.	एंकलेट वेब खाकी
8.	ऑगुर (कारपेंटर्स)
9.	आटोमोबाइल हैड लाईट एसेम्बली
10.	बैज क्लाथ कढ़ाई और मेटल के
11.	लैदर, काटन, कैनवस और जूट इत्यादि के बने सभी प्रकार के बैग किट बैग, मेल बैग, स्लीपिंग बैग और वाटर प्रूफ बैग सहित
12.	बैन्डेज क्लाथ
13.	बारबेड वायर
14.	बास्केट केन (राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी खरीद की जा सकती है)
15.	बाथ टब
16.	बैटरी चार्जर
17.	बैटरी एलीमिनेटर
18.	बीम स्केल (1.5 टन तक)
19.	बेल्ट लैदर एंड स्ट्रैप्स
20.	बैन्च वाइसिस
21.	बिटुमिनीअस पेंटस
22.	ब्लोटिंग पेपर
23.	बोल्ट्स एंड नटस
24.	बोल्ट्स स्लाईडिंग
25.	बोन मील
26.	बूट पालिश

1	2
27.	कैनवस जूतों सहित सभी प्रकार के बूटस एंड शूज
28.	बाउल
29.	लैदर बाक्स
30.	मैटल के बने बाक्स
31.	ब्रासिस
32.	ब्राकेटस, रेलवे में प्रयुक्त के अलावा
33.	ब्रास वायर
34.	ब्रीफकेस (मोल्डेड लगेज के अलावा)
35.	झाडू
36.	सभी प्रकार के ब्रश
37.	सभी प्रकार की बाल्टियां
38.	सभी प्रकार के बटन
39.	कैंडल वैक्स कैरिज
40.	केन वाल्व/स्टोक वैल्वस (केवल पानी की फिटिंग के लिए)
41.	मैटालिक कैन (दूध और मापने के लिए)
42.	कैनवस प्रोडक्टस (क) वाटर प्रूफ डेलिवर बैग, स्पे. नं. आई एस-1422/70 (ख) बोनट कवर और रेडियटर स्पे.ट्रे एल वी 7/एनएसएन/आईए/130295
43.	सूती और ऊनी कैप्स
44.	वाटरप्रूफ कैप्स
45.	कैस्टर आयल
46.	सीलिंग रोसिस 15 एम्पी तक
47.	सेन्ट्रीफुगल स्टील प्लेट ब्लोवस
48.	सेन्ट्रीफुगल पंप्स सक्शन और डिलीवरी 150 एमएम×150 एमएम
49.	चाफ कटर ब्लेड

1	2
50.	चेन लाशिंग
51.	चप्पल एंड सैंडिल
52.	चामोइस लैदर
53.	चोक्स फॉर लाईट फीटिंग
54.	क्रोम टैन्ड लैदर (सेमी फिनिश्ड भैंस और गाय)
55.	सरक्लिप्स
56.	क्लॉ बार्स एंड वायर्स
57.	क्लीनिंग पाउडर
58.	क्लीनिकल थर्मोमीटर्स
59.	क्लाथ कवर्स
60.	क्लाथ जाकोनट
61.	क्लाथ स्पोन्ज
62.	कॅयर फाइबर एंड कॅयर यार्न
63.	कॅयर मैटरैस कुशन्स एंड मैटिंग
64.	कॅयर रोप हॅसरलैड
65.	कम्युनिटी रेडियो रिसीवर
66.	कन्डुट पाईप्स
67.	कॉपर नेल
68.	कॉपर नैपथीनेट
69.	कॉपर सलफैट
70.	कॉर्ड टवीन मेकर
71.	कॉरडेज अदर्स
72.	कोरुगेटिड पेपर बोर्ड एंड बाक्स
73.	कॉटन एबसोरबेंट
74.	कॉटन बेल्टस
75.	कॉटन कैरियर्स

1	2
76.	कॉटन केसिस
77.	कॉटन कार्ड टवीन
78.	कॉटन हौजरी
79.	कॉटन पैक्सकॉटन
80.	कॉटन पाउच
81.	कॉटन रोप
82.	कॉटन सिंगलेट
83.	कॉटन स्लींग
84.	कॉटन स्ट्रैप्स
85.	कॉटन टैप्स एंड
86.	कॉटन वूल (नॉन एब्जार्बेंट)
87.	क्रेट वुडन एंड प्लास्टिक
88.	(क) क्रूसीबल्स नं. 200 तक
	(ख) क्रूसीबल्स ग्रेफाईट नं. 500 तक
	(ग) अन्य क्रूसीबल्स 30 कि.ग्रा. तक
89.	कम्बल एंड रजाईयां
90.	करटेन्स मोसकीटो
91.	कटर्स
92.	डीब्यूटाइल फाइथलेट
93.	डीजल इंजन 15 एचपी तक
94.	डाइमेथाइल फाइथलेट
95.	डिसइंफैक्टैन्ट फ्लूड
96.	डिस्ट्रीब्यूटिशन बोर्ड 15 एम्पी तक
97.	घरेलू बिजली के उपकरण बीआईएस मानकों के अनुसार-बिजली का टोस्टर, प्रैस, हॉट प्लेटस, इलैक्ट्रिक मिक्सर ग्राइंडर, रुम हीटर, कनवैक्टर्स एंड ओवन

1	2
98.	घरेलू पीवीसी केबल्स एंड वायर्स (अल्मूनियम) निर्धारित बीआईएस मानकों के अनुरूप एवं 10.00 एमएम स्क्वॉयर नामिनल फ्रॉस सेक्शन तक
99.	ड्राईंग एंड मैथमैटिकल्स इंस्ट्रूमेंटस
100.	ड्रम्स एंड बैरल
101.	डस्ट बिन
102.	डस्ट शील्ड लैदर
103.	सभी प्रकार के कॉटन डस्टर, खादी में आवश्यक मदों को छोड़कर डाईज
104.	डाईज
	(क) एजो डाई (डायरैक्ट और एसिड)
	(ख) बेसिक डाई
105.	बिजली की कॉल बैल/बजर/डोर बैल
106.	इलैक्ट्रिक
107.	इलैक्ट्रिक ट्रांसमीशन लाईन हार्डवेयर जैसे स्टील फ्रास बार्स, फ्रॉस आर्म्स क्लैम्प्स आर्चिंग हार्न, ब्रैकट्स आदि
108.	इलैक्ट्रोनिक डोर बैल
109.	एमरजेंसी लाईट (रिचार्ज होने वाली)
110.	इनेमल वायर्स और इनेमल यूटेंसिल
111.	इक्यूपमेंट कैमूफ्लेज बम्बू सपोर्ट
112.	एक्जास्ट मफलर
113.	एक्सपेंडिड मेटल
114.	आईलेट्स
115.	फिल्म पॉलीथीन-वाइड विड्थ फिल्म सहित
116.	फिल्म स्पूल्स एंड कैन्स
117.	अग्नि शामक (वाल टाइप)
118.	फूट पाउडर

1	2
119.	फ्रैन्च पॉलिश
120.	फनैल्स
121.	फ्यूज कट आउट
122.	फ्यूज यूनिट
123.	गारमेंटस (इंडियन आर्डनेन्स फैक्टरियों की आपूर्ति को छोड़कर)
124.	गैस मेन्टल
125.	गॉज क्लाथ
126.	सभी प्रकार के गॉज सरजीकल
127.	घामेल्स (तसला)
128.	ग्लास एम्पुल्स
129.	ग्लास एंड प्रेस्ड वेयर
130.	ग्लू
131.	ग्रीस निप्पल्स एंड ग्रीस गन्स
132.	गन केसिस
133.	गन मेटल बुश
134.	गमटेप
135.	सभी प्रकार के हैंड ड्रॉन कार्ट्स
136.	सभी प्रकार के हैंड ग्लब्स
137.	हैंड लैम्प्स रेलवे
138.	हैंड नम्बरिंग मशीन
139.	हैंड पाउंडिड राईस (पॉलिश और बिना पॉलिश किए हुए)
140.	हैंड प्रेसेस
141.	हैंड पम्प
142.	सभी प्रकार के हैंड टूल्स
143.	हैंडल वुडन एंड बैम्बू (राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी अधिप्राप्ति की जा सकती है)

1	2
144.	हारनेस लैदर
145.	हस्पस एंड सटैप्लस
146.	हैवर सैक्स
147.	हेलमेट नॉन-मेटालिक
148.	सभी प्रकार के हाईड एंड कंट्री लैदर
149.	हिंग्स
150.	हॉब नेल्स
151.	होल्डाल
152.	शहद
153.	हॉर्स एंड म्यूल शूज
154.	हाइड्रोलिक जैक्स 30 टन कैपिसिटी से कम
155.	इंसैक्टीसाईड डस्ट एंड स्पेयर्स (केवल मैनुअल)
156.	इनवैलिड व्हील चेयर
157.	घरेलू प्रकार के इंवर्टर 5 केवीए तक
158.	इस्त्री (धोबी)
159.	की-बोर्ड वुडन
160.	किट बाक्स
161.	कुदाली
162.	लेस लैदर
163.	लैम्प होल्डर
164.	लैम्प सिग्नल
165.	लालटेन पोस्ट एंड बॉडीज
166.	लैनयार्ड
167.	लेटेक्स फोम स्पंज
168.	लाठी
169.	लैटर बाक्स

1	2
170.	लाईटिंग अरेस्टर 22 केवी तक
171.	लिंक क्लिप
172.	लिनसीड आयल
173.	लिंट प्लेन
174.	लॉकर्स
175.	लुब्रीकेटस
176.	एलटी पोरसीलेन किटकेट एंड फ्यूज ग्रिप
177.	मशीन स्क्रूस
178.	मैग्निशियम सल्फेट
179.	मैलेट वूडन
180.	मैनहोल कवर्स
181.	मेज़रिंग टेप्स एवं स्टिक्स
182.	मैटलक्लैड स्विचिंज (30 एम्पलीफायर्स तक)
183.	मैटल पोलिश
184.	मैटालिक कन्टेनर्स एंड ड्रम्स एनबीसी (और कहीं वर्गीकृत नहीं) के अलावा
185.	मीट्रिक व्हेट्स
186.	माइक्रोस्कोप फॉर नोर्मल मैडीकल यूज़
187.	मिनिएचर बलब्स (केवल टार्च के लिए)
188.	एमएस टाई बार्स
189.	नेल कटर्स
190.	नेप्थलिन बाल्स
191.	नीवाड़
192.	क्किल सल्फेट
193.	नाइलॉन स्टॉकिंग
194.	नाइलॉन टेप्स एंड लेसिज़

1	2
195.	आयल बाउंड डिस्टेम्पर
196.	आयल स्टोव्स (विक स्टोव्स ओनली)
197.	सभी प्रकार के पैड लॉक्स
198.	पेंट रिमूवर
199.	पाल्मा रोज़ा आयल
200.	पॉम गुड़
201.	पैन्स लेवोटरी फ्लश
202.	पेपर कन्वर्जन प्रोडक्ट्स, पेपर बैग्स, एनवलप्स, आइसक्रीम कप, पेपर कप एंड सोर्स एंड पेपर प्लेट्स
203.	पेपर टेप्स (गम्ड)
204.	पापड़
205.	अचार और चटनी
206.	पाइल्स फैबरिक
207.	ततिया
208.	प्लास्टर ऑफ पेरिस
209.	प्लास्टर ब्लो मोल्डिड कन्टेनर्स अप टू 20 लिटर एक्सक्लूडिंग पोलि इथलिन टर्फथलेट (पीईटी) कन्टेनर्स
210.	प्लास्टिक केन
211.	प्लेईंग कार्डस
212.	प्लग एंड सॉकेट इलैक्ट्रिक अप टू 15 एम्पीयर
213.	पोलिथिन बैग्स
214.	पोलिथिन पाईप्स
215.	पोस्ट पिकेट (वूडन)
216.	पोस्टल लैड सील्स
217.	पोटेसियम नाईट्रेट
218.	पाऊच
219.	प्रेशर डाई कास्टिंग अप टू 0.75

1	2
220.	प्रिवी पैन्स
221.	पुल्ली वायर
222.	पीवीसी फुटवियर
223.	पीवीसी पाइप्स अपटू 110 मि.मी.
224.	पीवीसी इंशुलेटिड एल्युमिनियम केबल्स (अपटू 120 स्क्वेयर मि.मी.) (आईएसएस: 694)
225.	क्विल्टस, रज़ाई
226.	रैग्स
227.	रेलवे कैरिज लाईट फिटिंग्स
228.	रेक्स ब्लॉस्ट
229.	रेज़र
230.	आरसीसी पाईप अपटू 1200 मि.मी. डाया
231.	आरसीसी पोल्स प्रिस्ट्रेस्ट
232.	रिवेट ऑफ ऑल टाईप्स
233.	रोलिंग शटर्स
234.	रूफ लाईट फिटिंग
235.	रबड़ बैलून
236.	रबड़ कोर्ड
237.	रबड़ होसिस (अनब्रांडिड)
238.	रबड़ टयूबिंग (एक्सक्ल्यूडिंग ब्रेडिड टयूबिंग)
239.	रबराईज्ड गारमेंट कैप एंड कैप्स, आदि
240.	रस्ट/स्केल रिमूविंग कम्पोजिशन
241.	सेफ मीट एंड मिल्क
242.	सेफ्टी मैचिज
243.	सेफ्टी पिन्स (एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट लाईक पेपर पिन्स, स्टेपल्स पिन्स आदि स्नैटरी प्लम्बिंग फिटिंग

1	2
244.	स्नैटरी प्लम्बिंग फिटिंग
245.	स्नैटरी टावल्स
246.	साइन्टीफिक लेवोरेटरी ग्लास वियर (बारिंग साफीस्टिकेटिड आइटम)
247.	सिज़र कटिंग (आर्डिनरी)
248.	स्क्रूव्ज ऑफ ऑल टाइप इन्क्लुडिंग हाई टेन्साईल
249.	शीप स्किन आल टाइप
250.	शेलक
251.	शू लेसिज़
252.	शावेल्स
253.	साइन बोर्ड पेन्टिड
254.	सिल्क रिबन
255.	सिल्क वैबिंग
256.	स्काईबूटस एंड शूज
257.	स्लयूज वाल्वज
258.	स्नेपफास्टनर (एक्सक्लूडिंग 4 पीसीएस. वन्स)
259.	सोप कार्बोलिक
260.	सोप कर्ड
261.	सोप लिक्विड
262.	सोप साफ्ट
263.	सोप वाशिंग और लॉन्डरी सोप
264.	सोप येल्लो
265.	सॉकेट/पाइप
266.	सोडियम नाइट्रेट
267.	सोडियम सिलिकेट
268.	सोल लैदर

1	2
269.	स्पेक्टेकल फ्रेम्स
270.	स्पाईक्ड बूट
271.	स्पोर्ट्स शूज मेड आउट ऑफ लैदर (फोर आल स्पोर्टस गेम्स)
272.	स्कर्वल केज इंडक्शन मोटर्स अप टू एंड इन्क्लूडिंग 100 किलो वाट 440 वोल्ट 3 फेस
273.	स्टेपलिंग मशीन
274.	स्टील अलमिरा
275.	स्टील बैड स्टैड
276.	स्टील चेयर
277.	स्टील डैस्क
278.	स्टील रैक्स/शैल्फ
279.	स्टील स्टूल्स
280.	स्टील ट्रंक
281.	स्टील वूल
282.	स्टील एंड एल्युमिनियम विन्डो एंड वैंटिलेटर
283.	स्टाकिनेट
284.	स्टोन एंड स्ओन क्वैरी रोलर
285.	स्टोन वियर जार
286.	स्ट्रैंडिड वायर
287.	स्ट्रीट लाइट फिटिंग
288.	स्टूडैंट माइक्रोस्कोप
289.	स्टड (एक्सक्लूडिंग हाई टैंसाइल)
290.	सर्जिकल ग्लोव्स (एक्सैप्ट प्लास्टिक)
291.	टेबल नाइव्स (एक्सक्लूडिंग कटलरी)
292.	टेक मैटलिक
293.	टैप्स

1	2
294.	तारपोलिन
295.	टीक फैब्रेकेटिड राउंड ब्लॉक्स
296.	टैन्ट पोल्स
297.	टैन्टेज सिविल/मिलिट्री एंड सेलिताह जूट फोर टैन्टेज
298.	टैक्सटाइल मैन्युफैक्चर्रस अर दैन एनईसी (नोट एल्सवियर क्लासीफाइड)
299.	टाइल्स
300.	टिन बॉक्सिज फोर पोस्टेज स्टैम्प
301.	टिन के अप्रिंटिड अप टू 4 गैलन कैपेसिटी (अदर दैन केन ओटीएस)
302.	टिन मैस
303.	टिप बूटस
304.	टोग्गल स्विचज
305.	टायलेट रोल्स
306.	ट्रांसफार्मर टाइप वैल्डिंग सैटस कंफोरमिंग टू आई एस: 1291/75 (टप टू 600 एएमपीएस)
307.	ट्रांजस्टर रेडियो अप टू 3 बैंड
308.	ट्रांजिस्ट्राईज्ड इसुलेशन-टैस्टर
309.	ट्रेज
310.	ट्रे फार पोस्टल यूज
311.	ट्रॉलि
312.	ट्रॉलि-ड्रिंकिंग वाटर
313.	टयूबलर पोल्स
314.	टायर एंड टयूब (साइकिल)
315.	अम्ब्रेला
316.	यूटैंसिल ऑल टाइप्स
317.	वाल्व मैटलिक

1	2
318.	वार्निश ब्लैक जापान
319.	वोल्टेज स्टैबलाइजर कन्क्लूडिंग सीवीटी
320.	वाशर आल टाइप्स
321.	वाटर प्रूफ कवर
322.	वाटर प्रूफ पेपर
323.	वाटर टैंक अप टू 15,000 लिटर कैपेसिटी
324.	वैक्स सीलिंग
325.	वैक्सड पेपर
326.	वेईंग स्केल
327.	वैल्डिड वायरमाश
328.	व्हील बारोस
329.	विसल
330.	विक्स कोटन
331.	विंग शील्ड वाइपर (आर्मस एंड ब्लेडस ओनली)
332.	वायर ब्रसिज एंड फइबर ब्रसिज
333.	वायर फेन्सिग एंड फिटिंग
334.	वायर नेल्स एंड होर्स शू`ल्स
335.	वायर नेटिंग्स ऑफ गेज थिकर दैन 100 मेश साईज
336.	वूड वूल
337.	वूडन एम्युनिशन बॉक्सीज
338.	वूडन बोर्डस
339.	वूडन बॉक्स फोर स्टैम्पस
340.	वूडन बॉक्सीज एंड केसिज एनईसी (नोट एल्सवियर क्लासीफाइड)
341.	वूडन चेयर्स
342.	वूडन फ्लश डोर शटर्स

1	2
343.	वूडन पिन्स
344.	वूडन पैकिंग केसिज आल साईजिज
345.	वूडन प्लग्स
346.	वूडन शैल्वज
347.	वूडन वेनियर्स
348.	वूलन हौजरी
349.	जिंक सल्फेट
350.	जिप फास्टनर

हस्तशिल्प मदें

क्र. सं.	वस्तु विवरण	आपूर्ति का स्रोत
351.	केन फर्नीचर	नोर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन असम गवर्नमेंट मार्किटिंग कॉर्पोरेशन क्राफ्ट सोसाइटी ऑफ मणिपुर नागालैंड हैंडलूम एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
352.	बेम्बू फाइल ट्रे, बास्केट, पैंसिल स्टेंड, साईड रैक आदि	-वही-
353.	आर्टिस्टिक वूडन फर्नीचर	राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन
354.	वूडन पेपर वेट, रैक्स आदि	-वही-
355.	ग्लास कवर्स मेड ऑफ वूड एंड ग्रास जूट	-वही-
356.	जूट फर्नीचर	वैस्ट बंगाल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जूट मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ओडिशा स्टेट हैंडीक्राफ्टस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
357.	जूट बैग्स, फाइल कवर	-वही-
358.	वूलन एंड सिल्क कारपेटस	यूपी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जम्मू और कश्मीर सेल एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन

[हिन्दी]

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

***122. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :**
श्री महाबली सिंह :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों को विनियमित करने हेतु विद्यमान तंत्र क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा उक्त आयोग कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना;

(घ) क्या इस मामले में सभी हितधारकों तथा उच्चतर न्यायपालिका से परामर्श किया गया है और यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु एक भर्ती अभियान शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जबकि उच्च न्यायालयों के यायाधीश, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अधीन नियुक्त किए जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय के साथ पठित तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के उसके निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालयों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशों के साथ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एक कोलेजियम पद्धति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय से मिलकर बनने वाली न्यायाधीशों की नियुक्ति की पहल, संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उस उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से और मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के साथ और परामर्श करके की जाती है। प्राप्त सिफारिशें, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट की जाती हैं, जो बाद में उच्चतम न्यायालय के दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों और ऐसे परामर्शी न्यायाधीशों के साथ परामर्श करता है जो उस उच्च न्यायालय का अनुभव रखते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिशें, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए विधि और न्याय मंत्री को अग्रेषित की जाती हैं।

(ख) न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने का एक प्रस्ताव है। तथापि, अभी तक, सरकार द्वारा कोई भी विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग (2002), दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (2007-08) और भारत के विधि आयोग (214वीं रिपोर्ट - 2008) द्वारा विगत में सिफारिशें की गई हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया का पुनर्विलोकन करने/उसमें परिवर्तन करने के लिए विभिन्न अभिकरणों और विशेषज्ञ निकायों द्वारा भी अभ्यावेदन किए गए हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर, उच्चतर न्यायपालिका के ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ परामर्श किए गए हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र ओर योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने की वकालत की है।

(ङ) अधीनस्थ न्यायपालिका में, जिसके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) भी हैं, न्यायाधीशों की भर्ती करना राज्य सरकार का कार्य है। त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी), 11वें वित्त आयोग, जो वर्ष 2000-01 से वर्ष 2004-05 तक के त्वरित निपटान न्यायालयों की पूर्ण लागत को वहन करने के लिए राज्यों को अनुदान उपलब्ध कराता है, की सिफारिश पर दीर्घकालिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए स्थापित किए गए थे। 1वें वित्त आयोग की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात्, सरकार ने, 31 मार्च, 2011 तक त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जारी रखा। केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान से अधिक अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए राज्य स्वतंत्र थे। त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्यों को अनुदान की केन्द्रीय स्कीम, 31.3.2011 के पश्चात् बंद कर दी गई थी। तथापि, ब्रिज मोहन लाल मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में न्यायाधीशों के दस प्रतिशत अतिरिक्त पद (लगभग 1800) जिला/अधीनस्थ स्तर पर सृजित किए जाने अपेक्षित हैं। मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे न्यायाधीशों के इन अतिरिक्त पदों का उपयोग करें जिन्हें बलात्संग मामलों के विचारण के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अनुरूप आधार पर वित्त पोषित किया जाना है। तेरहवें वित्त आयोग अधिनिर्णय से 31.3.2015 तक प्रति वर्ष अस्सी करोड़ रुपए तक की रकम इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित की गई है।

[अनुवाद]

राजनीतिक दलों द्वारा निःशुल्क उपहार दिया जाना

***123. श्री रुद्रमाधव राय :**
श्री एल. राजगोपाल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजनीतिक दलों द्वारा उनके चुनाव घोषणा पत्र में निःशुल्क उपहार देने का प्रस्ताव किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में विद्यमान दिशानिर्देश/कानून क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उनके चुनाव घोषणा पत्र में नि:शुल्क उपहार देने का वायदा करने से उन्हें हतोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) राजनैतिक दल साधारणतया प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व अपने घोषणा पत्रों की घोषणा करते हैं जो नीतियों के आशयों, उद्देश्यों, कार्यक्रमों तथा विचारधरा की एक घोषणा है। राजनैतिक दलों के निर्वाचन घोषणापत्रों में घोषित अधिकांश कार्यक्रम और नीतियां प्राय: निर्वाचकों को नि:शुल्क उपहार प्रदान करने के रूप में समझे जाते हैं। चूंकि निर्वाचन घोषणा पत्र व्यष्टिक राजनैतिक दलों की घोषणाएं होती हैं और उनमें कोई विधिक अलंघ्यता नहीं होती है, इसके संबंध में कोई विधि विद्यमान नहीं है। तथापि लोक प्रतिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन प्रत्येक राजनैतिक दल स्थापित विधि के अनुसार भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्षवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों तथा भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बाध्य है।

(ग) जी, हां।

(घ) उच्चतम न्यायालय ने एस.सुब्रामण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले में अपने 5 जुलाई, 2013 के अपने निर्णय में निर्वाचन आयोग को यह निदेश दिया है कि वह राजनैतिक दलों के निर्वाचन संबंधी घोषणा पत्रों में फ्रिबीज़ का वचन देने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को आगे यह दिश दिया है कि वह मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से परामर्श करके, आदर्श आचार संहिता के भाग के रूप में सम्मिलित किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए। निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार समुचित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने के प्रयोजन के लिए परामर्श हेतु सभी राष्ट्रीय और राज्य (मान्यता प्राप्त) राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलाई है।

[हिन्दी]

विशिष्ट पहचान योजना

***124. श्री सज्जन वर्मा :**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकन की तुलना में कुल कितने आधार संख्या बनाए गए हैं;

(ख) क्या विशिष्ट पहचान तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बीच कोई अतिव्यापन है तथा यदि हां, तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विशिष्ट पहचान योजना की प्रक्रिया, दिशा-निर्देश तथा प्रौद्योगिकी में कतिपय सुधार/परिवर्तन किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) 31 जुलाई, 2013 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पहचान रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में यूआईडीएआई और आरजीआई द्वारा अपलोड किए गए 50,81,40,513 नामांकन पैकेटों की तुलना में कुल 39,36,23,859 आधार संख्याएं सृजित की गईं। सृजित की गई आधार संख्याओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। यूआईडीएआई सीआईडीआर में अपलोड किए गए नामांकन पैकेटों के राज्य-वार ब्यौरे नहीं रखता है।

(ख) यूआईडीएआई और एनपीआर के उद्देश्य भिन्न हैं। अतिव्याप्ति को दूर करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) संलग्न विवरण-II में सूचीबद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यूआईडीएआई द्वारा नामांकन को फिलहाल 60 करोड़ निवासियों तक सीमित रखा गया है।

(ii) एनपीआर के लिए नामांकन करते समय जब कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह यूआईडीएआई द्वारा पहले से ही नामांकित है, तो एनपीआर द्वारा उसका बायोमेट्रिक डेटा हासिल नहीं किया जाता है। बल्कि, एनपीआर द्वारा आधार संख्या/नामांकन संख्या दर्ज की जाती है और यूआईडीएआई से बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) एनपीआर में नामांकित सभी निवासियों के लिए आधार संख्या सृजित की जाती है, इस प्रकार यूआईडीएआई में इस प्रकार के नागरिकों के पुन: नामांकन की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

(iv) एनपीआर और यूआईडीएआई द्वारा नामांकन का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) यूआईडीएआई का प्रयास यह है कि प्रक्रियाओं में सुधार और प्रोगिकी का उन्नयन सतत् आधार पर किया जाए। हाल में किए गए कुछेक परिवर्तन इस प्रकार हैं:—

(i) प्रत्येक नामांकन के लिए प्रचालकों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक अपवादों की स्थिति में पर्यवेक्षकों का प्रमाणीकरण।

(ii) पर्यवेक्षकों द्वारा दिन की समाप्ति पर जनसांख्यिकी डेटा की समीक्षा।

(iii) सीआईडीआर के साथ नामांकन मशीन का अनिवार्य आवधिक तालतेल बिठाना।

(iv) नामांकन की तारीख से 20 दिनों के भीतर डेटा पैकेटों को अनिवार्य रूप से अपलोड करना।

(v) डेटा की घटिया गुणवत्ता, प्रक्रियाओं और दिश-निर्देशों के अननुपालन तथा अपलोड करने में विलंब के लिए दंड लगाना।

(vi) सभी नामांकन स्टेशनों में 'जावा' आधारित क्लाइंट वर्जन की चरणबद्ध शुरूआत करना।

विवरण-I

31 जुलाई, 2013 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या की तुलना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आधार सृजन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या	आधार सृजन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	84665533	65,941,390
2.	अरुणाचल प्रदेश	1382611	1,848
3.	असम	31169272	36,490
4.	बिहार	103804637	2,880,470
5.	छत्तीसगढ़	25540196	941,318
6.	गोवा	1457723	1,285,740
7.	गुजरात	60383628	12,83,5910
8.	हरियाणा	253353081	9,290,205
9.	हिमाचल प्रदेश	6856509	5,887,076
10.	जम्मू और कश्मीर	12548926	138,661
11.	झारखंड	32966238	18,816,464
12.	कर्नाटक	61130794	26,125,496
13.	केरल	33387677	27,472,963
14.	मध्य प्रदेश	72597565	27,773,394
15.	महाराष्ट्र	112372972	62,697,942
16.	मणिपुर	2721756	67,1512
17.	मेघालय	2964007	2,675
18.	मिज़ोरम	1091014	9,082
19.	नागालैंड	1980602	71,5670
20.	ओडिशा	41947358	8,84,1776
21.	पंजाब	27704236	18,252,336
22.	राजस्थान	68621012	25,550,302
23.	सिक्किम	607688	517,704
24.	तमिलनाडु	72138958	24,452,774
25.	त्रिपुरा	3671032	2,955,20
26.	उत्तर प्रदेश	199581477	11,913,950
27.	उत्तराखंड	10116752	1,300,505
28.	पश्चिम बंगाल	91347736	19,475,326

1	2	3	4
	सघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	379944	160,187
2.	चंडीगढ़	1054686	861,734
3.	दादरा और नगर हवेली	342853	51,894
4.	दमन और दीव	242911	151,248
5.	दिल्ली	16753235	14,475,446
6.	लक्षद्वीप	64429	47,704
7.	पुदुचेरी	1244464	1,051,183
	कुल	1210193512	393,623,895

विवरण-II

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र, जहां यूआईडीएआई आधार का नामांकन कर रहा है

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	चंडीगढ़
3.	दमन और दीव
4.	गोवा
5.	गुजरात
6.	हरियाणा
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	झारखंड
9.	कर्नाटक
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
14.	पुदुचेरी
15.	पंजाब
16.	राजस्थान
17.	सिक्किम
18.	त्रिपुरा

[अनुवाद]

योग्य संकाय की कमी

***125. श्री प्रहलाद जोशी :**
श्रीमती मेनका संजय गांधी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान आदि जैसे देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में योग्य संकाय की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक संस्थान में संकाय की कितनी कमी है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन संस्थानों में योग्य संकाय की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू) : (क) और (ख) जी, हां। देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) आदि जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में योग्य संकाय की कमी है। ब्यौरा निमनवत है:—

क्र. सं.	संस्थानों का नाम	संस्वीकृत	वर्तमान में भरे	रिक्तियां हुए पद
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)	11920	7399	4521
2.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)	6425	4259	2166
3.	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी)	520	406	114
4.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)	240	159	81
5.	भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम)	737	581	156
6.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)	396	318	78
7.	आयोजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए)	190	119	71

संस्था में संकाय की कमी प्रायः सेवानिवृत्ति,त्यागपत्र देने और योग्य व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण होती है।

(ग) संस्थान संकाय पदों के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवारों को आकृष्अ करने हेतु विभिन्न पहल कर रहे हैं। इन उपायों में से कुछ में वर्ष भर खुले विज्ञापन, वीडिया कान्फ्रेंसिंग के जरिए चयन समिति की बैठकें आयोजित करना, सक्षम अभ्यर्थियों को पाने का प्रयास करने के लिए पूर्व छात्रों, वैज्ञानिकों और संकाय को आमंत्रित करना, अंतरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन, उत्कृष्ट युवा संकाय पुरस्कार आदि शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के अधीन कार्यरत संकाय को नए स्थापित केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में 10 वर्ष की दीर्घ अवधि प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

मलिन बस्तियों के निवासियों की जीवन स्थिति

***126. श्री चौधरी लाल सिंहः**
श्री समीर भुजबलः

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलिन बस्ती सांख्यिकी/जनगणना संबंधी किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मलिन बस्ती सांख्यिकी/जनगणना संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मलिन बस्तियों की अनुमानतः कितनी आबादी है; और

(ङ) मलिन बस्तियों में रहने वालों की जीवन-स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) जी, हां। स्लम सांख्यिकी/गणना और स्लम गणना 2011 का मार्गनिर्देशन करने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए जुलाई, 2008 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस समिति ने अगस्त, 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति की सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण और देश में राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र-वार अनुमानित स्लम जनसंख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) जी, हां। सरकार ने 3 दिसंबर, 2005 को जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है जिसके शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) नामक उप मिशन के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित देश में 65 चुनिन्दा शहरों में तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों और कस्बों में शहरी गरीबों/स्लम वासियों के लिए आवास और अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है। इस मिशन की कार्य अवधि 2005-06 से 7 वर्ष के लिए थी। जेएनएनयूआरएम की कार्य अवधि को अब मार्च, 2012 तक

स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने और सुधारों के क्रियान्वयन के लिए 2 वर्षों (मार्च, 2014 तक) तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने स्लमों का पुनर्विकास करने के लिए बेहतर आश्रय और बुनियादी नागरिक और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने तथा किफायती आवास स्टॉक का निर्माण करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके "स्लम मुक्त भारत" का निर्माण करने के लिए 02.06.2011 को "राजीव आवास योजना" (आरएवाई) शुरू की है। सरकार ने स्लमों का पुनर्विकास करने और उनकी अवसंरचना में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए राजीव आवास योजना को 12वीं योजना में जारी रखने की योजना बनाई है।

विवरण

समिति की सिफारिशों का संक्षिप्त ब्यौरा

देश में अनुमानित स्लम जनसंख्या : वर्ष 2001 में देश में स्लम जनसंख्या 75.26 मिलियन होने का अनुमान था और वर्ष 2001 में देश में परिकल्पित स्लम जनसंख्या 93.06 मिलियन थी अनुबंध-I और II देखें)।

स्लम गणना 2011 के लिए कवरेज : निम्नलिखित क्रिया प्रणाली के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना में सभी सांविधिक नगरों को शामिल किया जाएगा।

1. भारत के महापंजीयक का कार्यालय (ओआरजीआई) द्वारा वही परिभाषा प्रयोग में लाई जाएगी जो कि वैधानिक नगरों में अधिसूचित, मान्य और अभिज्ञात स्लमों के लिए उसके द्वारा वर्ष 2001 जनगणना में प्रयोग की गई थी। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा इस आशय के उपयुक्त अनुदेश जारी करते हुए सभी राज्य सरकारों और नगर निगम आयुक्तों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अप्रैल 2010 से शुरू किए जाने के लिए नियत आवासों की सूची बनाने के अभियानों के दौरान इन क्षेत्रों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।

2. इसके अतिरिक्त चूंकि गणना किए जाने वाले आवासों की स्थिति जिनमें परिवार रहते हैं, परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं आदि को जनगणना अभियानों के इस चरण में शामिल किया जाना है, इसलिए आवासों की सूची बनाने और आवास की गणना के आंकड़ों का उपयोग, समस्त देश में समान रूप से "स्लम जैसे" समूहों का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा।

3. भारत के महापंजीयक के कार्यालय (ओआरजीआई) द्वारा ऐसे सभी आवास सूची ब्लॉकों की पहचान की जाएगी जहां कम से कम 20 ऐसे परिवार हैं, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। तत्पश्चात ओआरजीआई इन आवास सूची ब्लॉकों (एचएलबी) के नक्शे आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को सौंप देगा।

4. यह निर्णय लेने के लिए कि क्या इन आवास सूची ब्लॉकों (एचएलबी) को "स्लम जैसे" समूहों के ब्लॉकों के रूप में वगीकृत किया जा सकता है, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा इन आवास सूची ब्लॉकों का स्वतंत्र रूप से मूल सत्यापन किया जाएगा।

वर्ष 2011 की जनगणना में आवास सूचीकरण और आवासीय जनगणना आंकड़ों के आधार पर तैयार करने स्लम जैसे परिवारों का निर्धारण करने के लिए मानदंड:—

1. निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के मानदंडों को पूरा करने वाले परिवारों को स्लम जैसे परिवारों की सूची में रखा जाएगा:

   1. **गणना किए गए आवास की छत में प्रयुक्त की गई मुख्य सामग्री:** छत कंक्रीट के अलावा किसी अन्य सामग्री से तैयार होनी चाहिए। कंक्रीट के रिइन्फोर्सड ब्रिक्स कंक्रीट (आरबीसी) और रिइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) दोनों शामिल हैं।

   2. **पेयजल की स्रोत की उपलब्धता:** गणना किए गए आवास के परिसर के भीतर पेय जल का स्रोत नहीं हो।

   3. **शौचालय की किस्म:** गणना किए गए आवास के परिसर में शौचालय की सुविधा न होना अर्थात परिसर में सार्वजनिक शौचालय हो अथवा कोई शौचालय न हो।

   4. **निकासी की किस्म:** परिवार में निकासी सुविधा उपलब्ध नहीं होना।

2. 20 परिवारों वाले आवास सूची ब्लॉक जिनें आवासीय अवस्था, पेयजल, शौचालय और निकासी संबंधी उपर्युक्त 4 सुविधाओं का अीााव हो उन्हें स्लम जैसे समूहों वाले आवास सूचीकरण ब्लॉक माना जाएगा।

3. ओआरजीआई द्वारा निर्धारित किए गए आवास सूचीकरण

ब्लॉकों के नक्शे आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

4. ओआरजीआई द्वारा उपलब्ध करवाए गए आवास सूची ब्लॉकों के ले-आउट नक्शों की पुष्टि आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

जनगणना की परिभाषा के अनुसार स्लम जैसे समूहों के सभी परिवारों और स्लम ईबी के परिवारों का सकल योग, देश में स्लम जनसंख्या को परिलक्षित करेगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग प्रत्येक जनगणना में किया जाएगा ताकि मंत्रालय को इसकी आवधिक और अद्यतन सूचना के साथ-साथ विकास की प्रवृतियों का पता चलता रहे।

अनुबंध-I

तालिका वर्ष 2001 में सभी 5161 कस्बों के लिए राज्य-वार अनुमानित स्लम जनसंख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरी जनसंख्या	स्लम जनसंख्या	राज्य की शहरी जनसंख्या में स्लम जनसंख्या	भारत कुल स्लम जनसंख्या में राज्य स्लम जनसंख्या का
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	20808940	7254399	34.86	9.64
अरुणाचल प्रदेश	227881	56538	24.81	0.08
असम	3439240	805701	23.43	1.07
बिहार	8681800	1422155	16.38	1.89
छत्तीसगढ़	4185747	1578285	37.71	2.1
गोवा	670577	100365	14.97	0.13
गुजरात	18930250	3708127	19.59	4.93
हरियाणा	6115304	2350269	38.43	3.12
हिमाचल प्रदेश	595581	69310	11.64	0.09
जम्मू और कश्मीर	2516638	395696	15.72	0.53
झारखंड	5993741	762025	12.71	1.01
कर्नाटक	17961529	2951441	16.43	3.92
केरल	8266925	499498	6.04	0.66
मध्य प्रदेश	15967145	5107505	31.99	6.79
महाराष्ट्र	41100980	14319132	34.84	19.03
मणिपुर	575968	68967	11.97	0.09
मेघालय	454111	172223	37.93	0.23

1	2	3	4	5
मिजोरम	441006	87309	19.8	0.12
नागालैंड	342787	73523	21.45	0.1
ओडिशा	5517238	1401973	25.41	1.86
पंजाब	8262511	2164649	26.2	2.88
राजस्थान	13214375	3118120	23.6	4.14
सिक्किम	59870	9609	16.05	0.01
तमिलनाडु	27483998	7340271	26.71	9.75
त्रिपुरा	545750	104281	19.11	0.14
उत्तर प्रदेश	34539582	8527840	24.69	11.33
उत्तराखंड	2179074	638467	29.3	0.85
पश्चिम बंगाल	22427251	7520116	33.53	9.99
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	116198	20303	17.47	0.03
चंडीगढ़	808515	208057	25.73	0.28
दादरा और नगर हवेली	50463	7653	15.17	0.01
दमन और दीव	57348	7420	12.94	0.01
दिल्ली	12905780	2318635	17.97	3.08
लक्षद्वीप	26967	1683	6.24	0
पुदुचेरी	648619	92495	14.26	0.12
भारत	286119689	75264040	26.31	100

स्रोत: समिति की स्लम सांख्यिकी/गणना 2010 पर रिपोर्ट।

अनुबंध-II

तालिका वर्ष 2011 से 2017 तक परिकल्पित राज्य-वार स्लम जनसंख्या

राज्य/संघ राज्य	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	8188022	8273434	8357451	8440074	8521999	8602530	8681318

1	2	3	4	5	6	7	8
अरुणाचल प्रदेश	98248	103459	108669	114127	119833	125788	131494
असम	1070838	1100118	1129636	1159857	1190780	1222406	1253798
बिहार	1683954	1707378	1730148	1752590	1774376	1795671	1816639
छत्तीसगढ़	2111546	2169237	2228058	2287634	2347964	2409802	2470886
गोवा	154759	161494	168229	174815	180801	185741	192476
गुजरात	4662619	4759581	4856740	4954094	5051840	5149782	5245569
हरियाणा	3288292	3390907	3495059	3600364	3707207	3815202	3923582
हिमाचल प्रदेश	87281	89143	91005	92983	94845	96707	98685
जम्मू और कश्मीर	494180	504243	514306	524369	534275	544180	553771
झारखंड	931912	948949	966239	983530	1001202	1019382	1036673
कर्नाटक	3631147	3700490	3770161	3839998	3910162	3980656	4049341
केरल	533278	536057	538776	541314	543671	545906	548021
मध्य प्रदेश	6393040	6523229	6654059	6785528	6917636	7050705	7181214
महाराष्ट्र	18151071	18549628	18950624	19352665	19754009	20152914	20557046
मणिपुर	75197	75915	76514	76993	77592	78190	78789
मेघालय	205176	208590	212003	215416	219209	222622	226415
मिज़ोरम	105720	107700	109679	111659	113639	115619	117599
नागालैंड	83220	84292	85365	86223	87295	88368	89226
ओडिशा	1736064	1770623	1805436	1840503	1876078	1912161	1948244
पंजाब	2798256	2864014	2930296	2996316	3062598	3128094	3193590
राजस्थान	3826160	3894590	3962311	4029561	4095395	4160049	4224939
सिक्किम	13321	13803	14124	14605	14926	15408	15729
तमिलनाडु	8644892	8862969	9081045	9298651	9515080	9729624	994016
त्रिपुरा	131080	134137	137003	140061	143118	146175	149232
उत्तर प्रदेश	10878336	11127210	11378552	11631376	11885434	12139739	12394291

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तराखंड	826257	846181	866105	886615	906832	927342	947559
पश्चिम बंगाल	8546755	8640642	8733188	8825399	8918616	9014179	9106055
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	33722	35294	36867	38265	39663	41060	42633
चंडीगढ़	332473	348685	365154	381881	397321	411474	429744
दादरा और नगर हवेली	26083	28813	31542	34424	37305	40035	43219
दमन और दीव	9187	9316	9316	9445	9445	9575	9575
दिल्ली	3163430	3260984	3360874	3463999	3570716	3681745	3793313
लक्षद्वीप	1560	1560	1498	1435	1435	1435	1373
पुदुचेरी	136899	143316	149876	156435	162282	167131	174118
भारत	93055983	94977993	96907923	98845216	100786594	102729415	104668340

स्रोत: समिति की स्लम सांख्यिकी/गणना 2010 पर रिपोर्ट।

केन्द्रीय विद्यालयों का कार्य-निष्पादन

***127. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देश में केन्द्रीय विद्यालयों के कार्य-निष्पादन का अनुवीक्षण करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान क्षेत्र-वार पंजीकृत किए गए केन्द्रीय विद्यालयों के कार्य-निष्पादन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन विद्यालयों में शिक्षकों के कार्य-निष्पादन का आकलन करने हेतु कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय (केवी) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) नामक स्वायत्तशासी संगठन द्वारा अभिशासित होते हैं। शासी बोर्ड (बीओजी) देश में केवी के कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए शीर्ष निकाय है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार शासी बोर्ड के अध्यक्ष हैं जिसमें शिक्षाविद, शिक्षा प्रशासक, और संसद सदस्य शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शासी बोर्ड में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। प्रभावी निगरानी प्रबंधन के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता वाली चार स्थायी समितियां जैसे शिक्षा सलाहकार समिति, वित्त समिति, प्रशासन व स्थापना समिति और निर्माण समिति शासी बोर्ड की सहायता करती हैं। केवीएस अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से शासी बोर्ड की सहायता करती हैं। केवीएस अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से शासी बोर्ड को पूरे वर्ष के कार्य-निष्पादन और साथ ही अपनी अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/गतिविधियों से अवगत कराता है। केवी का गत तीन वर्षों का, क्षेत्रवार, कार्य-निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) शिक्षकों के कार्य-निष्पादन का आकलन शैक्षिक कार्य-निष्पादन के आधार पर किया जाता है जिसकी समीक्षा शासी बोर्ड और शैक्षिक सलाहकार समिति द्वारा समय समय पर की जाती है। इसके अलावा, केवीएस के कार्यालय-तंत्र द्वारा कार्य-निष्पादन का नियमित अनुवीक्षण किया जाता है। स्कूलों के कार्यकलापों का संबंधित प्रधानाचार्य

द्वारा नियमित अनुवीक्षण और पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केवी के कार्य-निष्पादन का अनुवीक्षण केवीएस के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्कूलों के शैक्षिक पर्यवेक्षण और औचक निरीक्षण की एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों के उप-आयुक्त/सहायक आयुक्त द्वारा उस क्षेत्र के प्रत्येक केवी के कम से कम दो निरीक्षण जैसे एक वार्षिक शैक्षिक पर्यवेक्षण और एक औचक निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, केवीएस (मुख्यालय) के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर केवी का दौरा करते हैं।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी सीबीएसई संबंधन वाले स्कूलों के लिए अनेक नवाचार आरंभ किए हैं। केवीएस में शिक्षा की गुणवत्ता का अनुरक्षण और अनुवीक्षण उसके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्कूलों के शैक्षिक निरीक्षण की एक सतत एवं कड़ी प्रणाली से किया जाता है। इसके साथ ही, शिक्षकों को केवीएस के 25 क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से पांच जोनल शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा लघु अवधि की कार्यशालाओं के अलावा, 21/22 दिवसीय आवधिक सेवाकालीन पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2010-2013 के कक्षा-X और XII (सीबीएसई) का क्षेत्र-वार परिणाम विश्लेषण (उत्तीर्ण प्रतिशत)

क्र. सं.	क्षेत्र	कक्षा-X				कक्षा-XII			
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आगरा	*	*	99.45	99.88	*	*	93.82	93.6
2.	अहमदाबाद	96.11	99.68	99.48	99.86	88.79	90.48	91.93	90.9
3.	बंगलौर	99.18	99.8	99.91	100	97.02	95	95.53	97.92
4.	भोपाल	95.8	99.61	99.74	99.91	92.39	91.83	92.58	93.32
5.	भुवनेश्वर	96.92	98.6	99.8	99.97	90.01	93.28	93.48	95.08
6.	चंडीगढ़	96.54	99.44	99.68	99.94	94.86	94.75	95.6	96.14
7.	चेन्नई	99.11	99.94	99.69	99.95	97.51	97.58	95.84	96.09
8.	देहरादून	96.4	99.2	99.6	99.7	87.48	94.15	97.2	96.16
9.	दिल्ली	96.5	99.15	99.55	99.91	91.87	95.54	95.43	97.21
10.	एर्नाकुलम	*	*	100	100	*	*	98.49	99.31
11.	गुवाहाटी	96.9	97.75	99.3	99.83	93.54	94.68	95.57	93.52
12.	हैदराबाद	98	99.51	99.86	100	93.58	95.71	97.43	97.23
13.	जबलपुर	94.06	99.1	98.91	99.87	85.52	88.75	91.99	91.2
14.	जयपुर	92.98	99.55	99.59	99.97	90.99	90.8	92.49	95.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	जम्मू	95.86	99.39	99.28	99.82	86	91.1	87.73	89.18
16.	कोलकाता	98.05	99.69	99.52	99.91	91.03	93.1	94.21	95.22
17.	लखनऊ	96.59	99.61	99.32	99.84	90.39	93.92	93.02	93.13
18.	मुंबई	96.68	99.27	99.41	99.7	90.68	91.9	95.16	95.41
19.	पटना	95.06	99.76	99.68	99.74	88.48	92.68	95.98	90.53
20.	रायपुर	*	*	99.23	100	*	*	90.67	95.34
21.	रांची	*	*	99.55	99.92	*	*	92.47	94.48
22.	सिल्चर	98.01	97.54	99.23	99.93	89.33	92.09	94.76	93.3
23.	सिरसा	*	*	99.09	99.92	*	*	92.22	94.21
24.	तिनसुकिया	*	*	98.94	100	*	*	91.2	95.28
25.	वाराणसी	*	*	99.54	99.94	*	*	92.43	92.08
26.	केवीएस (मुख्यालय)	96.64	94.74	100	100	91.13	91.38	98.18	100

*वर्ष 2010 और 2011 के उक्त कालमों में खाली स्थान है क्योंकि ये क्षेत्र अर्थात आगरा, एर्नाकुलम, रायपुर, रांची, सिरसा, तिनसुकिया और वारणसी उस समय अस्तित्व में नहीं थे।

ज्ञान क्षेत्र में सहयोग

***128. श्री मधु गौड यास्खी :**
श्री उदय सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमेरिका का विचार ज्ञान क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों ने सिंह-ओबामा ज्ञान पहल के अन्तर्गत पुरस्करों में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या युवा भारतीय संकाय सदस्यों को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका के उत्कृष्टतम संस्थाओं में रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे किस सीमा तक देश के शिक्षा क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू) : (क) और (ख) भारत और अमरीका ने हाल के वषो' में विशेषकर भारतीय प्रधानमंत्री के नवम्बर, 2009 में अमरीका के दौरे के पश्चात् जिसमें सिंह-ओबामा 21वीं सदी ज्ञान पहल की घोषणा की गई थी, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया है। इसके पश्चात् 13 अक्टूबर, 011 को वाशिंगटन डीसी में भारत-अमरीका उच्चतर शिक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तत्पश्चात्, जून 2012 में वाशिंगटन डीसी में प्रथम भारत-अमरीका उच्च शिक्षा वार्ता आयोजित की गई और 25 जून, 2013 को नई दिल्ली में दूसरी भारत-अमरीका उच्च शिक्षा वार्ता आयोजित की गई। इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप भारत और अमरीका के बीच शैक्षिक सहयोग बढ़ाने हेतु अनेक नए उपक्रम आरंभ किए गए हैं जिनमें दोनों देशों की संस्थाओं द्वारा संयुक्त अनुसंधान कार्यकलाप करने के लिए सिंह-ओबामा 21वीं सदी ज्ञान पहल पुरस्कार; अमरीकी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान हेतु भारतीय संकाय और अनुसंधानकर्ताओं के लिए रमन

अध्येतावृत्ति; भारत में समुदाय कॉलेज स्थापित करने हेतु सहयोग; व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) सहित प्रौद्योगिकी समर्थित अधिगम; और विद्यार्थियों का आदान-प्रदान शामिल है। दोनों देशों की उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच संस्था-दर-संसीा सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाता है।

(ग) जैसी भारत और अमरीका के बीच आपसी सहमति हुई है, सिंह-ओबामा ज्ञान पहल के अंतर्गत पुरस्कारों के लिए प्रतिवर्ष भारत और अमरीका प्रत्येक की चार-चार परियोजनाओं सहित आठ संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का चयन किया जाता है। इस संरचना के अनुसार 2012 और 2013 के लिए कुल 16 पुरस्कारों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और अगले चरण के पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने संबंधी विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। वर्तमान में पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने युवा भारतीय संकाय और अनुसंधानकर्ताओं के लिए उनकी क्षमताओं में वृद्धि हेतु अमरीका की उत्कृष्टतम संस्थाओं में नियोजन हेतु रमन अध्येतावृत्ति आरंभ की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2013 में 126 अध्येतावृत्तियों की घोषणा की गई है।

(ङ) भारत और अमरीका के बीच ज्ञान क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम द्वारा संकाय विकास; नेतृत्व विकास; संस्थागत संबंध बनाने; भारतीय प्रवासियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने; व्यक्ति-दर-व्यक्ति संबंध बढ़ाने और भारत में सामुदायिक कॉलेजों की स्थापना जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ करके भारतीय शिक्षा ओर अनुसंधान को लाभ पहुंचा रहे हैं।

विद्यालयों में रसोई व्यवस्था

***129. श्री आर. थामराईसेलवन :**
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य अनिवार्य रसोई-सह-भंडार गृहों के निर्माण के संबंध में पीछे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने सभी राज्यों से मध्याह्न भोजन देने वाले सभी विद्यालयों में केन्द्र द्वारा अनुमोदित नई, सुरक्षित तथा स्वास्थ्यकर रसोई-सह-भंडारों का निर्माण करने का आग्रह किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन रसोई-सह-भंडार गृहों का निर्माण कब तक कर लिया जाएगा; और

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों से हाल ही में हुई चिकित्सीय आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आकस्मिक योजना विकसित करने का भी आग्रह किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अब तक कुल 9.79 लाख रसोई-सह-भंडारगृह संस्वीकृत किए गए हैं। इनमें से, अभी तक 6.26 (64%) लाख रसोई-सह-भंडारगृहों का निर्माण किया गया है। रसोई-सह-भंडारगृहों के निर्माण की गति, आंध्र प्रदेश (9%), केरल (13%), तमिलनाडु (17%), महाराष्ट्र (35%), उत्तराखंड (36%), मणिपुर (38%), झारखंड (40%), हरियाणा (47%) और बिहार (67%), राज्यों में धीमी है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

रसोई-सह-भंडारगृहों का निर्माण न किए जाने/धीमी प्रगति के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:—

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रसोई-सह-भंडारगृह के निर्माण में देरी जिसके परिणामस्वरूप लागत का अधिक हो जाना।

(ii) राज्य वित्त विभाग द्वारा निधियों के जारी होने में विलंब।

(iii) स्कूल में भूमि की अनुपलब्धता।

(iv) कुछ राज्यों द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जाना।

(ख) जिन राज्यों में बड़ी संख्या में अधूरे रसोई-सह-भंडारगृह हैं, उन्हें केन्द्र सरकार ने अप्रैल, 2013 में एक मॉडल डिजाइन भेजा है, जिसमें भंडारण के लिए अलग स्थान, भोजन पकाने का अर्द्ध खुला स्थान, अनेक बच्चों द्वारा एक साथ हाथ धोने की सुविधाओं वाला बड़ा वाश बेसिन और किचन गार्डन में पानी के निष्कासन की सुविधाएं हैं। राज्यों से इन्हें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का अनुरोध किया गया था।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित कुरसी क्षेत्रफल मानकों और राज्य अनुसूची की दरों के आधार पर राज्यों को निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं। इस विभाग ने 100 बच्चों वाले स्कूलों में रसोई-सह-

भंडारगृह के निर्माण के लिए 20 वर्गमीटर कुरसी क्षेत्रफल निर्धारित किया है। प्रत्येक 100 अतिरिक्त बच्चों के शामिल होने पर 4 वर्गमीटर अतिरिक्त कुरसी क्षेत्रफल जोड़ा जाता है।

(घ) मध्याह्न भोजन योजना के कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड ने वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट को अनुमोदित करते समय रसोई-सह-भंडारगृहों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा की और राज्यों को एक समयबद्ध तरीके से रसोई-सह-भंडारगृह का निर्माण कार्य पूरा करने का परामर्श दिया है। दिनांक 25.06.2013 को सभी शिक्षा सचिवों के साथ भी इस मामले की समीक्षा की गई थी। उन्हें रसोई-सह-भंडारगृहों का प्राथमिकता आधार पर निर्माण पूरा करने का अनुरोध किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति की बैठकों के दौरान भी इसकी समीक्षा की जाती है।

(ङ) सरकार ने हाल ही में, मध्याह्न भोजन योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए पुनः कहा है ताकि गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता की दृष्टि से, कड़ा अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कुछ अतिरिक्त पहलुओं पर भी बल दिया गया है; राज्यों को आकस्मिक स्वास्थ्य योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है जिसमें किए जाने वाले निवारक उपायों, आपातकालीन स्थिति में की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई, संपक किए जाने वाले अधिकारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करते हुए मेडिकल संबंधी आपातकालीन स्थितियों से निपटा जा सके।

विवरण

(प्राइमरी+अपर प्राइमरी) की रसोई-सह-भंडारगृह के निर्माण की वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-2013 के दौरान संस्वीकृत रसोई-सह-भंडारगृहों की संख्या	यथा 31.03.2013 को रसोई-सह-भंडारगृह की वास्तविक प्रगति					
			निर्मित		निर्माणाधीन		अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	75283	6578	9%	0	0%	68705	91%
2.	अरुणाचल प्रदेश	4131	4085	99%	0	0%	46	1%
3.	असम	56795	40593	71%	5460	10%	10742	19%
4.	बिहार	65977	44159	67%	2840	4%	18978	29%
5.	छत्तीसगढ़	47266	36909	78%	1502	3%	8855	19%
6.	गोवा	0	0	0%	0	0%	0	0%
7.	गुजरात	19868	17628	89%	1169	6%	1071	5%
8.	हरियाणा	11483	5417	47%	2706	24%	3360	29%
9.	हिमाचल प्रदेश	14959	12941	87%	1699	11%	319	2%
10.	जम्मू और कश्मीर	11815	11442	97%	107	1%	266	2%
11.	झारखंड	39001	15702	40%	3581	9%	19718	51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	कर्नाटक	36571	25347	69%	803	2%	10421	28%
13.	केरल	2450	318	13%	484	20%	1648	67%
14.	मध्य प्रदेश	98462	82743	84%	10194	10%	5525	6%
15.	महाराष्ट्र	65783	23104	35%	16487	25%	26192	40%
16.	मणिपुर	3053	1174	38%	0	0%	1879	62%
17.	मेघालय	9491	6243	66%	2821	30%	427	4%
18.	मिज़ोरम	2396	1533	64%	863	36%	0	0%
19.	नागालैंड	2223	1777	80%	446	20%	0	0%
20.	ओडिशा	69152	36049	52%	22173	32%	10930	16%
21.	पंजाब	18969	16169	85%	2276	12%	524	3%
22.	राजस्थान	81436	60795	75%	8597	11%	12044	15%
23.	सिक्किम	859	800	93%	59	7%	0	0%
24.	तमिलनाडु	28470	4931	17%	23539	83%	0	0%
25.	त्रिपुरा	4614	4052	88%	562	12%	0	0%
26.	उत्तर प्रदेश	122572	108683	89%	1339	1%	12550	10%
27.	उत्तराखंड	16989	6151	36%	4431	26%	6407	38%
28.	पश्चिम बंगाल	68185	50713	74%	11751	17%	572	18%
29	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	251	0	0%	0	0%	251	100%
30.	चंडीगढ़	10	0	0%	7	70%	3	30%
31.	दादरा और नगर हवेली	50	0	0%	0	0%	50	100%
32.	दमन और दीव	32	26	81%	0	0%	6	19%
33.	दिल्ली	0	0	0%	0	0%	0	0%
34.	लक्षद्वीप	0	0	0%	0	0%	0	0%
35.	पुदुचेरी	92	92	100%	0	0%	0	0%
	कुल	978688	626154	64%	125896	13%	226638	23%

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों पर वैश्विक मंदी का प्रभाव

***130. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :**
श्री नरहरि महतो :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक मंदी विशेष रूप से यूरोपीय देशों में आई वैश्विक मंदी का सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मंदी मंदी के कारण कम हुई नौकरियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन उद्यमों का पुनरूद्धार करने की कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत कितने उद्यमों को लाभ पहुंचाया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) प्रारूप दस्तावेज के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र के विकास में कमी आई है, जैसा कि विनिर्माण क्षेत्र के जीडीपी (2004-05 के मूल्य के अनुसार स्थायी लागत पर) की वृद्धि दर के 2009-10 में 9.7 प्रतिशत से 2011-12 में 3.9 प्रतिशत के ह्रास से स्पष्ट है। इस दस्तावेज में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट का कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, अमरीका और यूरोपीय देशों में कमजोर आर्थिक बहाली सहित वैश्विक आर्थिक मंदी को ठहराया गया है। इसके परिणामस्वरूप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी वैश्विक मंदी से प्रभावित हुए क्योंकि वे कुल विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जिनमें एमएसएमई की घरेलू विनिर्माण से औसत से उल्लेखनीय उपस्थिति है, में शेष विश्व से यूरोपीय संघ के आयात की वृद्धि दर में गिरावट के पश्चात भारतीय निर्यात की वृद्धि दर में कमी को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) श्रम ब्यूरो, श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिए चुनिंदा श्रम-गहन तथा निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों में तिमाही आधार पर त्वरित रोजगार सैंपल सर्वेक्षण कराता रहा है। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, अर्थव्यवस्था के आठ चुनिंदा क्षेत्रों, अर्थात, वस्त्र, धातु, रत्नाभूषण, ऑटोमोबाइल, परिवहन, आईटी/बीपीओ, चर्म तथा हैंडलूम/पावरलूम, में कुल रोजगार में वृद्धि इस प्रकार थी:—

रोजगार में वृद्धि

वर्ष	रोजगार में वृद्धि (लाख)
2009-10	10.60
2010-11	9.79
2011-12	8.37
2012-13	3.48

(ग) से (ङ) सरकार एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जारी योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर जोर दे रही है, जिनमें राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिटी योजना (सीएलसीएसएस) और सूक्ष्म व लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) शामिल हैं। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत कुल योजना बजट आबंटन 2012-13 के 2,835 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2013-14 में 2,977 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एनएमसीपी और सीएलसीएसएस के तहत, क्रमश: 5,984 और 22,007 इकाइयां 31 मार्च 2013 तक लाभान्वित हुई हैं। इसके अतिरिक्त, रुपया निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत का ब्याज सहायता जो पहले हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा और लघु तथा मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए उपलब्ध था, का दायरा बढ़ाकर उनमें खिलौनों, खेल वस्तुओं, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, तैयार वस्त्र तथा इंजीनियरिंग उत्पादों की 235 टैरिफ लाइनों को शामिल किया गया है तथा यह योजना 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दी गई है।

विवरण

निम्नलिखित क्षेत्रों में घेरलू विनिर्माण में एमएसएमई की औसत से उल्लेखनीय उपस्थिति है:

उत्पादल लेबल	यूरोपीय संघ आयातों वृद्धि दर (%)		भारतीय निर्यातों की वृद्धि दर (%)	
	2011	2012	2011	2012
	1	2	3	45
टेक्कटाइल और टेक्सटाइल की मदें	15.7	-11.4	30.5	-15.7

1	2	3	4	5
रासायनिक उत्पाद	12.0	-4.6	34.2	4.0
प्लास्टिक रबर	21.2	-8.6	37.8	-6.2
सामान्य धातु और उसकी वस्तुएं	23.5	-14.2	30.5	-10.7
मशीनरी और मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल उपकरण	10.8	-8.2	22.7	-12.7
लकड़ी तथा लकड़ी के उतपाद	10.3	-10.6	27.5	20.5
लकड़ी के गूदे के उत्पाद	9.8	-13.9	43.5	-15.5
चर्म तथा खाल	21.6	-4.0	40.3	-7.1
जूते चप्पल और टोपी	14.7	-6.4	26.4	-14.8
पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट और एस्बेस्टस की वस्तुएं	11.0	-9.8	23.7	-2.8

स्रोत: यूएन काम्ट्रेड आंकड़े 22 मई 2013 की स्थिति अनुसार आईटीसी से लिए गए हैं।

[हिन्दी],

किशोर न्याय प्रणाली

***131. श्री गोपाल सिंह शोखावत :**
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किशोर न्यायालयों की संख्या कितनी है और ऐसे न्यायालयों में दर्ज मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में ऐसे और न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाल साक्षियों के लिए न्यायालय की मैत्रीपूर्ण छवि को प्रस्तुत करने हेतु भारत के पहले बाल साक्षी न्यायालय को हाल ही में खोला गया था तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा विधि सुधार, यदि कोई है, परिकल्पित किए गए हैं, तो वे क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यौरों के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विशेष तथा स्थानीय विधियों (एसएलएल) के अधीन पकड़े गए और किशोर न्याय बोर्डों को भेजे गए किशोरों के मामलों के निपटारे के संबंध में ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जेजे एक्ट), के उपबंधों के अनुसार राज्यों सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक जिले के लिए एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) का गठन करे और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जेजे एक्ट) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित प्रक्रियाओं के अनुसार उनका प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करे।

दिल्ली में पहले बाल साक्षी न्यायालय कक्ष का उद्घाटन, कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर में 16 सितंबर, 2012 को किया गया था। इसका उद्देश्य, न्यायिक उद्घोषणाओं में निदेशों के अनुसार अन्वेषण, विचारण और परीक्षा के लिए बाल अनुकूल प्रक्रिया का और साथ ही, हाल ही में अधिनियमित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जेजे एक्ट), के उपबंधों के अनुसार राज्यों सरकारों/संघ राज्य

क्षेत्रों प्रशासनों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक जिले के लिए एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) का गठन करे और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जेजे एक्ट) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित प्रक्रियाओं के अनुसार उनका प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करे। (i) कानूनी संरचनाओं की स्थापना करने के लिए और किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) तथा बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष किसी बालक को पेश करने के लिए समय पद्धति का उपबंध करना (ii) विधि संघर्ष में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तथा किशोरों के लिए प्रमुख विधि के रूप में स्थापित करना, और (iii) अभ्यर्पित बालकों, कार्यरत बालकों, गली में घूमने वाले बालकों तथा भिक्षा मांगते हुए पाए गए बालकों आदि को सम्मिलित करने के लिए देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अंगीकृत करने एवं उनकी सूची का विस्तार करने के लिए उपबंधों में अभिवृद्धि करना। इसके अतिरिक्त, 2010 में कुष्ठ और अन्य रोगों से प्रभावित बालकों के विरुद्ध विभेदकारी संदर्भों को हटाने के लिए संशोधन किए गए थे।

7 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में हुए मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में, राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे किशोर न्याय अधिनियम के अधीन अनुध्यात विभिन्न गृहों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाएं। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे उन जिलों में किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना करने के लिए, जहां पर उनकी अभी स्थापना की जानी है तथा, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समितियां स्थापित करने तथा अंगीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए भरसक प्रयास करें।

विवरण-I

देश में किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किशोर न्याय बोर्डों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	23
3.	अरुणाचल प्रदेश	16
4.	असम	27
5.	बिहार	38
6.	चंडीगढ़	1
7.	छत्तीसगढ़	17
8.	दादरा और नगर हवेली	1
9.	दमन और दीव	2
10.	दिल्ली	2
11.	गोवा	2
12.	गुजरात	26
13.	हरियाणा	21
14.	हिमाचल प्रदेश	12
15.	जम्मू और कश्मीर	0
16.	झारखंड	21
17.	कर्नाटक	30
18.	केरल	14
19.	लक्षद्वीप	1
20.	मध्य प्रदेश	50
21.	महाराष्ट्र	35
22.	मणिपुर	9
23.	मेघालय	7
24.	मिज़ोरम	8
25.	नागालैंड	11
26.	ओडिशा	30
27.	पुदुचेरी	4
28.	पंजाब	22

1	2	3
29.	राजस्थान	33
30.	सिक्किम	4
31.	तमिलनाडु	32
32.	त्रिपुरा	4
33.	उत्तर प्रदेश	72
34.	उत्तराखंड	13
35.	पश्चिम बंगाल	19
	योग	608

विवरण-II

वर्ष 2012 के दौरान पकड़े गए (भारतीय दंड संहिता और एसएलएल अपराधों के अधीन) और न्यायलय में भेजे गए किशोरों के मामलों का निपटान

(राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गिरफ्तार किए गए और न्यायालय भेजे गए	सलाह अथवा चेतावनी के पश्चात् घर भेजे गए	परिवीक्षा पर निर्मुक्त किए गए और देखभाल में रखे गए		विशेष गृहों में भेजे गए	जुर्माना किए गए	दोषमुक्त किए गए या अन्यथा निपटाए गए	लंबित निपटान
				माता-पिता की/संरक्षक	उपयुक्त संस्था की				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	2372	557	599	61	269	63	96	727
2.	अरुणाचल प्रदेश	72	51	21	0	0	0	0	0
3.	असम	988	369	307	0	106	5	17	184
4.	बिहार	3262	449	342	189	1177	65	180	860
5.	छत्तीसगढ़	2502	330	109	384	722	215	188	554
6.	गोवा	97	7	8	4	48	0	3	27
7.	गुजरात	2406	185	328	169	214	111	365	1034
8.	हरियाणा	1151	153	76	96	40	32	42	712
9.	हिमाचल प्रदेश	244	63	32	2	25	0	1	121
10.	जम्मू और कश्मीर	82	0	2	7	0	0	1	72
11.	झारखंड	345	24	59	5	82	6	124	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	कर्नाटक	456	107	23	0	121	1	17	187
13.	केरल	989	213	184	29	135	9	27	392
14.	मध्य प्रदेश	6488	1059	1219	370	670	573	8401	757
15.	महाराष्ट्र	6630	852	1907	520	1790	86	1121	363
16.	मणिपुर	6	2	0	0	4	0	0	0
17.	मेघालय	106	12	3	0	22	0	13	56
18.	मिज़ोरम	144	2	44	48	39	9	0	2
19.	नागालैंड	25	0	8	0	13	3	1	0
20.	ओडिशा	956	145	179	19	338	72	9	194
21.	पंजाब	260	12	9	0	44	3	4	188
22.	राजस्थान	2551	286	285	58	1257	47	192	426
23.	सिक्किम	94	16	26	11	12	5	12	12
24.	तमिलनाडु	3542	428	1034	108	1139	78	82	673
25.	त्रिपुरा	147	10	0	26	5	0	25	81
26.	उत्तर प्रदेश	1005	34	1	8	747	7	32	176
27.	उत्तराखंड	244	4	84	8	148	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	823	41	169	7	40	23	45	498
	योग (राज्य)	37987	5411	7058	2129	9207	1413	2428	10341
संघ राज्य क्षेत्र									
29	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	16	0	0	0	16	0	0	0
30.	चंडीगढ़	134	16	40	0	11	10	3	54
31.	दादरा और नगर हवेली	18	0	1	0	0	0	0	17
32.	दमन और दीव	10	0	0	0	0	0	0	10
33.	दिल्ली	1572	500	138	54	443	29	141	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	85	0	53	0	0	0	0	32
	योग (संघ राज्य क्षेत्र)	1835	516	232	54	470	39	144	380
	योग (संपूर्ण भारत)	39822	5927	7290	2183	9677	1452	2572	10721

स्रोत: भारत में अपराध।

[अनुवाद]

डाक बीमा पालिसी

***132. श्री पी.सी. गद्दीगौदर :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा पालिसी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न डाकघरों में लंबित दावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा विलंब को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा पॉलिसी को बढ़ावा देने तथा इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) भारत की ग्रामीण जनता के लिए डाक विभाग के पास ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) नामक स्कीम है। कर्नाटक राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा पालिसीयों की संख्या संलग्न विवरण-। में दी गई है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लंबित दावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। उनके निपटान के लिए की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) मृत्यु संबंधी दावों में दस्तावेजों के यथासमय सत्यापन की मानीटरिंग।

(ii) दावों की सूची तैयार करना तथा डाक जीवन बीमा निदेशालय, नई दिल्ली तथा राज्यों के सर्किल कार्यालयों में केन्द्रीकृत ग्राहक सेवा केन्द्र के माध्यम से मानीटरिंग।

(iii) पीएलआई निदेशालय में लंबित मामलों की समीक्षा की गई है तथा सर्किल प्रमुखों और सर्किलों के विशेष अधिकारियों को दावों के शीघ्र निपटान के लिए पत्र लिखे गए हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा पालिसी को बढ़ावा देने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) ग्रामीण पीएलआई के प्रोसेसिंग कार्य को डिवीजनल स्तर तक विकेन्द्रीकृत किया गया है:—

निर्णय लेने के कार्य को आम आदमी के निकट लाया गया है जिसके परिणामस्वरूप ऋणों की मंजूरी, रद्द हुई पालिसियों को पुनर्जीवित करने और परिपक्वता दावों के कार्य में शीघ्रता आएगी। इसमें लोगों की तात्कालिक आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकेगा।

(ii) लोगों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी डाकघर के माध्यम से ग्रामीण पीएलआई प्रीमियम के भुगतान की सुविधा पालिसी का अंतरण किए बगैर प्रदान करना चाहे वह पालिसी कहीं भी जारी क्यों न की गई हो।

(iii) *www.epostoffice.gov.in* के माध्यम से प्रीमियत के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा।

(iv) समाज के सभी वर्गों के लोगों के पास व्यापक स्तर पर मोबाइल की उपलब्धता होने के कारण आवेदकों और पालिसीधारकों को एसएमएस के माध्यम से प्रस्ताव की स्थिति, प्रीमियम के भुगतान आदि के संबंध में सूचित किया जाता है।

(v) **ग्रामीण पीएलआई एजेंट के रूप में काम करने का अवसर:** ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना के अंतर्गत सामान्य जन, विशेषकर आंगनवाड़ी कर्मियों, बेरोजगार युवकों, स्वयंसेवी समूहों आदि को डायरेक्ट एजेंट के रूप में नियोजित करके आय का अतिरिक्त स्रोत मुहैया कराना। आरपीएलआई व्यवसाय के प्रोत्साहन ढांचे को आकर्षक बनाया गया है अर्थात् प्रथम वर्ष में प्रीमियम का 10 प्रतिशत तथा बाद में पालिसी के पूरा होने तक प्रीमियम आय का 2.5 प्रतिशत।

(vi) **उच्चतर बीमित राशि:** लोगों की बढ़ती हुई जरूरतों के अनुरूप वित्तीय सुरक्षा के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आरपीएलआई के लिए बीमित राशि की अधिकतम सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।

(vii) पूछ-ताछ और शिकायत निपटान के लिए टोल फ्री नम्बर (18001805232/155232) को चालू और प्रचारित किया गया है। देश के किसी भी कोने से लोग कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं।

(viii) ग्रामीण पीएलआई विपणन स्टाफ अर्थात जीडीएस स्टाफ, डायरेक्ट एजेंट और विभागीय कर्मचारियों को उनके विपणन कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(ix) विभिन्न माध्यमों के जरिए ग्रामीण जनता में ग्रामीण पीएलआई उत्पादों का प्रचार। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में एक ग्रामीण पीएलआई टेलीविजन विज्ञापन तैयार किया गया है जिसे जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

(x) किस्तों के आधार पर पॉलिसी के बकाया प्रीमियम के भुगतान की सविधा।

(xi) आरपीएलआई की कतिपय पालिसियों पर अत्यधिक कम ब्याज दर पर ऋणए की सुविधा जोकि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत है। इसके अलावा इस ऋण को बीमित व्यक्ति द्वारा किसी समय-सीमा के बगैर अपनी सुविधानुसार वापिस किया जा सकता है। यदि परिपक्वता अवधि के समय ऋण की कुछ राशि बकाया रह जाती है तो उसे परिपक्वता मूल्य में से काट लिया जाता है।

(xii) **प्रौद्योगिकी/आईटी पहल :** मै. इन्फोसिस इंडिया लिमिटेड डाक विभाग के लिए बीमा सहित वित्तीय सेवाओं के लिए व्यापक आईटी परियोजना पर कार्य कर रहा है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए प्रौद्योगिकीय विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(क) सभी आरपीएलआई ग्राहकों के लिए बिक्री पश्चात बेहतर सेवा के लिए केन्द्रीयकृत सॉफ्टवेयर का विकास।

(ख) ग्राहकों के लिए वेब और मोबाइल पोर्टल का विकास ताकि बीमा पॉलिसियों को निर्बाध जारी किया जा सके तथा विभाग की वित्तीय सेवा एकीकरण योजना के तहत ऑनलाइन भुगतान किया जा सके।

(ग) ग्राहक सेवाओं के संचालन के लिए कॉल सेंटर

(घ) प्रीमियम भुगतान को यथासमय अद्यतन करना।

(ङ) शिकायतों की केन्द्रीयकृत मानीटरिंग

(च) बीमा प्रस्तावों, सेवा संबंधी अनुरोधों और आरपीएलआई ग्राहकों के लिए दावों पर कार्रवाई करने के लिए एकल खिड़की उपलब्ध कराने के वास्ते देश के सभी प्रधान डाकघरों में 810 केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना करना।

विवरण-I

प्रभावी आरपीएलआई पालिसियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रभावी पालिसियों की संख्या
1	2
अरुणाचल प्रदेश	6657
असम	361254
आंध्र प्रदेश	5417312
बिहार	240168
छत्तीसगढ़	241322
गोवा	379085

1	2
गुजरात	696259
हरियाणा	314181
हिमाचल प्रदेश	236285
जम्मू और कश्मीर	120323
झारखंड	635045
कर्नाटक	1373211
केरल	663026
मध्य प्रदेश	379134
महाराष्ट्र	2037537
मणिपुर	6550
मेघालय	9894
मिज़ोरम	8293
नागालैंड	6491
ओडिशा	894061
पंजाब	63041
राजस्थान	1375658
सिक्किम	4009
तमिलनाडु	3329297
त्रिपुरा	19441
उत्तर प्रदेश	1079926
उत्तराखंड	346202
पश्चिम बंगाल	888412
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	1116
चंडीगढ़	23819
दिल्ली	6647
दीव	17601
दमन, दादरा और नगर हवेली	32250
लक्षद्वीप	688
पुदुचेरी	129586
कुल	21343781

विवरण-II

आरपीएलआई के लंबित दावा मामले

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एक माह से से कम के लंबित मामले	एक माह से अधिक के लंबित मामले
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	1	1
असम	11	65
आंध्र प्रदेश	971	0
बिहार	391	802
छत्तीसगढ़	2	2
गोवा	16	0
गुजरात	231	5
हरियाणा	62	26
हिमाचल प्रदेश	64	0
जम्मू और कश्मीर	53	26
झारखंड	340	54
कर्नाटक	2	31
केरल	125	29
मध्य प्रदेश	299	359

1	2	3
महाराष्ट्र	162	16
मणिपुर	1	0
मेघालय	0	1
मिज़ोरम	0	3
नागालैंड	0	3
ओडिशा	39	172
पंजाब	10	5
राजस्थान	246	50
सिक्किम	1	0
तमिलनाडु	286	37
त्रिपुरा	0	5
उत्तर प्रदेश	208	123
उत्तराखंड	6	0
पश्चिम बंगाल	703	239
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0	0
चंडीगढ़	0	4
दिल्ली	2	1
दीव	0	0
दमन, दादरा और नगर हवेली	0	0
लक्षद्वीप	0	0
पुदुचेरी	1	6
कुल	4233	2065

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों हेतु प्रत्यायन

***133. श्री के. सुगुमार :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का प्रत्यायन अनिवार्य करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के मूल्यांकन का विद्यमान पद्धति क्या है;

(ख) क्या सरकार/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का विचार उच्चतर शिक्षा हेतु भारतीय प्रत्यायन बोर्ड स्थापित करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के पास हजारों संस्थानों के संबद्धता संबंधी आवेदन पड़े हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या सरकार का विचार उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों हेतु विद्यमान प्रत्यायन नीति में परिवर्तन करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू) : (क) जी, हां। सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010 (एनएआरएएचईआई विधेयक) दिनांक 3 मई, 2010 को लोक सभा में पेश कर दिया गया है। विधेयक में 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए प्रत्यायन को अनिवार्य बनाया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिनांक 19 जनवरी, 2013 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चत शिक्षा संस्थाओं का अनिवार्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन) विनियम, 2012 जारी किए हैं। इन विनियमों के अनुसार, प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्था को अपनी स्थापना के 6 वर्ष के बाद प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने भी विनियमों को अनुमोदित किया है जिनमें तकनीकी संस्थाओं के लिए प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य बनाया गया है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का प्रत्यायन करती है। यह सांस्थानिक प्रत्यायन पद्धति को अपनाती है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने उच्चत शिक्षा संस्थाओं के मूल्यांकन के आधार के रूप में कार्य करने के 7 मानदंड अर्थात पाठ्यचर्या पहलू; शिक्षण-अधिगम एवं मूल्यांकन; अनुसंधान, परामर्श एवं विस्तार; अवसंरचना एवं अधिगम संसाधन; विद्यार्थी सहायता एवं प्रगति; अभिशासन एवं नेतृत्व; तथा नवाचारी प्रक्रियाएं, निर्धारित की हैं। इस संबंध में और अधिक ब्यौरा वेबसाइट http://*www.naac.gov.in* पर उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) कार्यक्रम प्रत्यायन प्रक्रिया के

माध्यम से तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रियाविधि के अनुसार, आवेदक संस्था निर्धारित प्रपत्र में, अपने कार्यक्रमों का स्वयं मूल्यांकन करेगी, तथा निर्धारित प्रत्यायन शुल्क का भुगतान करने के बाद, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को कार्यक्रम प्रत्यायन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगी। प्रत्यायित कार्यक्रम प्रदान करने वाली शिक्षा संस्था को संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा शिक्षा संस्था के रूप में औपचारिक अनुमोदन/मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। केवल उन्हीं कार्यक्रमों के प्रत्यायन पर विचार किया जाता है जिनमें विद्यार्थियों के कम से कम दो बैच स्नातक डिग्री प्राप्त कर चुके हैं।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा कार्यक्रमों का मूल्यांकन निम्नलिखित प्रत्यायन मानदंडों नामत: विजन, मिशन एवं कार्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्य:, कार्यक्रम के परिणाम; कार्यक्रम में विद्यार्थियों का कार्य-निष्पादन; संकाय का योगदान; सुविधा एवं तकनीकी सहायता; अकादमिक सहायता यूनिट एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया; अभिशासन, सांस्थानिक सहायता एवं वित्तीय संसाधन; तथा परिणामों की प्राप्ति में सतत सुधार के अनुरूप किया जाता है। प्रत्यायन न्यूनतम मानकों को पूरा किए जाने पर आधारित होता है। कार्यक्रम प्रत्यायन के संबंध में और ज्यादा ब्यौरा वेबसाइट *www.nbaind.org* पर उपलब्ध है।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दिनांक 30.10.2012 को आयोजित अपनी 30वीं परिषद बैठक में तकनीकी शिक्षा के लिए भारतीय प्रत्यायन बोर्ड (आईबीए) की स्थापना करने का संकल्प पारित किया था। भारतीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रस्तावित उद्देश्य तकनीकी संस्थाओं और/या तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं अथवा उनकी एक या एक से अधिक इकाईयों अर्थात् विभागों, संस्थाओं, कार्यक्रमों इत्यादि का मूल्यांकन एवं प्रतयायन करना है।

(ग) कॉलेजों को संबद्ध करने की शक्तियां विश्वविद्यालयों के पास हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, इसने प्रबंधन पाठ्यक्रमों में अवर-स्नातक/स्नातकोत्तर/स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने हेतु नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए वर्ष 2013-14 में प्राप्त 288 आवेदनों में से 85 नई संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। इसी प्रकार, डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए वर्ष 2013-14 में प्राप्त 290 आवेदनों में से इसने 85 नई संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

अनुमोदन प्रदान करने संबंधी दबाव को कम करने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने व्यापक पारदर्शिता, स्पष्टता, सुगमता एवं सुनिश्चित संप्रेषण, तीव्र कार्रवाई एवं आवेदक द्वारा आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई-शासन अनुमोदन प्रक्रिया प्रारंभ की है। ई-शासन प्रक्रिया के माध्यम से निरीक्षण की अपेक्षा संस्थाओं द्वारा स्व-घोषणा पर जोर दिया जा रहा है।

(घ) जी, हां। सरकार द्वारा लोक सभा में पेश एनएआरएएचईआई विधेयक, 2010 के अनुसार, 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए प्रत्यायन को अनिवार्य बनाया गया है।

[हिन्दी]

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला

***134. श्री अर्जुन राम मेघवाल :**
प्रो. रामशंकर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के अनुसार राज्यों को धनराशि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संशोधित गाडगिल फार्मूले का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त फार्मूले के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सहायता से राज्यों में एकसमान तथा संतुलित विकास हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार्र फार्मूले की पुनरीक्षा करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) राज्यों के बीच सामान्य केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2004-05 तक, ऋण और अनुदान सहित सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसी) दकी समग्र राशि का 30% भाग, विशेष श्रेणी राज्यों (एससीएस) के बीच और 70% भाग, सामान्य श्रेणी राज्यों (जीसीएस) के बीच विभाजित किया जाता था। विशेष श्रेणी राज्यों को केन्द्रीय सहायता का 90% भाग, अनुदान

के रूप में और 10% भाग, ऋण के रूप में मिलता था। सामान्य श्रेणी राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता का मात्र 30% भाग, अनुदान के रूप में और 70% भाग, ऋण के रूप में मिलता था। विशेष श्रेणी राज्यों के बीच परस्पर वितरण, विगत में उपयोग किए गए संबंधी हिस्सों के आधार पर किया जाता हैं सामान्य श्रेणी राज्यों के बीच वितरण, वर्ष 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा अनुमोदित गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले पर आधारित है। वर्ष 2004-05 तक, सामान्य केन्द्रीय सहायता के ऋण और अनुदान भाग, दोनों को भारत सरकार के बजट से प्रदान किया जाता था। तथापि, 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद, भारत सरकार ने राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता के एक भाग के रूप में ऋण देना बंद कर दिया। चूंकि अब बजट से सामान्य केन्द्रीय सहायता का केवल अनुदान भाग ही प्रदान किया जाता है, इसलिए इसे विशेष श्रेणी राज्यों अथवा सामान्य श्रेणी राज्यों के बीच उसी अनुपात में विभाजित किया जाता है जैसा कि पूर्ववर्ती पद्धति के फलस्वरूप किया जाता था जिसमें अनुदान के विभिन्न अनुपातों को इन दो श्रेणियों के हिस्से पर लागू किया जाता था। इस प्रकार, विशेष श्रेणी राज्यों का 30% हिस्सा, 90% अनुदान होता था जबकि सामान्य श्रेणी राज्यों का 70% हिस्सा, मात्र 30% अनुदान होता था। अतः संघ राज्य-क्षेत्रों का हिस्सा अलग कर देने के बाद, सामान्य केन्द्रीय सहायता, जो अब राज्यों को ब्लॉक अनुदान के रूप में दी जाती है, को विशेष श्रेणी राज्यों और सामान्य श्रेणी राज्यों के बीच 9:7 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अतः 11 विशेष श्रेणी राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता अनुदान का 56.25% और 17 सामान्य श्रेणी राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता अनुदान का 43.75 मिलता है।

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले (1991) के अनुसार, सामान्य श्रेणी राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता के आबंटन हेतु विभिन्न मानदंड और भारांश निम्नानुसार हैं:—

	मानदंड	भारांश (%)
1.	जनसंख्या (1971)	60
2.	प्रति व्यक्ति आय	25
	(क) 'विचलन' पद्धति-जो राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति एसडीपी वाले राज्यों को कवर करती है।	20
	(ख) दूरी संबंधी पद्धति-जो सभी राज्यों को कवर करती है।	
3.	कार्यनिष्पादन	7.5
	(क) कर संबंधी प्रयास	2.5
	(ख) राजकोषीय प्रबंधन	2.0
	(ग) राष्ट्रीय उद्देश्य	3.0
	(i) जनसंख्या नियंत्रण	1.0
	(ii) असाक्षरता का उन्मूलन	1.0
	(iii) बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करना	0.5
	(iv) भू-सुधार	0.5
4.	विशिष्ट समस्याएं	7.5

समीक्षा करना तथा इस बात की जांच करना कि गरीबी रेखा सिर्फ उपभोग के आधार पर ही निर्धारित की जानी चाहिए अथवा अन्य मानदंड भी प्रसंगिक हैं और यदि हैं, तो क्या दोनों को इस प्रकार प्रभावी ढंग से संयुक्त किया जा सकता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का अनुमान लगाने का आधार तैयार हो सके।

ii. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रीय लेखा के योगों से प्राप्त आकलनों के आधार पर उपभोग आकलनों के बीच की भिन्नता के मुद्दे की जांच करना; तथा सीएसओ द्वारा जारी नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रयोग **करते हुए,** ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य-वार उपभोग गरीबी रेखाओं को अद्यतन करने की प्रक्रिया के बारे में सुझाव देना।

iii. गरीबी के आकलन के लिए वैकल्पिक प्रणालियों के तौर, पर अन्य देशों में प्रयुक्त प्रणालियों की समीक्षा करना जिनमें उनके प्रक्रियागत पहलू शामिल हैं; तथा यह उल्लेख करना कि क्या इस आधार पर भारत में गरीबी का अनुमान लगाने की कोई विशेष पद्धति तैयार की जा सकती है जिसमें इसे समय-समय पर अद्यतन करने की प्रक्रिया शामिल है।

iv. इस बारे में सिफारिश करना कि ऊपर उल्लिखित अनुसार गरीबी के आकलन को भारत सरकार की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के लिए हकदारी तथा पात्रताओं के सथ किस प्रकार जोड़ा जाए।

(घ) पेड्रो ओलिंटो और हिरोकी यूमास्तु द्वारा तैयार किए गए "गरीबी का राज्य : गरीब कहां हैं और सबसे गरीब कहां हैं?" नामक विश्व बैंक के प्रारूप नोट के अनुसार, 2010 में विश्व की गरीब जनसंख्या का 33 प्रतिशत भारत में है। विश्व बैंक क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) विनिमय दर पर 1.25 यू.एस. डॉलर प्रतिदिन के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर अपने सदस्य देशों की गरीबी का अनुमान लगाता है। 2011-12 की कीमतों पर 1.25 डॉलर (पीपीपी) 88.99 रुपए के बराबर है। योजना आयोग गरीबी रेखा का अनुमान लगाता है, जिसे एमपीसीई के रूप में व्यक्ति किया जाता है और जिसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के रूप में परिवर्तित किए जाने पर यह ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपए और शहरी क्षेत्र में 33 रुपए बनता है। ये 1.25 डॉलर (पीपीपी) की विश्व बैंक गरीबी रेखा के लगभग बराबर है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कथित भ्रष्टाचार

***136. श्री रतन सिंह :**
डॉ. संजय सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कथित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की प्रकृति क्या है तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या ऐसे अधिकारी अभी भी संवेदनशील पदों पर कथित रूप से कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जांच के लिए भ्रष्टाचार का कोई मामला पंजीकृत नहीं किया गया है तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पंजीकृत मामले फंसाने, धोखाधड़ी, अपराधिक दुराचार, धोखा देने और गैर-अनुपाति परिसम्पत्ति आदि से संबंधित हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सीबीआई द्वारा पंजीकृत ऐसे मामलों में सीबीआई द्वारा सभी अधिकारियों के संबंध में मांगी गई अभियोजन की अनुमति नीचे दिये गए विवरणानुसार दे दी गई है:-

क्र. सं.	राज्य	अधिकारियों की संख्या
1	2	3
1.	2010	26

(ग) और (घ) योजना पक्ष के तहत, राज्यों को केन्द्रीय सहायता के दो घटक होते हैं:–

(i) राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता

(ii) केन्द्र-प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना)

सामान्य केन्द्रीय सहायता, जिसे गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के अनुसार राज्यों में वितरित किया जाता है, वर्ष 2011-12 में राज्यों को सकल योजनागत सहायता का मात्र लगभग 8.6% थी। तथापि, योजनागत सहायता का एक बड़ा भाग विभिन्न सामाजिक और अवसंरचनात्मक क्षेत्रकों में विभिन्न फ्लैगशिप स्कीमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूएसपी), एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)।

राज्यों को योजनागत सहायता ने समग्र रूप से राज्यों में समावेशी विकास की प्रक्रिया का समर्थन किया है। 11वीं योजना के दौरान बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों ने विकास संबंधी कार्यनिष्पादन में सुधार दर्शाया है।

(ङ) गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले की समीक्षा करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा

***135. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी की परिभाषा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 27.20 रुपए तथा 33.40 रुपए प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम मानदंड/मानक हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ इन मानदंडों/मानकों का औचित्य क्या है;

(ख) क्या गरीबी को परिभाषित करने के लिए इन मानदंडों/ मानकों की वैधता की विभिन्न पक्षों द्वारा आलोचना की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा का पुनर्मूल्यांकन करने का है तथा यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु कोई समिति गठित की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या गरीबी के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की गरीब जनसंख्या का 33 प्रतिशत भारत में है, अर्थात् लोग 65 रुपए प्रतिदिन से कम पर जीवनयापन करते हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) योजना आयोग मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के मामले में परिभाषित गरीबी रेखा का उपयोग करते हुए गरीबी का अनुमान लगाता है। वर्ष 2004-05 के लिए तेन्दुलकर समिति द्वारा संस्तु गरीबी रेखा का उपयोग करते हुए और 2011-12 के लिए उसको अद्यतन करते हुए, योजना आयोग ने वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के रूप में गरीबी रेखा का अनुमान किया है। यह 2011-12 की कीमत पर पांच लोगों के एक परिवार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 4080 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 5000 रुपए मासिक उपभोग व्यय के बराबर है। इन गरीबी रेखाओं को यदि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर परिवर्तित कर दिया जाए तो यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में 27.20 रुपए (=816/30 और शहरी क्षेत्रों में 33.33 रुपए (=1000/30) होती है। तथापि, यह नोट किया जाए कि हालांकि यह पूर्ण अंकगणितीय गणना के रूप में किया जा सकता है, योजना आयोग द्वारा उपभोग गरीबी रेखा का निर्धारण दैनिक आधार नहीं किया जाता है। एनएसएस सर्वेक्षण, जो कि उपभोग गरीबी मापने का आधार है, में मासिक आधार पर परिवारों रसे उपभोग व्यय डेटा एकत्र किया जाता है।

(ख) और (ग) गरीबी रेखा को इस क्षेत्र में समय-समय पर विशेषज्ञों द्वारा संस्तुत कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए परिकलित किया जाता है। वर्तमान गरीबी रेखा 2009 में प्रोफेसर सुरेश डी. तेन्दुलकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह द्वारा संस्तुत कार्यप्रणाली पर आधारित है। तेन्दुलकर गरीबी रेखा ने 2004 से पहले प्रयोग में लाई जा रही कार्य प्रणाली की तुलना में गरीबी के स्तर को वास्तव में ऊपर उठाया। तथापि, यह सच है कि विभिन्न पक्षों द्वारा इसकी आलोचना की गई है कि गरीबी रेखा का स्तर अभी भी बहुत नीचे है। इस आलोचना की प्रतिक्रिया में योजना आयोग ने गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए जून, 2012 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। समूह के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:–

(i) गरीबी के आकलन की मौजूदा प्रक्रिया प्रक्रिया की व्यापक

1	2	3
2.	2011	29
3.	2012	13
4.	2013 (2013 तक)	13

(ग) उपर्युक्त अधिकारियों में से कोई भी संवेदी पद पर कार्यरत नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भ्रष्टाचार के मामलों में कमी लाने के लिए किये गए सुधारात्मक उपाय है:—

- संदेहपूर्ण सत्यनिष्ठा के व्यक्तियों को संवेदी पदों से हटाना।
- ई-शासन, ई-निविदा, ठेकेदारों को आनलाइन सूचीबद्ध करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के यूनिटें आदि के माध्यम से परिचालन में पारदर्शिता लाना।
- सर्तकता यूनिटों द्वारा निरोधक जांच और सुधारात्मक उपायों से सुधार।
- कार्य निष्पादन के लिए मानकों, प्रणाली और प्रक्रिया और दिशानिर्देश की बेंचमार्किंग।
- अधिकारियों को प्रदान किये गए अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति

***137. श्री एम. आनंदन :**
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल की रिपोर्ट के अनुसार साइबर सुरक्षा खतरों तथा 'हैकिंग' के मामले 2004 के 23 से बढ़कर 2012 में 22,060 हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे साइबर आक्रमण के कतिपय मामले प्रकाश में आए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान अमेरिकी एजेंसियों द्वारा भारतीय वेब प्रयोक्ताओं की कथित निगरानी की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा साइबर आक्रमण से सरकारी एवं निजी अवसंरचना को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) खोजे गए और भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को रिपोर्ट किए गए डेटा के अनुसार साइबर सुरक्षा खतरों और हैकिंग से संबंधित घटनाओं की संख्या वर्ष 2004 में 23 से बढ़कर वर्ष 2012 में 22060 हो गई। सुरक्षा संबंधी ये घटनाएं स्कैनिंग/जांच, स्पैम, मेलवेयर संक्रमण, सेवा की मनाही, वेबसाइट हैकिंग तथा ई-मेल और प्रणाली की हैकिंग से संबंधित हैं। यह पाया गया है कि ये हमले अलग-अलग देशों के साइबर स्पेस से किए गए हैं। समय के साथ-साथ घटनाओं की प्रकृति और पद्धति और अधिक परिष्कृत और जटिल हो गई है।

(ग) समय-समय पर सरकारी संगठनों की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना पर साइबर हमले करने का प्रयास किया गया है। ये हमले वेबसाइट हैकिंग, मेलवेयर अंतरक्षेपण करने, सेवा की लक्षित मनाही और ई-मेल की हैकिंग की प्रकृति के हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों की वेबसाइट हैकिंग के मामलों की संख्या वर्ष 2012 में बढ़तर 371 हो गई जबकि यह वर्ष 2011 में 308 थी।

(घ) और (ङ) जून, 2013 में इंटरनेट और टेलीफोनी डेटा एकत्रित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसियों द्वारा नियोजित की गई व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जानकारी विदेशी मीडिया की रिपोर्टों से प्राप्त हुई।

सरकार ने भारत के इंटरनेट ट्रैफिक की संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जा रही कथित निगरानी पर चिंता व्यक्त की है। आम भारतीय नागरिकों की सूचना की गोपनीयता से संबंधित किसी भी भारतीय कानून के उल्लंघन तथा घुसपैठ करके भारतीय नागरिकों अथवा सरकारी अवसंरचना के डेटा एकत्रित करने के संबंध में अमरीकी सरकार से चिंता व्यक्त की गई है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका के साइबर निगरानी संबंधी कार्यकलापों के मुद्दे पर 24 जून, 2013 को नई दिल्ली में हुई भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सामरिक वार्तालाप बैठक के दौरान चर्चा की गई।

सरकार कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक उपायों सहित एकीकृत दृष्टिकोण के जरिए समुचित सुरक्षात्मक उपाय कर रही है ताकि इस बात का सुनिश्चित किया जा सके कि साइबर हमले के बढ़ते हुए खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक प्रणालियां लागू हैं। इस दिशा में सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए एक ढांचा अनुमोदित किया है, जिसमें देश में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा करना शामिल है जिसके लिए विविध एजेंसियों और विभागों के बीच स्पष्ट रूप से निर्धारित उत्तरदायित्वों सहित एक बहु-परतीय दृष्टिकोण की परिकल्पना गहनता से रक्षा का सुनिश्चय करने के लिए की गई है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चालू विचार-विमर्श के जरिए बेहतर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट शासन के मानदंड तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रही है।

इसके अलावा, साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर सम्पूर्ण रूप से ध्यान देने के उद्देश्य से सरकार ने सार्वजनिक इस्तेमाल और सभी संबंधित पणधारकों के कार्यान्वयन के लिए "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति-2013" जारी की है। इस नीति का उद्देश्य देश के अंदर सभी स्तरों पर साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए व्यापक, सहयोगात्मक एवं सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए एक ढांचा तैयार करना है।

विदेशों से भारतीय की स्वदेश वापसी

***138. श्री एम. तम्बिदुरई :**
श्री चार्ल्स डिएस :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में अवैध रूप से प्रवासित अथवा रहे रहे भारतीयों की देश-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये भारतीय इन देशों में स्वदेश वापसी की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है और अवैध अप्रवासियों को स्वदेश वापस भेजने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है;

(घ) क्या भारत वापस आने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता सहित कोई सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) प्रवासित हो चुके या अवैध रूप से विदेशों में रह रहे व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना देना संभव नहीं है। हालांकि स्वदेश वापस आने वाले या स्वदेश वापसी संबंधी कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) अपेक्षित आपातकालीन प्रमाण-पत्रों को जारी करने समेत काउंसुलर सहायता भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा प्रदान की जाती है। यदि प्रवासी विपत्ति में हो तो उसे भारत के लिए एक तरफा टिकट भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

क्र. सं.	देश का नाम	प्रत्यावर्तित या स्वदेश वापसी की कार्यवाही का सामना कर रहे भारतीयों का विवरण
1	2	3
1.	अर्जेंटीना, उरुग्वे और परागुआ	अर्जेंटीना, उरुग्वे और परागुआ में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की संख्या के बारे में कोई सरकारी डाटा उपलब्ध नहीं है। हमारे संज्ञान में भी ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें भारतीय अवैध रूप से रह रहे हों। हालांकि अक्टूबर 2012 में परागुआ द्वारा 4 भारतीयों को वापस भेजा गया था जो कि अवैध रूप से देश में प्रवेश कर रहे थे।
2.	ऑस्ट्रेलिया	इस पोस्ट के काउंसुलर अधिकार क्षेत्र में अवैध भारतीय प्रवासियों का कोई अनुमान दिया जाना संभव नहीं है। सभी भारतीय अवैध आप्रवासियों को अपने यात्रा दस्तावेजों को पूरा करने के बाद भारत के लिए वापस किया गया है। जहां भी आवश्यक

1	2	3
		हो, पोस्ट शीघ्र सहायता मुहैया करवाता है और वैध यात्रा दस्तावेजों की गैर मौजूदगी में आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी करता है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2008 से 2013 (आज की तारीख) तक आप्रवासन और नागरिकता विभाग के अनुरोध पर प्रत्यावर्तन मामलों में 20 आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। सभी अवैध बंदी, काउंसुलर अभिगम्यता के अधिकार क्षेत्र के तहत अध्याधीन है।
3.	ऑस्ट्रिया	जहां तक, ऑस्ट्रिया का प्रश्न है, पिछले 3 वर्षों के दौरान, उनके शरणाधिकार संबंधी आवेदनों के खारिज हो जाने के परिणामस्वरूप 327 भारतीय अवैध आप्रवासियों के विरुद्ध स्वदेश वापसी संबंधी कार्यवाहियां शुरू की गई हैं। इनमें से ऑस्ट्रिया प्राधिकरणों द्वारा इस मिशन से आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी करवाने के बाद 170 अवैध आप्रवासियों को अब तक वापस भेजा जा चुका है। यहां तक शेष का संबंध है, उनमें से कुछ एक देश से दूसरे देश में जा चुके हैं क्योंकि यूरोप ने अपनी सीमाएं खोल दी हैं, कुछ के मामलों में ऑस्ट्रिया प्राधिकरणों द्वारा निवास परमिट/वीजा प्रदान करने हेतु मामले भी प्रक्रियाधीन है, यह प्रत्येक मामले की स्थिति पर निर्भर करता है।
4.	बहरीन	किंगडम ऑफ बहरीन में अवैध रूप से रह रहे भारतीय उत्प्रवासियों से संबंधित सूचना के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। वे भारतीय जो ओवरस्टे के कारण अवैध घोषित हो चुके हैं उन्हें जब पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो भारत वापसी हेतु प्रत्यावर्तित किया जा रहा है।
5.	बेल्जियम	बेल्जियम और लक्जमबर्ग में अवैध रूप से रह रहे या प्रवासित हो चुके भारतीयों की संख्या का आंकलन करना मुश्किल है। मिशन के पास केवल उन भारतीयों के बारे में विशिष्ट सूचना उपलब्ध है जिन्हें अवैध/अप्राधिकरण स्टे के लिए हिरासत में लिया गया हो और बेल्जियम प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई हाल ही की जानकारी के मुताबिक इस प्रकार के 4 व्यक्ति हैं। हिरासत में लिए गये उत्प्रवासियों को पहचान के लिए बेल्जियम प्राधिकरणों द्वारा दूतावास के समक्ष लाया जाता है। पहचान की पुष्टि होने के पश्चात दूतावास द्वारा एक आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है और बेल्जियम प्राधिकरणों द्वारा व्यक्तियों को भारत के लिए प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है।
6.	साइप्रस	साइप्रस में अवैध रूप से प्रवासित हो चुके या रह रहे भारतीयों की संख्या के बारे में आंकलन करना मुश्किल है। अवैध प्रवास/निवास के उदाहरण तब जानकारी में आते हैं, जब ऐसे व्यक्तियों को स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उनके खिलाफ प्रत्यावर्तन कार्यवाही शुरू की जाती है। 07.08.2013 की स्थिति के अनुसार 14 ऐसे भारतीय नागरिक हैं, जो प्रत्यावर्तन कार्यवाही का सामना कर रहे हैं और साइप्रस प्राधिकरणों की हिरासत में हैं।
7.	सिंगापुर	31 मई, 2013 की स्थिति के अनुसार कुल 37 भारतीय (जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं) अवैध प्रवास की वजह से हिरासत में हैं। इसके अतिरिक्त 24 भारतीय (जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं) अवैध प्रवास के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

1	2	3
8.	कनाडा	कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कनाडा में अवैध रूप से रह रहे भारतीय किसी प्रकार की सहायता के लिए कनाडा में मिशनों/पोस्टों से संपर्क नहीं करते हैं। कनाडा में सख्त गोपनीयता कानूनों को देखते हुए स्थानीय प्राधिकरण भी अवैध रूप से कनाडा में रह रहे भारतीयों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। 1092 भारतीय नागरिकों के ओटावा मामलों में कनाडा प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को हटाने संबंधी आदेश न्यायालय द्वारा जारी किए गये हैं, अर्थात इन मामलों में न्यायालयों द्वारा रिमूवल ऑर्डर जारी किए गये हैं। कनाडा सरकार वर्तमान में चल रहे मामलों पर सूचना उपलब्ध नहीं करा रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय मूल के अवैध अप्रवासियों को लगीग 315 आपातकालीन प्रमाण-पत्र सीजीआई (टोरंटो) द्वारा प्रदान किए गये हैं। **वैंकूवर में स्थित पोस्ट द्वारा भारतीय नागरिकों के निर्वासन के लिए और उन नागरिकों के लिए जिन्होंने अपने पासपोर्ट खो दिये हैं, 2008 से आज की तारीख तक 176 आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी किये हैं।**
9.	चिली	ऐसी सूचना है कि हाल ही में कोई भी भारतीय चिली में न तो प्रवासित हुआ है और न ही अवैध रूप से रह रहा है। चिली में 1500 अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के परिवारों के व्यक्ति कानूनी रूप से बस चुके हैं। मार्च, 2011 में 4 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया गया था और प्रत्यावर्तित किया गया था।
10.	फिजी	टोंगा में अवैध स्टे के लिए एक भारतीय नागरिक को अवैध कार्यवाही संबंधी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है।
11.	फ्रांस	मिशन के पास फ्रांस में अवैध रूप से प्रवासित हो चुके या रह रहे भारतीयों के बारे में कोई आंकलन उपलब्ध नहीं है। वे अवैध भारतीय प्रवासी जिन्हें फ्रैंच पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जिनकी पहचानों के बारे में मिशन द्वारा पुष्टि कर दी गई है उन्हें फ्रैंच सरकार द्वारा अपनी लागत पर भारत के लिए प्रत्यावर्तित किया जा रहा है। मिशन के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर वर्ष 2013 में मिशन ने 18 अवैध भारतीय प्रवासियों को आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी किये हैं। अब तक 42 अवैध प्रवासियों को वर्ष 2012 में भारत के लिए प्रत्यावर्तित किया जा चुका है। मिशन ने यह सूचित नहीं किया है कि क्या इनमें से सभी को वास्तव में प्रत्यावर्तित किया गया था।
12.	जर्मनी	हैम्बर्ग में कॉन्सुलेट के पास अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले 4 राज्यों में रहने वाले अवैध भारतीय प्रवासियों की सही संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि स्थानीय प्राधिकरणों ने उनके साथ इस प्रकार की सूचना को कभी सांझा नहीं किया है। समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरण कॉन्सुलेट को एप्रोच करते हैं, ताकि उन अवैध प्रवासियों को यात्रा दस्तावेज जारी किये जाएं, जो स्वयं को भारतीय होने का दावा कर रहे हैं। वर्ष 2011-13 के दौरान 47 भारतीय नागरिकों को इस प्रकार के दस्तावेज जारी किए गये हैं।

1	2	3
13.	घाना	अगस्त, 2013 में भारतीय समुदाय कल्याण कोष से 17,751/- रुपये की राशि खर्च की गई थी, ताकि 5 भारतीय नागरिकों, जिन्हें घनैअन आव्रजन प्राधिकरणों द्वारा हिरासत में लिया गया था के लिए भोजन की व्यवस्था की जा सके, ये व्यक्ति अपने पासपोर्टों पर नकली कनाडा वीजा के साथ घाना में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे।
14.	बेलिस	बेलिस में मानद कॉन्सुल ने रिपोर्ट किया है कि 30 अनियमित प्रवासियों, जिन्हें भारतीय नागरिक माना जा रहा है को मई, 2013 में ग्वाटेमाला से एन-मार्ग के रास्ते अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने का दोषी पाया गया था। न्यायालय द्वारा उन्हें अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में दोषी करार दिया गया है और उनमें से 10 को अब तक भारत वापस प्रत्यावर्तित किया जा चुका है।
15.	इजराईल	वर्तमान में 9 भारतीय नागरिकों पर प्रत्यावर्तन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जो इस देश में बिना वैध वीजा के निवास कर रहे हैं।
16.	कोरिया गणराज्य	साउथ कोरिया में बहुत कम मात्रा में अवैध प्रवासी भारतीय हैं। उनकी सटीक संख्या के बारे में अनुमान लगाना असंभव है। 1 जनवरी, 2010 से 8 अवैध प्रवासियों भारतीयों को स्वदेश प्रत्यावर्तित किया जा चुका है।
17.	कुवैत	कुवैत में प्रवासी या अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की संख्या के बारे में सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि कुवैत प्राधिकरणों द्वारा ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाता। जहां कभी अपेक्षित हो, तो निर्धारित क्रियाविधि को पूरा करने के उपरांत उन अवैध निवासियों को जो प्रत्यावर्तन संबंधी कार्यवाही का सामना कर रहे हो को यात्रा दस्तावेज प्रदान किए जाते हैं, ताकि सुपात्र मामलों में दूतावास द्वारा उपयुक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सके और प्रत्यावर्तन को सुकर बनाया जा सके।
18.	लीबिया	लीबियन सरकार ने यह घोषणा की है कि सभी अवैध उत्प्रवासियों को जो 7 अप्रैल, 2013 के बाद आये हों को 15 अगस्त, 2013 तक देश छोड़ देना चाहिए। यदि इनमें से कोई कामगार इस तिथि से पूर्व रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है या वीजा प्राप्त कर लेता है तब वह यहां रूक सकता है और उसे नियमित भी किया जा सकता है। अवैध प्रवासियों के प्रत्यावर्तन को लेकर लीबियन सरकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है जिनमें "इंटरनेशनल ऑरगेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन" (ओईओएम) शामिल है, जो सहायता मुहैया कराएगी। जो कि प्रत्येक मामले की स्थिति पर निर्भर करेगा। मिशन पहले से ही श्रम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सुसंगत विभागों के साथ संपर्क में है, ताकि प्रत्यावर्तन के वास्ते यदि किसी भारतीय नागरिक द्वारा अपेक्षित हो, तो आवश्यक प्रबंध किये जाएं। मिशन उन भारतीयों के वास्ते, जिनके पास कोई यात्रा दस्तावेज नहीं है, आपातकालीन प्रमाण-पत्रों जैसे यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराने के वास्ते सहायता प्रदान करेगा और निकासी संबंधी वीजा जारी करने के वास्ते त्वरित प्रबंध भी करेगा, जिससे भारतीय नागरिक अपने स्वदेश वापस लौटने में सक्षम हो पाएंगे।

1	2	3
19.	मलेशिया	मलेशिया के मामले में अवैध भारतीयों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है, अगस्त, 2011 में मलेशिया सरकार ने एक 'अवैध कामगार प्रबंधन कार्यक्रम' (6पी प्रोग्राम) की घोषणा की थी, ताकि मलेशिया में अवैध रूप से कार्य कर रहे विदेशी प्रवासियों को पंजीकृत किया जा सके। मलेशिया सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सांख्यिकी के अनुसार 6पी प्रोग्राम के तहत अवैध कामगार/भारतीयों के रूप में 52,478 भारतीय नागरिकों को पंजीकृत किया गया है। उच्चायोग ने उन भारतीयों को आपातकालीन प्रमाण-पत्र (एक तरफा यात्रा दस्तावेज) जारी किये हैं, जिन्होंने अपने पासपोर्टों के गुम हो जाने संबंधी रिपोर्टिंग हेतु मिशन को एप्रोच किया था और भारत को अपने प्रत्यावर्तन संबंधी सहायता के लिए अनुरोध भी किया था। मिशन ने 2011 में 6203 आपातकालीन प्रमाण-पत्र, 2012 में 3301 और जून, 2013 तक 1569 आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी किये हैं। मिशन ने मलेशियन उत्प्रवास विभाग के साथ साक्षात्कार भी किया है, ताकि उन भारतीयों के मामलों में जो अवैध रूप से वहां रूके हुए हैं और भारत वापसी की इच्छा रखते हैं के लिए 'स्पेशल आउट पास' (देश छोड़ने की अनुमति) प्राप्त किया जा सके। उन भारतीयों के लिए जो विपदाग्रस्त परिस्थितियों में हैं और उनका परिवार उनके लिए उत्प्रवासन दंड और हवाई टिकट की लागत का वहन करने की स्थिति में नहीं है, भारतीय समुदाय विकास कोष स्कीम के तहत कतिपय जरूरतमंद मामलों में सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी उपलब्ध है।
20.	न्यूजीलैंड	अवैध रूप से यहां रह रहे भारतीयों की अनुमानित संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। 2 भारतीय नागरिक वर्तमान में प्रत्यावर्तन हेतु इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय उत्प्रवास प्राधिकरणों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर उनकी भारतीय राष्ट्रीयता की पुष्टि होने के बाद आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। सामान्यत: न्यूजीलैंड सरकार प्रत्यावर्तन पर आने वाले खर्च का वहन करती है। हालांकि वर्ष 2011 के दौरान इस मिशन द्वारा प्रदत्त की गई 42,115/- रुपए की वित्तीय सहायता की राशि का वहन भारतीय समुदाय विकास कोष से एक व्यक्ति के प्रत्यावर्तन हेतु किया गया था।
21.	ओमान	ओमानी प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार 05/02/2013 की स्थिति के अनुसार ओमान में 28,965 अवैध भारतीय नागरिक रह रहे थे। रॉयल ओमान पुलिस श्रम कानून के उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने के अभियान में मैनपावर मंत्रालय के समन्वय से नियमित रूप से विशेष ऑपरेशन चलाती है जिसमें अवैध नागरिकों और वीजा का उल्लंघन करने वालों को समय-समय पर गिरफ्तार किया जाता है और हवालात में रखा जाता है। ओमानी प्राधिकारियों द्वारा हवालात में रखे गए ऐसे अवैध आप्रवासी व्यक्तियों के विरण मिशन को उपलब्ध नहीं कराए जाते। ओमानी प्राधिकारियों द्वारा हवालात में

1	2	3
		रखे गए अवैध आप्रवासी व्यक्तियों को अल्प अवधि के लिए कस्टडी में रखा जाता है और प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। यदि हवालात में रखे गए किन्हीं अवैध अप्रवासियों के यात्रा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं तो जेल प्राधिकारीगण कॉन्सुलर सहायता के लिए उन्हें दूतावास के ध्यान में लाते हैं और दूतावास द्वारा समुचित सत्यापन किए जाने के उपरांत अपेक्षित यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि अवैध अप्रवासी वापसी यात्रा-टिकट की व्यवस्था करने में असमर्थ होते हैं तो दूतावास भारत वापस जाने के लिए हवाई टिकट के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
22.	पौलेंड एवं लिथुआनिया	मिशन के पास इस बात का रिकॉर्ड नहीं है कि पौलेंड ओर लिथुआनिया में अनुमानित रूप से कितने भारतीय अवैध रूप से रूके हुए हैं या प्रवास कर गए हैं। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा हवालात में रखे गए अवैध आप्रवासियों के संबंध में मिशन को जब और जैसे ही सूचना मिलती है, मिशन तत्काल कन्सुलर पहुंच की मांग करता है और संबंधित हवालात केन्द्रों पर कर्मचारियों को भेजता है। मिशन के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2013 के दौरान अवैध भारतीय नागरिकों को 03 आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी किए गए ताकि पोलिश और लिथुआनियाई प्राधिकारीगण उन्हें भारत निर्वासित कर सकें। सभी तीनों मामलों में उनके निर्वासन पर हुए व्यय का वहन स्थानीय सरकारों द्वारा किया गया। मिशन ने विदेश में संकट में फंसे भारतीयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आईसीडब्ल्यूएफ स्कीम भी शुरू के है।
23.	कतर	31/7/2013 की स्थिति के अनुसार कतर में देश प्रत्यावर्तन/निर्वासन प्रक्रिया से गुजर रहे भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 192 थी। जहां कहीं भी आवश्यक होता है दूतावास हवाई टिकटें और यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करता है।
24.	सऊदी अरब	मिशन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार सऊदी अरब में ऐसा कोई भारतीय नहीं है जिसने अवैध रूप से सऊदी अरब में प्रवास किया हो। अप्रैल, 2012 में सऊदी प्राधिकारियों ने अवैध/नियत अवधि से अधिक समय तक रहने वाले वर्करों के लिए बिना कोई दंडात्मक कार्रवाई का सामना किए 3 महीने की रियायत अवधि की घोषणा की जिससे कि उनके वीजा की स्थिति ठीक की जा सके या वे देश छोड़ सकें। 03 जुलाई, 2013 को यह रियायती अवधि और 4 महीनों के लिए अर्थात 3 नवंबर, 2013 तक बढ़ा दी गई। चालू रियायती अवधि के दौरान ईसी निशुल्क जारी किए गए/जारी किए जा रहे हैं।
25.	स्पेन	ऐसे भारतीयों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है जो समुचित प्रलेखन के बिना स्पेन में हैं क्योंकि इन आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए कोई अनुभवजन्य तरीका नहीं है।

1	2	3
		उनके रिकॉर्ड के अनुसार 1 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2013 तक ऐसे भारतीयों की कुल संख्या 20 (बीस) है जिन्हें अप्रलेखित आप्रवास/रेसीडेंसी के कारण स्पेन से वापस भारत प्रत्यावर्तित किया गया है। जबकि उनमें से 14 (चौदह) को वापस भारत की यात्रा करने के लिए इमर्जेंसी प्रमाण पत्र जारी किया गया, शेष 6 (छह) व्यक्तियों ने अपने मौजूदा पासपोर्टों पर वापसी यात्रा पूरी की। देश प्रत्यावर्तित सभी व्यक्ति स्पेनिश न्यायालयों द्वारा उन्हें निष्कासन आदेश दिए जाने के बाद भारत लौट गए हैं।
26.	सूरीनाम	केवल एक मामले की रिपोर्ट मिली है जिसमें एक व्यक्ति सेंट लूसिया में ड्रग्स और अधिक समय तक रूकने से संबंधित आपराधिक कार्यकलाप के लिए 25 जून, 2013 को हवालात में था।
27.	स्विट्जरलैंड	उनके क्षेत्राधिकार में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि स्थानीय सरकार ने 2013 की अवधि के दौरान देश प्रत्यावर्तन के दो मामलों के सिवाय इस बारे में कोई सूचना नहीं दी है। इन मामलों में न तो कोई देश-प्रत्यावर्तन कार्यवाही निहित थी और न ही स्थानीय सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज किया गया था। संबंधित व्यक्तियों ने आर्थिक सहायता की मांग नहीं की थी। उन्होंने यात्रा दस्तावेजों की मांग की थी क्योंकि उनके पासपोर्ट की अवधि काफी पहले समाप्त हो चुकी थी और वे देश में अवैध रूप से रह रहे थे।
28.	तंजानिया	दो व्यक्तियों के तंजानिया में अवैध रूप से रहने के बारे में बताया गया है, और उन्हें तंजानियाई सरकार द्वारा 18 अप्रैल, 2013 को भारत के लिए निर्वासित कर दिया गया लेकिन, उन्हें प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया और वे 19 अप्रैल, 2013 को वापस तंजानिया लौट गए क्योंकि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे। उन्होंने 2005/2006 में वैध भारतीय पासपोर्टों पर तंजानिया में प्रवेश किया था लेकिन, उन्होंने भारतीय नागरिकता का त्याग किए बगैर तंजानियाई पासपोर्ट भी हासिल कर लिए थे। तंजानियाई आप्रवासी विभाग कपटपूर्ण तरीके से तंजानियाई नागरिकता हासिल करने के आरोपों के आधार पर उनके विरुद्ध अभियोजन चला रहा है। मामला तंजानियाई न्यायालयों में लंबित है। इस मामले में वित्तीय सहित कोई भी सहायता की मांग नहीं की गई है।
29.	यूनाइटेड किंगडम (यूके)	यूके सरकार समय-समय पर अवैध आप्रवासियों को पकड़ती है और भारत सहित विदेशी मिशनों के सहयोग से उन्हें उनके मूल देश में प्रत्यावर्तित करती है। विदेशी मिशनों और यूके सरकार के बीच इन अवैध आप्रवासियों की राष्ट्रीयता की पहचान करने और इमर्जेंसी यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराने के संबंध में सहयोग किया जाता है ताकि वे अपने संबंधित देश के लिए वापसी यात्रा करने में समर्थ हो सकें। स्कॉटलैंड के मामले में पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीयता के 98 अवैध आप्रवासियों को इमर्जेंसी यात्रा दस्तावेज जारी किए गए हैं जिससे कि वे भारत की वापसी यात्रा करने में समर्थ हो सकें।

1	2	3
		इस तरह देश-प्रत्यावर्तित किए जा रहे व्यक्तियों के लिए यूके सरकार द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर हवाई टिकटों के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
30.	कंसुलेट जरनल ऑफ इंडिया, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए	भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी/हिरासत के बारे में स्थानीय प्राधिकरण सूचित करते हैं। वे नागरिक, जो अमेरिका में अवैध रूप से प्रवासित हो चुके हैं, अमेरिकी कानून के मुताबिक प्रत्यावर्तन कार्यवाही के अध्याधीन शासित हैं। उन मामलों में जहां यात्रा दस्तावेज अपेक्षित हों, राष्ट्रीयता की जांच पड़ताल करने के बाद जो कि मुफ्त में होगी, आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। प्रत्यावर्तन हेतु काउंसुलेट कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है।
31.	संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)	संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की अनुमानित संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसे कोई ब्यौरे स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। जब कभी संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिक को स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा पकड़ा जाता है, तो उसे हिरासत में लिया जाता है तथा उनके नियमानुसार उसे प्रत्यावर्तित किया जाता है। कैलेंडर वर्ष 2013 में (आज की तारीख तक) दूतावास द्वारा 760 आपातकालीन प्रमाण-पत्र और 25 एक तरफ हवाई टिकट (मुफ्त में) ऐसे भारतीयों को प्रदान किये गए हैं जो संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से रह रहे थे।

विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

***139. श्री रमेन डेका :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व स्तरीय मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से असम सहित देश में नए विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इन विश्वविद्यालयों की अवधारणा को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विश्वविद्यालयों द्वारा कब तक कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू) : (क) से (ग) जी, हां। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की अवधारणा और बलवती हुई है और अब यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालय कहा जाए। केन्द्र सरकार ने 21.05.2012 को संसद में "अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक" प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा निगमन हेतु प्रबंध करना है। अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी व्यावसायियों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में देश की ज्ञान संबंधी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। ये विश्वविद्यालय एक क्षेत्र पर अथवा भारत की विशिष्ट समस्या पर फोकस करेंगे और वैश्विक दृष्टि से वैद्य ऐसे समाधानों के लिए विभिन्न संबंधित विषयों और अध्ययन तथा अनुसंधान के क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे और इस प्रक्रिया से स्नातक एवं उच्चतर स्तरों पर शिक्षा का विकास करेंगे। ये विश्वविद्यालय सार्वजनिक पद्धति में पूर्णत: निजी वित्तपोषण तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति में स्थापित किए जाएंगे। इस विधेयक की एक प्रति *http://164.100.24.219/Bills Texts/LSBillTexts/asintroduced/*

61_2012_LS_ENG.pdf पर उपलब्ध है। केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वित्तपोषण पद्धति में ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए गुवाहाटी, असम में एक सहित कुछ स्थानों की अस्थायी रूप से पहचान की है।

(घ) ये विश्वविद्यालय संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद ही स्थापित किए जा सकेंगे।

संचार उपग्रह

***140. श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री प्रदीप माझी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीएसएटी-15 और जीएसएटी-16 को प्रक्षेपित किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उपग्रहों की प्रमुख विशेषताओं सहित इन परियोजनाओं के उद्देश्य और प्रयोजन क्या हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितना व्यय होने की संभावना है और कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) देश में कार्य कर रहे और ट्रांसपॉन्डर्स को विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड्स प्रदान कर रहे इनसैट/जीसैट उपग्रहों की संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसे उपग्रहों के प्रक्षेपण से विभाग को अर्जित होने वाले वार्षिक राजस्व का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) जीसैट-15 एक भूस्थिर संचार उपग्रह है, जो कि अपने साथ 24 के यू-बैंड ट्रांसपोंडर और एक गगन (जीपीएस समर्थित भू संवर्धित नौवहन) नीतभार ले जाएगा। जीसैट-15 उपग्रह के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में (i) इन्सैट-3ए और इन्सैट-4 बी की के यू-बैंड क्षमता का प्रतिस्थापन प्रदान करना, (ii) इन्सैट/जीसैट प्रणाली की के यू-बैंड क्षमता के लिए कक्षीय बैकअप का संवर्धन और निर्माण तथा (iii) कार्यशील प्रचालनों की सुरक्षा के लिए गगन नीतभार हेतु कक्षीय अतिरिक्तता प्रदान करना है। जीसैट-15 उपग्रह देश में वर्तमान डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) और अत्यंत लघु द्वारक टर्मिनल (वीसैट) सेवाओं को सहायता प्रदान करेगा और गगन नीतभार भारतीय वात अंतरिक्ष में बेहतर वायु यातायात प्रबंधन प्रदान करने हेतु गगन अंतरिक्ष खंड का एक हिस्सा होगा।

जीसैट-16 भूस्थिर संचार उपग्रह है जो कि अपने साथ 24 सी-बैंड, 12 के यू-बैंड और 12 उपरि विस्तृत सी-बैंड ट्रांसपोंडर ले जाएगा। जीसैट-16 उपग्रह के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में (i) इन्सैट-3ए उपग्रह के लिए प्रतिस्थापन प्रदान करना; (ii) इन्सैट/जीसैट प्रणाली के सी, उपरि विस्तृत-सी बैंड और के यू-बैंड के लिए कक्षीय बैक-अप का संवर्धन और निर्माण शामिल है। जीसैट-16 उपग्रह देश में उपग्रह आधारित दूरसंचार, दूरदर्शन, वीसैट और अन्य सेवाओं में सहायता प्रदान करेगा।

जीसैट-15 और जीसैट-16 उपग्रहों का प्रमोचन 2014-16 के समय ढांचे के लिए निर्धारित है।

(ग) जीसैट-15 और जीसैट-16 उपग्रहों को जुलाई 2013 में अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्राप्त प्रमोचन और बीमा लागत सहित इनके अनुमोदित लागत निम्न प्रकार हैं:

जीसैट-15	:	₹ 859.50 करोड़
जीसैट-16	:	₹ 865.50 करोड़

चालू वर्ष 2013-14 के दौरान जीसैट-15 एवं जीसैट-16 उपग्रहों के लिए आबंटित निधियां ₹ 800 करोड़ हैं।

(घ) इस समय, 9 प्रचालनात्मक इन्सैट/जीसैट संचार उपग्रह हैं, जिनके नाम हैं– इन्सैट-3ए, इन्सैट-3सी, इन्सैट-3ई, इन्सैट-4ए, इन्सैट-4बी, इन्सैट-4सीआर, जीसैट-8, जीसैट-10 और जीसैट-12। इन उपग्रहों पर वर्तमान में उपलब्ध ट्रांसपोंडरों की कुल संख्या 195 है, जो कि सी, विस्तृत सी, केयू और एस-बैंडों में प्रचालित हैं।

(ङ) उपग्रह के प्रमोचन और प्रचालनीकरण के बाद संचार उपग्रहों पर उपलब्ध ट्रांसपोंडर प्रयोक्ताओं को लीज पर दिए जाते हैं। अंतरिक्ष विभाग अपने वाणिज्यिक अंग, एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से इन्सैट/जीसैट उपग्रहों के ट्रांसपोंडर लीज पर देता है। वर्ष 2012-13 के दौरान इन्सैट/जीसैट के ट्रांसपोंडरों को लीज पर देने से एंट्रिक्स को लगभग 482.67 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये राजस्व डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाओं, टीवी अपलिंक सेवाओं, अंकीय उपग्रह समाचार संग्रहण (डीएसएनजी) सेवाओं के सेवा प्रदाताओं से प्रापत होते हैं। इस राजस्व में दूरस्थ शिक्षा दूर-चिकित्सा, ग्रामीण संसाधन केन्द्र, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं के भाग जैसी विविध सामाजिक उपयोगों के लिए प्रदत्त क्षमताएं शामिल नहीं हैं।

उत्तराखंड में पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास

1381. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय प्रधान मंत्री ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास पर निगरानी रखने के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं समिति के कार्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में समिति द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तराखंड में हाल में आई बाढ़ से हुई जनजीवन की व्यापक हानि और विध्वन्स के पश्चात उत्तराखंड में पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रयासों हेतु व्यापक निर्देशन प्रदान करने के लिए 10.07.2013 को एक मंत्रिमंडल समिति गठित की गई है। इस मंत्रिमंडल समिति की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) समिति ने, 31.07.2013 को हुई अपनी बैठक में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उत्तराखंड विध्वंस से निपटने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की। समिति ने इस राज्य में पुनर्वास एवं पुनर्मीण कार्य को सुगम बनाने के लिए विस्तृत निर्देश भी दिए।

विवरण

उत्तराखंड में पुनर्मीण एवं पुनर्वास प्रयासों के लिए व्यापक निर्देशन प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल समिति की संरचना

प्रधान मंत्री;

श्री ए.के. एंटनी, रक्षा मंत्री;

श्री शरद पवार, कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री;

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री गुलाम नबी आज़ाद, स्वास्यि और परिवार कल्याण मंत्री;

श्री सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री;

श्री ऑस्कर फर्नांडीस, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

डॉ. गिरिजा व्यास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री;

श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री; और

श्री हरीश रावत, जल संसाधन मंत्री

स्थायी आमंत्रित:

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग;

श्री विजय बहुगुणा, मुख्य मंत्री, उत्तराखंड; और

श्री शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव

1382. श्री महेश्वर हजारी :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री हर्ष वर्धन :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्चतर शैक्षिणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के साथ किए जा रहे जाति आधारित भेदभाव पर गौर करने के लिए प्रो. भालचंद्र मुंगेरकर की अध्यक्षता में किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इन संस्थाओं में अ.जा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों के उत्पीड़न एवं आत्महत्या के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उपर्युक्त संस्थाओं में भेदभाव एवं उत्पीड़न समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की रिपोर्ट के अनुसार, इसने वर्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों की जांच करने के लिए डॉ. भालचंद्र मुंगेरकर को जांच आयुक्त नियुक्त किया था। वर्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से संबद्ध है, जो एक राज्य विश्वविद्यालय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव के आरोपों पर गौर करने के लिए ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जांच रिपोर्ट की एक प्रति दिनांक 10 सितंबर, 2012 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजी गई थी।

(घ) जांच रिपोर्ट में विशिष्ट तौर पर कॉलेज एवं इसको संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इसने विशेष तौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए एक सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति करने; तिमाही आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समग्र कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित करने; एक समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना करने; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने इत्यादि की सिफारिश की है।

(ङ) जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य वर्गों के विद्यार्थियों की प्रताड़ना संबंधी शिकायतों के बारे में सूचित किया है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम	शिकायतों का ब्यौरा	
		शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या
1.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1	1
2.	जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय	11	8

अन्य किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने मंत्रालय को किसी ऐसी घटना की जानकारी नहीं दी है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में आत्महत्या के मामलों की जांच तथ्यान्वेषी समिति द्वारा की गई थी तथा तथ्यान्वेषी समिति के निष्कर्षों के अनुसार आत्महत्या के कारणों में अवसाद, अकादमिक भार, मित्र समूह का दबाव तथा भावनात्मक/अंतर्वैयक्तिक मुद्दे शामिल हैं। इन संस्थाओं में आत्महत्या के कारणों में जाति आधारित भेदभाव का उल्लेख नहीं किया गया है।

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) लाभवंचित समूहों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना करने, अकादमिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों के संबंध में परामर्श एवं दिशा-निर्देश प्रदान करने तथा परिसर के अंदर विविधता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दलितों, जनजातियों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर संकेन्द्रित अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करने हेतु सामाजिक बहिष्कार एवं समावेशी नीति अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में समानता का प्रोन्नयन) द्वारा दिनांक 19.01.2013 को अधिसूचित यूजीसी विनियम, 2012 में इन विनियमों को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्था में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना करने तथा भेदभाव निरोधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय समय-समय पर सभी केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थाओं को परामर्शी पत्र जारी करता है, जिनमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि सभी अधिकारियों/संकाय सदस्यों को उनके सामाजिक मूल के आधार पर विद्यार्थियों के विरुद्ध होने वाले किसी भेदभावपूर्ण कार्य से दूर रहना चाहिए।

दिल्ली के बाहर की डीएमआरसी परियोजनाएं

1383. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने दिल्ली के बाहर कई परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली के बाहर की परियोजनाओं का कार्य हाथ में लेने से दिल्ली मेट्रो के अन्तर्शहरी नेटवर्क के कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली से बाहर की परियोजनाओं का कार्य हाथ में लेने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि उन्होंने निक्षेप अवधि (डिपोजिट टर्म) आधार पर कार्यान्वयन के लिए केवल दो परियोजनाएं, एक जयपुर में और दूसरी कोचि में आरंभ की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति-आयु

1384. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों/शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति-आयु की तर्ज पर एनसीईआरटी के व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के सभी कर्मचारियों, जिनमें शिक्षण स्टॉफ शामिल हैं, की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा मार्च, 2007 में जारी आदेश द्वारा केन्द्रीय वित्तपोषित उच्चतर और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में शिक्षण संकाय की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गयी। ये आदेश उन अध्यापकों पर लागू हैं जो वास्तव में ऐसी संस्थाओं में अध्ययन कक्षाओं/पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के शिक्षण में संलग्न हैं। वर्तमान में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) के व्याख्याता की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

एंट्रिक्स कार्पोरेशन

1385. श्री नलिन कुमार कटील : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एंट्रिक्स कार्पोरेशन लि. के माध्यम से अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां अभी भी संचालित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) एंट्रिक्स भारतीय अंतरिक्ष उत्पादों ओर सेवाओं के विपणन की वाणिज्यिक गतिविधियां जोर-शोर से चला रहा है जिसमें (i) इन्सैट/जीसैट श्रृंखला के उपग्रहों से प्राप्त ट्रांसपोंडर क्षमता भारतीय ग्राहकों को लीजर पर देना; (ii) भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों (आईआरएस) से प्राप्त आंकड़ों एवं संबंधित सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए विपणन; (iii) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पीएसएलवी) पर अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों के लिए प्रमोचन सेवाएं प्रदान करना; (iv) प्रमोचन और प्रारंभिक कक्षीय चरण (एलईओपी) तथा कक्षा अंतरण सहयोग सेवा (टीओएसएस) इत्यादि के दौरान विदेशी उपग्रह प्रचालकों को उपग्रह मिशन समर्थन सेवाएं प्रदान करना शामिल है। सरकार ने एक नए निदेशक मंडल और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के साथ ही एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की पुनर्संरचना की है।

सोशल नेटवर्क साइटों पर अपमानजनक टिप्पणियां

1386. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अनुमति के बगैर सोशल नेटवर्क साइटों पर कथित अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के कारण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नही करने का निदेश राज्य सरकारों की जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्य इन निदेशों का पालन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने भी आईटी एक्ट, 2009 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी निदेश को लागू करने के लिए राज्यों से कहा है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) सरकार ने 9.01.2013 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66क के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सलाह जारी किए हैं। सलाह में कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66क के अंतर्गत पंजीकृत शिकायत के मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के संबंध में यह सलाह दी जाती है कि राज्य के अधिकार क्षेत्रों में आने वाले पुलिस स्टेशन का संबंधित पुलिस अधिकारी तब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है जब तक कि वह ऐसी गिरफ्तारी के लिए मैट्रोपोलिटन शहर में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी अथवा जिला स्तर पर पुलिस उपायुक्त अथवा आरक्षी अधीक्षक स्तर के अधिकारी, जैसा भी मामला हो, की पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ले। सलाह की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश के अनुसार जारी किए गए सलाह के अनुपालन के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

(ङ) और (च) 2012 के रिट याचिका संख्या 167 में माननीय उच्चतम न्यायालय में 16.05.2013 के अपने आदेश में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66क के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए सलाह का अनुपालन सुनिश्चित करने को निदेशित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भी आदेश की एक प्रति भेजने को निदेशित किया है। तदनुसार, 10.06.2013 को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं जारी किए गए सलाह की एक-एक प्रति सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भेज दी गई है।

विवरण

सं.11(6)/2012-सीएलएफई

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110003

दिनांक 9 जनवरी, 2013

सेवा में,

1. सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव
2. सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक

विषय : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66क के कार्यान्वयन पर परामर्शी अनुदेश।

महोदय/महोदया,

साइबरस्पेस एक ऐसा जटिल परिवेश है जो संचार प्रौद्योगिकी, उपकरणों और विश्व स्तर पर सूचना के प्रसार के परिणामस्वरूप निर्मित कनेक्टिविटी की सहायता से इंटरनेट पर लोगों के बीच बात-चीत, साफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेवाओं का प्रतिफल है। हाल ही के वर्षों में वेब और सोशल मीडिया महत्वपूर्ण संचार चैनलों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। प्रौद्योगिकी उन्नति से होने वाले असंख्य लाभों के कारण साइबरस्पेस संचार और सूचना के प्रसार के लिए नागरिकों, सिविल सोसाइटी, व्यापारियों और सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जाना वाला आम बन टूल गया है। भौतिकी स्पेस की तुलना में साइबरस्पेस की विलक्षण और अनोखी विशेषताएं हैं। साइबरस्पेस वास्तविक है, असीमित है और पहचान को पूरी तरह गुप्त रखता है। सोशल साइटों पर कोई भी अपनी टिप्पणियां/विचार पोस्ट कर सकता है। पूरे देश में फैले एक से दूसरे, एक से अनेक, अनेक से एक और अनेक से अनेक व्यक्तियों/उपकरणों से संदेश भेजे जा सकते हैं और संप्रेषण किया जा सकता है। ये सेवाएं सूचना तक पहुंच बनाने और उसे पोस्ट करने एवं दैनिक जीवन में विचार प्रकट करने में हमारी बहुत मदद करती हैं। तथापि, घृणित मेल फैलाने, चित्र, विडियो, फोटो और टेक्स्ट के रूप में उत्तेजक, हानिकारक और आपत्तिजनक सूचना पोस्ट करने जैसे विविध उद्देश्यों के लिए साबइ स्पेस की क्षमता का दुरूपयोग किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66क में ऐसे अपराधों के निवारण का प्रावधान उपलब्ध है।

2. हाल ही में कुछ ऐसी घटनाओं की सूचना मिली है जहां पुलिस द्वारा हानिकारक मानी गई कुछ सूचना पोस्ट/संचारित करने के लिए कुछ लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की अन्ध धाराओं के साथ-साथ पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66क लागू की गई। ऐसी कार्रवाई ने मीडिया का बहुत ध्यान आकृष्ट किया और इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में सिविल सोसायटी, नागरिकों एवं संसद सदस्यों ने इसका विरोध किया। साइबर स्पेस के कथित दुरूपयोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करते समय अपेक्षित सावधानी बरती जाए और ध्यान दिया जाना चाहिए।

3. राज्य सरकारों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66क के अंतर्गत पंजीकृत शिकायत के मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के संबंध में यह सलाह दी जाती है कि राज्य के अधिकार

क्षेत्रों में आने वाले पुलिस स्टेशन का संबंधित पुलिस अधिकारी तब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है जब तक कि वह ऐसी गिरफ्तारी के लिए मैट्रोपोलिटन शहर में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी अथवा जिला स्तर पर पुलिस उपायुक्त अथवा आरक्षी अधीक्षक स्तर के अधिकारी, जैसा भी मामला हो, की पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ले।

4. अनुरोध है कि इस मामले में सभी संबंधित व्यक्तियों को उपयुक्त निर्देश दिया जाए।

बीएसएनएल एवं एमटीएनएल में बकाया रिक्तियां

1387. श्री पी.आर. नटराजन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लि. एवं महानगर टेलीफोन निगम लि. अ.जा./अ.ज.जा./अपि. वर्ग के लिए आरक्षित सभी बकाया रिक्तियों को भर चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी/प्रस्तावित है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों और भारत संचार निगम लि. बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) द्वारा इन रिक्तियों को भरने संबंधी ब्यौरा निमनानुसार है:—

	अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि. वर्ग	
	बकाया रिक्तियों की संख्या	भरी गई बकाया रिक्तियों की संख्या	बकाया रिक्तियों की संख्या	भरी गई बकाया रिक्तियों की संख्या	बकाया रिक्तियों की संख्या	भरी गई बकाया रिक्तियों की संख्या
बीएसएनएल	920	231	839	120	287	0
एमटीएनएल	12	08	14	13	शून्य	शून्य

बीएसएनएल और एमटीएनएल ने इन बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने सहित भरसक प्रयास किए हैं। इस प्रयोजन के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा पात्रता मानदंडों में भी रियायत दी गई है।

कॅयर उत्पादों के लिए घरेलू बाजार

1388. श्री पी.टी. थॉमस : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कॅयर उत्पादों के लिए घरेलू बाजार तलाशने के लिए और प्रभावी उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान देश में कॅयर उत्पादों की वार्षिक बिक्री का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान भारत में कॅयर उद्योग को मजबूती देने के लिए जारी योजनाएं क्या हैं तथा इसके विकास के लिए कितनी राशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित की गयी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा कॅयर बोर्ड के माध्यम से घरेलू प्रदर्शनियों में कार्यान्वित किए जा रहे प्रचार एवं सहभागिता जैसे कार्यकलापों के अलावा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हैंड-होल्डिंग समर्थन देक मार्केट इंटरवेंशन की शुरूआत भी कॅयर बोर्ड द्वारा की गई है।

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कॅयर बोर्ड निर्गमों के माध्यम से देश में कॅयर उत्पादों की वार्षिक बिक्री का विवरण निम्नोक्त है:—

2010-11	1347.27 लाख रुपए
2011-12	1462.60 लाख रुपए

2012-13	2102.75 लाख रुपए
2013-14	390.60 लाख रुपए (31 जुलाई, 2013 तक)

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत में कॉयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रचालनरत योजनाओं और इसके विकास के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए कॉयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कॉयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं और बजट आबंटन

(लाख रुपए)

क्र. सं.	योजना	बजटीय आबंटन 2010-11	बजटीय आबंटन 2011-12	बजटीय आबंटन 2012-13	बजटीय आबंटन 2013-2014
1.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी)	700.00	700.00	700.00	700.00
2.	कौशल उन्नयन, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	500.00	535.00	1000.00	1000.00
3.	उत्पादन संबंधी आधारभूत संरचना का विकास	400.00	100.00	400.00	400.00
4.	घरेलू विपणन संवर्धन	1100.00	1256.00	2300.00	2300.00
5.	निर्यात विपणन संवर्धन	300.00	205.00	350.00	350.00
6.	कल्याणकारी उपाय	200.00	230.00	50.00	50.00
7.	व्यापार एवं उद्योग संबंधी प्रकार्यात्मक सहयोग सेवाएं	300.00	174.00	400.00	400.00
8.	कॉयर उद्योग का पुनरूज्जीवन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन (रिमोट)	2100.00	2100.00	1600.00	1600.00
9.	पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूति)	—	—	4.00	4.00

*योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई अलग बजट आबंटन नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

विद्यार्थियों का अन्य स्कूलों में दाखिला लेना

1389. श्री मिथिलेश कुमार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कक्षा 10वीं तक मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों की 12वीं कक्षा तक मान्यता दिए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माध्यमिक स्कूलों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी परिणाम के बाद कक्षा 11 में विज्ञान/वाणिज्य/कला विषयों में किसी में भी अन्य स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं जिसके फलस्वरूप वे या तो निजी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठते हैं या अधिकतम डोनेशन का भुगतान कर स्कूलों में प्रवेश लेते हैं; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे स्कूलों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी

थरूर) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूलों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। सीबीएसई से पहले ही संबद्ध स्कूल माध्यमिक वरिष्ठ स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा के स्तरोन्नयन के लिए आवेदन कर सकता हैं स्कूलों का स्तरोन्नयन सीबीएसई की सम्बद्धन उप-विधिों में निहित प्रावधानों को पूरा करने के अध्यधीन प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) सीबीएसई के ध्यान में इस प्रकार का कोई दृष्टांत नहीं आया है। तथापि, सीबीएसई की परीक्षा उप-विधियों का नियम 7.4 निर्धारित करता है कि ऐसे छात्रों के लिए कक्षा XI में प्रवेश खुला रहेगा जिन्होंने:—

(i) माध्यमिक स्कूल परीक्षा में शैक्षिक क्षेत्र के तहत छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर कम से कम 05 विषयों में न्यूनतम ग्रेड डी प्राप्त किया हो;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समकक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

इन मानदंडों में किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और मामले के महत्व के आधार पर उचित कार्रवाई की जाती है।

केबल की कमी एवं चोरी

1390. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री ओ.एस. मणियन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुंबाकोनम सहित बीएसएनएल के विभिन्न दूरसंचार जिलों में केबल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या ओवरहेड टेलीफोन केबल की चोरी के बढ़ते मामलों से देश में टेलीफोन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश सहित हुई राज्य-वार हानि कितनी है एवं इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चोरी रोकने के लिए सभी दूरसंचार उद्देश्यों हेतु भूमिगत केबल बिछाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने सूचित किया है कि कुछेक दूरसंचार क्षेत्रों अर्थात् गुजरात दूरसंचार क्षेत्र, छत्तीसगढ़ दूरसंचार क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश दूरसंचार क्षेत्र, ओडिशा दूरसंचार क्षेत्र, राजस्थान दूरसंचार क्षेत्र, उत्तराखंड दूरसंचार क्षेत्र और चेन्नई दूरसंचार जिले में कुछ कमी को छोड़कर कुंबाकोनम (तमिलनाडु दूरसंचार क्षेत्र) सहित देश के विभिन्न भागों में स्थित इसके दूरसंचार क्षेत्रों/जिलों में केबल (भूमिगत टेलीफोन केबल) की कोई कमी नहीं है। जहां कहीं भी कमी होती है, बीएसएनएल वहां संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतर-सर्किल केबल विपथन की व्यवस्था करता है। बीएसएनएल ऐसे केबलों की अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरी करने के लिए समय-समय पर भूमिगत टेलीफोन केबलों का प्रापण करता हैं

(ग) और (घ) बीएसएनएल ने सूचित किया है कि कुछ दूरसंचार क्षेत्रों में ओवरहेड टेलीफोन केबलों की चोरी के कुछेक मामले हुए थे। बीएसएनएल की क्षेत्रीय इकाई द्वारा चोरी के मामलों की सूचना संबंधित स्थानीय पुलिस को दे दी गई है।

चोरी के मामलों और उसके परिणामस्वरूप हुई क्षति का विवरण एकत्र किया जा रहा है और इसे शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) और (च) दूरदराज़ और पहाड़ी क्षेत्र, जहां पथरीले स्थानों पर भूमिगत केबल बिछाना कठिन है, में कुछ अपवादों को छोड़कर सभी टेलीफोन केबल भूमिगत ही बिछाए जाते हैं।

नए मानिक विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव

1391. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में नए मानित विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए तथा कितने प्रस्ताव मंजूरी हेतु राज्य-वार लंबित हैं;

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विभिन्न संस्थाओं को मानिक विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान किया है जबकि मामला न्यायाधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने विगत समय में इस विषय पर यूजीसी को कुछेक निदेश जारी किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत वर्तमान वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान नए सम-विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए कुल 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश-2, दिल्ली-1, जम्मू और कश्मीर-1, कर्नाटक-2, केरल-1, मध्य प्रदेश-2, महाराष्ट्र-4, ओडिशा-2, पंजाब-1, तमिलनाडु-5, उत्तर प्रदेश-4, उत्तराखंड-1।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केवल एक संस्थान अर्थात्, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), कुडली हरियाणा को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है।

(ग) लंबित प्रस्तावों के संबंध में निश्चित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है क्योंकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयत् संस्थान) विनियम, 2010 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सकारात्मक सिफारिशों के अनुसार आवेदक संस्थानों द्वारा सभी शर्तों के पूरे होने पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसी भी मामले में नए सम-विश्वविद्यालयों को घोषित करने पर कोई भी स्थगन आदेश नहीं दिया है।

(च) और (छ) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दिनांक 6.7.2010 को अनुरोध किया था कि सभी लंबित प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के अनुसार कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

बीएसएनएल एवं एमटीएनएल द्वारा 4जी स्पेक्ट्रम वापस किया जाना

1392. श्री पी. कुमार :

डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्याधीन भारत संचार निगम लि. एवं महानगर टेलीफोन निगम लि. से 4जी स्पेक्ट्रम को वापस लेने तथा उनके द्वारा भुगतान किए गए शुल्क लौटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दोनों कंपनियों ने अपेक्षित राशि की कमी के कारण ब्राडबैंड वायरलैस एक्सेस सेवाओं को प्रारंभ करने में अपनी असमर्थता जतायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क), (ख) और (ङ) ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम को लौटाने और उस पर भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) द्वारा भुगतान किए गए अपफ्रंट शुल्क को वापस करने से संबंधित मामला बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरूद्धार और पुनरूत्थान करने के मामले को देखने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) बीएसएनएल और एमटीएनएल ने उल्लेख किया है कि आवंटित बैंड में अपफ्रंट प्रभार का भुगतान करने के बाद वाणिज्यिक बीडब्ल्यूए सेवाओं के प्रावधान का व्यहहार्य व्यापार का मामला मौजूद नहीं है।

निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं में ओबीसी को आरक्षण

1393. श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विधान लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत, संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडल समाज के कमज़ोर वर्गों-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, शैक्षिक संस्थाओं, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त, अनुच्छेद 30 की धारा (क) में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर, में सुलभता के मामलों में उनके उन्नयन हेतु विशेष प्रावधानों के साथ कानून बनाने में सक्षम हैं। इस समय निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई केन्द्रीय विधान नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा तैयार किया गया है। तथापि, इस पर व्यापक विचार विमर्श किए जाने तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों के बीच आम सहमति बनाए जाने की आवश्यकता है।

विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

1394. डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री जगदीश सिंह राणा :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमईएस) विशेषकर लघु उद्योग ईकाइयों के विकास के संबंध में कोई आकलन किया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमएसएमईएस के लिए विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एमएसएमईएस क्षेत्र, विशेषकर लघु उद्योग ईकाई (एसएसआई) प्रौद्योगिकी विकास की कमी से ग्रस्त है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र को उच्च प्रौद्योगिकी विकास से सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख)प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी प्रधानमंत्री कार्यदल ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाली बाधाओं की जांच की। इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए इस कार्यदल ने क्रेडिट, करनिर्धारण, श्रम, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, विपणन आदि विभिन्न क्षेत्रों में सिफारिशें की। एमएसएमई क्षेत्र के और विकास के लिए इस कार्यदल की अनेक सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है। इस कार्यदल ने 85 सिफारिशें की थी जिनमें से संचालन समूह द्वारा 77 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और 8 सिफारिशों को छोड़/हटा दिया गया था। इन 77 सिफारिशों में से 39 सिफारिशों पर कार्रवाई पूरी हो गई है।

(ग) जी, नहीं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बनी योजनागत स्कीमें सतत प्रकृति की हैं और इन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्यक्रम (एनएमसीपी) के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन संबंधी समर्थन (टीईक्यूयूपी) नामक स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है ताकि इस क्षेत्र को ऊर्जा कुशलता के क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकीय विकास से सुसज्जित किया जा सके। इस स्कीम के तहत सरकार एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकीयों के कार्यान्वयन के लिए प्रति परियोजना 25%, अधिकतम 10 लाख रुपएए तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) कार्यान्वित की जा रही है जो विनिर्दिष्ट उप-क्षेत्रों/उत्पादों में सुस्थापित और बेहतर प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए 15% अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी उपलब्ध कराकर प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाता है। इसके अतिरिक्त 10 टूल रुम और 8 तकनीकी विकास केन्द्र भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रौद्योगिकी समर्थन सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं तथा उद्योगों को कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति

1395. डॉ. रत्ना डे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) व्यावसायिक शिक्षा को बेहतर करने के लिए लागू की जा रही प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह परिकल्पना की गई है कि कौशल विकास की गुणवत्ता और प्रासंगिकता भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और साथ-साथ अच्छे रोजगार के प्रति व्यक्ति की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए मुख्य साधन हैं। इस मंत्रालय द्वारा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यकलापों का सार निम्नानुसार है।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना का मूल उद्देश्य सक्षमता आधारित मॉड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाना; बहुप्रवेश-बहुनिर्गमन अधिगम अवसरों तथा ऊर्ध्वगतिशीलता/योगताओं की अन्त:परिवर्तशीलता के जरिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखना; शिक्षा और नियोजनीयता के अंतराल को भरना तथा अकादमिक उच्च शिक्षा पर दबाव कम करना है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्यढांचा (एनवीईक्यूएफ) के अनुरूप 19 राज्यों के 957 स्कूलों को शामिल करते हुए प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 6 क्षेत्रों अर्थात् कृषि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, वित्त, व्यवसाय और प्रबंधन, मीडिया मनोरंजन एवं उत्पादन, स्वास्थ्य एवं सम्पूर्ण स्वास्थ्य तथा आतिथ्य एवं पर्यटन में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर दक्षता आधारित 40 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रहा है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान 1700 से भी अधिक प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थानों (एवीआई) के नेटवर्क के माध्यम से पूर्व-माध्यमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक और उत्तर-वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाता है। एनआईओएस द्वारा चलाए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कृषि, प्रौद्योगिकी, स्वास्यि और पैरामैडिकल, गृह विज्ञान, व्यवसाय और वाणिज्य, सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षण-प्रशिक्षण सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्यढांचा (एनवीईक्यूएफ) के तहत "उच्चतर शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की शुरूआत" योजना बनाई है। योजना/कार्यढांचे का उद्देश्य अकादमिक और कौशल प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के मेल पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा (वीई) प्रदान करना और विश्वविद्यालय/एआईसीटीई द्वारा चिन्हित किए गए कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एसकेपी) की तकनीकी सहायता से व्यावसायिक शिक्षा के कौशल घटक प्रदान करना है। तीन वर्षों की समाप्ति के बाद छात्रों को व्यावसायिक स्नातक डिग्री (बी वॉक) प्रदान की जाएगी और जो छात्र डिग्री के पहले या दूसरे वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो उन्हें क्रमश: डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने एनवीईक्यूएफ के लिए उद्योग के ठोस सहयोग से 57 विशेषज्ञताओं सहित 13 क्षेत्रों में विस्तृत सामान्य और व्यावसायिक सामग्री तैयार की है। वर्ष 2013-14 में एआईसीटीई ने 79 कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एसकेपी) और स्व-वित्तपोषित पद्धति के तहत एनवीईक्यूएफ कार्यक्रम चलाने के लिए 376 संस्थाओं को स्वीकृति दी है। एआईसीटीई की एनवीईक्यूएफ योजना के तहत छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान हस्त कौशल में निपुण करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक-एक केन्द्र स्थापित करने हेतु 35 आदर्श कौशल केन्द्रों की स्थापना की योजना है। एआईसीटीई ने नियोजनीयता वृद्धि के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान रोजगार प्रदान करने हेतु नई योजना राष्ट्रीय नियोजनीयता वृद्धि मिशन (नेशनल एम्प्लायेबिलिटी इनहांस मिशन) (एनईईएम) प्रारंभ की है। भारत सरकार की शैक्षणिक सत्र 2013 से वर्तमान कॉलेजों/पालिटेक्निकों में 200 सामुदायिक कॉलेजों की स्थापना की योजना है।

पर्वतीय राज्यों को विशेष सहायता

1396. श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी पर्वतीय राज्यों को केन्द्रीय योजनाओं विशेषकर औद्योगिक पैकेज के अंतर्गत विशेष सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड, पर्वतीय राज्यों एवं जम्मू-कश्मीर को दी गयी सभी ऐसी सुविधाओं से वंचित हैं यद्यपि वे भी पर्वतीय राज्य हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी पर्वतीय राज्यों को एकसमान सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, पर्वतीय राज्यों जिनमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य शामिल हैं, को विशेष श्रेणी राज्यों (एससीएस) का दर्जा प्रदान किया गया है। विशेष श्रेणी राज्यों (एससीएस) और सामाय श्रेणी राज्यों (जीसीएस) को सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए) अनुदान 9:7 के अनुपात में प्रदान की जाती है। विशेष श्रेणी राज्यों को बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और विशेष योजनागत सहायता 90% अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं। इन राज्यों के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों हेतु राज्य के हिस्से से संबंधित अपेक्षाएं, सामान्य श्रेणी राज्यों की अपेक्षाओं से सामान्यतया कम होती हैं। इसके अतिरिक्त, पर्वतीय राज्यों को औद्योगिक पैकेजों सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत विशेष्ज्ञ छूट/रियायतें भी प्रदान की जाती हैं।

जहां तक औद्योगिक पैकेजों का संबंध है, इन्हें भिन्न-भिन्न स्थिति और परिस्थितियों के आधार पर प्रदान किया गया है और ये पर्वतीय राज्यों (सिक्किम सहित) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अलग-अलग हैं। राज्यों की स्कीमें और हकदारी विभिन्न पैकेजों, जिन्हें भिन्न-भिन्न समय अवधियों के लिए लागू किया जाता है, के विनिर्देशनों के अनुसार अलग-अलग होती हैं।

[हिन्दी]

पाकिस्तान से आतंकवाद

1397. श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान से हो रही आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी देश घोषित करने संबंधी मामले को सरकार ने उठाया है/उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने का अनुरोध या ज्ञापन किन सामाजिक संगठनों/व्यक्तियों से सरकार को तिथि सहित प्राप्त हुए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ङ) पाकिस्तान तथा उसके नियंत्रणाधीन क्षेत्रों से होने वाली आतंकी गतिविधियां हमारे लिए मुख्य चिंता का विषय है।

समय-समय पर विभिन्न सामाजिक संगठनों से सरकार को प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के सुझाव दिए जाते हैं जिनमें पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाना भी शामिल है। नवम्बर, 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद विदेश मंत्री ने सभी देशों के अपने समकक्षों को पत्र लिखकर पाकिस्तान के इस हमले में शामिल होने से संबंधित साक्ष्य के साथ एक विस्तृत डोज़ियर भेजा। भारत आस्थानी रेज़िडेंट मिशन प्रमुखों हेतु विस्तृत ब्रीफिंग भी आयोजित की गई। विदेश में रह रहे हमारे मिशन प्रमुखों ने भी इसी प्रकार प्रत्यायित सरकारों को भी जानकारी दी। द्विपक्षीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए इन राजनयिक उपायों के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र अलकायदा एवं तालिबान प्रतिबंध समिति ने सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 के तहत पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों तथा वहां स्थित कंपनियों को सूचीबद्ध किया है; जमात-उद-दावा को भी लश्कर-ए-तैयबा के नेताओं सहीत के ऊर्फ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

सरकार द्वारा प्रबल एवं प्रयोजनमूलक बातचीत के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने माना है कि भारत में सीमा पार आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ है और यह पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस पर लगाम लगाए।

[अनुवाद]

साइबर जासूसी

1398. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चीन सहित कुछ शत्रु राष्ट्रों को साइबर जासूसी के मामले में प्रमुख लक्ष्य रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को हुआवेई प्रौद्योगिकियों एवं अन्य चीनी उपकरण निर्माताओं से हो रहे संभावित सुरक्षा खतरे के बारे में कोई चेतावनी मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है एवं इन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) साइबर नेटवर्क और सरकार में परिचालनरत प्रणालियों पर हमला करने के लिए समय-समय पर प्रयास किए गए हैं। ऐसा पाया गया है कि ये हमले चीन सहित कई देशों के साइबर स्पेस से किए गए हैं यह पाया गया है। कि हमला-वार विश्व के विभिन्न देशों में अवस्थित कम्प्यूटर प्रणालियों को खतरे में डाल रहे हैं और उन वास्तविक प्रणाली की पहचान को छुपाने के लिए छल-कपट तकनीकों और गुप्त सर्वरों का प्रयोग कर रहे हैं जहां से हमले किए जा रहे हैं।

साइबर हमलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। विवरण निम्नलिखित हैं:—

(i) सरकार ने सार्वजनिक उपयोग और सभी संगत स्टकहोल्डरों के साथ कार्यान्वयन के लिए "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति-2013" जारी की है। इस नीति का उद्देश्य देश में सभी स्तरों पर साइबर सुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए व्यापक, सहयोगात्मक और सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए एक ढांचे का सृजन करना है।

(ii) सरकार, उद्योग और अन्य संगठन ऐसे हमलों से अपनी अवसंरचना की सुरक्षा के लिए उपकरण और सुरक्षा नियंत्रण उपायों की स्थापना करके अपनी सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को नियमित रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं।

(iii) केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारों से साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का सामना करने के लिए संकट प्रबंधन योजना कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

(iv) सरकार ने साइबर हमलों को रोकने, उनका पता लगाने और उपशमन करने के लिए कदम उठाने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को कम्प्यूटर सुरक्षा नीति और दिशा-निर्देश परिचालित किए हैं। इसके अलावा, सभी-राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को वेबसाइटों को हैकिंग को रोकने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी है।

(v) भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सट-इन) नवीनतम साइबर खतरों और प्रति उपायों के बारे में नियमित रूप से चेतावनी और परामर्श जारी करता है।

(vi) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना चलाने वाले संगठनों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 27001 पर आधारित सूचना सुरक्षा प्रबंधन पद्धतियां कार्यान्वित करें। मंत्रालयों/विभागों को अपनी पद्धतियों को सुदृढ़ सुनिश्चित करने के लिए अपनी आईटी पद्धतियों का नियमित रूप से आडिट करने की सलाह दी गई है।

(vii) साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए संगठनों की तैयारी का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल की जाती है।

(viii) सरकार और उद्योग अवसंरचना की सुरक्षा और घटनाओं से निपटने के लिए अपने परिचालन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। साइबर न्यायिक विज्ञान के संदर्भ में अवंसरचना में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई हैं।

(ग) और (घ) चीन से संबंधित कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीकाम उपकरणों में त्रुटियों के बारे में दूसरे देशों के मीडिया और सरकारी एजेंसियों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। सामरिक क्षेत्रों और सरकारों द्वारा प्रयुक्त उपकरणों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने और उनके कार्यान्वयन पर विचार किया गया है। इस बारे में सरकार द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:—

(i) आपूर्ति शृंखला जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठाने हेतु 2 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (एनसीएसपी) जारी की गई है।

(ii) गृह मंत्रालय के परामर्श से और उद्योगों से बातचीत करने के पश्चात दूर-संचार विभाग ने व्यापक दिशानिर्देश जारी किए है जिसके अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए अपना नेटवर्क सुरक्षित करना और अपना दूरसंचार नेटवर्क में केवल उन्हीं घटकों को शामिल करना अनिवार्य है जिनकी जांच संबंधित समकालिक भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप की गई हो।

(iii) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय ने कोलकाता में आईएसओ/आईईसी 15408

के अनुसार आईसीटी उत्पाद सुरक्षा जांच सुविधा की स्थापना की है। जांच अवसंरचना में सरकार और निजी क्षेत्र देनों में काफी वृद्धि की जा रही है।

सीबीआई मामलों के लिए विशेष न्यायालय

1399. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर सीबीआई मामलों की सुनवाई के लिए विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान अब तक स्थापित ऐसे न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या विभिन्न स्थानों पर विशेष न्यायालयों की स्थापना में देर हुई है;

(घ) यदि हां, तो वादा किए गए सीबीआई न्यायालयों की स्थापना में देर के स्थान-वार कारण क्या हैं; और

(ङ) अपेक्षित सुविधाओं तथा लोक अभियोजकों की संख्या के अनुरूप श्रमशक्ति युक्त पर्याप्त संख्या में सीबीआई न्यायालय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कोन-कौन से कदम उठाए गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) सरकार ने, उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और अन्य समकालीन कानूनों के अधीन फाइल किए गए मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए 2003 की दांडिक अपील सं. 88-89 (सीबीआई बनाम शौरीन रसिक लाल शाह और अन्य) में प्रति न्यायालय कम से कम पचास मामलों के सनियमों के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों में 71 विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का विनिश्चय किया था। इन इकहत्तर न्यायालयों में से छियासठ न्यायालय पहले से ही कार्य कर रहे हैं। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्थापित किए गए ऐसे न्यायालयों की संख्या के संबंध में राज्य-वार ब्यौरे और इन न्यायालयों के कार्यकरण के बारे में वर्तमान प्रस्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। सरकार राज्य सरकारों से शीघ्रतया शेष विशेष न्यायालयों को क्रियाशील बनाने के लिए अनुरोध कर रही है।

उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिक अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए 13.12.2012 को पुन: यह निदेश दिया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन मामलों में वृद्धि हो गई थी। तदनुसार, सरकार ने ग्यारह राज्यों में बाइस अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का विनिश्चय किया था। इन अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की वर्तमान प्रास्थिति के संबंध में राज्य-वार संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार ने इन प्रत्येक न्यायालयों में लोक अभियोजक, पैरवी अधिकारी, नायक कोर्ट (हेड कांस्टेबल) और लिपिक की नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। न्यायालयों के लिए अवसंरचना और जनशक्ति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण-I

दर्शित ब्यौरा जहां विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं: (71 में से) तारीख 1.8.2013 को

क्र. सं.	राज्य का नाम	न्यायालय स्थान	न्यायालयों की संख्या	वर्ष जब से कार्यरत	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
हैदराबाद क्षेत्र					
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	03	2012	
		विशाखापट्टनम	02	2012	
2.	कर्नाटक	बंगलौर	02	2010	
		धारवाड़	01	2011	

1	2	3	4	5	6
पटना क्षेत्र					
3.	बिहार	पटना	03	2011	
4.	झारखंड	रांची	02	2011	
		धनबाद	04	2011	
दिल्ली क्षेत्र					
5.	दिल्ली	दिल्ली	15	2011 (9), 2012 (6)	
6.	राजस्थान	जयपुर	02	2011	
लखनऊ क्षेत्र					
7.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	04	2010	
		गाजियाबाद	02	2010	
मुंबई क्षेत्र-1					
8.	महाराष्ट्र	मुंबई	03	2010	राज्य सरकार ने गोवा में एक न्यायालय अनुमोदित किया है और उनके स्थान की
		नागपुर	01	2011	पहचान कर ली गई है।
		अमरावती	01	2011	
		पुणे	01	2011	
मुंबई क्षेत्र-2					
9.	गुजरात	अहमदाबाद	02	2011	
चंडीगढ़ क्षेत्र					
10.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू	01	2011	राज्य में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों की संख्या में कमी होने के कारण यह प्रस्ताव
11.	हरियाणा	पंचकुला	01	2011	शिमला स्थित विशेष न्यायालय द्वपारा छोड़ दिया गया था।
भोपाल क्षेत्र					
12.	मध्य प्रदेश	भोपाल	01	2009	
		जबलपुर	01	2009	

1	2	3	4	5	6
13.	छत्तीसगढ़	रायपुर	01	2012	
कोलकाता क्षेत्र					
14.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	06	2011 (3), 2012 (3)	

विवरण-II

तारीख 01.08.2013 को 22 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की प्रास्थिति

क्र. सं.	राज्य	प्रस्तावित न्यायालयों की संख्या	वर्तमान स्थिति
1.	विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	01	राज्य सरकार से प्रस्ताव प्रतीक्षारत है।
2.	गुवाहाटी, असम	01	राज्यों से सहमति की प्राप्ति के पश्चात् तारीख 26.03.2013 को जारी अनुमोदन।
3.	अहमदाबाद, गुजरात	05	राज्यों से सहमति की प्राप्ति के पश्चात् तारीख 09.04.2013 को जारी अनुमोदन।
4.	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	01	राज्यों से सहमति की प्राप्ति के पश्चात् तारीख 26.03.2013 को जारी अनुमोदन।
5.	एर्नाकुलम, केरल	01	राज्यों से सहमति की प्राप्ति के पश्चात् तारीख 26.03.2013 को जारी अनुमोदन।
6.	भोपाल, मध्य प्रदेश	01	
7.	नागपुर, महाराष्ट्र	02	राज्यों से सहमति की प्राप्ति के पश्चात् तारीख 26.03.2013 को जारी अनुमोदन।
8.	मुंबई, महाराष्ट्र	01	
9.	पटियाला, पंजाब	01	राज्य सरकार से प्रस्ताव प्रतीक्षारत है।
10.	जयपुर, राजस्थान	02	राज्य सरकार से प्रस्ताव प्रतीक्षारत है।
11.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	02	राज्य सरकार से प्रस्ताव प्रतीक्षारत है।
12.	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	01	
13.	अलीपुर, पश्चिमी बंगाल	02	राज्यों से सहमति की प्राप्ति के पश्चात् तारीख 05.04.2013 को जारी अनुमोदन।
14.	आसनसोल, पश्चिमी बंगाल	01	
	योग	22	

एयरपोर्ट मेट्रो के किराए में कमी

1400. श्री मानिक टैगोर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के किराए कम करने तथा इस मार्ग पर मेट्रो सेवाओं की बारंबारता बढ़ाने के लिए मेट्रो यांत्रियों से अनुरोध मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डीएमआरसी को प्राप्त इन सुझावों पर कौन सी कार्रवाई प्रस्तावित है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि उन्हें व्यस्ततम समय में ट्रेनों के फेरे बढ़ाने और किराए में कमी/उसे युक्तिसंगत बनाने के लिए अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ग) डीएमआरसी ने व्यस्ततम समय में ट्रेनों के फेरे पहले ही बढ़ा दिए हैं। ट्रेनों के हेडवे को पूर्व के 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट 30 सेकेंड कर दिया गया है। अभी किराए में कमी पर विचार नहीं किया गया है।

न्यायपालिका में आरक्षण नीति

1401. श्री सुखदेव सिंह : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों के लिए न्यायपालिका में उच्च पदों को आरक्षित करने हेतु नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) उच्चतन न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्रमश: भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है। यह अनुच्छेद किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं। तथापि, सरकार ने, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और स्त्रियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजे जाने का अनुरोध किया है।

भारत के संविधान के अधीन, देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और प्रोन्नति, राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिकतम राज्यों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित पात्र अभ्यर्थियों के लिए राज्य न्यायिक सेवा में पदों के आरक्षण का उपबंध किया है।

चन्द्रयान-दो

1402. डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रयान-दो रुस के समझौते के बिना अकेले भारत का ही मिशन होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके कारण से मिशन के स्वरूप में यदि कोई परिवर्तन हुआ है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 2014/15 में प्रक्षेपित किए जाने वाले चन्द्रयान-दो के एवं लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ भूकम्पमापी भेजने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सेंसरों को उन्नत बनाया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अंतरि अनुसंधान संगठन (इसरो) और रुसी फेडरल अंतरिक्ष एजेंसी (रॉसकॉसमॉस) एक संयुक्त मिशन के रूप में चंद्रयान-2 पर कार्य करते रहे हैं, जिसके अंतर्गत चंद्र अवतरक तैयार करने की जिम्मेदारी रॉसकॉसमॉस की थी और परिभ्रमक माडयू, कक्षित्र एवं जीएसएलवी द्वारा प्रमोचन की जिम्मेदारी इसरो की थी। प्रारंभिक अभिकल्पना और सितंबर 2008 में सरकार के अनुमोदन (जीएसएलवी एवं अवतरक की लागत के अलावा रुपए 425 करोड़ की लागत) के अनुसार चंद्रयान-2 भारत के ग्रहीय खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसरों ने (चन्द्रयान-1 के माध्यम से) चंद्र कक्षित्र के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित की है। परिभ्रमक माडयूल

तथा कक्षित्र एवं परिभ्रमक के साथ भेजे जाने वाले कुछ वैज्ञानिक उपकरणों के विकास में अच्छी प्रगति हुई है। इसरो में चंद्र अवतरक हेतु कुछ परीक्षणात्मक अध्ययन भी प्रारंभ किए गए हैं।

फोबोस के एक नमूना वापसी मिशन (मंगल मिशनों में से एक) जैसे रुस की अगुवाई वाले अंतरग्रहीय मिशन फोबोस-ग्रंट की विफलता के परिणामस्वरूप रॉसकॉसमॉस ने अपने ग्रहीय मिशनों की विश्वसनीयता को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे चंद्र अवतरक (चन्द्रयान-2 के लिए निर्धारित) का द्रव्यमान बढ़ेगा। रॉसकॉसमॉस ने सुझाव दिया कि इसरो 2015 अथवा 2017 के लिए निर्धारित प्रमोचन हेतु भारतीय परिभ्रमक प्रदान कर सकता है तथा यह भी संकेत दिया कि 2015 के अवसर में परिभ्रमक के लिए द्रव्यमान की सीमा है तथा इसमें अधिक जोखिम शामिल है।

चूंकि रुसी पक्ष से प्राप्त इन सूचना निवेशों ने एक प्रमुख कार्यक्रम संबंधी पुनर्गठबंधन की आवश्यकता उत्पन्न की, अल्प समय ढांचे में एक अवतरक यान की अभिकल्पना एवं नियोजन की हमारी क्षमता को क्रांतिक मूल्यांकन करने हेतु चन्द्रयान-2 पर एक समेकित कार्यक्रम संबंधी समीक्षा (प्रो. यूआर राव की अध्यक्षता में) की गई। चन्द्रयान-2 की समेकित समीक्षा में यह सिफारिश की गई कि भारत अगले कुछ वर्षों में अवतरक माडयूल प्राप्त कर सकता है। इस समय प्रस्तावित भारतीय परिभ्रमक और अवतरक माडयूलों के लिए अंतरिक्षयान का पुनर्संरूपण किया जा रहा है।

संरूपण और मिशन की रूपरेखा में परिवर्तन का ब्यौरा तय किया जा रहा है।

(ग) वर्तमान में, अवतरक में भेजे जाने हेतु विचार किए गए संभावित नीतभारों की सूची में भूकंपमापी भी शामिल है। अवतरक के भार, आयतन और ऊर्जा की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए समय से अवतरक के नीतभारों को तय किया जाएगा।

(घ) प्रयोगशाला/इंजीनियरी मॉडलों की प्राप्ति के पश्चात् उड़ान मॉडलों पर सेंसरों का अंशांकन किया जाएगा।

संभार डाक वायु सेवा (एलपीएएस)

1403. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री एंटो एंटोनी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक ने हाल में सेवा संभार डाक वायु सेवा (एलपीएएस) नामक एक नई सेवा शुरू की है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसकी वर्तमान मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए एअर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या एलपीएएस को पूरे देश में उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन से स्थान चिन्हित किए गए हैं एवं एलपीएएस स्पीड पोस्ट सेवा से किस प्रकार भिन्न है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) से (च) संभार डाक वायु सेवा 17.06.2013 को प्रारंभ की गई है। यह कोई नई सेवा नहीं है बल्कि यह प्रेषण का एक अन्य माध्यम अर्थात् वर्ष 2004 में प्रारंभ संभार डाक सेवा के तहत वायु मार्ग द्वारा प्रेषण, उपलब्ध कराती है। संभार डाक वस्तुओं के वायु मार्ग द्वारा प्रेषण की सुविधा एअर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत 15 स्थानों यथा अगरतला, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, बंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, इम्फाल, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, तिरुवन्नतपुरम में उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में इसका आगे विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

वाकी-टाकी का विकास

1404. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाकी-टाकी की तरह निजी सुरक्षा के लिए टिकाऊ और सस्ते उपकरण विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे उपकरण का प्रतिरूप विकसित कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इस उपकरण के स्वदेशी विनिर्माण कब होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क)

से (घ) सरकार के पास वाकी-टाकी जैसे निजी सुरक्षा के लिए सस्ते और टिकाऊ उपकरण को तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः, इस प्रकार के किसी उपकरण का प्रतिरूप तैयार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

बीएसयूपी/आईएचएसडीपी/आरएवाई

1405. श्री हेमानंद बिसवाल : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों से उप-मिशन शहरी गरीबों को बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) एकीकृत आवासन और झुग्गी झोंपड़ी विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) एवं राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का वर्ष, योजना एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का वर्ष, योजना और प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक फलीभूत हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोई प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके परियोजना-वार क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की संपूर्ण अवधि में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवा उप मिशन (बीएसयूपी) के अंतर्गत कुल 630 प्रस्ताव और संघटित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत 1501 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 2010-11 और 2011-12 के दौरान बीएसयूपी व आईएचएसडीपी के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। मिशन की अवधि मार्च 2012 तक थी व इसे मार्च 2012 तक स्वीकृत की गई चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मार्च 2014 तक बढ़ा दिया गया है। अतः 2012-13 और 2013-14 में कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। 2.6.2011 को आरंभ की गई राजीव आवास योजना (रे) के आरंभिक चरण के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी से कुल 106 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। रे के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों में अनुमोदित 55 प्रायोगिक परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर 46 परियोजनाएं राज्य सरकारों को लौटा दी गई हैं।

(घ) और (ङ) मिशन की पूरी अवधि में केन्द्रीय स्वीकृति व निगरानी समिति (सीएसएमसी) और केन्द्रीय स्वीकृति समिति (सीएससी) द्वारा क्रमशः बीएसयूपी के अंतर्गत 13 प्रस्ताव और आईएचएसडीपी के अंतर्गत 49 प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी दी गई थी। रे के अंतर्गत अब तक सीएसएमसी द्वारा 5 प्रस्तावों को या तो स्वीकृति नहीं दी है या उन्हें आस्थगित रख दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकृत करने/आस्थगित रखने के कारणों में अन्यों के साथ-साथ प्रस्ताव कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुरूप और विधियों की अनुपलब्धता शामिल है।

विवरण-I

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवा (उप-मिशन-II)
कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2010-2011)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजना	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल रिहायशी इकाईयों की संख्या (न+3)	अनुमोदित कुल केन्द्रित अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली	1	7	1905.13	35940	893.88	1011.27
2.	गुजरात	1	2	27.61	544	12.49	15.12

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	झारखंड	2	3	159.71	4498	77.15	82.57
4.	राजस्थान	1	2	181.50	5814	88.11	93.39
5.	उत्तर प्रदेश	1	0	11.67	0	5.40	6.27
6.	पश्चिम बंगाल	2	12	710.67	15440	355.13	355.54
	कुल	8 शहर	26	2996.29	62236	1432.16	1564.13

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-II)

कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2010-2011)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजना	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी इकाई की कुल सं. (न+3)	अनुमोदित कुल केन्द्रिय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली	दिल्ली	पुदखुर्द, चरण-I में स्लमवासियों के लिए पांच मंजिला कम लागत के आवासों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	350.61	6480	164.81	185.81
2.	दिल्ली	दिल्ली	पुदखुर्द, चरण-II में स्लमवासियों के लिए पांच मंजिला कम लागत के आवासों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर	254.56	4560	115.52	139.04
3.	दिल्ली	दिल्ली	पुदखुर्द, चरण-III में स्लमवासियों के लिए पांच मंजिला कम लागत के आवासों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर	416.26	7720	195.76	220.53
4.	दिल्ली	दिल्ली	"बीएसयूपी के अंतर्गत सावदा घेवरा – चरण-3 में स्लमवासियों के लिए पांच मंजिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 7620 रिहायशी इकाईयों (जी+4) को निर्माण" के लिए डीपीआर (संशोधित परियोजना)	407.69	7620	192.96	214.73

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	दिल्ली	दिल्ली	"साइट स. ए-3, सुल्तानपुरी, दिल्ली में स्लमवासियों के लिए पांच मंजिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 1180 रिहायशी इकाईयों (जी+4) को निर्माण" के लिए डीपीआर	58.44	1180	27.94	30.50
6.	दिल्ली	दिल्ली	"सेक्टर 1-बी, चरण-II, द्वारका में में स्लमवासियों के लिए पांच मंजिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 980 रियाशी इकाईयों (जी+4) को निर्माण" के लिए डीपीआर	50.69	980	23.42	27.28
7.	दिल्ली	दिल्ली	"जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत पॉकेट-II, भलस्वा, जहांगीरपुरी, दिल्ली में स्लमवासियों के लिए पांच मंजिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 7400 रियाशी इकाईयों (जी+4) को निर्माण" के लिए डीपीआर	366.84	7400	173.48	193.36
8.	गुजरात	सूरत	एकता नगर नवी बसाहट और एकता नरग अदाजन, सूरत के पुनर्विकास के लिए टीपीएस सं.14 (पाल), एफपी-153 (II), टीपीएस सं. 31 (अदाजन) एफपी-51, टीपीएस सं.13, एफपी 30 में 544 आवासों के लिए निर्माण हेतु डीपीआर	17.03	544	7.45	9.57
9.	गुजरात	सूरत	कोसाड और भेस्तान-सूरत में डीपी आर-II-V और भाग-VI के बीएसयूपी परियोजना के स्थानों के भौतिक पर्यावरण के डन्नयन के लिए डीपीआर (डीपीआर-XI)	10.58	0	5.04	5.55
10.	झारखंड	धनबाद (चरण-V)	धनबाद, चरण-V, जिला धनबाद, झारखंड में शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं	25.95	658	12.36	13.59
11.	झारखंड	जमशेदपुर (चरण-II)	जमशेदपुर अधिसूचित और समिति (जेएनएसी) द्वारा कार्यान्वित किए	94.00	2888	45.85	48.15

1	2	3	4	5	6	7	8
			जाने वाले बीएसयू, जमशेदपुर, चरण-II (17 स्लमों) के लिए डीपीआर				
12.	झारखंड	जमशेदपुर (चरण-II) (आदित्यपुर)	जमशेदपुर, चरण-II (आदित्यपुर), जिला पूर्वी सिंघभूम, झारखंड में शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं	39.77	952	18.94	20.83
13.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर में जेडीए के अंतर्गत 17 स्लमों के पुनर्स्थापन की बीएसयूपी परियोजना	94.00	2922	45.63	48.37
14.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर के लिए जेडीए के अंतर्गत 14 स्लमों के पुनर्स्थापन की बीएसयूपी परियोजना	87.50	2892	42.48	45.03
	12.9.11 को परियोजना रद्द की गई	जयपुर (संशोधित)	जयपुर के लिए अंजमनगर भट्टा बस्ती के लिए पुनर्विकास की बीएसयूपी परियोजना				
	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	उत्तर प्रदेश लखनऊ, लखनऊ की बीएसयूपी स्कीम में अतिरिक्त अवस्थापना घटक (8वें सीएसएमसी में अनुमोदित)	11.67	0	5.40	6.27
15.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर	दुर्गापुर (चरण-IV), बर्दवान, पश्चिम बंगाल के कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	35.78	912	17.89	17.89
16.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता दनकुनी (चरण-I)	दनकुनी (चरण-I), हुघली, पश्चिम बंगाल के कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	76.31	1499	38.16	38.16
	पश्चिम बंगाल	कुमारतुली ट्रांजिस्ट एससीओ. कोलकाता (अतिरिक्त)	पश्चिम बंगाल कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा रबिन्द्र सरानी, कोलकाता में जेएनएनयूआरएम की बीएसयूपी स्कीम के अंतर्गत कुमारतुली के कारीगरों के लिए कुमारतुनली (अस्थाई आवास) की पुनर्विकास परियोजना	6.08	200	3.04	3.04
17.	पश्चिम बंगाल	भरतपुर (चरण-I) कोलकाता	भटपारा (चरण-II), नार्थ 24 पटनगनाज, बंगाल के कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	6.56	1947	34.78	34.78

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	पश्चिम बंगाल	कंचरापारा (चरण-II), कोलकाता	कंचरापारा (चरण-II), नार्थ 24 पटनगनाज, बंगाल के कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	10.77	240	5.38	5.38
19.	पश्चिम बंगाल	कोन्नानगर (चरण-III) कोलकाता	कोन्नानगर (चरण-III), हुघली के कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	49.31	1197	24.65	24.65
20.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता सीरमपुर (चरण-III)	सीरमपुर (चरण-III), हुघली के कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम (संशोधित)	77.88	1598	38.74	39.14
21.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता हालीसहर-II	हालीसहर, (चरण-II), नार्थ 24 परगनाज पश्चिम बंगाल के कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	26.82	500	13.41	13.41
22.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता मध्यमग्राम (चरण-III)	मध्यमग्राम (चरण-III), नार्थ 24 पश्चिम बंगाल के कस्बे के लिए बीएसयूपी डीपीआर	75.01	1406	37.51	37.51
23.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता राजरहाट, गोपाल पुर (चरण-III)	राजरहाट, गोपलपुर (चरण-III), नार्थ 24 पश्चिम बंगाल के कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	77.45	1573	38.72	38.72
24.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता राजरहाट, गोपाल पुर (चरण-IV)	राजरहाट, गोपलपुर (चरण-IV), नार्थ 24 पश्चिम बंगाल के कस्बे के लिए बीएसयूपी स्कीम	71.36	1469	35.68	35.68
25.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (नार्त डम-डम) चरण-III	उत्तरी डम-डम (चरण-III), नार्थ 24 परगनाज (उत्तरी) पश्चिम बंगाल के के कस्बे के लिए जेएनएनयूआरएम की बीएसयूपी स्कीम के अंतर्गत स्लमों का एकीकृत विकास	90.55	2000	45.27	45.27
26.	पश्चिम बंगाल	(टीटागढ़ नगर क्षेत्र) कोलकाता मेट्रोपोलियन एरिया	"टीटागढ़ नगर क्षेत्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के 17" में बीएसयूपी-जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं के लिए डीपीआर	43.81	899	21.90	21.90
	कुल	8 शहर		2996.29	62236	1432.16	1564.13

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-II) कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2011-2012)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजना	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	कुल अनुमोदित रिहायशी यूनिट (नवीन + उन्नयन)	कुल अनुमोदित केन्द्रित अंश	कुल अनुमोदित राज्य अंश
1.	आंध्र प्रदेश	1	2	172.27	5160	113.07	59.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	17.55	240	15.65	1.90
3.	चंडीगढ़ (यूटी)	1	1	11.55	0	8.62	2.92
4.	छत्तीसगढ़	1	4	218.77	5248	171.61	47.17
5.	दिल्ली	1	3	741.92	12260	330.51	411.42
6.	गुजरात	4	7	401.52	10800	216.22	185.30
7.	कर्नाटक	1	1	10.96	170	4.68	6.29
8.	तमिलनाडु	1	1	15.79	500	7.89	7.89
9.	महाराष्ट्र	4	11	638.74	10442	326.88	311.85
10.	पंजाब	2	2	96.42	2224	48.21	48.21
11.	उत्तर प्रदेश	1	1	11.28	225	4.80	6.48
12.	पश्चिम बंगाल	1	15	558.67	11423	277.71	280.97
	कुल	19 शहर	50	2895.44	58692	1525.85	1369.60

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-II)
कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2011-2012)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजना	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी इकाई की कुल सं.	कुल अनुमोदित केन्द्रिय अंश	कुल अनुमोदित राज्य अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	तिरुपति आंध्र प्रदेश में 1800 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए विकृतमाला ले आऊट में बीएसयूपी आवास विकास परियोजना।	73.03	1800	54.13	18.89

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति (पडिपेरा और अविलाला-I)	पडिपेरा और अविलाला-I, तिरुपति जिला चित्तोर आंध्र प्रदेश के पुनर्स्थापन स्थल में स्लमवासियों को आवास और अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान।	99.24	3360	58.94	40.31
3.	अरुणाचल प्रदेश	(निरजुली) इटानगर (फेज-I)	निरजुली, अरुणाचल प्रदेश में 96 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी आवास स्कीम" चरण-I हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	5.87	96	5.13	0.76
4.	अरुणाचल प्रदेश	(निरजुली) इटानगर (फेज-I)	निरजुली, बांदेरडेवा, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश में 144 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी आवास स्कीम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	11.68	144	10.52	1.17
5.	चंडीगढ़ (सं.रा.क्षेत्र)	धनास, चंडीगढ़	(संशोधित) चंडीगढ़ में 19360 फ्लैटों के स्लम पुनर्वासन परियोजना के अंतर्गत धनास में 8448 के लिए सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण हेतु अनुपूरक विस्तृत परियोजना रिपोट।	11.55	0	8.692	2.92
6.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (छत्तीसगढ़) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट-I में 512 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना।	21.12	512	16.61	4.51
7.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (छत्तीसगढ़) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट-II में 1648 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना।	69.40	1648	54.33	15.07
8.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (छत्तीसगढ़) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट-III में 2048 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना।	86.01	2048	67.39	18.62
9.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (छत्तीसगढ़) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट-IV में 1040 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना।	42.24	1040	33.27	8.97

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	दिल्ली	दिल्ली	सल्म पुनर्स्थापन परियोजना कंजावला में ईडब्ल्यूएस हाऊसिंग।	229.83	3600	102.68	127.14
11.	दिल्ली	दिल्ली	"टिकली कलां, चरण-I में स्लम-वासियों के लिए पांच मंजिले-ईडब्ल्यूएस आवास के निर्माण" हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।	490.21	8420	219.96	270.25
12.	दिल्ली	दिल्ली	"बकरवाला दिल्ली में स्लमवासियों के लिए 240 ईडब्ल्यूएस रिहायशी ईकाईयों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।	21.89	240	7.87	14.02
13.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद नगर निगम, अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर शहरी गरीबों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए 1184 रिहायशी ईकाईयों के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (चरण-II)।	40.00	1184	20.00	20.00
14.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद नगर निगम, अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर शहरी गरीबों के लिए 18796 आवास (चरण-I) हेतु पूर्ववर्ती स्वीकृत सामाजिक अवसंरचना निर्माण के लिए अनुपूरक डीपीआर जिन्हें शुरू नहीं किया गया था।	3.73	0	1.87	1.87
15.	गुजरात	राजकोट	राजकोट में स्लमवासियों के स्वथाने विकास के लिए नए 2624 डीयू के निर्माण का बीएसयूपी आवास स्कीम	94.52	2624	45.86	48.65
16.	गुजरात	पोरबंदर	बोखिरा पोरबंदर के आरएस सं. 603/1 में 2448 डीयू के निर्माण के लिए बीएसयूपी आवास स्कीम।	81.25	2448	62.49	18.76
17.	गुजरात	बडौदरा	बीएसयूपी चरण-I (आंगनवाड़ी और परिसर बाड़ा) के लिए अड्डी परियोजना अनुपूरक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।	1.31	0	0.64	0.68
18.	गुजरात	बडौदरा	2336 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए बडोदरा, चरण-IV में स्लम	92.84	2336	44.15	48.68

1	2	3	4	5	6	7	8
			में आवास विकास और उन्नयन के लिए बीएसयूपी परियोजना				
19.	गुजरात	बडोदरा	2208 रिहायशी इकाईं के निर्माण के लिए बडोदरा, चरण-IV में स्लम में आवास विकास और उन्नयन के लिए बीएसयूपी परियोजना	87.87	2208	41.21	46.66
20.	कर्नाटक	बैंगलौर	डोडडाबिदारीकल्लू, बैंगलूर में कामगारों के लिए आवास	10.96	170	4.68	6.29
21.	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर, महाराष्ट्र के 3 स्लमों नामत: श्रावस्ती नगर, संजय नगर और सेवादल नगर में 850 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी स्कीम।	50.79	850	22.31	28.48
22.	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर, महाराष्ट्र में 2 स्लमों नामत: बेजोन बाग-II (गौतम नगर) तथा लुम्बिनी नगर स्लम में 376 डीयू के निर्माण के लिए बीएसयूपी स्कीम	28.06	376	12.33	15.74
23.	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर, महाराष्ट्र में 1 स्लमों नामत: पठराबोदी स्लम में 360 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी स्कीम।	19.79	360	8.69	11.10
24.	महाराष्ट्र	(बागुर) नाशिक	बागुर कस्बा, नाशिक क्षेत्र, महाराष्ट्र में बीएसयूपी का कार्यान्वयन।	9.44	180	4.29	5.15
25.	महाराष्ट्र	बोलिवाली, कुलगांव बदलापुर एमआर)	बोलिवाली, कुलगांव बदलापुर, जिला (मुंबई ठाणे, महाराष्ट्र (एमएमआर) में 1280 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी स्कीम।	61.22	1280	27.58	33.63
26.	महाराष्ट्र	बोलिवाली, कुलगांव बदलापुर (मुंबई एमआर)	खारवेल, कुलगांव बदलापुर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र (एमएमआर) में 1728 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए बीएसयूपी स्कीम।	80.78	1728	36.48	44.30

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	महाराष्ट्र	अमबरनाथ (मुंबई एमआर)	प्रकाशन नगर, और स्वामी नगर, अंबरनाथ (मुंबई महानगर क्षेत्र), जिला-ठाणे, महाराष्ट्र में शहरी गरीबों को बुनिादी सेवाओं की एकीकृत सुपुर्दगी।	49.42	896	22.19	27.23
28.	महाराष्ट्र	थाणे	बीएसयूपी डीपीआर-IV (दैघर और कौसा में बीएसयूपी का कार्यान्वयन)	98.22	1142	49.11	49.11
29.	महाराष्ट्र	थाणे	बीएसयूपी डीपीआर-III (बीएसयूपी के अंतर्गत नौपाड़ा में स्लम का पुनर्विकास) ठाणे, महाराष्ट्र	98.70	1160	49.35	49.35
30.	महाराष्ट्र	उल्हासनगर (थाणे)	राजीव गांधी और बालकृष्ण नगर, उल्हासनगर, महाराष्ट्र में शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं की एकीकृत सुपुर्दगी।	47.99	792	22.69	25.30
31.	महाराष्ट्र	नांदेड़	नांदेड़ शहर, जिला-नांदेड़ महाराष्ट्र में बीएसयूपी के अंतर्गत एकीकृत आवास परियोजनाओं का कार्यान्वयन।	94.33	1678	71.87	22.46
32.	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर, पंजाब में बीएसयूपी के अंतर्गत स्लम पुनर्स्थापन परियोजना (1328 डीयू)	58.20	1328	29.10	29.10
33.	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना, पंजाब में बीएसयूपी के अंतर्गत स्लम पुनर्स्थापन परियोजना (896 डीयू)	38.22	896	19.11	19.11
34.	तमिलनाडु	आवड़ी, चेन्नई	आवड़ी नगर निगम (चरण-II) चेन्नई में 500 आवासों और अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण	15.79	500	7.89	7.89
35.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	किदवई नगर, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश) में अवसंरचना सुविधाओं के साथ 225 डीयू के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना का कार्यान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	11.28	225	4.80	6.48
36.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	"सेन पल्ली-(सरदार बस्ती) के लिए बीएसयूपी परियोजना" हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	2.10	36	1.02	1.08

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	"महेन्द्र रॉय लेन के लिए बीएसयूपी परियोजना" हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	17.67	300	8.49	9.17
38.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	"धारा पारा" के लिए बीएसयूपी परियोजना" हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	7.43	112	3.54	3.89
39.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	"छेड़ा हांट" के लिए बीएसयूपी परियोजना" हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	1.72	16	0.83	0.88
40.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	"केनल साऊथ रोड" के लिए बीएसयूपी परियोजना" हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	30.00	500	14.47	15.54
41.	पश्चिम बंगाल	भटपारा नगर पालिका (चरण-III) कोलकाता	भटपारा नगर पालिका (चरण-III) के 8 स्लामों में 1034 डीयू (स्वस्थाने) के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना	30.00	1034	21.59	21.59
42.	पश्चिम बंगाल	भटपारा (चरण-IV) कोलकाता	भटपारा नगर पालिका (चरण-IV) के 5 स्लामों में 799 डीयू (स्वस्थाने) के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना (चरण-IV)	38.11	799	19.06	19.06
43.	पश्चिम बंगाल	कंचनपारा (चरण-III) कोलकाता	कंचनपारा नगर पालिका (चरण-III) के 7 स्लामों में 1031 डीयू (स्वस्थाने) के निर्माण के लिए बीएसयूपी परियोजना	43.33	1031	21.66	21.66
44.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता एमए (हलिशहर, चरण-III)	हलिशहर कस्बा, चरण-III, 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम	98.48	2192	49.24	49.24
45.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (उल्टादंगा)	1000 रिहायशी इकाईयों के लिए कोलकाता सुधार ट्रस्ट के अंतर्गत उल्टादंगा के लिए बीएसयूपी परियोजना	47.06	1000	23.53	23.53
46.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (बारानगर)	बारानगर कस्बा, (चरण-II), 25 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम	36.92	837	18.46	18.46

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (लिए राजपुर सोनारपुर चरण-III)	"1728 डीयू के लिए राजपुर-सोनारपुर नगरपालिका (चरण-III) हेतु बीएसयूपी परियोजना" के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	98.53	1728	48.90	49.62
48.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता एमए महरोतला कस्बा, चरण-III	महरोतला कस्बा, चरण-III, 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल के लिए बीएसयूपी स्कीम	27.42	500	13.71	13.71
49.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता महेश्तला-नगरपालिका चरण-IV)	1184 डीयू के लिए महेशतला नगरपालिका (चरण-IV) हेतु बीएसयूपी परियोजना	60.78	1184	30.22	30.56
50.	पश्चिम	कोलकाता (चंदरनगर, चरण-IV)	चंदरनगर नगर पालिका के तीन स्लमों में 154 डीयू और अवसंरचना विकास के स्व-स्थाने विकास के लिए बीएसयूपी चरण-IV	5.92	154	2.96	2.96
	कुल	19 शहर		2895.44	58692	1525.85	1369.60

विवरण-II

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2011-2012)

क्र. सं.	राज्य का नाम	यूएलबी/ कस्बे का नाम	कुल अनुमोदित परियोजना	कुल अनुमोदित परियोजना	अनुमोदित कुल रिहायशी यूनिट (न्यू+उन्नयन)	कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार	7	7	326.04	9681	150.91	175.12
2.	गोवा	1	1	4.10	70	1.40	2.70
3.	गुजरात	12	12	176.58	7144	98.83	77.74
4.	हरियाणा	8	8	49.33	195	37.73	11.60
5.	हिमाचल प्रदेश	1	1	2.39	89	1.30	1.09

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	मध्य प्रदेश	7	7	30.56	1155	18.82	11.74
7.	मिज़ोरम	3	3	16.80	600	11.26	5.54
8.	राजस्थान	11	11	243.24	6918	111.12	132.12
9.	मणिपुर	1	1	26.83	1385	19.85	6.99
10.	महाराष्ट्र	36	43	1145.05	40474	641.20	503.86
11.	नागालैंड	2	2	30.00	670	19.69	10.31
12.	ओडिशा	4	4	17.45	662	11.37	6.08
13.	पंजाब	2	2	23.70	925	12.10	11.59
14.	तमिलनाडु	10	10	93.18	4826	62.71	30.46
15.	उत्तर प्रदेश	6	6	59.92	1495	33.70	26.22
16.	उत्तराखंड	1	1	16.27	378	7.35	8.92
	कुल	112	119	2261.44	76667	1239.36	1022.08

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2011-2012)

क्र. सं.	राज्य का नाम	यूएलबी/कस्बे का नाम	कुल अनुमोदित परियोजना	कुल अनुमोदित परियोजना	अनुमोदित कुल रिहायशी यूनिट (न्यू+उन्नयन)	कुल केंद्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार	बारह फेज-II	1	20.30	500	10.69	9.61
2.	बिहार	बेलसंद	1	50.55	1487	20.87	29.68
3.	बिहार	मकोमा	1	69.54	1950	34.25	35.29
4.	बिहार	नौबतपुर	1	49.07	1500	22.21	26.86
5.	बिहार	नबी नगर	1	43.67	1277	21.70	21.97
6.	बिहार	पूर्णिया चरण-II	1	50.87	1615	22.65	28.22
7.	बिहार	टाकुरगंज	1	42.04	1352	18.54	23.50
	कुल	7	7	326.04	9681	150.91	175.12

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	आनंद	1	11.64	464	6.16	5.49
2.	गुजरात	चारेवाड़	1	28.17	1088	15.78	12.39
3.	गुजरात	चोटिला	1	5.61	240	3.17	2.44
4.	गुजरात	देहगाम	1	7.45	256	4.45	3.00
5.	गुजरात	ईदर	1	24.72	1056	13.99	10.73
6.	गुजरात	कोदिनार	1	13.76	512	7.92	5.83
7.	गुजरात	कुटीआना	1	11.90	608	6.73	5.16
8.	गुजरात	कर्णजन	1	12.28	512	6.52	5.77
9.	गुजरात	मोरबी	1	27.52	1008	15.53	11.99
10.	गुजरात	पादरा	1	4.14	168	2.25	1.89
11.	गुजरात	संतरामपुर	1	5.38	272	3.05	2.33
12.	गुजरात	वीरावल-पटान	1	24.01	960	13.28	10.73
	कुल	12	12	176.58	7144	98.83	77.74
1.	गोवा	कनसोलिम	1	4.10	70	1.40	2.70
	कुल	1	1	4.10	70	1.40	2.70
1.	हिमाचल प्रदेश	सरकाघाट फेज-I	1	2.39	89	1.30	1.08
	कुल	1	1	2.39	89	1.30	1.09
1.	हरियाणा	अम्बाला सिटी फेज-II	1	5.94		4.70	1.23
2.	हरियाणा	अंबाला सदर चरण-II	1	6.15		4.87	1.28
3.	हरियाणा	नारायणगढ़ चरण-II	1	5.19		4.11	1.08
4.	हरियाणा	हिसार द्वितीय चरण	1	17.93	195	12.88	5.05
5.	हरियाणा	जगाधरी चरण-II	1	5.94	0	4.76	1.19
6.	हरियाणा	कालका चरण-II	1	0.98	0	0.71	0.27
7.	हरियाणा	पिंजौर चरण-II	1	0.83	0	0.60	0.23
8.	हरियाणा	यमुनानगर चरण-II	1	6.37	0	5.10	1.27
	कुल	8	8	49.33	195	37.73	11.60

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मध्य प्रदेश	चौराई	1	5.73	266	3.98	1.76
2.	मध्य प्रदेश	जीरान	1	3.77	126	2.31	1.46
3.	मध्य प्रदेश	रतनगढ़	1	4.18	135	2.59	1.59
4.	मध्य प्रदेश	मल्हारगढ़	1	4.40	144	2.55	1.85
5.	मध्य प्रदेश	पंधुरना	1	3.00	140	2.08	0.92
6.	मध्य प्रदेश	पिपलियामंडी	1	2.73	88	1.64	1.09
7.	मध्य प्रदेश	टेंडुखेडा	1	6.75	256	3.68	3.07
	कुल	7	7	30.56	1155	18.82	11.74
1.	मिज़ोरम	लवनगटलई	1	6.20	200	4.01	2.19
2.	मिज़ोरम	सैतुल	1	7.30	300	5.12	2.18
3.	मिज़ोरम	सहिया	1	3.30	100	2.14	1.16
	कुल	3	3	16.80	600	11.26	5.54
1.	मणिपुर	थोपाल-II	1	26.83	1385	19.85	6.99
		कुल	1	26.83	1385	19.85	6.99
1.	राजस्थान	अंता	1	27.62	963	11.61	16.01
	परियोजना रद्द 17.06.13	बेगुन					
2.	राजस्थान	देशहंक	1	16.20	391	9.29	6.91
3.	राजस्थान	जोधपुर फेज-III	1	12.58	373	5.51	7.08
4.	राजस्थान	कोटो फेज-III	1	33.91	752	13.34	20.57
5.	राजस्थान	मंगरौल	1	23.40	476	12.40	11.00
6.	राजस्थान	पिपर	1	24.76	654	12.73	12.03
7.	राजस्थान	फलाडी फेज-II	1	25.45	626	11.00	14.45
8.	राजस्थान	रामगंज मंडी	1	2.69	75	1.48	1.21
9.	राजस्थान	सरदार शहर	1	49.44	1802	21.47	27.97

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	राजस्थान	साहपुरा	1	11.16	317	5.25	5.91
11.	राजस्थान	सियोगंज	1	16.03	489	7.03	9.00
	कुल	11	11	243.24	6918.00	111.12	132.12
1.	महाराष्ट्र	अचलपुर चरण-II	1	33.24	1165	18.96	14.28
2.	महाराष्ट्र	अष्ट चरण-II	1	17.23	950	11.64	5.59
3.	महाराष्ट्र	अहमदपुर	1	3.38	81	2.04	1.33
4.	महाराष्ट्र	अहमदनगर चरण-I	1	13.21	480	8.12	5.08
5.	महाराष्ट्र	अहमदनगर चरण-II	1	12.36	372	6.93	5.43
6.	महाराष्ट्र	भंडारा चरण	1	38.75	1544	26.44	12.31
7.	महाराष्ट्र	बुलधाना चरण	1	37.11	1395	19.90	17.21
8.	महाराष्ट्र	बलापुर	1	40.38	1652	24.12	16.26
9.	महाराष्ट्र	चोपड़ा फेज-II	1	21.07	630	12.23	8.85
10.	महाराष्ट्र	चालीसगांव	1	39.95	1392	23.60	16.35
11.	महाराष्ट्र	चिकाली	1	45.94	1224	22.64	23.30
12.	महाराष्ट्र	डिगरास	1	22.06	952	13.87	8.19
13.	महाराष्ट्र	धुले फेज-II	1	34.96	1200	20.61	14.35
14.	महाराष्ट्र	डोडाइका-वरवाडे (फेज-II)	1	27.00	1100	16.88	10.13
15.	महाराष्ट्र	डोडाइका-वरवाडे (फेज-IV)	1	17.47	596	10.53	6.94
16.	महाराष्ट्र	इरानडोल	1	9.65	288	5.69	3.96
17.	महाराष्ट्र	जलगांव शहर	1	11.97	472	7.27	4.70
18.	महाराष्ट्र	कगाल	1	24.10	1002	16.64	7.46
19.	महाराष्ट्र	खामगांव फेज-II	1	22.24	710	12.99	9.25
20.	महाराष्ट्र	लोनार फेज II	1	23.53	606	13.17	10.36

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	महाराष्ट्र	मालेगांव (फेज-16)	1	55.60	1440	24.21	31.39
22.	महाराष्ट्र	मालेगांव (फेज-17)	1	53.44	1440	23.23	30.22
23.	महाराष्ट्र	मालेगांव (फेज-18)	1	51.96	1440	22.15	29.81
24.	महाराष्ट्र	मालेगांव (फेज-19)	1	53.05	1440	22.94	30.11
25.	महाराष्ट्र	मेहकर	1	52.20	1584	28.57	23.62
26.	महाराष्ट्र	मुर्तिजापुर फेज-II	1	21.34	620	12.53	8.80
27.	महाराष्ट्र	मोवाड	1	8.09	378	5.02	3.07
28.	महाराष्ट्र	ननदरबार	1	27.02	1176	15.22	11.80
29.	महाराष्ट्र	नरखेड फेज-II	1	38.66	1603	25.67	12.99
30.	महाराष्ट्र	नरखेड फेज-III	1	26.65	1189	17.50	9.15
31.	महाराष्ट्र	पातुर	1	14.62	572	8.81	5.82
32.	महाराष्ट्र	पंचगनी	1	4.33	76	2.08	2.25
33.	महाराष्ट्र	राहता	1	15.98	672	9.11	6.87
34.	महाराष्ट्र	सतारा	1	36.78	1473	22.19	14.60
35.	महाराष्ट्र	शिर्डी	1	7.74	376	4.84	2.89
36.	महाराष्ट्र	साहदा	1	33.91	1020	18.58	15.33
37.	महाराष्ट्र	तेलहारा	1	27.54	945	14.59	12.96
38.	महाराष्ट्र	तिरोरा (फेज-III)	1	17.95	900	11.88	6.07
39.	महाराष्ट्र	तिरोरा (फेज-V)	1	21.91	948	14.80	7.11
40.	महाराष्ट्र	तुलजापुर	1	25.06	920	13.21	11.85
41.	महाराष्ट्र	उर्मी	1	16.09	656	9.34	6.75
42.	महाराष्ट्र	वीटा	1	13.77	396	6.10	7.67
43.	महाराष्ट्र	वाशिम चरण-II	1	25.72	699	14.35	11.328
	कुल	36	43	1145.05	40474	641.20	503.86

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नागालैंड	तेसुमानिया	1	15.00	320	9.97	5.04
2.	नागालैंड	मेडजिपहेमा	1	15.00	350	9.73	5.27
	कुल	2	2	30.00	670	19.69	10.31
1.	ओडिशा	बुद्धागढ़	1	3.81	149	2.51	1.31
2.	ओडिशा	जगदीशसिंहपुर	1	4.19	162	2.78	1.41
3.	ओडिशा	जोडा	1	4.87	174	3.05	1.82
4.	ओडिशा	कुचचिंडा एनएसी/संबलपुर	1	4.58	177	3.04	1.54
	कुल	4	4	17.45	662	11.37	6.08
1.	पंजाब	बटाला	1	11.65	383	7.65	4.01
2.	पंजाब	जललाबाद	1	12.04	542	4.46	7.59
	कुल	2	2	23.70	925	12.10	11.59
1.	तमिलनाडु	चिन्नामपुर	1	15.82	950	10.48	5.34
2.	तमिलनाडु	होसुर	1	13.39	608	9.27	4.12
3.	तमिलनाडु	कुलटिहयाली	1	7.41	306	5.34	2.08
4.	तमिलनाडु	पलानी	1	16.36	874	11.11	5.25
5.	तमिलनाडु	पेरियाकुलम	1	2.16	118	1.42	0.74
6.	तमिलनाडु	परमाकुडी	1	7.15	520	4.54	2.61
7.	तमिलनाडु	रसियापुरम	1	3.34	136	2.37	0.97
8.	तमिलनाडु	सत्तूर	1	6.58	341	4.57	2.02
9.	तमिलनाडु	उसलियापट्टी	1	10.02	460	6.86	3.16
10.	तमिलनाडु	वेल्लोर	1	10.94	513	6.76	4.17
	कुल	10	10	93.18	4826	62.71	30.46
1.	उत्तर प्रदेश	बिलरिया गंज	1	4.68	125	2.53	2.15
2.	उत्तर प्रदेश	बुगरसई फेज-II	1	9.26	239	4.99	4.27

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	उत्तर प्रदेश	हुडई	1	15.48	451	8.05	7.42
4.	उत्तर प्रदेश	हस्तिनापुर चरण-II	1	13.18	306	7.66	5.53
5.	उत्तर प्रदेश	खुर्जा	1	6.89	119	4.32	2.56
6.	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर (03 मलिन बस्तियों)	1	10.44	255	6.15	4.29
	कुल	6	6	59.92	1495	33.70	26.22
1.	उत्तराखंड	रुद्रपुर	1	16.27	378	7.35	8.92
	कुल	1	1	16.27	378	7.35	8.92
	सकल योग	112	119	2261.44	76667	1239.36	1022.08

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2011-2012)

क्र. सं.	राज्य का नाम	यूएलबी/ कस्बे का नाम	कुल अनुमोदित परियोजना	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल रिहायशी यूनिट (नवी+उन्नयन)	कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश
1.	बिहार	5	5	156.63	5986	67.40	89.24
2.	हिमाचल प्रदेश	2	2	17.38	338	11.71	5.66
3.	जम्मू और कश्मीर	13	13	36.88	953	29.72	7.16
4.	झारखंड	3	3	74.59	3676	43.35	31.24
5.	राजस्थान	18	18	304.28	12647	196.00	108.28
6.	पंजाब	11	11	253.01	5328	99.76	153.25
7.	ओडिशा	2	2	8.17	316	5.42	2.75
8.	मध्य प्रदेश	5	5	26.46	1104	16.78	9.68
9.	उत्तर प्रदेश	15	15	299.77	8479	177.76	122.01
	कुल	74	74	1177.17	38827	647.90	629.27

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2010-2011)

क्र. सं.	राज्य का नाम	यूएलबी/कस्बे का नाम	कुल अनुमोदित परियोजना	कुल अनुमोदित परियोजना	अनुमोदित कुल रिहायशी यूनिट (न्यू+उन्नयन)	कुल केन्द्रिय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हिमाचल प्रदेश	सुदरनगर	1	9.99	208	6.63	3.36
2.	हिमाचल प्रदेश	सरकाघाट	1	7.39	130	5.08	2.31
	संपूर्ण	2	2	17.38	338	11.71	5.66
1.	जम्मू और कश्मीर	बडगाम (इन्फ्रास्ट्रक्चर)	1	0.75	0	0.67	0.08
2.	जम्मू और कश्मीर	चेन्नई	1	2.38	103	1.77	0.61
3.	जम्मू और कश्मीर	उड़ी	1	1.55	51	1.21	0.34
4.	जम्मू और कश्मीर	आरनिया	1	2.81	124	2.08	0.73
5.	जम्मू और कश्मीर	भद्रवाह	1	2.45	103	1.83	0.62
6.	जम्मू और कश्मीर	बिलावर	1	3.53	175	2.54	0.99
7.	जम्मू और कश्मीर	चक मलाल	1	2.12	92	1.57	0.55
8.	जम्मू और कश्मीर	दोरु विराग	1	2.49	82	1.94	0.55
9.	जम्मू और कश्मीर	कलाकोटे	1	3.34	140	2.49	0.84
10.	जम्मू और कश्मीर	कोकरेमार्ग	1	2.63	83	2.07	0.57
11.	जम्मू और कश्मीर	लेह	1	9.85	0	8.86	0.98

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	जम्मू और कश्मीर	गांदरबल (इन्फ्रास्ट्रक्चर)	1	1.34	0	1.20	0.13
13.	जम्मू और कश्मीर	संबल (इन्फ्रास्ट्रक्चर)	1	1.66	0	1.49	0.17
	संपूर्ण	13	13	36.88	953	29.72	7.16
1.	झारखंड	चतरा पीएचडी-मैं	1	19.83	932	11.72	8.10
2.	झारखंड	मिहिजाम	1	27.07	1391	15.48	11.59
3.	झारखंड	सरायकेला	1	27.69	1353	16.15	11.55
	संपूर्ण		1	74.59	3676	43.35	31.24
1.	राजस्थान	अनूपगढ़	1	16.39	592	10.75	5.65
2.	राजस्थान	बिलारा	1	13.96	574	9.35	4.61
3.	राजस्थान	भद्रा	1	37.69	1332	24.25	13.44
4.	राजस्थान	बांसवाड़ा	1	4.23	217	2.66	1.56
5.	राजस्थान	छोटी सदरी	1	9.22	380	6.20	3.02
6.	राजस्थान	चितौड़गढ़ चरण-I	1	10.93	433	7.33	3.61
7.	राजस्थान	जैसलमैर चरण-II	1	32.81	1497	21.87	10.94
8.	राजस्थान	कैतून	1	5.06	327	3.45	1.61
9.	राजस्थान	ककेरी	1	18.60	871	12.77	5.83
10.	राजस्थान	कोटा चरण-II	1	28.58	845	15.14	13.44
11.	राजस्थान	निमबहेरा	1	11.06	457	7.59	3.47
12.	राजस्थान	पिंडवारा	1	13.26	686	8.00	5.269
13.	राजस्थान	पिलीभंगा	1	6.41	244	4.27	2.14
14.	राजस्थान	रावतसर	1	30.69	1398	18.51	12.18
15.	राजस्थान	रावतभाटा	1	36.55	1439	25.16	11.38
16.	राजस्थान	संगौद	1	9.01	442	6.09	2.93

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	राजस्थान	सुमेरपुर	1	10.36	529	6.64	3.72
18.	राजस्थान	टोंक चरण-II	1	9.45	384	5.97	3.48
	संपूर्ण	18	18	304.28	12647	196.00	108.28
1.	पंजाब	भटिंडा चरण-I	1	26.32	592	9.89	16.43
2.	पंजाब	भटिंडा चरण-II	1	59.85	1328	23.27	36.57
3.	पंजाब	बुडलदा	1	17.92	384	6.90	11.02
4.	पंजाब	बिहकई (वॉर्ड-5)	1	5.02	64	2.42	2.61
5.	पंजाब	बिहकाई (वॉर्ड-12)	1	15.01	304	5.91	9.10
6.	पंजाब	बरेटा चरण-I	1	19.75	400	7.91	11.84
7.	पंजाब	बरेटा चरण-II	1	12.14	240	4.86	7.28
8.	पंजाब	मनसा	1	12.99	240	5.37	7.62
9.	पंजाब	मौर	1	30.47	672	11.74	18.73
10.	पंजाब	सरदूलगढ़ चरण-I	1	34.52	704	14.08	20.44
11.	पंजाब	सरदूलगढ़ चरण-II	1	19.03	400	7.41	11.62
	संपूर्ण	11	11	253.01	5328	99.76	153.25
1.	मध्य प्रदेश	सांगली	1	3.69	120	2.28	1.41
2.	मध्य प्रदेश	अमरवाडा	1	6.57	274	3.82	2.75
3.	मध्य प्रदेश	जीरापरु	1	4.00	145	2.39	1.61
4.	मध्य प्रदेश	महिदपुर	1	8.38	441	5.93	2.45
5.	मध्य प्रदेश	दिकेन	1	3.82	124	2.36	1.46
	संपूर्ण	5	5	26.46	1104	16.78	9.68
1.	ओडिशा	पठानगढ़	1	4.11	159	2.72	1.38
2.	ओडिशा	फूलबनी	1	4.06	157	2.70	1.37
	संपूर्ण	2	1	8.17	316	5.42	2.75
1.	उत्तर प्रदेश	अकरामपुर शहर	1	12.88	345	6.99	5.89

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	उत्तर प्रदेश	बछरावन	1	11.40	284	7.02	4.39
3.	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर	1	23.87	750	14.85	9.02
4.	उत्तर प्रदेश	फ़ैजाबाद सिटी, फेज-2	1	41.95	1197	25.31	16.64
5.	उत्तर प्रदेश	गिरार	1	16.10	450	9.62	6.48
6.	उत्तर प्रदेश	कोझीपुर	1	6.08	180	3.63	2.45
7.	उत्तर प्रदेश	लालगंज	1	9.62	246	6.31	3.31
8.	उत्तर प्रदेश	मऊ शहर	1	19.22	479	10.73	8.49
9.	उत्तर प्रदेश	मुसाफिर खाना	1	15.86	534	9.91	5.95
10.	उत्तर प्रदेश	पीपी गंज	1	19.02	544	11.29	7.72
11.	उत्तर प्रदेश	पडरौना	1	29.94	912	17.73	12.21
12.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	1	37.38	1031	22.42	14.96
13.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली (07 स्लम)	1	19.19	429	12.08	7.10
14.	उत्तर प्रदेश	साडिला, हरदोई	1	8.00	252	4.68	3.33
15.	उत्तर प्रदेश	तकुरवाडा, चरण-II	1	29.26	846	15.20	14.06
	संपूर्ण	15	15	299.77	8479	177.76	122.01
	महायोग	74	74	1,177.17	38827	647.90	529.27

विवरण-III

राजीव आवास योजना (रे)

कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2013-2014)

करोड़ रुपए

01.08.2013 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य का नाम/ संघ राज्य क्षेत्र	शहर	अनुमोदित परियोजना	स्वीकृत कुल रिहायशी इकाई (न+उ)	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	प्रथम जारी किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत चिम्पू गांव, ईटानगर शहर में	576	44.31	38.73	5.58	12.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			अवस्थापना समेत 576 (जी+3) किराया आवासों के निर्माण के लिए प्रायोगिक डीपीआर					
2.	छत्तीसगढ़	भिलाई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत भिलाई में घासीदास नगर स्लम के लिए प्रायोगिक परियोजना, छत्तीसगढ़	1600	66.80	30.59	36.21	10.20
3.	छत्तीसगढ़	कोरबा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कोरबा में कुवनभट्टा स्लम के लिए प्रायोगिक परियोजना	320	12.81	5.86	6.94	1.95
4.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अशोक नगर स्लमों, वार्ड सं. 42, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के लिए प्रायोगिक परियोजना,	720	35.67	16.324	19.33	5.45
5.	गुजरात	अहमदाबाद	राजीव आवास योजना के अंतर्गत जादीबन नगर-इंदिरानगर में 924 रिहायशी इकाईयों का निर्माण तथा 163 रिहायशी इकाईयों का निर्माण हेतु रमेश दत्त कॉलोनी का स्व-स्थाने पुनर्विकास पर प्रायोगिक परियोजना	1087	41.11	18.72	22.39	6.24
6.	गुजरात	राजकोट	राजीव आवास योजना के अंतर्गत नटराज नगर स्लम वार्ड सं. 12, राजकोट में अवस्थापना, सहित 252 (जी+4) रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए प्रायोगिक परियोजना	252	15.81	7.42	8.40	2.47
7.	रोहतक	रोहतक	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रोहतक में 8 स्लमों के स्व-स्थाने आवास एवं अवस्थापना विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना	1518	95.89	47.95	47.95	15.98
8.	सिरसा	सिरसा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत सिरसा के 2 स्थानों (कंगनपुर और पार्क ऑटो बाज़ार के समीप) में 2114 रिहाशी इकाईयों के निर्माण हेतु प्रायोगिक परियोजना	2144	95.00	44.81	50.19	14.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	अंबाला	अंबाला	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अंबाला के लिए प्रायोगिक परियोजना	200	59.83	29.92	29.92	9.97
10.	यमुनानगर	यमुनानगर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत यमुनानगर - जगाधरी, हरियाणा के 9 स्लमों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने हेतु प्रायोगिक डीपीआर	0	60.37	28.73	31.64	9.58
11.	कोल्लम	कोल्लम	राजीव आवास योजना के अंतर्गत एसएमपी पेलेस कॉलोनी, कोल्लम में प्रायोगिक परियोजना	265	17.85	7.47	10.38	2.49
12.	जोधपुर	जोधपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत जोधपुर में नाटिया बस्ती में 208 रिहायशी इकाईयों के निर्माण हेतु प्रायोगिक परियोजना	208	10.84	5.36	5.47	1.79
	कुल	12		8890	556.29	281.89	274.40	93.96

राजीव आवास योजना (रे)

कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2013-2014)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम/ संघ राज्य क्षेत्र	शहर	अनुमोदित परियोजना	स्वीकृत कुल रिहायशी इकाई (न+3)	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रिय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	प्रथम जारी किस्त
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	576	44.31	38.73	5.58	12.91
2.	छत्तीसगढ़	3	3	2640	115.28	52.79	62.49	17.60
3.	गुजरात	2	2	1339	56.92	26.14	30.79	8.71
4.	हरियाणा	4	4	3862	311.09	151.40	159.69	50.47
5.	केरल	1	1	265	17.85	7.47	10.38	2.49
6.	राजस्थान	1	1	208	10.84	5.36	5.47	1.79
	कुल	12	12	8890	556.29	281.89	274.40	93.96

राजीव आवास योजना (रे)
कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2013-2014)

01.08.2013 की स्थिति के अनुसार
करोड़ रुपए

क्र. सं.	राज्य का नाम/ संघ राज्य क्षेत्र	शहर	अनुमोदित परियोजना	स्वीकृत कुल रिहायशी इकाई (न+उ)	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	प्रथम जारी किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा नगर निगम में राजीव आवास योजना (आरएवाई प्रायोगिक परियोजना-) के अंतर्गत ढल मिल क्षेत्र स्लम की डीपीआर	304	20.13	9.03	11.10	3.01
2.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	आरएवाई के अंतर्गत विजयवाड़ा नगर निगम में एनएससी बोस नगर स्लम के स्व-स्थाने पुनर्विकास की प्रायोगिक डीपीआर	1413	76.18	36.28	39.89	12.09
3.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	आरएवाई के अन्तर्गत ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम में सूर्या तेजा नगर स्लम की प्रायोगिक डीपीआर	240	11.31	5.66	5.66	1.89
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर शहर में लालगंगा स्लम में स्व-स्थाने पुनर्विकास और पुनर्स्थापन के लिए राजीव आवास योजना प्रायोगिक परियोजना	300	13.60	6.09	7.51	2.03
5.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	कृष्ण नगर स्लम, शिमला के लिए आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	300	34.00	27.62	6.37	9.21
6.	जम्मू और कश्मीर	लेह	लेह ओल्ड टाऊन उन्नयन, लेह के लिए आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	369	22.22	17.81	4.41	5.94
7.	कर्नाटक	बंगलौर	वेथुर होब्ली, बंगलौर में सुलकुंटे गांव एसवाई सं. 122 में अवसंरचना सहित 900 आवासों (पुनर्स्थापन)	900	57.10	26.15	30.95	8.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			के निर्माण के लिए आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर					
8.	कर्नाटक	तुमकर	तुमकर में डिब्बूर में अवसंरचना सहित 1200 मकानों (पुनर्स्थापन) के निर्माण हेतु आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	1200	69.96	32.44	37.53	10.81
9.	कर्नाटक	हुब्ली-धारवाड़	हुब्ली-धारवाड में अवसंरचना सहित 1072 (पुनर्स्थापन) के निर्माण हेतु आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	1072	67.67	30.66	37.01	10.22
10.	मध्य प्रदेश	भोपाल	आरएवाई के अंतर्गत चिन्हित 4 स्लमों (1. अर्जुन नगर, 2. झील नगर 3. शांति नगर और 4. अम्बेडकर नगर) की प्रायोगिक डीपीआर	1204	74.00	33.64	40.36	11.21
11.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	चयनित (हरी फाटक राजीव नगर, लोहर पट्टी, मोती नगर, एकता नगर) उज्जैन के आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	1196	72.02	32.74	39.28	10.91
12.	मिज़ोरम	आईजोल	जोंग्टुई, आईजोल, मिजोरम में राजीव आवास योजना प्रायोगिक परियोजना	142	1.20	9.49	1.71	3.16
13.	ओडिशा	भुवनेश्वर	राजीव आवास योजना (स्व-स्थाने पुनर्विकास) के अंतर्गत महीसखाला स्लम क्लस्टर भुवनेश्वर के लिए प्रायोगिक परियोजना	760	46.94	19.91	27.03	6.64
14.	ओडिशा	भुवनेश्वर	आरएवाई के अंतर्गत पत्थरबंध स्लम क्लस्टर, भुवनेश्वर की प्रायोगिक डीपीआर	1480	85.40	36.72	48.68	12.24
15.	ओडिशा	जयपुर	जयपुर में आरएवाई के अंतर्गत 15 स्लमों के लिए प्रायोगिक डीपीआर	990	47.79	20.79	27.00	6.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	ओडिशा	कटक	आरएवाई के अंतर्गत कटक नगर निगम में 10 स्लम क्लस्टर के स्व-स्थाने पुनर्विकास की प्रायोगिक डीपीआर	865	25.83	10.78	15.06	3.59
17.	पंजाब	बटाला	बटाला में 3 स्लमों के स्व-स्थाने विकास के लिए आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	238	6.83	3.30	3.53	1.10
18.	पंजाब	जालंधर	जालंधर शहर में 9 स्लमों के स्व-स्थाने उन्नयन के लिए आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	442	12.60	6.16	6.44	2.05
19.	राजस्थान	अलवर	प्रताप स्कूल और धोबीगट्टा अलवर के पीछे बुध विहार के लिए आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	1544	83.46	39.78	43.68	13.26
20.	राजस्थान	अलवर	लोहार बस्ती स्थल, पसंद नगर कोतरा और ईदगाह (चौरसिया बास) अजमेर के लिए आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	1448	85.11	40.57	44.54	13.52
21.	राजस्थान	भरतपुर	नमक कटरा, स्लम, भरतपुर के लिए आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	220	9.08	4.33	4.75	1.44
22.	राजस्थान	जयपुर	संजय नगर भट्टा बस्ती (चरण-I), जयपुर के लिए आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	2332	96.61	44.70	51.91	14.90
23.	राजस्थान	कोटा	आरएवाई के अंतर्गत कोटा में किराए से स्वामित्वाधिकार आवास स्कीम (मोहनलाल सुखाड़िया आवास स्कीम के विस्तार)के लिए प्रायोगिक डीपीआर	1528	71.67	34.16	37.51	11.39
24.	राजस्थान	बीकानेर	भट्टो एंड ओडओ का बॉए, बीकानेर के लिए आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	350	17.28	7.61	9.68	2.54
25.	तमिलनाडु	चेन्नई	अथीपट्टू, अम्बेटूर (चरण-I), चेन्नई में कक्कनजी नगर स्लम के	1056	84.92	34.72	50.19	11.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			पुनर्वास हेतु राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर					
26.	तमिलनाडु	चेन्नई	अथीपट्टू, अम्बेटूर (चरण-II) चेन्नई में कक्कनजी नगर स्लम के पुनर्वास हेतु राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	416	32.23	13.25	18.98	4.42
27.	तमिलनाडु	त्रिचि	त्रिचि में करीकलन स्ट्रीट (नाडुकोनदियम) पेट्टाई) के पुनर्वास हेतु स्व-स्थाने उन्नयन के लिए पुनर्वास हेतु आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	305	17.21	7.00	10.21	2.33
28.	उत्तर प्रदेश	आगरा	एसएफसीपी, आगरा के आधार पर चयनित स्लमों के लिए आरएवाई के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर	305	37.70	14.39	23.30	4.80
29.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	फिजुल्लहगंजवार्ड लखनऊ में पांच स्लम नामत: गौर भीट, भारत नगर, चमरही, शिवलोकपुर, दाऊद नगर एवं नया दाऊद नगर के स्व-स्थाने विकास के लिए आरएवाई के अंतर्गत पायलट डीपीआर	468	24.75	10.75	14.00	3.58
30.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	आरएवाई के अंतर्गत रामपुर में मगजीन मोहल्ला के लिए पायलट डीपीआर	96	13.67	5.20	8.48	1.73
31.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	आरएवाई के अंतर्गत, राय बरेली (फेस-I) में चयनित 4 स्लमों (1. मुंशीगंज, 2. मोहिद्दिनपुर, 3. शाह टोल एवं थोशियान हेतु पायलट डीपीआर	638	64.61	29.67	34.94	9.89
32.	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	राय बरेली (फेस-II) में आरएवाई के अंतर्गत एसएफसीपी के अंतर्गत स्लमों हेतु पायलट डीपीआर	785	52.91	23.37	29.54	7.79
33.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	आरएवाई के अंतर्गत हर्बन्स मोहल स्लम सुधार परियोजना के लिए पायलट डीपीआर	48	5.18	2.07	3.11	0.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	आरएवाई के अंतर्गत पोखर पूर्व स्लम सुधार परियोजना के लिए पायलट डीपीआर	80	8.25	3.01	5.23	1.00
35.	उत्तर प्रदेश	कनौज	आरएवाई के अंतर्गत कन्नौज में शेखन एवं बजरिया शेखन स्लमों के स्व-स्थाने उन्नयन हेतु पायलट डीपीआर	164	17.53	6.57	10.95	2.19
	कुल	30		25198	1476.92	686.41	790.51	228.80

राजीव आवास योजना (रे)

कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2012-2013)

01.08.2013 की स्थिति के अनुसार

करोड़ रुपए

क्र. सं.	राज्य का नाम/ संघ राज्य क्षेत्र	शहर	अनुमोदित परियोजना	अनुमोदित कुल रिहायशी यूनिट (न्यू+उन्नयन)	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रिय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	स्वीकृत प्रथम किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2	3	1957	107.62	50.97	56.65	16.99
2.	छत्तीसगढ़	1	1	300	13.60	6.09	7.51	2.03
3.	हिमाचल प्रदेश	1	1	300	34.00	27.62	6.37	9.21
4.	जम्मू और कश्मीर	1	1	369	22.22	17.81	4.41	5.94
5.	कर्नाटक	3	3	3172	194.73	89.25	105.48	29.75
6.	मध्य प्रदेश	2	2	2400	146.01	66.37	79.64	22.12
7.	मिज़ोरम	1	1	142	11.20	9.49	1.71	3.16
8.	ओडिशा	3	4	4095	205.96	88.19	117.77	29.40
9.	पंजाब	2	2	680	19.43	9.46	9.97	3.15
10.	राजस्थान	6	6	7422	363.20	171.13	192.07	57.04
11.	तमिलनाडु	2	3	1777	134.36	54.97	79.38	18.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	उत्तर प्रदेश	6	8	2584	224.60	95.05	129.55	31.68
	कुल	30	35	25198	1476.92	686.41	790.51	228.80

राजीव आवास योजना (रे)

कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2012-2013)

01.08.2013 की स्थिति के अनुसार

करोड़ रुपए

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहर	अनुमोदित परियोजना	अनुमोदित कुल रिहायशी यूनित (न+3)	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रिय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	स्वीकृत प्रथम किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	राजीव आवास योजना के अंतर्गत केशव नगर स्लम, स्व-स्थाने पुनर्विकास, जीएचएमसी की प्रायोगिक डीपीआर	1198	58.75	22.25	36.50	7.42
2.	केरल	तिरुवतनंमपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत मेथीपुरम कॉलोनी, विझिंजम, तिरुवनंतपुरम, केरल के लिए प्रायोगिक डीपीआर	1032	71.87	34.73	34.73	11.58
3.	मध्य प्रदेश	इंदौर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पता लगाए गए 6 स्लमों (महादेव नगर, इन्द्रजीत नगर, अन्ना भऊसाठे, चिकित्सक नगर-2, निपनियाग्राम काकड़, अन्ना, 3 भाऊसाठे चिकित्सक नगर-1 और राहुल गांधी नगर (बजरंग नगर) की प्रायोगिक डीपीआर	1463	84.34	37.29	47.05	12.43
4.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पता लगाए गए चयनित 4 स्लमों (1. एमएलबी स्कूल के पीछे 2. सारा पीपर, 3. चौधरी मोहाल 4. रविदास नगर) की प्रायोगिक डीपीआर	740	36.95	16.73	20.21	5.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पता लगाए गए 5 स्लमों (शर्मा फार्म 2, शर्मा फार्म सं.1, शांति नगर वार्ड सं.21, कैंसर पहाड़ी, महेलगांव की पहाड़ी) की प्रायोगिक डीपीआर	934	57.16	25.26	31.89	8.42
6.	मध्य प्रदेश	सागर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत चयनित 3 स्लमों (किशोर न्यायालय के निकट का स्लम, खुराई बस स्टैंड के पीछे का स्लम और कसाई बस्ती) के लिए प्रायोगिक डीपीआर	780	35.11	15.03	20.09	5.01
7.	ओडिशा	भुवनेश्वर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रंगमतिया समूह सुधार परियोजना, भुवनेश्वर, ओडिशा के लिए प्रायोगिक डीपीआर	1149	44.77	18.21	26.56	6.07
8.	राजस्थान	जयपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत किरोन की धानी स्लम, जयपुर, राजस्थान के लिए प्रायोगिक डीपीआर	1104	57.29	27.60	29.69	9.20
	कुल	8		8400	446.22	197.09	246.71	65.70

राजीव आवास योजना (रे)

कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2011-2012)

01.08.2013 की स्थिति के अनुसार

करोड़ रुपए

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहर	अनुमोदित परियोजना	अनुमोदित कुल रिहायशी यूनिट (न्यू+उन्नयन)	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रिय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	स्वीकृत प्रथम किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	1198	58.75	22.25	36.50	7.42
2.	केरल	1	1	1032	71.87	34.73	34.73	11.58
3.	मध्य प्रदेश	4	4	3917	213.55	94.31	119.24	31.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	ओडिशा	1	1	1149	44.77	18.21	26.56	6.07
5.	राजस्थान	1	1	1104	57.29	27.60	29.69	9.20
	कुल	8	8	8400	446.22	197.09	246.71	65.70

[हिन्दी]

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा

1406. **श्री पन्ना लाल पुनिया :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेल रहे गांवों में निर्बाध शिक्षा देने के लिए स्थायी व्यवस्था कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के राज्य नियमों के अनुसार पास-पड़ोस के बारे में राज्य के मानदंडों के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तावित आवश्यकतानुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों की संस्वीकृति प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत, राज्यों को सदैव कहा जाता है कि स्कूल में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी स्कूल भवनों से आशा की जाती है कि स्कूल भवन के ढांचागत डिजाइन में सुरक्षा संबंधी विशिष्टताओं का प्रावधान किया जाए।

बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में राज्यों से स्कूल भवनों के निर्माण के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश करने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भवनों के डिजाइन में संशोधन करने की आशा की जाती है। वार्षिक कार्य योजना और बजट अनुमोदन में ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध की गई सहायता प्रदान की गई है। राज्यों ने बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए नदी तटीय क्षेत्रों के लिए आरसीसी स्टिल्ट मॉडल, डिस्मेंटेबल मॉडल इत्यादि के लिए संशोधित डिजाइन विकसित किया है।

[अनुवाद]

वेशभूषा संहिता

1407. **श्री एम. कृष्णास्वामी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी (एएमयू) जैसे कुछ विश्वविद्यालयों/महिला कॉलेजों ने हाल में वेशभूषा संहिता जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालय, संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय हैं और जो संबंधित अधिनियमों, सांविधियों और अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। सभी शैक्षिक और प्रशासनिक मामलों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्णय लिया जाता है।

कालेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का ब्यौरा, यदि कोई है तो, केन्द्रीय रूप से अनुरक्षण नहीं किया जाता है। तथापि, इस विशिष्ट मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने औपचारिक अवसरों हेतु वर्दी (बालक और बालिकाओं के लिए क्रमश: शेरवानी और दुपट्टे के साथ सफेद सलवार-कमीज) निर्धारित की है।

(ग) सांविधिक, फमवर्क और विषय वस्तु को देखते हुए, सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय किया जाना अपेक्षित नहीं है।

मानित विश्वविद्यालयों को मान्यता

1408. **श्री ए.के.एस. विजयन :**
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान कई मानित विश्वविद्यालयों की मान्यता निरस्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या कितनी है एवं इस कार्रवाई से कितने छात्र प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन मानित विश्वविद्यालयों की मान्यता को बहाल किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गुणवत्तापरक शिक्षा में वृद्धि के लिए मानिक विश्वविद्यालयों की यथास्थिति को किस हद तक बनाए रखना आवश्यक है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ङ) जी, नहीं। कतिपय सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं में शिक्षा के स्तरों में कमी आने के बारे में सामान्य अवधारणा के अनुसरण में, सरकार ने सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं के कार्यकरण और उनके इस तरह के कार्य करते रहने की वांछनीयता की समीक्षा करने हेतु 6 जुलाई, 2009 को प्रतिष्ठित शैक्षिक विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। समीक्षा समिति ने उनके मूल्यांकन और आंकलन के आधार पर यह सूचित किया कि जबकि कुछेक सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं अपेक्षित मानकों को पूरा करती हैं, कुछ अन्य संस्थाओं को ऐसा करने हेतु कुछ समय की आवश्यकता होगी, और कुछ अन्य संस्थाएं जिनकी संख्या 44 है, कमियों के कारण सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं थीं। सरकार ने समीक्षा की रिपोर्ट सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली है। तथापि, उपर्युक्त रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी मामला इस समय विप्लव शर्मा बनाम भारत संघ तथा अन्य (डब्ल्यूपी (सी) 2006 का 142) के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय के सरकार को इन 44 सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

बीपीएल परिवारों को मोबाइल फोन

1409. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक बीपीएल परिवार को एक मोबाइल सेट देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी पहल का लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या सरकार इन मोबाइल फोनों के उपयोग को आर्थिक भार से मुक्त रखने के लिए योजना में प्रावधान करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमरीका परमाणु समझौता

1410. श्री सी. शिवासामी :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका सिविल परमाणु समझौते को क्रियाशील बनाने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमरीका के सेक्रेटरी के हाल के भारत दौरे के दौरान समीक्षा किए गए अन्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) भारत तथा अमरीका ने न्यूक्लियर पावर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा वेस्टिंग हाऊस को गुजरात के मिथीविर्डी में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए शीघ्र वाणिज्यि परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया है। एनपीसीआईएल आंध्र प्रदेश में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए जनरल इलैक्ट्रिक-हितैची के साथ भी विचार विमर्श कर रहा है।

(ग) विदेश मंत्री तथा अमरीकी विदेश मंत्री ने 24 जून 2013 को नई दिल्ली में भारत-अमरीकी रणनीतिक वार्ता की चौथी बैठक की सह-अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की तथा आतंकवाद-रोध, आंतरिक सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, ऊर्जा एवं पर्यावरण, शिक्षा एवं अधिकारिता सहित द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए सहमति व्यक्ति की।

[हिन्दी]

नौवीं अनुसूची में आरक्षण नीति

1411. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची में एक कानून शामिल करने एवं अजा/अजजा/एवं अपिव हेतु सरकार की आरक्षण नीति का नियान्वयन न करने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु उपबंध बनाने के लिए समुचित कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में कोई कदम उठाया है या उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस प्रश्न के भाग (क) के संबंध में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों, सांविधिक निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति का कार्यान्वयन कार्यकारी निदेशों के माध्यम से कारगर रूप से किया जा रहा है। किसी सरकार कर्मचारी द्वारा जानबूझ कर सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

डिजाइन नवोन्मेषी केन्द्र

1412. श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्थापित किए जाने वाले पांच डिजाइन नवोन्मेषी केन्द्रों को चिन्हित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। पांच अग्रणी संस्थाओं — (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई; (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली; (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी; (iv) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू एवं (v) दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 2013-14 में डिजाइन नवोन्मेषी केन्द्रों की स्थापना करने हेतु चिन्हित किया गया है।

पोस्ट बैंक

1413. श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में डाकघरों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न वित्तीय सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के विभिन्न डाकघरों में भारी संख्या में बचत एवं अन्य खाते निष्क्रिय हैं;

(ग) यदि हां, तो उन खातों में कुल दावा रहित जमा राशि का ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या डाक विभाग ने डाकघरों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रस्ताव किया है एवं बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) वर्तमान में डाकघरों द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सेवाओं का विवरण नीचे दिया गया है:—

(1) भारत सरकार (वित्त मंत्रालय की ओर से) की अल्प बचत योजनाएं

(i) डाकघर बचत खाता

(ii) डाकघर आवधिक जमा खाता

(iii) डाकघर आवर्ती जमा खाता

(iv) डाकघर मासिक जमा खाता

(v) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता

(vi) लोक भविष्य निधि खाता

(vii) राष्ट्रीय बचत पत्र (viii) एवं (ix) निर्गम

(2) धन प्रेषण

(i) मनीआर्डर (धनादेश) — देशीय

(ii) इंस्टेंट मनीआर्डर (धनादेश) — देशीय (चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से)

(iii) वेस्टर्न यूनियन धन प्रेषण — अंतर्राष्ट्रीय आवक (चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से)

(iv) मनीग्राम धन प्रेषण - अंतर्राष्ट्रीय आवक (चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से)

(v) मनीआर्ड विदेश - अंतर्राष्ट्रीय आवक एवं जावक (चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से)

(vi) इलेक्ट्रॉनिक अंतर्राष्ट्रीय धनादेश सेवा - आवक (चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से)

(3) म्यूचुअल फंडों की रिटेलिंग (चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से चुनिंदा म्यूचुअल फंड हाउसेज की ओर से)

(4) डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा

(ख) जी, हां। दिनांक 31.03.2013 को देश में 1,52,89,232 निष्क्रिय बचत खाते थे।

(ग) दिनांक 31.03.2013 को ऐसे खातों में दावारहित कुल जमा राशि 166.74 करोड़ रुपए थी। विभाग द्वारा नियमित अंतराल पर निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

I. ऐसे खाता धारकों, जिनमें खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं रखी जा रही है, को प्रत्येक वर्ष नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

II. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना देकर एवं नोटिस जारी कर ऐसे खातों को पुनः सक्रिय बनाए जाने हेतु विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) डाक विभाग ने भारतीय डाक बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया है। यह, वित्त मंत्रालय की ओर से विभाग द्वारा किए जा रहे अल्प बचत योजनाओं के चालू प्रचालनों से अलग एक स्वतंत्र इकाई होगी। तदनुसार डाक विभाग ने बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अध्यधीन, दिनांक 28.06.2013 को भारतीय रिजर्व बैंक को एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

सामुदायिक कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रस्ताव

1414. श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री एंटो एंटोनी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक कॉलेजों की संस्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को कोई निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन सामुदायिक कॉलेजों की संस्थापना के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने दिनांक 13.4.2012 और 15.10.2012 तथा उसके उपरान्त किए गए पत्राचार द्वारा क्रमशः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस मंत्रालय को निर्धारित प्रपत्र में प्रायोगिक सामुदायिक कॉलेज योजना पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

(ग) अब तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से शैक्षिक सत्र 2013-14 से अपने-अपने क्षेत्रों में सामुदायिक कॉलेज स्थापित करने के 164 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) प्राप्त प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों के संबंध में) और एआईसीटीई (पॉलिटेक्निकों के संबंध में) को उनके द्वारा जांच किए जाने तथा वित्तीय सहायता जारी करने के लिए अग्रेषित किए गए हैं ताकि, उन्हें वर्तमान शैक्षिक सत्र 2013 से इस योजना का कार्यान्वयन करने में समर्थ बनाया जा सके।

विवरण

सामुदायिक कॉलेज योजना पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्राप्त और एआईसीटीई एवं यूजीसी को अग्रेषित प्रस्ताव	
		पॉलिटेक्निक	कॉलेज
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10	2

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	6	—
4.	बिहार	—	15
5.	चंडीगढ़	—	1
6.	छत्तीसगढ़	2	2
7.	दादरा और नगर हवेली	1	—
8.	दमन और दीव	1	—
9.	दिल्ली	2	—
10.	गोवा	1	—
11.	गुजरात	9	—
12.	हरियाणा	3	2
13.	हिमाचल प्रदेश	1	—
14.	झारखंड	1	3
15.	कर्नाटक	3	9
16.	केरल	5	1
17.	मध्य प्रदेश	4	6
18.	महाराष्ट्र	9	7
19.	मणिपुर	—	2
20.	मेघालय	2	—
21.	मिज़ोरम	—	2
22.	नागालैंड	1	1
23.	ओडिशा	—	7
24.	पंजाब	2	2
25.	सिक्किम	2	—
26.	तमिलनाडु	10	1
27.	उत्तराखंड	10	—
28.	उत्तर प्रदेश	1	—
29.	पश्चिम बंगाल	7	6
	कुल	94	70

[हिन्दी]

विभिन्न योजनाओं हेतु प्रस्ताव

1415. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से सरकार को प्रापत हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रस्तावों की तिथि क्या है;

(ख) क्या इन प्रस्तावों को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कारण क्या हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (घ) विभिन्न शिक्षा योजनाओं के अधीन, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का विवरण निम्न प्रकार से है:—

(i) माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना

इस योजना के अधीन, मध्य प्रदेश सरकार सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 3,12,457 पात्र बालिकाओं को 93.737 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मंजूर की गई थी, राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ii) राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अधीन, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 1,02,816 छात्रवृत्तियां मंजूर की गई थीं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(iii) शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 जिलों में एक आदर्श डिग्री कॉलेज स्थापित करने की योजना (ईबीडी)

इस योजना के अधीन प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(iv) पॉलिटेक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास (सीडीटीपी)

पिछले वर्ष के दौरान पॉलिटेक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास की योजना में सम्मिलित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 142 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 16 प्रस्ताव मध्य प्रदेश से थे। कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने वाले सामुदायिक कॉलेजों की नई योजना के प्रस्तावित आरंभ की दृष्टि से और वर्तमान योजना के चालू पुनरीक्षण की दृष्टि से, योजना का विस्तार रोक दिया गया है।

विवरण-I

माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की योजना

वर्ष 2012-13 के दौरान मंजूर की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	शामिल बालिकाओं की कुल संख्या	मंजूर की गई कुल राशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	188	5,64,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	2083	62,49,000
3.	असम	590	17,70,000
4.	चंडीगढ़	882	26,46,000
5.	दादरा और नगर हवेली	1559	46,77,000
6.	दमन और दीव	186	5,58,000
7.	हरियाणा	4347	1,30,41,000
8.	जम्मू और कश्मीर	10247	3,07,41,000
9.	केरल	26270	7,88,10,000
10.	मध्य प्रदेश	11371	34,11,51,000
11.	मणिपुर	863	25,89,000
12.	मेघालय	5270	1,58,10,000
13.	पंजाब	41956	12,58,68,000
14.	राजस्थान	16561	4,96,83,000
15.	सिक्किम	634	19,02,000
16.	तमिलनाडु (भाग)	52594	15,77,82,000
17.	त्रिपुरा	2429	72,87,000
18.	त्रिपुरा (भाग)	1480	44,39,000
19.	उत्तराखंड	11564	3,46,92,000
20.	पश्चिम बंगाल	19037	5,71,11,000
	योग	312457	93,73,70,000

विवरण-II

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के अधीन वर्ष 2012-13 के दौरान मंजूर की गई छात्रवृत्तियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	छात्रवृत्तियां की संख्या	मंजूर की गई राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	66	3.96
2.	आंध्र प्रदेश	12122	727.32
3.	अरुणाचल प्रदेश	65	3.96

1	2	3	4
4.	असम	27	1.62
5.	बिहार	1405	84.28
6.	चंडीगढ़	160	9.66
7.	छत्तीसगढ़	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	6	0.36
9.	दमन और दीव	30	1.80
10.	दिल्ली	922	55.32
11.	गोवा	734	44.04
12.	गुजरात	0	0.00
13.	हरियाणा	3288	197.28
14.	हिमाचल प्रदेश	1241	74.46
15.	जम्मू और कश्मीर	67	4.02
16.	झारखंड	0	0.00
17.	कर्नाटक	5668	340.10
18.	केरल	5998	359.88
19.	मध्य प्रदेश	3880	233.10
20.	महाराष्ट्र	28640	1718.39
21.	मणिपुर	410	24.60
22.	मेघालय	711	42.66
23.	मिज़ोरम	95	5.70
24.	नागालैंड	88	5.28
25.	ओडिशा	9978	598.68
26.	पुदुचेरी	283	16.98
27.	पंजाब	5110	306.60
28.	राजस्थान	39	2.34
29.	सिक्किम	115	6.90
30.	तमिलनाडु	0	0.00
31.	त्रिपुरा	45	2.70
32.	उत्तर प्रदेश	9198	551.88
33.	उत्तराखंड	1424	85.44
34.	पश्चिम बंगाल	11001	660.06
	योग	102816	6169.37

विवरण-III

374 आदर्श डिग्री कॉलेज योजना के लिए प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ईबीडी	प्राप्त प्रस्ताव	ऐसे प्रस्ताव जिनका अनुमोदन किया गया	ऐसे प्रस्ताव जिनके अधीन प्रगति/ दस्तावेज प्रतीक्षित है	अस्वीकृत प्रस्ताव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11	7	—	5	*2	दस्तावेज मंगाए गए हैं *संबद्ध विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम

1	2	3	4	5	6	7	8
							की धारा 12(ख) के अंतर्गत शामिल नहीं है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	8	6	*2	—	*दस्तावेज मंगाए गए हैं
3.	असम	12	12	12	—	—	अनुमोदन सूचित किया गया है
4.	बिहार	25	1	—	—	*1	स्थापना की तारीख 01.01.2008 से पहले हैं
5.	छत्तीसगढ़	15	5	—	*5	—	*दस्तावेज मंगाए गए हैं
6.	गोवा	—	—	—	—	—	—
7.	गुजरात	20	20	19	—	*1	संबद्ध विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत शामिल नहीं है
8.	हरियाणा	7	10	—	1	*9	*दस्तावेज मंगाए गए हैं
9.	हिमाचल प्रदेश	4	4	—	—	*4	*स्थापना की तारीख 01.01.2008 से पहले हैं
10.	जम्मू और कश्मीर	11	11	8	*3	—	*दस्तावेज मंगाए गए हैं
11.	झारखंड	12	—	—	—	—	
12.	कर्नाटक	20	20	1	*8	*11	*दस्तावेज मंगाए गए हैं *स्थापना की तारीख 01.01.2008 से पहले हैं
13.	केरल	4	4	3	*1	—	*दस्तावेज मंगाए गए हैं
14.	मध्य प्रदेश	39	—	—	—	—	
15.	महाराष्ट्र	7	7	7	—	—	
16.	मणिपुर	—	—	—	—	—	
17.	मेघालय	5	—	—	—	—	
18.	मिज़ोरम	7	—	—	—	—	
19.	नागालैंड	1	—	—	—	—	
20.	ओडिशा	18	8	—	*8	—	*दस्तावेज मंगाए गए हैं

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	13	13	11	—	*2	*स्थापना की तारीख 01.01.2008 से पहले हैं
22.	राजस्थान	30	1	—	*1	—	*दस्तावेज मंगाए गए हैं
23.	सिक्किम	4	2	—	*2	—	*दस्तावेज मंगाए गए हैं
24.	तमिलनाडु	27	7	1	*3	**3	*दस्तावेज मंगाए गए हैं **स्थापना की तारीख 01.01.2008 से पहले हैं/ईबीडी में नहीं है।
25.	त्रिपुरा	4	4	—	*4	—	*दस्तावेज मंगाए गए हैं
26.	उत्तर प्रदेश	41	29	5	*24	—	*दस्तावेज मंगाए गए हैं
27.	उत्तराखंड	2	—	—	—	—	
28.	पश्चिम बंगाल	17	3	—	*3	—	*दस्तावेज मंगाए गए हैं
29	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	2	—	—	—	—	
30.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	1	—	—	अनुमोदन सूचित किया गया है
32.	दमन और दीव	2	—	—	—	—	
33.	दिल्ली	—	—	—	—	—	
34.	लक्षद्वीप	1	1	—	*1	—	*दस्तावेज मंगाए गए हैं
35.	पुदुचेरी	1	—	—	—	—	
	योग	374	178	74	71	33	

[अनुवाद]

अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र

1416. श्री के.पी. धनपालन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में अध्यापकों हेतु एक राष्ट्रस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यात्मक बनाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। तथापि, शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के शिक्षण

स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केरल राज्य में कोच्चि में एक केन्द्र की स्थापना करने का अनुमोदन किया है।

(ग) इस स्तर पर में इस केन्द्र के संचालनरत होने के लिए कोई समयावधि विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

नए दूरसंचार सर्किल/जिले

1417. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक दूरसंचार जिलों एवं प्रधान (जीपीओ) की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे जिलों और जीपीओ की स्थापना की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) दूरसंचार विभाग का यह विचार है कि दूरसंचार जिलों के स्थान पर गौण स्विचिंग क्षेत्र (एसएसए) की व्यवस्था की जाए। इस समय देश में और गौण स्विचिंग क्षेत्र एवं प्रधान डाकघरों के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में प्राप्तांकों को सार्वजनिक करना

1418. श्री पी. करुणाकरन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अभ्यर्थियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में प्राप्तांकों को सार्वजनिक करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष औसतन कितने अजा/अजजा अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद संघ लोक सेवा आयोग केवल संबंधित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की जानकारी प्रदान करता है।

(ग) वर्ष 2009 से 2011 के दौरान सिविल सेवा परीक्षा द्वारा अनुशंसित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	2009	2010	2011
अनुसूचित जाति	128	152	158
अनुसूचित जनजाति	76	74	78

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों का कार्य-निष्पादन

1419. श्री कामेश्वर बैठा :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री हरिभाऊ जावले :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 2013 को देश के केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) में अध्ययन कर रहे छात्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) जेएनवी में शिक्षा में उच्च मानक बनाए रखने के लिए स्थापित निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में स्थित जेएनवी के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्श के दौरान जेएनवी छात्रों के अकादमिक कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार जेएनवी की संचालन समिति में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) दिनांक 31 जुलाई, 2013 की स्थिति के अनुसार देश में केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जवाहर नवोदय विद्यालयों के कार्य-निष्पादन की मॉनीटरिंग हेतु शीर्ष निकाय नवोदय विद्यालय समिति है, जिसकी अध्यक्षता माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा की जाती है, मॉनीटरिंग के प्रभावी प्रबंधन हेतु समिति के कार्यों में सहायता विभिन्न समितियां अर्थात कार्यकारी समिति, वित्त समिति एवं अकादमिक सलाहकार समिति द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, नवोदय विद्यालय समिति में निम्नलिखित चार-स्तरीय अकादमिक मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण प्रणाली है:—

(i) प्राचार्य एवं उप-प्राचार्य विद्यालय स्तर पर अकादमिक मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण करते है।

(ii) सहायक आयुक्त, क्लस्टर-प्रभारी नियमित समय अंतराल पर अकादमिक मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण करते है।

(iii) वर्ष में एक बार पैनल निरीक्षण किया जाता है तथा नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय के अधिकारी भी समय-समय पर विद्यालयों का दौरा करते है।

(iv) नवोदय विद्यालय समिति संभावित अकादमिक योजना के माध्यम से अकादमिक मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण करती है।

(ग) योजना आयोग द्वारा योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को नवोदय विद्यालय स्कीम का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है। इस मूल्यांकन अध्ययन में कार्यान्वियन, कार्य-निष्पादन, ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के संबंध में योजना के प्रभाव एवं योगदान से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। इस अध्ययन में देश के 20 राज्यों के 56 नवोदय विद्यालयों को शामिल किया जाएगा।

(घ) वर्ष 2010 से 2013 तक जवाहर नवोदय विद्यालयों की कक्षा X एवं XII के विद्यार्थियों का अकादमिक कार्य-निष्पादन इस प्रकार है:—

(उत्तीण प्रतिशत)

2010		2011		2012		2013	
Xवीं	XIIवीं	Xवीं	XIIवीं	Xवीं	XIIवीं	Xवीं	XIIवीं
98.55	95.32	99.52	96.86	99.58	95.96	99.73	96.14

(ङ) नवोदय विद्यालय समिति में पहले से ही लोक सभा के 4 सदस्यों तथा राज्य सभा के 2 सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। विद्यालय स्तर पर एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है जिसमें अध्यक्ष द्वारा नामित जनता का प्रतिनिधि सदस्य होता है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय परामर्श समिति के लिए स्थानीय संसद सदस्य को नामित किया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में दिनांक 31.7.2013 की स्थिति के अनुसार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या	जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों की की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2809	409
2.	आंध्र प्रदेश	56270	8693
3.	अरुणाचल प्रदेश	7490	2741
4.	असम	45831	7856
5.	बिहार	41942	13335
6.	छत्तीसगढ़	25120	6057
7.	दिल्ली	99261	856
8.	गोवा	4454	548
9.	गुजरात	35968	7190
10.	हरियाणा	29009	7530
11.	हिमाचल प्रदेश	13053	4228
12.	जम्मू और कश्मीर	27295	4616

1	2	3	4
13.	झारखंड	26910	7933
14.	कर्नाटक	50493	11660
15.	केरल	50493	5553
16.	मध्य प्रदेश	92126	19831
17.	महाराष्ट्र	70605	11143
18.	मणिपुर	4813	2756
19.	मेघालय	4932	1867
20.	मिज़ोरम	1646	743
21.	नागालैंड	1809	1286
22.	ओडिशा	43006	9689
23.	पंजाब	47094	7003
24.	राजस्थान	60029	14066
25.	सिक्किम	937	1019
26.	तमिलनाडु	47692	—#
27.	त्रिपुरा	5368	1247
28.	संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़	6720	430
29.	संघ राज्य क्षेत्र-दादरा और नगर हवेली	956	285
30.	संघ राज्य क्षेत्र-दमन और दीव	367	432
31.	संघ राज्य क्षेत्र-लक्षद्वीप	255	129
32.	संघ राज्य क्षेत्र-पुदुचेरी	3374	1152
33.	उत्तर प्रदेश	141171	25875
34.	उत्तराखंड	37810	4211
35.	पश्चिम बंगाल	63512	3585
	कुल	1150620	195954*

*वर्तमान शैक्षिक सत्र 2013-14 के दौरान कक्षा-VI में प्रवेश के लिए 579 जवाहर नवोदय विद्यालयों में आयोजित परीक्षा के आधार पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की ई चयन सूची के अनुसार इस संख्या में 40523 विद्यार्थी शामिल नहीं है।

#तमिलनाडु ने नवोदय विद्यालय योजना को स्वीकार नहीं किया है।

इंजीनियिरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेज

1420. श्री एस. सेम्मलई :
श्री कीर्ति आजाद :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी, निजी एवं मानित विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग कॉलेजों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में पॉलिटेक्निक संस्थानों सहित तकनीकी संस्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में तकनीकी संस्थानों की संख्या, तकनीकी संस्थानों की कुल संख्या की तुलना में नगण्य या बहुत कम है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर बिहार में बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की बड़ी संख्या एवं राज्य में कम साक्षरता दर को ध्यान में रखकर कौशल और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु तकनीकी संस्थानों की संख्या बढ़ाने का है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित डिग्री और डिप्लोमा स्तर के इंजीनियरिंग संस्थानों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित 86 तकनीकी संस्थाएं (सीएफटीआई) हैं। इन 86 सीएफटीआई में से

एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) संस्थान बिहार में है।

(घ) "कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलिटेक्निकों से संबंधित उप-मिशन" की योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने बिहार राज्य में 34 जिलों सहित देश के 287 असेवित तथा अल्प-सेवित जिलों में नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना इस शर्त के अध्यधीन स्थापना की है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएंगी और 100% आवर्ती व्यय को वहन करेंगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने लाभ न कमाने वाले सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) की स्थापना का अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त, एआईसीटीई ने सत्र 2013-14 के लिए स्वःवित्त पोषण पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता अवसंरचना (एनवीईक्यूएफ) कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए 79 कौशल ज्ञान प्रदाताओं तथा 376 संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। सरकार ने देश में कुशल कार्यबल की उपलब्धता में मांग-आपूर्ति के मौजूदा अंतर को पाटने के लिए मौजूदा संस्थाओं में 200 प्रायोगिक समुदाय कॉलेजों की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है।

विवरण

वर्ष 2013-14 में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं की राज्य-वार संस्था

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तकनीकी संस्थानों की संख्या (यूजी और पीजी)				पॉलिटेक्निकों की संख्या			
	सरकारी	सरकार द्वारा सहायता प्राप्त	निजी	विश्वविद्यालय	सरकारी	सरकार द्वारा सहायता प्राप्त	निजी	विश्वविद्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	1	0	0	0	1	0	0	0
आंध्र प्रदेश	16	0	664	11	121	5	322	0
अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	0	1	0
असम	7	0	6	5	13	0	0	0
बिहार	8	0	15	1	15	0	12	0
चंडीगढ़	3	0	0	2	3	0	1	0
छत्तीसगढ़	3	2	43	2	20	1	18	1
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	1	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	1	0	0	0
दिल्ली	9	2	8	1	10	0	7	0
गोवा	1	0	4	0	4	2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात	17	3	90	1	32	3	88	2
हरियाणा	9	0	151	5	22	5	184	0
हिमाचल प्रदेश	2	0	21	1	11	0	24	0
जम्मू और कश्मीर	1	2	4	1	18	0	8	0
झारखंड	1	4	10	0	13	5	12	0
कर्नाटक	16	9	170	2	103	43	171	0
केरल	34	4	114	12	53	5	10	0
मध्य प्रदेश	10	3	206	11	53	4	46	1
महाराष्ट्र	12	5	350	9	46	19	412	2
मणिपुर	2	0	0	0	2	0	0	0
मेघालय	0	0	1	0	3	0	0	0
मिज़ोरम	0	0	0	0	3	0	0	0
नागालैंड	1	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	6	2	88	2	15	1	96	0
पुदुचेरी	2	0	13	0	6	0	3	0
पंजाब	9	1	97	1	32	4	119	0
राजस्थान	11	0	122	4	38	2	159	3
सिक्किम	0	0	0	1	1	1	0	0
तमिलनाडु	14	3	507	4	39	34	400	0
त्रिपुरा	1	0	0	0	3	0	0	0
उत्तर प्रदेश	21	13	304	4	82	21	245	0
उत्तराखंड	5	4	31	1	32	1	41	0
पश्चिम बंगाल	14	3	67	4	41	2	44	0
कुल योग	237	60	3086	85	838	158	2423	9

[अनुवाद]

मेटा विश्वविद्यालय

1421. श्री एंटो एंटोनी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मेटा विश्वविद्यालय खोलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विश्वविद्यालयों की निधियन संरचना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विश्वविद्यालयों के कब तक स्थापित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां। मेटा विश्वविद्यालयों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध अधिगम संसाधनों का लाभ छात्रों को प्रदान करने के लिए उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिगम संसाधनों को शेयर करना है।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से "मास्टर ऑफ मैथमैटिक्स एजुकेशन" पर एक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। इसी प्रकार की पहलों को हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) किसी अतिरिक्त निधि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संस्थाओं को ऐसी अवधारणा को संचालित करने के लिए अपने मानवीय, भौतिक, बौद्धिक और वित्तीय संसाधनों सहित, अपने मौजूदा संसाधनों को मिलाना होगा।

(घ) ऐसे मेटा विश्वविद्यालय स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार का देश के प्रत्येक भाग में ऐसी संस्थाएं स्थापित करने का प्रयास है। इस विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि सांविधिक स्वायत्तता वाली विभिन्न संस्थाओं के बीच संपर्क उनकी अपनी गति पर विकसित होंगे।

भारी और हल्के जल रिएक्टर

1422. श्री राम सुन्दर दास : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न परमाणु विद्युत संयंत्रों में स्थापित भारी और हल्के जल रिएक्टरों का ब्यौरा क्या है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन रिएक्टरों द्वारा उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) देश में परमाणु ऊर्जा की प्रति इकाई उत्पादन लागत कितनी है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा अन्य विकासशील देशों के मुकाबले हमारे देश में मंहगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परमाणु ऊर्जा की लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) देश में 20 नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं, जिनकी संस्थापित क्षमता 4780 मेगावाट है। इनमें 18 दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्युआर्ज) और 02 साधारण जल रिएक्टर (एलडब्ल्यूआर्ज) शामिल हैं। इनमे से, एक दाबित भारी पानी रिएक्टर [राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आरएपीएस) यूनिट-1 (100 मेगावाट)] को अक्टूबर, 2004 से विस्तारित अवधि के लिए बंद किया गया है। शेष सत्रह दाबित भारी पानी रिएक्टर, जिनकी कुल क्षमता 4360 मेगावाट है, और दो साधारण जल रिएक्टर, जिनकी क्षमता 320 मेगावाट है, प्रचालनरत हैं। XIवीं पंचवर्षीय योजनावधि में, देश में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के माध्यम से दाबित भारी पानी रिएक्टरों से 97,161 मिलियन यूनिट (एमयूज) और साधारण जल रिएक्टरों से 12,481 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया गया।

(ख) वर्ष 2012-13 में, नाभिकीय विद्युत की औसत उत्पादन शुल्क-दर 2.69 रुपए प्रति किलोवाट घंटा (किलोवाट-घंटा) थी। नवीनतम नाभिकीय विद्युत संयंत्र (वर्ष 2010 में कमीशन किया गया) की वर्तमान शुल्क-दर लगभग 3.44 रुपए प्रति किलोवाट घंटा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों और निजी कालेजों के बीच समझौता ज्ञापन

1423. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय देश में निजी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके विभिन्न पाठ्यक्रम चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निजी संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए कोई न्यूनतम और अधिकतम शुल्क सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या शुल्क ढांचा केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) विश्वविद्यालय की सभी शैक्षिक और प्रशासनिक मामलों में पूरी कार्यात्मक स्वायत्तता है और ऐसे प्रबंध करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। ऐसे प्रबंधों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कोई अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) ऐसी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस्लामिक शिक्षा अकादमी बनाम कर्नाटक और टीएमए पाई प्रतिष्ठान बनाम कर्नाटक के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, राज्यों ने तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए शुल्क निर्धारण हेतु शुल्क निर्धारण समिति गठित की हैं।

उप सचिव के रिक्त पद

1424. श्री नरेनभाई काछादिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार केंद्रीय सचिवालय संवर्ग में उप सचिवों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अवर सचिवों की संख्या कितनी है जो जून, 2013 तक उप सचिव के पद हेतु पदोन्नत किए जाने के योग्य हो चुके हैं; और

(घ) ऐसे पदों की संख्या कितनी है जो पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में जुलाई, 2013 तक सेवानिवृत्तियों के कारण रिक्त हो चुके हैं और जिन्हें भरे जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) वर्तमान में उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव (स्व:स्थाने) ग्रेड की 600 संस्वीकृत पद संख्या में से 298 मूल रिक्तियां हैं। अवर सचिवों को तदर्थ आधार पर एव सचिव के रूप में पदोन्नत करके इन रिक्तियों को भरा गया है। इसलिए, वर्तमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव का कोई पद रिक्त नहीं है।

(ग) ऐसे 384 अवर सचिव हैं जो जून, 2013 तक उप सचिव के ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र हो चुके हैं।

(घ) जनवरी, 2012 से जुलाई, 2013 तक उप सचिव/निदेशक की सेवानिवृति के कारण हुई 178 रिक्तियां पहले ही अवसर सचिवों को तदर्थ आधार पर पदोन्नति देकर भरी जा चुकी हैं।

[अनुवाद]

स्थानांतरण नीति

1425. श्री शक्ति मोहन मलिक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के शारीरिक रूप से नि:शक्त कर्मचारियों के संबंध में सरकार की स्थानांतरण नीति क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई निर्देश जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार को शारीरिक रूप से नि:शक्त कर्मचारियों के स्थानांतरण में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधार उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) शारीरिक रूप से नि:शक्त कर्मचारियों के संबंध

में भारत सरकार की स्थानांतरण नीति दिनांक 10.05.1990 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-बी 14014/41/90-स्था. (आरआर) और तदुपरांत दिनांक 13.03.2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-बी 14017/16/2002-स्था.(आरआर) में निर्धारित की गई है। इन दोनों कार्यालय ज्ञापनों की प्रतियां विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं, जहां तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का संबंध है, अनियामितताओं के संबंध में विशेष शिकायत के साथ ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांक 10.05.1990 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-बी 14017/41/91-स्था. (आरआर) का पाठ निम्नानुसार है:

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार के अधीन नियुक्त शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों को उनके मूल निवास स्थान अथवा यथासंभव उनके मूल जिले में नियुक्त करने को प्रथमिकता देने के संबंध में सुझाव दिया गया है। इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है। यह निर्धारित करना संभव या व्यावहारिक नहीं होगा कि अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व वाले समूह-क या समूह-ख के शारीरिक रूप से निःशक्त कर्मचारियों को उनके मूल स्थान के निकट नियुक्त किया जाए। तथापि, क्षेत्रीय आधार पर भर्ती किए गए और शारीरिक रूप से निःशक्त समूह-ग या समूह-घ कर्मचारियों के मामले में जहां तक संभव हो, प्रशासनिक मजबूरियों के अध्यधीन, ऐसे व्यक्तियों को उस क्षेत्र के अंतर्गत अपने मूल स्थानों पर नियुक्त किया जाए।

शारीरिक रूप से निःशक्त कर्मचारियों के अपने मूल स्थान या मूल स्थान के निकट स्थानांतरण के लिए अनुरोधों को भी प्राथमिकता दी जाए।

3. सभी अधीनस्थ कार्यालयों को उचित अनुदेश भी जारी किए जाएं।

हस्ताक्षर
(जे.एस. माथुर)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग

दिनांक 13.03.2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-बी 14017/16/2002-स्था. (आरआर) का पाठ निम्नानुसार है

इस विभाग के दिनांक 10.05.1990 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-बी 14017/41/90-स्था. (आरआर) का संदर्भ लें।

2. विभाग के दिनांक 10.05.1990 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में दिए गए शारीरिक रूप से निःशक्त कर्मचारियों के अपने मूल स्थान या मूल स्थान के निकट स्थानांतरण को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी दिशा-निर्देश के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शारीरिक रूप से निःशक्त कर्मचारियों में समूह-क, ख, ग और घ कर्मचारी शामिल हैं।

3. सभी अधीनस्थ कार्यालयों को उचित अनुदेश भी जारी किए जाएं।

हस्ताक्षर
(आलोक सक्सेना)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग

सं. ए-बी 14017/41/90-स्था (आरआर)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 10 मई, 1990

कार्यालय ज्ञापन

विषय: शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों की तैनाती।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार के अधीन नियुक्त शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों को उनके मूल निवास स्थान अथवा यथासंभव उनके मूल जिले में नियुक्त करने को प्रथमिकता देने के संबंध में सुझाव दिया गया है। इस मामले पर ध्यान पूर्वक विचार किया गया है। यह निर्धारित करना संभव या व्यावहारिक नहीं होगा कि अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व वाले समूह-क या समूह-ख के शारीरिक रूप से निःशक्त कर्मचारियो को उनके मूल स्थान के निकट नियुक्त किया जाए। तथापि, क्षेत्रीय आधार पर भर्ती किए गए और शारीरिक रूप से निःशक्त समूह-ग या समूह-घ कर्मचारियों के मामले में जहां तक संभव हो, प्रशासनिक मजबूरियों के अध्यधीन, ऐसे व्यक्तियों को उस क्षेत्र के अंतर्गत अपने मूल स्थानों पर नियुक्त किया जाए।

2. शारीरिक रूप से नि:शक्त कर्मचारियों के अपने मूल स्थान या मूल स्थान या मूल स्थान के निकट स्थानांतरण के लिए अनुरोधों को भी प्राथमिकता दी जाए।

3. सभी अधीनस्थ कार्यालयों को उचित अनुदेश भी जारी किए जाएं।

हस्ताक्षर

(जे.एस. माथुर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग

सं. ए-बी 14017/16/2002-स्था (आरआर)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 13 मई, 2002

कार्यालय ज्ञापन

विषय: शारीरिक रूप से नि:शक्त अभ्यर्थियों की तैनाती।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 10.05.1990 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-बी 14017/41/90-स्था. (आरआर) (प्रति संलग्न) का संदर्भ लें।

2. विभाग के दिनांक 10.05.1990 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में दिए गए शारीरिक रूप से नि:शक्त कर्मचारियों के अपने मूल स्थान या मूल स्थान के निकट स्थानांतरण को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी दिशा-निर्देश के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शारीरिक रूप से नि:शक्त कर्मचाारियों में समूह-क, ख, ग और घ के कर्मचारी शामिल हैं।

3. सभी अधीनस्थ कार्यालयों को उचित अनुदेश भी जारी किए जाएं।

हस्ताक्षर

(आलोक सक्सेना)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

ऋण योजना पर ब्याज सब्सिडी

1426. श्री नवीन जिन्दल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु दिए जाने वाले ऋण पर 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत को देखते हुए इन छात्रों के लिए 4.5 लाख रुपए की वर्तमान वार्षिक अभिभावक आय सीमा को बढ़ाने का है ताकि और अधिक छात्र इस योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र बन सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 1 अप्रैल, 2009 से शुरू शैक्षिक वर्ष 2009-10 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों द्वारा भारत में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि (अर्थात पाठ्यक्रम अवधि के बाद एक वर्ष अथवा रोजगार प्राप्त करने के बाद 6 माह में से जो भी पहले हो) हेतु पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की एक नई केन्द्रीय योजना आरंभ की है।

योजना का ब्यौरा इस मंत्रालय की वेबसाइट *www.education.nic.in* पर उपलब्ध है। 1 अप्रैल, 2009 से 25 लाख से अधिक छात्रों द्वारा लाभ प्राप्त करने का अनुमान है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्दू भाषा को प्रोत्साहन

1427. श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उर्दू भाषा के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या सरकार का विचार उर्दू में गुणवत्तापरक शिक्षा तक आसान पहुंच के लिए विभिन्न राज्यों में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय के उत्कृष्टता केंद्र अथवा उप-परिसर स्थापित किए जाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन (एनसीपीयूएल) की स्थापना की है। एनसीपीयूएल द्वारा उर्दू भाषा के प्रोत्साहन के लिए कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा, व्यावसायिक लेखांकन और बहुभाषीय डेस्क टॉप पब्लिशिंग (सीएबीए-एमडीटीपी); उर्दू में एक वर्षीय डिप्लोमा; कैलीग्राफी और ग्राफिक डिजाइन में दो वर्षीय डिप्लोमा; उर्दू पुस्तकों की थोक खरीद के माध्यम से उर्दू साहित्य का संवर्धन, पांडुलिपियों, पुस्तकों, आवधिक पत्रिकाओं और लघु तथा मध्यम उर्दू समाचार पत्रों का प्रकाशन तथा देश भर में आयोजित पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी; प्रदर्शनी वैनों के दौरे तथा संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करना शामिल है। एनसीपीयूएल योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान योजना-वार उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूू), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, अवर स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के माध्यम से उर्दू भाषी जनसंख्या की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान 207.44 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, 4.00 करोड़ रुपए प्रत्येक का विशेष अनुदान भी यूजीसी द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को XIवीं योजना के दौरान उर्दू माध्यम के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए केन्द्रों की स्थापना हेतु आवंटित किया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एमएएनएनयू अपने सैटलाइट परिसर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक वर्ष 2009-2010 से स्नातकोत्तर और स्नातक के उर्दू कार्यक्रम चला रहा है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान योजनावार उपलब्धियां:

1. कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकांटिंग तथा बहुभाषाई डीटीपी (सीएबीए-एमडीटीपी) में एक वर्ष का डिप्लोमा

वर्ष	कुल केन्द्रों की संख्या	कुल छात्रों की संख्या
2010-2011	357	19465
2011-2012	298	22551
2012-2013	425	24019

2. कैलिग्राफी और ग्राफिक डिजाइन प्रशिक्षण केन्द्रों में दो वर्ष का डिप्लोमा

वर्ष	कुल केन्द्रों की संख्या	कुल छात्रों की संख्या
2010-2011	35	875
2011-2012	35	875
2012-2013	45	1125

3. उर्दू में एक वर्ष का डिप्लोमा

वर्ष	केन्द्रों की संख्या	छात्रों की संख्या
2010-2011	933	58537
2011-2012	1021	63171
2012-2013	1012	67811

4. लेखकों/संपादकों/अनुवादकों से बड़ी संख्या में पुस्तकों की खरीद

वर्ष	पुस्तकों और जर्नलों की कुल संख्या
2010-2011	206
2011-2012	264
2012-2013	231

5. सेमिनारों/व्याख्यान मालाओं/अल्प अवधि अध्ययनों/पांडुलिपियों के प्रकाशनों हेतु वित्तीय सहायता

वर्ष	संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	लेखकों की कुल संख्या
2010-2011	172	68
2011-2012	116	110
2012-2013	173	171

6. यूनाईटेड न्यूज ऑफ इंडिया की उर्दू सेवाएं प्राप्त करने के लिए छोटे तथा मध्यम उर्दू समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता

वर्ष	समाचारपत्रों की कुल संख्या
2010-2011	81
2011-2012	80
2012-2013	85

7. पुस्तकों और आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन

वर्ष	नए	पुनः मुद्रण	पत्रिका	जर्नल	पाठ्यक्रम पुस्तकें
2010-2011	118	102	12	04	42
2011-2012	113	133	12	04	40
2012-2013	73	40	12	04	29

8. सेल और पुस्तक मेलों में भाग लेकर और प्रदर्शनी आयोजित करके तथा प्रदर्शनी वैन के दौरे के माध्यम से उर्दू पुस्तकों का संवर्धन

वर्ष	अखिल भारतीय पुस्तक मेला	भागीदारी	प्रदर्शनी वैन
2010-2011	01	07	07
2011-2012	01	10	04
2012-2013	01	07	04

9. राष्ट्रीय सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला

वर्ष	सेमिनारों की संख्या	स्थान
1	2	3
2010-2011	05	भोपाल, नई दिल्ली (02), अलगढ़, मुंबई
2011-2012	06	शोलापुर (01), नई दिल्ली (05)
2012-2013	03	दिल्ली (01), शोलापुर (01), हरगांव (01)

केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों के लिए ए.सी.पी. योजना

1428. श्री हरिभाऊ जावले : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसीपी) योजना को केंद्रीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने शिक्षकों के लिए एसीपी योजना का कार्यान्वयन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) सुनिश्चत कैरियर प्रोन्नति (एसीपी) योजना की सिफारिश पांचवे वेतन आयोग द्वारा की गई थी। इसके बाद छठे वेतन आयोग ने पूर्ववर्ती एसीपी के स्थान पर संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम (एमएसीपी) की सिफारिश की है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों ने एसीपी का विकल्प नहीं चुना था इसलिए, वे एमएसीपी के लिए पात्र नहीं हैं।

अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला

1429. श्री अमरनाथ प्रधान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उक्त अवधि के दौरान केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के अधीन खोले गए नये कालेजों की संख्या कितनी है; और

(घ) वांछित पाठ्यक्रमों के लिए नियमित कालेजों में योग्य छात्रों का दाखिला सुनिश्चित किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हमें प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान नियमित विषयों में अवर-स्नातक स्तर पर नामांकित राज्य-वार छात्रों की संख्या और प्रतिशतता वृद्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जैसाकि यूजीसी द्वारा सूचित किया गया है, इस अवधि के दौरान केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों के वर्गों में खोले गए कालेजों की संख्या क्रमश: 63 और 3747 है।

(घ) सरकार द्वारा शुरू किए गए अनेक कार्यक्रमों और स्कीमों से उच्चतर शिक्षा में नई दाखिला क्षमता का सृजन हुआ है। इनमें अभिज्ञात 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कालेजों की योजना, 16 नए केन्द्रीय विद्यालय, 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 भारतीय प्रबंधन संस्थान, 10 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि शामिल हैं। केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के पारित होने के परिणाम-स्वरूप, केन्द्र सरकार ने सभी केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में दाखिला क्षमता 54 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। इससे इन संस्थाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या में अत्यधिक विस्तार हुआ है।

राज्य नियंत्रित सार्वजनिक संस्थाओं में दाखिला क्षमता की वृद्धि, राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है।

विवरण

वर्ष 2009-10 और 2011-12 के दौरान अवर-स्नातक छात्रों के नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	अवर स्नातक विद्यार्थियों का ामांकन कुल (सभी वर्षों सहित)		
		2009-10	2011-12	वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1469169	1711888	14.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	13978	18266	23.48
3.	असम	246984	262378	5.87
4.	बिहार	717306	889036	19.32
5.	छत्तीसगढ़	241890	312100	22.50
6.	दिल्ली	193380	229917	15.89
7.	गोवा	23951	25259	5.18
8.	गुजरात	835099	971946	14.08
9.	हरियाणा	412614	443928	7.05
10.	हिमाचल प्रदेश	111990	129773	13.70
11.	जम्मू और कश्मीर	169447	189515	10.59
12.	झारखंड	324082	362806	10.67
13.	कर्नाटक	758497	884723	14.27
14.	केरल	324228	453948	28.58
15.	मध्य प्रदेश	818677	933744	12.32
16.	महाराष्ट्र	1766230	2051643	13.91
17.	मणिपुर	29693	33099	10.29
18.	मेघालय	37483	39088	4.11
19.	मिज़ोरम	10438	14320	27.11
20.	नागालैंड	17202	21437	19.76
21.	ओडिशा	445507	505974	11.95
22.	पंजाब	376410	429440	12.35
23.	राजस्थान	838283	975568	14.07
24.	सिक्किम	8563	11269	24.01
25.	तमिलनाडु	1190705	1538397	22.60
26.	त्रिपुरा	30165	43565	30.76
27.	उत्तर प्रदेश	2135048	2496428	14.48
28.	उत्तराखंड	201435	237458	15.17
29.	पश्चिम बंगाल	864349	1143322	24.40
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3008	3455	12.94

1	2	3	4	5
31.	चंडीगढ़	46323	51212	9.55
32.	दादरा और नगर हवेली	1684	1925	12.52
33.	दमन और दीव	804	904	11.06
34.	लक्षद्वीप	320	384	16.67
35.	पुदुचेरी	28713	37414	23.26
	कुल	14693655	17455529	15.82

[हिन्दी]

न्यायाधीशों के आरक्षित पद

1430. श्री राम सिंह कस्वां : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित न्यायाधीशों के पद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अन्य पिछड़ो वर्ग को आरक्षण देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्रमश: भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है। यह अनुच्छेद किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं। अत:, न्यायाधीशों के जाति-वार या वर्ग-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार ने, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और स्त्रियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजे जाने का अनुरोध किया है।

देश में कार्यरत सेलफोन कंपनियां

1431. श्री जगदीश सिंह राणा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक देश में कार्य कर रही निजी सेलफोन कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ख) नयी टेलीकॉम कंपनियां शुरू किए जाने के लिए क्या मानक हैं;

(ग) क्या निजी सेलफोन कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल के मुकाबले उपभोक्ताओं को आकर्षक योजनाएं दे रही हैं जिसके कारण इन सरकारी उपक्रमों की कंपनियों की बाजार में हिस्सेदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) अद्यतन स्थिति के अनुसार देश में 25 प्राइवेट सेलफोन कंपनियां कार्य कर रही हैं।

(ख) इस समय सेवाओं के लिए दूरसंचार कंपनियां शुरू करने हेतु 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अनुमत्य है और अवसंरचना प्रदाता (आईपी-I) कंपनियां शुरू करने के लिए 100% एफडीआई अनुमत्य है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तकनीकी शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी

1432. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश में तकनीकी शिक्षा के लिए शिक्षकों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस कमी को दूर करने के लिए पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश सहित देश में तकनीकी शिक्षा के लिए अध्यापकों की कमी है। संस्था में संकाय की कमी प्राय: सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र और समुचित योग्य व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण होती है। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	संस्थानों का नाम	संस्वीकृत	वर्तमान में भरे हुए पद	रिक्तियां
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)	11920	7399	4521
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)	6425	4259	2166
3.	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी)	520	406	114
4.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)	240	159	81
5.	भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम)	737	581	156
6.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)	396	318	78
7.	आयोजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए)	190	119	71

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं ने अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमश: 1:15 और 1:12 के निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात के प्रकाश में कुछ हद तक अध्यापकों की कमी दर्शाई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संबद्ध संस्थान संकाय पदों के लिए उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहे हैं। इन उपायों में से कुछ में वर्ष भर खुले विज्ञापन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चयन समिति की बैठकों का आयोजन, संभावित अभ्यर्थियों तक पहुंच के लिए पूर्व छात्रों, वैज्ञानिकों और संकाय सदस्यों को आमंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञान, उत्कृष्ट युवा संकाय पुरस्कार इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के तहत कार्यरत संकाय सदस्यों को दस वर्ष की अवधि के लिए दीर्घावधि प्रतिनियुक्ति आधार पर नए गठित केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

एआईसीटीई अनुमोदित संस्थाओं की संकाय संख्या में सुधार करने के लिए एआईसीटीई द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

- योग्य संकाय की कमी/अनुपलब्धता को देखते हुए एआईसीटीई ने प्रो-टर्म लेक्चरर के रूप में बीटेक योग्यता वाले अध्यापकों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है। उक्त प्रो-टर्म लेक्चरर से ती वर्ष की अवधि के भीतर स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने की आशा की जाती है।

- योग्य संकाय की कमी के मुद्दे को हल करने और छात्रों को एम टेक डिग्री प्राप्त करने के लिए उच्च अध्ययन हेतु सुविधाएं प्रदा करने के लिए एआईसीटीई ने मौजूदा संस्थाओं में दूसरी पाली आरंभ करने की अनुमति प्रदान की है।

- संकाय को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने के लिए एआईसीटीई की कई योजनाएं हैं जिनके माध्यम से अनुदान आबंटित किया जाता है नामत:, शोध (i) शोध संवर्धन योजना (आरपीएस), (ii) राष्ट्रीय समन्वित परियोजना (एनसीपी), (iii) औद्योगिक सहयोग के साथ इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय सुविधाएं (एनएएफईटीआईसी), (iv) अप्रचलित

का आधुनिकीकरण और उसे हटाना (एमओडीआरओबीएस), (v) उद्यमशीलता विकास प्रकोष्ठ (ईडीसी), (vi) उद्योग संस्थान भागीदारी प्रकोष्ठ (आईआईपीसी), (vii) यात्रा अनुदान (पीजी), (viii) सेमिनार अनुदान, (ix) संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी), (x) अवकाश प्राप्त अध्येताकृति (ईएफ), (xi) युवा अध्यापकों के लिए करियर अवॉर्ड (सीएवाईटी), (xii) अतिथि प्रोफेसरशिप (वीपी), (xiii) एआईसीटीई-आईएनएई प्रतिष्ठित अतिथि प्रोफेसरशिप (डीवीपी), (xiv) राष्ट्रीय डॉक्टोर फैलोशिप (एनडीएफ), (xv) शोध पार्क (आरपी), (xvi) नवाचार संवर्धन योजना (आईपीएस), (xvii) पीजी छात्रवृत्ति, (xviii) एआईसीटीई-आईएनएई-टीआरएफ (अध्यापक शोध फ्लोशिप), (xix) एआईसीटीई-आईएनएई-टीजी (छात्रों को यात्रा अनुदान), (xx) संकाय के लिए शीतकालीन और ग्रीष्म स्कूल, (xxi) छात्रों के लिए फिनीशिंग स्कूल, (xxii) इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय राष्ट्री डिजिटल पुस्तकालय (आईएनडीईएसटी), (xxiii) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी) (xxiv) आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रावास (एचआरसीएस)।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अतिरिक्त पद

1433. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य के लिए अखिल भारतीय सेवा विशेषकर आईएएस और आईपीएस के अतिरिक्त पदों को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में प्रत्येक संवर्ग में पदों की संख्या और प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक राज्य की वास्तविक मांग कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार के प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4(2) के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है। प्रत्येक राज्य की अखिल भारतीय सेवाओं, विशेषकर आईएएस/आईपीएस की संवर्ग संख्या बल की सामान्यत: प्रत्येक संवर्ग समीक्षा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दर्शाए गए औचित्यों/आवश्यकताओं के अनुसार समीक्षा की जाती है। आईएएस/आईपीएस के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत अतिरिक्त पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्तमान में राज्य सरकारों की ओर से कोई मांग नहीं है। असम, मेघालय, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा तमिलनाडु के आईएएस संवर्ग की समीक्षा वर्ष 2013 में होनी है।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत अतिरिक्त पद

क्र. सं.	राज्य संवर्ग/संयुक्त संवर्ग	संवर्ग समीक्षा से पूर्व वरिष्ठ ड्यूटी पद	संवर्ग समीक्षा के उपरांत वरिष्ठ ड्यूटी पद
1.	आंध्र प्रदेश	188	204
2.	गुजरात	142	162
3.	हरियाणा	112	112
4.	हिमाचल प्रदेश	71	80
5.	केरल	116	126
6.	मध्य प्रदेश	199	227
7.	नागालैंड	39	50
8.	सिक्किम	27	27
9.	उत्तराखंड	51	66
10.	उत्तर प्रदेश	290	321
11.	पश्चिम बंगाल	171	195

भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत अतिरिक्त पद

क्र. सं.	राज्य संवर्ग/संयुक्त संवर्ग	संवर्ग समीक्षा से पूर्व वरिष्ठ ड्यूटी पद	संवर्ग समीक्षा के उपरांत वरिष्ठ ड्यूटी पद
1.	केरल	78	89
2.	नागालैंड	33	39

एमएसएमई में अन्य देशों के साथ सहयोग

1434. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 11वीं और 12वीं योजनावधि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं/करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में उद्यमों को हुए लाभ/संभावित लाभों सहित क्या परिणाम प्रात हुए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, निवेशों को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त कार्रवाईयों, सर्वेक्षण व व्यवहार्यता अध्ययनों, सहभागिता वाली परियोजनाओं, प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों, व्यावसायिक मिशनों के विनिमय, सूचना विनिमय, आदि के व्यापक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के साथ दीर्घकालीन करार/समझौता ज्ञापन (एमओयू) करती है।

11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान, सरकार ने निम्नलिखित देशों के साथ करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:—

वर्ष	देश का नाम	करार का प्रकार	प्रतिपक्षी मंत्रालय/संगठन	हस्ताक्षर की तिथि और स्थान
2009-10	मिस्र अरब गणराज्य	सुंक्त कार्रवाई योजना	व्यापार व उद्योग मंत्रालय	29/10/2009 काहिरा
2010-11	बोत्सवाना गणराज्य	समझौता ज्ञापन	बोत्सवाना गणराज्य की सरकार	17/06/2010 नई दिल्ली
	कोरिया गणराज्य	समझौता ज्ञापन	लघु और मध्यम व्यवसाय प्रशासन	18/06/2010 कोरिया
	मोजांबिक गणराज्य	समझौता ज्ञापन	उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय	30/09/2010 नई दिल्ली
	इंडोनेशिया गणराज्य	समझौता ज्ञापन	सहकारी और लघु व मध्म उद्यम मंत्रालय	25/01/2011 नई दिल्ली
2012-13	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	समझौता ज्ञापन	योजना और निवेश मंत्रालय	15/01/2013 हनोई

समझौता ज्ञापन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट http://msme.gov.in पर उपलब्ध हैं। मारीशस गणराज्य तथा भारत में ताइपेई आर्थिक व सांस्कृतिक केन्द्र (टीईसीसी) के साथ समझौता ज्ञापन अंतिम रूप दिए जाने के आखिरी चरण में हैं।

समझौता ज्ञापन सरकार तथा एमएसएमई को दोनों देशामें में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र से संबंधित पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श तथा एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन व विकास के लिए सहोग की संभावनाओं का पता लगो के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदायों की वित्तीय सहायता

1435. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विद्यालयों, पुस्तकालयों, मदरसों आदि के निर्माण के लिए अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार और समुदाय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजनार्थ दिए गए अनुदानों के उपयोग की निगरानी रखने के लिए कोई पर्यवेक्षण निकाय है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान निजी सहायता प्राप्त/ गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) योजना के अंतर्गत स्कूलों, पुस्तकालयों, कक्षा-कक्षों, शौचालयों आदि के निर्माण हेतु अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला राज्य/समुदाय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आईडीएमआई योजना राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जिसके द्वारा लाभार्थी विद्यार्थियों की कुल संख्या, संस्थाओं द्वारा प्राप्त तथा उपयोग की गई राशि की गिरानी की जाती है। केन्द्र सरकार संस्थाओं को अनुदान दो किस्तों में जारी करती

है। राज्य सरकार द्वारा पहली किस्त के व्यय का संपरीक्षित विवरण तथा संबद्ध संस्थान द्वारा अवसंरचना उन्नयन में उसके 25% भाग का योगदान दिए जाने से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही दूसरी किस्त जारी की जाती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान निजी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्क संस्थान अवसंरचना विकास (आडीएमआई) योजना के अंतर्गत स्कूलों, पुस्तकालयों, कक्षा-कक्षों, शौचालयों आदि के निर्माण हेतु अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला राज्य/समुदाय-वार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13	
		संस्थानों की संख्या	राशि	संस्थानों की संख्या	राशि	संस्थानों की संख्या	राशि
1.	गुजरात	15	191.20	6	124.30	0	0.0
2.	हरियाणा	12	201.12	10	145.36	0	0.0
3.	जम्मू और कश्मीर	1	25.00	0	0.00	0	0.0
4.	कर्नाटक	15	281.98	31	357.26	20	357.12
5.	केरल	15	337.73	126	2588.56	21	229.14
6.	मध्य प्रदेश	12	252.94	0	0.00	11	227.94
7.	महाराष्ट्र	19	387.61	39	754.59	26	401.51
8.	राजस्थान	7	102.83	0	0.00	5	3.71
9.	उत्तराखंड	12	190.29	17	208.32	45	687.25
10.	सिक्किम	0	0.00	15	345.60	16	55.79
11.	मिज़ोरम	0	0.00	1	25.00	212	444.21
12.	असम	0	0.00	4	94.22	0	0.00
13.	उत्तर प्रदेश	14	277.05	10	200.39	18	431.33
	योग	122	2247.80	259	4843.60	184	2838.00

समुदाय-वार ब्रेक-अप:

समुदाय	2010-11	2011-12	2012-13	योग
मुस्लिम	107	189	135	431
ईसाई	15	55	31	101
सिख	0	3	2	5
बौद्ध	0	12	16	28
योग	122	259	184	565

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना

1436. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (एआईआई) आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्री एस. सदगोपन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत और कार्यान्वित किए जाने की संभावना हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (एनआईआई) विषयक प्रस्ताव पर वर्तमान में केवल विचार-विमर्श किया जा रहा है। अभी राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (एनआईआई) का शुभारंभ करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (एनआईआई) का उद्देश्य और लक्ष्य टुकड़ों में विभाजित नेटवर्क अवसंरचना की वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना, प्रयासों की पुर्नवृत्ति को रोकना, अपर्याप्त प्रशिक्षित जन शक्ति, साइबर सुरक्षा के लिए बड़ी हुई चुनौतियों आदि का समाधान करना और अनुप्रयोगों की सरल अंतर प्रचालनीयता को सुकर बनाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) मसौदा उत्तर 31 अक्तूबर, 2013 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

गरीबी से निपटने हेतु ऋण

1437. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का देश में गरीबी से निपटने के लिए भारत को 20 बिलियन डॉलर तक ऋण देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस ऋण के अंतर्गत वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में गरीबी की दर को कम करने में इससे किस स्तर पर मदद मिलेगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) भारत के लिए विश्व बैंक की देश कार्यक्रम रणनीति द्वारा (सीपीएस. 2013-17) विश्व बैंक समूह (आईडीए, आईबीआरडी, आईएफसी) से प्रत्येक वर्ष हेतु लगभग 4 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता का अनुमान लगाया गया है।

(ग) आईडीए निधियों का उपोग मुख्य रूप से परियोजनाओं जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और अन्य संबंधित क्षेत्रकों में किया जाता है। आईबीआरडी ऋणों का उपयोग मुख्य रूप से यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा इत्यादि क्षेत्रों की परियोजाओं के लिए किया जाता है। आईएफसी निवेश निजी क्षेत्रक के लिए होते हैं।

(घ) विश्व बैंक समूह से निधियन गरीबी को कम करने हेतु भारत सरकार के समग्र प्रयासों का एक हिस्सा है।

[हिन्दी]

विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सेवा

1438. श्री महेश जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान सहित देश के सभी विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) "स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक स्कूल में कम-से-कम 2 एमबीपीएस इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की व्यवस्था के साथ कम्प्यूटरों के प्रपण और कम्प्यूटर अवसंरचना तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में राजस्थान सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चत माध्यमिक स्कूलों को शामिल करने की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए अब तक 96077 स्कूलों का अनुमोदन किया गया है।

(ख) राज्य-वार स्कूलों की संख्या, जिन्हें अब तक स्कूल में आईसीटी के अंतर्गत शामिल किया गया है संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विद्यायलों में ब्राडबैंड सेवा के संबंध में डा. महेश जोशी द्वारा दिनांक 14.08.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1438 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्कूल

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	अनुमोदित स्मार्ट स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	—	—	12	—	14	—	28	—	—		—
आंध्र प्रदेश	500	—	200	5000	2000	—	4031	—	—	—	05
अरुणाचल प्रदेश	—	154	—	35	—	55	24	—	—	—	—
असम	—	—	—	641	—	—	1240	969	—	—	—
बिहार	—	180	—	1000	—	—	—	—	—	—	—
चंडीगढ़	—	—	20	67	—	—	—	—	—	—	—
छत्तीसगढ़	—	—	100	200	800	1100	—	—	—	—	—
दादरा और नगर हवेली	—	—	06	06	—	—	13	01	—	—	02
दमन और दीव	—	15	—	22	—	—	08	—	—	—	02
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	594	1110	—	—	—
गोवा	—	230	—	432	—	—	—	—	—	—	—
गुजरात	—	—	—	1150	2500	2730	—	—	—	—	—
हरियाणा	—	100	—	500	1000	1000	1617	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	628	—	618	848	—	70	05
जम्मू और कश्मीर	—	140	—	—	—	200	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
झारखंड	—	—	—	1074	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	150	480	—	2279	4396	—	—	—	—	—	—
केरल	—	125	—	1016	3055	—	—	—	—	—	05
लक्ष्यद्वीप	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	—	230	—	320	—	2000	—	2000	—	—	—
महाराष्ट्र	—	—	200	500	2500	—	—	5000	—	—	—
मणिपुर	—	—	—	65	—	—	260	—	—	—	04
मेघालय	—	—	—	75	75	100	241	164	—	—	04
मिज़ोरम	—	60	—	—	100	—	37	181	—	—	04
नागालैंड	—	53	147	284	—	—	82	—	121	—	04
ओडिशा	—	200	—	—	—	—	4000	—	2000	—	—
पुदुचेरी	—	—	25	169	—	—	—	182	—	—	04
पंजाब	—	200	—	—	2000	870	494	—	134	—	05
राजस्थान	—	100	—	2500	2000	—	2000	—	—	—	—
सिक्किम	—	103	—	02	—	—	46	—	—	—	04
तमिलनाडु	—	125	—	400	400	1880	461	1999	—	—	05
त्रिपुरा	—	—	200	400	282	—	282	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	—	—	200	2500	1500	—	1500	1608	—	—	05
उत्तराखंड	—	25	—	100	—	—	500	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	—	200	—	343	1400	—	2000	—	—	—	05
कुल	650	122720	1110	21080	24650	9935	19482	14862	2255	70	63

पॉवर बैकअप प्रौद्योगिकी

1439. **श्री देवजी एम. पटेल :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में खराब पावर बैकअप सिस्टम/बैटरियों के कारण बीएसएनएल मोबाइल और लैंडलाइन फोन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी असुविधा के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल के जिन उपभोक्ताओं ने अपने कनेक्शन वापस किए हैं उनकी संख्या कितनी हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पुरानी पॉवर बैकअप प्रौद्योगिकी/बैटरियों को वैकल्पिक प्रौद्योगिकी से बदलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) और (ङ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने सूचित किया है कि इसकी मोबाइल और लैंडलाइन फोन सेवाएं बिजली की उपलब्धता पर निर्भर होती है। बीएसएनएल द्वारा सभी टावर स्थलों पर बैटरी बैकअप प्रणाली द्वारा पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। बैटरी सहित बिजली बैकअप प्रणाली में कभी-कभार खराबी आ जाती है। बीएसएनएल खराब बिजली बैकअप प्रणाली और खराब बैटरियों को आवश्यकतानुसार बदलता है। बीएसएनएल ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बैटरियों को बदलने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सहित कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी का उयोग करने वाली एक स्कीम का अनुमोदन किया है।

पावर बैकअप खराबी के कारण वापस किए गए कनेक्शनों की संख्या को सुनिश्चित करना कठिन है। तथापि, पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिनांक 30.06.2013 तक) के दौरान बंद किए गए/वापस किए गए मोबाइल और लैंडलाइन कनेक्शनों का पूरा ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	बंद किए गए/ वापस किए गए मोबाइल फोन कनेक्शन	बंद किए गए/ वापस किए गए लैंडलाइन फोन कनेक्शन
2010-11	35,07,412	43,06,494
2011-12	1,27,34,533	43,70,414
2012-13	1,06,92,109	34,60,351
2013-14 (दिनांक 30.06.2013 तक)	55,35,708	8,95,237

[अनुवाद]

सभी मतदाताओं को पहचान पत्र जारी किया जाना

1440. **श्री निलेश नारायण राणे :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश के सभी मतदाताओं को पहचान पत्र जारी किए जाने हेतु व्यवस्था करने का सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में दिसंबर, 2012 तक सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं और ऐसे राज्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ग) ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां चुनावों में मतदान करने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य बनाया गया था और किस आधार पर यह निर्णय किया गया था;

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) निर्वाचन आयोग के आदेशों को कार्यान्वित करने और प्रत्येक राज्य में मतदान करने के लिए पहचान पत्र को अनिवार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) निर्वाचन आयोग के सूचित किया है कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने की प्रक्रिया

एक सतत प्रक्रिया है; नए पात्र निर्वाचकों के नाम प्रत्येक वर्ष जोड़े जाते हैं और उन व्यक्तियों का जो स्थानांतरित कर गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, के नाम हटाने होते हैं। इसके अतिरिक्त, व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास के कारण निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों में (इपीआईसी) आवेदनों के आधार पर परिवर्तन किया जाना आवश्यक होता है। निर्वाचन आयोग का शतप्रतिशत निर्वाचक फोटो पहचान पत्र-कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास रहा है और आयोग यथा संभवशीघ्र सभी अवशेष निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (इपीआईसी) जारी करने का हर संभव कर रहा है।

(ख) वर्तमान में चौदह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, दादरा ओर गर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप में लगभग शतप्रतिशत निर्वाचक फोटो पहचा पत्र-कवरेज है। अर्हत तारीख के रूप में, 01.01.2013 के संदर्भ में अंतिम रूप से प्रकाशित नामावलियों के अुसार निर्वाचकों को जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों (ईपीआईसी) की संख्या दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 यह उपबंध करती है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण की निवारण की दृष्टि से, मतदान के समय पहचान साबित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में उपबंध किए जाएं। इसके अतिरिक्त, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ज(3) और 49ट(2) (ख) यह नियत करते हैं कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रदान नहीं किए गए हैं वहां निर्वाचक अपनी पहचान साबित करने के लिए मतदान केन्द्र पर अपने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रस्तुत करेंगे और उनकी ओर से इन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने से इंकार करे का परिणाम मत डालने की अनुज्ञा का वंचित किया जाना हो सकता है। अधिनियम और नियमों के पूर्वोक्त उपबंधों का संयुक्त और सुमेलित पठन यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि मताधिकार निर्वाचक नामावली में ाम की विद्यमान्यता से उत्पन्न होता है, यह उपयोग पर भी निर्भर करता है जहां निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं वहां यह उनके उपयोग पर निर्भर करता है और यह कि दोनों को एकसाथ प्रयोग किया जाए। तथापि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की कोई वास्तविक निर्वाचक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, निर्वाचन आयोग मत डालने से पूर्व निर्वाचक द्वारा पहचान साबित करे के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के अतिरिक्त कतिपय वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों को भी विनिर्दिष्ट करता है। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) या अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से पहचान साबित करने की अपेक्षा का सभी राज्यों पालन किया जा रहा है।

विवरण

ईपीआईसी, 2013 की प्रास्थिति को दर्शित करने वाला ब्यौरा (अंतिम प्रकाशन के समय पर)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	साधारण निर्वाचन, 2013 को कुल संख्या	जारी ईपीआईसी की कुल संख्या	ईपीआईसी कवरेज का %
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	58143670	58143670	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	741680	737670	99.46
3.	असम	19043470	0	0.00
4.	बिहार	59222225	52884279	89.30
5.	छत्तीसगढ़	16269489	14753141	90.68
6.	गोवा	1054371	1054371	100.00

1	2	3	4	5
7.	गुजरात##	38077453	37948644	99.66
8.	हरियाणा	14684233	14684233	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश##	4515602	4515602	100.00
10.	जम्मू और कश्मीर	6839055	5880327	85.98
11.	झारखंड	19146829	17561366	91.72
12.	कर्नाटक	41838541	41409485	98.97
13.	केरल	23548090	23548090	100.00
14.	मध्य प्रदेश	45940332	45704082	99.49
15.	महाराष्ट्र	79918631	68426438	85.62
16.	मणिपुर	1747889	1747889	100.00
17.	मेघालय	1488719	1488719	100.00
18.	मिज़ोरम	680255	680255	100.00
19.	नागालैंड	1192377	0	0.00
20.	ओडिशा	29675289	27646607	93.16
21.	पंजाब	18426185	18415037	99.94
22.	राजस्थान	39254742	38478434	98.02
23.	सिक्किम	346763	346763	100.00
24.	तमिलनाडु	51568994	51568994	100.00
25.	त्रिपुरा	2352505	2352505	100.00
26.	उत्तराखंड	6559869	6543915	99.76
27.	उत्तर प्रदेश	129721457	128763797	99.26
28.	पश्चिम बंगाल	60014867	59730604	99.53
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	253110	221111	87.36
30.	चंडीगढ़	556942	556534	99.93

1	2	3	4	5
31.	दादरा और नगर हवेली	94494	92846	98.26
32.	दमन और दीव	171055	171055	100.00
33.	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	12260341	11768536	95.99
34.	लक्षद्वीप	46230	46230	100.00
35.	पुदुचेरी	850475	850475	100.00
	योग	786246229	738721704	93.96

इंटरनेट सेवाओं के लिए प्रवेश शुल्क में कमी

1441. **श्री ए.साई प्रताप : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग प्रवेश अवरोधकों को न्यूनतम रखने की दृष्टि से ग्राहकों को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, लिए जा रहे प्रवेश शुल्क में कमी लाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ग) एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था में श्रेणी ख इंटरनेट सेवा प्राधिकार के प्रवेश शुल्क को 15 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था में श्रेणी ग इंटरनेट सेवा प्राधिकार को 20 हजार रुपए के प्रवेश शुल्क से शुरू किया गया है।

दूरसंचार सेवाओं के विस्तार में अनियमितताएं

1442. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार दूरसंचार सेवाओं के विस्तार में बरती गई अनियमितताओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ठेकेदारों को दिए गए दूरसंचार संबंधी ठेकों का कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान टेलीफोन/केबल/तार बिछाने पर व्यय की गई कुल राशि का कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एएसआई द्वारा अफगानिस्तान में खुदाई

1443. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र (बेगिंग बाउल) के खुदाई स्थल के बारे में सूचना मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अफगानिस्तान से भिक्षा पात्र को वापस लाने ओर इसे वैशाली की जनता को सौंपने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व के उक्त

मूल्यवान वस्तुओं को वैशाली को उपलब्ध कराने की क्या योजनाएं हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ङ) एएसआई ने भारतीय दूतावास, काबुल से प्राप्त पात्र (बेगिंग बाऊल) के फोटोग्राफ की जांच की है तथा कहा है कि इस पात्र (बेगिंग बाऊल) के बाहरी तल पर उत्कीर्णन यह दर्शाता है कि वह पात्र कंधार नगर की किसी मस्जिद (जोकि जामा मस्जिद हो सकती है) से संबंधित है।

यह शिल्पवस्तु इस समय काबुल संग्रहालय में है, जिन्हें इस पात्र (बेगिंग बाऊल) के बारे में प्रामाणिक सूचना प्रदान करने के लिए कहा गया है, परंतु उन्होंने संस्थागत क्षमता के अभाव तथा युद्ध के दौरान रिकॉर्ड नष्ट होने के कारण ऐसा करने में असमर्थता जताई है।

[अनुवाद]

जल की मांग और आपूर्ति

1444. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बड़े शहरों में जल की कुल मांग और मौजूदा जल आपूर्ति को मापने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों के जल आपूर्ति विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार, जल की शहर-वार मांग और आपूर्ति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य/स्थानीय सरकारों का है। शहरी विकास मंत्रालय बड़े/मेट्रो शहरों के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराकर उनके प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है। जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप-मिशन शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत विभिन्न मिशन शहरों के लिए जल आपूर्ति की 163 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

विवरण

बड़े शहरों में पेयजल की कुल मांग और आपूर्ति

क्र. सं.	शहर	जल मांग (एमएलडी में*)	जल आपूर्ति (एमएलडी में*)
1	2	3	4
1.	आगरा	357	270
2.	अहमदाबाद	960	1000
3.	इलाहाबाद	260	312
4.	अमृतसर	204	201
5.	आसनसोल	72.64	45.4
6.	बंगलौर	1250	1125
7.	चेन्नई	1016	831
8.	कोयम्बटूर	250.66	161.40
9.	दिल्ली	4158	3156
10.	धनबाद	161	99.28
11.	फरीदाबाद	250	170
12.	ग्रेटर मुंबई	4200	3500
13.	हैदराबाद	2170.5	1536.8
14.	जयपुर	419.7	362
15.	जमशेदपुर	180	56.7
16.	कानपुर	674	413
17.	कोच्चि	274.2	250
18.	कोलकाता	1344	1362
19.	लखनऊ	510	457
20.	लुधियाना	350	441.7
21.	मदुरै	211	120

1	2	3	4
22.	मेरठ	235	135
23.	नागपुर	420	640
24.	नासिक	350	350
25.	पटना	260	186
26.	पुणे	1125	1125
27.	राजकोट	239	239
28.	सूरत	900	850
29.	बडोदरा	350	350
30.	वाराणसी	275.41	280
31.	विजयवाड़ा	223.68	160.38
32.	विशाखापट्टनम	233	161

*एमएलडी - मिलियन लीटर प्रतिदिन।

नागरिकों के साथ आंकड़ों का आदान-प्रदान

1445. श्री धनंजय सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट कंपनियों को सरकारी एजेंसियों के साथ भारतीय नागरिकों संबंधी आंकड़ों और सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागरिकों में निजता के उल्लंघन को रोकने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने सरकारी एजेंसियों के साथ भारतीय नागरिकों से संबंधित डेटा और सूचना साझा करने के लिए इंटरनेट कंपनियों से अनुरोध नहीं किया है।

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी एक्ट, 2000) की धारा 43क और 72क के अंतर्गत डिजिटल रूप में डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43क के अंतर्गत डेटा की सुरक्षा ओर गोपनीयता की रक्षा के लिए अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं विहित करे और अननुपालन के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 72क के अंतर्गत कानूनी अनुबंध के उल्लंघन में सूचना प्रकट करने के लिए पर्याप्त दंड का प्रावधान है।

अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत 11.04.2011 को अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धतियां तथा संवेदनशील निजी डोटा *अथवा* सूचना) नियमावली, 2011 के अंतर्गत यह अधिदेशित किया गया है कि ऐसे निगमित निकाय, जो निजी डेटा अथवा सूचना एकत्र करते हैं, को अपनी वेबसाइटों पर संवेदनशील निजी डेटा अथवा सूचना सहित निजी सूचना के रख-रखाव या उससे संबंधित किसी कार्रवाई के लिए एक गोपनीयता नीति का प्रावधान करना चाहिए। उन्हें सूचना की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की भी आवश्यकता है।

[हिन्दी]

अवसंरचना क्षेत्र हेतु निर्धारित लक्ष्य

1446. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कतिपय औद्योगिक क्षेत्रों में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अवसंरचना क्षेत्रक में औद्योगिक विकास के लिए कुछ मुख्य लक्ष्य और तत्संबंधी उपलब्धियां इस प्रकार हैं:—

	क्षेत्रक और सूचक		2010-11	2011-12	2012-13
1	ऊर्जा उत्पादन क्षमता वृद्धि (एमडब्ल्यू)	लक्ष्य	20359	17601	17956
		उपलब्धि	12161	20501	20622
2	ऊर्जा उत्पादन (बिलियन यूनिट)	लक्ष्य	830.77	855.00	930.00
		उपलब्धि	811.10	876.40	911.65
3	प्राकृतिक गैस का उत्पादन (बिलियन क्यूबिक मीटर्स बीसीएम)	लक्ष्य	60.02	68.02	52.276
		उपलब्धि	52.21	47.56	40.68
4	कोयला (घरेलू उत्पादन मिलियन टन)	लक्ष्य	630	554	584
		उपलब्धि	533	540	572
5	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (एनएचएआई-किमी. द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण)	लक्ष्य	2500	2500	3000
		उपलब्धि	1780	2248	2844
6	पत्तन क्षमता वृद्धि (मिलियन टन प्रति वर्ष एमटीपीए)	लक्ष्य	169	226	246
		उपलब्धि	53	79	137
7(i)	रेलवे (नई लाईन्स-किमी)	लक्ष्य	1000	1075	750
		उपलब्धि	709	725	501
7(ii)	रेलवे (विद्युतीकरण-किमी)	लक्ष्य	1000	1110	1200
		उपलब्धि	975	1110	1317

(ग) और (घ) 2012-13 के दौरान ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी ईंधन अर्थात कोयले और गैस की कमी के कारण हुई। देश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी केजी डी6 ब्लॉक में समस्याओं और विगत कुछ समय में कोई महत्वपूर्ण खोज न होने के कारण हुई।

विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की उपलब्धता की पूर्ति हेतु सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड को उन विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते हस्ताक्षर करने का राष्ट्रपति निदेश जारी किया है जो कि 31 मार्च, 2009 के बाद संस्थापित हो चुके हैं/होंगे।

हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ठेकेदारों द्वारा धारित खनन पट्टा (एमएल) क्षेत्रों में खोज की अनुमति दी है। ऐसी आशा है कि इस पहल से उस क्षेत्र में विद्यमान तेल एवं गैस उत्पादकों द्वारा उनके द्वारा धारित एमएल क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा। सीसीईए द्वारा अनुमोदित प्राकृतिक गैस मूल्य दिशानिर्देश, 2013 घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे और अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्रक में और अधिक निवेश होगा।

हाल ही में सड़कों राजमार्गों में पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित 'प्रतिस्थापन के लिए इक्विटी का अंतरण' और पर्यावरणीय अनापत्तियों से संबंधित बहुत से मुद्दों का समाधान कर लिया गया है। इससे पीपीपी परियोजनाओं में विकासकर्ताओं/ठेकेदारों की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

पत्तन क्षेत्रक में क्षमता वृद्धि उपलब्धियों में कमी मुख्य प से बर्थ/टर्मिलों के लिए पर्याप्त बोलियां होने के कारण हुई। मंत्रालय ने देश में पत्तन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करने और वर्धित पूंजी

निष्कर्षण के लिए पीपीपी में दो नये पत्तनों का लक्ष्य रखा है।

रेलवे ने विद्युतीकरण में लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है लेकिन निधियों की कमी के कारण नई रेल लाईनों के निर्माण में कमी आई है।

अवसंरचना को मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है और सरकार ने जुलाई, 2009 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है। समिति अवसंरचना क्षेत्रक परियोजनाओं के कार्यान्वयनन की जांच करती है और सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए निष्पादन की मॉनीटरण करती है।

[अनुवाद]

आरक्षण में कटौती

1447. श्री अनंत कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में कमी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्यस्थता केन्द

1448. श्री अजय कुमार : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राम सभा स्तर पर मध्यस्थता केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कोई नीति बनाई है/बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने विवादों के तीव्र निपटान के लिए एक प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालयों में एकल पाली

1449. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय संबंधी असुविधा के कारण माता-पिता/अभिभावकों के असंतोष को देखते हुए सरकार का केन्द्रीय विद्यालयों में सभी वर्गों को एकल पाली में चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय सामान्यतः केवल एक ही पाली में काम करते हैं। तथापि, देश में 1091 केन्द्रीय विद्यालयों में से 59 केन्द्रीय विद्यालयों में उनमें नामांकित अधिक संख्या में छात्रों और संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों की परिणामी मांग पर दूसरी पाली में कक्षाएं चलाई जा रही हैं।

बीपीएल परिवारों में एस.सी., एस.टी, और ओ.बी.सी.

1450. श्री शिवकुमार उदासी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कुल जनसंख्या के 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और अल्पसंख्क समुदायों से संबंधित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक कार्य समूहों ने अपनी रिपोर्टों में उनकी आर्थिक स्थिति का उन्नयन करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का कार्यान्वय करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम/कार्रवाई की गई या की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की गरीबी का नवीनतम जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्रतिशत का आकलन व्यक्तियों के संबंधित निजी वितरण से किया जाता है जो एनएसएस के परिवार उपभोक्ता व्यय के वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण डाटा एवं समस्त जनसंख्या की गरीबी रेखा से लिया गया है। इसके आधार पर वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) की कुल जनसंख्या का 36% गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे अय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की अनुमानित संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) 12वीं योजा के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के सशक्तीकरण हेतु गठित कार्य दलों ने इन समुदायों के उत्थान के लिए कई उपायों की सिफारिश की है। इन कार्य दलों की सिफारिशों के आधार पर 12वीं योजा दस्तावेज के "सामाजिक समावेशन" नाम के अध्याय 24 में इनके कल्याण हेतु कार्यनीति निर्दिष्ट की गई है जो योजना आयोग की सरकारी वेबसाइट अर्थात *www.planningcommission.nic.in* पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

गांवों में डाकघर

1451. श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्री लालजी टन्डन :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्रीमती दर्शना जरदोश :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण इलाके और शहरी क्षेत्रों में, पृथक-वार डाकघरों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गांव में खोले गए डाकघरों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को विशेषकर गांवों में, डाकघरों और शाखा डाकघरों को खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या ग्रामीण डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवकों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की सर्किल-वार तथा वर्ग-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों कि सर्किल-वार संख्या तथा चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। शाखा डाकघर सहित, डाकघर खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की सर्किल-वार संख्या तथा उन प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई की स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) और (ङ) अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने, नियमित विभागीय पदों में आमेलित होने, त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि के कारण समय-समय पर ग्रामीण डाक सेवकों के पदधारकों में कमी आती रहती है। कर्त्तव्यों के समायोजन अथवा समीप के कार्यालयों के ग्रामीण डाक सेवकों को कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में कार्य करने हेतु अनुमति देकर, तथा नियोजन की सतत प्रक्रिया के माध्यम से इस कमी को पूरा किया जाता है।

01.01.2013 की स्थिति के अनुसार देश में ग्रामीण डाक सेवकों की अनुमोदित श्रेणियों के मंजूर किए पदों में 12.40% की कमी थी तथा इस विषय पर नीतिगत दिशा-निर्देशों तथा भर्ती नियमों के प्रावधानों का अनुपाल करते हुए र्धिरित समय सीमा के अन्दर ग्रामीण डाक सेवकों की विभिन्न श्रेणिों के सभी खाली पदों को भरने के लिए संबंधित डाक सर्किलों को अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

विवरण-I

(31.3.2013 की स्थिति के अनुसार देश में प्रकार्यात्मक डाकघरों की वर्ग-वार संख्या)

क्र. सं.	सर्किल के नाम	प्रधान डाकघर		उप डाकघर		अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर		अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर		कुल		कुल डाकघरों की संख्या
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	90	5	970	1373	0	0	275	13429	1335	14807	16142
2.	असम	19	0	217	390	0	0	136	3250	372	3640	4012
3.	बिहार	30	1	398	617	0	0	45	7969	473	8587	9060
4.	छत्तीसगढ़	10	0	213	120	0	0	11	2790	234	2910	3144
5.	दिल्ली	12	0	409	4	0	0	73	79	494	83	577
6.	गुजरात	34	0	658	643	0	0	99	7545	791	8188	8979
7.	हरियाणा	16	0	300	177	0	0	30	2146	346	2323	2669
8.	हिमाचल प्रदेश	15	3	98	348	0	0	6	2308	119	2659	2778
9.	जम्मू और कश्मीर	9	0	164	90	0	0	28	1405	201	1495	1696
10.	झारखंड	13	0	216	226	0	0	34	2608	263	2834	3097
11.	कर्नाटक	58	0	830	827	0	0	206	7775	1094	8602	9696
12.	केरल	45	6	473	982	0	0	338	3220	856	4208	5064
13.	मध्य प्रदेश	43	0	694	325	0	0	107	7148	844	7473	8317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	महाराष्ट्र	61	0	1135	1016	0	0	107	10534	1303	11550	12853
15.	पूर्वोत्तर	9	0	139	181	0	0	82	2503	230	2684	2914
16.	ओडिशा	35	0	500	660	0	1	49	6920	584	7581	8165
17.	पंजाब	22	0	410	326	0	0	14	3078	446	3404	3850
18.	राजस्थान	47	1	586	711	0	0	34	8948	667	9660	10327
19.	तमिलनाडु	94	0	1348	1317	0	0	356	8946	1798	10263	12061
20.	उत्तराखंड	13	0	177	198	0	0	14	2317	204	2515	2719
21.	उत्तर प्रदेश	71	0	1607	875	0	0	249	14869	1927	15744	17671
22.	पश्चिम बंगाल	47	0	945	766	0	0	119	7188	1111	7954	9065
	कुल	793	16	12487	12172	0	1	2412	126975	15692	139164	154856

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए शाखा डाकघरों की सर्किल-वार संख्या (2010-11 से 2012-13 तक)

क्र. सं.	सर्किल के नाम	2010-11 से 2012-13 तक के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या	2013-14 के दौरान जाने वाले डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	21	6
2.	असम	15	4
3.	बिहार	14	2
4.	छत्तीसगढ़	19	4
5.	दिल्ली	03	2
6.	गुजरात	14	4
7.	हरियाणा	15	4
8.	हिमाचल प्रदेश	12	4
9.	जम्मू और कश्मीर	07	4
10.	झारखंड	18	4
11.	कर्नाटक	12	4
12.	केरल	09	0
13.	मध्य प्रदेश	11	4
14.	महाराष्ट्र	15	5
15.	पूर्वोत्तर	17	4
16.	ओडिशा	17	4
17.	पंजाब	16	3
18.	राजस्थान	24	4
19.	तमिलनाडु	25	4
20.	उत्तराखंड	13	6
21.	उत्तर प्रदेश	18	2
22.	पश्चिम बंगाल	15	2
	कुल	330	80

विवरण-III

शाखा डाकघर सहित डाकघर खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की सर्किल-वार संख्या तथा उन प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई की स्थिति

क्र. सं.	सर्किल के नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	प्रस्तावों की स्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	42	42-औचित्यपूर्ण तथा डाकघर खोले गए
2.	असम	0	0
3.	बिहार	72	31-औचित्यपूर्ण तथा डाकघर खोले गए
			41-औचित्यपूर्ण तथा डाकघर खोले गए
4.	छत्तीसगढ़	14	14-औचित्यपूर्ण नहीं
5.	दिल्ली	1	1-औचित्यपूर्ण तथा डाकघर खोलने की प्रक्रिया जारी है।

1	2	3	4
6.	गुजरात	12	1-औचित्यपूर्ण तथा डाकघर खोलने की प्रक्रिया जारी है।
			3-औचित्यपूर्ण नहीं
			8-जांच के अधीन
7.	हरियाणा	9	9-जांच के अधीन
8.	हिमाचल प्रदेश	15	15-औचित्यपूर्ण तथा डाकघर खोले गए
9.	जम्मू और कश्मीर	60	60-जांच के अधीन
10.	झारखंड	5	5-जांच के अधीन
11.	कर्नाटक	8	1-औचित्यपूर्ण तथा डाकघर खोले गए
			1-औचित्यपूर्ण नहीं
			2-औचित्यपूर्ण तथा डाकघर खोलने की प्रक्रिया जारी है।
			4-जांच के अधीन
12.	केरल	2	2-जांच के अधीन
13.	मध्य प्रदेश	21	11-औचित्यपूर्ण तथा डाकघर खोले गए
			10-औचित्यपूर्ण नहीं
14.	महाराष्ट्र	15	15-जांच के अधीन
15.	पूर्वोत्तर	4	2-औचित्यपूर्ण तथा डाकघर खोलने की प्रक्रिया जारी है।
			2-जांच के अधीन
16.	ओडिशा	20	20-जांच के अधीन
17.	पंजाब	7	7-जांच के अधीन
18.	राजस्थान	14	14-औचित्यपूर्ण नहीं
19.	तमिलनाडु	23	17-औचित्यपूर्ण नहीं
			6-औचित्यपूर्ण नहीं
20.	उत्तराखंड	92	6-औचित्यपूर्ण तथा डाकघर खोले गए
			86-औचित्यपूर्ण नहीं
21.	उत्तर प्रदेश	22	9-औचित्यपूर्ण तथा डाकघर खोलने की प्रक्रिया जारी है।
			2-जांच के अधीन
			11-औचित्यपूर्ण नहीं
22.	पश्चिम बंगाल	5	3-औचित्यपूर्ण नहीं
			2-जांच के अधीन

[अनुवाद]

दूरसंचार प्रचालकों के विरुद्ध बकाया राशि

1452. श्री संजय भोई :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार जीएसएम और सीडीएमए हेतु दूरसंचार प्रचालकोंके विरुद्ध स्पेक्ट्रम प्रभारों, लाइसेंस शुल्क और ब्याज के रूप में कुल बकाया राशि का पृथक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उनसे बकाया राशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग का दोषी दूरसंचार कंपनियों के अर्थदंड को कम करने और सेवा प्रदाताओं और सरकार के मध्य तनाव को कम करने के लिए अन्य बकाया मुद्दों पर चर्चा करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दूरसंचार कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार और दूरसंचार कंपनियों के मध्य मुद्दों को पिटाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) अद्यतन स्थिति के अनुसार, जीएसएम ओर सीडीएमए के लिए दूरसंचार प्रचालकों के विरुद्ध स्पेक्ट्रम प्रभार, लाइसेंस शुल्क एवं ब्याज के रूप में कुल बकाया राशि का अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में प्रस्तुत किया गया है।

(ख) निर्धारिण पूर्ण किए जाने के बाद मांग नोटिस जारी किए गए हैं।

(ग) दूरसचार विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस विभाग द्वारा सभी दूरसंचार प्रचालकों को निर्धारित लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम प्रभार, अर्थदंड एवं ब्याज, यदि कोई हो, के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदा किया जाता है। यदि वे इस विभाग द्वारा लिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के पास जा सकते हैं।

विवरण-I

अनंतिम आधार पर जारी की गई मांगों के अनुसार जीएसएम सेवा प्रदाताओं के संबंध में अर्थदंड एवं ब्याज सहित बकाया एसयूसी प्रभार

राशि करोड़ रुपए

क्र. सं.	प्रचालक का नाम	अर्थदंड एवं ब्याज सहित बकाया एसयूसी प्रभार	बकाया एक बारगी स्पेक्ट्रम प्रभार	कुल बकाया स्पेक्ट्रम प्रभार
1	2	3	4	5
सीएमटीएस लाइसेंस				
1.	एयरसेल	81.17	1351.51	1432.68
2.	भारती	874.04	5201.24	6075.28
3.	बीपीएल	0.99	606.72	607.71
4.	डिशनेट	33.57	14.25	47.82
5.	आइडिया (सीएमटीएस)	324.09	1882.00	2206.09

1	2	3	4	5
6.	रिलायंस टेलीकॉम	199.61	173.47	373.08
7.	स्पाइस कम्युनिकेशन	107.09	231.50	338.59
8.	वोडाफोन	877.79	3599.40	4477.19
9.	बीएसएनएल	67.73	6911.86	6979.59
10.	एमटीएनएल	5.16	3205.71	3210.87
	कुल	2571.25	23177.66	25748.91
122 निरस्त किए गए यूएएसएल लाइसेंसधारक				**0.00**
1.	एटिस्लाट डीबी	7.85		7.85
2.	आइडिया (यूएएसएल)			0.00
3.	लूप टेलीकॉम	1.25		1.25
4.	एस. टेल	6.94		6.94
5.	यूनीटेक	17.25		17.25
6.	वीडियोकॉन	1.71		1.71
	कुल	34.99		34.99
	कुल एसयूसी प्रभार	2606.24	23177.66	25783.90

विवरण-II

अनंतिम आधार पर जारी की गई मांगों के अनुसार सीडीएमए (डीटी) सेवा प्रदाताओं के संबंध में अर्थदंड एवं ब्याज सहित बकाया स्पेक्ट्रम प्रभार

क्र. सं.	प्रचालक का नाम	बकाया एसयूसी	एक बारगी स्पेक्ट्रम प्रभार	कुल बकाया स्पेक्ट्रम प्रभार
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज (डीटी)	310.66	1089.77	1400.43
2.	मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन (डीटी)	246.46	1757.89	2004.35
3.	मैसर्स क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स (डीटी-(पीबी)	15.97	—	15.97
4.	मैसर्स सिस्टेमा श्मा (राजस्थान)	35.00	—	35.00

1	2	3	4	5
5.	मैसर्स एमटीएनएल	54.71	107.44	162.15
6.	मैसर्स बीएसएनएल	776.05	15.19	791.24
	कुल	1438.85	2970.29	4409.14
निरस्त किए गए लाइसेंसधारक				
1.	मैसर्स सिस्टेमा	15.55	—	15.55
2.	मैसर्स टीटीएसएल	0.17	—	0.17
	कुल	15.72	—	15.72
	एसयूसी का कुल योग	1454.57	2970.29	4424.86

विवरण-III

दूरसंचार प्रचालकों के विरुद्ध बकाया लाइसेंस शुल्क एवं ब्याज

क्र. सं.	लाइसेंसधारक का नाम	बकाया लाइसेंस शुल्क	बकाया ब्याज	बकाया अर्थदंड, यदि कोई हो	कुल बकाया
क	ख	ग	घ	ङ	च
1.	मैसर्स भारती एयरटेल लि.	1,450.68	1,156.14	196.68	2803.50
2.	मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	796.41	664.80	399.86	1,861.07
3.	मैसर्स टेलीकॉम लि.	58.06	44.29	32.20	134.55
4.	वोडाफोन एस्सार लि.	252.40	207.10	0.00	459.50
5.	मैसर्स आइडिया सेलुलर लि.	216.04	209.89	0.00	425.93
6.	मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लि.	170.12	184.19	0.00	354.31
7.	मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि.	25.43	26.67	0.00	52.10
8.	मैसर्स टाटा कम्युनिकेशन लि.	90.97	102.09	0.00	193.06
9.	मैसर्स इंटरनेट लि.	2.327	2.47	0.00	4.84
10.	मैसर्स बीएसएनएल	990.46	1,102.49	951.96	3,044.91
11.	मैसर्स एमटीएनएल	48.85	54.35	42.25	145.45
12.	मैसर्स एटिस्लाट डीबी टेलीकॉम प्रा.लि.	15.48	4.73	9.18	29.39

क	ख	ग	घ	ङ	च
13.	मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	27.50	9.10	17.14	53.74
14.	एस.टेल प्रा.लि.	7.22	2.49	4.40	14.11
15.	मैसर्स वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लि.	19.74	7.21	11.81	38.76
16.	मैसर्स युनीटेक वायरलेस लि.	16.14	5.92	9.50	31.56
		4,187.87	3,783.93	1,674.98	9,646.78

[हिन्दी]

मेट्रो में सवारी डिब्बों की खरीद में अनियमितताएं

1453. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री भूदेव चौधरी :
श्रीमती मीना सिंह :
श्रीमती अश्वमेध देवी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मेंट्रो के चरण-III हेतु कितने सवारी डिब्बों की खरीद हेतु निविादा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(ख) क्या उक्त खरीद में तथाकथित अनियमितताओं की जानकारी सरकार को है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्त सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की भी संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा मेट्रो परियोजनाओं में सवारी डिब्बों की खरीद की पारदर्शी तरीके से निगरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली मेट्रो के चरण-I हेतु निम्नलिखित रोलिंग स्टॉक का ठेके देने के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है:—

(i) 92 मेट्रो कोचों के प्रापण हेतु 'आरएस 9' संविदा।

(ii) 486 मेट्रो कोचों के प्रापण हेतु 'आरएस 10' संविदा।

(ख) सरकार को बोलीदाताओं से डीएमआरसी द्वारा ममानी, अपारदर्शी और अनुचित निविदा प्रक्रिया अपनाए जाने के आरोप के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने यह जांच करने के लिए कि क्या डीएमआरसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पक्षपात रहित, याय संगत और पारदर्शी संविदा प्रक्रिया अपनाई गई है, 30/04/2013 को एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है। समिति को एक माह में अपनी रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) विभिन्न ठेके डीएमआरसी द्वारा सीधे दिए जाते हैं। सरकार डीएमआरसी की प्रापण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है।

[अनुवाद]

आरटीई अधिनियम के प्रावधान

1454. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के ऐसे सभी विद्यालयों जिन्होंने बच्चों से शुल्क लेना बंद कर दिया है को क्षतिपूर्ति देने के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं और सरकार द्वारा ऐसे विद्यालयों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 लागू होने के बाद इस अधियिम के क्रियान्वयन में सहायता के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों की सरकारों को सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 74,993.19 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान की निधियां सर्व शिक्षा अभियान के संशोधित क्रियान्वयन कार्य ढांचे के अनुसार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध हैं। कई राज्यों ने आरटीई अधिनियम की धारा 12(1) (ग) का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है जिसमें गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में वंचित और समाज के कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले बच्चों के लिए 25 प्रतिशत दाखिले का प्रावधान किया गया है। इस समय विद्यार्थियों के इस वर्ग के लिए गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा उपगत प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन की जा रही है।

बारम्बार स्थगन हेतु जुर्माना

1455. श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुझाव दिया है कि मुकदमों के विचारण में तेजी लाने के लिए उच्चतर न्यायालय निम्न न्यायालयों द्वारा बारम्बार स्थगन देने पर जुर्माना लगाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने निम्न न्यायालयों के स्थग संबंधी अधिकार को सीमित करने के लिए आपराधिक दंड संहिता की धारा 309 का कठोर प्रर्वतन सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) धारा 309 के अनुसार तीन स्थगन को कब तक कार्यान्वित यि जाने की संभावना है और निम्न न्यायालयों द्वारा बारम्बार स्थगन देने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) न्यायालय में मामलों का विचारण और उनका अंतिम निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 309 दांडिक मामलों के शीघ्र विचारण करने के क्रम में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि प्रत्येक जांच या विचारण में प्रक्रिया, यथासंभवशीघ्र जितना संभव हो, उतनी शीघ्रता से की जाएगी और विशेषतया जब एक बार साक्षियों का परीक्षण आरंभ हो चुका हो, तो वह जब तक सभी उपस्थित साक्षियों का परीक्षण नही हो जाता है और जब तक कि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, न्यायालय अगले दिन से परे के लिए उसे स्थगित करा आवश्यक न समझे, दिन-प्रतिदिन जारी रहेगी। यह धारा यह भी उपबंध करती है कि जब जांच या विचारण, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 से धारा 376घ के अधीन किसी अपराध से संबंधित है तब जांच और विचारण जहां तक संभव हो, साक्षियों की परीक्षा के प्रारंभ की तारीख से दो (2) मास की अवधि के भीतर पूरा होना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने गुरनेब सिंह बाम पंजाब राज्य शीर्षक के मामले में हाल के निर्णय में विधि के आदेश और समय-समय पर न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों का अनुसरण करने के लिए न्यायपालिका में अधीनस्थ की पुनवृत्तिक असफलता पर चिंता व्यक्त की है। माननीय न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के अधीन, जो कार्यवाहियों को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति से संबंधित है, विधान-मंडल द्वारा अधिकथित शर्तों को निर्दिष्ट किया है। माननीय न्यायालय का निदेश है कि विचारण न्यायालय कानूनी उपबंधों को ध्यान में रखे।

मार्गदर्शन परामर्शदाता

1456. श्री वरुण गांधी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यालयों के प्रत्येक छात्र को परामर्शदाताओं की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठा रही है ताकि वे विद्यार्थियों को शैक्षणिक और उच्च शिक्षा के बाद कैरियर संबंधी चुनाव करने में सहायता कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) प्रत्येक स्कूली छात्र की परामर्शदाता तक पहुंच बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष 2011 से छात्र वैश्विक अभिरूचि सूचकांक (एसजीएआई) के रूप में ज्ञात अभिरूचि परीक्षण आयोजित कर रहा है जो छात्रों को कक्षा X की परीक्षा के बाद उनकी आवश्यकताओं और योग्यताओं के सर्वाधिक उपयुक्त विषयों का चयन करने में सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

शहरी गरीबी उपशमन योजनाएं

1457. श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री पूर्णमासी राम :
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद :

श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) लोगों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में शहरी गरीबी में गिरावट आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) देश में शहरी गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन हेतु शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों को स्वीकृत और जारी की गई/धनराशि का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास) : (क) वर्ष 2011-12 के लिए देश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे की राज्य-वार जनसंख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) योजना आयोग द्वारा जारी किए गए गरीबी के अनुमान के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 2004-05 में 25.7% से घट कर वर्ष 2011-12 में 13.7% हो गया है। वर्ष 2004-05 और 2011-12 के लिए शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) की शहरी जनसंख्या की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन रने वाले शहरी बेरोजगार गरीबों और कम रोजगार प्राप्त गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देकर तथा साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण करने के लिए उनके श्रम का उपयोग करके स्वयं रोजगार उद्यम स्थापित करने में प्रोत्साहन देकर उनको लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के शुरू होने से लेकर अब तक इसके घटक, शहरी स्वयं रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) के अंतर्गत ुल 13,06,865 लाभ भोगियों को सहायता प्रदान की गई है, शहरी गरीबों में रोजगार संवर्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण (एसटीईपी-यूपी) के अंतर्गत 31,83,653 व्यक्तियों को कौशल का प्रशिक्षण दिया गया है और शहरी महिला स्वयं-सेवी कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत सामूहिक माइक्रो उद्यमों की स्थापना करने में 6,62,821 महिला लाभभोगियों को सहायता प्रदान की गई है।

(घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में स्वीकृत और जारी की गई राज्य-वार निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित अनुसार राज्य-वार लाभभोगियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ङ) मंत्रालय त्रैमासिक/मासिक वास्तवि और वित्तीय रिपोर्टों, राज्य/क्षेत्रीय/शहरी स्तर पर आवधिक पुनरीक्षा बैठकों और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से इसकी प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। केन्द्रीय/क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर ऐसी पुनरीक्षा बैठकों के दौरान राज्यों और स्टेकहोल्डरों को परामर्श दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शहरी गरीबों को इनके लाभ प्राप्त हों।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या (लाख)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17.00

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.70
3.	असम	9.20
4.	बिहार	37.80
5.	छत्तीसगढ़	15.20
6.	दिल्ली	16.50
7.	गोवा	0.40
8.	गुजरात	26.90
9.	हरियाणा	9.40
10.	हिमाचल प्रदेश	0.30
11.	जम्मू और कश्मीर	2.50
12.	झारखंड	20.20
13.	कर्नाटक	37.00
14.	केरल	8.50
15.	मध्य प्रदेश	43.10
16.	महाराष्ट्र	47.40
17.	मणिपुर	2.80
18.	मेघालय	0.60
19.	मिज़ोरम	0.40
20.	नागालैंड	1.00
21.	ओडिशा	12.40
22.	पंजाब	9.80
23.	राजस्थान	18.70
24.	सिक्किम	0.10
25.	तमिलनाडु	23.40
26.	त्रिपुरा	0.80
27.	उत्तर प्रदेश	118.80
28.	उत्तराखंड	3.40
29.	पश्चिम बंगाल	43.80
30.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0.00
31.	चंडीगढ़	2.30
32.	दादरा और नगर हवेली	0.30
33.	दमन और दीव	0.30
34.	लक्षद्वीप	0.02
35.	पुदुचेरी	0.60
	कुल	531.20

विवरण-II

2004-05 और 2011-12 में राज्यों गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2011-12	
		व्यक्ति की आय % में	व्यक्तियों की संख्या	व्यक्ति की आय % में	व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23.40	55.00	5.81	17.00

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.50	0.60	20.33	0.70
3.	असम	21.80	8.30	20.49	9.20
4.	बिहार	43.70	42.80	31.23	37.80
5.	छत्तीसगढ़	28.40	13.70	24.75	15.20
6.	दिल्ली	12.90	18.30	9.84	16.50
7.	गोवा	22.20	1.70	4.09	0.40
8.	गुजरात	20.10	42.90	10.14	26.90
9.	हरियाणा	22.40	15.90	10.28	9.40
10.	हिमाचल प्रदेश	4.60	0.30	4.33	0.30
11.	जम्मू और कश्मीर	10.40	2.90	7.2	2.50
12.	झारखंड	23.80	16.00	24.83	20.20
13.	कर्नाटक	25.90	51.80	15.25	37.00
14.	केरल	18.40	19.80	4.97	8.50
15.	मध्य प्रदेश	35.10	61.30	21	43.10
16.	महाराष्ट्र	25.60	114.60	9.12	47.40
17.	मणिपुर	34.50	2.30	32.59	2.80
18.	मेघालय	24.70	1.20	9.26	0.60
19.	मिज़ोरम	7.90	0.40	6.36	0.40
20.	नागालैंड	4.30	0.20	16.48	1.00
21.	ओडिशा	37.60	22.80	17.29	12.40
22.	पंजाब	18.70	16.90	9.24	9.80
23.	राजस्थान	29.70	43.50	10.69	18.70
24.	सिक्किम	25.90	0.20	3.66	0.10
25.	तमिलनाडु	19.70	59.70	6.54	23.40
26.	त्रिपुरा	22.50	1.50	7.42	0.80

1	2	3	4	5	6
27.	उत्तर प्रदेश	34.10	130.10	26.06	118.80
28.	उत्तराखंड	26.20	6.60	10.48	3.40
29.	पश्चिम बंगाल	24.40	60.80	14.66	43.80
30.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0.80	0.01	0	0.00
31.	चंडीगढ़	10.10	0.90	22.31	2.30
32.	दादरा और नगर हवेली	17.80	0.10	15.38	0.30
33.	दमन और दीव	14.40	0.10	12.62	0.30
34.	लक्षद्वीप	10.50	0.04	3.44	0.02
35.	पुदुचेरी	9.90	0.70	6.3	0.60
	अखिल भारत	25.70	814.10	13.70	531.20

विवरण-III

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई केन्द्रीय निधियों और निधियों के उपयोग को दर्शाने वाला ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-2014
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3790.43	6910.24	8457.92	3243.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	201.79	129.99	129.99	0.00
3.	असम	2869.96	3274.80	3413.28	0.00
4.	बिहार	0.00	1579.36	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	1201.95	1921.96	2024.30	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	82.50
7.	गुजरात	839.27	3843.37	4855.11	797.14
8.	हरियाणा	654.37	1597.70	1866.07	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	25.00	109.54	335.61	0.00

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू और कश्मीर	67.61	293.30	296.27	0.00
11.	झारखंड	0.00	814.00	1782.29	0.00
12.	कर्नाटक	3940.45	4874.28	5058.16	1024.79
13.	केरल	474.03	1970.37	2634.58	0.00
14.	मध्य प्रदेश	4570.13	5719.08	4743.32	2351.00
15.	महाराष्ट्र	9028.52	10304.04	10271.98	0.00
16.	मणिपुर	448.43	399.65	399.65	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	234.74	0.00
18.	मिज़ोरम	179.37	514.74	653.12	0.00
19.	नागालैंड	134.53	269.06	443.18	0.00
20.	ओडिशा	1650.75	2083.28	1669.30	0.00
21.	पंजाब	0.00	2275.11	1344.04	0.00
22.	राजस्थान	2932.96	4187.60	1976.70	0.00
23.	सिक्किम	0.00	45.00	174.95	0.00
24.	तमिलनाडु	4267.63	6346.09	11221.33	2434.66
25.	त्रिपुरा	224.25	523.81	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	546.34	583.96	625.97	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	7224.67	11119.01	4668.63	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	2169.31	5764.81	7500.54	848.28
29	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	18.72	23.34	9.27	0.00
30.	चंडीगढ़	39.26	147.13	68.21	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	8.79	8.65	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	175.00	250.01	0.00
34.	पुदुचेरी	25.00	75.00	37.58	0.00
	कुल	47533.55	77883.27	77146.10	10781.87

विवरण-IV

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी गरीबों को रोजगार संवर्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण और शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम घटकों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11			2011-12			2012-13			2013-2014*		
		व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यूएसईपी)	कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी (स्टेप-अप)	समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यूडब्ल्यू एसपी)	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यूएसईपी)	कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी (स्टेप-अप)	समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यूडब्ल्यू एसपी)	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यूएसईपी)	कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी (स्टेप-अप)	समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यूडब्ल्यू एसपी)	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यूएसईपी)	कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी (स्टेप-अप)	समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित लाभार्थी (यूडब्ल्यू एसपी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	9005	26753	13500	12259	67664	687	9387	50567	2350	94	2268	40
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	28	22	89	213	54	86	252	70	97	125	70
3.	असम	90	470	36	126	1006	80	150	10243	40	0	0	0
4.	बिहार	0	17134	0	1396	5170	53	380	58663	31	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1862	3701	911	2687	10505	18'5	3068	16908	1339	321	0	25
6.	गोवा	0	0	0	14	59	0	36	40	5	0	0	0
7.	गुजरात	8015	31517	3287	8914	43179	934	2845	40778	240	171	7688	1
8.	हरियाणा	1606	4724	818	1511	2440	758	925	4696	367	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	24	112	2	68	262	1	2	148	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	200	2356	0	85	1380	3	25	1904	0	0	0	0
11.	झारखंड	402	2874	382	81	438	35	1541	8733	1149	65	975	50
12.	कर्नाटक	3527	13397	4030	5080	26644	7263	6369	45562	3994	127	0	249
13.	केरल	1065	3190	1830	1668	5040	2252	1914	20011	1353	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	16743	31439	1079	11724	27586	1856	15981	51269	1622	638	16111	0
15.	महाराष्ट्र	7449	38669	34699	6708	56168	6764	13043	28507	19994	0	0	0
16.	मणिपुर	8	131	0	0	1283	0	0	1025	0	0	177	0
17.	मेघालय	52	154	0	0	0	0	34	150	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	216	3145	330	359	2755	400	372	4913	182	0	0	0
19.	नागालैंड	130	154	196	296	864	609	120	3652	201	0	0	0
20.	ओडिशा	5168	3356	4338	2851	7364	3088	3933	35993	4434	40	6397	126
21.	पंजाब	66	0	0	59	995	0	13	2225	0	17	422	0
22.	राजस्थान	7305	3355	48	5727	9131	220	5607	25716	22	0	0	0
23.	सिक्किम	80	320	70	106	908	0	73	907	0	1	627	0
24.	तमिलनाडु	3925	7198	4660	5755	29656	5386	5748	27570	5534	7767	9086	6499
25.	त्रिपुरा	362	1586	20	253	1688	180	194	1659	264	0	0	0
26.	उत्तराखंड	904	2168	10	725	1890	0	694	4563	0	3	220	0
27.	उत्तर प्रदेश	7402	52419	2541	4605	31846	904	9503	11393	1221	1167	0	329
28.	पश्चिम बंगाल	4412	5878	607	6346	24870	7065	3895	58116	6855	0	0	0
29	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	43	0	0	65	0	0	39	0	6	0	0	0
30.	चंडीगढ़	112	124	2	429	616	15	209	639	115	73	447	5
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	5	60	0	12	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	2298	548	213	306	1230	10	410	7934	5	3	0	0
34.	पुदुचेरी	497	276	926	478	760	56	178	215	24	0	0	0
	कुल	82980	257176	74557	80775	363670	40568	86786	524951	51417	10584	44543	7394

आय वृद्धि में अंतर

1458. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विगत कुछ वर्षों से गरीब और अमीर की आय में वृद्धि के प्रतिशत में अन्तर आया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान 10 प्रतिशत सबसे गरीब और 10 प्रतिशत सबसे अमीर व्यक्तियों की आय में दर्ज वृद्धि की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आय में ऐसी विषमता के लिए देश की आर्थिक नीति जिम्मेदार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) आय संबंधी डेटा उपलब्ध नहीं है। योजना आयोग द्वारा अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की प्रतिशतता के आधार पर, परिवार उपभोग व्यय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के आंकड़े यह दर्शातें हैं कि 2004-05 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान, गरीब और गरीबेतर जनसंख्या के औसत प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई) में ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक रूप से क्रमशः 8.7 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

(ख) एनएसएसओ उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर, 2004-05 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान, जनसंख्या के 10% सबसे अमीर और 10% सबसे गरीब व्यक्तियों के औसत एमपीसीई में वृद्धि की प्रतिशतता ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 12.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 11.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 13.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 10.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 68वें दौर (जुलाई 2011 से जून 012) के उपभोक्ता व्यय संबंधी डेटा से लोरंज अनुपात द्वारा मापे गए उपभोग व्यय के वर्ग वितरण में असमानताएं यह दर्शाती हैं कि 2011-12 में विषमता (लोरेंज अनुपात) ग्रामीण क्षेत्रों में 0.28 और शहरी क्षेत्रों में 0.37 है। चूंकि लारेंज अनुापात का मान शून्य और इकाई के बीच है और चूंकि लोरेंज अनुपात का उच्चतर मान, अधिक विषमता का संकेतक है, इसलिए विषमता के उपरोक्त मान यह दर्शाति हैं कि देश में लोगों के बीच प्रतिव्यक्ति उपभोग में असमानता बहुत अधिक नहीं है।

हिमालय क्षेत्र मे समेकित विकास

1459. श्री तूफानी सरोज : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमालय क्षेत्र के समेकित विकास पर विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इनके कार्यान्वययन का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) जी, हां, योजना आयोग ने 'समेकित विकास के लिए हिमालय पर राष्ट्रीय नीति' बनाने के लिए 27 मार्च, 1992 को एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था।

(ख) विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य (पर्यावरण और विज्ञान एवं तकनीकी) डॉ. एस.जेड. कासिम थे और इसके चौदह सदस्य थे। विशेषज्ञ समूह ने 24 सिफारिशें कीं। विशेष समूह के गठन हेतु आदेश के साथ इसके विराचार्थ-विषय (टीओआर) और सिफारिशों आदि का ब्यौरा विवरण-I और विवरण-II में अलग से संलग्न है।

(ग) और (घ) हिमालय क्षेत्र के समेकित विकास पर गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक संचालन समिति का गठन किया गया।

आगे, "हिमालय के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय नीति" के प्रतिपादन हेतु गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर हिमालय क्षेत्र के राज्यों के मुख्य सचिवों के अधीन छह क्षेत्रक-विशेष सह-समितियों का गठन किया गया ताकि हिमालयी पारिस्थितिकी व्यवस्था और जैव विविधता की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में स्कीमों का प्रतिपाद एवं कार्यान्वयन किया जा सके।

- पर्यावरण और वन
- कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप

- उद्योग एवं औद्योगिक अवसंरचना
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को शामिल करते हुए सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा
- परिवहन, संचार और पर्यटन
- गैर-परम्परागत ऊर्जा सहित ऊर्जा एवं विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी

विवरण-I

सं.क्यू-12074/1ई/01/92-ई एवं एफ
भारत सरकार
योजना आयोग (ई एवं एफ इकाई)

योजना भवन
संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
27 मार्च, 1992

आदेश

योजना आयोग ने हिमालय के समग्र विकास पर राष्ट्रीय नीति के प्रतिपादन हेतु एक विशेषज्ञ समूह गठित करने का निश्चय किया है। विशेषज्ञ समूह का संघटन और विचारार्थ-विषय निम्न प्रकार है:–

संघटन:

1. डॉ. एस.जेड. कासिम — अध्यक्ष
सदस्य (पर्यावरण और विज्ञान
एवं तकनीकी योजना आयोग

2. डॉ. जयन्त पाटील — सदस्य
सदस्य (कृषि),
योजना आयोग

3. प्रोफेसर जे.एस. बजाज, — सदस्य
सदस्य (स्वास्थ्य)
योजना आयोग

4. प्रोफेसर के.एस. वल्दिया — सदस्य
प्रोफेसर एवं विभागध्यक्ष
भूविज्ञान विभाग
कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल

5. डॉ. हर्ष गुप्ता — सदस्य
सलाहकार
विज्ञान एवं तकनीकी विभाग
नई दिल्ली

6. डॉ. पी.एस. रामकृष्णन — सदस्य
प्रोफेसर
पर्यावरणीय विज्ञान विभाग
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

7. डॉ. डी.एन. तिवारी — सदस्य
महानिदेशक
आईसीएफआरई, देहरादून

8. डॉ. विरेन्द्र कुमार — सदस्य
जाकिर हुसैन कॉलेज
नई दिल्ली

9. श्री डी.के. बिस्वास — सदस्य
सलाहकार
पर्यावरण और वन मंत्रालय
नई दिल्ली

10. डॉ. आई.के. बर्थाकुर — सदस्य
प्रमुख सलाहकार
योजना आयोग

11. डॉ. ए.एन. पुरोहित — सदस्य
निदेशक
जीबी पन्त हिमालय
पर्यावरण और विकास संस्थान

12. डॉ. आर.एस. मन — सदस्य
प्रोफेसर
मानव-शास्त्र विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय

13. विशेष सचिव — सदस्य
योजना आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

14. श्री के. राजन, — सदस्य
सलाहकार (कृषि ई एवं एफ),
योजना आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

15. श्री आर.सी. झामतनी
सदस्य-सचिव
संयुक्त सलाहकार
(पर्यावरण एवं वन)
योजना आयोग

विचारार्थ विषय:

(1) हिमालय क्षेत्र के देश हित में सर्वोत्तम उपयोग की सुनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए समग्र पर्वतीय विकास के लिए हिमालय क्षेत्र के विकास हेतु एक राष्ट्रीय नीति के विकास की सिफारिश करना।

(2) हिमालय क्षेत्र के वैज्ञाकि, पर्यावरणीय और भौतिक संसाधनों का मूल्यांकन करना।

(3) विशिष्ट कार्य क्षेत्रों की पहचान करना जो हिमालय क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए उपयुक्त हों और इस क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक प्रकृति के अनुकूल हो।

(4) हिमालय क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय संवेदनशीलता की वहन क्षमता का आकलन करना।

(5) प्रस्तावित नीति के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संगठनात्मक पद्धति सुझाना।

इस समूह के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार के नियमानुसार यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता के पात्र होंगे।

विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट तीन माह के भीतर सौंपी जाएगी।

(एन.के. मल्होत्रा)
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी सदस्यगण

विवरण-III

निष्कर्ष और सिफारिशें

सिफारिश-1

हिमालयन विकास प्राधिकरण (एचडीए) का गठन

समूह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष निकाय के गठन की सिफारिश करेगा। इस प्रकार के शीर्ष निकाय को हिमालयन विकास प्राधिकरण (एचडीए) कहा जाएगा जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करेंगे और इसमें नीति योजना प्राधिकरण के रूप में उपाध्यक्ष, योजना आयोग, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के मंत्री और हिमालयन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसको योजना आयोग में पर्यावरण के प्रभारी सदस्य की अध्यक्षता वाले संचालन समूह और संबंधित केद्रीय मंत्रालय/विभागों के सह-सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। तथापि अगर प्रधान मंत्री जी पूर्वव्यस्तता के कारण प्राधिकरण की अध्यक्षता करे में असमर्थ हैं तो फिर इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे। प्राधिकरण का सचिवालय योजना आयोग होना चाहिए

सिफारिश-2

राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण और विकास निधि का सृजन (एनएचईडीएफ)

समूह सिफारिश करता है कि हिमालय में एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण एवं विकास निधि (एनएचईडीएफ) का होना जरूरी होगा। शुरू में निधि को एक उचित आवंट किया जाना चाहिए और एक बार इसकी कारगरता और भूमिका स्थापित हो जाने पर इसके आवंटन को उपयुक्त रूप से बढ़ा चाहिए।

सिफारिश-3

पर्यावरण और वन मंत्रालय की विस्तृत भूमिका (एमओईएफ)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को हिमालयन क्षेत्र में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करना चाहिए। इसके पास एकीकृत ढंग से हिमालय की समस्याओं पर कार्रवाई करने के लिए एक अलग प्रभाग होना चाहिए। प्रभाग के पास प्रशासन, प्रबंधन और वैज्ञानिक इनपुट में सक्षम स्टाफ सदस्य होने चाहिए जो हिमालयन क्षेत्र के लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान कर सकें। मंत्रालय द्वारा एमओईएफ के अधीन जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान को क्षेत्र की समस्याओं की पहचान करने एवं उनके कारगर रूप से समाधान करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार वोटनीकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलौजीकल सर्वे ऑफ इंडिया को जीव-असमानता और पेड़-पौधों एवं जानवरों की संकटापन्न प्रजातियों के भविष्य की लगातार निगरानी करनी चाहिए। समूह यह भी सिफारिश करगा कि जरूरत पड़ने पर एमओईएफ को अतिरिक्त सांविधिक जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए और प्राधिकरण को राष्ट्रीय नीति के लागू

किए जाने के संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। हिमालयन क्षेत्र के विभिन्न भागों में फैले राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों और संरक्षित जीव क्षेत्र के प्रबंधन में विशेष सुधार किए जाने की आवश्यकता है। वन्य जीव की देख-भाल करने के लिए इसको न केवल पुलिस एवं सतर्कता की आवश्यकता है बल्कि उपयुक्त स्कीम के प्रवर्तन की भी आवश्यकता है। अगर एमओईएफ प्रबंधन में विशेष कठिनाई का सामना करता है तो राज्यों को उनके संरक्षण के पूर्णत: उत्तरदायी बनाने के लिए एक विकेन्द्रीकृत उपाय पर विचार किया जाए।

सिफारिश-4

वैज्ञानिक संस्थाआं का अनुबंधन और सहयोग

देश में कार्यकारी संस्थाओं का एक ऐसा दल भी है जहां किए गए कार्य का संबंध विकास प्रक्रिया एवं पर्यावरण संरक्षण दोनों से ही होगा। भारत सरकार ने जीबी पंत हिमालयन इस्टीट्यूट ऑफ एनवायरन एंड डिवलपमेंट (जीबीपीएचआईईडी) को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। अत: यह जरूरी हो जाता है कि जीबीपीएचआईईडी की अग्रणी भूमिका के अंतर्गत विभिन्न अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ कारगर नेटवर्किंग सुव्यवस्थित रूप से स्थापित की जाए।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं को एक मंच पर लाना आसान नहीं है। शैक्षणिक, मूल वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यावहारिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सृजन इत्यादि संबंधी इन संस्थाओं की स्थिति निर्धारण करने में विशाल विभिन्नता हो सकती है। हालांकि कुछ संस्थाओं का संचालन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और कुछ संस्थाओं का राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा अन्य संस्थाओं का संचालन स्वायत्त निकायों द्वारा किया जाता है।

फिर भी, कई तरीके से हिमालयन क्षेत्र के बड़े महत्व को देखते हुए एक ंत्र का गठन किया जाना जरूरी है जहां विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाएं एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। वे हिमालय के विकास और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किसी एक पहलू अथवा कई अन्य पहलुओं पर कार्रवाई कर सकते हैं। समूह सिफारिश करता है कि जीबीपीएचआईईडी को हर वर्ष वैज्ञानिक संस्थाओं का आपसी सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। वैज्ञानिक समुदाय के समक्ष तात्कालिक महत्व के अध्ययनों/अनुसंधानों का करने के लिए जनशक्ति, अवसंरचना इत्यादि जुटाने का एक बहुत बड़ा कार्य है। कृषि विज्ञान ओर अन्य के पैटर्न की तरह अलग अखिल भारतीय संघ की संभावना तलाशी जानी चाहिए जिसे हिमालयन क्षेत्र वैज्ञानिक संघ कहा जाएगा जिसका मुख्यालय जीबीपीएचआईईडी में हो। इसकी क्षेत्र में किसी चयनित सीान पर वार्षिक बैठक होनी चाहिए।

सिफारिश-5

सामाजिक विज्ञानों के साथ प्राकृतिक विज्ञानों का तालमेल

विकास और समाज के पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति नजरिए तथा अपनाए जा रहे विकास मार्गों की धारणीयता के संबंध में जागरूकता लाने हेतु कारगर संचार पर कई सामाजिक कारकों का प्रभाव है। यह बड़ा उपयोगी होगा अगर सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञान से क्रमोवेश भी कर दिया जाता है और प्रौद्योगिकी को हिमालय क्षेत्र का पर्यावरण रूप से व्यवहार्य विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है।

समूह ने महसूस किया है कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास को समग्र व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए। हिमालयन क्षेत्र की कोई भी एकीकृत नीति देश की सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रिया का मात्र एक खंड होगी। यह एक क्षेत्र के विकास में अनन्यता का द्वीप अथवा दूसरी तरफ सामाजिक-राजनीतिक रूप से गैर-धारणीय हो सकता है। "हम और वे समष्टि संलक्षण" पर कोई भी प्रयास विकास के लिए योजना और संरक्षण की दृष्टि से भी उप-इष्टतमता का परिणाम देगा।

सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र को संरक्षण की दृष्टि से विस्तृत रूप से तीन उप क्षेत्र नामत: लोअर हिल्स, मिडिल हिल्स और हायर पहुंच में समाविष्ट देखा जाना चाहिए। इनमें वनस्पति एवं प्राणी समूह और विभिन्न प्रकार के विकास संबंधी उपायों की दृष्टि से काफी भिन्नता है। अत: समूह सिफारिश करता है कि पूर्व उल्लिखित वार्षिक सत्र में प्राकृतिक वैज्ञानिकों एवं सामाजिक वैज्ञानिकों के मध्य उचित चर्चा होनी चाहिए।

सिफारिश-6

राज्यों में विकास परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना

कुल मिलाकर राज्य कार्रवाई का पर्यावरण रूप से व्यवहार्य विकास की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास दो विशाल क्षेत्रों में अवस्थिति होना देखा जा सकता है। पहला पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नियमित प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरा उन कार्यक्रमों पर ध्यान देता है जो पर्यावरण संबंधी विकास परियोजनाओं के विपरीत प्रभाव को कम करने के साथ-साथ उन उपायों की गुणवत्ता संबंधी उन्नयनों पर लक्षित है। हिमालयन क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इसके परिप्रेक्ष्य में समूह सिफारिश करता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरण संबंधी विस्तृत

दिशानिर्देशों को तैयार करना चाहिए जिनको ध्यान में रखते हुए केन्द्र अथवा राज्य सरकारों की विकास परियोजनाओं को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रदान की जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि इन दिशा निर्देशों को पारदर्शी बनाना चाहिए और इनको ईमानदारी से बिना किसी मध्यस्थता के लागू किया जाना चाहिए।

सिफारिश-7

जैवविविधता एवं आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण

विशाल आनुवंशिक विविधता जो हिमालय क्षेत्र में मौजूद है वह वनस्पति एवं प्राणी समूह दोनों में ही है जिसे भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। कई साधनों का यथा स्थान संरक्षण छोड़ा नहीं जा सकता। तथापि किसी क्षेत्र को जीव-मंडल क्षेत्र के रूप में आरक्षित करने की घोषणा करने पर और उस क्षेत्र को मानव हस्तक्षेप से दूर रखने पर उसमें अथवा उसके पास के क्षेत्रों में रहने वालों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता ह।

यह समूह, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण के तत्त्वावधान में, हिमालयाई क्षेत्र में आनुवंशिक संसाधनों की सूची तैयार करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की सिफारिश करता है। इस प्रक्रिया को सुनिश्चित समयसीमा में पूरा करने के लिए, इसमें पारंपरिक विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों अथवा एजेंसियों को भी संबद्ध किया जाना चाहिए।

वनस्पति और प्राणि-समूह तथा उनके प्रजनन की और अधिक समझ से, संकटग्रस्ट प्रजातियों के बाह्य-स्थानिक संरक्षण, जहां कहीं भी ऐसे उपाय अनिवार्य अथवा वांछनीय और व्यवहार्य हों, में सहायता मिल सकती है। जर्म प्लाज्म और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण हेतु क्रमबद्ध प्रयास किया जाना चाहिए जिसके लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार की जानी चाहिए।

सिफारिश-8

वन आवरण का अनुरक्षण

वन आवरण का अनुरक्षण और वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से उनका संवर्धन करना, तात्कालिक महत्व के मामले हैं। वन परिरक्षण अधिनियम के तहत, वन का वनेतर उपयोगों के लिए अपवर्तन करना, अत्यधिक विनियमित कर दिया गया है। जहां कहीं भी वनेतर प्रयोजनों के लिए अपवर्तन करना अपरिहार्य हो, भारत सरकार ने अनिवार्य वनरोपण की नीति भी निर्धारित की है। यह समूह सिफारिश करता है कि इस बात की जांच की जाने की जरूरत है कि क्या ऐसी परियोजनाओं, जो अनिवार्यत: उन्हीं राज्यों के अंदर आरंभ न की जा रही हों, द्वारा मुहैया किए जाने वाले संसाधनों का परिनियोजन करते हुए भी हिमालयाई क्षेत्र में अवक्रमित क्षेत्रों के वनरोपण को इस नीति के तहत तीव्र किया जा सकता है। ऐसी परियोजनाओं को हिमालयाई क्षेत्र से बाहर के राज्यों में स्थापित किए जाने पर भी, अनिवार्य वनरोपण के लिए, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली निधियों के कुछ भाग का हिमालयाई क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है।

सिफारिश-9

वनों का प्रबंधन

कुछ राज्यों में हरियाली को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। समूह का सुझाव है कि हिमालयाई क्षेत्र के सभी राज्यों में हरियाली को काटने पर एक समान और पूर्ण रूप से प्रतिबंद्ध लगा दिया जाना चाहिए। तथापि, स्थानीय लोगों की ईंधन के लिए लकड़ी की जरूरतों को छंटाई व शाखाओं से और चारे की जरूरत को पूरा किया जाना चाहिए और स्थानीय समुदायो के मौजूदा अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। वनों के वाणिज्यिक-पैमाने पर विदोहन पर व्यापक रूप से रोक लगा दी जानी चाहिए।

इस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से अपनाए जाने वाले वन प्रबंधन की समीक्षा करने की जरूरत है। समूह, वन क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता की जरूरत को स्वीकार करता है। तथापि, रोजगार अवसरों के सृजन और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अवक्रमित क्षेत्रों में वनरोपण की मौजूदा नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। बहु-वृक्षारोपण मं, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, बागवानी संबंधी फसलों की कुछ किस्मों विशेषकर गिरीदार फल देने वाले वृक्षों को शामिल करने से, अवक्रमित क्षेत्रों को वानस्पतिक आवरण के अंतर्गत लाने के साथ-साथ रोजगार अवसरों के सृजन, स्थानीय समुदायों की आय में वृद्धि, दोनों में ही योगदान मिल सकता है।

हमारे देश को विभिन्न अन्य देशों में वानिकी प्रबंधन में हासिल किए गए अनुभवों से काफी लाभ मिल सकता है। विश्व भर के अनुभव का संग्रह करने तथा हिमालयाई क्षेत्र के लिए प्रासंगिक प्रबंधन के सिद्धांतों का चयन करने का क्रमबद्ध प्रयास आरंभ करन की जरूरत है।

सिफारिश-10

कृषि और संबद्ध कार्यकलाप

हिमालयाई क्षेत्र में कृषि विकास की विशिष्टता अत्यंत छोटे भू-क्षेत्र और भूमि एवं मनुष्य के बीच बहुत निम्न अनुपात है। इस क्षेत्र से

पुरुषों द्वारा रोजगार की तलाश में मैदानी इलाकां में और इस क्षेत्र से बाहर प्रवास करने की वजह से अनेक क्षेत्रों में कृषि कार्य अधिकांशतया महिलाओं के हाथ में है। कृषि विकास प्रक्रिया में यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाआं तक कृषि प्रौद्योगिकी पहुंचाने और महिलाओं को वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने के प्रयासों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत ह।

इस क्षेत्र की सरलीकृति और विशेषकर मध्यवर्ती पहाड़ों में और उच्चतर विस्तारों में वर्षा, को देखते हुए, व्यापक रूप से परिभाषित कृषि विकास, काफी स्पष्ट होना चाहिए। उचित सीढ़ी तैयार किए बिना मौसमी फसलों को उगाना, किसी भी हाल में एक महंगा प्रस्ताव है और इसके फलस्वरूप कृषि प्रचालनों में बड़े पैमाने पर ऊपरी मृदा का कटाव तथा अनियंत्रित सतही अपवाह झेलना पड़ता है जिसकी वजह से भूमि अवक्रमण हो जाता है। कृषि विकास को अनिवार्य रूप से, बागवानी फसलों के रूप में सदाबहार वनस्पति, ईंधन व चारा संबंधी वृक्ष उगाने ओर पशुपालन कार्यक्रमों के समर्थन के लिए चरागाह स्थापित करने आदि के इर्दगिर्द केन्द्रित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, कृषि-वानिकी और रेशम उत्पादन को, उच्च मूल्य सृजित करने वाले उद्यमों के माध्यम से आय को बढ़ाने के साथ-साथ पारिस्थितिकी संतुलन के अनुरक्षण/संवर्धन, दोनों ही दृष्टि से भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

सदाबहार वनस्पति के विकास के लिए क्रमबद्ध प्रयास को, वृक्ष लगाने की पद्धतियों, उगाई जाने वाली प्रजातियों की दृष्टि से अनुसंधान द्वारा पूर्णतया समर्थित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। बागवानी, रेशम उत्पादन तथा अन्य वृक्ष आधारित कृषि प्रणाली के विकास हेतु मास्टर प्लान को समयबद्ध रूप से तैयार किया जाना चाहिए।

इस मास्टर प्लान को प्रचालनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त रोपण सामग्री उगाने हेतु नर्सरी के रूप में समस्त बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को इस विषय से संबंधित केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ संबद्ध होना भी आवश्यक होगा।

सिफारिश-11

बागवानी उत्पादों की पैकिंग और विपणन

पर्याप्त और कारगर विपणन व्यवस्थाएं स्थापित करना एक अन्य महत्वपूर्ण जरूरत है विशेषकर जब उत्पादित कृषि सामान नाशवान प्रकृति का होता है जैसे कि सेब, आड़ू, स्ट्राबेरी, लीची, आदि। समूह की सिफारिश है कि बागवानी कार्यक्रमों के संबंध में विकल्प के मामले में भी कम घनत्व और उच्च मूल्य वाली फसलों, जो अत्यधिक नाशवान नहीं हैं जैसे कि गिरीदार फलों वाली विभिन्न किस्में, की ओर ध्यान देना लाभकारी होगा। फसल उत्पादकों के लिए लाभकारी प्रतिलाभ सुनिश्चित करने हेतु बागवानी उत्पादो के विपणन से बागवानी कार्यक्रमों की सफलता पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

राज्यों द्वारा उत्पादक-संगठनों को फल एवं सब्जियों को एकत्र करके इन्हें केन्द्रीय स्थलों तक लाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और तत्पश्चात इनका देश के विभिन्न भागों में विपणन किया जाना चाहिए।

अकसर, पैकिंग सामग्री की आवश्यकता का, इस क्षेत्र में वन आवरण के अनुरक्षण पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है क्योंकि लकड़ी के क्रेट के उपयोग पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। कृषि में प्लास्टिक के उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति और इसके कार्यक्रमों के तहत विभिन्न ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने पॉलीमर-आधारित पैकिंग सामग्रियों को तैयार किया है जिन्हे रिसाइकिल किया जा सकता है। उत्पादकों, व्यापारियो आदि को लकड़ी के क्रेट का उपयोग करने से हतोत्साहित करने और प्लास्टिक की सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु विशिष्ट कार्यक्रम आरंभ करने की जरूरत है ताकि लकड़ी पर निर्भरता को कम किया जा सके।

विशेषकर निकृष्ट प्रकृति के फलों और जो कि मेज पर परोसने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं, के प्रसंस्करण के लिए इकाइयां स्थापित करने का प्रयास किया गया है। समूह को यह जानकारी है कि इनमें से कुछ प्रसंस्करण इकाइयों की स्थिति अच्छी नहीं है। इन प्रसंस्करण इकाइयों के कार्यकरण का विस्तृत विश्लेषण और समीक्षा की जानी चाहिए तथा सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिएं उत्पादकों के लिए मूल्यवर्धन, उच्चतर लाभ सुनिश्चित करने हेतु प्रतिष्ठानों की सिफारिश की जाती है जो कि इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के भी सृजन करेंगे।

सिफारिश-12

पड़ोसी देशों को बागवानी उत्पादों का विपणन

हिमालयाई क्षेत्र में कृषि उत्पादों के विपणन का एक अन्य पहलू यह है कि पूर्व में, इन उत्पादों का पारंपरिक रूप से चीन अथवा बंगलादेश को विपणन किया जा रहा था। समूह इस बात को स्वीकार करता है कि भारत सरकार ने सीमा-पार व्यापार को सुधारने के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से उपाय आरंभ किए थे। यह पहलू कृषि उत्पादों के विपणन के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें पर्याप्त बढ़ोतरी करने की जरूरत है। इसके फलस्वरूप, उत्पादकों को अपने उत्पादों के लिए विपणन स्थलों की प्राप्ति और संभवत: बेहतर कीमत प्राप्त करने में बहुत मदद मिल सकती है।

सिफारिश-13

झूम कृषि

कृषि प्रचालनों की काटो और जलाओ (स्लैश एंड बर्न) पद्धति, जिसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई राज्यों में व्यापक रूप से प्रचलन मे है। जनसंख्या दबाव में वृद्धि ने "स्लेश एंड बर्न" चक्र को 20-30 वर्ष से कम करके 5 वर्ष या इससे भी कम कर दिया है। वन आवरण और मृदा अपरदन पर इसका व्यापक असर पड़ा है। उचित रूप से कृषि व्यवस्थित भूखंड में उत्पादकता में सुधार करने हेतु कृषकों को सक्षम बनाने के लिए न्यूनतम सीढ़ीदार खेती प्रबंधन के माध्यम से और उपयुक्त उपकरणों और मशीनो के प्रावधान, न्यूनतम सिंचाई सुविधाओं के द्वारा कृषि पद्धतियां में पर्याप्त रूप से वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा झूम खेती का विशेषकर खड़ी ढालों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। उपयुक्त स्कीमों के अंतर्गत, झूम खेती करने वाले कृषकों के पुनर्वास के लिए बागवानी, कृषि-वानिकी और रेशम कीट पालन का गहन संवर्धन किया जा सकता है।

इस कार्यक्रम की सफलता इस क्षेत्र में जनसंख्या के लिए अनाज और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर प्रासंगिक हागा। झूम खेती में कमी को पूरा करने हेतु, समूह, जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अधिक जोर नहीं डाल सकता है।

सिफारिश-14

सिंचाई

पर्वतीय क्षेत्र में कृषि का प्रावधान आसान नहीं है वर्तमान में ढालों में फसलों की सिंचाई के लिए जल के मार्ग परिवर्तन प्रणाली का सहारा लिया जा रहा है। कृषकों के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत, सिंचाई पद्धतियों के लिए प्रौद्योगिकियो का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए और उनका विस्तार किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में विशेषकर फलोद्यान के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसे सिंचाई के उन्नत साधनों की स्थापना का सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाना चाहिए।

सिफारिश-15

ऊर्जा

वाणिज्यिक ऊर्जा विशेषकर जल विद्युत के उत्पादन के लिए संसाधनों में हिमालय क्षेत्र समृद्ध है। तथापि, मूलभूत समस्या यह रही हे कि एक या दो राज्यों को छोड़कर इस क्षेत्र में विद्युतीकरण में विस्तार धीमा रहा है। यदि जल विद्युत के सृजन का लाभ स्थानीय निवासियों तक नहीं पहुंचता है तो इससे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में कठिनाई होगी। समूह सिफारिश करता है कि ऊर्जा संसाधनों के दोहन हेतु सभी कार्यक्रमों में क्षेत्रों में रहने वाले लोगो की आवश्यकताओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही विद्युत ग्रिड के विस्तार की लागत मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक खर्चीला होना संभावित हो। खाना पकाने, विद्युत प्रबंध और गर्म रखने के लिए हिमालय में रहने वाले लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत वितरण के वृहद् नेटवर्क से जलाऊ लकड़ी पर निर्भरता कम होगी, और इससे वन संसाधनों की सुरक्षा होगी।

हिमालय क्षेत्र सूक्ष्म-जल विद्युत के सृजन हेतु स्थलों से समृद्ध है, जो कि सदाबहार नदियों पर आधारित है। हाल ही में संभावित सूक्ष्म जल विद्युत के दोहन पर बल दिया गया है। स्थानीय समुदाय कौशलों के उचित निर्माण और वितरण के माध्यम से सूक्ष्म-जल विद्युत सृजन इकाईयों के प्रचालन और रख-रखाव में शामिल हो, इस सीमा तक इसे पूर्ण रूप से स्थानीय लोगों को सौंप दिया जाता है, इससे क्षमता की प्राप्ति में सुविधा होगी।

इस क्षेत्र में दूरस्थ क्षेत्रों में विरल रूप से बसे हुए गांव एक सामान्य विशिष्टता है। गैसीकरण (बायोगैस) के लिए फोटो वोल्टाइक सेल्स, कार्बनिक सामग्रियों का उपयोग और वाइन्ड टर्बाइन्स जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधन इस प्रकार के गांवों में विद्युत व्यवस्था और पंपिंग उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सकते हैं। समूह सिफारिश करता है कि मांग के व्यवस्थित अध्ययन और ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन हेतु ठोस कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। इस हेतु ऊर्जा के परंपरागत और गैर-परंपरागत, दोनों संसाधनों के माध्यम से आपूर्ति के एक उपयुक्त मिश्रण का प्रयास किया जाना चाहिए।

सिफारिश-16

गैर-कृषि आर्थिक कार्यकलाप

हिमालयाई पारितंत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए, मैदानी इलाकों की तर्ज पर व्यापक स्तर परव्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण पूर्णतः अयुक्तियुक्त होगा। सेवा इंजीनियरिंग विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में इलेट्रॉनिक्स के प्रयोग के विस्तार के मामल में कुछेक प्रयास किए गए हैं। सेवाओं सहित उद्योग का चयन, जिसका इस क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है, का सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है।

कृषि आधारित उद्योगों, जिनकी पुरजोर सिफारिश की गयी है, को छोड़कर यह आवश्यक है कि वनों के भोगाधिकारों पर आधारित अन्य उद्योगों का पता लगाया जाए, जिन्हें इस क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। यह आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि कर सकता है और उच्चतर आय का सृजन और रोजगार अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मशरुम की खेती और मधुमक्खी पालन को समृद्धि बढ़ाने वाले कार्यकलापों में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध किया गया है और इसे इसकी पूर्ण संभावना में विकसित करने हेतु अवश्य प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सिफारिश-17

स्वास्थ्य पोषण और परिवार कल्याण

हिमालयाई राज्यों में स्वास्थ्य समस्याएं प्रमुख हैं जैसा कि देश के अन्य हिस्सों में भी प्रबल है, जिसमें से कुछक जैसे घेंघा, मलेरिया, श्वास संबंधी समस्याएं, एसटीडी, एड्स इत्यादि इन क्षेत्रों में गहन रूप में देखा जाता है। सामान्यत: इसमें योगदान देने वाले कारक अल्प-पोषण, विशेष भू-भौतिकीय, भू-जलवायवीय, समाजार्थिक और इस क्षेत्र में विद्यमान अन्य परिवर्तनशील कारक हैं।

इसलिए, समूह सिफारिश करता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम, बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन कमी अनियमितता नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए प्राथमिकता आधार पर और अधिक निधियां प्रदान करनी चाहिए।

समूह ये सिफारिशें भी करता है कि ऐसे क्षेत्रों विशेषकर उपकेन्द्रों और प्राथमिक केन्द्रों की स्थापना के संबंध में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में महत्वपूर्ण रूप से सुधार किया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं की प्रदायगी के लिए पर्याप्त और संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें। विशेषकर जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों उपकेन्द्रों की स्थापना में बैकलॉग को जितनी जल्दी संभव हो दूर किया जाना चाहिए।

भवन एवं आवास इकाईयों, सभी रिक्त पदों को भर कर और अनिवार्य दवाइयां, ड्रेसिंग और अन्य उपभोज्य वस्तुओ की आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित भौतिक सुविधाएं प्रदान करके उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्यि केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य संस्थाएं पूर्ण रूप से प्रचालित होनी चाहिए। जेआरवाई, विशेष क्षेत्र परियोजनाएं और भवन निर्माण हेतु सस्ती प्रौद्योगिकी को अपनाने जैसी ग्रामीण अवसंरचना स्कीमों के संसाधनों का उपयाग भैतिक सुविधाओं में बैकलॉग को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी के कारण देशी चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग का संवर्धन और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में इसका एकीकरण किया जाना चाहिए।

इस क्षेत्र में अस्वस्थता-दर और मृत्यु-दर की व्यापकता और कारणों का पता लगाने के लिए जिला स्तरीय डेटाबेस तैयार करने हतु प्रत्येक हिमालयाई राज्यों में कुछ जिलों में प्रायोगिक अध्ययन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों अर्थात् आईसीएमआर, एनआईएच एफडब्ल्यू, चयनित चिकित्सा महाविद्यालयों (भारतीय चिकित्सा प्रणाली वाले महाविद्यालयों सहित) को उपर्युक्त जिम्मेदारी सौंपी जाए।

सिफारिश-18

भूकंप संभावित क्षेत्रों में रहने के लिए तैयारी

हिमालय के कुछ क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील हैं क्योंकि वे अल्पाईन सिज्मिक बेल्ट के हिस्से में आते हैं। 20 अक्तूबर, 1991 के उत्तरकाशी भूकंप सहित पिछले 100 वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक भूकंप, जो या तो 7.5 की तीव्रता के बराबर थे या उससे अधिक तीव्रता वाले थे, आ चुके हैं। चूंकि भूकंप का यथार्थ पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, समूह निम्नलिखित उपायों की सिफारिश करता है:—

1. भूकंप संभावित क्षेत्रों के लिए भवन कोड को अपनाना। जापान और अन्य देशों में सस्ती विधियां अपनायी जाती हैं, जिनका भूकंपीय क्षेत्रों में भवनों और आवासों की रूप-रेखा तैयार करते समय सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की में कुछ सस्ते डिजाइन तैयार किए हैं।

2. भारतीय परिस्थितियों के अनुसार भूकंपरोधी संरचनाओं के लिए मानक तैयार किए जाने चाहिए।

3. भूकंप की स्थिति में भावी खतरों को कम करने के लिए, लोगों के जीवन-यापन के तरीके में सुधार अवश्य किया जाना चाहिए और उपयुक्त तरीका अपनाया जाना चाहिए। सिर के ऊपर के स्तर पर भारी सामान नहीं रखना, जमीन पर भारी सामानों को नहीं छोड़ना, प्राथमिक उपचार किट और भोजन की आपातकालीन आपूर्ति के लिए हर समय तैयार रहने जैसी सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। तैयारी के लिए कई दिशा-निर्देश हैं। यह अत्यावश्यक है कि परिवार और समुदाय के बीच इनकी चर्चा की जाए ताकि किसी संभावित घटना के समय कुछ संगठित प्रयास किए जा सकें। लाग इनके प्रति जरा भी सावधान नहीं होते हैं।

सिफारिश-19

सड़कें और संचार

एक तरफ क्षेत्र के निवासियों तक पहुंच में सुधार और सड़कों के बहुत बड़े जाल/नेटवर्क के निर्माण के विपरीत प्रभाव से असमंजस/दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिना रक्षोपायों के सड़कों के निर्माण के विपरीत प्रभाव ने भू-स्खलन की गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। यह मानव और सामग्री की आवाजाही को ही बुरी तरह से प्रभावित नहीं करता जिसके कारण भारी गाद भरता है बल्कि यह कृषि भूमि और वनों को भी नष्ट करता है। पहाड़ियों में सड़के निर्माण करने की पद्धतियों पर विशेष अनुसंधान किया जाना चाहिए जिससे कि विपरीत प्रभावों में कमी आएगी और लागत के बढ़ने पर भी सभी रक्षोपायों को अपनाया जाना चाहिए ताकि सड़कों का निर्माण पर्यावरणीय रूप से नुकसानदायक न हो और किसी पारिस्थितिकीय अवरोध, मृदा अवक्रमण और मृदा अपरदन, अपवहन तंत्र में रूकावट, वानिकी, वनस्पतियों का नुकसान और सौन्दर्य ह्रास का कारण न बनें समूह इन परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में सड़कां के डिजाईन और निर्माण के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान से सलाह करने का सुझाव देता है।

यह भी आवश्यक है कि सड़कों का जाल इस प्रकार विकसित किया जाए कि प्रत्येक और हर बस्ती तक पहुंचने का प्रयास न किया जाए। वैकल्पिक अश्वमार्ग, ट्रॉलियों, रोपवे के निर्माण की खोज की जाए ताकि सामग्री को पल्लियों और फलोद्यानों से मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित मुख्य एकत्रण बिन्दु तक पहुंचाया जा सके। 500 की आबादी वाले सभी गांवों या गांवों के समूहों को सर्वमौसमी सड़कों से जोड़ा जाए।

सिफारिश-20

पर्यटन

पर्यटन हिमालय क्षेत्र की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है फिर चाहे वह धार्मिक पर्यटन हो या फिर आनंद अथवा साहसिक पर्यटन हो। हिमालय क्षेत्र में पर्यटन को पूरी तरह से विकसित करने के लिए और एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि बनाने के लिए जहां अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता है, वहां यह आवश्यक है कि स्थानीय पारिस्थितिकी की कीमत पर लग्जरी होटलों, जलपान गृहों के निर्माण के प्रभावों का अत्यधिक गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है।

धार्मिक और मध्यम श्रेणी पर्यटकों के लिए गृह/कुटीर पर्यटन को सक्रिय रूप से पोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। स्थानीय निवासियों को पेंईग गेस्ट सुविधा के विकास हेतु उदार ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह स्थानीय जनसंख्या को आय और रोजगार दोनों ही उपलब्ध कराएगा और साथ ही साथ इससे बाहर से आने वाले मध्यम श्रेणी पर्यटकों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन भी होगा।

सिफारिश-21

जनजातीय जनसंख्या का विकास

अधिकांश जनजातीय जनसंख्या पृथक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि और कृषि-संबंधी गतिविधियों पर आश्रित है। खाद्य सुरक्षा न केवल उनके अस्तित्व बल्कि उनके स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण घटक है। उनके समग्र विकास का अन्य तत्व रोजगार और उनके कार्य के अधिकार से संबंधित है। इसलिए समूह यह महसूस करता है कि कृषि और अन्य खाद्य-उत्पादन कार्यकलापों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय और उनके बच्चों की सुरक्षा विकासात्मक योजना के घटकों का निर्माण करते हैं। मानव विकास को समग्र बनाने के लिए जनजातीय समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके स्तर संवर्धन पर मुख्य रूप से विचार किया जाना चाहिए। हमारी योजना निर्माण का अंतिम उद्देश्य हिमालय क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी पहुंच में हो, होना चाहिए। जनजातियों को समृद्ध करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों का कार्य योजना विकसित करनी चाहिए।

सिफारिश-22

राज्यों में सांस्थानिक व्यवस्थाएं

उन राज्यों में, जो पूर्णतया हिमालय क्षेत्र में आते हैं यह आशा कि जाती है कि इनके प्रशासन के प्रत्येक पहलू में, हिमालय क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं विशेषकर कमजोर पारिस्थितिकीय तंत्र को ध्यान में रखना चाहिए। इस क्षेत्र के विशिष्ट मुख्य मुद्दों के स्वयं समाधान के लिए उत्तर प्रदेश में एक पृथक पहाड़ी विकास विभाग की स्थापना की गई है। पश्चिम बंगाल के मामले में इसके लिए एक इसके लिए एक पृथक दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद् की स्थापना की गई है। उत्तर-पूर्वी प्रदेश में जिला परिषदें स्थानीय क्षेत्रो के मामलों में मार्गदर्शक की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर भी समूह महसूस करता है कि कई बार प्रशासन पद्धति कम या अधिक समानान्तर दिखाई देती है और आदर्श रूप में, कहीं और जारी रखी जाती है। समूह इस तथ्य पर आवश्यकता से अधिक बल नहीं दे सकता कि पहाड़ियां में निवास करने वाले लोगों के कार्यों के प्रशासन के प्रत्येक पहलू

में, विशेष ध्यान जो सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रदान करने की आवश्यकता है, को समग्र रूप से सम्मिलित करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

सिफारिश-23

गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि की भागीदारी

हिमालया क्षेत्रीय राज्यों के विभिन्न प्रदेशों में, स्थानीय लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसी प्रौद्योगिकीयां अपना ली हैं जिनसे पर्यावरण संरक्षण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और यह सुनिश्चित रहता हे कि स्थानीय पारिस्थितिकी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। समूह यह सिफारिश करता है कि विकास हेतु प्रौद्योगिकी के सृजन की प्रक्रिया में, स्वदेशी प्रौद्योगिकीयां जो कि समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं, पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है और इसको ध्यानपूर्वक देखना एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

यह मान्यता बढ़ती जा रही है कि सुरक्षित सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन विशेषकर पर्यावरणीय मुद्दों और आर्थिक विकास के तालमेल के संबंध में, सक्रिय लोगों के सहयोग व उनकी भागीदारी से ही संभव है। समूह सिफारिश करता है कि स्थानीय लोगों द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं की पूर्ण समझ, इस और सहयोग प्रदान करेगी। कई गैर-सरकारी संगठन स्थानीय समुदायों के उत्थान में सक्रिय रूप से संलग्न है और स्थानीय समुदाय के प्रत्यक्ष ज्ञान को जोड़ने में समर्थ हुए हैं। विकासात्मक कार्यक्रमों को गैर-सरकारी संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके। समूह महसूस करता है कि पर्वतों के समेकित विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीआईएमओडी) से जुड़ाव आगे के दिशा-निर्देशों हेतु और गरीबी हटाने के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा।

सिफारिश-24

वित्तपोषण के स्रोत

उपर्युक्त सिफारिशों से उदयीमान परियोजनाओं, स्कीमों, नए अध्ययनों या अनुसंधानों के लिए वित्तीय स्रोतों की आवश्यकता होगी। इसी के लिए राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास निधि (एनएचईडीएफ) के सृजन का सुझाव दिया गय है। आरंभ में यह निधि इतनी बड़ी नहीं होगी कि इससे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, लेकिन कार्यान्वयन में प्राप्त सफलता और इस रिपोर्ट को प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर आवंटन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है।

समूह ने किसी नए संस्थान या अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का सुझाव नहीं दिया है बल्कि हिमालय क्षेत्र से संबंधित विद्यमान संस्थानों, अभिकरणों, स्वैच्छिक संगठनों और राज्यों के बीच संपर्क और सहयोग के सृजन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसने एक संस्थान को नॉडल केन्द्र के रूप में चिन्हित किया है और वार्षिक बैठक के आयोजन हेतु एक मंच और एक एसोसिएशन का गठन जिसमें हिमालय क्षेत्र के संधारणीय विकास एवं समृद्धि के लिए सभी विद्यमान संस्थान और अभिकरण मिलकर कार्य करेंगे। ऐसे कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सभी वैध खर्चों को एनएचईडीएफ द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

कुटुंब न्यायालयों के अंतर्गत तलाक के मामले

1460. डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तलाक के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक राज्य के कुटुंब न्यायालयों के समक्ष तलाक के कतने मामले लंबित पड़े हुए हैं और इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को मांग पूरी करने के लिए देश में और अधिक कुटुंब न्यायालयों की स्थापना करने के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) अब तक 22 राज्यों में 212 कुटुंब न्यायालय, स्थापित किए गए है। उत्तर प्रदेश सरकार से 84 कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के लिए 100% अनुदान को उपलब्ध कराने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। कुटुंब न्यायालय स्कीम के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, एकमुश्त अनुदान के रूप में 10 लाख रुपए की सीमा के अधीन किसी कुटुंब न्यायालय की संरचना की लागत 50% तथा आवर्ती लागत

के रूप में 5 लाख रुपए वार्षिक प्रदान करती है, चूंकि स्कीम राज्यों में कुटुंब न्यायालय पर मिलने वाले अनावर्ती/आवर्ती व्यय के लिए 100% केन्द्रीय सहायता देने पर परिकल्पित नहीं है। तद्नुसार, राज्य सरकार को सूचित किया गया था।

केन्द्रीकृत हेल्पलाइन सिस्टम

1461. श्री संजय धोत्रे :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए केन्द्रीकृत हेल्पलाइन सिस्टम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का हाल में इस सिस्टम के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार रैगिंग-पीड़ितों की सहायता तथा प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 12 भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड, पंजाबी, मराठी, उड़िया, असमिया, गुजराती तथा बंगला) के 12 कॉल सेटरों के साथ 20.06.2009 को राष्ट्रव्यापी टोल फ्री रैगिंगरोधी हेल्पलाईन 1800-180-5522) स्थापित की गई है। यह हेल्पलाईन, शिकायतकर्ता/पीड़ित की शिकायतें सीधे ही प्राप्त करती है और उन्हें आवश्यक सुधारक कार्रवाई के लिए संबंधित संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन (थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक) को भेज देती है।

(ग) सरकार को इस व्यवस्था के कार्य न करने संबंधी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अवैध टेलीमार्केटिंग कंपनियां

1462. श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत एक वर्ष के दौरान अवैध टेलीमार्केटिंग कंपनियों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास अप्राधिकृत और अवैध टेलीमार्केटिंग कंपनियों का पता लगाने की कोई प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान अवैध टेलीमार्केटिंग कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) ट्राई ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम, 2010 की मार्फत अवांछित वाणिज्यिक संदेशों (यूसीसी) का समाधान करने के लिए एक संशोधित कार्यपद्धति निर्धारित की है और ये विनियम दिनांक 27.09.2011 से लागू किए गए। ट्राई ने इन विनियमों में विभिन्न संशोधन भी किए हैं तथा विनियामक कार्यपद्धत्ति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक निर्देश जारी किए हैं।

गत एक वर्ष के दौरान अपंजीकृत टेलीमार्केटरों (जो ट्राई के साथ पंजीकृत नही हैं) की ओर से अप्राधिकृत टेलीमार्केटिंग गतिविधियों से संबंधित शिकायतें बढ़ गई हैं। दिनांक 27.09.2011 से 4.8.2012 और दिनांक 5.8.2012 से 4.8.2013 तक की अवधि के दौरान अभिगम सेवा प्रदाताओं के पास प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा निम्नवत है:–

दिनांक 27.09.2011 से दिनांक 04.08.2012 की अवधि के दौरान प्राप्त की गई कुल शिकायतें	1,49,882 (प्रतिमाह औसतन 14,998 शिकायतें)
गत एक वर्ष (दिनांक 05.08.2012 से दिनांक 04.08.2013) के दौरान प्राप्त की गई कुल शिकायतें	5,56,834 (प्रतिमाह औसतन 46,402 शिकायतें)

(ग) और (घ) इस कार्यपद्धति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अवांछित वाणिज्यिक संदेशों, विशेषकर अपंजीकृत टेलीमार्केटरों से भेजे जाने वाले वाणिज्यिक एसएमएस के संबंध में, ट्राई द्वारा दिनांक 5.11.2012 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम में एक संशोधन (दसवां संशोधन) किया गया है। इस विनियम के मुख्य प्रावधानों में से एक प्रावधान में अपंजीकृत टेलीमार्केटरों की ओर से सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में प्रचारात्मक एसएमएस भेजे जाने की प्रतिबंधित करना शामिल है। ट्राई ने इस विनियम की मार्फत अभिगम सेवा प्रदाताओं को इसका समाधान निकालने का अधिदेश दिया है जिससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी स्रोत या नम्बर से समान या मिलती जुलती सामग्री या विषयवस्तु या संदेश वाले वाणिज्यिक एसएमएस न भेजे जा सकें। इस समाधान से सुनिश्चित होगा कि एक घंटे में एक ही "स्रोत" से 200 से अधिक एसएमएस न भेजे जा सकें।

(ङ) ट्राई ने हाल ही में दिनांक 23.5.2013 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता (बारहवां संशोधन) विनियम भी जारी किए हैं। इस विनियम में अवांछित कॉल/एसएमएस भेजने वाले उपभोक्ताओं के सभी दूरसंचार संसाधनों को काटे जाने, ऐसे उपभोक्ताओं के नाम एवं पतों को दो वर्ष की अवधि के लिए काटे जाने, ऐसे उपभोक्ताओं को काली सूची में डाले जाने के 24 घंटों के अंदर अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के दूरसंचार संसाधनों को काटे जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, अभिगम प्रदाता द्वारा काली सूची में डाले गए ऐसे उपभोक्ताओं को दो वर्ष की अवधि तक कोई दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किए जाएंगे। ट्राई द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों के अनुपालन में अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा अपंजीकृत टेलीमार्केटरों के कुल लगभग तीन लाख टेलीफोन कनेक्शन काटे गए हैं और ऐसे 25295 उपभोक्ताओं के नाम एवं पतों को काली सूची में डाला गया है।

ट्राई द्वारा ऐसे टेलीमार्केटरों एवं सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

01.	(दिनांक 27.9.2011 से दिनांक 31.7.2013) की अवधि के दौरान अपंजीकृत टेलीमार्केटरों को भेजे गए नोटिसों की संख्या	2,85,813
02.	(दिनांक 27.9.2011 से दिनांक 31.7.2013) की अवधि के दौरान अपंजीकृत टेलीमार्केटरों के काटे गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या	2,99,575
03.	(दिनांक 27.9.2011 से दिनांक 25.6.2013) की अवधि के दौरान काली सूची में डाले गए टेलीमार्केटरों की संख्या	15
04.	उन अपंजीकृत टेलीमार्केटरों/उपभोक्ताओं की संख्या जिन्हें काली सूची में डाला गया है।	25295

टेलीग्राफ सेवा के स्थान पर वैकल्पिक सेवाएं

1463. श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री प्रबोध पांडा :
श्री राकेश सिंह :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जो डाक विभाग की टेलीग्राफ सेवा का उपयाग कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न रक्षा, अर्ध-रक्षा कार्मिकों और दूर-दराज के गांवों के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए टेलीग्राफ सेवा के स्थान पर कोई वैकल्पिक सेवा प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का टेलीग्राफ सेवा जारी रखने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस सेवा के बंद होने के अंतिम दिन भेजे गए कुछ टेलीग्राफ अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचे; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) देश में तार सेवाएं प्रदान कर रहा था। इन टेलीग्राफ सेवाओं का आम जनता एवं सरकार द्वारा उपयोग किया जा रहा था।

(ख) से (ङ) संचार के अनेक वैकल्पिक तरीके जैसे बुनियादी टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, ई-मेल, एसएमएस और ई-पोस्ट अब सरलता से उपलब्ध हैं जोकि तार सेवाओं की तुलना में अधिक सस्ते, तीव्र और अधिक विश्वसनीय हैं गत कुछ वर्षों के दौरान तार सेवाओं के कम होते प्रयोग के साक्ष्य के रूप में इनके कम होते आकर्षण से संचार के वैकल्पिक तरीकों की ओर रूझान का संकेत मिलता है। दिनांक 15.07.2013 से तार सेवाओं को पहले ही बंद कर दिया गया है।

(च) और (छ) बीएसएनएल ने सूचित किया है कि तार सेवाओं को बंद किए जाने के अंतिम दिन बुक किए गए सभी तारों को उनके गन्तव्यों तक पारेषित कर दिया गया है और बीएसएनएल को इन तार के गन्तव्य स्थानों तक न पहुंचने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

1464. श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री अर्जुन राय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकलन किया हे कि देश में लगभग 22 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन-निर्वाह कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार देश की लगभग 67 प्रतिशत जनता को सस्ती-दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना जरूरी है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त अधिनियम के दृष्टिकोण से देश की 67 प्रतिशत जनसंख्या गरी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) योजना आयोग विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित कार्यप्रणाली के आधार पर, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय पर किए गए वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण से गरीबी के मामलों का अनुमान लगाता है। एनएसएसओ सर्वेक्षण सामान्यतः पंचवर्षीय आधार पर किया जाता है। 2011-12 के लिए गरीबी अनुमान की गणना एनएसएसओ द्वारा 2011-12 में संचालित उसके 68वें दौर में एकत्र किए गए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर नवीनतम डेटा के आधार पर, वर्तमान तेंदुलकर कार्यप्रणाली का अनुपालन करते हुए की गई है और इन्हें 22 जुलाई, 2013 को एक प्रेस नोट के माध्यम से जारी किया गया है। इस प्रेस नोट के अनुसार, 2011-12 में देश में गरीबी अनुपात 21.9% अनुमानित है।

(ग) से (ङ) सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, 67 प्रतिशत जनसंख्या को शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित कवरेज केवल गरीबों तक ही सीमित नहीं है। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार, 2011-12 में 21.9 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। इसलिए, खाद्य सुरक्षा द्वारा शामिल की गई जनसंख्या गरीबों की संख्या का लगभग तीन गुना है।

थोरियम-भंडार

1465. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में थोरियम-भंडारों की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) का एक संघटक यूनिट है, ने पुलिन बालू में विद्यमान खनिज मोनाज़ाइट में उपलब्ध थोरियम के काफी बड़ी मात्रा में स्वस्थाने भंडारों का पता लगाया है। परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए थोरियम के भंडारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

राज्य	मोनाज़ाइट (मिलियन मीटरी टन)		
	31.10.2009 की स्थिति के अनुसार भंडार	भंडारों की वृद्धि	मई, 2013 की स्थिति के अनुसार भंडार
1	2	3	4
ओडिशा	1.85	0.56	2.41

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	3.72	—	3.72
तमिलनाडु	2.16	0.30	2.46
केरल	1.51	0.39	1.90
पश्चिम बंगाल	1.22	—	1.22
झारखंड	0.22	—	0.22
कुल	10.68	1.25	11.93

गांवों में मोबाइल सेवा

1466. श्री इज्यराज सिंह :
डॉ. संजय सिंह :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री अशोक कुमार रावत :
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री बलीराम जाधव :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्रीमती रमा देवी :
श्रीमती कमला देवी पटले :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक जिलों और गांवों में अभी तक मोबाइल-संपर्क उपलबध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन जिलों/गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या हे जहां अभी तक मोबाइल संपर्क उपलब्ध नहीं है;

(ग) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल सेवा के ग्राहकों का पृथक-पृथक राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सभी गांवों में मोबाइल संपर्क प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना उपलब्ध कराने में किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इस विलंब के कारण इसकी लागत में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश के 56,397 गांवों में अभी तक मोबाइल संपर्क उपलब्ध कराया जाना बाकी है। इनका सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) देश के ग्रामीण और शहरी मोबाइल सेवा के ग्रहकों का सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) देश के शेष बसे हुए गांवों में मोबाइल संचार सेवाओं के प्रावधान के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्कीम की परिकल्पना की गई है। यूएसओएफ ने टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट) के साथ दिनांक 01 नवंबर, 2012 को यूएसओएफ राजसहायता के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नेटवर्क को तैयार करने का संदर्भ आधार निर्धारित करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस स्कीम को सी-डॉट से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तैयार किया जाएगा।

(ङ) और (च) यूएसओएफ वित्त पोषित स्कीमों को कार्यान्वित करने वाले सेवा प्रदाताओं ने दूरस्थ और कठिन इलाकां, उचित परिवहन अवसंरचना की कमी, बिजली की कम उपलब्धता/अनुपलब्धता, उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, प्राकृतिक आपदाआं इत्यादि के कारण इन स्कीमों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के बारे मे सूचित किया है। इन सभी कठिनाईयों के कारण इन स्कीमों के कार्यान्वयन में विलंब हुए हैं।

विलंब के कारण इसकी लागत में वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यूएसओएफ से सहायता प्राप्त स्कीमों/परियोजनाओं का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में लाइसंसधारक सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं के व्यवहार्यता अंतर के लिए वित्त पोषण प्रदान करना है। यूएसओएफ से राजसहायता प्रदान करने का तरीका इस प्रकार का है कि यदि एजेंसी द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन मे विलंब होता है तो एजेंसी की संवितरित की जाने वाली राजसहायता कम कर दी जाती है।

विवरण-I

दूरसंचार विभाग के टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मोबाइल सेवाओं की अनुपलब्धता वाले गांवों की सेवा क्षेत्र/राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र/राज्य का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले राजस्व गांवों की कुल संख्या	मोबाइल सेवाओं की अनुपलब्धता वाले शेष गांवों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	26613	3786
2.	असम	25124	2976
3.	बिहार	39032	271
4.	झारखंड	29354	5308
5.	गुजरात	18159	1938
6.	हरियाणा	6764	32
7.	हिमाचल प्रदेश	17495	1197
8.	जम्मू और कश्मीर	6417	636
9.	कर्नाटक	27481	1197
10.	केरल	1372	0
11.	मध्य प्रदेश	52117	1171
12.	छत्तीसगढ़	19744	5460
13.	महाराष्ट्र	41442	5394
14.	मेघालय	5782	3257
15.	मिज़ोरम	707	584
16.	त्रिपुरा	858	180
17.	अरुणाचल प्रदेश	3863	2382
18.	नागालैंड	1278	451
19.	मणिपुर	2315	1040
20.	ओडिशा	47529	6734
21.	पंजाब	12301	100
22.	राजस्थान	39753	3153
23.	तमिलनाडु चेन्नै सहित	15492	197
24.	उत्तर प्रदेश	97942	5014
25.	उत्तराखंड	15761	1419
26.	पश्चिम बंगाल कोलकाता सहित	37955	886
27.	सिक्किम	450	13
28.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	501	221
	कुल जोड़	5,93,601	56,397

विवरण-II

दिनांक 31.05.2013 की स्थिति के अनुसार सेवा क्षेत्र/राज्य-वार ग्रामीण और शहरी मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

आंकड़े मिलियन में

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	31.05.2013 तक	
		ग्रामीण मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन	शहरी मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	25.45	39.02
2.	असम	8.39	6.23
3.	बिहार	31.85	27.64
4.	गुजरात	19.16	32.63

1	2	3	4
5.	हरियाणा	9.66	10.13
6.	हिमाचल प्रदेश	4.41	2.60
7.	जम्मू और कश्मीर	3.28	3.75
8.	कर्नाटक	15.77	36.89
9.	केरल	14.37	16.61
10.	मध्य प्रदेश	23.06	29.82
11.	महाराष्ट्र	32.22	35.68
12.	पूर्वोत्तर	4.12	4.96
13.	ओडिशा	13.29	11.18
14.	पंजाब	11.26	18.49
15.	राजस्थान	24.10	25.22
16.	तमिलनाडु	19.87	52.61
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	36.13	38.94
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	21.59	26.90
19.	पश्चिम बंगाल	26.81	14.56
20.	कोलकाता	1.36	20.26
21.	दिल्ली	2.19	38.02
22.	मुंबई	0.33	29.39
	जोड़	348.67	521.53

विद्यालयों को मान्यता

1467. श्री पूर्णमासी राम :
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों में सीबीएसई संबद्धता वाले विद्यालय शुरू करने की अनुमति देने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सीबीएसई को विगत तीन वर्षों के दौरान संबद्धता प्रदान करने के लिए विद्यालयों से भारी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने विद्यालयों को सीबीएसई द्वारा संबद्धता प्रदान की गई है एवं वर्तमान में लंबित संबद्धता के कितने प्रस्ताव उसके पास लंबित हैं;

(च) क्या विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के पूर्व आवश्यक अवसरंचनात्मक अपेक्षाओं, विद्यालय हेतु भूमि का स्वामित्व और उसका आकार, प्रति बालक उपलब्ध वास्तविक स्थान, अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं प्रयोगशालाओं जैसे मानदण्डों पर विचार किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) 01.08.2013 की स्थिति के अनुसार कुल 14,422 स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्धता उपनियमों के अनुसार संबद्धता प्रदान करने के मुख्य मानदंड निम्नलिखित हैं:—

- राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश, जहां स्कूल अवस्थित है, से पूर्व मान्यता और इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करना कि आवेदक स्कूल ने बोर्ड के साथ संबद्धता प्राप्त करने के लिए सीबीएसई को किए गए आवेदन के बारे में राज्य सरकार के संबंधित शिक्षा विभाग को सूचित कर दिया है।
- स्कूल का संचालन किसी पंजीकृत सोसाइटी/निकाय/पंजीकृत कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए।
- 2 एकड़ का भू-क्षेत्र या तो स्कूल के स्वामित्व में हो या उसे द्वारा कम से कम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया गया हो।
- भूमि पर भवन निर्मित हो और शेष भूमि पर समुचित क्रीडा स्थल हो।

- समुचित अवसंरचना, जिसमें शारीरिक रूप से नि:शक्त विद्यर्थियों के लिए सुविधाएं, कंप्यूटर, प्रयोगशाला पुस्तकालय आदि शामिल हैं, की उपलब्धता।
- अर्हता प्राप्त स्टाफ के साथ शिष्य-शिक्षक अनुपात 30:1 का हो।

(ग) और (घ) बोर्ड के साथ संबद्धता प्राप्त करने के लिए प्राप्त राज्य-वार आवेदनों को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (आज तक) के दौरान कुल 2679 स्कूलों को सीबीएसई के साथ संबद्धता प्रदान की गई है जबकि बोर्ड के उपनियमों के अनुपालन में कमी के कारण 485 स्कूल संबद्धता की प्रतीक्षा की रहे हैं।

(च) और (छ) सीबीएसई के संबद्धता उपनियमों में अपसंरचना अनविार्यताओं, भूमि, प्रति बालक वास्तविक उपलब्ध स्थान और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र आदि का प्रावधान है। जो स्कूल सीबीएसई के संबद्धता उपनियमों में सन्निहित मानदंडों का बोर्ड के निरीक्षण दल द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार पूरा करता है, उसे संबद्धता प्रदान की जाती है।

विवरण

संबद्धता के लिए प्राप्त आवेदनों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2011	2012	2013
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	3	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	56	43	71
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	18	9
4.	असम	13	25	18
5.	बिहार	68	111	95
6.	चंडीगढ़	7	4	4
7.	छत्तीसगढ़	34	41	270
8.	दादरा और नगर हवेली	2	4	0
9.	दिल्ली	58	29	35
10.	विदेशी स्कूल	10	10	24
11.	गोवा	1	1	3
12.	गुजरात	43	41	56
13.	हरियाणा	138	117	92
14.	हिमाचल प्रदेश	18	23	27
15.	जम्मू और कश्मीर	11	6	14
16.	झारखंड	20	15	24
17.	कर्नाटक	121	94	97
18.	केरल	81	113	154
19.	लक्षद्वीप	0	0	1
20.	मध्य प्रदेश	84	76	121
21.	महाराष्ट्र	107	142	130
22.	मणिपुर	7	10	10
23.	मेघालय	3	1	1
24.	मिज़ोरम	0	1	0
25.	नागालैंड	1	2	1
26.	ओडिशा	26	44	43
27.	पुदुचेरी	1	4	3
28.	पंजाब	91	104	96
29.	राजस्थान	82	62	83
30.	सिक्किम	3	1	3
31.	तमिलनाडु	82	105	172
32.	त्रिपुरा	3	7	5

1	2	3	4	5
33.	उत्तर प्रदेश	199	241	326
34.	उत्तराखंड	38	39	51
35.	पश्चिम बंगाल	14	17	33

सूचना का अधिकार अधिनियम की समीक्षा

1468. राजकुमारी रत्ना सिंह :
डॉ. संजय सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की कार्य प्रणाली के मूल्यांकन हेतु कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके परिणाम क्या है;

(ग) क्या इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को सूचना निर्धारित समय-सीमा के अन्दर उपलब्ध कराई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण मुद्दों एवं अवरोधों का आकलन करने के लिए वर्ष 2008-2009 के दौरान एक स्वतंत्र संगठन द्वारा अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ यह ध्यान दिलाया गया है कि लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना की आपूर्ति के संबंध में पर्याप्त योजना नहीं बनाई गई थी; इस अधिनियम के विषय में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की बहुत कमी थी; महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम जागरूकता थी; अधिनियम के कार्यान्वयन में अंतराल का कारण विभिन्न कार्मिकों इत्यादि के संबंध में स्पष्ट जवाबदेही की कमह थी। इससे संबंधित अध्ययन में सूचना का अधिकार के संबंध में जागरुकता बढ़ाने, सूचना संबंधी अनुरोध दाखिल करना सुविधाजनक बनाने, सूचना आयोगों की कार्यकुशलता में सुधार करने तथा विभिन्न पणधारियों इत्यादि की जवाबदेही एवं स्पष्टता को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश की।

(ग) यदि निर्धारित समय-सीमा में सूचना प्रदान नहीं की जाती तो सूचना का अधिकार अधिनियम में लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है।

(घ) और (ङ) सरकार ने प्रशिक्षण, आनलाईन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में मार्गदर्शिका के प्रकाशन द्वारा मांग पूर्ति पक्ष की क्षमता निर्माण करने के लिए कदम उठाए हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक, आउटडोर मीडिया और कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूकता पैदा करना शुरू किया गया है। एक आरटीआई लोगों भी डिजाईन किया गया है एवं इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 21 सितम्बर, 2007 के का.ज्ञा. सं. 1/18/2007- आईआर एवं दिनांक 15.04.2012 के का.ज्ञा. सं. 1/6/2011- आईआर द्वारा लोक प्राधिकारियों पर अति सक्रियता से अधिकतम सूचना प्रकटन करने के लिए जोर देने के लिए स्पष्टीकरण आदेश जारी किए गए ताकि लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को सूचना का अधिकार आवेदन दायर करने की आवश्कता न रहे।

भवन निर्माण कानूनों का उल्लंघन

1469. श्री गोरखनाथ पाण्डेय : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डीडीए के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, प्राधिकृत और अप्राधिकृत कालोनियों में गैर-कानूनी निर्माण, अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और बेसमेन्ट के दुरूपयोग सहित भवन निर्माण कानूनों का उल्लघंन बेरोकटोक जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन निर्धारित क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों की अनुमति देने/ध्यान न देने के लिए ऐसी सभी गैर-कानूनी गतिविधियों हेतु कर्मचारियों की जबावदेही निर्धारित कर उन्हें दंड देने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में कठोर नियम लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जब भी ऐसे मामले देखने में आते हैं, कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत/अवैध निर्माणों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष, जोनल नियंत्रण कक्ष, डिमालिशन स्क्वॉड आदि का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकृत शामिल है। इसके अलावा अनधिकृत/अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई की निगरानी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक नोडल संचालन समिति का गठन किया गया है। नई दिल्ली नगर परिषद में, इसके क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवेध निर्माण रोकने के लिए पहले से ही एक पृथक विभाग कार्यरत है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अनधिकृत और अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए एक विशेष कार्यदल और जिला कार्यबल का गठन किया है जो उप-आयुक्त (राजस्व) और अन्य प्राधिकारियों के स्तर पर नियमित निगरानी करता है।

[अनुवाद]

भूटान-चीन की बढ़ती नजदीकियां

1470. **श्री ताराचन्द भगोरा :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान की चीन के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) चीन के साथ भूटान का कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। हमने भूटानी तथा चीनी पदाधिकारियों के बीच समय-समय पर होने वाली बैठकों से संबंधित रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें बहुपक्षीय मंचों पर होने वाली बैठकें भी शामिल हैं जहां चीन तथा भूटान सहित कई देशों ने भाग लिया है।

(ग) भारत-भूटान संबंध, जो सचमुच अनुकरणीय है, को दशक-दर-दशक सावधानीपूर्वक परिपोषित किया जाता रहा है। भारत, भूटान और वहां के निवासियों के सामाजिक-आर्थिक प्रगति एवं विकास में एक विशिष्ट भागीदार है। हमारे द्विपक्षीय संबंध आपसी विश्वास, आस्था तथा समझ-बूझ के मजबूत स्तंभ पर टिके हैं। इन अनूठे एवं विशिष्ट पारंपरिक संबंधों को संजोए रखने में भारत सरकार की भूटान के प्रतिवचनबद्धता बदस्तूर जारी है। भारत, भूटान तथा उसके सरोकारों के प्रति संवेदनशील है और बना रहेगां आने वाले वर्षों में हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारे आदान-प्रदान एवं बहुआयामी संबंधों को और आगे ले जाया जाए।

कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही साईबर सुरक्षा प्रथा

1471. **श्री आधि शंकर :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन कंपनियो को जो देश में साईबर सुरक्षा के सुधार और मजबूती हेतु बेहतर प्रचलन और प्रक्रिया को अपना रही हैं, मौद्रिक लाभ देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदान किए जाने वाले लाभ/सुविधाओं के प्रकारां का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ काई विशेष योजना/निधियां निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त लाभ/सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावनाएं है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (घ) अभी हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक उपयोग और सभी संगत पणधारकों द्वारा कार्यान्वयन के लिए "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013" जारी की है। इस नीति में ऐसे प्रावधान निहित हैं जिनका उद्देश्य मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं और पद्धतियों को अपनाने के लिए कारोबार को राजकोषीय लाभ प्रदान करना है। वर्तमान में सरकार के समक्ष कंपनियों को अनिवार्य लाभ प्रदान करने विषयक कोई प्रस्ताव नहीं है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

1472. **श्री शिवराम गौडा :**
श्री वैजयंत पांडा :
श्री प्रेम दास राय :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्रीमती अन्नू टन्डन :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक छात्र पर होने वाला प्रति इकाई-व्यय कितना है;

(ख) क्या सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत

स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता पूर्ण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या शिक्षा का अधिकार के वर्तमान अधिनियम और इसके प्रदर्श-नियमों के अंतर्गत परिणाम-आधारित शिक्षा पर कोई जोर नहीं दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूल-स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) प्रत्येक सरकारी स्कूल को विभिन्न योजनाओं/घटकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है जिसका वित्त-पोषण केन्द्रीय और राज्य-सरकारें करती हैं। अतएव सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) जैसी किसी एक योजना के आधार पर सरकारी स्कूलों में प्रति व्यक्ति व्यय की गणना करना संभव नहीं है। पढ़ाई के परिणामों का मूल्यांकन मुख्य रूप से स्कूल के स्तर पर किया जाता है। तथापि, प्रत्येक तीन वर्ष में किए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षु मूल्यांकन सर्वेक्षण में पढ़ाई के परिणामों में सुधार की व्यापक और विस्तृत सूचना मुहैया कराई गई है।

(ग) से (ङ) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है ताकि प्रत्येक बच्चे की पढ़ाई के परिणामों पर निरंतर ध्यान दिया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि अतिरिक्त सहायता के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षक द्वारा ऐसी सहायता प्रदान की जा रही है। पढ़ाई के स्तरों में रूझान की समीक्षा करने के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा III, V और VIII के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा करवाए जाते हैं। अब तक कक्षा V के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के तीन दौर और कक्षा III और IV के लिए दो दौर पूरे किए जा चुके हैं। इन अध्ययनों के परिणाम पढ़ाई के स्तर में मामूली सुधार दर्शाते हैं, हालांकि समग्र उपलब्धि के स्तर कम ही हैं।

सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रीकेशन इकाइयां

1473. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का देश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रीकेशन विनिर्माण इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित याजना को योजना आयोग के योजना पैनल द्वारा बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ङ) जी, हां। निम्नलिखित अधिदेश के अनुसार देश मे दो सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रीकेशन (फैब) विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रौद्योगिकी और निवेशकों की पहचान हेतु मई, 2011 में सरकार द्वारा एक अधिकार प्राप्ति समिति (ईसी) का गठन किया गया:—

अधिकार प्राप्त समिति मौजूदा परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए;

1. प्रस्तावित फैब-1 और फैब-2 सुविधाओं के बीच क्रम/प्राथमिकता के बारे में सिफारिश करेगी;

2. सेमीकंडक्टर वेफर फैब्र की स्थापना के लिए प्रौद्योगिकी और संभावित निवेशकों की पहचान करेगी और फिर भारत में सेमीकंडक्टर फैब सुविधाओं की स्थापना में उनका अंतर्निहित हित सुनिश्चित करेगी;

3. सरकारी सहायता जैसे इक्विटी/अनुदान/वास्तविक/वित्तीय संदर्भों में सब्सिडी के स्वरूप और मात्रा जो हित को निवेश के रूप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक हो, का आंकलन और सिफारिश करेगी; और

4. सरकारी सहायता जैसे इक्विटी/अनुदान/वास्तविक/वित्तीय

संदर्भों में सब्सिडी के स्वरूप और मात्रा तथा संभावित निवेशक/निवेशकों के साथ निवेश की निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया के संदर्भ में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगी।

ईसी ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2013 में प्रस्तुत की है। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

जल संवर्धन योजना

1474. श्री रवनीत सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार जल संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग राज्यों को निधियां उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पंजाब को उपलब्ध कराई गई निधियों का शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में चल रही जल संवर्धन योजनाओं की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) योजनाओं पर कार्य पूर्ण होने की संभावित समय-सीमा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहायता करने के उद्देश्य से शहरी विकास मंत्रालय चयनित मिशन शहरों के लिए शहरी अवस्थापना ओर शासन (यूआईजी) और सभी अन्य शहरी कस्बों के लिए छोटे और मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के घटकों के साथ जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत निधियां उपलब्ध करा रहा है।

(ख) से (घ) पंजाब राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2010-2011) से 2013-2014) के दौरान शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) के तहत जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय निधियों की मांग नहीं की है। तथापि, अमृतसर के पुराने शहरी क्षेत्र के लिए विद्यमान जलापूर्ति प्रणाली की पुन:स्थापना के लिए 22.89 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश सहित पहले स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत चार शहरों अर्थात् जालंधर, भटिंडा, आदमपुर और मुक्तसर में जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 2012-13 के दौरान पंजाब सरकार को कुल 17.85 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। शीघ्र प्राप्ति के लिए उपर्युक्त परियाजना की प्रगति की निगरानी की जा रही है ताकि इन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके।

अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश

1475. डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री संजय दिना पाटील :
श्री अनंत कुमार :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े निवेशों के प्रस्तावों की संख्या, जिन्हें निवेश संबंधी केबिनेट समिति ने इसकी अधिसूचना की तिथि से स्वीकृत किया है;

(ख) विभिन्न मंत्रालयों में अभी भी लंबित पड़े बड़े निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनके लंबित होने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में घरेलू और विदेशी दोनों अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में कुल कितना निवेश हुआ है;

(घ) क्या पिछले वर्षों की तुलना में निवेश में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ङ) विभिन्न मंत्रालयों से सूचना एकत्र की जा रही है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विस्तार

1476. श्री सुवेन्दु अधिकारी :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालय-पूर्व शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम को माध्यमिक स्तर तक विस्तारित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधि की आवश्यकता है;

(ङ) क्या सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत निजी शैक्षणिक संस्थाओं को भी शामिल करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार की स्त्री शिक्षा में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए बालिकाओं को महाविद्यालय-स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की कोई योजना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (छ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) ने 7 जून, 2011 को हुई अपनी 58वीं बैठक में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम का विस्तार प्राथमिक-पूर्व से शिक्षा के माध्यमिक स्तर तक करने की सिफारिश की थी। विद्यालय-पूर्व शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने की संभाव्यता की जांच तथा विद्यालय-पूर्व और माध्यमिक शिक्षा के बच्चों के अधिकार को लागू करने हेतु विस्तृत वित्तीय आकलन तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 का विद्यालय-पूर्व तथा माध्यमिक शिक्षा तक विस्तार विषय पर सीएबीई की एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम का वर्तमान अधिदेश है सभी बच्चों, जिनमें बालिकाएं भी शामिल हैं, को प्रारंभिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।

(ज) शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार ने अनेक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरटीई अधिनियम, 2009 के लागू होने के बाद संबद्ध राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आरटीई का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत 74,993.19 करोड़ रुपए भी प्रदान किए हैं।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

1477. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के कार्यरत होने के लिए सात कार्य दिवसो की समयावधि विनिर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समयावधि का विनिर्धारण किसी सुरक्षा मुद्दे से जुड़ा हुआ है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त समयावधि को कम करके दो घंटे करने पर विचार कर रही है जैसा कि विभिन्न देशों में है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ङ) विधि प्रवर्तन एजेंसियों की प्रचालनात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्रों को छोड़कर सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में पोर्टिंग अनुरोध पूरा करने के लिए सात कार्य दिवसों की अधिकतम समयावधि निर्धारित की गई है। जम्मू और कश्मीर, असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में पोर्टिंग अनुरोध पूरा करने के लिए 15 कार्य दिवसों की अधिकतम समयावधि निर्धारित की गई है। फिलहाल, इस समय अवधि को कम करके 2 घंट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

असंतोषजनक दूरसंचार सेवाएं

1478. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री रमेश राठौड़ :
श्री नवीन जिन्दल :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं को कुल संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में असंतोषजनक दूरसंचार सेवाओं के संबंध में मोबाइल और लैंडलाइन टेलीफोनों के लिए अलग-अलग राज्य-वार कितनी शिकायतें मिलीं और उनमें से कितनी निवारित हुईं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है और बढ़ती हुई दूरसंचार शिकायतों की जांच करके जवाबदेही तय की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या भारतीय तारयंत्र अधिनियम दूरसंचार-विवादों के लिए मध्यस्थम का उपबंध करता है लेकिन ग्राहक उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालयों में नहीं जा सकते;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार दूरसंचार उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय तारयंत्र अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायतों के समय पर समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तारयंत्र अधिनियम में संशोधन

1479. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वॉयस-ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) के दुरूपयोग को रोकने के लिए 128 वर्ष पुराने भारतीय तारयंत्र अधिनियम में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) संशाधित अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इसे कब तक संशोधित किए जाने और लागू करने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) तक ऊपरलिखित (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आपदा-प्रबंधन हेतु दूरसंचार अवसंरचना

1480. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री पी.सी. मोहन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कसी आपदा की स्थिति में आपदा-प्रबंधन हेतु विशेष संचार अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के पास देश में राज्य-वार ऐसी कितनी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित निधियों का परियाजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि संस्वीकृत परियोजनाओं में से एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसक क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

धर्मार्थ कार्यों हेतु आबंटित भूमि का दुरूपयोग

1481. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली

विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अस्पताल, धर्मशाला, विद्यालय, कॉलेज इत्यादि के निर्माणार्थ विभिन्न संस्थाओं को भूमि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धर्मशाला आदि की स्थापना के लिए आबंटित भूमि पर भोजकक्षों, होटलों और वाणिज्यिक केन्द्रों का निर्माण हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है अथवा करने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, धर्मशाला के लिए कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अस्पतालों और स्कूलों को आबंटित भूमि की सूची नीचे दी गई है:—

(क) डीडीए द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय को अस्पतालों को आबंटित भूमि की सूची

क्र. सं.	श्रेणी	स्थिति	आबंटन की तारीख	क्षेत्रफल
1.	सरकारी अस्पताल	बिन्दापुर, द्वारका	25.2.2013	2700 वर्ग मी.
2.	सरकारी अस्पताल	मॉडल टाऊन, चौकी सं.-4	22.7.2013	11350 वर्ग मी.
3.	सरकारी अस्पताल	नरेना	17.7.2013	2700 वर्ग मी.
4.	सरकारी अस्पताल	सेक्टर-22, रोहिणी	08.07.2013	2940 वर्ग मी.

(ख) डीडीए द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान शिक्षा निदेशालय को स्कूलों के आबंटित भूमि की सूची

1.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	जाफराबाद, रोड सं.65	अप्रैल, 2011	2000 वर्ग मी.
2.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	जाफराबाद	अप्रैल, 2011	4000 वर्ग मी.
3.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	"डी" ब्लॉक, कोंडली, मयूर विहार, फेज-III	अप्रैल, 2011	6000 वर्ग मी.
4.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	खिचड़ीपुर	अप्रैल, 2011	4000 वर्ग मी.
5.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	आईपी एक्सटेंशन	अप्रैल, 2011	5000 वर्ग मी.
6.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	आईपी एक्सटेंशन में सीबीएससी कार्यालय और मायो स्कूल के बीच	अप्रैल, 2011	6000 वर्ग मी.
7.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	सैक्टर-17, रोहिणी	जून, 2011	7275 वर्ग मी.
8.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	सैक्टर-4 एक्सटेंशन, रोहिणी	फरवरी, 2011	6052 वर्ग मी.
9.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	द्वारका (नसीरपुर)	फरवरी, 2011	1.22 हैक्टेयर
10.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	ककरोल गांव, सेक्टर-16, द्वारका	अगस्त, 2011	8000 वर्ग मी.
11.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	सेक्टर-27 रोहिणी	अगस्त, 2012	8035 वर्ग मी.

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उपभोक्ता केन्द्रित विनियमन

1482. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ट्राई" अपने विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रित विनियमानों, निदेशों और आदेशों के कार्यान्वयन में सेवाओं और उनकी प्रभावकारिता पर उपभोक्ता की धारणा समझने और उसके आकलन में सफल नहीं हो सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उपभोक्ता केन्द्रित विनियमनों, निदेशों और आदेशों के उल्लंघन पर टेलीफोन मोबाइल सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध "ट्राई" द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अभी तक क्या सफलता प्राप्त हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) निम्नलिखित तरीको से विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रित विनियमनों, अनुदेशों और आदेशों के क्रियान्वयन के प्रभाव ओर ग्राहक-सेवा का आवधिक आधार पर जायजा लेता रहा है:—

(i) स्वतंत्र एजेंसियों की मार्फत सर्वेक्षण करना और पणधारकों की सूचना के लिए परिणामों को ट्राई की वेबसाईट पर डालना;

(ii) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए ट्राई द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के संबंध में देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यशालाएं आयोजित करके उपभोक्ताओं को शिक्षित करना और उनके बीच जागरूकता उत्पन्न करना

(iii) उपभोक्ता संगठनों और उपभोक्ताआं से प्राप्त जानकारी के माध्यम से।

(ग) ट्राई आवश्यकतानुसार समय-समय पर दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने की प्रक्रिया की पुनरीक्षा करता है।

(घ) हाल ही में, ट्राई ने मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही की निष्पादन मानीटरिंग रिपोर्टों के आधार पर उन सेल्युलर सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय "डिसइंसेन्टिव" लगाया है जो सेवा विनियमनों को गुणवत्ता में निर्धारित उपभोक्ता केन्द्रित मानदंडों के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहे थे। इसके ब्यौरा निम्नानुसार है:—

	सेवा प्रदाता	लगाया गया वित्तीय "डिसइंसेन्टिव"
1.	एयरसेल	9,50,000 रुपए
2.	एयरटेल	1,50,000 रुपए
3.	बीएसएनएल	4,00,000 रुपए
4.	आईडिया	2,50,000 रुपए
5.	रिलायंस (रेकॉम एंड आरटीएल)	9,00,000 रुपए
6.	टाटा	4,00,000 रुपए
7.	यूनीनॉर	2,00,000 रुपए
8.	वोडाफोन	4,00,000 रुपए

(ङ) निम्नलिखित सेवा मानदंडों की गुणवत्ता के संबंध में पिछली तिमाही की तुलना में मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही में वायर लाइन सेवा-प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है:—

- तीन दिनों के अंदर ठीक की गई खराबियों का प्रतिशत (शहरी क्षेत्र के लिए)
- पांच दिनों के अंदर ठीक की गई खराबियों का प्रतिशत (ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र के लिए)
- मीन टाइम टू रिपेयर (एमटीटीआर
- आन्सर टू सीजर रेशियो (एएसआर)
- मीटरिंग एंड बिलिंग क्रेडिबिलिटी — पोस्ट पेड
- मीटरिंग एंड बिलिंग क्रेडिबिलिटी — फ्री पेड
- बिल/प्रभार/वैधता संबंधी शिकायतों को हल करना
- शिकायतों के निवारण की तारीख से उपभोक्ताओं के खाते से ऋण/अधित्याग/समायोजन हेतु आवेदन की अवधि।

निम्नलिखित सेवा मानदंडों की गुणवत्ता के संबंध में पिछली तिमाही की तुलना में मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही में भी बेतार तार प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है:—

- बेस ट्रांसमीटर स्टेशन (बीटीएस) एक्यूमुलेटेड डाउनटाइम (सेवा हेतु उपलब्ध नहीं)
- डाउनटाइम के कारण बुरी तरह प्रभावित बीटीएस
- 3% से अधिक की काल ड्राप दर वाले सैल जो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं
- मीटरिंग एंड बिलिंग क्रेडिबिलिटी — पोस्ट पेड
- मीटरिंग एंड बिलिंग क्रेडिबिलिटी — प्री पेड
- शिकायतों के निवारण की तारीख से उपभोक्ताओं के खाते से ऋण/अधित्याग/समायोजन हेतु आवेदन की अवधि।
- 7 दिनों के अंदर सेवा की समाप्ति/बंद करने संबंधी अनुरोधों की प्रतिशतता।
- बंद करने के पश्चात जमा को वापिस करने में लिया गया समय।

[हिन्दी]

धीमी न्यायिक प्रक्रिया

1483. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी हे कि विश्व न्याय परियोजना द्वारा तैयार 'रूल ऑफ लॉ-इनडेक्स स्कोर्स एंड रैंकिंग्स' में यह उल्लेख है कि भारत में न्यायिक-प्रक्रिया की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट में भारत को न्यायदान के मामले में 97 देशों की सूची में 78वें स्थान पर रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश में न्यायिक प्रक्रिया में सुधार लाने और शीघ्र न्याय प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) विश्व न्याय परियोजना (डब्ल्यूजेपी), जो संयुक्त राज्य अमरीका में स्थित एक स्वतंत्र अलाभकारी संगठन है, ने विधि नियम सूचकांक, 2012 रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें भारत सहित विश्व के देशों को उपदर्शकों के एक सैट पर आधारित भिन्न-भिन्न रैंकों के आधार पर प्रकाशित किया गया है। चूंकि उपदर्शकों के चयन संबंधी आधार उनकी बावत और साथ ही उनके संबंध में ब्यौरे नहीं दिए गए हैं, क्रम स्थापनों की सत्यता या औचित्य का सत्यापन करना और कोई टिप्पणी करना कठिन है।

भारतीय न्यायिक प्रणाली अधीनस्थ न्यायालयों में निरंतर अधिक लंबित मामलों की संख्या द्वारा दी गई चुनौती का मुकाबला करते हुए भी विधि के नियम का संवर्धन करने में अधिक सुनम्यता और मजबूती रखती है। न्यायपालिका की सहायता करने के उद्देश्य से सरकार ने (i) विलंबों और बकाया मामलों को कम करके न्याय तक पहुंच में वृद्धि करके; और (ii) संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही में वृद्धि करके और निष्पादन मानक तय करके तथा क्षमताओं में सुधार करके द्वि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन स्थापित किया है। मिशन ने कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि को प्रोत्साहन देने और अत्यधिक मुकदमा संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपायों की सिफारिश करने तथा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रियाओं की पुनःइंजीनियरी का सुझाव देने सहित बेहतर न्याय अवसंरचना के लिए सहायता उपलब्ध कराकर न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों और लंबित मामलों की संख्या को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने, विधि और न्याय मंत्री से परामर्श करने के पश्चात् मई, 2012 में राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली (एनसीएमएस) स्थापित की है। राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली (एनसीएमएस) को कार्यान्वित करने के लिए, 'नीति और कार्य योजना' दस्तावेज़ 27.09.2012 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा जारी किया गया थां राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली (एनसीएमएस) भरतीय न्यायालयों के लिए मापीय निष्पादन मानक तय करने के लिए राष्ट्रीय न्यायालय उत्कृष्टता कार्य (एनएफसीई) का विकास करने के लिए नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जिससे की न्याय का समय से परिदान किए जाने को सुकर बनाने के लिए गुणवत्ता प्रतिक्रियात्मकता और सामयिकता के मुद्दों का समाधान किया जा सके।

[अनुवाद]

खादी की बिक्री

1484. श्री के. जयप्रकाश हेगड़े : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल केवीआईसी/केवीआईबी द्वारा प्रमाणित और मान्यताप्राप्त एजेंसियों को ही खादी की बिक्री करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रमाणनगत-उपेक्षाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यापारियों द्वारा गैर-प्रमाणित खादी की बिक्री करने और इस संबंध में आकर्षक छूट प्राप्त करने की कुछ घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (च) खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले और फिर केवीआईसी की विभिन्न योजनाओ के तहत उससे सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता प्राप्त करने वाले खादी संस्थानों को खादी प्रमाणपत्र प्रदान करता है। प्रमाणित खादी संस्थानों द्वारा नकली खादी की बिक्री के संबंध में केवीआईसी और राज्य खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) द्वारा उल्लंघन की घटनाएं सामने आने पर नियमानुसार अनवरत आधार पर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई में प्रमाणपत्र रद्द करना और सहायता बंद करना शामिल है।

केवीआईसी अधिनियम, 1956 में "खादी" को परिभाषित किया गया है। अब बाजार में बेची जाने वाली खादी के असली होने की गारंटी देने के लिए खादी हेतु एक विशिष्ट चिन्ह "खादी मार्क" देने पर विचार किया जा रहा है।

एनसीआर पता वाले एमटीएनएल ग्राहक

1485. श्री के. नारायण राव :
श्री रमेश राठौड़ :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डोल्फिन पोस्टपेड ग्राहकों के एनसीआर दिल्ली के अंदर उनके आवासीय पता बदलने के निवेदनों पर एमटीएनएल विचार नहीं कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को प्रत्येक माह भुगतान हेतु डुप्लीकेट बिल लेने के लिए संचार हाट जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसे ग्राहकों की मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) एनसीआर दिल्ली के अंदर ग्राहकों के आवासीय पते बदलने के लिए दिल्ली डालफिन पोस्ट-पेड ग्राहकों के सभी निवेदनों पर एमटीएनएल द्वारा संचार हाट के माध्यम से विचार किया जाता है। ग्राहकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे डुप्लीकेट बिल लेने के लिए संचार हाट जाए।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकास योजना

1486. डॉ. भोला सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बिहार हेतु कोई नई विकास योजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान परियोजना-वार जारी निधियों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ग) योजना आयोग राज्य सरकार के परामर्श से राज्य के लिए क्षेत्रक/उप-क्षेत्रक-वार परिव्यय अनुमोदित करता है। योजना आयोग द्वारा बिहार राज्य को पिछले तीन वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया क्षेत्रक/उप-क्षेत्रक-वार परिव्यय संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अलावा योजना आयोग बिहार के लिए विशेष योजना को भी अनुमोदित करता है। पिछले तीन वर्षों के लिए बिहार के लिए विशेष योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की गई परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार आवंटित की गई निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों (2013-14 से 2016-17 तक) में बिहार के लिए विशेष योजना जारी रखने का निर्णय भी लिया है जिसमें संपूर्ण बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है। अनुमोदित परियोजना लागत सहित परियोजनाएं, जिन्हें 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य को अनुमोदित किया गया है, की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

विवरण-I

योजना आयोग द्वारा बिहार राज्य को अनुमोदित क्षेत्रक/उप-क्षेत्रक-वार परिव्यय

क्र. सं.	विकास के मुख्य शीर्ष	अनुमोदित परिव्यय		
		2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
I.	**कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप**			
	1. फसल व्यवस्था	68054.18	79893.19	113346.90
	2. बागवानी	2500.00	2100.00	5500.00
	3. भूमि और जल संरक्षण (खेती छोड़कर जाने वालों पर नियंत्रण सहित)	700.00	450.00	500.00
	4. पशुपालन	10162.00	9479.75	12756.69
	5. डेयरी विकास	4467.00	4900.00	5500.00
	6. मछली पालन	4459.75	5586.00	5678.00
	7. वृक्षारोपण	0.00	0.00	0.00
	8. खाद्य, भंडारण एवं भंडागार	0.00	6500.00	3000
	9. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	5245.00	5500.00	13500.00
	10. कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाएं	0.00	0.00	0.00
	11. सहकारिता	23735.79	24253.79	32623.44
	12. अन्य कृषि संबंधी कार्यक्रम :			
	(क) कृषि विपणन	0.00	0.00	0.00
	(ख) अन्य	0.00	0.00	0.00
	जोड़-(I)	119323.72	138662.72	192405.03
II.	**ग्रामीण विकास**			
	1. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	1125.00	1230.00	1210.00
	2. ग्रामीण रोजगार			
	(क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	10100.00	10000.00	24000.00

1	2	3	4	5
	(ख) संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना (एसजीआरवाई)	0.00	0.00	0.00
	(ग) काम के बदले अनाज संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम/ एनईजीपी	28122.19	27200.00	30000.00
	(घ) अन्य (विनिर्दिष्ट का जानी हैं)	0.00	0.00	
	उप-जोड़ (ग्रामीण रोजगार)	38222.19	37200.00	54000.00
	3. भूमि सुधार	11201.27	11201.27	13640.20
	4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
	(क) सामुदायिक विकास और पंचायतें	7204.41	4669.00	48400.00
	(ख) ग्रामीण विकास संबंधी अन्य कार्यक्रम	42000.00	35689.00	0.00
	उप-जोड़ (ग्रामीण रोजगार)	49204.41	40358.00	48400.00
	जोड़-II	99752.87	89989.27	117250.20
III.	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रम**	**75249.00**	**195054.50**	**168520.00**
IV.	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण**			
	1. प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	85725.80	98486.09	110192.39
	2. लघु सिंचाई	22271.34	25546.34	27667.60
	3. कमान क्षेत्र विकास	9000.00	9000.00	11000.00
	4. बाढ़ नियंत्रण (बाढ़ संरक्षा संबंधी कार्य शामिल हैं)	89405.96	98389.13	103215.13
	जोड़-IV	206403.10	231421.56	252075.12
V.	**ऊर्जा**	**168223.07**	**168223.10**	**186786.60**
VI.	**उद्योग एवं खनिज**			
	1. गांव एवं छोटे उद्यम	3161.00	25914.62	13618.48
	2. अन्य उद्योग (बीएसई के अलावा	44083.66	21330.04	33626.18
	3. खनिज	0.00	0.00	0.00
	जोड़-VI	47244.66	47244.66	47244-66

1	2	3	4	5
VII.	**परिवहन**			
	1. छोटे बंदरगाह	0.00	0.00	0.00
	2. नागर विमानन	903.45	945.00	870.50
	3. सड़कें और पुल	450094.35	472417.35	532976.98
	4. सड़क परिवहन	1250.85	1250.85	1523.21
	5. अंतरदेशीय जल परिवहन	0.00	0.00	0.00
	6. अन्य परिवहन सेवाएं	0.00	0.00	0.00
	जोड़-VII	452248.65	474613.20	535370.69
VIII.	**विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण**			
	1. वैज्ञानिक अनुसंधान	800.00	800.00	857.00
	2. सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस	21806.51	20721.51	23675.96
	3. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	300.00	2707.90	200.00
	4. वनप्रांत एवं वन्य जीव	4162.40	1754.50	9800.00
	जोड़-VIII	27068.91	25983.91	34532.96
IX.	**सामान्य आर्थिक सेवाएं**			
	1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	34251.00	2045.00	12569.33
	2. पर्यटन	3043.89	3043.89	3706.66
	3. जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	367.00	7700.00	8000.00
	4. नागरिक आपूर्ति	1983.97	31983.97	138948.08
	5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	10672.95	52066.00	18384.00
	जोड़-IX	50318.81	96838.86	181608.07
X.	**सामाजिक सेवाएं**			
	शिक्षा			
	1. सामान्य शिक्षा	250050.00	301475	367122.08
	2. तकनीकी शिक्षा	11251.88	11251.88	11319.03

1	2	3	4	5
	3. खेलकूद एवं युवा सेवाएं	3713.00	3316.67	2482.00
	4. कला और संस्कृति	1853.19	2500.00	4601.18
	उप-जोड़ (शिक्षा)	266868.07	318543.55	385524.29
	5. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	30000.00	54450.00	55635.81
	6. जल आपूर्ति एवं सफाई	30690.74	31485.74	42967.31
	7. आवास (पुलिस आवास सहित)	105563.72	122726.06	138683.48
	8. शहरी विकास (राज्य **राजधानी** परियोजनाएं एवं मलिन क्षेत्र विकास सहित)	77200.00	87250.00	99347.00
	9. सूचना एवं प्रकाशन	851.43	851.43	1036.80
	10. अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. का विकास	31075.32	41000.32	90025.24
	11. श्रम और रोजगार	7866.53	10366.53	12623.71
	12. सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण	113594.61	103374.47	164685.98
	13. महिला रोजगार और बाल विकास	51893.39	70587.53	31590.00
	जोड़-X	715603.81	840635.63	1022119.64
XI.	**सामान्य सेवाएं**	38563.40	91332.59	62057.03
	कुल योग	2000000.00	2400000.00	2800000.00

विवरण-II

वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 हेतु बिहार के लिए विशेष योजना के अंतर्गत आवंटित की गई परियोजना-वार निधियां

(रुपए करोड़)

परियोजना का नाम	आवंटित की गई निधियां		
	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4
1. पूर्वी गंडक नहर का पुनरूद्धार	200.00	200.00	184.80
2. राज्य राजमार्ग का विकास	333.00	607.56	162.00
3. रेल सह सड़क पुल	429.00	285.00	280.00

	1		2	3	4
4.	उप-पारागमन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (चरण-I)				
5.	दक्षिणी बिहार में उप-पारागमन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (चरण-II)	भाग-I भाग-II	700.00	0.00	110.00
6.	बरौनी और मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन का पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण		307.23	102.37	63.63
7.	एकीकृत जलसंभर विकास कार्यक्रम		25.00	10.58	
	बागवानी विकास (राज सहायता घटक हटा दी गई)		—	—	
8.	एकीकृत समुदाय आधारित वन प्रबंधन		5.77	3.92	
9.	मिलियन शैलो ट्यूबवैल प्रोग्राम (एमएसटीपी) (राज सहायता घटक) को बिहार ग्राउंड वाटर सिंचाई स्कीम (बीजीडब्ल्यूआईएस) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया		0.00	0.00	
10.	बिजली क्षेत्रक का पुनर्गठन		0.00	—	
	कुल योग		2000.00	1209.43	800.43

विवरण-II

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बिहार हेतु विशेष योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाएं

(रुपए करोड़)

	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमोदित लागत
	1	2
	सड़क क्षेत्रक	
(i)	दिघा में गंगा नदी के पार रेल-सह-सड़क पुल से पहुंचने के लिए पटना नहर के ऊपर अतिरिक्त दो लेन सेमी एलीवेटेड प्लस चार लेन एलीवेटे राजमार्ग	1289.25
	ऊर्जा क्षेत्र	
(i)	(क) बिजली वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं उत्तरी बिहार मे वितरण संबंधी बाध्यताओं को दूर करना (चरण-I) 935.27 करोड़ रुपए	1904.13
	(ख) दक्षिणी बिहार में बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना और वितरण संबंधी बाध्यताओं को दूर करना (चरण-I) 968.86 करोड़ रुपए	

1	2
(ii) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत एमओपी/आरईसी द्वारा उल्लिखित ग्यारह जिलों के गांवो में पूर्ण विद्युतीकरण	837.62
(iii) बिहार में उप-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना (चरण-II विस्तार)	472.53
कुल	4503.53

[अनुवाद]

स्थानान्तरित ग्राहकों की डाक जीवन बीमा पॉलिसी

1487. श्री बाल कुमार पटेल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण लोग अस्थायी रूप से शहरों में जाने पर डाक जीवन बीमा पॉलिसी के लिए पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पॉलिसी को जारी रखने हेतु निर्धारित निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त उद्देश्य हेतु उन्हें उस शहर जिसमें वे निवास कर रहे हैं, का आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला एक आरपीएलआई पॉलिसीधारक, शहरी क्षेत्र में निवास करने लगे तो उसकी आरपीएलआई पॉलिसी जारी रहेगी बशर्ते कि प्रीमियम का भुगतान समय से हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए लागू नही होगा।

[हिन्दी]

शिक्षा के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं और मानव संसाधन

1488. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना और मानव संसाधन के लिए कितनी निधियों की आवश्यकता है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु जुटाई जाने वाली अपेक्षित निधियों के स्रोतों का ब्यौरा क्या है तथा इसे किस तरह जुटाया जाएगा;

(ग) उच्च तकनीकी शिक्षा चुनने वाले विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या और उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में सहयोग की सहमति दी है;

(घ) क्या तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की संस्थान छोड़ने की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने स्वयं वर्ष 2020 तक उच्चतर शिक्षा में 30% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के लक्ष्य की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। तथापि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मौजूदा संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने तथा नई संस्थाओं की स्थापना करने का प्रक्रम मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 15 भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईईएम), 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), 30 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी), 05 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसईआर) की स्थापना की है तथा उनके योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय के लिए निधियां प्रदान कर रही है।

12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग को योजना के अंतर्गत 1,10,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली को नीतिगत सहायता हेतु विशेष तौर पर 25,000 करोड़ रुपए की राशि अलग से निर्धारित की जाती है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2013-14 में तकनीकी संस्थाओं में नामांकन लगभग 1.2 मिलियन है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) द्वारा 2012 में आयोजित किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, जिसमें 156 संस्थाओं ने भाग लिया था, 30% संस्थाओं की उद्योगों के साथ अच्छी अंत:क्रिया रही, 60% की सामान्य तथा 10% की उद्योग के साथ अपर्याप्त अंत:क्रिया थी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार, भारतीय उद्योग संघ के पास 4000 उद्योगों की सूची है जिनके साथ देश की तकनीकी संस्थाएं सहयोग स्थापित कर सकती हैं।

(घ) जी, नहीं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों में, बीच में ही पढ़ाई छाड़ने वालों की दर में ऐसी कोई वृद्धि नहीं पाई गई है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए समिति

1489. श्री वैजयंत पांडा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा के विभिन्न मुद्दों की जांच हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या है; और

(ग) यह समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां। अल्पसंख्यक शिक्षा के विभिन्न मामलों की जांच के लिए सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) का गठन किया है। एनएमसीएमई द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा के विभिन्न मामलों की जांच के लिए एनएमसीएमई की स्थायी समिति भी गठित की है।

(ख) स्थायी समिति के निम्नलिखित विचारार्थ विषय है:

(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी करना;

(ii) अल्पसंख्यक समुदाय की विशिष्ट जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के इरादे से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं में यदि जरूरत हो तो संशोधनों का सुझाव देना;

(iii) विगत समितियों की रिपोर्ट का अध्ययन करना जिन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षा और कल्याण के मामलों की जांच की और उन समितियों की सिफारिशों/निष्कर्षों को कार्यान्वित करने के तौर-तरीके सुझाना;

(iv) मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अल्पसंख्यक संबंधी योजनाओं/कार्यक्रमों के निगरानी तंत्र की स्थापना पर समिति को सलाह देना; तथा

(v) अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित अन्य कोई मामले जिन्हें समिति सरकार और एनएमसीएमई के ध्यान में लाना चाहे।

(ग) स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट मई, 2013 को प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सीएमएस

1490. श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान योजनाओं के लिए कितनी निधियां प्रदान की गई; और

(ग) इस वर्ष पूरी हुई योजनाएं कितनी हैं, कितनी येाजनाओं मे काम चल रहा है और इसके कब तक पूरी होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में वर्ष 2012-13 के दौरान कार्यान्वित की जा रहीं केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान महाराष्ट्र सरकार को सीएसएस के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	महाराष्ट्र को सीएसएस के अंतर्गत प्रदान की गई निधियां
2010-11	9,110.51
2011-12	11,295.14
2012-13	11,111.52

स्रोत: केन्द्रीय योजना स्कीम मॉनीटरण प्रणाली (सीपीएसएमएस)।

विवरण

वर्ष 2012-13 के दौरान महाराष्ट्र मे लागू की गई केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

क्र. सं.	विभाग	स्कीम
1	2	3
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	एकीकृत तिलहन, खजूरतेल, दलहन एवं मक्का विकास (अईएसओपीओएम)
2.		कृषि का वृहत प्रबंधन (एमएमए) स्कीम
3.		कृषि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना संबंधी मिशन मोड परियोजना
4.		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
5.		राष्ट्रीय बागवानी मिशन
6.		लघु सिंचाई संबंधी राष्ट्रीय मिशन
7.		भूमि के उपयोगी एवं उपजाऊ प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना
8.		विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम के लिए सहायता
9.		कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)
10.	पशुपालन, डेयरी और मछली पालन विभाग	डेयरी विकास परियोजना
11.		समुद्रीय मछली उद्योग, अवसंरचना एवं फसल उपरांत प्रचालनों का विकास
12.		पाषण एवं चारा विकास स्कीम
13.		पशुधन स्वास्यि एवं बीमारी नियंत्रण
14.		पशुधन बीमा
15.		मवेशी एवं भैंस पालन के लिए राष्ट्रीय परियोजना
16.		मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय स्कीम
17.		कुक्कुट विकास
18.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	वन रोपण और वन प्रबंधन
19.		राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)
20.		चीता बचाओ अभियान
21.		वन्य जीव प्रबंधन

1	2	3
22.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	खाद्य प्रसंस्करण संबंधी राष्ट्रीय मिशन
23.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	वयोवृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल
24.		स्वास्थ्य के लिए मानवीय साधन
25.		मधुमेह, हृदय संवहन बीमारी और आघात को रोकने एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
26.		राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम एवं जेआईआईटी
27.	आयुर्वेद, योग एवं नेचुरो, यूनानी, सिद्ध एवं होमियो विभाग	अस्पताल एवं डिस्पेंसरी (एनआरएचएम के अंतर्गत)
28.	एड्स नियंत्रण विभाग	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-III
29.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	एकीकृत कम लागत सफाई (आईएलसीएस)
30.	उपशमन मंत्रालय	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)/राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एनयूएलएम)
31.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास स्कीम
32.		माध्यमिक स्कूल में नि:शक्त के लिए समवेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)
33.		स्कूलों मे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
34.		प्राथमिकी शिक्षा के लिए पौषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन स्कीम)
35.		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)
36.		सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
37.		माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन के लिए स्कीम
38.		उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों के स्थापित करने के लिए स्कीम
39.		शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
40.		अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास के लिए स्कीम (आईडीएमआई)
41.		मदरसाओं में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम
42.	उच्च शिक्षा विभाग	आईसीटी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन
43.		मौजूदा पॉलीटेक्निक को बढ़ाना

1	2	3
44.	उच्च शिक्षा विभाग	मौजूदा पॉलीटेक्निकों को बढ़ाने सहित राज्यों में पॉलीटेक्निकों के लिए सहायता
45.		पॉलीटेक्निकों में महिलाओं के छात्रावास
46.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार एवं संशोधन के लिए बाहरी सहायता परियोजना (ईएपी)
47.		कौशल विकास
48.		वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों के लिए कौशल विकास
49.	विधि और न्याय	न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु
50.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए गुणवत्ता-सह-साधन छात्रवृत्ति
51.		अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम
52.		अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम
53.		अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम
54.	पंचायत राज मंत्रालय	ई-पंचायतें
55.		राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना
56.	ग्रामीण विकास विभाग	आजीविका-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एसजीएसवाई/ एनआरएलएम
57.		दर्दा प्रशासन
58.		महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
59.		ग्रामीण आवास-आईएवाई
60.	भूमि संसाधन विभाग	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)
61.		एनएलआरएमपी
62.		केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
63.		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
64.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अ.जा. और अ.पि.व. विद्यार्थियों हेतु बालक एवं बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान

1	2	3
65.		अजा और अपिव के लिए नि:शुल्क अनुशिक्षण (कार्चिग)
66.		नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संरक्षण को लागू करना
67.		अपिव के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
68.		अजा विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
69.	वस्त्र मंत्रालय	हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरूद्धार, सुधार एवं पुनर्संरचना पैकेज
70.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	अजजा विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
71.		अनुसंधान सूचना और व्यापक शिक्षा, जनजातीय उत्सव एवं अन्य
72.		पीएमएस, बुक बैंक और अजजा के विद्यार्थियों की गुणवत्ता के उन्नयन की स्कीम
73.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवाएं)
74.		आईसीडीएस (एकीकृत बाल संरक्षण सेवाएं)
75.		किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम
76.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)
77.		पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पीवाईकेकेए)

अस्पतालों के लिए भूमि का आवंटन

1491. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने अस्पताल बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से भूमि आवंटन का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों के लिए भूमि हेतु अनुरोध किया गया है;

(ग) निपटाये गये प्रस्तावों की संख्या कितनी है, इसमें से कितने प्रस्ताव लंबित है और इसके लंबित होने के कारण क्या हैं;

(घ) इन लंबित प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या डीडीए ने कुछ प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, उनके स्थान क्या हैं और इसके कारण क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। जनवरी 2012 से दिल्ली सरकार ने पांच स्थानों अर्थात् (1) बिंदापुर द्वारका (2) मॉडल टाउन, चौकी सं.4 (3) नरैना-सेक्टर-22 (4) रोहिण और (5) महिपालपुर में अस्पतालों की स्थापना के लिए भूमि के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) पांच प्रस्तावों में से चार प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। महिपालपुर में भूमि आवंटन संबंधी प्रस्ताव को झुग्गी झोपड़ी बस्ती द्वार अतिक्रमण किए जाने की वजह से मंजूरी नहीं दी गई है। वैकल्पिक स्थल के लिए संशोधित नक्शा योजना तैयार करने के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

[अनुवाद]

तकनीकी संस्थानों की स्थापना

1492. श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में भूमि यांत्रिकी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों सहित तकनीकी संस्थानों की स्थापना की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों में वर्ष-वार, राज्य-वार इस हेतु निर्धारित और आवंटित निधियां कितनी हैं;

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में तकनीकी संस्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रारंभ की गई गति को बारहवीं योजना में भी बनाए रखने और मौजूदा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस संबंध में, सरकार ने बारहवीं याजना के लिए एक केन्द्र प्रायोजित याजना (सीएसएस), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) अनुमोदित की है। आरयूएसए, राज्य सरकारों को तकनीकी शिक्षा हेतु नए व्यावसायिक महाविद्यालयों की स्थापना करने में सक्षम बनाता है ताकि इस क्षेत्र में चिंताजनक अंतराल को पाटा जा सके।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), जिसने देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की संदर्श आयोजना और उसके समन्वित विकास का कार्य तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार के संवर्धन का उत्तरदायित्व लिया है, ने राज्य सरकारों से कहा है कि अपने-अपने राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए संदर्श योजना उपलब्ध कराएं। राज्यों की ऐसी संदर्श योजनाएं राज्य के अधिकार क्षेत्र मे आने वाले अलग-अलग विश्वविद्यालयों की संदर्श योजनाओं का समेकन हैं एआईसीटीई राज्य सरकारों से प्राप्त आवेदनों, जिन पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है, के आधार पर नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन देती है।

इसके अलावा, कौशल विकास योजना के लिए समन्वित कार्रवाई मिशन के अंतर्गत पॉलीटक्नीकों पर उप-मिशन के तहत भारत सरकार राज्य/संघ राज्य सरकारों को 300 असेवित/अल्पसेवित जिलों में पॉलीटक्नीकों की स्थापना करने की लागत को पूरा करने के लिए प्रति पॉलीटेक्नीक 12.30 करोड़ रुपए की सीमा तक वित्तीय सहायता इस शर्त के अध्यधीन मुहैया कराती है कि संबद्ध राज्य/संघ राज्य सरकारें निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएंगी, 100 प्रतिशत आवर्ती व्यय और 12.30 करोड़ रुपए से अधिक अनावर्ती व्यय, यदि कोई हो, तो उसे पूरा करेंगी। दिनांक 31.07.2013 तक कुल 287 जिलों का 2034.69 करोड़ रुपए की आंशिक वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है।

ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले दो वर्ष के दौरान निर्धारित और आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 8 नए आईआईटी, 7 नए आईआईएम, 10 नए एनआईटी, 5 आईआईएसईआर और आयोजना और वास्तुशिल्प के दो नए स्कूल (एसपीए) की स्थापना की गई थी और ये संचालनरत हैं। इसके अलावा, सरकार ने अलाभप्रद सार्वजनिक निजी भागीदारी (एन-पीपीपी) आधार पर 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) की स्थापना का अनुमोदन किया है।

विवरण-I

पॉलीटेक्नीकों का राज्य-वार ब्यौरा

1. नए पॉलीटेक्नीकों की स्थापना की योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए 300 जिलों की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	जिले
1	2
	हरियाणा
1.	यमुना नगर
2.	कुरुक्षेत्र
3.	फतेहाबाद
4.	पंचकुला
5.	कैथल

1	2
6.	पानीपत
7.	रेवाड़ी
	हिमाचल प्रदेश
8.	लाहौल और स्पीति
9.	कुल्लू
10.	बिलासपुर
11.	किन्नौर
12.	सिरमौर
	जम्मू और कश्मीर
13.	कुपवाड़ा
14.	बारामुला
15.	बड़गाम
16.	पुलवामा
17.	अनंतनाग
18.	डोडा
19.	उधमपुर
20.	पुंछ
21.	राजौरी
22.	कठुआ
23.	बंदीपोरा
24.	गंदरबल
25.	कुलगाम
26.	शोपियां
27.	रामबन
28.	किश्तवाड़
29.	रेसी
30.	सांबा

1	2
	पंजाब
31.	कपूरथला
32.	नवांशहर
33.	बरनाला
34.	फतेहगढ़ साहिब
35.	मानसा
36.	फरीदकोट
37.	मुक्तसर
	राजस्थान
38.	प्रतापगढ़
39.	नागौर
40.	जालौर
41.	बारन
42.	भीलवाड़ा
43.	बूंदी
44.	दौसा
45.	धौलपुर
46.	डूंगरपुर
47.	हनुमानगढ़
48.	जैसलमेर
49.	झुनझुनू
50.	करौली
51.	टोंक
52.	बांसवाड़ा
	दिल्ली
53.	उत्तरी

1	2
54.	उत्तर पूर्वी
55.	सेन्ट्रल
56.	पश्चिमी
57.	नई दिल्ली
	उत्तर प्रदेश
58.	कन्नौज
59.	औरय्या
60.	कौशांबी
61.	श्रावस्ती
62.	बलरामपुर
63.	सिद्धार्थनगर
64.	संत कबीर नगर
65.	महराजगंज
66.	कुशीनगर
67.	संत रविदास नगर (भदोही)
68.	कानपुर देहात
69.	एटा
70.	सोनभद्र
71.	ज्योतिबा फुले नगर
72.	हमीरपुर
73.	चित्रकूट
74.	बिजनौर
75.	मुरादाबाद
76.	रामपुर
77.	आगरा
78.	फिरोजाबाद

1	2
79.	मैनपुरी
80.	बदायूं
81.	पीलीभीत
82.	शाहजहांपुर
83.	खेरी (लखीमपुर-खेरी)
84.	हरदोई
85.	उन्नाव
86.	फतेहपुर
87.	प्रतापगढ़
88.	बाराबंकी
89.	अम्बेडकर नगर
90.	बहराइच
91.	बस्ती
92.	देवरिया
93.	गाजीपुर
94.	वाराणसी
95.	मिर्जापुर
96.	गोंडा
97.	आजमगढ़
98.	बलिया
	उत्तराखंड
99.	पिथौरागढ़
	आंध्र प्रदेश
100.	रंगारेड्डी
	तमिलनाडु
101.	थेनी

1	2
102.	तिरुवरुर
103.	विल्लुपुरम
104.	थिरुवन्नामलाई
105.	धर्मपुरी
106.	कारुर
107.	पेरमबलूर
	लक्षद्वीप
108.	लक्षद्वीप
	दमन और दीव
109.	दीव
	गुजरात
110.	नर्मदा
111.	तापी
112.	जूनागढ़
113.	खेडा
114.	नवसारी
	मध्य प्रदेश
115.	शियोपुर
116.	दतिया
117.	शिवपुरी
118.	रेवा
119.	उमरिया
120.	मंदसौर
121.	शाजापुर
122.	देवास
123.	रायसेन

1	2
124.	कटनी
125.	डिंडोरी
126.	अनूपुर
127.	अलीराजपुर
128.	सिधी
129.	विदिशा
130.	टीकमगढ़
131.	पन्ना
132.	बारवानी
133.	राजगढ़
134.	शेहोर
135.	होशंगाबाद
	छत्तीसगढ़
136.	कोरिया
137.	जशपुर
138.	कांकेर
139.	दंतेवाड़ा
140.	नारायणपुर
141.	बीजापुर
142.	सरगुजा
143.	जांजगीर-चंपा
144.	बिलासपुर
145.	रायपुर
146.	बस्तर
	महाराष्ट्र
147.	अकोला
148.	हिंगोली

1	2
	अंडमान और निकोबार दीपसमूह
149.	निकोबार
150.	मध्य और उत्तरी अंडमान
	बिहार
151.	पश्चिम चंपारण
152.	पूर्वी चंपारण
153.	सिहौर
154.	सीतामढ़ी
155.	मधुबनी
156.	सुपौल
157.	अरेरिया
158.	कटिहार
159.	मधेपुरा
160.	सीवान
161.	वैशाली
162.	समस्तीपुर
163.	खगड़िया
164.	बांका
165.	मुंगेर
166.	लखीसराय
167.	शेखपुरा
168.	नालंदा
169.	भोजपुर
170.	बक्सर
171.	केमपुर (भाभुआ)
172.	रोहतास
173.	जहानाबाद
174.	औरंगाबाद
175.	नवादा
176.	जमुई
177.	अरवाल
178.	किशनगंज
179.	दरभंगा
180.	गोपालगंज
181.	सारन
182.	बेगुसराय
183.	भागलपुर
184.	गया
	झारखंड
185.	गढ़वा
186.	हजारीबाग
187.	गिरीडीह
188.	देवघर
189.	गोड्डा
190.	साहिबगंज
191.	पाकौर
192.	लोहारडागा
193.	गुमला
194.	पश्चिमी सिंहभूम
195.	चतरा
196.	पलामू
197.	जमतारा
198.	खूंटी
199.	रामगढ़
200.	सिमदेगा
201.	दुमका
	ओडिशा
202.	संबलपुर
203.	देबगढ़
204.	केन्द्रापाडा
205.	जगतसिंहपुर
206.	जाज़पुर
207.	नयागढ़
208.	पुरी
209.	गजपति
210.	बौद्ध
211.	सोनपुर
212.	नुआपाड़ा
213.	कालाहांडी
214.	नबरंगपुर
215.	मल्कानगिरी
216.	अंगुल
217.	मयूरभंज
218.	बोलनगीर
219.	बारागढ़
220.	कारापुट
221.	भद्रक
222.	बालासौर
223.	खंडमल
	पश्चिम बंगाल
224.	दक्षिण दीनाजपुर
225.	जलपाईगुड़ी

1	2
226.	उत्तर दीनाजपुर
227.	मालदा
228.	बीरभूम
229.	नादिया
230.	उत्तर चौबीस परगना
231.	बांकुरा
232.	पुरुलिया
233.	मेदिनीपुर
234.	दक्षिण चौबीस परगना
	अरुणाचल प्रदेश
235.	तवांग
236.	पश्चिम कामेंग
237.	पूर्वी कामेंग
238.	लोअर सुबानसिरी
239.	अपर सुबानसिरी
240.	पूर्वी सियांग
241.	अपर सियांग
242.	दिबांग वैली
243.	लोहित
244.	चंगलांग
245.	टिराप
246.	कुरुंग कमे
247.	अनजाव
248.	लोअर दिबांग वैली
	असम
249.	धुबरी
250.	गोलपाड़ा
251.	बारपेटा

1	2
252.	नलबाड़ी
253.	दरांग
254.	मारीगांव
255.	सोनितपुर
256.	लखीमपुर
257.	धेमाजी
258.	तिनसुकिया
259.	सिबसागर
260.	नार्थ कछार हिल्स (दीमा हसाओ)
261.	करीमगंज
262.	हैलाकंडी
263.	उदलगिरी
264.	चिरांग
265.	बस्का
266.	कामरूप रूरल
267.	नागांव
268.	गोलाघाट
269.	कारबी अंगलोंग
	मणिपुर
270.	सेनापति
271.	तमेंगलोंग
272.	चूरचंडपुर
273.	बिष्णुपुर
274.	थाऊबल
275.	पूर्वी इम्फाल
276.	उखरुल
277.	चंडेल

1	2
	मेघालय
278.	पूर्वी गारी हिल्स
279.	दक्षिण गारो हिल्स
280.	पश्चिमी खासी हिल्स
281.	री भोई
	मिज़ोरम
282.	मामित
283.	कोलासिब
284.	चंफई
285.	सरछिप
286.	लोंगतलाई
287.	सैहा
	नागालैंड
288.	मोन
289.	तुअेनसंग
290.	वोखा
291.	दीमापुर
292.	फेक
293.	पेरेन
294.	लोंगलेंग
295.	किफेरे
	सिक्किम
296.	उत्तरी जिला
297.	पश्चिमी जिला
	त्रिपुरा
298.	दक्षिणी त्रिपुरा
299.	धलाई
300.	उत्तरी त्रिपुरा

2. पीपीपी मोड के अंतर्गत प्रस्तावित 20 आईआईआईटी की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य
1	2
1.	असम
2.	बिहार
3.	छत्तीसगढ़
4.	गुजरात
5.	हरियाणा
6.	हिमाचल प्रदेश
7.	झारखंड
8.	कर्नाटक
9.	केरल
10.	मध्य प्रदेश
11.	महाराष्ट्र
12.	ओडिशा
13.	पंजाब
14.	राजस्थान
15.	तमिलनाडु
16.	त्रिपुरा
17.	पश्चिम बंगाल
18.	उत्तर प्रदेश
19.	गोवा
20.	आंध्र प्रदेश

विवरण-II

पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार, वर्ष-वार चिहिनत की गई और आबंटित निधियों

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईआईटी		एनआईटी		आईआईएम	
		2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	120.00	190.00	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	7.00	20.00	—	—
3.	असम	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	162.80	0.00	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	13.42	11.11
6.	दिल्ली	—	—	6.90	0.00	—	—
7.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	गुजरात	35.52	90.62	—	—	—	—
9.	गोवा	—	—	11.00	5.00	—	—
10.	हरियाणा	—	—	—	—	13.94	20.35
11.	हिमाचल प्रदेश	64.00	165.00	—	—	—	—
12.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—
13.	झारखंड	—	—	—	—	14.22	27.83
14.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
15.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—
16.	मध्य प्रदेश	47.47	80.00	—	—	—	—
17.	मणिपुर	—	—	12.00	16.00	—	—
18.	मेघालय	—	—	6.39	10.00	102.50	20.35
19.	मिज़ोरम	—	—	5.00	15.00	—	—
20.	नागालैंड	—	—	9.79	22.00	—	—
21.	ओडिशा	104.83	146.00	—	—	—	—
22.	पंजाब	—	—	—	—	—	—
23.	पुदुचेरी	—	—	8.40	12.00	—	—
24.	राजस्थान	66.22	40.00	—	—	13.92	19.06
25.	सिक्किम	—	—	9.00	6.00	—	—
26.	तमिलनाडु	—	—	—	—	16.12	10.30
27.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
28.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—
29.	उत्तराखंड	—	—	3.50	10.00	7.90	10.83
30.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—

—जारी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसपीए		आईआईआईटी (पीपीपी मोड)		पॉलिटेक्नीक	
		2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	—	22.83	—	—	6.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	39.00	15.00
3.	असम	—	—	—	—	42.00	0.00
4.	बिहार	—	—	—	—	80.00	47.00
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	0.00	0.00
6.	दिल्ली	—	—	—	—		
7.	दमन और दीव	—	—	—	—	0.00	0.00
8.	गुजरात	—	—	—	—	5.00	12.00
9.	गोवा	—	—	—	—		
10.	हरियाणा	—	—	—	—	7.00	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	25.00	0.00
12.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	54.00	45.00
13.	झारखंड	—	—	—	—	85.00	0.00
14.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	8.00	0.00
16.	मध्य प्रदेश	20.00	52.17	—	—	42.00	44.00
17.	मणिपुर	—	—	—	—	0.00	12.00
18.	मेघालय	—	—	—	—	0.00	0.00
19.	मिज़ोरम	—	—	—	—	28.00	0.00
20.	नागालैंड	—	—	—	—	0.00	27.00
21.	ओडिशा	—	—	—	—	16.00	8.00
22.	पंजाब	—	—	—	—	21.00	0.00
23.	पुदुचेरी	—	—	—	—	—	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	राजस्थान	—	—	0.00	3.75	45.00	0.00
25.	सिक्किम	—	—	—	—	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	—	—	—	—	28.00	0.00
27.	त्रिपुरा	—	—	—	—	13.00	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	70.00	94.00
29.	उत्तराखंड	—	—	—	—	0.00	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	15.00	18.50

विज्ञान शिक्षा में नवाचार

1493. **श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विज्ञान शिक्षा के नवाचार के लिए प्रभावी कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करती है तथा विज्ञान प्रदर्शनियों एवं अन्य संबंधित कार्यकलापों का आयोजन करती है। एनसीईआरटी ने स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक कदम नामत: कार्यकलाप आधारित पाठ्यपुस्तकों का विकास, प्रयोगशाला नियमावली, अनुकरणीय समस्याओं, मूल्यांकन पर स्रोत पुस्तकों इत्यादि का विकास, उठाए हैं। इसके द्वारा स्कूलों में प्रयोगिक कार्य की सुविधा प्रदान कने के लिए स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए विज्ञान एवं गणित के दस नवाचारी किटों का भी विकास किया गया है। एनसीईआरटी ने इन सामग्रियों के उपयोग पर कई अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है। कक्षा-कक्षों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आधारित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए "सांइस इज डूइंग", कक्षा-VII के लिए, "लर्निंग बाई डूइंग" कक्षा-VII के लिए, नामक तीन प्रकाशनों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित किय गया है, जिसका प्रयोग स्कूलों में विज्ञान शिक्षण हेतु सहायक सामग्री के तौर पर किया जाएगा। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु अर्हता प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति के अलावा स्कूलों में प्रेक्टिकल कार्य के आयोजन के लिए सुसज्जित प्रयोगशालाओं की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की दर का निर्धारण

1494. **श्री प्रेम दास राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियो की दर को निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा अनाई गई विधि क्या है;

(ख) क्या किसी राज्य में छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़े जाने की दर का निर्धारण करते समय अन्य राज्यों में स्थानान्तरित छात्रों को ध्यान में रखा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "स्कूल शिक्षा आंकड़े" प्रकाशन में पढ़ाई छोड़ने वालो की दर की गणना अपरेन्ट कोहॉर्ट मैथड द्वारा की जाती है अर्थात् उन छात्रों की प्रतिशतता जो शिक्षा के निश्चित स्तर से निश्चित स्कूल वर्ष में पढ़ाई छोड़ते हैं।

(ख) और (ग) पढ़ाई छोड़ने वालों की दर की गणना करते समय छात्रों के एक से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जाता, क्यांकि अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं होते।

विधिक सहायता क्लीनिक

1495. **श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में विधिक सहायता क्लीनिकों का कोई ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 11वीं तथा 12वीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक विधिक सहायता क्लीनिक के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे और क्लीनिक स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके कब तक स्थापित होने की संभावना है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शहरों का श्रेणीकरण

1496. श्री घनश्याम अनुरागी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शहरों का श्रेणीकरण जनसंख्या और जन सुविधाओं की आवश्यकता के आधार पर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश के शहरी क्षेत्रों में श्रेणियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस हेतु अपनाए गए मानदंड क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) से (ग) भारत की जनगणना में जनसंख्या के आधार पर कस्बों और शहरों का किया गया श्रेणीकरण निम्नवत् है:—

श्रेणी-I	:	एक लाख और इससे अधिक
श्रेणी-II	:	50,000 से 99,999 तक जनसंख्या
श्रेणी-III	:	20,000 से 49,999 तक जनसंख्या
श्रेणी-IV	:	10,000 से 19,999 तक जनसंख्या
श्रेणी-V	:	5000 से 9,999 तक जनसंख्या
श्रेणी-VI	:	5000 से कम जनसंख्या

जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित मानकों/मानदंडों के अनुसार शहरों की तीन श्रेणियो को चिन्हित किया गया है:—

श्रेणी	शहर/शहरी क्षेत्र (यूए)	संख्या
क	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार चार मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर/शहरी क्षेत्र	07
ख	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार एक मिलियन से अधिक परंतु 4 मिलियन से कम की आबादी वाले शहर/शहरी क्षेत्र	28
ग	चयनित शहर/शहरी क्षेत्र/धार्मिक/ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व के शहरी क्षेत्र राज्य की राजधानियां और अन्य शहर	30
	कुल	65

[अनुवाद]

सिविल परमाणु समझौता

1497. श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री सोमेन मित्रा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच हुए सिविल न्यूक्लियर समझौते के संबंध में हाल ही में दोनों देशों ने कोई चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैस्टिंगहाउस इलैक्ट्रिक कंपनी, यूएसए और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने गुजरात में मीठी विरदी स्थान पर परमाणु विद्युत संयंत्र (न्यूक्लियर पावर प्लांट) के भविष्य के निर्माण में सहायता के लिए 'अर्ली वर्क्स एग्रीमेंट' पर वार्ता के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) क्या सविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में एक सहकार करार पर 10 अक्तूबर, 2008 को हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त करार के क्रियान्वयन के संबध में और पुनरीक्षा के बारे में समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता है।

(ग) और (घ) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और मैसर्स **वैस्टिंगहाउस** इलैक्ट्रिक कंपनी (डब्ल्यूईसी), संयुक्त राज्य अमरीका के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें पूर्व/समय से पूर्व कार्य संबंधी करार पर बातचीत करना शामिल था। तथापि, एपी 1000 नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की आपूर्ति के संबंध में किया जाने वाला विचार-विमर्श, दोनों पक्षकारों के बीच चल रही तकनीकी-वाणिज्यिक बातचीत के परिणामों पर निर्भर करेगा।

एनसीआरटीसी

1498. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी) बनाया है या सरकार का बनाने का प्रस्ताव/विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है अैर इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का पीपीपी विधि के अधीन विभिन्न विकास काग्र करने का प्रस्ताव है; ओर

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी) का डिजाइन तैयार करने, विकसित करने, कार्यान्वयन करने, वित्त व्यवस्था करने, प्रचलित करने और अनुरक्षण हेतु 100 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ इसके गठन की स्वीकृति प्रदान की है।

(ग) और (घ) आरआरटीएस की अलग-अलग परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त व्यवस्था पद्धति का निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि अलग-अलग कॉरीडोरों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अध्यापक छात्र अनुपात

1499. श्री जगदानंद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि के अधिदेश के बावजूद कई राज्यों में अध्यापक छात्र अनुपात 30 छात्र प्रति अध्यापक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्यापक छात्र अनुपात में असंतुलन होने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही है और इससे कई राज्यों में कक्षा 8 तक के छात्र इन स्कूलों मे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की दर शून्य करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु बनाई जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसडी) 2011-12 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों में प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिष्य-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 30:1 है अैर राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। शिक्षक की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के आरंभ होने के बाद शिक्षकों के कुल 19.82 लाख पद संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से मार्च, 2013 तक 14 लाख शिक्षक भर्ती किए गए हैं। शेष पदों के लिए भर्ती किए गए हैं। शेष पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में अलग-अलग चरणों में हैं जिससे शिष्य-शिक्षक अनुपात और अधिक अनुकूल बनेगा।

(ग) और (घ) 2010-11 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 21 राज्यों में प्रारंभिक स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़कर जाने की दर का मूल्यांकन करने के लिए करवाए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में बच्चों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने के जिन कारणों का पता चला हैं, घरेलू कार्य, भाई-बहन की देखभाल में परिवार की सहायता करना, माता-पिता की आर्थिक दशा, परिवार का प्रवसन थे।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 लागू होने के बाद देश में शिष्य-शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष किया जाने वाला सर्वेक्षण सीखने के स्तरों में (कक्षा-V में सामान्य सुधारों के लिए हाल में किए गए 3 चक्रों में) भी प्रलक्षित होता है। स्कूल शिक्षा सांख्यिकी (एसईएस) 2010-11 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की राज्य-वार दर संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर को कम करने के लिए राज्यों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण प्रशिक्षण, ब्लॉक संसाधन केन्द्रों/क्लस्टर संसाधन केन्द्रों के जरिए शैक्षिक सहायता, निःशुल्क वर्दियां और मध्याह्न भोजन और स्कूल न जाने वाले बच्चें का मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण के जरिए सहायता प्रदान की जाती है। आगे बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर कम करने के लिए विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वंचित शहरी बच्चों के लिए रिहायशी सुविधाएं भी मुहैया की जा रही हैं।

विवरण I

सभी सरकारी स्कूलों में अध्यापक-छात्र अनुपात (डीआईएसई 2011-12 के अनुसार) का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अध्यापक-छात्र अनुपात
1	2
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	9
आंध्र प्रदेश	18
अरुणाचल प्रदेश	17
असम	29
बिहार	59
चंडीगढ़	37
छत्तीसगढ़	23
दादरा और नगर हवेली	43
दमन और दीव	35
दिल्ली	39
गोवा	15
गुजरात	29
हरियाणा	26
हिमाचल प्रदेश	15
जम्मू और कश्मीर	13
झारखंड	42
कर्नाटक	21
केरल	19
लक्षद्वीप	11
मध्य प्रदेश	38
महाराष्ट्र	25
मणिपुर	13
मेघालय	16
मिज़ोरम	13
नागालैंड	15
ओडिशा	27
पुदुचेरी	12
पंजाब	20
राजस्थान	27
सिक्किम	11
तमिलनाडु	28
त्रिपुरा	18
उत्तर प्रदेश	38
उत्तराखंड	20
पश्चिम बंगाल	30
सभी राज्य	30

विवरण-II

प्रारंभिक स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर का (एसईएस 2010-11 के अनुसार) राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रारंभिक स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर का (कक्षा I-VIII)
1	2
आंध्र प्रदेश	32.9
अरुणाचल प्रदेश	50.5
असम	54.0
बिहार	58.3
छत्तीसगढ़	48.3
गोवा	—
गुजरात	46.7
हरियाणा	4.6
हिमाचल प्रदेश	—
जम्मू और कश्मीर	6.1
झारखंड	45.1
कर्नाटक	20.8
केरल	—
मध्य प्रदेश	30.7
महाराष्ट्र	25.9
मणिपुर	52.8
मेघालय	70.4
मिज़ोरम	36.7
नागालैंड	45.4
ओडिशा	55.0
पंजाब	—
राजस्थान	53.3
सिक्किम	42.8
तमिलनाडु	8.0
त्रिपुरा	48.2
उत्तर प्रदेश	49.7
उत्तराखंड	31.6
पश्चिम बंगाल	49.1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15.1
चंडीगढ़	—
दादरा और नगर हवेली	33.7
दमन और दीव	10.8
दिल्ली	—
लक्षद्वीप	12.7
पुदुचेरी	—
कुल	40.6

उच्च शिक्षा की लागत

1500. श्रीमती मीना सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्तमान में विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली की उच्च लागत को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : भारत में शिक्षा लाभ न कमाने वाला कार्यकलाप है। इस्लामिक शिक्षा अकादमी बनाम कर्नाटक राज्य एवं टीएमए पाई प्रतिष्ठान बनाम कर्नाटक राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुल्क निर्धारण समितियों का गठन किया गया है। भारत में, प्राइवेट विश्वविद्यालयों को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (प्राइवेट विश्वविद्यालयों

की स्थापना एवं मानकों का अनुरक्षण) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2010 भी जारी किए हैं इन विनियमों के पैरा 6.5 में प्रावधान किया गया है कि "सम-विश्वविद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए वसूले जाने वाले शुल्कों के स्तर का युक्तिसंगत संबंध पाठ्यक्रम को संचालित करने की लागत से होना चाहिए। शुल्क ढांचे का विवरणिकाओं एवं संस्था की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।"

सरकार ने तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में अनुचित प्रक्रियाओं की रोकथाम विधेयक, 2010 भी लोक सभा में पेश किया है जिसमें तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं तथा प्राइवेट कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में कतिपय अनुचित प्रक्रियाओं पर रोक लगाने तथा दाखिल किए गए विद्यार्थियों के हितों का संरक्षण करने और तत्संबंधी मामलों अथवा आकस्मिक घटनाओं में विद्यार्थियों के हितों का संरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। इसमें कैपिटेशन शुल्क वसूलने या डोनेशन लेने अथवा विवरणिकाओं या वेबसाइट में दर्शाए गए शुल्कों के अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर आपराधिक देयताओं एवं सिविल शास्तियों का भी प्रावधान किया गया है।

गरीब परिवारों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों इत्यादि के विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए सरकार कई अध्येत्तावृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार ने वर्ष 2007 से, विद्यार्थियों द्वारा उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले ऋणों पर संपूर्ण ब्याज सहायता प्रदान करने की एक योजना भी प्रारंभ की है। यह योजना उन सभी विद्यार्थियों के लिए लागू है जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से कम है, तथा जिन्होंने शिक्षा ऋण लिया है।

लोक अभियोजक

1501. **श्री महाबल मिश्रा :**
श्रीमती भावना पाटील गवली :
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सहित देश में विभिन्न न्यायालयों में लोक अभियोजकों की राज्य-वार और न्यायालय और मामला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या महिला अभियोजकों सहित लोक अभियोजकों की संख्या न्यायालय में मामलों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में नहीं बड़ी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार का उन लोगों को जो एलएलबी परीक्षा पास करते हैं, लोक अभियोजक के रूप में नामांकित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में आपराधिक मामले और आपराधिक मामलों में अपील, संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए लोक अभियोजकों/काउंसिलों द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा, कतिपय केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों अर्थात् वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के भी लोक अभियोजकों के अपने पेनल है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार, न्यायालय और वाद-वार तथा उनके बीच महिला अभियोजकों की संख्या के रूप में भी देश के विभिन्न न्यायलयों में लोक अभियोजकों की संख्या के रूप में केन्द्रीय रूप से कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 के अनुसार, उसकी उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई व्यक्ति लोक अभियोजक अथवा एक अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा, यदि उसने किसी एडवोकेट के रूप में सात वर्ष से अन्यून के रूप में व्यवसाय किया है। केन्द्रीय सरकार अथवा कोई राज्य सरकार उसे उपधारा (8) के अधीन किसी मामले अथवा मामलों के वर्ग के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को जिसने दस वर्ष से अन्यून एडवोकेट के रूप में व्यवसाय किया हो, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

जहां तक विधि और न्याय मंत्रालय का संबंध है, ऐसे व्यक्ति जिसने लोक अभियोजक के रूप में एलएलबी की परीक्षा पास की हो, को नामनिर्देशित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

एमडीएमएस में कर्मकारों की मजदूरी

1502. **श्री प्रबोध पांडा :**
श्री पी. लिंगम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के अंतर्गत विद्यालयों में भोजन तैयार करने वाले रसोइए स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और उन्हें कम मजदूरी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस हेतु उन्हें वर्धित वेतन के साथ स्थायी कर्मचारी नियुक्त करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) रसोइया-सह-सहायक अंशकालिक कामगार हैं तथा उन्हें 1000 रुपए प्रति माह मानदेय के रूप में दिया जाता है। इस घटक के अंतर्गत लागत की भागीदारी, पूर्वोत्तर राज्यों, जहां यह अनुपात 9:10 है, के अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए केन्द्र और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मध्य क्रमश: 75:25 अनुपात में की जाती है। स्कूल में रखे जाने वाले रसोइया-सह-सहायकों की संख्या से संबंधित मानदंड भी केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं; 25 विद्यार्थियों वाले स्कूल के लिए एक, 26 से 100 विद्यार्थियों वाले स्कूलों के लिए दो तथा प्रत्येक 100 अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए एक अतिरिक्त रसोइया-सह-सहायक।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता

1503. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री बलीराम जाधव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वायत्तता की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा पहले ही स्थापित स्वायत्त निकाय हैं और अपने संबंधित अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। विश्वविद्यालयों की सभी शैक्षिक और प्रशासनिक मामलों में पूरी कार्यात्मक स्वायत्तता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गुणवत्ता के मापदंडों को पूरी करने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की अध्यधीन है। वि त्तीय, प्रशासनिक और अभिशासन के मामलों की स्वायत्तता की सीमा कानून में दी गई है जिसके द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं।

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत उच्चतर शिक्षा संस्था जो विशिष्ट क्षेत्र में बहुत ही उच्च गुणवत्ता का कार्य कर रही है उसे सम-विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। ऐसी संस्था विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर और सुविधाओं का उपभोग करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय और सम-विश्वविद्यालय से मौजूदा स्वायत्तता संबंधी कार्यक्षेत्र की ऐसी कोई विशेष मांग नहीं आई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आकाश टेबलेट्स योजना को बंद करना

1504. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आकाश टेबलेट्स योजना को बंद करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आकाश टेबलेट्स पर किया गया व्यय कितना है और अब तक तैयार की गई आकाश टेबलेट्स की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान को शिक्षक सशक्तिकरण हेतु लो कॉस्ट एक्सेस कम-कम्प्यूटिंग डिवाइसिस प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित डिलिवरेबल्स को प्राप्त करने के लिए एक परियोजना को संस्वीकृत किया गया था:—

(i) लो कॉस्ट एक्सेस कम-कम्प्यूटिंग डिवाइसिस का अधिग्रहण तथा परीक्षण; और

(ii) लो कॉस्ट एक्सेस कम-कम्प्यूटिंग डिवाइसिस के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन।

तत्पश्चात् अप्रैल, 2012 में परियोजना को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई को अंतरित कर दिया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई ने सभी 1,00,000 आकाश टेबलेट्स प्राप्त कर ली हैं। ये टेबलेट्स, प्रयोक्ताओं द्वारा विभिन्न जलवायुगत तथा उपयोग दशाओं में परीक्षण के प्रयोजनार्थ हैं। इस परियोजना पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई द्वारा अभी तक 31.89 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

[अनुवाद]

तकनीकी/इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्तर और गुणवत्ता

1505. **श्री सुरेश कलमाड़ी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपयुक्त विधि/नीति बनाई है जिससे विश्वविद्यालय से संबद्ध तकनीकी और इंजीनियगिं कॉलेजों में स्तर और गुणवत्ता कम नहीं हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिनांक 10 मई, 2013 को हुई अपनी 493वी बैठक में यह संकल्प किया था कि वर्ष 2004 की सिविल अपील सं.1145 और वर्ष 2004 की सिविल अपील संख्या 5736-5745 में दिनांक 25 अप्रैल, 2013 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और आदेश को देखते हुए तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले नए कॉलेजों/पाठ्यक्रमों को ओर संबद्धन तब तक प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, जब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तकनीकी/इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम/कार्यक्रम प्रदान कर रहे संबद्ध कॉलेजों में शिक्षण एवं अधिगम के वांछित मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, इस संबंध में उपयुक्त दिशानिर्देश/विनियम सूचित नहीं कर देता है।

[हिन्दी]

मलिन बस्तियों में वृद्धि

1506. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली सहित देश में मलिन बस्तियों की वृद्धि को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) चूंकि "स्लम" राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों का यह प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे स्लम समूहों के मुद्दों का निवारण करें जिसमें स्लम समूहों के विस्तार को प्रतिबंधित करने के लिए ठोस कदम उठाना शामिल है। तथापि, भारत सरकार ने 02.06.2011 को राजीव आवास योजना (आरएवाइ) नामक एक नई योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य दिल्ली सहित समस्त देश को स्लम मुक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को स्लम का पुनर्विकास करने के लिए स्लम निवासियों को बेहतर आश्रय और बुनियादी सिविक और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने और किफायती आवास स्टॉक बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

शहरों/नगरों को स्लम मुक्त शहर/नगर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में शहर के लिए अपनी स्लम मुक्त शहरी कार्य योजना (एसएफसीपीओए) बनानी अपेक्षित होती हैं। स्लम मुक्त शहरी कार्य योजना (एसएफसीपीओए) में स्लम सर्वेक्षण, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), जीआईएस (भोगोलिक सूचना प्रणाली), स्लमों के नक्शे बनाना, एमआईएस – जीआईएस एकीकरण और स्लमों का विश्लेषण करना शामिल होगा जिसके फलस्वरूप उपचारात्मक औरनिषेधात्मक कार्य-नीति बनाई जा सकेगी।

सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत शुरू की गई किफायती आवास परियोजनाओं द्वारा स्लमों के भावी उदभव को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम करने की एक कार्यनीति के भाग के रूप में भागीदारी में किफायती आवास प्रदान करने की योजना है।

शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) आवास के ऋणों के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है तथा ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के व्यक्तियों को बिना किसी तीसरे पक्षकार की गारंटी अथवा आनुषंगिक प्रतिभूति के दिए गए 5 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए ऋणदात्री एजेंसियों को गारंटी प्रदान करता है।

विदेशों में भारतीयों पर हमले

1507. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :**
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशो में भारतीय मूल के व्यक्तियों पर हुए हमलों का ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या विदेशों में भारतीय नागरिकों को ऐसे हमलों से बचाने तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय उच्चायोग और दूतावासों ने कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जैसा कि विदेश स्थित 111 मिशनों/पोस्टों ने रिपोर्ट किया है कि विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जिन भारतीय मूल के व्यक्तियों पर विदेशों में हमले किये गए हैं, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार है:—

वर्ष		घटनाओं की संख्या
1		2
2010	—	22
2011	—	14
2012	—	52
2013 (31.7.2013 की स्थिति के अनुसार)	—	25

(ख) और (ग) भारतीय मिशन/पोस्ट, स्थानीय प्राधिकरणों के संपर्क में रहते हैं और भारतीयों पर हमलों और उनकी सुरक्षा के बारे में अपनी चिन्ता से उन प्राधिकरणों को सुग्राही बनाते हैं। भारतीय मिशन पीड़ितों/उनके परिवारों को काउंसलर सहायता प्रदान करते हैं यदि आवश्यक हो तो भारतीय मिशन/पोस्ट मृत शरीर को भारत ले जाने को सुगम बनाते हैं। जहां आवश्यक हो भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा भारतीय समुदाय कल्याण काष से सहायता भी दी जाती है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भारतीय समुदाय कल्याण कोष से सहायता

क्र. सं.	देश	भारतीय मिशन/पोस्ट	विदेश में भारतीय मूल के व्यक्तियों पर हुए हमलों के ब्यौरों की संख्या	भारतीय उच्चायोग और भारतीय दूतावास द्वारा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और पीड़ितों को न्याय लिए को न्याय दिलाने के उठाए गए कदम
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	काबुल	2010-07 व्यक्ति 2013-04 व्यक्ति	भारतीय दूतावास, भारतीयों की सुरक्षा संबंधित मामलों पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की सरकार के साथ सीधे संपर्क में रहता है। इसके अलावा, भारतीय हितों के संबंध में कोई धमकी सूचना आती है तो, मिशन अफगानिस्तान में कार्यरत/रहने वाले भारतीय नागरिकों को समय-समय पर सुरक्षा परामर्शी के माध्यम से सूचित करता रहता है और अपनाई जाने वाली सुरक्षा परामर्शी, उनसे संबंधित सावधानियों के बारे में उन्हें परामर्श देता है।
2.	ऑस्ट्रेलिया	केनबरा	2010-11 व्यक्ति 2011-04 व्यक्ति 2012-02 व्यक्ति 2013-01 व्यक्ति	भारतीय मिशन द्वारा मामले पुलिस को रिपोर्ट किये गए थे। पुलिस ने हमलावरों पर आरोप लगाया है।

1	2	3	4	5
3.	बहरीन	बहरीन	2013-02 व्यक्ति	मिशन ने घटना को किंगडम ऑफ बहरीन से संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाया है और इन क्षेत्रों में भारतीय निवासियों के आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए, उनसे प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय मजबूत करने का अनुरोध किया है।
4.	बेल्जियम	ब्रूसेल्स	2012-05 व्यक्ति	दूतावास, भारतीयों की सुरक्षा के पहलुओं पर नियमित रूप से स्थानीय पर नियमित रूप से सीानीय प्राधिकरणों और भारतीय समुदाय के संपर्क में रहता है। दूतावास, पीड़ित के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस विशेष घटना के अनुसरण से संबंधित प्राधिकरणों के साथ कार्य कर रहा है।
5.	बेनिन	अबूजा	2012-15 व्यक्ति	भारतीय उच्चायोग अबूजा मामले को उच्च स्तरपर नाइजीरियाई प्राधिकरणों जैसे विदेश मामले, एनएसए, आईजी पॉलिसी आदि के साथ उठाता है। भारतीय उच्चायोग, अबूजा ने पीड़ितों के लिए मुआवजे के मामलों को भी नियोक्ता के साथ-साथ नाइजीरियाई प्राधिकरणों के साथ उठाया था।
6.	कनाडा	वेनकूवर	2011-01 व्यक्ति	भारतीय नागरिक की 25 दिसंबर, 2012 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमला-वार को 16 वर्ष कैद की सजा दी गई।
7.	क्रोएटिया	जाग्रेब	2012-01 व्यक्ति	भारतीय दूतावास ने तुरंत मामले को मिनिस्ट्री ऑफ फारेन एंड यूरोपियन अफेयर्स, रिपब्लिक ऑफ क्रोएटिया की सरकार के साथ उठाया। उन्होंने घटना पर अपना पछतावा व्यक्त किया और आश्वस्त किया कि क्रोएटिया में भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
8.	अलसाल्वाडोर	पनामा	2013-01 व्यक्ति	संबंधित मामले में, सूचना मिलने पर मिशन ने तुरंत मामले पर जोर देते हुए अलसाल्वाडोर के विदेश मंत्रालय के साथ प्राथमिकता पर अपराधियों के अपराधकर्त्त की छानबीन करने और मृतक के परिवार को सभी संभावित सहायता प्रदान करने हेतु मामले की जांच करने के लिए उठायां परिणामस्वरूप अलसाल्वाडोर की सरकार ने आगे भी जांच के लिए मामले को स्पेशल यूनिट नेशनल पुलिस को सौंप दिया है।

1	2	3	4	5
9.	घाना	अक्रा	2012-01 व्यक्ति 2013-01 व्यक्ति	उल्लखित दोनों घटनाएं इन घटनाओं की जांच करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने का अनुरोध करते हुए घानाई विदेश मंत्रालय और घाना पुलिस प्राधिकरणों को रिपोर्ट कर दी गई थी।
10.	हैती	हवाना	2011-01 व्यक्ति 2012-01 व्यक्ति	मिशन ने, हैती में काम करने वाले भारतीयों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए मामले को हैतीयाई सरकार के साथ उठाया है, साथ ही तीन भारतीय यूनिटों सहित यूएन पीस फोर्स को हैती में शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। भारतीय यूनिटों-सीआईएसएफ, बीएसएफ और असम राईफल की मौजूदगी से सुरक्षा स्थितियों में काफी सुधार हुआ है।
11.	आयरलैंड	डबलिन	2012-01 व्यक्ति	मामले को स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट किया गया था जिन्होंने एक शिकायत दर्ज कर ली है और जांच कर रहे हैं। पुलिस ने इसे किसी भारतीय नागरिक पर विशेष रूप से लक्षित कोई मामला नहीं बल्कि लूट की एक घटना माना है। दूतावास ने छात्र पुलिस और छात्र के कॉलेज के साथ मामले का अनुसरण किया है।
12.	इटली	रोम	2012-01 व्यक्ति	मामले को मिशन द्वारा इटेलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ उठाया गया था। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
13.	कजाकिस्तान	अस्तान	2010-01 व्यक्ति	मामले को मिशन द्वारा संबधित स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उठाया गया था।
14.	केन्या	नैरोबी	2012-04 व्यक्ति	तीसरे मामले में, मृत्यु का मामला दर्ज करने और मामले की जांच करने के लिए मिशन, स्थानीय पुलिस प्राधिकरणों के साथ संपर्क में था।
15.	किर्गीस्तान	बिशेक	2002-01 व्यक्ति	किर्गीस्तान में भारतीय मेडिकल छात्रों के समन्वयकों के साथ-साथ अन्य निर्वासित भारतीय नागरिकों को मिशन का हेल्पलाईन नम्बर, मोबाईल नंबर, काउंसुलर अधिकारियों को प्रदान किया गया है।
16.	पालैंड	वार्सा	2013-01 व्यक्ति	मिशन ने मामले को स्थानीय विदेश कार्यालय के साथ पुरजोर तरीके से उठाया और उनसे अनुरोध किया कि वे बियालीस्टोक में संबंधित प्राधिकारियों को भारतीय नागरिकों और उनके परिवारजनों के जान एवं माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा सामना

1	2	3	4	5
				की जा रही नस्ली हिंसा के खतरों से अवगत कराए। मिशन के अधिकारियों ने बियालीस्टोक का भी दौरा किया और स्थानीय मेयर के कार्यालय के अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों और मामले को हैंडल करने वाले लोक अभियोजक से मिले और उन्हें मामले में ठोस कार्रवाइ किए जाने का आश्वासन मिला। मिशन इस संबंध में भारतीय नागरिकों और संबंधित प्राधिकारियों के संपर्क में है। मिशन ने संकटग्रस्त भारतीयों के लिए 24×7 हेल्पलाइन भी शुरू किया है।
17.	मंगोलिया	उलानबटोर	2010-01 व्यक्ति 2012-01 व्यक्ति	मिशन ने प्रोटोकॉल के अनुसार तत्काल कार्रवाई की पीड़ित सीनीय पुलिस में शिकायत दर्ज कर सके। उसके बाद पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए मिशन द्वारा मेजबान सरकार के साथ कड़ा विरोध दर्ज किया गयां सीनीय सरकार ने पूर्ववर्ती मामले में दोषियों को कारागार में बंद किए जाने की पुष्टि करते हुए सूचना दी है।
18.	पाकिस्तान	इस्लामाबाद	2013-02 व्यक्ति	मिशन ने इन मामलों को पाकिस्तान सरकार के साथ कड़ाई से उठाया था और उनसे जांच करने और दोषियों को दंडित करने का अनुरोध किया था।
19.	दक्षिण सूडान	जुबा	2011-01 व्यक्ति 2013-06 व्यक्ति	दूतावास ने उपर्युक्त सभी मामलों में अन्वेषण करने के लिए मामले को दक्षिण सूडान के प्राधिकारियों के साथ उठाया था ओर स्थानीय प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि अपराधों के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें दंडित किया जाए।
20.	श्रीलंका	जाफना	2012-02 व्यक्ति	यह मामला तत्काल कानून का पालन करवाने वाले स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाया गया और पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक कंसुलर सहायता प्रदान की गई।
21.	स्वीडन	स्टॉकहोम	2011-01 व्यक्ति	दूतावास ने पुलिस प्राधिकारियों, मेडिकल डॉक्टरों और वकीलों के साथ सम्पर्क करके सभी संभव सहायता प्रदान की। दूतावास के अधिकारियों ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर विजिट भी किया। दूतावास भारतीय मूल के लोगों के संपर्क में रहता है और अधिकारी/कर्मचारी ई-मेल/टेलीफोन के माध्यम से हमेशा उपलब्ध होते हैं।
22.	तंजानिया	दारेस्सलाम	2013-01 व्यक्ति	मिशन ने दोषियों को शीघ्रता से पकड़ने के लिए और तंजानिया में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए

1	2	3	4	5
				आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए मामले को तंजानियाई सरकार के साथ उठाया था। बाद में, दोषियों को गिरफ्तार किया गया और वे न्यायिक कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं। मिशन द्वारा तंजानियों के भारतीय नागरिकों के लिए 12 फरवरी, 2013 को एक एडवाइजरी जारी किया गया जिसमें उन्हें अपनी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए पूर्वोपाय करने की सलाह दी गई और आपातकाल में संपर्क किए जाने वाले महत्वपूर्ण मोबाइल नम्बरों की एक सूची सभी व्यक्तियों में परिचालित की गई।
23.	थाईलैंड	बैंकाक	2011-01 व्यक्ति	मामला थाईलैंड के न्यायालय के न्यायाधीन है।
24.	संयुक्त अरब अमीरात	अबू धाबी	2013-01 व्यक्ति	पीड़ित व्यक्ति को कन्सुलेट द्वारा कानूनी सहायता दिए जाने की पेशकश की गई, उन्होंने अमीराती व्यक्ति के विरुद्ध आरोप न लगाने का रास्ता चुना और यह मामला पक्षकारों की आपसी सहमति से बंद किया गया।
25.	यूनाइटेड किंगडम (यूके)	लंदन	2011-02 व्यक्ति 2012-02 व्यक्ति	मिशन स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों की सहायता से भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों की रक्षा के लिए संभव कदम उठाता है।
26.	यूएसए	शिकागो	2010-07 व्यक्ति	सीजीआई ने संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों को तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कहा।
27.	यूएसए	ह्यूस्टन	2010-01 व्यक्ति	सीजीआई ने संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों को तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कहा। स्थानीय प्राधिकारियों से मिलने के लिए कन्सुलेट से एक कर्मचारी मेडिकल सेंटर भेजा गया। मृतक व्यक्ति का पार्थिव अवशेष भारत भेजने के लिए सहायता दी गई। मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुप्रमाणन पर तत्काल कार्रवाई की गई। इस मामले में संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
28.	यूएसए	सैन फ्रांसिस्को	2010-शून्य 2011-02 व्यक्ति 2012-03 व्यक्ति 2013-03 व्यक्ति	ऐसे मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कन्सुलेट संबंधित राज्य प्राधिकारियों के संपर्क में बना रहता है।
29.	यूएसए	अटलांटा	2013-01 व्यक्ति	मिशन ने संबंधित प्राधिकारियों से विस्तृत जानकारी देने का अनुरोध किया है।
30.	वेनेजुएला	काराकास	2010-01 व्यक्ति 2011-01 व्यक्ति	दूतावास ने भारतीय समुदाय के साथ घटित घटनाओं से तत्काल वेनेजुएला के विदेश कार्यालय को अवगत कराया

1	2	3	4	5
			2012-5 व्यक्ति 2013-1 व्यक्ति	और उनसे मदद करने का अनुरोध किया।
31.	अफगानिस्तान	जलालाबाद	शून्य	—
32.		कंधार	शून्य	—
33.		मजारे शरीफ	शून्य	—
34.	अल्बानिया	बुखारेस्ट	शून्य	—
35.	एंटीगुआ एंड बरबूडा	जार्जटाउन	शून्य	—
36.	आर्मेनिया	येरेवन	शून्य	—
37.	आस्ट्रिया	विएना	शून्य	—
38.	बाड़बोडास	परामरिबो	शून्य	—
39.	बेलारुस	मिन्स्क	शून्य	—
40.	बेलीज	मेक्सिको	शून्य	—
41.	भूटान	थिम्पू	शून्य	—
42.		फुंसलिंग	शून्य	—
43.	बोलीविया	लीमा (पेरु)	शून्य	—
44.	साइप्रस	निकोसिया	शून्य	—
45.	बोस्निया एंड हर्जगोविना	बुडापेस्ट	शून्य	—
46.	ब्राजील	ब्रासीलिया	शून्य	—
47.		साओ पाउलो	शून्य	—
48.	बुल्गारिया (गणतंत्र)	सोफिया	शून्य	—
49.	बुरुंडी	कम्पाला	शून्य	—
50.	कंबोडिया	फनोम पेन्ह	शून्य	—
51.	चिले	सैंटियागा	शून्य	—
52.	कोलंबिया	बगोटा	शून्य	—

1	2	3	4	5
53.	चैक रिपब्लिक	प्राग	शून्य	—
54.	डिजबूती	अदीस अबाबा	शून्य	—
55.	मिस्र	कैरा	शून्य	—
56.	फिनलैंड	हेलिंसिकी	शून्य	—
57.	फ्रांस	पेरिस	शून्य	—
58.	गुयाना	जार्जटाउन	शून्य	—
59.	ईरान	तेहरान	शून्य	—
60.	इजरायल	तेल अबीब	शून्य	—
61.	जार्डन	अम्मान	शून्य	—
62.	कीनिया	मोम्बासा	शून्य	—
63.	कोरिया (डीपीआर)	प्योंगयांग	शून्य	—
64.	कोरिया (गणतंत्र)	सियोल	शून्य	—
65.	कुवैत	कुवैत	शून्य	—
66.	लाओ, पीडीआर	विएनटियाने	शून्य	—
67.	लेबनान	बेरुत	शून्य	—
68.	लीबिया	त्रिपोली	शून्य	—
69.	मैडागास्कर	अंटानानरीवो	शून्य	—
70.	मलेशिया	क्वालालाम्पुर	शून्य	—
71.	माली	बमाको	शून्य	—
72.	मैक्सिको	मैक्सिको सिटी	शून्य	—
73.	मोल्डोवा	बुखारेस्ट	शून्य	—
74.	मोरक्को	रबात	शून्य	—
75.	मोजाम्बिक	मपूतो	शून्य	—
76.	म्यान्मार	यांगून	शून्य	—
77.	नामीबिया	विंडहोक	शून्य	—

1	2	3	4	5
78.	नेपाल	काठमांडू बीरगंज	शून्य	–
79.	नीदरलैंड्स	दी हेग	शून्य	–
80.	न्यूजीलैंड	वेलींग्टन	शून्य	–
81.	नाइजर	अक्करा	शून्य	–
82.	नार्वे	ओस्लो	शून्य	–
83.	ओमान	मस्कट	शून्य	–
84.	फिलीस्तीन (पीएलओ)	रमल्ला	शून्य	–
85.	पराग्वे	ब्यूनस आयर्स	शून्य	–
86.	पेरु	लीमा	शून्य	–
87.	कतर	दोहा	शून्य	–
88.	रियूनियन दीपसमूह	संट डेनिस	शून्य	–
89.	रोमानिया	बुखारेस्ट	शून्य	–
90.	रुसी फेडरेशन	मास्को	शून्य	–
91.	रवांडा	कम्पाला	शून्य	–
92.	सऊदी अरब	रियाद, जेद्दा	शून्य	–
93.	साओ टोम एंड प्रिंसिपे (गणतंत्र)	लुआंडा	शून्य	–
94.	सेनेगल	डकार	शून्य	–
95.	सिंगापुर	सिंगापुर	शून्य	–
96.	स्लोवाक रिपब्लिक	ब्रातीस्लावा	शून्य	–
97.	स्पेन	मैड्रिड	शून्य	–
98.	श्रीलंका	कोलंबो	शून्य	–
99.	सेंट किट्स एंड नेविस	जार्जटाउन	शून्य	–
100.	सूडान	खार्तूम	शून्य	–
101.	स्वाजीलैंड	मपूतो	शून्य	–

1	2	3	4	5
102.	स्वट्जरलैंड	जेनेवा	शून्य	—
103.	सीरिया	दमिश्क	शून्य	—
104.	ताजिकिस्तान	दुशान्बे	शून्य	—
105.	तंजानिया	जंजीबार	शून्य	—
106.	त्रिनिदाद एंड टोबैगो	पोर्ट ऑफ स्पेन	शून्य	—
107.	ट्यूनिशीया	ट्यूनिश	शून्य	—
108.	तुर्की	इस्तांबूल	शून्य	—
109.	तुर्कमेनिस्तान	अस्गाबट	शून्य	—
110.	उगांडा	कम्पाला	शून्य	—
111.	वियतनाम	हो चिह मिन्ह सिटी	शून्य	—

निजी उच्च शिक्षा प्रणाली को महत्व देना

1508. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री लक्ष्मण टुडु :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की तुलना में निजी उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक महत्व दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भूकंप प्रवण मेट्रो स्टेशन

1509. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संयुक्त राष्ट्र अध्ययन में बताया गया हे कि दिल्ली मेट्रो के चरण-I और II के 50 से अधिक स्टेशन उच्च भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि संपूर्ण दिल्ली मेट्रो नेटवर्क सेस्मिक जोन-4 में स्थित है। सभी ढांचे पहले ही संबंधित आवासीय मानदंड के अनुसार जोन-4 की सेस्मिक आपदा के अनुरूप डिजाइन और निर्मित किए गए हैं तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन ढांचों हेतु किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

म्यांमार के लिए भूमि मार्ग

1510. डॉ. थोकचोम मैन्या :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार म्यांमार और दक्षिण पूर्व-एशिया के लिए भूमि मार्गों को खोलने को लेकर सशंकित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या म्यांमार सरकार दोनों देशों के मध्य व्यापार और पर्यटन हेतु मोरेह और तामू के रास्ते विद्यमान भूमि मार्ग को खोलने के लिए तैयार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इम्फाल (भारत) और मंडाले (म्यांमार)के मध्य बस सेवा प्रारंभ किए जाने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) सरकार भारत तथा दक्षिण - पूर्वी एशिया के बीच संपर्क को बढ़ावा देने पर सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह सरकार की "पूर्वान्मुख" नीति का एक महत्वपूर्ण स्तभ भी है। इस प्रयास में, सरकार त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना, री टिड्डीम सड़क परियोजना तथा इम्फाल-मन्डाले बस सेवा सहित म्यांमार तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिए सड़क मार्गों को खोलने के लिए अनेक पहलें की हैं। इन परियोजनाओं से सीमा के आर-पार व्यापार, पर्यटन, लोगों के लोगों से संपर्क तथा सीमा के दोनों ओर के क्षेत्रों के आर्थिक विकास में वृद्धि होगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्ष 1994 में, भारत तथा म्यांमार ने सीमा व्यापार करार पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत मोरे (मणिपुर) - तामु (म्यांमार) में और जोवखाथार (मिजोरम) – री (म्यांमार) में सीमा व्यापार बिन्दु स्थापित किए गए। अक्तूबर, 2008 में, दोनों देशों ने मोरे-तामु और जोवखाथार-री सीमा व्यापार बिन्दुओं पर सीमा व्यापार का सामान्य व्यापार के रूप में उन्नयन करने पर सहमत हुए। द्विपक्षीय व्यापार में सुधार करने के लिए संयुक्त सीमा व्यापार समिति, संयुक्त सीमा हाट समिति तथा संयुक्त व्यापार समिति सहित द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए गए हैं।

(ङ) भारत और म्यांमार के बीच इम्फाल-मन्डाले बस सेवा पर तकनीकी स्तर की चर्चाओं पर दो दौर के बाद, समझौता ज्ञापन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। इस समझौता ज्ञापन के प्रारूप के लिए एक प्रोतोकॉल, जिसमें प्रवजन तथा वीजा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, को म्यांमार पक्ष के साथ साझा किया गया है ताकि इसे शीघ्र कार्यान्वयन योग्य बनाया जा सके।

केवीआई प्रशिक्षण केन्द्र

1511. श्री निशिकांत दुबे : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में झारखंड सहित राज्य-वार चल रहे खादी और ग्रामोद्योग (केवीआईसी) प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन प्रशिक्षण केन्द्रों को आधुनिकीकृत करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को नए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) 17 झारखंड सहित देश में विभागीय तथा 24 गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) मानव संसाधन विकास के लिए केवीआईसी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुदान के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्रों का सुधार एवं उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) केवीआईसी को मणिपुर और पंजाब की राज्य सरकारों से नए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस मामले को न तो मंत्रालय भेजा गया है और न ही मंत्रालय में इस पर विचार किया गया है।

विवरण

केवीआईसी द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	
		विभागीय	गैर-विभागीय
1	2	3	4
1.	जम्मू और कश्मीर	01	0

1	2	3	4
2.	हिमाचल प्रदेश	01	0
3.	पंजाब	0	0
4.	चंडीगढ़	0	0
5.	उत्तराखंड	02	0
6.	हरियाणा	0	0
7.	दिल्ली	01	0
8.	राजस्थान	0	01
9.	उत्तर प्रदेश	01	03
10.	बिहार	01	0
11.	सिक्किम	0	0
12.	अरुणाचल प्रदेश	0	01
13.	नगालैंड	0	01
14.	मणिपुर	0	0
15.	मिज़ोरम	0	01
16.	त्रिपुरा	0	0
17.	मेघालय	0	0
18.	असम	0	02
19.	पश्चिम बंगाल	01	01
20.	झारखंड	0	01
21.	ओडिशा	01	01
22.	छत्तीसगढ़	0	0
23.	मध्य प्रदेश	0	02
24.	गुजरात*	0	0
25.	महाराष्ट्र**	04	04
26.	आंध्र प्रदेश	0	01
27.	कर्नाटक	02	01
28.	गोवा	0	0
29.	लक्षद्वीप	0	0
30.	केरल	01	02
31.	तमिलनाडु	01	02
32.	पुदुचेरी	0	0
33.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0	0
	योग	17	24

*दमन और दीव सहित।

**दादरा और नगर हवेली सहित।

[हिन्दी]

यमुना खादर

1512. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में यमुना नदी के दोनों और खदर क्षेत्र के संरक्षण हेतु कोई योजना तैयार/प्रस्तावित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भूजल की उपलब्धता के संबंध में उक्त नदी के खादर क्षेत्र के संरक्षण की क्या महत्त है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में यमुना नदी के दोनों और खादर क्षेत्र की संरचनात्मक योजना तैयार की है। यह यमुना नदी तट के विकास हेतु दिशा निर्देश और ढांचे का निर्धारण करने की दृष्टि से स्थलीय अध्ययन और अन्य तथ्यात्मक आंकड़ों के माध्यम से मूल्य विश्लेषण के आधार पर किया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खादर क्षेत्र की संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि यह भूजल संसाधन के लिए पुनर्भरण क्षेत्र है और यह क्षेत्र उस जल की गुणवत्ता मे सुधार लाने में सहायता करता है जो प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्भरित हो जाता है।

[अनुवाद]

गालिब के स्थान का अतिक्रमण

1513. श्री अब्दुल रहमान : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मे प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा गालिब की हवेली के कुछ भाग का निजी व्यापारी द्वारा अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वज़रा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि बल्लिमारन, दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब के आवासीय स्थल (हवेली) में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

स्कूलों में भेदभाव

1514. श्री सुदर्शन भगत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के निजी स्कूलों मे गरीब बच्चों के साथ किए जा रहे भेदभाव की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के माध्यम से प्रवेश प्राप्त बच्चों के संबंध में स्कूलों को नए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है ताकि इन बच्चों के साथ हो रहे भेदभाव को रोका जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार के स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु किसी व्यक्ति की कोई जवाबदेही निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ङ) शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग), जो लाभ वंचित समूहों तथा कमजोर वर्गों के बच्चों को 25 प्रतिशत नि:शुल्क प्रवेश और शिक्षा का प्रावधान करती है, के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों के पृथक्करण/उनके साथ भेदभाव की कुछ मीडिया रिपोर्ट आई हैं। ऐसे मामलों को जांच और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए तत्काल केन्द्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को भेजा जाता है।

सरकार ने कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबद्ध बच्चों के संबंध में स्कूलों में भेदभाव रोकने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 8 और 9 के खंड (ग) के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शिकायत निवारण के लिए स्थानीय प्राधिकरण को अधिसूचित करने तथा प्रारंभिक शिक्षा हेतु बच्चों के अधिकार का मॉनिटरिंग करने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर)/शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार (आरईपीए) की स्थापना का प्रावधान है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालय में अधिकारियों के विरुद्ध मामले

1515. प्रो. सौगत राय : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मानव दुर्व्यापार के संबंध में किसी पासपोर्ट अधिकारी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुम पोसपोर्टों के बदले नए पासपोर्ट को जारी करने के लिए पासपोर्ट अधिकारियों को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जून, 2013 माह में देश भर में पोसपोर्ट कार्यालयों में औचक निरीक्षण किए। हालांकि, किसी भी पोसपोर्ट अधिकारी के विरुद्ध मानव तस्करी से संबंधित कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) पोसपोर्टट अधिनियम, 1967 तथा पोसपोर्ट नियमावली, 1980 के उपबंधों के अनुसार, सभी पोसपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारियों (पीआईए) को पोसपोर्ट जारी करने, अस्वीकार करने, जब्त करने तथा रद्द करने के बाबत प्राधिकृत कर दिया गया है। इन शक्तियों के भीतर, सभी पोसपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारीगण वैधता समाप्ति वाले पोसपोर्ट, खोए हुए, नुकसान हुए, रद्द किए गए, रद्दोबदल किए गए तथा जाली पोसपोर्ट, जैसा भी मामला हो, के बदले नए पोसपोर्ट जारी तथा पुनः जारी करते हैं। पोसपोर्ट अधिकारियों के पास, विशेषतः जारी पोसपोर्ट के एवज में नए पोसपोर्ट जारी करने हेतु अलग से कोई विशेष शक्तियां नहीं होती हैं।

[हिन्दी]

नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से विकिरण

1516. **श्रीमती भावना पाटील गवली** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यरत नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के निकट स्थित गांवों पर विकिरण के पड़ने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गांवों के निवासियों को प्रदान किए गए पुनर्वास पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन अध्ययनों और पुनर्व्यस्थापन पैकेज के संबंध में राज्य सरकारों के साथ बात की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अधीन सभी परमाणु बिजलीघरों के स्थलों पर रिएक्टर को कमीशन करने से काफी पहले पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं (ईएसएलएस) स्थापित की जाती हैं। पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं, स्थल के प्रचालन-पूर्व बेसलाइन विकिरणसक्रियता के स्तरों का पता लगाने के लिए प्रचालन-पूर्व सर्वेक्षण करती हैं। रिएक्टर की प्रचालन अवधि के दौरान, पर्यावरणीय नमूने, जैसेकि वायु, जल, मृदा, वनस्पति, कृषि उत्पाद, दूध, मांस और अन्य आहार उत्पादों को समय-समय पर एकत्र किया जाता है और विकिरण सक्रियता की दृष्टि से उनका विश्लेषण किया जाता है। पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय नमूनों में अत्यधिक निम्न स्तर की विकिरणसक्रियता का विश्लेषण करने के लिए अत्यधिक संवेदनशील उपस्करों और उपयुक्त अवसंरचना से सज्जित किया जाता है। पर्यावरणीय नमूनों में विकिरणसक्रियता के स्तर की तुलना तत्संबंधी आव्यूहों में प्रचालन-पूर्व मानों के साथ की जाती है। विभिन्न बिजलीघर स्थलों पर किए गए अध्ययनों से स्पष्टतः यह पता चला है कि, पर्यावरण में विकिरणसक्रियता की मात्रा में कोई अस्वीकार्य वृद्धि नहीं हुई है। नाभिकीय संयंत्रों से आम लोगों को वर्ष भर में मिलने वाली विकिरणसक्रियता की मात्रा, प्राकृतिक पृष्ठभूमिक विकिरण से मिलने वाली मात्रा की तुलना में 'नगण्य' है, और उससे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन

1517. **श्री लालजी टन्डन :**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्रीमती कमला देवी पटेल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ सहित देश में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है, जहां आज की तिथि अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) देश के पिछड़े जिलों सहित सभी गांवों में इस सुविधा को कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त सुविधा को प्रदान करने के लिए कोई नई योजना बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) दिनांक 31.07.2013 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5,82,185 अर्थात् 98.07% आबादी वाले राजस्व गांवों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की वित्तीय/राज सहायता से ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधा प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ में 19,744 आबादी वाले गांवों में से 18,214 गांवों में वीपीटी सुविधा प्रदान कर दी गई है। वीपीटी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) देश के शेष आबादी वाली राजस्व गांवों में, वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार नए पहचाने गए सुविधारहित गांवों में वीपीटी की चल रही यूएसओएफ स्कीम के माध्यम से यह सुविधा प्रदान किए जाने की उम्मीद है जिसकी रॉल आउट अवधि सितंबर, 2013 तक है।

(ग) और (घ) वर्ष 2001 की जनगण्ना अनुसार 98.07% आबादी वाले राजस्व गांवों में यूएसओएफ की वित्तीय/राज सहायता से पहले ही वीपीटी सुविधा प्रदान कर दी गई है।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) वीपीटी के लिए यूएसओएफ वित्त पोषित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है बीएसएनएल ने शेष गांवों में वीपीटी सुविधा प्रदान करने में हो रहे विलंब के निम्नलिखित कारण दिए हैं:—

- दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों का होना।
- उपयुक्त परिवहन संबंधी अवसंरचना का अभाव।
- बिजली की कम उपलब्धता/अनुपलब्धता।
- विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र।
- प्राकृतिक आपदाएं।
- अनेक गांवों में वीपीटी की सुविधा केवल उपग्रह प्रौद्योगिकी द्वारा व्यवहार्य है और डिजीटल उपग्रह फोन टर्मिनलों (डीएसपीटी) के प्रापण में विलंब होता रहा है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांक 31.07.2013 की स्थिति के अनुसार प्रदान किए गए वीपीटी की राज्य-वार संख्या

राज्य का नाम	2001 की जनगणना अनुसार आबादी वाले राजस्व गांवों की संख्या	प्रदान किए गए वीपीटी की संख्या
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	501	352
आंध्र प्रदेश	26613	25105
असम	25124	24688
बिहार	39032	38941
झारखंड	29354	28807
गुजरात	18159	18051
हरियाणा	6764	6678
हिमाचल प्रदेश	17495	17408
जम्मू और कश्मीर	6417	6384
कर्नाटक	27481	27449
केरल	1372	1372
मध्य प्रदेश	52117	51986
छत्तीसगढ़	19744	18214
महाराष्ट्र	41442	40654
मेघालय (पूर्वोत्तर-I)	5782	5247
मिज़ोरम (पूर्वोत्तर-I)	707	704
त्रिपुरा (पूर्वोत्तर-I)	858	858
अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर-II)	3863	2774

1	2	3
मणिपुर (पूर्वोत्तर-II)	2315	2171
नागालैंड (पूर्वोत्तर-II)	1278	1263
ओडिशा	47529	45215
पंजाब	12301	12065
राजस्थान	39753	39568
तमिलनाडु	15492	15492
उत्तर प्रदेश	97942	97823
उत्तराखंड	15761	15366
पश्चिम बंगाल	37955	37121
सिक्किम	450	429
जोड़	5,93,601	5,82,185

[अनुवाद]

फास्ट ट्रेक न्यायालय

1518. **श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फास्ट्र ट्रैक न्यायालयों की योजना को 100: केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत कुछ वर्षों में केन्द्रीय सहायता में अत्यधिक कमी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा योजना की विस्तार अवधि हेतु अतिरिक्त भार का वहन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) भारत के संविधान के अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करना, राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएस) ग्यारहवें वित्त आयोग (ईएफसी) की सिफारिश पर दीर्घ लंबित मामलों को देखने के लिए स्थापित किए गए थे, जिसके अधीन 2000-01 से 2004-05 की पांच वर्ष की अवधि के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की पूर्ण लागत को पूरा करने के लिए राज्यों को अनुदान देने का उपबंध किया गया था। सरकार ने अन्य छह वर्षों, तारीख 31.03.2011 तक त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्यों को अनुदान जारी रखा। राज्य, केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जने वाले अनुदान से अधिक किसी व्यय को करने में स्वतंत्र थे। त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्यों को केंद्रीय अनुदान स्कीम को तारीख 31.03.2011 के पश्चात बंद कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने बृज मोहन लाल मामले मे तारीख 19.04.2012 के अपने निर्णय में तारीख 31.03.2011 के बाद त्वरित निपटान न्यायालय की स्कीम को वित्तपोषण न करने के केंद्रीय सरकार की नीति विनिश्चय को स्वीकार किया है।

[हिन्दी]

शिक्षा पर विशेष ध्यान

1519. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अभिज्ञात उन शिक्षा का ब्यौरा क्या है; जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है;

(ख) क्या आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग वक्त की मांग हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) सरकारर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में तीन ई-अर्थात् विस्तार (Expension), समानता (Equity) और उत्कृष्टता (Excellence) पर निरंतर ध्यान दे रही है। इनके अतिरिक्त चुतर्थ ई अर्थात् नियोजनीयता (Employability) सरकार के लिए बढ़ती हुई प्राथमिकता बन चुकी है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए शैक्षिक क्षेत्रों जिनमें विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, में (i) सबके लिए सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पूर्णतया पालन करते हुए 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना; (ii) शिक्षा की सुलभता में मौजूद सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना; (iii) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतम माध्यमिक स्तर पर उपस्थिति को बढ़ाना और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करना; (iv) शिक्षा के सभी स्तरों पर अधिगम परिणामों में सुधार करना; (v) शिक्षक की उपलब्धता और शिक्षक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना; (vi) समीक्षात्मक और रचनात्मक सोच संबंधी कौशलों सहित जीवन कौशल

विकसित करना; (vii) शिक्षा के सभी स्तरों पर आईसीटी का उपयोग; (viii) उच्चतर शिक्षा की सुलभता का विस्तार; (ix) उच्चतर शिक्षा की सुलभमा में समानता लाना; और (x) उच्चतर शिक्षा की सभी संस्थाओं में बेहतर शिक्षण और शोध शामिल हैं। इसके अलावा, विद्यार्थियों की नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल निर्माण को प्राथमिकता दी गई है।

बारहवीं पांचवर्षीय योजना अवधि के लिए शिक्षा के क्षेत्र के लिए 4,53,728 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है जिसमें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आबंटन से 68.12% अधिक वृद्धि परिलक्षित होती है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आबंटित निधियों का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

1520. श्री रमाशंकर राजभर :
श्री पी. विश्वनाथन :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार/पुरुष-महिला-वार निरक्षरों की संख्या कितनी है;

(ख) विश्व साक्षरता दर की तुलना में देश में साक्षरता दर के पिछड़ने के क्या कारण हैं;

(ग) देश में उच्च साक्षरता दर और इससे पिछड़ने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) इस संबंध में किसी नई पहल, यदि कोई है, पर विचार किया गया है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हेतु आवंटित और इस पर व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) देश में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य-वार, पुरुष-महिला-वार निरक्षरों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) देश की साक्षरता दर विश्व साक्षरता दर से मुख्यत: गरीबी, स्त्री-पुरुष और सामाजिक असमानता, स्कूल तक अपर्याप्त पहुंच, इत्यादि के अतिरिक्त गैर-साक्षर लोगों का बड़ी संख्या में संचित बैकलॉग की वजह से कम है।

(ग) 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य में 94 प्रतिशत की सर्वाधिक साक्षरता दर है और बिहार राज्य में 61.80% की सबसे कम साक्षरता दर है। साक्षरता दर द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र के स्थान को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सरकार ने देश में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग तथा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षरता स्तर में वृद्धि करने के लिए क्रमश: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया है तथा साक्षर भारत, एक केन्द्र प्रायोजित योजना आरंभ की हैं। साक्षरता स्तरों को बढ़ाकर 80% करने तथा क्षेत्रीय भेदभाव को दूर करने के अतिरिक्त महिला-पुरुष अंतर को कम करके 10 परसेंटाइल प्वाइंट तक लाने के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम का मार्च, 2017 को समाप्त XIIवीं योजना अवधि तक के लिए विस्तार किया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान साक्षर भारत योजन के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्सा और उपयोग की गई संस्वीकृत निधियां वर्ष-वार दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

7 वर्ष के आयु वर्ग तथा उससे अधिक आयु के निरक्षरों की राज्य और लिंग-वार संख्या

(2011 के जनगणना के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरक्षरों की संख्या		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
	भारत	**28,25,92,906**	**10,27,05,594**	**17,98,87,312**
1.	आंध्र प्रदेश	2,48,81,215	94,75,953	1,54,05,262

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	40,5,534	1,66,420	2,39,114
3.	असम	73,89,469	30,07,319	43,82,150
4.	बिहार	3,24,60,935	1,27,82,895	1,96,78,040
5.	छत्तीसगढ़	65,03,587	21,65,067	43,38,520
6.	गोवा	1,48,447	48,857	99,590
7.	गुजरात	1,15,69,072	39,01,003	76,68,069
8.	हरियाणा	53,71,753	18,57,558	35,14,195
9.	हिमाचल प्रदेश	10,46,968	3,21,824	7,25,144
10.	जम्मू और कश्मीर	34,55,164	12,91,636	21,63,528
11.	झारखंड	92,70,570	32,80,649	59,89,921
12.	कर्नाटक	1,32,86,942	47,82,895	85,04,047
13.	केरल	17,97,282	5,54,265	12,43,017
14.	मध्य प्रदेश	1,89,66,245	68,01,806	1,21,64,439
15.	महाराष्ट्र	1,74,93,526	59,50,081	1,15,43,445
16.	मणिपुर	4,63,955	1,55,456	3,08,499
17.	मेघालय	6,13,348	2,89,307	3,24,041
18.	मिज़ोरम	80,500	31,249	49,251
19.	नागालैंड	3,44,997	1,50,907	1,94,090
20.	ओडिशा	99,58,429	34,05,958	65,52,471
21.	पंजाब	59,59,982	25,37,415	34,22,567
22.	राजस्थान	1,96,23,651	62,23,409	1,34,00,242
23.	सिक्किम	1,01,514	39,040	62,474
24.	तमिलनाडु	1,28,85,691	42,77,208	86,08,483
25.	त्रिपुरा	4,11,120	1,38,999	2,72,121
26.	उत्तर प्रदेश	5,46,23,455	2,00,59,965	3,45,63,490

1	2	3	4	5
27.	उत्तराखंड	18,49,525	5,56,866	12,92,659
28.	पश्चिम बंगाल	1,91,56,368	75,79,851	1,15,76,547
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	45,422	17,724	27,698
30.	चंडीगढ़	1,30,578	51,781	78,797
31.	दादरा और नगर हवेली	69,584	24,808	44,776
32.	दमन और दीव	27,907	11,514	16,393
33.	लक्षद्वीप	4,665	1,303	3,362
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	20,37,720	7,17,030	13,20,690
35.	पुदुचेरी	1,57,786	47,606	1,10,180

विवरण-II

साक्षरता दर द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थान को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	साक्षरता दर
1	2	3
1.	केरल	94.00
2.	लक्षद्वीप	91.85
3.	मिज़ोरम	91.33
4.	गोवा	88.70
5.	त्रिपुरा	87.22
6.	दमन और दीव	87.10
7.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	86.63
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	86.21
9.	चंडीगढ़	86.05
10.	पुदुचेरी	85.85
11.	हिमाचल प्रदेश	82.80
12.	महाराष्ट्र	82.34
13.	सिक्किम	81.42
14.	तमिलनाडु	80.09
15.	नागालैंड	79.55
16.	मणिपुर	79'.21
17.	उत्तराखंड	78.82
18.	गुजरात	78.06
19.	पश्चिम बंगाल	76.26
20.	दादरा और नगर हवेली	76.24
21.	पंजाब	75.84

1	2	3
22.	हरियाणा	75.55
23.	कर्नाटक	75.36
24.	मेघालय	74.43
25.	ओडिशा	72.87
26.	असम	72.19
27.	छत्तीसगढ़	70.28
28.	मध्य प्रदेश	69.32
29.	उत्तर प्रदेश	67.68
30.	जम्मू और कश्मीर	67.16
31.	आंध्र प्रदेश	67.02
32.	झारखंड	66.41
33.	राजस्थान	66.11
34.	अरुणाचल प्रदेश	65.38
35.	बिहार	61.80

विवरण-III

साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जारी केन्द्रीय हिस्से और किए गए व्यय के वर्ष-वार ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय जारी हिस्सा				एसएलएमए द्वारा यथा सूचित प्रयुक्त निधियां (31.03.2013) की स्थिति के अनुसार)**
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (7.8.2013 की स्थिति के अनुसार)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8466.69	6454.92	11605.83	0.00	32076.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	487.03	2260.53	0.00	0.00	3211.11
3.	असम	858.08	0.00	0.00	0.00	1656.43
4.	बिहार	8518.94	37.63	703.88	196.41	6658.23
5.	छत्तीसगढ़	1961.53	2867.51	9347.20	0.00	10926.28
6.	दादरा और नगर हवेली	17.95	0.00	0.00	0.00	20.70
7.	गुजरात	0.00	1440.12	925.12	0.00	2592.68
8.	हरियाणा	727.56	511.12	0.00	0.00	1075.28
9.	हिमाचल प्रदेश	146.34	71.62	269.84	0.00	324.63

1	2	3	4	5	6	7
10.	झारखंड	2576.09	46.41	2581.46	0.00	1479.71
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	887.24	0.00	0.00	156.21
12.	कर्नाटक	4562.92	0.00	4011.44	0.00	6379.51
13.	मध्य प्रदेश	2070.01	2817.61	0.00	0.00	163.79
14.	महाराष्ट्र	479.55	0.00	0.00	0.00	1816.59
15.	मणिपुर	0.00	474.84	0.00	0.00	813.81
16.	मेघालय	362.02	0.00	0.00	0.00	159.42
17.	नागालैंड	196.26	119.81	327.10	0.00	357.66
18.	ओडिशा	0.00	964.37	1512.12	0.00	808.45
19.	पंजाब	1561.33	0.00	0.00	0.00	52.28*
20.	राजस्थान	0.00	8111.11	0.00	0.00	13148.18
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	68.83
22.	तमिलनाडु	1139.63	155.74	1375.04	0.00	4344.03
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	123.82	0.00	83.74
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	15542.09	0.00	0.00	8286.16
25.	उत्तराखंड	190.93	2841.73	547.53	0.00	3453.13
26.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	2952.05	0.00	2234.58

*पहले एसएलएमए द्वारा 31.03.2012 तक सूचित किया गया था

**इसमें 2009-10 के दौरान जारी निधियां शामिल हैं।

[अनुवाद]

फुटवियर सेक्टर

1521. श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुशलता विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहे प्रशिक्षण संस्थानों की राज्य-वार और क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार फुटवियर क्षेत्र में कामगारों को क्षमता विकास और प्रशिक्षण हेतु किसी विशिष्ट योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम में अग्रणीय संस्थाओं और बड़े कार्पोरेटों को सम्मिलित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहे प्रशिक्षण संस्थानों की राज्य-वार और क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चेन्नै और केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान, आगरा पहले से ही पादुका क्षेत्र में कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा कोई विशिष्ट योजना विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) प्रमुख संस्थान और कारपोरेट पहले से उक्त प्रयास में शामिल हैं। कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण संस्थान की राज्यवार/क्षेत्र-वार संख्या

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद	विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण
2.	असम	भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी	विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण
3.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यावसाय विकास संस्थान, नोएडा	विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण
विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय			
1.	आंध्र प्रदेश	एमएसएमई टूल रुम-केन्द्रीय हस्त औजार अभिकल्प संस्थान, हैदराबाद	टूल इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग
2.	असम	एमएसएमई टूल रुम-टूल रुम एवं प्रशिक्षण केन्द्र, गुवाहाटी	टूल इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग
3.	गुजरात	एमएसएमई टूल रुम-इंडो जर्मन टूल रुम, अहमदाबाद	टूल इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग
4.	गुजरात	हस्त औजार अभिकल्प विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर	हस्त औजार
5.	झारखंड	एमएसएमई टूल रुम-इंडो डैनिश टूल रुम, जमशेदपुर	टूल इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग
6.	केरल	एमएसएमई-प्रशिक्षण संस्थान, तिरुवल्ला	विभिन्न तकनीकी पेशों में कौशल विकास
7.	केरल	लघु उद्यमी संवर्धन एव्र प्रशिक्षण संस्थान एट्टामानूर	विभिन्न तकनीकी पेशों में कौशल विकास

1	2	3	4
8.	मध्य प्रदेश	एमएसएमई टूल रुम-इंडो जर्मन टूल रुम, इंदौर	टूल इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग
9.	महाराष्ट्र	एमएसएमई टूल रुम-इंडो जर्मन टूल रुम, औरंगाबाद	टूल इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग
10.	महाराष्ट्र	एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र-वैद्युत मापन अभियंत्र अभिकल्प संस्थान, मुंबई	इलैक्ट्रिल एवं इलैक्ट्रॉनिक्स
11.	ओडिशा	एमएसएमई टूल रुम-केन्द्रीय औजार कक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र, भुवनेश्वर	टूल इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग
12.	पंजाब	एमएसएमई टूल रुम-केन्द्रीय औजार कक्ष, लुधियाना	टूल इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग
13.	पंजाब	एमएसएमई टूल रुम-केन्द्रीय अस्त औजार संस्थान, जालंधर	टूल इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग
14.	राजस्थान	हस्त औजार अभिकल्प विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर	हैंड टूल्स
15.	तमिलनाडु	एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र-केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै	फुटवियर
16.	उत्तर प्रदेश	एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र-प्रक्रिया-सह-उत्पाद विकास केन्द्र, मेरठ	खेल की सामग्री
17.	उत्तर प्रदेश	एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र-प्रक्रिया-सह-उत्पाद विकास केन्द्र, आगरा	फाउंड्री एवं फार्जिंग
18.	उत्तर प्रदेश	एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र-केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान, आगरा	फुटवियर
19.	उत्तराखंड	एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र-इलैक्ट्रॉनिक सेवा एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रामनगर	इलैक्ट्रिल एवं इलैक्ट्रॉनिक्स
20.	पश्चिम बंगाल	एमएसएमई टूल रुम-केन्द्रीय हस्त औजार कक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कोलकाता	टूल इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग
कॅयर बोर्ड			
1.	आंध्र प्रदेश	फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कॅयर बोर्ड, राजामुंदरी	कॅयर
2.	असम	उप-क्षेत्रीय कार्यालय, कॅयर बोर्ड, गुवाहाटी	
3.	कर्नाटक	फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कॅयर बोर्ड, बंगलौर	
4.	केरल	राष्ट्रीय कॅयर प्रशिक्षण एवं अभिकल्प केन्द्र, कालाव्वूर,	एल्लेप्पी

1	2	3	4
5.	केरल	फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कॅयर बोर्ड, त्रिवेन्द्रम	कॅयर
6.	केरल	उप-क्षेत्रीय कार्यालय, कॅयर बोर्ड, कन्नौर	
7.	ओडिशा	फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कॅयर बोर्ड, भुवनेश्वर	
8.	तमिलनाडु	क्षेत्रीय विस्तार केन्द्र, कॅयर बोड, बोर्ड, तंजावूर	
9.	तमिलनाडु	फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कॅयर बोर्ड, पोल्लाची	
10.	तमिलनाडु	उप-क्षेत्रीय कार्यालय, कॅयर बोर्ड, सिनगमपुनेरी	
11.	पश्चिम बंगाल	उप-क्षेत्रीय कार्यालय, कॅयर बोर्ड, कोलकाता	

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

क्र. सं.	राज्य	एनएसआईसी के स्वामित्व वाले	सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत	क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	2	पारंपरिक एवं हाईटेक क्षेत्र किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है।
2.	असम	1	1	
3.	गुजरात	1	5	
4.	हरियाणा	0	3	
5.	हिमाचल प्रदेश	2	2	
6.	जम्मू और कश्मीर	0	8	
7.	झारखंड	0	1	
8.	कर्नाटक	1	2	
9.	केरल	0	1	
10.	मध्य प्रदेश	0	2	
11.	महाराष्ट्र	0	5	
12.	मेघालय	0	1	
13.	ओडिशा	0	2	
14.	पंजाब	1	9	

1	2	3	4	5
15.	राजस्थान	0	1	पारंपरिक एवं हाईटेक क्षेत्र किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है।
16.	तमिलनाडु	1	4	
17.	त्रिपुरा	0	1	
18.	उत्तर प्रदेश	2	16	
19.	उत्तराखंड	0	2	
20.	पश्चिम बंगाल	1	5	
21.	दिल्ली	1	1	

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अपने 15 बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा साथ ही 558 प्रत्यायित प्रशिक्षण केन्द्रों सहित 41 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) संचालित कर रहा है। ये केन्द्र खादी एवं ग्रामोद्योगों, प्रबंध प्रशिक्षण एवं उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रमों तथा ईडीपी से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची निम्नोक्त है:—

बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्र:

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	दिल्ली	बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली	बहुविषयक
2.	उत्तराखंड	बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी	
3.	उत्तराखंड	बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून	
4.	उत्तर प्रदेश	चौधरी चरण सिंह बहुविषयक केन्द्र, मुज्जफ्फर नगर	
5.	पश्चिम बंगाल	बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्र, बिराती, कोलकाता	
6.	ओडिशा	बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्र, भुवनेश्वर	
7.	बिहार	डा. राजेन्द्र प्रसाद बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	
8.	कर्नाटक	बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्र, विजनापुरा, बंगलुरु	
9.	कर्नाटक	सेंट्रल विलेज पॉटर इंस्टीट्यट, बेलगॉम	
10.	केरल	बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्र, तृश्शूर	

1	2	3	4
11.	तमिलनाडु	केन्द्रीय खजूर, गुड एवं खजूर उत्पाद संस्थान, चेन्नै	बहुविषयक
12.	महाराष्ट्र	केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुणे	
13.	महाराष्ट्र	जी.एन. बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्र, थोण	
14.	महाराष्ट्र	सी.बी. कोरा ग्रामोद्योग संस्थान, मुंबई	
15.	महाराष्ट्र	डा. भीमराव अंबेडकर ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान एवं अक्षय ऊर्जा संस्थान, नासिक	

[हिन्दी]

शिक्षण संस्थानों का पुनर्निर्माण

1522. **श्री सतपाल महाराज :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपदा प्रभावित उत्तराखंड जहां कई सौ उपरोक्त संस्थाएं और गांव बाढ़ में बह गए थे, में कॉलेजों, पॉलिटेक्नीकों और अन्य तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं के पुनर्निर्माण और प्रचालन हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त कार्यों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई/की जाने वाली निधियां कितनी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राचीन भाषाओं के रूप में क्षेत्रीय भाषाएं

1523. **श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :**

श्री शिवराम गौडा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्नड सहित प्राचीन भाषा घोषित क्षेत्रीय भाषाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भाषा-वार वर्ष-वार और प्राचीन भाषाओं के विकास हेतु आवंटित और जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मैसूर में प्राचीन कन्नड में अध्ययन हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) भारत सरकार द्वारा संस्कृत के अलावा तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम क्षेत्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया गया है।

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शास्त्रीय भाषाओं के विकास हेतु आवंटित और जारी निधियों का अद्यतन ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(लाखों रुपए)

भाषा/वर्ष	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	आवंटन	जारी की गई राशि	आवंटन	जारी की गई राशि	आवंटन	जारी की गई राशि	आवंटन	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मलयालम	लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं		शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कन्नड़	शून्य	शून्य	55.63	54.54	218.00	218.00	218.00	218.00
तेलुगु	शून्य	शून्य	55.63	54.54	218.00	218.00	218.00	218.00
तमिल	1600.00	1088.98	1200.00	1000.00	928.00	644.44	1800.00	400.00
संस्कृत	14057.47	14057.47	14962.21	14962.21	18355.28	18355.28	20643.00	6068.00

(ग) और (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ कार्यालय-केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर में शास्त्रीय कन्नड़ भाषा के अध्ययन हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए सीआईआईएल को इस मंत्रालय द्वारा निधियां आवंटित की जाती हैं। हालांकि, कर्नाटक सरकार ने इस मंत्रालय से शास्त्रीय कन्नड़ भाषा के उत्कृष्टता अध्ययन केन्द्र को सीआईआईएल, मैसूर से बैंगलुरू स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था।

पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल

1524. श्री विष्णु पद राय : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वीप विकास प्राधिकरण संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार अंडमान और निकोबार दीपसमूह में पनडुब्बी फाइबर केबल को बिछाने के प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रस्ताव के वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति तक प्रारंभ होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजना के कार्यान्वयन मे विलंब के क्या कारण हैं, यदि कोई हों तो?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) योजना आयोग ने अंडमान और निकोबार दीपसमूह (ए एंड एनआई) को ब्रांचिंग केबल के माध्यम से पनडुब्बी ऑप्टीकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ने के लिए अंडमान निकोबार दीपसमूह के प्रशासन को अप्रैल, 2011 में "सैद्धांतिक" अनुमति प्रदान की थी। योजना आयोग ने यह भी निर्णय लिया था कि स्कीम अंडमान निकोबार दीपसमूह के प्रशासन द्वारा लागू की जाएगी।

(ग) से (ङ) स्कीम की समय सीमा के अुनसार, परियोजना को, स्कीम को वित्तीय अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ठेका देने की तिथि से अठारह महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। स्कीम के वित्तीय अनुमोदन के लिए अंडमान निकोबार दीपसमूह प्रशासन ने 07.08.2013 को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ज्ञापन दूरसंचार विभाग को सौंपा जो कि विचाराधीन है।

[हिन्दी]

भारतीय विद्यार्थियों का डाटा बैंक

1525. श्री जगदम्बिका पाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों का डाटा बैंक तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस डाटा बैंक को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों में अध्ययन हेतु प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे दिशा-निर्देश कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक, 2013 में एक उत्प्रवासी प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का उपबंध शामिल है जो छात्रों सहित उत्प्रवासियों के

आंकड़े रखेगा। भारत छोड़ने से पूर्व छात्रों से उत्प्रवास प्रबंधन प्राधिकरण को सूचित करना अपेक्षित होगा।

(ग) जी, नहीं। तथापि, विदेश मंत्रालय समय-समय पर विदेशों में अध्ययन के लिए दाखिला चाहने वाले छात्रों के लिए यात्रा सलाह जारी करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय साक्षरता में गैर-सरकारी संगठन

1526. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मिशन में शामिल गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या सरकार का विचार असंतोषजनक कार्य-निष्पादकता वाले उन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) साक्षर भारत योजना तथा प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना दो ऐसी योजनाएं हैं जिनका कार्यान्वयन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई राज्य-वार/वर्ष-वार वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राज्य संसाधन केन्द्र और जन शिक्षण संस्थान प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना के दो प्रमुख घटक है। वर्ष 2010-13 तथा 2013-14 के दौरान शिक्षण अधिगम/प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने, साक्षरता कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से साक्षरता के कार्यक्रमों के लिए राज्यों को स्वैच्छिक सहायता प्रदान करने में अनिवार्य भूमिका जारी रखने के अतिरिक्त राज्य संसाधन केन्द्रों ने साक्षर भारत कार्यकर्ताओं के उन्मुखीकरण तथा क्षमता निर्माण और साक्षर भारत के कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने सहित अन्य विभिन्न कार्यकलाप किए हैं। जन शिक्षण संस्थानों ने 18.56 लाख व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया। भारत ज्ञान-विज्ञान समिति द्वारा आयोजित साक्षर भारत यात्रा में देश के 22 राज्यों में 187 जिलों में 15000 से अधिक ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

(ग) इस योजना में शामिल गैर-सरकारी संगठनों का राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आंतरिक तथा बाह्य एजेंसियों के माध्यम से आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) समीक्षाओं से यह प्रदर्शित हुआ है कि कार्य निष्पादन की मॉनीटरिंग की प्रणाली में और अधिक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है; वित्तीय मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता है; कर्मचारियों का क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है; सौंपी गई भूमिकाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है; और एनजीओ की गतिविधियों को मांग आधारित तथा योजना के प्रमुख लाभार्थियों के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। इस योजना के कार्यान्वयन में आगे और सुधार करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदमों में शामिल हैं (i) एक वेब आधारित मॉनीटरिंग एवं सूचना प्रणाली तैयार करना; (ii) वार्षिक कार्य योजना को ऑनलाइन प्रस्तुत करना; (iii) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रमाणन की पुनश्चर्या का मानकीकरण; (iv) उनके ग्राहकों से संगत व्यवसायों की पहचान करने के लिए बाजार सर्वेक्षण करना; (v) मानकीकृत लेखन प्रणाली तथा नियमित निष्पादन लेखापरीक्षा की एक संस्थागत प्रणाली आरंभ करना; और (vi) ऐसे व्यवसायों को शामिल करना जो योजना के ग्राहकों से संगत हैं।

(ङ) और (च) जब कभी हटाए जाने अथवा शामिल किए जाने की घटना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के ध्यान में लाई जाती हैं तो वह अनुदान रोकने अथवा संबद्ध संस्थाओं के आबंटन को निरस्त करने सहित समुचित कार्रवाई करता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14) के दौरान प्रौढ़ शिक्षा ब्यूरो द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को जारी निधियां

(रुपए लाख)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी राशि			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (31.07.2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	534.04	608.55	456.77	303.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	85.00	124.93	97.99	50.00
3.	असम	248.21	271.69	246.73	150.92
4.	बिहार	462.72	576.58	475.46	276.15
5.	छत्तीसगढ़	270.86	270.92	182.67	154.61
6.	गोवा	29.59	26.50	14.45	15.00
7.	गुजरात	336.97	364.79	191.11	225.00
8.	हरियाणा	239.20	226.76	225.91	117.15
9.	हिमाचल प्रदेश	98.60	101.56	116.86	44.29
10.	जम्मू और कश्मीर	133.02	120.03	133.56	66.25
11.	झारखंड	208.42	268.42	199.07	115.49
12.	कर्नाटक	380.70	367.01	291.60	173.63
13.	केरल	347.26	335.95	315.64	191.80
14.	मध्य प्रदेश	1150.55	1130.75	1135.41	566.83
15.	महाराष्ट्र	759.21	759.83	406.33	400.00
16.	मणिपुर	90.00	89.39	89.40	44.99
17.	मेघालय	51.37	67.50	79.68	49.84
18.	मिज़ोरम	15.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	30.00	29.99	28.89	14.06

1	2	3	4	5	6
20.	ओडिशा	587.11	604.01	541.09	319.25
21.	पंजाब	59.59	59.78	59.74	30.00
22.	राजस्थान	322.76	376.37	156.93	200.00
23.	तमिलनाडु	398.52	332.74	217.72	214.43
24.	त्रिपुरा	49.81	51.72	54.92	33.52
25.	उत्तर प्रदेश	1639.48	1611.00	1554.63	789.06
26.	उत्तराखंड	215.17	252.74	202.84	119.66
27.	पश्चिम बंगाल	339.62	343.23	169.91	279.79
28.	चंडीगढ़	34.94	34.91	34.76	17.50
29.	दिल्ली	137.01	146.31	148.47	79.04
30.	दादरा और नगर हवेली	29.55	27.63	14.60	15.00
	योग	9284.28	9581.59	7843.13	5056.63

इसके अतिरिक्त, 2011-12 के दौरान 2 राज्यों में साक्षर भारत यात्रा का आयोजन करने के लिए भारत ज्ञान-विज्ञान समिति (बीजीवीएस) को 157.00 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई थी।

अभियोजन हेतु मंजूरी

1527. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीवीसी/सीबीआई द्वारा जांच के पश्चात् दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजना के मामले शुरू करने की मंजूरी प्रदान करने का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन मामलों का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है जहां तीन महीने के बाद अभियोजन की मंजूरी दी गई है;

(ग) तीन महीने के पश्चात् अभियोजन को मंजूरी देने का मंत्रालय-वार औचित्य क्या है; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) प्रत्येक मंत्रालय के संबंध में जारी अभियोजन की मंजूरी की सूचना इस विभाग में केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के समूह 'क' अधिकारियों के संबंध में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है तथा यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी से जुड़े मामलों को निपटाता है। आईएएस, सीएस/सीएएसएस एवं सीबीआई अधिकारियों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई अभियोजन की मंजूरी की संख्या निम्नलिखित है:—

वर्ष	जारी की गई अभियोजन की मंजूरी की संख्या
1	2
2010	21

1	2
2011	18
2012	12

स्वीकृतियों का विवरण संलग्न है।

अधिकांश मामलों में अभियोजन की मंजूरी जारी करने मे तीन माह से अधिक समय लगा।

अभियोजन की मंजूरी में विलंब प्रमुख रूप से विस्तृत संवीक्षा और भारी भरकम केस रिकॉर्डस और साक्ष्य के विश्लेषण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श एवं कई बार संगत दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण हुआ।

(घ) अभियोजन की मंजूरी जारी करने में होने वाले विलंब को समाप्त करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 6 नवंबर, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 399/33/2006-एवीडी-III तथा दिनांक 20 दिसंबर, 2006 के अनुवर्ती कार्यालय ज्ञापन के तहत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें लोक सेवकों के अभियोजन हेतु सीबीआई से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक स्तर पर निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने संबंधी मंत्रियों के समूह ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में भी अभियोजन की मंजूरी के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कुछ सिफारिशें की हैं जिनमें, 3 माह के भीतर ऐसे मामलों पर निर्णय लेना; ऐसे मामलों की मानीटरिंग मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर करना एवं मंत्रिमंडल सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा मंजूरी देने से इंकार किए जाने वाले मामलों में अगले उच्च प्राधिकारी को 7 दिनों के भीतर सूचनार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करना (जहां सक्षम प्राधिकारी मंत्री है वहां ऐसी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की जानी है) शामिल है। मंत्रियों के समूह की उक्त सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है तथा सरकार द्वारा 3 मई, 2012 को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

सरकार ने दिनांक 20 जुलाई, 2012 को एक अन्य अनुदेश जारी किया है जिसमें अपनाई जा रही प्रक्रिया; जैसी स्पष्टीकरण/पुनर्विचार हेतु सीबीआई/सीवीसी के साथ पत्राचार की पुनरावृत्ति से बचने आदि से संबंधित कई मामलों को स्पष्ट करते समय, सभी मंत्रालयों/विभागों को पुन: 6.11.2006 तथा 20.12.2012 के कार्यालय ज्ञापन तथा यथासंशोधित दिनांक 03.05.2012 के कार्यालय ज्ञापन मे समाविष्ट निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने की सलाह दी गई थी।

विवरण

मंजूरी का ब्यौरा

2010

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

क्र. सं.	अधिकारी का नाम, संवर्ग और बैच	मंजूरी की तारीख
1	2	3
1.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईएएस (एजीएमयूटी : 84)	11.02.2010
2.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईएएस (एजीएमयूटी : 84)	12.02.2010
3.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईएएस (एजीएमयूटी : 84)	16.02.2010
4.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईएएस (एजीएमयूटी : 84)	19.02.2010
5.	श्री संजीव कुमार, आईएएस (एचवाई : 85)	22.02.2010
6.	श्री संजीव कुमार, आईएएस (एचवाई : 85)	22.02.2010

1	2	3
7.	श्री संजीव कुमार, आईएएस (एचवाई : 85)	22.02.2010
8.	श्री ए.के. मोनापा, आईएएस (केएन : 92)	24.02.2010
9.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईएएस (एजीएमयूटी : 84)	01.06.2010
10.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईएएस (एजीएमयूटी : 84)	03.06.2010
11.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईएएस (एजीएमयूटी : 84)	04.06.2010
12.	श्री कवादी नरसिम्हा, आईएएस (एजीएमयूटी) : 91)	07.06.2010
13.	श्री जे.एस.एल. वसावा, आईएएस (एएम : 88)	24.06.2010
14.	श्री मनदीप सिंह, आईएएस (पीबी : 91)	06.08.2010
15.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईएएस (एजीएमयूटी : 84)	16.08.2010
16.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईएएस (एजीएमयूटी : 84)	16.08.2010
17.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईएएस (एजीएमयूटी : 84)	16.08.2010
18.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईएएस (एजीएमयूटी : 84)	18.08.2010
19.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, आईएएस (एजीएमयूटी : 84)	19.08.2010
20.	श्री संजीव कुमार, आईएएस (एचवाई : 85)	15.10.2010
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी		
21.	श्री पी.सी. भारद्वाज, अवर सचिव (सीएसएस), योजना आयोग	13.10.2010
	2011	
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी		
1.	डॉ. रवि इंदर सिंह, आईएस (डब्ल्यूबी : 94)	22.01.2011
2.	श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, आईएएस (आरजे : 85)	21.04.2011
3.	डॉ. प्रदीप कुमार, आईएएस (जेएच : 91)	06.08.2011
4.	के. सुरेश आईएएस (एमपी : 82)	19.08.2011
5.	डॉ. प्रदीप कुमार, आईएएस (जेएच : 91)	29.08.2011
6.	श्री राकेश मोहन, आईएएस (एजीएमयूटी : 78)	29.08.2011
7.	श्री शिवा शंकर वर्मा, आईएएस (बीएच : 81)	09.09.2011
8.	श्री देबादित्य चक्रबर्ती, आईएएस (डब्ल्यूबी : 76)	30.09.2011

1	2	3
9.	श्री विनोद कुमार, आईएएस (ओआर : 84)	17.10.2011
10.	श्री विनोद कुमार, आईएएस (ओआर : 84)	17.10.2011
11.	श्री विनोद कुमार, आईएएस (ओआर : 84)	17.10.2011
12.	श्री विनोद कुमार, आईएएस (ओआर : 84)	17.10.2011
13.	श्री विनोद कुमार, आईएएस (ओआर : 84)	14.11.2011
14.	श्री विनोद कुमार, आईएएस (ओआर : 84)	15.11.2011
15.	श्री विनोद कुमार, आईएएस (ओआर : 84)	21.11.2011
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी		
16.	श्री नरेश कुमार, अवर सचिव, सीएसएस	07.03.2011
17.	श्री सुशील कुमार जीवा, अवर सचिव	29.03.2011
18.	श्री सुशील कुमार जीवा, अवर सचिव	29.04.2011
	2012	
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी		
1.	श्री ओ.रवि. आईएएस (जीजे : 83)	25.01.2012
2.	श्री के. सुरेश आईएएस (एमपी : 82)	26.03.2012
3.	श्री के. संथील कुमार, आईएएस (बीएच : 96)	25.06.2012
4.	श्री विनोद कुमार, आईएएस (ओआर : 96)	08.05.2012
5.	श्री विनोद कुमार, आईएएस (ओआर : 96)	26.07.2012
6.	डॉ. प्रशांत कुमार प्रधान, आईएएस (ओरआर : 2000)	03.08.2012
7.	श्री प्रफुल्ल चन्द्रा मिश्रा, आईएएस (ओआर : 1982)	21.11.2012
8.	श्री प्रदीप शुक्ला, आईएएस (यूपी : 81)	30.11.2012
9.	श्री प्रदीप शुक्ला, आईएएस (यूपी : 81)	05.12.2012
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी		
10.	श्री के.वी.एस. रॉव, उप सचिव	24.05.2012
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी		
11.	श्री के.ए.ए. सलाम, डीएसपी, सीबीआई	30.07.2012
12.	श्री एस.एस. अली, डीएसपी, सीबीआई	20.11.2012

निवेश वातावरण

1528. श्री जोस के. मणि : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विनियामक वातावरण निवेश के लिए चुनौती बन रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में मौजूद निवेश वातावरण तथा व्यवसाय विनियम के मूल्यांकन का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति ऐसी बाधाओं का ध्यान रख रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज, जिसे दिसम्बर, 2012 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया, में कई मुद्दों की पहचान की गई है, जो औद्योगिक क्षेत्रक के विकास में बाधा डालते हैं और जिनमें भूमि की उपलब्धता, वित्त की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी गहनता मे कमी, पर्यावरणीय मंजूरियों में देरी, रोजगार सृजन में बाधाएं और त्रृटिपूर्ण व्यवसाय विनियामक वातावरण शामिल हैं।

(ख) और (ग) प्रत्येक राज्य में मौजूदा विनियामक वातावरण भिन्न-भिन्न है और उके कारण निवेश वातावरण की प्रकृति में भी भिन्नता है। इस संबंध में मूल्यांकन राज्यों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, निवेश वातावरण में सुधार करने के लिए, सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ई-बिज मिशन मोड परियोजना के साथ-साथ अनेक उपाय किए हैं।

(घ) और (ङ) 4 नवम्बर, 2011 को अधिसूचित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में व्यवसाय विनियमों के युक्तिकरण और सरलीकरण से संबंधित अनेक मुद्दों का समाधान किया गया है, जिसमें विनिर्माण इकाईयों के लिए भी सरल एवं त्वरित निकास तंत्र शामिल है। राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन (एजआईएमजेड) इस नीति के साधनों में से एक है। इस नीति में एक शासकीय अधिकारी की अध्यक्षता वाले विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) द्वारा शासित किए जाने वाले एमआईएमजेड और/या औद्योगिक समूहों पर विचार किया जाता ह। जहां कहीं संभव हो, एसपीवी को प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अंतर्गत मंजूरी हेतु प्रत्यायोजित शक्तियां प्राप्त हाने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, एनआईएमजेड को स्व-शासित और स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए इस नीति हेतु यह अपेक्षित है कि संविधान के अनुच्छेद 243 थ (1) (ग) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इसे औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित किया जाएगा। यह नीति राज्यों के साथ भागीदारी से औद्योगिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। यह राज्यों का विशेषाधिकार है कि वे नीति में उपलब्ध साधनों को स्वीकार करें।

[हिन्दी]

जीओएम तथा ईजीओएम का निर्णय

1529. डॉ. बलीराम :
श्री हरिभाऊ जावले :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में जून 2013 तक आयोजित मंत्री समूह (जीओएम) तथा शक्तिप्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) की बैठकों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक जीओएम तथा ईजीओएम का गठन तथा विचारार्थ विषय क्या हैं और विचार हेतु लम्बित मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन मुद्दों पर निर्णय लिया गया; और

(घ) उन निर्णयों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) मंत्रि-समूहों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। संबंधित सेवाप्रदाता मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी बैठकें 'यथापेक्षित' आधार पर आयोजित की जाती हैं। अत: संगत डाटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ख) 32 विद्यमान मंत्रि-समूहों/अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूहों में से प्रत्येक की संरचना तथा उनके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 22.05.2009 से विविध प्रकार के विषयों पर गठित 68 मंत्रि-समूहों और 14 अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूहों ने या तो अपनी रिपोर्ट (टें) दे दी है(हैं) अथवा अपने समक्ष प्रस्तुत मुद्दे(द्दों) पर विचार कर लिया है।

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्रि-समूह विविध प्रकार के मुद्दों की जांच-पड़ताल करने और उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत

करने के लिए बनाए जाने है, संबंधित मंत्रालय/विभाग उनकी सिफारिशों/निर्णयों पर भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई करते हैं।

विवरण

भाग-I : मंत्री-समूह (जीओएम)

क्र. सं.	विषय
1	2
1.	जल प्रबंधन के लिए एकीकृत कार्यनीति विकसित करने हेतु मंत्रि-समूह। **संरचना** श्री शरद पवार, कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री; श्री एस. जयपाल रेड्डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री; श्री कमल नाथ, शहरी विकास मंत्री ओर संसदीय कार्य मंत्री; कुमारी शैलजा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री; श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री; श्री हरीश रावत, जल संसाधन मंत्री; श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष योजना आयोग; श्रीमती जयंती नटराजन, पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); श्री भरत सिंह सोलंकी, पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और श्री नमो नारायण, मीण, वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री। **विचारार्थ विषय** (i) बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने तथा पर्यावरणीय सततता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में जल प्रबंधन के लिए एकीकृत कार्यनीति विकसित करना; और (ii) जल संवर्धन, संरक्षण, परिरक्षण तथा उसके इष्टतम उपयोग के उद्देश्यार्थ बनाई गई नीति और कार्यक्रमों में सामंजस्य लाना।
2.	प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए मंत्रि-समूह। **संरचना** श्री ए.के. एंटनी, रक्षा मंत्री; श्री शरद पवार, कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री; श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री; श्री सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री; श्री एम. वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; श्री कमल नाथ, शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री; श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री; कुमारी शैलजा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री; श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री; श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री। **विचारार्थ विषय** प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों पर विचार करना।
3.	नागर विमानन सेक्टर मंत्री:समूह। **संरचना** श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री; श्री एम. वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; श्री अजित सिंह, नागर विमानन मंत्री; और

1	2

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

विचारार्थ विषय

नागर विमानन सेक्टर से संबंधित मुद्दों, जिसमें विमान सेवाओं की वित्तीय स्थिति तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा संभव उपचारात्मक उपाय शामिल हैं, पर विचार करने के लिए मंत्रि-समूह।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर की जा सकने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों का मुद्दा तथा विमानपत्तन भूमि पर निजी भागीदारी से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी यह मंत्रि-समूह विचार करे।

4. राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 पर मंत्रि-समूह।

संरचना

श्री शरद पवार, कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री;

श्री गुलाम नबी आजाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री;

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग; और

श्री श्रीकांत जेना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

विचारार्थ विषय

राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 का अनुमोदन।

5. पावर सेक्टर के मुद्दों पर मंत्रि-समूह।

संरचना

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री एम. वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री;

डॉ. फारुख अब्दुल्ला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री;

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कोयला मंत्री;

1	2

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के विद्युत मंत्री।

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह, पावर सेक्टर के मुद्दों पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अंगीकृत संकल्प के आलोक में, सतत विद्युत विकास के लिए दीर्घावधिक रूपरेखा तैयार करेगा तथा चर्चा में सहायता करने के लिए व्यावसायिकों/विशेषज्ञों को चर्चा से जोड़ेगा तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 'यथापेक्षित आधार' पर उप-समितियां/कार्यबल गठित करेगा।

6. प्रसार भारती की कार्य-प्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए मंत्रि-समूह (जीओएम)।

संरचना

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री एस. जयपाल रेड्डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री;

श्री कमलनाथ, शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री सचिन पायलट, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

विशेष आमंत्रित

श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

विचारार्थ विषय

प्रसार भारती कार्य प्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करना।

यह मंत्रि-समूह।

1	2

(i) सरकार तथा प्रसार भारती के बीच तथा साथ ही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारतीय तथा प्रसार भारतीय बोर्ड के बीच संबंध के मुद्दे की जांच-पड़ताल करेगा; और

(ii) विद्यमान शासन संरचना, विशेषकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसारण व्यवस्थाओं को होस्ट करने के लिए स्थापित किए गए ओवरसाइट मैकेनिज्म की भी जांच करेगा तथा ऐसे उपायों की सिफारिश करेगा जिन्हें शासन संरचना को समुचित रूप से सुदृढ़ करने के लिए लागू किया जा सके।

7. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी संबंधी मंत्रि-समूह (जीओएम)।

संरचना

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री गुलाम नबी आजाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री;

श्री एम. वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री;

श्री कमलनाथ, शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

कुमारी शैलजा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री;

श्री श्रीकांत जेना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

श्रीमती जयंती नटराजन, पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

स्थायी आमंत्रित

भोपाल गैस त्रासदी, राहत और पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार का भारसाधक मंत्री।

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह उपचारी उपायों सहित भोपाल गैस रिसाव से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करेगा और भोपाल गैस पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास के संबंध में समुचित सिफारिशें करेगा।

8. भ्रष्टाचार के निवारण हेतु सरकार द्वारा किए जा सकने वाले उपायों पर विचार करने के लिए मंत्रि-समूह (जीओएम)।

श्री ए.के. एंटनी, रक्षा मंत्री;

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री;

श्री एम. वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री प्रफुल्ल पटेल, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री।

विशेष आमंत्रित

श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

विचारार्थ विषय

(i) भ्रष्टाचार के निवारण और पारदर्शिता में सुधार लाने हेतु विधायी और प्रशासनिक उपायों सहित, सभी उपायों पर विचार करना;

(ii) यह मंत्रि-समूह विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगा और परामर्श देगा:—

(क) चुनावों का राज्य वित्तपोषण;

(ख) भ्रष्टाचार के आरोपी लोक-सेवकों के सभी मामलों पर तीव्रता से कार्रवाई;

(ग) सरकारी प्रापण और संविदाओं, में पूर्ण रूप से पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जिसमें सरकारी प्रापण के मानकों को तैयार करना और प्रापण की एक सरकारी नीति तैयार करना भी शामिल है;

(घ) केन्द्र के मंत्रियों द्वारा उन्हें प्राप्त विवेकाधिकारों का त्याग;

1	2

(ङ) प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए खुली और प्रतिस्पर्धी प्रणाली की शुरूआत;

(च) लोक-सेवकों द्वारा गंभीर कदाचार अथवा बेधड़क भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त कार्यवाही के प्रावधान हेतु संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन; और

(छ) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 69(क) की प्रासंगिकता/आवश्यकता पर विचार करना।

9. कोयला खनन तथा अन्य विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय और विकासात्मक मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रि-समूह।

संरचना

श्री शरद पवार, कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री;

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री;

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कोयला मंत्री;

श्री बेनी प्रसाद वर्मा, इस्पात मंत्री;

श्री दिनशा जे. पटेल, खान मंत्री;

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

श्रीमती जयंती नटराजन, पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह अवसंरचना और खनन संबंधी क्रियाकलापों सहित विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय सरकारों के समाधान से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करेगा और दो महीने के अंदर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:—

(क) वन संबंधी अनुमति के अनुसरण किए जा रहे विद्यमान मानकों तथा प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता तथा वैधता;

(ख) उच्च समेकित पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक वाले क्षेत्रों में स्थिति परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरण संबंधी अनुमति; और

(ग) खनन कार्यों की समाप्ति के बाद समयबद्ध ढंग से बेहतर गुणवत्ता वाले वनों का पुनर्विकास करना सुनिश्चित करने हेतु उठाए जाने वाले कदम।

यह मंत्रि-समूह, विद्यमान कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों अथवा कार्यकारी अनुदेशों में परिवर्तनों, यदि कोई हों, का भी सुझाव देगा।

इस मंत्रि-समूह को, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा अन्य स्टेकहोल्डरों की चिंताओं का ध्यान रखते हुए, नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट को अवस्थित करने तथा इस संबंध में समुचित सिफारिशें करने का भी अधिकार होगा।

10. मीडिया पर मंत्रि-समूह (जीओएम)।

संरचना

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री गुलाम नबी आजाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री;

श्री कमलनाथ, शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री सलमान खुर्शीद, विदेश मंत्री;

श्री मनीष तिवारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

1	2

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह रोजाना एक नियत समय पर बैठक करेगा, उस दिन की घटनाओं का विश्लेषण करेगा, तथा एक नोडल अधिकारी को मीडिया को ब्रीफ करने हेतु उपयुक्त सामग्री तैयार करने हेतु समुचित निर्देश देगा।

11. राष्ट्रमंडल खेल, 2010 पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्टों पर विचार करने और उनके संबंध में सिफारिशें करने हेतु मंत्रि-समूह।

संरचना

श्री ए.के. एंटनी, रक्षा मंत्री;

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री कमल नाथ, शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री;

श्री जितेन्द्र सिंह, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; और

श्री मनीष तिवारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

विशेष आमंत्रित

श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

विचारार्थ विषय

इस मंत्रि-समूह के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगेः—

(क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन और संचालन से संबंधित मुद्दों की जांच-पड़ताल करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्टों में दिए गए निष्कर्षों और सिफारिशों पर भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार तथा उनकी एजेंसियों द्वारा व्यक्त किए गए मतों पर विचार करना और विचार करने के उपरांत, उच्चस्तरीय समिति की विभिन्न सिफारिशों पर एक सुविचारित राय बनाना;

(ख) उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों में से प्रत्येक पर की जाने वाली भावी कार्रवाई की सिफारिश करना, जिसमें इन रिपोर्टों में दर्शाए गए व्यक्तियों/एजेंसियों/ठेकेदारों के विरुद्ध अनुशासनात्मक, आपराधिक तथा दीवानी मुकदमा शामिल होगा; और

(ग) भविष्य में होने वाले ऐसे आयोजनों के संचालन के लिए नीतियों तथा दिशानिर्देशों की सिफारिश करना।

12. कोयला सेक्टर के लिए स्वायत्त विनियामक प्राधिकरण के गठन पर विचार करने के लिए मंत्रि-समूह (जीओएम) — कोयला विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2012 को संसद में पेश करने हेतु अनुमोदन।

संरचना

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, रेल मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कोयला मंत्री;

श्री दिनशा जे. पटेल, खान मंत्री;

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

श्रीमती जयंती नटराजन, पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

विचारार्थ विषय

कोयला सेक्टर के लिए स्वायत्त विनियामक प्राधिकरण के गठन पर विचार करना - कोयला विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2012 को संसद में पेश करने हेतु अनुमोदन।

13. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ)/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के तहत राहत पाने के लिए अपरदन को अर्हक विपदा के रूप में शामिल करने के मुद्दे की जांच करने हेतु मंत्रि-समूह (जीओएम)।

1	2

संरचना

श्री शरद पवार, कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री;

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री सुशील कुमार शिंदें, गृह मंत्री;

श्री एस. जयपाल रेड्डी; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री;

श्री हरीश रावत, जल संसाधन मंत्री;

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

विशेष आमंत्रित

श्री एम. शशीधर रेड्डी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

श्री पबन सिंह घाटोवार, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री;

श्री तरुण गोगोई, मुख्यमंत्री, असम सरकार।

विचारार्थ विषय

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ)/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के तहत राहत पाने के लिए अपरदन को अर्हक विपदा के रूप में शामिल करने के मुद्दे की जांच-पड़ताल करना। यह मंत्रि-समूह एनडीआरएफ/एसडीआरएफ से सहायता प्राप्त करने के लिए अर्हक विपदा की सूची में राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत हीटवेव (ग्रीष्म लहर) को शामिल करने पर भी विचार करेगा।

14. भूमि अर्जन, पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 में शासकीय संशोधनों पर विचार करने के लिए मंत्रि-समूह (जीओएम)।

संरचना

श्री शरद पवार, कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री;

श्री ए.के. एंटनी, रक्षा मंत्री;

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री एम. वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री;

1	2

श्री कमल नाथ, शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री;

कुमारी शैलजा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री;

श्री वी. किशोर चन्द्र देव, जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री;

श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री;

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

विशेष आमंत्रित

श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 में शासकीय संशोधनों पर विचार करेगा।

15. नई मूल्य-निर्धारण स्कीम (एनपीएस) के चरण-III के पश्चात विद्यमान यूरिया इकाइयों के लिए नीति बनाने हेतु मंत्रि-समूह।

संरचना

श्री शरद पवार, कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री;

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री एम. वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री;

श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री;

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

प्रोफेसर के.वी. थॉमस, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

श्री श्रीकांत जेना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

1	2

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह नई मूल्य-निर्धारण स्कीम (एनपीएस) के चरण-III के पश्चात विद्यमान यूरिया इकाइयों के लिए नीति बनाने से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करेगा और अपनी सिफारिशों को शीघ्र अंतिम रूप देगा।

16. राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण गठित करने के लिए मंत्रि-समूह काग गठन।

संरचना

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री व्यालार रवि, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री;

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे; रेल मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री;

कुमारी शैलजा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री;

श्री वी. किशोर चन्द्र देव, जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री;

श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री;

श्री के. रहमान खान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री;

श्री एम.एम. पल्लम राजू, मानव संसाधन विकास मंत्री।

विशेष आमंत्रित

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

श्री के.एच. मुनियप्पा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

श्री एस. रामादोरई, प्रधानमंत्री के सलाहकार, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद्।

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण के गठन संबंधी सभी पहलुओं, जिसमें किसी उपयुक्त मंत्रालय में इसकी अवस्थिति शामिल है, का पुनर्विलोकन करेगा तथा उन पर सिफारिशें करेगा।

17. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की स्कीम के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सभी पारम्परिक देशवासियों को निवासी पहचान पत्र जारी करने के मुद्दे से संबंधित मंत्रि-समूह (जीओएम)।

संरचना

श्री ए.के. एंटनी, रक्षा मंत्री;

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री गुलाम नबी आजाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री;

श्री सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री;

श्री अजित सिंह, नागर विमानन मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

कुमारी शैलजा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री;

श्री प्रफुल्ल पटेल, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री;

श्री वी. किशोर चन्द्र देव, जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री;

श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री;

विशेष आमंत्रित

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

श्री नन्दन नीलेकणि, अध्यक्ष, भारतीय विशिष्ट (यूनीक) पहचान प्राधिकरण;

प्रोफेसर के.वी. थॉमस, उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र) प्रभार);

श्री पबन सिंह घाटोवार, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री।

1	2

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह, सभी संगत मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पारम्परिक देशवासियों को निवासी पहचान पत्र जारी करने के प्रस्ताव संबंधी सभी पहलुओं की जांच-पड़ताल करेगा और शीघ्र अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा।

18. सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में सुधारों पर विशेषज्ञों के पैनल की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक मंत्रि-समूह का गठन।

संरचना

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री एम. वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री;

श्री जी.के. वासन, पोत परिवहन मंत्री;

श्री प्रफुल्ल पटेल, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री;

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कोयला मंत्री;

श्री बेनी प्रसाद वर्मा, इस्पात मंत्री;

श्री दिनशा जे. पटेल, खान मंत्री;

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

विशेष आमंत्रित

श्री ज्यातिरादित्य माधवराव सिंधिया, विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

श्री सचिन पायलट कारपॅरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में सुधारों पर विशेषज्ञों के पैनल की सिफारिशों पर विचार करेगा।

1	2

19. न्यायिककल्प अधिकरणों/आयोगों/विनियामक निकायों आदि के अध्यक्षों तथा सदस्यों की सेवा के संबंध में समान निबंधन व शर्तों के निर्धारण पर विचार करने के लिए मंत्रि-समूह

संरचना

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री कमल नाथ, शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री;

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे; रेल मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री एम.एम. पल्लम राजु, मानव संसाधन विकास मंत्री;

विशेष आमंत्रित

प्रोफेसर के.वी. थॉमस, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

श्रीमती जयंती नटराजन, पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

श्री सचिन पायलट कारपॅरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के आसीन/सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा चलाए जा रहे न्यायिककल्प/विनियामक निकायों/अधिकरणों आदि के लिए आवासीय एवं कार्यालयीय स्थान संबंधी प्रावधानों तथा सेवानिवृत्ति की आयु, नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के कार्यकाल संबंधी शर्तों में एकरूपता संबंधी सभी मुद्दों की जांच-पड़ताल व उन पर विचार, सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करेगा जिनमें उच्चतम न्यायालय के सामने विभिन्न मामलों में उभरे मुद्दे तथा ऐसे निकायों के सुपुर्द किए गए कार्य सम्मिलित हैं।

यह मंत्रि-समूह सभी न्यायिककल्प/विनियामक निकायों/अधिकरणों आदि के लिए आवासीय एवं कार्यालयीय स्थान के आबंटन से

1	2

संबंधित मुद्दों पर भी विचार करेगा जिसमें उन्हें शामिल किया गया है जहां पर ऐसे व्यक्ति हैं जो उच्चतम/न्यायालय/उच्च न्यायालयों के आसीन/सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं हैं।

20. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को पुनरूज्जीवित और पुन:प्रवर्तित करने के मामले पर विचार करने के लिए मंत्रि-समूह।

संरचना

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री;

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

श्री मनीष तिवारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह, अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय और स्ट्रेटेजिक हितों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे उपायों पर विचार करेगा तथा उनकी सिफारिश करेगा, जो भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को पुनरूज्जीवित और पुन:प्रवर्तित करने के लिए लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि में किए जा सकें।

21. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की पुन:संरचना संबंधी मंत्रि-समूह।

संरचना

श्री शरद पवार, कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री;

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री गुलाम नबी आजाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री;

श्री कमल नाथ, शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री;

श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री;

कुमारी शैलजा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री;

श्री वी. किशोर चन्द्र देव, जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री;

श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री;

श्री के. रहमान खान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री;

श्री एम.एम. पल्लम राजू, मानव संसाधन विकास मंत्री।

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

श्री पबन सिंह घाटोवार, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और

श्री भरत सिंह सोलंकी, पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

विचारार्थ विषय

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की पुन:संरचना करना।

22. भारत ग्रामीण आजीविका प्रतिष्ठान (बीआरएलएफ) की स्थापना संबंधी मंत्रि-समूह (जीओएम)।

संरचना

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री;

कुमारी शैलजा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री;

श्री वी. किशोर चन्द्र देव, जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री;

श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री;

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग;

श्रीमती कृष्णा तीरथ, महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

1	2

श्री पबन सिंह घाटोवार, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री;

श्री भरत सिंह सोलंकी, पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह, भारत ग्रामीण आजीविका प्रतिष्ठान (बीआरएलफ) की स्थापना से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगा।

23. मुनक से हैदरपुर तक केरियर लाइंड चैनल (सीएलसी) के निर्माण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने हेतु मंत्रि-समूह (जीओएम।)

संरचना

श्री सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री हरीश रावत, जल संसाधन मंत्री।

विशेष आमंत्रित

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्य मंत्री, हरियाणा।

श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्य मंत्री, राष्ट्री राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह, हरियाणा के मुनक से दिल्ली में हैदरपुर तक कंक्रीट लाइंड चैनल (सीएलसी) के विनिर्माण से बचत होने वाले 80 एमजीडी कच्चे पानी से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगा।

24. केन्द्री अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की स्वतंत्रता और प्रकार्यात्मक स्वायत्तता के लिए एक उपयुक्त विधि पर विचार करने हेतु मंत्रि-समूह (जीओएम)।

संरचना

श्री पी. चिदंबरम, वित्त मंत्री;

श्री सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री सलमान खुर्शीद, विदेश मंत्री;

श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

विचारार्थ विषय

यह मंत्रि-समूह, 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 120 के संदर्भ में तीन सप्ताह के भीतर उच्चतम न्यायालय में दायर किए जाने वाले प्रारूप कानून और प्रारूप हलफनामा तैयार करेगा।

25. विवाह कानून (संशोधन) विधेक, 2010 में शासकीय संशोधनों संबंधी मंत्रि-समूह (जीओएम)।

संरचना

श्री ए.के. एंटनी, रक्षा मंत्री;

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री गुलाम नबी आजाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री;

श्री सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री;

श्री कमल नाथ, शहरी विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

कुमारी शैलजा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री;

श्री वी. किशोर चन्द्र देव, जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री;

श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री;

श्रीमती कृष्णा तीरथ, महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

विशेष आमंत्रित

श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

1	2
	विचारार्थ विषय
	विवाह कानून (संशोधन) विधेयक, 2010 में शासकीय संशोधन।

भाग-II : अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूह (ईजीओएम)

क्र. सं.	विषय
1	2

1. भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी केन्द्रीय उद्यमों में धारित शेयरों के मूल्य बैंड तथा उनकी बिक्री के लिए अंतिम मूल्य तय करने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्रि-समूह (ईजीओएम)

संरचना

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री;

प्रशासनिक मंत्रालय का मंत्री

(उस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से संबंधित, जिसके प्रस्ताव विचारार्थ आते हैं);

श्री प्रफुल्ल पटेल, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री;

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

विचारार्थ विषय

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी केन्द्रीय उद्यमों के धारित शेयरों के मूल्य बैंड तथा उनकी बिक्री के लिए अंतिम मूल्य तय करना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूह को निम्नलिखित के लिए भी अधिदेश दिए गए हैं:—

(i) ऐसे मामले में जहां कोई सार्वजनिक क्षेत्र का केन्द्रीय उद्यम (सीपीएसई) अपने शेयरों को फिर से खरीदने का विनिश्चय करता है वहां निविदत्त किए जाने वाले शेयरों की संख्या और साथ ही मूल्य पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना; और

(ii) सरकार द्वारा धारित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के किसी केन्द्रीय उद्यम के शेयरों की बिक्री विनिवेश विभाग के जरिए किसी दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यम (सीपीएसई) को करने के मामले में शेयरों की कीमत पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।

2. गैस के मूल्य-निर्धारण तथा उसके वाणिज्यिक उपयोग पर अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूह।

संरचना

श्री ए.के. एंटनी, रक्षा मंत्री;

श्री पी. चिदंबरम, वित्त मंत्री;

श्री एम. वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग;

श्री श्रीकांत जेना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

विचारार्थ विषय

अधिकार प्राप्त मंत्रि-समूह एनईएलपी के अंतर्गत गैस के वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित मुद्दों तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करेगा तथा उन पर निर्णय लेगा।

3. अल्ट्रा मेगा पावर परीजनाओं पर अधिकार प्राप्त मंत्रि-समूह।

संरचना

श्री ए.के. एंटनी, रक्षा मंत्री;

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कोयला मंत्री;

1	2

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

श्रीमती जयंती नटराजन, पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

विचारार्थ विषय

अधिकार प्राप्त मंत्रि-समूह अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं से संबंधित सभी मामलों में शीघ्रता से निर्णय लेने में मदद करेगा।

4. मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) पर अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूह (ईजीओएम)।

संरचना

श्री ए.के. एंटनी, रक्षा मंत्री;

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री कमल नाथ, शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री;

श्री प्रफुल्ल पटेल, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री;

विशेष आमंत्रित

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

स्थाई आमंत्रित

उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।	दिल्ली मेट्रो के मामले में।
मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।	दिल्ली मेट्रो के मामले में।
मुख्यमंत्री, कर्नाटक सरकार	बेंगलुरु मेट्रो के मामले में।
मुख्यमंत्री, तमिलनाडु सरकार	चेन्नै मेट्रो के मामले में।
मुख्यमंत्री, केरल सरकार	केरल मेट्रो परियोजनाओं के मामले में।
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	उत्तर प्रदेश मेट्रो परियोजनाओं के मामले में।
मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार	हरियाणा मेट्रो परियोजनाओं के मामले में।
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार	महाराष्ट्र मेट्रो परियोजनाओं के मामले में।
मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार	आंध्र प्रदेश मेट्रो परियोजनाओं के मामले में।
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार	राजस्थान मेट्रो परियोजनाओं के मामले में।

विचारार्थ विषय

यह अधिकार प्राप्त मंत्रि-समूह, केन्द्रीय सरकार के स्तर पर सभी नीतिगत निर्णय लेगा तथा दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता तथा चेन्नै के लिए एमआरटीएस संबंधी सभी परियोजनाओं सहित इन परियोजनाओं की प्रगति की समय-समय पर पुनरीक्षा भी करेगा।

5. स्पैक्ट्रम खाली करने तथा 3जी स्पैक्ट्रम की नीलामी और 22 सेवा क्षेत्रों में 2जी बैंड में लाइसेंस प्रदान करने तथा स्पैक्ट्रम आबंटित करने की जांच करने संबंधी अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूह।

संरचना

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री ए.के. एंटनी, रक्षा मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

श्री सलमान खुर्शीद, विदेश मंत्री;

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

श्री मनीष तिवारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

विचारार्थ विषय

1. (क) नीलाम किए जाने वाले 3जी स्पैक्ट्रम की प्रमात्रा;

1	2
	(ख) वार्षिक स्पैक्ट्रम प्रभार तथा अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार;
	(ग) संगत बैंडों में नीलामी के लिए रिजर्व मूल्य निर्धारित करना;
	(घ) संगत बैंडों में बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम के लिए रिजर्व मूल्य निर्धारित करना;
	(ङ) ईवीडीओ सेवाओं के लिए संगत बैंड में स्पैक्ट्रम के लिए रिजर्व मूल्य निर्धारित करना;
	(च) नीलामीकर्ता को अदा की जाने वाली फीस;
	(छ) समग्र राष्ट्रहित में, देश में मोबाईल टेलिफोनी तथा ब्रॉडबैंड सेक्टरों के विकास के लिए वर्तमान बड़े उपभोक्ताओं जैसे रक्षा, अंतरिक्ष, पैरामिलिट्री, इत्यादि द्वारा समयबद्ध तरीके से पर्याप्त अतिरिक्त स्पैक्ट्रम खाली करने के लिए उपायों की सिफारिश करना;
	(ज) प्रौद्योगिकी उन्नयन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे वर्तमान उपभोक्ताओं के प्रवास के लिए वैकल्पिक फ्रीक्वैंसी बैंड्स/मीडिया की सिफारिश करना;
	(झ) प्रवास को संभव बनाने के लिए ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यक वैकल्पिक प्रणालियां स्थापित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा अपेक्षित संसाधनों का अनुमान लगाना और उनकी पहचान करना तथा उनकी फेजिंग; तथा
	(ञ) अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुसार अन्य सेवाओं हेतु स्पैक्ट्रम खाली करने के लिए स्पैक्ट्रम एफिशिएंट डिजीटल टेरिस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग को जल्दी शुरू करने के लिए उपाय सुझाना।
	2. अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूह 22 सेवा क्षेत्रों में 2 जी बैंड में लाइसेंस प्रदान करने तथा स्पैक्ट्रम आबंटित करने संबंधी निम्नलिखित मुद्दों की जांच-पड़ताल भी करेगा;
	(क) नीलाम किए जाने वाले स्पैक्ट्रम प्रमात्रा;
	(ख) स्पैक्ट्रम के नीलाम किए जाने वाले ब्लॉकों की संख्या तथा उनका आकार;
	(ग) पात्रता मापदंड;
	(घ) संगत बैंडों में नीलामी के लिए रिजर्व मूल्य;

1	2
	(ङ) स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार;
	(च) नीलामीकर्ता को अदा की जाने वाली फीस; तथा
	(छ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की सिफारिशों के आधार पर उठने वाले अथवा नीलामी करने के उद्देश्य से संगत समझे जाने वाले कोई भी अन्य मुद्दे।
	अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूह एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं की ई-नीलामी संबंधी मामले पर भी विचार करेगा। तदनुसार, अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूह के निम्नलिखित अतिरिक्त विचारार्थ विषय होंगे:—
	(i) विद्यमान 800 किलो हर्ट्ज की इंटर-चैनल स्पेसिंग को कम करके 400 किलो हर्ट्ज करने संबंधी दिनांक 19 अप्रैल, 2012 की ट्राई की सिफारिशों के आलोक में नीलामी के लिए चैनलों की कुल संख्या पर पुनर्विचार करना।
	(ii) आरोही ई-नीलामी के निष्पादन के लिए एक ई-नीलामीकर्ता के चयन हेतु "प्रस्ताव हेतु अनुरोध" में यथावश्यक विशिष्ट परिवर्तनों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना;
	(iii) चरण-II में एफएम लाइसेंसधारकों के चरण-III में प्रवास के लिए प्रभार्य फीस, यदि कोई हो, पर विनिश्चय करना; और
	(iv) एफएम चरण-III में विस्तार के अंतर्गत नीलामी/लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकने वाला(ले) अन्य कोई मुद्दा(द्दे)।
	6. सूखा पर अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूह (ईजीओएम)।
	संरचना
	श्री शरद पवार, कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री;
	श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;
	श्री सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री;
	श्री एम. वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री;

1	2

श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री;

श्री हरीश रावत, जल संसाधन मंत्री;

श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

प्रो. के.वी. थॉमस, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

श्री भरत सिंह सोलंकी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)।

विचारार्थ विषय

अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूह, के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:—

(i) सूखा/कम वर्षा के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का नियमित आधार पर मूल्यांकन करना तथा उसे मानीटर करना;

(ii) सूखा/कम वर्षा तथा उससे संबंधित मुद्दों के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतिगत मुद्दों पर निर्ण लेना तथा नई और अभिनव स्कीमों को अनुमोदित करना; तथा

(iii) भारत सरकार की विद्यमान स्कीमों की जांच करना और ऐसे किन्हीं उपयुक्त आशोधनोंरियायतों को प्रदान करने के संबंध में निर्णय करना जो सूखा/कम वर्षा तथा उससे संबंधित मुद्दां के प्रभावी प्रबंधन के लिए अपेक्षित हों।

7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूह (ईजीओएम)।

संरचना

श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री;

श्री सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री;

श्री एम. वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री;

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे; रेल मंत्री;

श्री ऑस्कर फर्नांडीस, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री;

श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री;

1	2

श्री हरीश रावत, जल संसाधन मंत्री;

श्री पबन सिंह घाटोवार, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री;

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

विचारार्थ विषय

यह अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूह उत्तर-पूर्वी राज्यों से प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं एवं अन्य परियोजनाओं और मुद्दों का पुनर्विलोकर करेगा तथा उनके कार्यान्वयन की गति बढ़ाएगा और जहां अपेक्षित हो, वहां संबंधित मंत्रालयों/विभागों को निर्देशन/निदेश प्रदान करेगा।

[अनुवाद]

वियतनाम के साथ भारत के संबंध

1530. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वियतनाम के साथ भारत के संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या चीन को इस पर कतिपय आपत्तियां हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत ने वियतनाम को 100 मिलियन डॉलर की सहायता की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) भारत तथा वियतनाम के बीच घनिष्ठ तथा सौहार्दपूर्ण संबंधों की लंबी परंपरा रही है। हमारे संबंध उन्नत होकर वर्ष 2007 में रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक पहुंच गए थे। इसकी विशेषता राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में बहु-फलकीय तथा बढ़ता सहयोग व आदान-प्रदान है। हमने वर्ष 2012 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ तथा रणनीतिक भागीदारी की 5वीं वर्षगांठ मनाई है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तर के अनेक दौरे हुए हैं। व्यापार तथा निवेश में वृद्धि के साथ ही

आर्थिक संबंधों का विस्तार हुआ है। वर्ष 2012-13 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 6.1 बिलियन डॉलर (अनन्तिम आंकड़े) हो गया है और कृषि प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा खनिज क्षेत्र में वियतनाम में भारतीय निवेश लगभग 790 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तेल के क्षेत्र में भी हमलोगों के बीच निकट सहयोग है। हम वियतनाम में अनेक विकासात्मक तथा क्षमता सृजन परियोजनाओं में संलग्न हैं और हमने वियतनाम के लिए अनेक ऋण श्रृंखलाओं की मंजूरी दी हैं।

(ख) और (ग) चीन ने दक्षिण चीन के समुद्र में तेल तथा गैस की खोज में संलग्न भारतीय कंपनियों के मामले को उठाया है। हमने बताया है कि दक्षिण चीन के समुद्र में भारतीय कंपनियों के कार्यकलाप पूर्णरूपेण व्यावसायिक प्रकृति के हैं और इनका कोई राजनीतिक लक्ष्यार्थ नहीं हैं।

(घ) और (ङ) भारत ने अक्टूबर, 2011 में वियतनामी राष्ट्रपति त्रुओंग तान सांग की भारत यात्रा के दौरान वियतनाम को 100 मिलियन अमरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला का प्रस्ताव दिया है। यह ऋण श्रृंखला भारत से रक्षा आयुधों के प्रापण के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वापिस करना

1531. श्री सुल्तान अहमद : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य सरकार द्वारा "एकमुश्त शुल्क" लगाए जाने के निर्णय के विरोध में किसी सेवा प्रदाता ने अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वापिस किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अतिरिक्त स्पेक्ट्रम रखने हेतु सेवा प्रदाताओं से सरकार द्वारा एकत्र किए गए एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क की राशि कितनी है;

(घ) क्या वर्तमान वर्ष तथा आगामी वर्ष में कोई स्पेक्ट्रम लाइसेंस समाप्त हो रहा है जिसे नवीनीकरण हेतु नीलामी प्रक्रिया से गुजरात होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि. ने दिल्ली तथा मुम्बई सेचा क्षेत्र का छोड़कर सभी सेवा क्षेत्रों में उनके पास 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2.5 मेगाहर्ट्ज + 2.5 मेगाहर्ट्ज से अधिक धारिक स्पेक्ट्रम वापिस करने का प्रस्ताव किया है किन्तु उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों में उन्होंने एकमुश्त शुल्क लगाए जाने के सरकार के निर्णय के विरोध स्वरूप + 3.75 मेगाहर्टज 3.75 मेगाहर्टज से अधिक स्पेक्ट्रम को वापिस कर देने का प्रस्ताव किया है।

(ग) मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि. ने विरोध स्वरूप 62.91 करोड़ रुपए एक मुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क जमा कर दिया है।

(घ)और (ङ) चालू वर्ष में काई भी लाइसेंस समाप्त नहीं होने जा रहा है। तथापि, निम्नलिखित लाइसेंस निम्नानुसार वर्ष 014 में समाप्त होने वाले हैं:—

क्र. सं.	लाइसेंसधारक कंपनी का नाम	सेवा क्षेत्र	लाइसेंस का स्वरूप	लाइसेंस की प्रभावी तारीख	नवीनीकरण की तारीख
1.	भारती एयरटेल लि.	दिल्ली	यूएस	29 नवंबर, 1994	30 नवंबर, 2014
2.	भारती एयरटेल लि.	कोलकाता	यूएस	29 नवंबर, 1994	30 नवंबर, 2014
3.	लूप मोबाइल (इंडिया) लि.	मुंबई	सीएमटीएस	29 नवंबर, 1994	30 नवंबर, 2014
4.	वोडाफोन एस्सार लि.	मुंबइ	यूएस	29 नवंबर, 1994	30 नवंबर, 2014
5.	वोडाफोन एस्सार पूर्व लि.	कोलकाता	यूएस	30 नवंबर, 1994	1 दिसंबर, 2014
6.	वोडाफोन एस्सार मोबाइल सर्विसेज लि.	दिल्ली	यूएस	30 नवंबर, 1994	1 दिसंबर, 2014
7.	एयरसेल सेल्यूलर लि.	चेन्नै	सीएमटीएस	29 नवंबर, 1994	30 नवंबर, 2014*

*मामला न्यायाधीन है।

इसके अतिरिक्त, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के किसी भी चालू लाइसेंस के समाप्त होने पर उन्हें अपने सभी लाइसेंसों के नवीनीकरण/लाइसेंसों के विस्तार के समय उन्हें एकीकृत लाइसेंस प्रणाली में माइग्रेट करवाना होगा और आवश्यकता होने पर स्पेक्ट्रम अलग से प्राप्त करना होगा क्योंकि इसे एकीकृत लाइसेंस से पृथक (डिलिंक) कर दिया गया है।

रेडियोधर्मी कचरे का रिसाव

1532. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठाणे क्रीक में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) से रेडियोधर्मी कचरे का रिसाव हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे रिसाव को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरण और स्वास्थ्य पर रेडियोधर्मी कचरे के रिसाव के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) महोदय, ट्रांबे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की सुविधाओं से ठाणे क्रीक में विकिरणसक्रिय अपशिष्ट पदार्थों का कोई रिसाव नहीं हुआ है! भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की सुविधाओं से ठाणे क्रीक में बहि:स्त्रावों को विसर्जित करने से पूर्व, सभी बहि:स्त्रावों के विकिरण स्तर को परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा निर्धारित कड़ी विनियामक सीमाओं से भली-भांति नीचे लाने के लिए संसाधित किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्दे नजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भिन्न-भिन्न आव्यूहों जैसेकि जल, जीवजात और अवसाद में विभिन्न मानव-निर्मित रेडियोन्यूक्लाइडों का मापन करने के लिए, ठाणे क्रीक में एक पर्यावरणीय निगरानी कार्यक्रम नियमित रूप से चलाया जाता है। विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि, ठाणे क्रीक में विकिरणसक्रियता का स्तर, व्यावहारिक रूप से, प्राकृतिक पृष्ठभूमि में पाए जाने वाले स्तर के समान ही है। अत: भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की सुविधाओं से होने वाले विसर्जन की वजह से आम लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) में मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा

1533. श्री यशवंत सिन्हा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अमरीका परमाणु समझौते में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) देश में कितने नए परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाने के लिए तैयार हैं;

(ग) देश में थोरियम परमाणु रिएक्टर में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) आयातित रिएक्टरों तथा स्वदेशी थोरियम आधारित रिएक्टरों से प्रति मेगावाट बिजली की अनुमानित लागत कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार और भारत सरकार के बीच नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में सहकार के लिए हस्ताक्षर किए गए करार (वर्ष 2008 का) के अनुच्छेद 6(iii) के अनुसरण में, नाभिकीय सामग्री आदि के पुनर्संसाधन अथवा उसके रूप या प्रमात्रा में अन्य परिवर्तन करने संबंधी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के संबंध में एक करार पर 30 जुलाई, 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे। करार के अनुच्छेद 17 के अधीन की गई प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), क्रमश: मीठी विरदी और कोव्वाडा स्थित नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के संबं ध में मैसर्स वैस्टिंगहाउस इलैक्ट्रिक कम्पनी तथा मैसर्स जनरल इलैक्ट्रिक-हिताची के साथ तकनीकी-वाणिज्यिक विचार-विमर्श में लगा हुआ है।

(ख) कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी) के यूनिट-1 ने, 13 जुलाई, 2013 को क्रांतिकता (पहली बार नियंत्रित स्व-पोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का शुरू होना) प्राप्त की है। केकेएनपीपी के यूनिट-2 का काम यूनिट-1 के ठीक पीछे-पीछे किया जा रहा है। पांच अन्य परमाणु विद्युत रिएक्टरों नामत: राजस्थान में रावतभाटा में राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आरएपीएस) यूनिट 7 तथा 8, गुजरात मे ककरापार में ककरापार परमाणु बिजलीघर (केएपीएस यूनिट) 3 तथा 4, तथा तमिलनाडु में कलपाक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट

ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के निर्माण का काम चल रहा है। सरकार ने, रूसी परिसंघ के साथ तकनीकी सहयोग द्वारा कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना यूनिट 3 तथा 4 (2x1000 मेगावाट) की स्थापना के लिए मार्च, 2013 में वित्तीय संस्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ग) भारतीय नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम में थोरियम एक प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। भारतीय नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के प्रारम्भ से ही, थोरियम के उपयोग संबंधी विभिन्न पहलुओं, जैसेकि, थोरियम का खनन और निष्कर्षण, ईंधन का संविरचन, रिएक्टरों में किरणन, पुनर्संसाधन, तथा पुनर्संविरचन आदि के क्षेत्र में कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न किस्म के रिएक्टरों में थोरियम के उपयोग के संबंध में अध्ययन किए गए हैं।

अनुसंधान कार्यक्रम का विवरण

(i) चूर्ण गुटिका मार्ग के माध्यम से थोरियम ईंधन के संविरचन की प्रक्रिया को भली-भांति स्थापित किया गया है। 'सायरस' तथा 'ध्रुव', दाबित भारी पानी रिएक्ट (पीएचडब्ल्युआर), तथा, फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर) की ब्लैंकेट असैम्बलियों के लिए कुछ टन ईंधन तैयार किया गया है। अनुसंधान रिएक्टरों में किरणन के लिए, (थेरियम-प्लूटोनियम के) मिश्रित ऑक्साइडों को काम में लाकर कुछ पिनों का संविरचन किया गया है।

(ii) दाबित भारी पानी रिएक्टर के प्रारम्भिक क्रोडों में थोरियम बंडलों को काम में लाया जाता है। 'सायरस' तथा 'ध्रुव' नामक अनुसंधान रिएक्टरों में थोरियम ईंधन को काम में लाकर प्राप्त किरणन संबंधी अनुभव, परीक्षण के तौर पर किए गए किरणन कार्य संतोषजनक पाए गए हैं।

(iii) 'सायरस' की थोरियम पिनों का पुनर्संसाधन यूरेनियम-233 को प्राप्त करने के लिए किया गया है। प्राप्त किए गए यूरेनियम-233 का संविरचन, कलपाक्कम स्थित 'कामिनी' रिएक्टर के लिए ईंधन के रूप में किया गया है। दाबित भारी पानी रिएक्टर में किरणित थोरिएम बंडलों में से एक की पश्च किरणन जांच, सैद्धांतिक विश्लेषणों के वैधीकरण के लिए की गई है।

(iv) विभिन्न किस्म के रिएक्टरों में ईंधन प्रबंधन, रिएक्टर नियंत्रण तथा ईंधन के उपयोग के संदर्भ में, थोरियम को उपयोग में लाने के संबंध में अध्ययन किए गए हैं।

(v) प्रगत भारी पानी रिएक्टर के लिए एक क्रांतिक सुविधा को वर्ष 2008 में कमीशन किया गया है, और उसका उपयोग, प्रगत भारी पानी रिएक्टर की भौतिकी डिजायन संबंधी विशिष्टताओं को और आगे वैधीकृत करने के लिए परीक्षण करने हेतु किया जाता है।

(vi) 30 किलोवाट क्षमता वाला एक छोटा अनुसंधान रिएक्टर 'कामिनी', जोकि थोरियम के किरणन से प्राप्त यूरेनियम-233 पर आधारित नाभिकीय ईंधन को उपयोग में लाता है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर), कलपाक्कम में प्रचालनरत है।

थोरियम से विद्युत उत्पादन

(i) हालांकि यह सच है कि थोरियम का उपयोग नाथिकीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है, यह ध्यान देने योग्य है कि थोरियम का उपयोग सीधे नहीं किया जा सकता। थोरियम में कोई विखंडनीय आइसोटोप मौजूद नहीं है, अतः इसका उपयोग रिएक्टर में अकेले नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग विखंडनीय सामग्री के साथ मिलाकर किया जा सकता है, जोकि समृद्ध यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा यूरेनियम-233 (थोरियम के किरणन के बाद प्राप्त) में से कोई भी हो सकती है।

(ii) थोरियम न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है, जोकि, तेजी से वृद्धि करने के लिए प्लूटोनियम-यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लाने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अपेक्षाकृत अधिक क्षमता से ज्यादा प्लूटोनियम का उत्पादन कर सकता है। अतः, नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के पहले चरण, अथवा दूसरे चरण के प्रारम्भिक हिस्से में थोरियम का उपयोग करने से, प्रारम्भिक अवधियों में नाभिकीय विद्युत उत्पादन की वृद्धि की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(iii) इन कारणों की वजह से, थोरियम का उपयोग बड़े पैमाने पर करने के कार्य को नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के दूसरे चरण में बाद की अवधि तथा स्थगित किए जाने की आवश्यकता है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के प्रचालन के दौरान इष्टतम समय पर, थोरियम का उपयोग बड़े पैमाने पर करना प्रारम्भ किया जाएगा। भारतीय नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के तीसरे चरण के दौरान, यूरेनियम-233 थोरियम आधारित रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम-233 का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है, जिससे देश को कई शताब्दियों के लिए ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकती है।

(iv) निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियों के व्यापक उपयोग के साथ-साथ, थोरियम के उपयोग संबंधी प्रौद्योगिकियों का समय पर विकास करने और उनके निरूपण के लिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने, प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए एक 300 मेगावाट क्षमता वाले प्रगत भारी पानी रिएक्टर (एएचडब्ल्युआर) का डिजायन तैयार किया है। प्रगत भारी पानी रिएक्टर के निर्माण संबंधी कार्यकलापों को 12वीं योजनावधि में प्रारम्भ कि जाना प्रस्तावित है।

(घ) रुसी परिसंघ के साथ तकनीकी सहयोग से तमिलनाडु में मौजूदा कुडनकुलम स्थल पर, निर्मित की जाने वाली कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी) यूनिट 3 तथा 4 जिनमें से प्रत्येक यूनिट की क्षमता 1000 मेगावाट होगी, की पूर्णता लागत 39,849 करोड़ रुपए (55 रुपए प्रति डालर की विनिमय दर पर) आने की आशा है, और जिसके परिणामस्वरूप इसे पूरा करने की लागत लगभग 20 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट/प्रति स्थापित मेगावाट-ई आएगी। संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिएक्टरों पर आने वाली लागत का पता, इस समय चल रही तकनीकी-वाणिज्यिक बातचीत के पूरा होने के बाद ही चल पाएगा। जैसाकि ऊपर भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है, थोरियम आधारित वाणिज्यिक नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को, भारतीय नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के तीसरे चरण में किए जाने की परिकल्पना की गई है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य का समावेशन

1534. श्री के. सुधाकरण :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीबीएसई पाठ्यक्रम में देश के महान संतों तथा महान व्यक्तियों के सिद्धांतों तथा शिक्षाओं को शामिल करने के लिए कोई कदम उठाया गया है या उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों के पाठ्य-विवरण राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा, 2005 के अनुरूप तैयार किए जाते हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल पाठ्यचर्या में संतों और महापुरुषों के उपदेशों के समावेशन की पैरवी करता है। सीबीएसई के संबद्ध स्कूलों की पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों में प्रख्यात समाज सुधारकों और स्वतंत्रता सेनानियों के विचार बहुतायत में प्रतिबिंबित होते हैं। हाल ही में, सीबीएसई ने-भारत की पंरपरागत ज्ञान प्रथा (ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिस ऑफ इंडिया) पाठ्यक्रम, जो छात्रों को हमारे देश की प्राचीन बुद्धिमत्ता के संबंध में पढ़ाता है, अनुमोदित किया है। इन पाठ्यपुस्तकों की नियमित तौर पर समीक्षा भी की जाती है तथा उनकी विषय-वस्तु का संशोधन अकादमिक समुदाय में उभरने वाली आम सहमति के आधार पर किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आवास क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा देना

1535. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने आवासी क्षेत्र को अवसरंचना का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव पहले अस्वीकार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हो और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) पूरे देश में दो मिलियन सस्ती आवासीय इकाइयों के निर्माण में सहायता देने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें से प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई/धनराशि का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित "अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुव्यवस्थित मास्टर सूची के अंतर्गत संस्थागत तंत्र (आईएम)" की 4थी बैठक के दौरान "अवसंरचना का दर्जा" किफायती आवास क्षेत्र को सौंपे जाने के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के प्रस्ताव को, क्षेत्र के लिए सुरक्षात्मक तंत्रों की स्थापना करने के मुद्दे का पहले निराकरण करने की दृष्टि से अस्वीकार कर दिया था।

संस्थागत तंत्र (आईएम) की 5वीं बैठक मे इस पर विचार किया

था। तथापि, चूंकि किफायती आवास यूनिटों के वास्तविक निर्माण पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त तंत्र विद्यमान नहीं है और "अवसंरचना का दर्जा" स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप मिलने वाली रियायतों आदि का दुरूपयोग होने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया था।

(ग) चूंकि "स्लम" और "कालोनाइजेशन" राज्य के विषय है, इसलिए राज्यों का यह प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे अपने सभी नागरिकों को कम लागत के आवास प्रदान करें। तथापि, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय 1वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दो मिलियन रिहायती रिहायशी यूनिटों का निर्माण करने के लक्ष्य वाली निम्नोक्त योजनाओं से राज्यों की सहायता कर रहा है:—

राजीव आवास योजना (आरएवाई) : स्लम मुक्त भारत का निर्माण करने के सरकार की परिकल्पना को साकार करने के लिए 02.06.2011 से राजीव आवास योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य उन राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना है जो स्लम का पुनर्विकास करने के लिए स्लम निवासियों को बेहतर आश्रय और बुनियादी सिविक और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें संपत्ति अधिकार देने और किफायती आवास स्टॉक का निर्माण करने के इच्छुक हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राजीव आवास योजना के अंतर्गत 1 मिलियन रिहायशी यूनिटों की लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राजीव ऋण योजना (आरआरवाई) : 12वीं योजना के दौरान 1 मिलियन रिहायशी यूनिटों लक्ष्य के साथ ब्याज की रिआयती दर बढी हुई ऋण सीमा सहित पुनर्गठित शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) अथवा राजीव ऋण योजना (आरआरवाई) का प्रस्ताव किया गया है। राजीव ऋण योजना में आवास के स्वामित्व का सुकर बनाने के लिए ऋण के सरणीयन की व्यवस्था है। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने इन योजनाओं के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रालय आवश्यक अनुमोदन के लिए मंत्रीमण्डल को प्रस्ताव भेज रहा है।

(घ) राजीव ऋण योजना को मांग आधारित योजना के रूप में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। राजीव ऋण योजना के लिए राज्य-वार आबंटन, यदि होगा, तो वह मंत्रिमंडल के निर्णय पर निर्भर करेगा।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का मूलभूत सुविधाएं

1536. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री रवनीत सिंह :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री वैजयंत पांडा :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री जगदीश सिंह राणा :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री राजू शेट्टी :
श्री रामसिंह राठवा :
श्री निलेश नारायण राणे :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राज्यों को उनके शहरी क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है/प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश के प्रमुख महानगरों में आवासों के निर्माण के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा शहरी निर्धनों को वहनीय आवास प्रदान करने के लिए किसी कृतिक बल का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विधवाओं, अर्ध-सैनिक बलों तथा अन्यों के लिए यदि हां, तो कितने आवास निर्धारित किए गए है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, नहीं राज्यों को शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को उनके राज्यों में सिविक सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। फिर भी, सरकार ने 65 चुनिंदा शहरों में शहरों गरीबों को उप मिशन बुनियादी सेवाा (बीएलयूपी) के अंतर्गत व अन्य शहरों/नगरों में संघटित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत शहरी गरीबों/स्लम परिवारों को आवास और बुनियादी सेवाएं

मुहैय्या कराने के लिए 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण किशन (जेएनएनयूआरएम) आरम्भ किया है। मिशन की अवधि 2005-06 से 07 वर्ष थी। मार्च, 2012 तक स्वीकृत परियाजनाओं को पूरा करने और सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए जेएनएनयूआरएम को 2 वर्षों (मार्च 2014 तक) के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने स्लम पुनर्विकास के लिए उत्तम आवास और बुनियादी सिविक व सामाजिक सेचाएं और किफायती आवास स्टाक के सृजन के लिए 2.6.2011 को राजीव आवास योजना (रे) के प्रायोगिक चरण आरम्भ किया है। सरकार की राजीव आवास योजना को 12वीं योजना में भी जारी रखने की योजना है ताकि स्लम पुनर्विकास और उनमें अवसरंचना सुधार हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता दी जा सके। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में जेएनएनयूआरएम के बीएसयूपी व आईएचएसडीपी संघटकों के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राजीव आवास योजना के आरम्भ से अब तक राज्य-वार प्रगति संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) बड़े महानगरों में जेएनएनयूआरएम के बीएसयूपी घटक के अंतर्गत निर्मित आवासों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) पारदर्शी मानदंड तैयार करने और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं में किफायती आवासन के लिए अलग से दिशानिर्देश तैयार करने के लिए सरकार ने किफायती आवास संवर्धन पर एक कार्य दल का गठन किया था। किफायती आवास कार्य दल का उद्देश्य किफायती आवास सैक्टर में निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए ढांचा तैयार करना था।

कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तथापि, इसने विधवाओं, अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों व अन्यों के लिए आवासों का निर्धारण करने के लिए कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। कार्य दल ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों को भूमि और निर्मित आवासों के लिए आरक्षण की सिफारिश की है व इस वर्ग में उपरोक्त श्रेणियां भी आ सकती है।

विवरण-I

शहरी गरीबों को बुनियादी सेवा (उप-मिशन-II जेएमएमयूआरएम के अंतर्गत जारी की गई वर्ष-वार केन्द्रीय सहायता)

(1.08.2013 के अनुसार)
(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसीए जारी			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	325.08	197.36	95.02	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.84	0	16.24	
3.	असम	12.26			
4.	बिहार				
5.	छत्तीसगढ़	7.44		22.37	
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	38.28	14.06		
7.	दिल्ली	183.69	116.05	145.00	150.00
8.	गोवा				

1	2	3	4	5	6
9.	गुजरात	158.44	23.41	73.188	7.26
10.	हरियाणा	7.79			
11.	हिमाचल प्रदेश		2.80		
12.	जम्मू और कश्मीर	3.19	10.35	5.23	
13.	झारखंड	37.48			
14.	कर्नाटक	49.97	102.29	16.33	20.12
15.	केरल	50.72	7.46	32.97	
16.	मध्य प्रदेश	56.65	32.73	19.07	12.26
17.	महाराष्ट्र	293.87	313.40	118.08	3.86
18.	मेघालय		10.09	10.09	
19.	मणिपुर		21.95		
20.	मिज़ोरम	7.23	12.80	12.80	6.94
21.	ओडिशा	9.95	7.71	8.47	
22.	पंजाब	9.04		21.09	
23.	पुदुचेरी	1.07	7.01	8.08	
24.	सिक्किम	7.96	6.57	0.70	6.57
25.	नागालैंड	26.40		26.40	
26.	राजस्थान	43.17			
27.	तमिलनाडु	162.36	87.31	163.26	
28.	त्रिपुरा				
29.	उत्तर प्रदेश	284.49	183.98	26.99	
30.	उत्तराखंड	10.61	1.29	2.41	2.85
31.	पश्चिम बंगाल	150.33	289.00	294.99	51.77
	कुल	1938.31	1580.62	1111.52	261.63

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम आईएचएसडीपी के अंतर्गत जारी की गई वर्ष-वार सहायता राशि

1.08.2013 की स्थिति के अनुसार
करोड़ रुपए

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसीए जारी			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	96.71	1.82	68.22	
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.48			
3.	असम			3.71	
4.	बिहार	19.26	24.11	128.16	
5.	छत्तीसगढ़	13.74			
6.	गोवा		0	0.70	
7.	गुजरात	6.46	19.94	54.33	
8.	हरियाणा	19.81	29.20	12.43	6.44
9.	हिमाचल प्रदेश	5.85		7.7	
10.	जम्मू और कश्मीर	5.38	26.75	13.62	
11.	झारखंड	13.94	10.60		
12.	कर्नाटक**	37.84	69.42		
13.	केरल	30.72	13.13	7.60	9.85
14.	मध्य प्रदेश	6.77	18.23	16.43	4.78
15.	महाराष्ट्र	84.06	52.14	260.95	39.17
16.	मणिपुर	5.66	16.02		
17.	मेघालय				
18.	मिज़ोरम		14.89		
19.	नागालैंड				
20.	ओडिशा	4.73	22.80	33.54	4.48

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब	50.46		10.16	
22.	राजस्थान	122.00	4.96	90.87	73.44
23.	सिक्किम			8.96	
24.	तमिलनाडु	70.92	11.59	34.48	
25.	त्रिपुरा	12.36		2.8	
26.	उत्तर प्रदेश	198.20	198.97	4.69	0.43
27.	उत्तराखंड	16.84	17.47	7.55	17.25
28.	पश्चिम बंगाल	34.15	147.58	33.07	
29.	दिल्ली				
30.	पुदुचेरी				
31	अंडमान और निकोबार दीपसमूह				
32.	चंडीगढ़				
33.	दादरा और नगर हवेली	1.44			
34.	लक्षद्वीप				
35.	दमन और दीव चंडीगढ़				
	कुल				

विवरण-II

राजीव आवास योजना (रे) के अंतर्गत कोई अग्रिम आबंटन नहीं किया है। राज्य सकारों को निधियां जारी की गई हैं। वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान रे के अंतर्गत स्वीकृत 55 परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(लाख रुपए)

क्र. सं.	शहर	परियोजना का नाम	परियोजना की कुल लागत	केन्द्रांश
1	2	3	4	5
1.	आगरा	राजीव आवास योजना (रा.आ.यो.) के अंतर्गत आगरा की स्लम मुक्त शहर योजना के अनुसार पता लगाए गए स्लमों के लिए प्रायोगिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)	3769.59	1439.36

1	2	3	4	5
2.	अहमदाबाद	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अहमदाबाद में रमेश दत्त कॉलोनी (924 रिहायशी इकाईयों का निर्माण)	4111.06	1872.00
3.	आईजोल	जुअंगतुई, आईजोल, मिरोजम में राजीव आवास योजना प्रायोगिक परियोजना	1120.01	949.01
4.	अजमेर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत लोहारबस्ती साइट, पसन्द नगर कोत्रा और ईदगाह (चौरसियावास), अजमेर के लिए प्रायोगिक डीपीआर	8511.26	4056.77
5.	अलवर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रताप स्कूल के पीछे बुद्ध विहार और धोबीगट्टा, अलवर के लिए प्रायोगिक डीपीआर	8345.56	3977.79
6.	अम्बाला	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अम्बाला के लिए प्रायोगिक परियोजना	5983.26	2991.63
7.	बंगलौर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत वार्थरहुबली, बंगलौर में सुलीकुंटे गांव, सि.सं. 122 में अवस्थापना समेत 900 आवासों के निर्माण की प्रायोगिक डीपीआर (पुनर्स्थापन)	5709.62	2615
8.	बटाला	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बटाला, पंजाब में तीन स्लमों के स्वस्थाने उन्नयन के लिए प्रायोगिक डीपीआर	683.25	330.15
9.	भरतपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत नमक कटरा स्लम, भरतपुर, राजस्थान के लिए प्रायोगिक डीपीआर	908.01	432.79
10.	भिलाई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत भिलाई में घासीदास नगर स्लम के लिए प्रायोगिक परियोजना	6718.55	3077.11
11.	भोपाल	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पता लगाए 4 स्लमों (1. अर्जुन नगर, 2. झील नगर, 3. शांति नगर और 4. अंबेडकर नगर) भोपाल की प्रायोगिक डीपीआर	7399.77	3363.53
12.	भुवनेश्वर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत महिसाखला स्लम समूहन, भुवनेश्वर के लिए प्रायोगिक परियोजना (स्वस्थाने पुनर्विकास)	3532.33	1515.5
13.	भुवनेश्वर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पठारबंधा समूहन, भुवनेश्वर, की प्रायोगिक डीपीआर	8539.99	3671.91

1	2	3	4	5
14.	भुवनेश्वर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रंगमतिया समूहन सुधार परियोजना, भुवनेश्वर, ओडिशा के लिए प्रायोगिक डीपीआर	4476.61	1820.57
15.	बीकानेर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत भट्टो और ओड्डोकाबास, बीकानेर के लिए प्रायोगिक डीपीआर	1728.04	760.5
16.	बिलासपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अंतर्गत अशोक नगर स्लमों, वार्ड सं. 42, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के लिए प्रायोगिक डीपीआर	3567.23	1634.08
17.	चेन्नई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अतिपट्टू, अम्बातुर, चेन्नई में पुनर्विकास (पुनर्स्थापन) कक्काजी नगर स्लम के लिए प्रायोगिक डीपीआर	8491.8	3472.38
18.	चेन्नई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अतिपट्टू, अम्बातुर, चेन्नई में पुनर्विकास (पुनर्स्थापन) कक्काजी नगर स्लम के लिए प्रायोगिक डीपीआर (चरण-II)	3222.81	1324.92
19.	कटक	राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम क्लस्टर, स्वस्थाने पुनर्विकास, कटक नगर निगम की प्रायोगिक डीपीआर	2583.32	1077.78
20.	ग्वालियर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पता लगाए गए 5 स्लमों (शर्मा फार्म 2, शर्मा फार्म सं. 1, शांति नगर वार्ड सं.21, कैंसर पहाड़ी, महेलगांव की पहाड़ी) की प्रायोगिक डीपीआर	5715.52	2526.36
21.	हुबली-धारवाड़	राजीव आवास योजना के अंतर्गत तुमकर में हुबली-धारवाड़ में अवस्थापना समेत 1072 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए प्रायोगिक डीपीआर	6766.52	3065.78
22.	हैदराबाद	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कैशव नगर स्लम, स्व-स्थाने पुनर्विकास, जीएचएमसी की प्रायोगिक डीपीआर	5874.59	2224.78
23.	इंदौर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पता लगाए गए 6 स्लमों (महादेव नगर, इन्द्रजीत नगर, अन्ना भऊसाठे, चिकित्सक नगर-2, निपनियाग्राम काकड़, अन्ना, 3 भाऊसाठे चिकित्सक नगर-1 और राहुल गांधी नगर (बंजरंग नगर) की प्रायोगिक डीपीआर	8433.55	3728.92
24.	ईटानगर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत चिम्पू गांव, इटानगर शहर में अवस्थापना समेत 576(जी+3) किराया आवासों के निर्माण के लिए प्रायोगिक डीपीआर	4431.20	3872.90

1	2	3	4	5
25.	जबलपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पता लगाए गए 5 स्लमों (1. एमएलबी स्कूल के पीछे 2. सारा पीपर, 3. चौधरी 4. मोहाल 5. रविदास नगर) की प्रायोगिक डीपीआर	3694.58	1673.1
26.	जयपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत किनोनकी धानी, स्लम, जयपुर, राजस्थान के लिए प्रायोगिक डीपीआर	5729.2	2759.97
27.	जयपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत संजय नगर बट्टा बस्ती, चरण-I, जयपुर के लिए प्रायोगिक डीपीआर	9660.97	4469.61
28.	जयपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत जाजपुर, ओडिशा में 15 स्लम समूहनों के लिए प्रायोगिक डीपीआर	4778.70	2078.94
29.	जालंधर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत जालंधर में 9 स्लमों के स्वस्थाने उन्नयन का प्रायोगिक डीपीआर	1259.65	616.01
30.	जोधपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत जोधपुर में नाटिया बस्ती की प्रायोगिक परियोजना	1083.66	536.46
31.	कन्नौज	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कन्नौज में शेखान और बजारिया शेखान स्लमों के स्वस्थाने उन्नयन के लिए प्रायोगिक डीपीआर	1752.57	657.49
32.	कानपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत हरबंश मोहल स्लम सुधार परियोजना के लिए प्रायोगिक डीपीआर	518.31	207.05
33.	कानपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पोखरपूर्वा स्लम सुधार परियोजना के लिए प्रायोगिक डीपीआर	824.76	301.34
34.	कोल्लम	राजीव आवास योजना के अंतर्गत एसएमपी पैलेस कॉलोनी, कोल्लम में प्रायोगिक परियोजना	1785.18	747.18
35.	कोरबा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कोरबा में कुवनभट्टा स्लम के लिए प्रायोगिक परियोजना	1280.53	586.10
36.	कोटा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कोटा में कुवनभट्टा स्लम के लिए प्रायोगिक परियोजना	7166.58	3415.85
37.	लेह	राजीव आवास योजना के अंतर्गत लेह ऑल्ड टाऊन के उन्नयन के लिए प्रायोगिक परियोजना	2221.88	1781.18
38.	लखनऊ	राजीव आवास योजना के अंतर्गत फैज़ल्लागंज वार्ड, लखनऊ में गौर भीत, भारत नगर चमराही, शिवलोकपुर,	2475.35	1075.2

1	2	3	4	5
		दाऊद नगर एवं नयादाऊद नगर नाम पांच स्लमों के स्वस्थाने विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना		
39.	राय बरेली	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पहचानित 4 स्लमों के (1. मुशीगंज, 2. मोहिदीनपुर, 3. शॉह तोला और 4. घोसियाना) के लिए प्रायोगिक डीपीआर	6460.76	2967.07
40.	राय बरेली	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रायबरेली शहर चरण-II के स्लम मुक्त शहर योजना के अनुसार पहचानित स्लमों के लिए प्रायोगिक डीपीआर	5291.01	2337.37
41.	रायपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गतरायपुर शहर में लालगंगा स्लम में स्व-स्थाने पुनर्विकार्स और पुनर्स्थापना के लिए राजीव आवास योजना प्रायोगिक परियोजना	1359.95	608.80
42.	राजकोट	राजीव आवास योजना के अंतर्गत नटराज नगर स्लम वार्ड सं. 12, राजकोट में अवस्थापना, सहित 252 (जी+4) रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए प्रायोगिक परियोजना	1581.25	741.61
43.	रामपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रामपुर के मगजीन मोहल्ला के लिए प्रायोगिक डीपीआर	1367.18	519.63
44.	रोहतक	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रोहतक में 8 स्लमों के स्व-स्थाने आवास एवं अवस्थापना विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना	9589.18	4794.59
45.	सागर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पहचानित 3 स्लमों (किशोर न्यायालय के निकट का स्लम, खुराई बस स्टैंड के पीछे का स्लम और कसाई बस्ती) के लिए प्रायोगिक डीपीआर	3511.32	1502.81
46.	शिमला	राजीव आवास योजना के अंतर्गत शिमला, हिमाचल प्रदेश में कृष्ण नगर स्लम के लिए प्रायोगिक डीपीआर	3399.65	2762.21
47.	सिरसा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत सिरसा के स्थानों (कंगनपूर और पार्क ऑटो बाज़ार) में 2114 रिहायशी इकाईयों के निर्माण हेतु प्रायोगिक परियोजना	9499.90	4481.08
48.	तिरुवनंतपुरम	राजीव आवास योजना के अंतर्गत मत्रिपुरम कॉलोनी, विझिंजम, तिरुवनंतपुरम, केरल के लिए प्रायोगिक डीपीआर	7186.94	3472.53

1	2	3	4	5
49.	त्रिची	राजीव आवास योजना के अंतर्गत त्रिची में करिकालन स्ट्रीट (नडुकोन्डैयम पेट्टेई) के स्व-स्थाने उन्नयन के लिए प्रायोगिक डीपीआर	1721.15	700.08
50.	तुमकूर	राजीव आवास योजना (पुनर्स्थापन) के अंतर्गत दिब्बूर, तुमकूर में अवस्थापना सहित 1200 रिहायशी इकाईयों के निर्माण के लिए प्रायोगिक डीपीआर	6996.48	3243.82
51.	उज्जैन	राजीव आवास योजना के अंतर्गत उज्जैन के पहचानित स्लमों (हरिफतक राजीव नगर, लारपट्टी, मोती नगर, एकता नगर) का प्रायोगिक डीपीआर	7201.74	3273.52
52.	विजयवाड़ा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत विजयवाड़ा म्युनिसिपल कारपोरेशन में राजीव आवास योजना (रे प्रायोगिक परियोजना-I) के अंतर्गत धाल मिल क्षेत्र स्लम का डीपीआर	2013.42	903.33
53.	विजयवाड़ा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत एनएससी बांस नगर स्लम, स्वस्थाने पुनर्विकास, विजयवाड़ा नगर निगम का प्रायोगिक डीपीआर	7617.56	3628.36
54.	विशाखापट्टनम	राजीव आवास योजना के अंतर्गत सूर्य तेजा नगर स्लम, स्व-स्थाने पुनर्विकास, ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम का प्रायोगिक डीपीआर	1131.08	565.54
55.	यमुनानगर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत यमुनानगर — जगाधरी, हरियाणा के 9 स्लमों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने हेतु प्रायोगिक डीपीआर	6036.76	2872.57
	कुल		246820.695	116081.917

विवरण-III

देश में बड़े महानगरों में निर्मित आवासों का ब्यौरा (बीएसयूपी-जेएनएनयूआरएम)

क्र. सं.	महानगर का नाम	संस्वीकृत आवासों की संख्या	निर्माणाधीन आवासों की संख्या	निर्मित आवासों की संख्या	निर्माण शुरू नहीं किए गए आवासों की संख्या	आवंटित आवासों की संख्या	प्रयोग में लाए गए जा रहे आवासों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमदाबाद	33824	1592	32232		24405	21260

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बेंगलुरु	20154	4145	13832	2177	19050	9673
3.	चेन्नई	37491	17720	17879	1892	17879	17879
4.	दिल्ली	78746	17309	61437	7200	585	30059
5.	हैदराबाद	78746	17309	61437		78746	30059
6.	कोलकाता	132922	22998	69531	40393	68267	68267
7.	मुंबई	55291	10004	23815	21472	6507	6507
8.	पुणु	39834	4291	17477	18066	4843	3931
	कुल	477008	95368	297640	91200	220282	187635

विश्वविद्यालयों को विरासत का दर्जा देना

1537. श्री नीरज शेखर :
श्री यशवीर सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कई विश्वविद्यालयों को विरासत का दर्जा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में क्या मानदंड अंगीकार किए गए/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया इस्लामिया को भी विरासत का दर्जा प्रदान किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगा जिन्हें विरासत का दर्जा प्रदान किया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। उन विश्वविद्यालयों को, जिन्होंने अस्तित्व के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, को विशेष विरासत का दर्जा प्रदान करने संबंधी एक संकल्पना नोट, स्कीम को अधिसूचित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा गया है।

(ग) किसी संस्थान को पात्र होने के लिए अपने अस्तित्व के 100 वर्ष या अधिक पूरे किए जाने चाहिए और शैक्षिक के साथ-साथ उनका सेवा क्षेत्रों, विशेषकर कमज़ोर एवं लाभवंचित वर्गों के लिए धर्मार्थ, लोकोपकार तथा लाभ न कमाने के उद्देश्यों से त्रुटिहीन ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

(घ) और (ङ) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (वर्ष 1916 में स्थापित) और जामिया मिलिया इस्लामिया (वर्ष 1920 में स्थापित) ने अभी अस्तित्व के 100 वर्ष पूरे नहीं किए हैं।

(च) और (छ) इस स्कीम में इन विश्वविद्यालयों को 6 करोड़ रुपए से 12 करोड़ रुपए के बीच की राशि का एक बार का एकमुश्त अनुदान देने का प्रस्ताव है।

किराए के मकान संबंधी नीति

1538. श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किराए के मकानों संबंधी कोई नीति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आवासीय किराए के मकानों संबंधी परियोजनाओं के विनियमन हेतु अलग कानून के सुझाव हेतु समिति/पैनल नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस पैनल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो पैनल द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हो; और

(च) सरकार द्वारा पैनल की सभी सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है और समिति की सभी सिफारिशें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, 2007 में विशिष्ट कार्य के लिए किराए के आवास के पहलु शामिल है। राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, 2007 में आवास की मांग और पूति के बीच के अंतर को ध्यान में रखा गया है और इसका प्रयास सबसे अधिक गरीब लोगों को जो कि आवास की समग्र कीमत का भुगतान नहीं कर सकते हैं, उपयुक्त आर्थित सहायता से किराए और स्वामित्व के आधार पर उचित रूप से बेहतर आवास प्रदान करने में सहायता प्रदान करना है।

राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति के अंतर्गत परिकल्पित नीति के अनुसरण में इस मंत्रालय ने राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए "आवासीय किराए के मॉडल का प्रारूप" परिचालित किया है।

(ग) मंत्रालय ने कोटि के किराए के आवासों के स्टॉक को बढाने के साधनों की जांच करने और निजी क्षेत्र को बडे पैमाने पर किराए के आवास की व्यवस्था करने में सक्षम बनाने के लिए "किराए के आवास पर कार्य बल" नियुक्त किया है।

(घ) और (ङ) इस कार्य बल ने भी अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(च) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरसंचार परामर्शदात्री समिति

1539. श्री राजेन गोहैन :

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित राज्यों के विभिन्न जिलों में गठित दूरसंचार परामर्शदात्री समितियों के नामित सदस्यों को जैसा कि अर्हता है, टेलीफोन कनेक्शनों सहित सभी सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न स्तरों पर दूरसंचार परामर्शदात्री समितियों द्वारा दूरसंचार विभाग के कार्यकरण की निगरानी की नीति वापिस लेने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विभाग के कार्यकरण की निगरानी के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) दूरभाष परामर्शदात्री समिति (टीएसी) के अधिकांश नामित सदस्यों को वायरलाइन/प्रीपेड मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं। महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल सहित सर्किल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं। तथापि, कुछ मामलों में निम्नलिखित कारणों से वायरलाइन/प्रीपेड मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जा सके:—

(i) सदस्यों की मर्जी/सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

(ii) टीएसी के कुछ सदस्यों पर पिछली अदायगी बाकी है।

(iii) सदस्यों ने पतो में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया है।

(iv) सदस्यों ने एक टीएसी से अन्य टीएसी में नामांकन परिवर्तन के लिए अनुरोध किया है।

(v) कुछ टीएसी सदस्यों को हाल ही में नियुक्त किया गया है, टेलीफोनों का संस्थापन कार्य प्रक्रियाधीन है।

(ग) दूरभाष परामर्शदात्री समितियों का गठन बीएसएनएल ओर एमटीएनएल के लिए किया जाता है और उनकी भूमिका केवल परामर्श देने की है। उन्हें वापिस लेने की कोई योजना नहीं है। टीएसी का यह कार्य नहीं है कि वह दूसरंचार विभाग के कार्यकरण की निगरानी करे।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	सर्किल का नाम	नामित सदस्यों (माननीय सांसदों सहित) की संख्या	उन सदस्यों की संख्या जिन्हें वायरलाइन/प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन दिए गए हैं	उन सदस्यों की संख्या जिन्हें वायरलाइन/प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन नहीं दिए गए हैं
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	6	6	0
2.	आंध्र प्रदेश	467	401	66
3.	असम	80	67	13
4.	बिहार	317	257	60
5.	छत्तीसगढ़	88	84	4
6.	गुजरात	241	234	7
7.	हरियाणा	188	171	17
8.	हिमाचल प्रदेश	52	46	6
9.	जम्मू और कश्मीर	73	63	10
10.	झारखंड	101	91	10
11.	कर्नाटक	253	198	55
12.	केरल	217	208	9
13.	मध्य प्रदेश	639	584	55
14.	महाराष्ट्र	374	332	42
15.	पूर्वोत्तर-I	21	21	0
16.	पूर्वोत्तर-II	29	27	2
17.	ओडिशा	160	141	19
18.	पंजाब	166	131	35
19.	राजस्थान	336	308	28
20.	तमिलनाडु	239	224	15
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1018	866	152

1	2	3	4	5
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	590	562	28
23.	उत्तराखंड	45	34	11
24.	पश्चिम बंगाल	191	165	26
25.	कोलकाता टेलीफोन	75	75	0
26.	चेन्नै टेलीफोन	75	75	0
27.	एमटीएनएल दिल्ली	1237	998	239
28.	एमटीएनएल मुंबई	231	194	37
	कुल	7509	6563	946

[अनुवाद]

निजी अस्पतालों को भूमि

1540. श्रीमती रमा देवी :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम के नाम क्या हैं जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई है;

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन अस्पतालों में निर्धनों के निःशुल्क इलाज हेतु शर्तों के अनुपालन संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे विभिन्न अस्पतालों तथा नर्सिंग होम के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई है किंतु वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों को निःशुल्क इलाज प्रदान नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) उन निजी अस्पतालों की सूची, जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई है संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) रियायती दरों पर भूमि आवंटित करने का मानदंड यह है कि संस्थान लाभ रहित हो और जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हो।

(ग) और (घ) माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्देशों के अनुसार जीएनसीटीडी के तहत मॉनिटरिंग समिति कार्य कर रही है। गरीबों के निःशुल्क इलाज के लिए माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह समिति प्रति माह ऐसे चार से पांच अस्पतालों का निरीक्षण करती है।

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निःशुल्क इलाज न करने से संबंधित स्वास्थ्य निदेशालय, जीएनसीटीडी में प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है—

प्राप्त शिकायतों की संख्या	—	233
निपटान की गई शिकायतें	—	101
प्रक्रियाधीन	—	132

पट्टा शर्तों के तहत दोषी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसमें कारण बताओ नोटिस, अस्पतालों की पुनः प्रविष्टि तथा आवंटन रद्द करने से संबंधित कार्रवाई शामिल है।

विवरण

दिल्ली में आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर आवंटित भूमि पर स्थित अस्पतालों की सूची

क्र. सं.	संस्था का नाम	स्थान	क्षेत्रफल
1	2	3	4
1.	आरबी जैसा राम अस्पताल	करोल बाग	4840.55 वर्ग मीटर
2.	डॉ बीएल कपूर मेमोरियल अस्पताल	पूसा रोड	5 एकड़
3.	दिल्ली चैसायर होम (हास्पिटल फॉर डिसएबल्ड पर्सन)	ओखला	3.52 एकड़
4.	सुन्दर लाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट	अशोक विहार	3.14 एकड़
5.	अस्थमा एंड ब्रोकाइटिस फाउंडेशन (दिल्ली विश्वविद्यालय)	गौतम नगर	1.38 एकड़
6.	अंशी राम बत्रा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट	तुगलकाबाद	10.50 एकड़
7.	गुजरमल मोदी हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर	साकेत	15 एकड़
8.	मेडम चानन देवी आई हास्पिटल	जनकपुरी	2.075 एकड़
9.	अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट	कडकडडुमा	4840 वर्ग यार्ड
10.	फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजन ढाल चेरिटेबल ट्रस्ट	मसूदपुर	1.84 एकड़
11.	महासती मोहन देवी जैन शिक्षा समिति (भगवान महावीर अस्पताल)	रोहिणी	4048 वर्ग मीटर
12.	खोसला मेडिकल इन्स्टिट्यूट एंड रिसर्च सेन्टर	शालीमार बाग	9680 वर्ग यार्ड
13.	बिरला सेन्टर फॉर मेडिकल रिसर्च	विवेक विहार	3.5 एकड़
14.	जयपुर गोल्डन चैरिटेबल ट्रस्ट	रोहिणी	3.6295 एकड़
15.	दीपक गुप्ता मैमोरियल चेरटिबेल फाउन्डेशन	कडकडडुमा	4840 वर्ग मीटर
16.	लाला मुन्नी लाल मांग राम चेरिटेबल ट्रस्ट	पश्चिम विहार	2.34 हेक्टेयर
17.	मुल्तान सेवा समिति	पीतम पुरा	1590 वर्ग मीटर
18.	वालिया चेरिटेबल ट्रस्ट	मयूर विहार फेस-3	795 वर्ग मीटर
19.	परम शक्ति पीठमंडावली	0.26 एकड़	
20.	युनिक हास्पिटल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट	द्वारका	3.16 हेक्टेयर
21.	सर्वोदय हेल्थ फाउन्डेशन	रोहिणी	1000 वर्ग मीटर

1	2	3	4
22.	शांति मेमोरियल सोसायटी	लाडो सराय	1 हेक्टेयर
23.	दिल्ली ईएनटी हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर (ईएनटी हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर)	जसोला एफसी-33	768 वर्ग मीटर
24.	संत निरंकारी मंडल	धीर पुर	10 एकड़
25.	मधुकर मल्टी स्पेशिलिटी हास्पिटल	गींताजलि	5500 वर्ग मीटर
26.	नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट	ईस्ट ऑफ कैलाश	743.80 वर्ग मीटर
27.	सीता राम भरतिया इंस्टिट्यूट	बी-16, कुतुब	1.46 एकड़ इन्स्टिट्यूशनल एरिया
28.	बाला साहिब गुरुद्वारा	किलोकरी	46274 वर्ग मीटर
29.	महा दुर्गा चेरिटेबल ट्रस्ट	मॉडल टाउन	8000 वर्ग मीटर
30.	जीवोदय हास्पिटल	अशोक विहार	0.84 एकड़ + 337.9 वर्ग यार्ड
31.	मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट	लाजपत नगर	9 एकड़
32.	सर गंगाराम ट्रस्ट सोसायटी	करोल बाग	11.965 एकड़
33.	सेन्ट स्टीफन हास्पिटल सोसायटी	नियर तीस हजारी कोर्ट	3.15 एकड़
34.	दिल्ली हास्पिटल सोसायटी	चाणक्यपुरी	2 एकड़
35.	डॉ. विद्या सागर कौशल्या देवी मेमोरियल ट्रस्ट	नेहरु नगर	3.5 एकड़
36.	आर.वी सेठ एंड जस्सा राम एंड ब्रदर्स	करोल बाग	710.50 वर्ग यार्ड

[हिन्दी]

श्रीलंका का तेहरवां संशोधन

1541. योगी आदित्यनाथ :
श्री सी. शिवासामी :
श्री यशवंत सिंन्हा :
श्री ओ.एस. मणियन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इन रिपोर्टों पर निराशा व्यक्त की है कि श्रीलंका अपने प्रांतों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए अपने संविधान के वादे से पीछे हटने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को श्रीलंकाई सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (घ) हाल मे रिपोर्टें आई है कि श्रीलंका के संविधान में प्रांतीय परिषदों के कार्यकरण सं संबंधित कुछेक प्रावधानों में श्रीलंका सरकार द्वारा संशोधन किए जाने की योजना है।

भारत ने काफी समय से श्रीलंका में एक ऐसा माहौल सृजित

करने का समर्थन किया है, जहां सभी समुदाय के लोग, विशेषत: श्रीलंकाई तमिल एक संयुक्त कार्यढांचे के दायरे में अपने स्वयं के भाग्य-विधाता हों। हमारा उद्देश्य श्रीलंका में तमिल समुदाय के लिए एक ऐसा भविष्य सुनिश्चित करता रहा है, जिसमें समानता, सम्मान, न्याय एवं आत्म-सम्मान हो। इस संदर्भ में, श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन को लागू किए जाने तथा इससे आगे की कार्रवाई की उनकी कथित प्रतिबद्धता के संदर्भ में भारत श्रीलंका सरकार के साथ सर्वोच्च स्तरों पर बातचीत करता है, ताकि शक्तियों के सार्थक हस्तान्तरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

1542. श्री बलीराम जाधव :
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) इस मंत्रालय में देश में कार्य कर रही अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, 30.06.2013 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा अल्पसंख्यक संस्थाओं की जारी अल्पसंख्यक स्थिति प्रमाणपत्र (एमएससी) की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, अधिनियम 2004 के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं की स्वायत्तता सुदृढ़ करने सहित उनसे संबंधित मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) गठित किया है।

विवरण

एसएससी की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	जारी एमएससी की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	7
2.	आंध्र प्रदेश	153
3.	अरुणाचल प्रदेश	20
4.	असम	189
5.	बिहार	91
6.	चंडीगढ़	14
7.	छत्तीसगढ़	185
8.	दादरा और नगर हवेली	4
9.	दमन	1
10.	दिल्ली	174
11.	गोवा	159
12.	गुजरात	30
13.	हरियाणा	101
14.	हिमाचल प्रदेश	23
15.	झारखंड	60
16.	कर्नाटक	170
17.	केरल	3495
18.	मध्य प्रदेश	271
19.	महाराष्ट्र	143
20.	मणिपुर	35
21.	मेघालय	6
22.	ओडिशा	81
23.	पुदुचेरी	20
24.	पंजाब	82
25.	राजस्थान	89
26.	सिक्किम	17

1	2	3
27.	तमिलनाडु	129
28.	त्रिपुरा	11
29.	उत्तर प्रदेश	1741
30.	उत्तराखंड	86
31.	पश्चिम बंगाल	674
	कुल	8261

हज समितियां

1543. श्रीमती कमला देवी पटले :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र कौन-से हैं जहां हज समितियां मौजूद हैं और वे राज्य कौन-से हैं जहां अभी इन समितियों का गठन किया जाना है;

(ख) ऐसी समितियों के गठन में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि कुछ राज्यों में ये समितियां केवल कागजों पर मौजूद हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें प्रभावी बनाए जाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जहां राज्य हज समितियां (SHCs) विद्यमान है:–

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल।

वैसे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जहां पर राज्य हज समितियां गठित की जानी हैं:–

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा पुदुचेरी।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हज समितियां, हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार गठित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा संबद्ध राज्य सरकारों को राज्य हज समितियां गठित करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं।

(ग) रिकार्ड के अनुसार, ऐसी कोई राज्य हज समिति नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मलिन बस्ती निवासियों को मूलभूत सुविधाएं

1544. कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री महेश जोशी :
श्री महाबली सिंह :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में विशेषकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा अन्य प्रमुख शहरों में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत अवसंरचना सुविधाएं यथा सीवरेज, विद्युत, जल आदि सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। सरकार ने 3 दिसंबर, 2005 को जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है जिससे शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) नामक उप मिशन के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित देश में 65 चुनिन्दा शहरों में तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों और कस्बों में शहरी गरीबों/स्लम वासियों के लिए आवास और अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है। इस मिशन की कार्य अवधि 2005-06 से 7 वर्ष के लिए थी। जेएनएनयूआरएम की कार्य अवधि को अब मार्च, 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने और सुधारों के क्रियान्वयन के लिए 2 वर्षों (मार्च, 014 तक) तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने स्लमों का पुनर्विकास करने के लिए बेहतर आश्रय और बुनियादी नागरिक और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने तथा किफायती आवास स्टॉक का निर्माण करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके "राजीव आवास योजना"

(आरएवाई) शुरू की है। सरकार ने स्लभों का पुनर्विकास करने और उनकी अवसंरचना में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए राजीव आवास योजना को 12वीं योजना में जारी रखने की योजना बनाई है।

(ख) और (ग) जेएनएनयूआरएम के घटक बीएसयूपी के अंतर्गत प्रमुख शहरों को आबंटित निधियों के शहर-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। राजीव आवास योजना के अंतर्गत आबंटित शहर-वार निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

फंड जेएनएनयूआरएम की बीएसयूपी घटक के तहत प्रमुख शहरों में पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक और वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित

लाख रुपए

क्र. सं.	राज्य	शहर	2010-11	2011-12	2012-13	चालू वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	13,666.54	13,481.78	7,106.49	
2.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	1,814.63		2,111.87	
3.	आंध्र प्रदेश	विजयवाडा	9,119.77	1,224.70		
4.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	7,906.21	5,028.34	285.22	
5.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	83.90		1,624.49	
6.	असम	गुवाहाटी	1,226.04			
7.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	3,827.69	14,490.00		
8.	छत्तीसगढ़	रायपुर	744.34		4,865.91	
9.	दिल्ली	दिल्ली	18,369.17	11,604.34	14,500.38	15,295.00
10.	गुजरात	अहमदाबाद	5,167.69		593.28	
11.	गुजरात	पोरबंदर			1,562.26	
12.	गुजरात	राजकोट			1,146.53	
13.	गुजरात	सूरत	7,890.29	2107.60	1,140.87	709.87
14.	गुजरात	वडोदरा	2,785.87	233.47	2,150.08	15.94
15.	हरियाणा	फरीदाबाद	779.46			
16.	हिमाचल प्रदेश	शिमला		280.30		
17.	जम्मू	जम्मू	318.94	1,034.89	30.76	

1	2	3	4	5	6	7
18.	जम्मू	श्रीनगर			492.25	
19.	झारखंड	धनबाद	308.88			
20.	झारखंड	जमशेदपुर	1,619.75			
21.	झारखंड	रांची	1,819.69			
22.	कर्नाटक	बैंगलोर	2,533.22	5,076.16	681.85	1,491.08
23.	कर्नाटक	मैसूर	2,463.74	5,152.59	951.91	521.08
24.	केरल	कोचि	2,554.46			
25.	केरल	तिरुवनंतपुरम	2,517.36	745.88	3,296.78	
26.	मध्य प्रदेश	भोपाल	3,502.26	556.41	194.34	909.79
27.	मध्य प्रदेश	इंदौर	1,499.40	1,941.40	737.70	
28.	मध्य प्रदेश	जबलपुर		775.38	775.38	317.00
29.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	663.20		198.97	
30.	महाराष्ट्र	नागपुर	926.70			
31.	महाराष्ट्र	नांदेड़-वाघला	11,704.71	14,203.09	10,866.44	
32.	महाराष्ट्र	नासिक	1,583.59	1508.16	276.93	
33.	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	5,785.09	8,647.19	3,556.64	
34.	महाराष्ट्र	पुणे	9,3876.46	5,285.32	1,922.65	386.24
35.	मणिपुर	इंफाल		2,195.58		
36.	मेघालय	शिलांग		1,008.81	1,008.81	
37.	मिज़ोरम	आइजोल	722.81	1,279.99	1,279.99	694.00
38.	नागालैंड	कोहिमा	2,640.12		2,640.11	
39.	ओडिशा	भुवनेश्वर	994.97	770.56	677.92	
40.	ओडिशा	पुरी			168.69	
41.	पुदुचेरी (यूटी)	पुदुचेरी	106.37	701.28	807.65	
42.	पंजाब	अमृतसर	71.87		799.58	
43.	पंजाब	लुधियाना	831.77		1,309.53	

1	2	3	4	5	6	7
44.	राजस्थान	अजमेर	2,114.20			
45.	राजस्थान	जयपुर	2,202.67			
46.	सिक्किम	गंगटोक	796.25	656.61	69.80	656.61
47.	तमिलनाडु	चेन्नई	9,401.50	5,730.34	9,743.67	
48.	तमिलनाडु	कोयंबटूर	3,565.62	2,246.63	3,131.30	
49.	तमिलनाडु	मदुरै	3,268.07	754.37	3,451.18	
50.	उत्तर प्रदेश	आगरा	4,542.38	4,564.50		
51.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	753.71	532.01		
52.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	6,987.49	2,607.05	424.75	
53.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	1,672.10	1,078.78	2,274.11	
54.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	3,883.57	3,529.43		
55.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	7,828.97	4,512.17		
56.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	2,781.34	1,574.12		
57.	उत्तराखंड	देहरादून	814.38	56.42	55.39	213.47
58.	उत्तराखंड	हरिद्वार	72.40	72.40		72.39
59.	उत्तराखंड	नैनीताल			185.65	
60.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	1,892.90	6,000.34	3,212.39	
61.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	13,139.42	22,900.19	26,286.55	5,176.74

विवरण-II

आरएवाई के अंतर्गत 19 जनवरी, 2012 को सम्पन्न हुई सीएसएमसी की दूसरी बैठक के आठ पायलट परियोजनाओं का सारांश

क्र. सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	कुल केन्द्रीय अंशदान	कुल राज्य अंशदान	पहली किस्त (केन्द्रीय अंशदान का 1/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	राजीव आवास योजना के अंतर्गत केशव नगर की प्रायोगिक डीपीआर, स्वस्थाने पुनर्विकास, जीएचएमसी	5874.59	2224.78	3649.81	741.59

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अभिज्ञात किए गए 6 स्लमों [महादेव नगर, इन्द्रजीत नगर, अन्ना भा ऊ साथे चिकित्सक नगर-2, निपणय ग्राम काकाडा, अन्ना भा ऊ साथे चिकित्सक नगर-1 और राहुल गांधी नगर (बजरंग नगर)] की प्रायोगिक डीपीआर	8433.55	3728.92	4704.63	1242.85
3.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अभिज्ञात किए गए 4 स्लमों [1 एमएलबी स्कूल के पीछे, 2 सार्रा पीपर, 3 चौधरी मोहाली और 4 रवि दास नगर] की प्रायोगिक डीपीआर	3694.58	167.31	2021.48	557.65
4.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अभिज्ञात किए गए 5 स्लमों [शर्मा फार्म 2, शर्मा फार्म 1, शांति नगर वार्ड नंबर 21, केंसर पहाडी मेलेगांव की पहाडी] की प्रायोगिक डीपीआर	5715.52	2526.36	3189.16	842.03
5.	मध्य प्रदेश	सागर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अभिज्ञात किए गए 3 स्लमों [किशोर नयालय के पीछे का स्लम, खुराई बस स्टेंड के पीछे का स्लम और कसाई बस्ती] की प्रायोगिक डीपीआर	3511.32	1502.81	2008.51	500.89
6.	केरल	तिरुवनंतपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत माथी पुरम कालोनी, विझिंजाम, तिरुवनंतपुरम, केरल की प्रायोगिक डीपीआर	7186.94	3472.53	3472.53	1157.39
7.	ओडिशा	भुवनेश्वर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रंगामटिया समूह सुधार परियोजना, भुवनेश्वर, ओडिशा की प्रायोगिक डीपीआर	4476.61	1820.57	2656.04	606.86
8.	राजस्थान	जयपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत जयपुर, राजस्थान की प्रायोगिक डीपीआर	5729.2	2759.97	2969.23	919.91
कुल	5 राज्य	8 शहर	8 प्रायोगिक डीपीआर	44622.31	19709.04	24671.39	6569.10

राजीव आवास योजना के अंतर्गत अपफ्रंट आबंटन नहीं किया है। राज्य सरकारों को निधियां जारी की गई हैं। वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान आरएवाई के अंतर्गत स्वीकृत 55 परियोजनाओं के शहर-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	आवासीय यूनिटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आगरा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत आगरा स्लम मुक्त शहर की पायलट डीपीआर।	3769.59	1439.36
2.	अहमदाबाद	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अहमदाबाद में रमेश दत्त कॉलोनी का यथास्थाने पुनर्विकास (924 आवासों का निर्माण) और जदीबा नगर-इंदिरानगर (163 आवासों का निर्माण) के लिए प्रायोगिक परियोजना।	4111.06	1872.00
3.	आईजोल	जुअंगतुई, आईजोल, में राजीव आवास योजना पायलट परियोजना।	1120.01	949.01
4.	अजमेर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत लोहार बस्ती स्थल, पसंद नगर कोटरा और ईदगाह (चौरसिया वास) की पायलट डीपीआर।	8511.26	4056.77
5.	अलवर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बुध विहार, प्रताप स्कूल के पीछे और धोबीगट्टा अलवर के लिए पायलट डीपीआर।	8345.56	3977.79
6.	अम्बाला	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अम्बाला में 48 स्लमों के विकास की पायलट परियोजना।	5983.26	2991.63
7.	बेंगलुरु	राजीव आवास योजना के अंतर्गत (अन्यत्र बसाने वर्धुर हुबली, बंगलौर) में सुलीकुंटे गांव, सि. नगर 22 में अवसंरचना सहित 900 घरों के निर्माण की पायलट डीपीआर।	5709.62	2615
8.	बटाला	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बटाला, पंजाब में तीन स्लमों के यथास्थाने उन्नयन के लिए पायलट डीपीआर।	683.25	330.15
9.	भरतपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत नमक कटरा स्लम, भरतपुर, राजस्थान के लिए पायलट डीपीआर।	908.01	432.79
10.	भिलाई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत घासीदास नगर, स्लम भिलाई में।	6718.55	3077.11

1	2	3	4	5
11.	भोपाल	राजीव आवास योजना के अंतर्गत भोपाल में निर्माण के लिए 4 स्लमों (1) अर्जुन नगर, 2. झील नगर, 3. शांति नगर और 4. अंबेडकर नगर) का पायलट डीपीआर।	7399.77	3363.53
12.	भुवनेश्वर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत भुवनेश्वर, महिसाखला स्लम क्लस्टर (स्वस्थाने के लिए पुनर्विकास) पायलट परियोजना।	3532.33	1515.5
13.	भुवनेश्वर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पत्थरबंध स्लम क्लस्टर, भुवनेश्वर के लिए डीपीआर।	8539.99	3671.91
14.	भुवनेश्वर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत पाथरभंडा आरएवाई रंगा माटिया स्लम सुधार परियोजना, भुवनेश्वर, ओडिशा के लिए डीपीआर (प्रायोगिक परियोजना)।	4476.61	1820.57
15.	बीकानेर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बीकानेर में भट्टो एवं औडो का वास के लिए प्रायोगिक डीपीआर।	1728.04	760.5
16.	बिलासपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आरएवाई अशोक नगर स्लम, वार्ड सं. 42, बैसपुर के अंतर्गत प्रायोगिक डीपीआर।	3567.23	1634.08
17.	चेन्नई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत चेन्नई में काकाजी नगर स्लम अथीपट्टू, अम्बातुर, पुनर्वास (पुनर्स्थापन; के लिए प्रायोगिक डीपीआर।	8491.8	3472.38
18.	चेन्नई	राजीव आवास योजना के अंतर्गत अथिपट्टू, अम्बातुर, चेन्नै के कक्काजी नगर स्लम का पुनर्विकास (पुनवसीवर) के लिए प्रायोगिक।	3222.81	1324.92
19.	कटक	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कटक नगर निगम में 10 स्लम क्लस्टरों का स्वस्थाने पुनर्विकास की प्रायोगिक डीपीआर।	2583.32	1077.78
20.	ग्वालियर	आरएवाई के अंतर्गत 5 निर्धारित स्लमों (शर्मा फार्म-2, शर्मा फार्म संख्या-1, शांति नगर वार्ड संख्या 21, कैंसर पहाड़ी, महिल गांव की पहाड़ी) की पायलट डीपीआर।	5715.52	2526.36
21.	हुबली-धारवाड़	आरएवाई के अंतर्गत तुमकर में हुबली धारवाड में अवस्थापना सहित 1072 रिहायशी इकाईयों के निर्माण का पायलट डीपीआर।	6766.52	3065.78
22.	हैदराबाद	आरएवाई के अंतर्गत कैशवनगर स्लम, स्व-स्थाने पुनर्विकास, जीएचएमसी का पायलट डीपीआर।	5874.59	2224.78

1	2	3	4	5
23.	इंदौर	आरएवाई के अंतर्गत 6 निर्धारित स्लमों (महादेव नगर, इन्द्रजीत नगर, अन्ना भाउ शाटे चिकित्सक नगर-2, निपनिया ग्राम काकड, अन्ना भाउ शाटे चिकित्सक नगर-1 एवं राहुल गांधी नगर, बंजरंग नगर) की पायलट डीपीआर।	8433.55	3728.92
24.	ईटानगर	ईटानगर शहर के अंतर्गत चिपूंगांव में अवसंरचना सहित 576 (जी+3) किराया आवासों का निर्माण।	4431.20	3872.90
25.	जबलपुर	आरएवाई के अंतर्गत 4 निर्धारित स्लमों (1. एमएलबी स्कूल के पीछे 2. सारा पीपर, चौधरी मोहल्ला 4. रविदास नगर)।	3694.58	1673.1
26.	जयपुर	आरएवाई के अंतर्गत किरण की धानी, स्लम, जयपुर, राजस्थान के लिए पायलट डीपीआर।	5729.2	2759.97
27.	जयपुर	आरएवाई के अंतर्गत संजय नगर बाटा बस्ती, फेस-I, जयपुर के लिए पायलट डीपीआर।	9660.97	4469.61
28.	जयपुर	आरएवाई के अंतर्गत जयपुर, ओडिशा में 15 स्लम समूहों के लिए पायलट डीपीआर।	4778.70	2078.94
29.	जालंधर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत जालंधर में 9 स्लमों के यथास्थाने उन्नयन के लिए पायलट डीपीआर।	1259.65	616.01
30.	जोधपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बस्ती, जोधपुर की प्रायोगिक परियोजना	1083.66	536.46
31.	कन्नौज	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कन्नौज में यथास्थाने शेखाना और बजरिया शेखाना स्लमों के लिए पायलट डीपीआर।	1752.57	657.49
32.	कानपुर	आरएवाई के अंतर्गत हरवंश मोहल स्लम सुधार परियोजना के लिए पायलट डीपीआर।	518.31	207.05
33.	कानपुर	आरएवाई के अंतर्गत पोखर पूर्व सुधार परियोजना के लिए पायलट डीपीआर।	824.76	301.34
34.	कोल्लम	राजीव आवास योजना के अंतर्गत एसएमपी प्लेस कॉलोनी, कोल्लम में प्रायोगिक परियोजना।	1785.18	747.18
35.	कोरबा	आरएवाई के अंतर्गत कोरबा में कुवन भाटा स्लम परियोजना के लिए पायलट डीपीआर।	1280.53	586.10

1	2	3	4	5
36.	कोटा	राजीव आवास योजना के अंतर्गत कोटा में किराये स्वामित्व आवासीय योजना के लिए पायलट डीपीआर (मोहनलाल सुखाडिया आवासीय स्कीम विस्तार)।	7166.58	3415.85
37.	लेह	आरएवाई के अंतर्गत लेह ओल्ड टाउन उन्नयन के लिए पायलट डीपीआर।	2221.88	1781.18
38.	लखनऊ	राजीव आवास योजना के अंतर्गत फैजुल्लाहगंज वार्ड, लखनऊ गौड भीत, भारत नगर चमराही, शिवलोकपुर, दाऊद नगर एवं नया दाउद् नगर नामक 5 स्लमों के यथा स्थाने विकास के लिए पायलट डीपीआर।	2475.35	1075.2
39.	राय बरेली	आरएवाई के अंतर्गत रायबरेली में 4 निर्धारित स्लमों (1. मुशीगंज, 2. मोहिदिनपुर, 3. शाहटोल एवं 4. गोसियाना) के लिए पायलट डीपीआर।	6460.76	2967.07
40.	राय बरेली	आरएवाई के अंतर्गत रायबरेली सिटी फेज-2 के स्लम मुक्त शहर योजना के अनुसार निर्धारित स्लमों के लिए पायलट डीपीआर।	5291.01	2337.37
41.	राय बरेली	रायपुर सिटी में लालगंजगा स्वस्थाने पुनर्विकार्स और पुनर्स्थापना के लिए पायलट परियोजना।	1359.95	608.80
42.	राजकोट	आरएवाई के अंतर्गत नटराज नगर स्लम वार्ड सं. 12, राजकोट में अवस्थापना 252 (जी+4) डीयू के निर्माण के लिए पायलट परियोजना।	1581.25	741.61
43.	रामपुर	राजीव आवास योजना के अंतर्गत रामपुर के मैगजीन मोहल्ला सुधार परियोजना के लिए पायलट डीपीआर।	1367.18	519.63
44.	रोहतक	आरएवाई के अंतर्गत रोहतक में 8 स्लमों के स्वस्थाने आवास और अवस्थापना विकास का पायलट परियोजना।	9589.18	4794.59
45.	सागर	आरएवाई के अंतर्गत निर्धारित तीन स्लम (किशोर न्यायालय के नजदीक स्लम, खुराए बस स्टैंड के पीछे स्लम और कसाई बस्ती) का पायलट डीपीआर।	3511.32	1502.81
46.	शिमला	आरएवाई के अंतर्गत शिमला, में कृष्ण नगर स्लम हिमाचल प्रदेश के लिए पायलट डीपीआर।	3399.65	2762.21
47.	सिरसा	आरएवाई के अंतर्गत सिरसा में दो जगहों में (कंकगनपुर और पार्क ऑटो मार्केट के नजदीक) 2114 डीयू के निर्माण के लिए पायलट डीपीआर।	9499.90	4481.08

1	2	3	4	5
48.	तिरुवनंतपुरम	आरएवाई के अंतर्गत मातीपुरम कॉलोनी, विझिजम, त्रिवेन्द्रपुरम के लिए पायलट डीपीआर।	7186.94	3472.53
49.	त्रिची	आरएवाई के अंतर्गत त्रिची में करिकालन स्ट्रीट (नडुकोन्डयम पेट्टय) के स्वस्थाने उन्नयन के लिए पायलट डीपीआर।	1721.15	700.08
50.	टुमकर	आरएवाई के अंतर्गत डीब्बूर, ट्रमकोर में अवस्थापना सहित 1200 डीयू के निर्माण का पायलट डीपीआर।	6996.48	3243.82
51.	(पुनर्स्थापना)	उज्जैन	7201.74	3273.52
52.	विजयवाडा	विजयवाड़ा, नगर निगम में रे के अंतर्गत (रे पायलट परियोजना-I) धाल मिल स्लम क्षेत्रक की डीपीआर।	2013.42	903.33
53.	विजयवाडा	विजयवाड़ा, नगर निगम में रे के अंतर्गत एनएससी बोस नगर का डीपीआर स्व स्थाने पुनर्विकास।	7617.56	3628.36
54.	विशाखापट्टनम	बृहत्त विशाखापट्टनम नगर निगम में रे के अंतर्गत सूर्या तेजा नगर में यथा पुनर्विकास के लिए पायलट डीपीआर।	1131.08	565.54
55.	यमुनानगर	यमुनानगर-जगाधरी, हरियाणा, के 9 स्लमों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने हेतु पायलट डीपीआर।	6036.76	2872.57
	कुल		246820.695	116081.917

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. हेतु संपर्क अधिकारी

1545. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अ.जा./अ.ज.जा. के संबंध में सरकार की नीतियों/डीओपीटी के नियमों एवं अनुदेशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संगठनों में संपर्क अधिकारी नामित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अ.जा./अ.ज.जा. हेतु संपर्क अधिकारी से परामर्श नहीं किया है;

(ग) क्या अ.जा./अ.ज.जा. संबंधी सरकार की नीतियों/डीओपीटी के नियमों तथा अनुदेशों का कार्यान्वयन करते समय संपर्क अधिकारियों के विचार लिए जाने आवश्यक हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की नीतियों/डीओपीटी नियमों एवं अनुदेशों के कार्यान्वयन में उल्लंघन में संगठन को अपने पक्षपातपूर्ण समर्थन के लिए संपर्क अधिकारियों की जवाबदेही का कोई तंत्र है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) अ.जा./अ.ज.जा. संबंधी सरकार की नीतियों/डीओपीटी नियमों एवं अनुदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चत करने तथा किसी भी आधार पर उल्लंघन रोकने के लिए क्या नीतिगत उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां। अनुदेशों में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार के पदों

और सेवाओं में आरक्षण के आदेशों का उपयुक्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय/विभागों तथा संगठनों के लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करना आवश्यक है।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के कार्यान्वयन के मामले में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनके साथ परामर्श न करने के संबंध में किसी संपर्क अधिकारी का कोई मामला इस विभाग के सामने नहीं लाया गया है।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सरकारी नीतियों/डीओपीटी के नियमों तथा अनुदेशों को कार्यान्वित करते समय संपर्क अधिकारी से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

(घ) और (ङ) सरकार नीतियों के कार्यान्वयन में संपर्क अधिकारी द्वारा जानबूझकर की गई किसी लापरवाही के मामले में उसके विरुद्ध उपयुक्त आचरण और अनुशासनात्मक नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

(च) आरक्षण नीति का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्षों के नियंत्रणाधीन सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों में संपर्क अधिकारियों को नियुक्त किया जाना आवश्यक है। संपर्क अधिकारियों अथवा अन्य के द्वारा किए गए निरीक्षणों के माध्यम से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आरक्षण तथा अन्य आदेशों के अनुपालन में उसके संज्ञान में आई लापरवाही और गलती के मामले, उनके द्वारा सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव/अपर सचिव अथवा विभागाध्यक्ष के अंतर्गत संबंधित कार्यालय के विभागाध्यक्ष जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत किए जाते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान

1546. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान में जन प्रतिनिधियों को जोड़ने के बारे में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर निर्वाचित संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक सतर्कता निगरानी समिति के गठन पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्र, राज्य, जिला और स्कूल स्तर पर लोक प्रतिनिधियों के सहयोजन की परिकल्पना की गई है। सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्री तथा 3 राज्य मंत्री, 3 संसद सदस्य, राजनीतिक दलों के 6 प्रतिनिधि और राज्यों से 6 शिक्षा मंत्री सदस्यों के रूप में शामिल हैं। सर्व शिक्षा अभियान के सदृश राज्य मिशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते है। जिला स्तरीय प्रबंध (ग) और (घ) में दर्शाया गया है। स्कूल स्तर पर स्कूल प्रबंध समिति, जिसमें अन्यों के साथ-साथ स्थानीय प्राधिकरण के चयनित प्रतिनिधि शामिल होते हैं, स्कूल की देखभाल करती है तथा स्कूल विकास योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

(ग) और (घ) केंद्र सरकार ने दिनांक 23.07.2007 को जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया था जिसमें सभी संसद सदस्य, स्थानीय जिला परिषद और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ उस जिले से राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रांरभिक शिक्षा पर कार्यरत दो गैर-सरकारी संगठनों को नामित करते हैं। बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम संसद सदस्य समिति की अध्यक्षता करते हैं। समिति को सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की प्रगति से अवगत कराय जाता है तथा यह जिले में सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अपने सुझाव देती है। यह अन्य संबद्ध सरकारी विभागों के साथ समाभिरूपता का भी अनुवीक्षण करती है। किसी पृथक सतर्कता मॉनीटरिंग समिति की परिकल्पना नहीं की जा रही है। जिला स्तर पर सतर्कता कार्य केवल विद्यमान जिला स्तरीय समिति को निर्दिष्ट किया जाता है।

शिक्षा की गुणवत्ता

1547. श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विद्यालयों की स्थिति तथा इसके अध्यापकों का स्तर पूर्णतः असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकारी तथा निजी पब्लिक विद्यालयों के मध्य शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर को किसी सुधार से पाटा जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या आधुनिक कौशलों को और अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए और अधिक विचारपूर्ण शिक्षा नीति की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी तथा निजी पब्लिक विद्यालयों के मध्य शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर को पाटने के लिए विचारपूर्ण शिक्षा नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, नहीं। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के आरंभ होने के बाद से कुल 1,96,904 प्राथमिक स्कूल (वीएस) भवन और 1,09,599 उच्च प्राथमिक (यूपीएस) भवन संस्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 1,69,051 पीएस भवन और 99,702 यूपीएस भवन दिनांक 30.06.2013 की स्थिति के अनुसार पूरे कर लिए गए हैं। संस्वीकृत 18.03 लाख अतिरिक्त शिक्षण कक्षों में से कुल 14.75 लाख अतिरिक्त शिक्षण कक्षों (एसीआर) का निर्माण किया गया है। संस्वीकृत 2.31 लाख स्कूलों में से 2.31 लाख स्कूलों में से 2.18 लाख स्कूलों में पेयजल सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सरकारी स्कूलों में संस्वीकृत 8.81 लाख शौचालयों की तुलना में कुल 6.58 लाख शौचलयों का निर्माण किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुल 19.82 लाख अध्यापकों के पद संस्वीकृत किए गए हैं जिसके अंतर्गत 31.03.013 की स्थिति के अनुसार 14 लाख अध्यापक पद भरे गए हैं।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 अध्यापकों के सांविधिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और प्रारंभिक स्कूलों में किसी व्यक्ति के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित करता है, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अपनी अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अध्यापक के रूप में भर्ती के लिए व्यक्ति को समुचित सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को उत्तीर्ण करना होता है।

(ग) से (च) राज्य द्वारा संचालित तथा निजी सार्वजनिक स्कूलों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर का पता लगाने के लिए कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को नियमित सेवाा कालीन अध्यापक प्रशिक्षण, नए भर्ती अध्यापकों के लिए 30 दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण, व्यावसायिक योग्यताएं हासिल करने के लिए सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण, बेहतर छात्र-अध्यापक अनुपात के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती, ब्लॉक तथा क्लस्टर संसाधन केन्द्रों के माध्यम से अध्यापकों के लिए शैक्षिक सहायता, अध्यापकों को छात्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम बनाने हेतु एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली तथा जहां आवश्यक हो वहां सुधारात्मक कार्रवाई करना और समुचित शिक्षण-अधिगम सामग्रियों के विकास के लिए अध्यापक तथा स्कूल अनुदान इत्यादि सहित शिक्षण के मानकों में सुधार करने के लिए कई कदमों में सहायता दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा के लिए इसी प्रकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण का प्रावधान करता है और अध्यापकों के निष्पादन में सुधार करने के लिए स्कूलों को शैक्षिक सहायता प्रदान करता है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है।

पाकिस्तान के साथ वार्ता

1548. श्री मानिक टैगोर :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के मद्देनजर पाकिस्तान के साथ वार्ता पुन: आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा दौरे करने के माध्यम से बातचीत पुन: आरम्भ करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में पाकिस्तान से यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तो उसका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) पाकिस्तान के नए चुने गए प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक तौर पर उच्चरित शांति, मित्रता तथा सहयोग द्वारा भारत के साथ संबंध बनाए जाने के प्रयत्न की वचनबद्धता का सरकार ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने 12 मई, 2012 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की तथा 27 मई, 2013 को अपना विशेष दूत लाहौर भेजा। बाद में, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष दूत का 5 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली आगमन पर स्वागत भी किया।

(ग) और (घ) हिंसा तथा आतंक मुक्त वातारण में शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से पाकिस्तान के साथ शेष सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए भारत वचनबद्ध है, जिसकी सूचना पाकिस्तान

के नए चुने गए प्रधानमंत्री को दी जा चुकी है। इस संबंध में नियंत्रण रेखा की संप्रभुत्ता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जो कि दोनों देशों के बीच सर्वोत्तम विश्वास-सृजन उपाय है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी थल सेना द्वारा की गई बिना उकसाने की घटनाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर स्वत: ही प्रभाव डालेगा। पाकिस्तान, आतंकवादी नेटवर्क, संगठन तथा संरचना को समाप्त करने के लिए निश्चय ही कार्रवाई करे तथा नवंबर 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के दोषी लोगों को भारत लाने में ठोस कार्रवाई दिखाएं, जिससे शीघ्र न्याय मिल सके।

अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के सचिव स्तर के अधिकारी

1549. श्री सुखेदव सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालय में सचिवों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) विभागों/मंत्रालय-वार अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के सचिवों की संख्या कितनी हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) 08.08.2013 तक की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में सचिव के रूप में 84 अधिकारी कार्य कर रहे हैं। इसमें से, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों मे सचिव के रूप में कार्यरत अनु.जा./अनु.ज.जा. का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	मंत्रालय/विभाग
1.	श्री अशोक कुमार, आईएएस (आरआर) (एचपी:77)	अनु.ज.जा.	उच्चतर शिक्षा विभाग
2.	श्री उत्तम कुमार संगमा, आईएएस (आरआर) (जेएच:78)	अनु.ज.जा.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
3.	श्री ललित कु. पंवार, आईएएस (आरआर) (आरजे:79)	अनु.जा.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

उक्त के अतिरिक्त, श्री तबोम बाम, आईएएस (यूटी:77) (श्रेणी: अनु.ज.जा) अन्तर-राज्य सचिवालय परिषद, गृह मंत्रालय में सचिव के रैंक एवं वेतन में सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं।

दोहरी प्रौद्योगिकी लाइसेंस

1550. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दोहरी प्रौद्योगिकी लाइसेंस पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रणाली उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए किस प्रकार लाभप्रद होगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जहां स्पैक्ट्रम को लाइसेंस से अलग कर दिया जाता है बहां एकीकृत लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया है। स्पैक्ट्रम विभिन्न बैंडों में नीलामी के द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

(ख) एकीकृत लाइसेंस की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(i) यह सिंगल लाइसेंस है और यह उन सभी दूरसंचार सेवाओं का प्रावधान करता है जो वर्तमान में सेवा क्षेत्र अथवा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की जा रही हैं।

(ii) लाइसेंसधारक अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार कितनी भी सेवाओं के लिए प्राधिकृति प्राप्त करके लाइसेंस का प्रचालन कर सकता है।

(iii) एकीकृत लाइसेंस लाइसेंसाधरक को स्पैक्ट्रम के आबंटन का कोई अधिकार नहीं देता है। स्टैक्ट्रम विशिष्ट प्रक्रिया, अनुदेशों, नियम एवं शर्तों, उक्त आबंटन के भुगतान और स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभारों सहित, जैसा कि समय-समय पर विनिर्धारित किया गया है, के अंतर्गत ही उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) लाइसेंस की अवधि लाइसेंस के प्रभावी होने की तिथि से लेकर 20 वर्षों तक होगी।

(v) यह लाइसेंसिंग व्यवस्था के सरलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर प्रवेश बाधाओं पर स्पैक्ट्रम के बिना भी फाइबर, कॉपर अभिगम नेटवर्क इत्यादि का प्रयोग करते हुए अभिगम सेवाओं की व्यवस्था के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है।

(ग) बाजार की जटिलताओं को दूर करना और सेवाओं तथा नेटवर्क के अभिसरण को सुग्राही बनाना, यह उपभोक्ताओं ओर अन्य हितधारकों के लिए लाभदायक हो सकता है।

केन्द्रीय भंडार में आरक्षण

1551. **श्री हेमानंद बिसवाल :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को नौकरियों और पदोन्नतियों में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

ई-शासन मिशन मोड परियोजनाएं

1552. **श्री नरहरि महतो :**
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्यों द्वारा ई-शासन के अंतर्गत सभी मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) के कार्यान्वयन की अलग-अलग स्थिति क्या है और उन्हें उपलब्ध कराई गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को एमएमपी के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक सहित परियोजना-वार क्या और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) परियोजनाओं के वित्तीय प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) सरकार द्वारा 18 मई, 2006 को अनुमोदित राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) में 31 मिशन मोड परियोजनाएं (एमएमपी) शामिल हैं जिनमें 11 केन्द्रीय एमएमपी सकमेत 13 राज्य एमएमपी और 7 एकीकृत एमएमपी शामिल हैं। इस योजना में 31 एमएमपी संबंधित लाइन मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और उनके द्वारा ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 31 एमएमपी में से निम्नलिखित 4 एमएमपी का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है:—

क्र. सं.	एमएमपी	श्रेणी
1.	ई-जिला	राज्य एमएमपी
2.	सामान्य सेवा केन्द्र	एकीकृत एमएमपी
3.	राष्ट्रीय सेवा प्रदायगी गेटवे (एनएसडीजी)	एकीकृत एमएमपी
4.	इंडिया पोर्टल	केन्द्रीय एमएमपी

कार्यान्वित करने वाले मंत्रालयों/विभागों के नाम के साथ एमएमपी की सूची *http://deity.gov.in/content/annexure-reply-parliament-question-0* में दी गई है और प्रत्येक एमएमपी के कार्यान्वयन की स्थिति *http://deity.gov.in/content/annexure-reply-parliament-question-0* में दी गई है। ई-जिला और सीएससी एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों को जारी की गई निधियों सहित कार्यान्वयन की स्थिति *http://deity.gov.in/content/annexure-reply-parliament-question-0* में दी गई है। एनएसडीजी और इंडिया पोर्टल का कार्यान्वयन का सीधे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा रहा है और इन परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्यों को निधियां जारी नहीं की जाती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) ई-जिला और सीएससी एमएमपी के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों को जारी की गई निधियों सहित कार्यान्वयन की स्थिति *http://deity.gov.in/content/annexure-reply-parliament-question-0* में दी गई है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में आरक्षण

1553. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण नीति कार्यान्वित करने की पहले की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई हेतु उद्योग जगत के साथ संवाद को आगे बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2006 में एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने औद्योगिक निकायों जैसे कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग सम्बद्ध महासंघ (एस्सोचेम) तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की हैं, जिन्होंने अपने सदस्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई संबंधी अपनी-अपनी आचरण संहिताएं विकसित की हैं। इन आचरण संहिताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, समावेशित नीतियों तथा निष्पक्षता के लिए प्रावधान है।

[अनुवाद]

कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

1554. श्री एम. कृष्णास्वामी :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री बद्रीराम जाखड़ :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीओएसई) देश में कक्षा दसवीं और बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों तथा इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार कितनी निधियां जारी और व्यय की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा X बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली इकलौती बालिका संतान को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना के तहत भी सीबीएसई अपने सम्बद्ध स्कूलों से कक्षा-XII की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को लैंगिक भेद पर ध्यान दिए बिना उच्चतर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

(ख) और (ग) कक्षा-X के बाद लाभान्वित इकलौती बालिका संतान की संख्या और कक्षा-XII की परीक्षा के बाद लाभान्वित छात्रों की संख्या दर्शाने वाले दो ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

अखिल भारतीय वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा, 2012 उत्तीर्ण करने वालों छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियां

क्र. सं.	राज्य का नाम	विद्यार्थियों की संख्या	राज्य-वार फंड रुपए में जारी
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	5	50000
2.	असम	37	370000
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	10000
4.	आंध्र प्रदेश	55	550000
5.	बिहार	58	580000
6.	छत्तीसगढ़	28	280000
7.	चंडीगढ़	43	430000
8.	दिल्ली	529	5290000
9.	अंग्रेजी विद्यालय	17	170000
10.	गोवा	8	80000
11.	गुजरात	71	710000
12.	हरियाणा	569	5690000

1	2	3	4
13.	हिमाचल प्रदेश	21	210000
14.	झारखंड	71	710000
15.	जम्मू और कश्मीर	25	250000
16.	कर्नाटक	194	1940000
17.	केरल	1172	11720000
18.	मेघालय	1	10000
19.	मणिपुर	1	10000
20.	मध्य प्रदेश	248	2480000
21.	महाराष्ट्र	42	420000
22.	ओडिशा	43	430000
23.	पंजाब	282	2820000
24.	पुदुचेरी	2	20000
25.	राजस्थान	257	2570000
26.	सिक्किम	1	10000
27.	त्रिपुरा	1	10000
28.	तमिलनाडु	34	340000
29.	उत्तराखंड	44	440000
30.	उत्तर प्रदेश	357	3570000
31.	पश्चिम बंगाल	46	460000
	कुल	4263	42630000

विवरण-II

अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा, 2012 उत्तीर्ण करने वाली इकलौती बालिका संतान छात्राओं को प्रदान की गई छात्रवृत्तियां

क्र. सं.	राज्य का नाम	विद्यार्थियों की संख्या	राज्य-वार फंड रुपए में जारी
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	5	50000

1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	6	360000
2.	असम	35	210000
3.	आंध्र प्रदेश	18	108000
4.	बिहार	16	96000
5.	छत्तीसगढ़	49	294000
6.	चंडीगढ़	11	66000
7.	दमन और दीव	1	6000
8.	दिल्ली	34	204000
9.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	24000
10.	अंग्रेजी विद्यालय	10	60000
11.	गुजरात	10	60000
12.	हरियाणा	30	180000
13.	हिमाचल प्रदेश	9	54000
14.	झारखंड	34	204000
15.	जम्मू और कश्मीर	2	12000
16.	कर्नाटक	46	276000
17.	केरल	1083	6498000
18.	मेघालय	1	600000
19.	मणिपुर	2	12000
20.	मध्य प्रदेश	138	828000
21.	महाराष्ट्र	32	192000
22.	ओडिशा	81	486000
23.	पंजाब	50	300000
24.	राजस्थान	52	312000
25.	सिक्किम	1	6000

1	2	3	4
26.	त्रिपुरा	47	282000
27.	तमिलनाडु	50	30000
28.	उत्तराखंड	14	84000
29.	उत्तर प्रदेश	98	588000
30.	पश्चिम बंगाल	68	408000
	कुल	2032	12192000

अ.जा./अ.ज.जा./अपिव से संबंधित अधिवक्ता

1555. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अधिवक्ताओं को प्रोत्साहिन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी विद्यार्थी

1556. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी भारतीय विश्वविद्यालयों में आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कतिपय प्रोत्साहनों के माध्यम से उन्हें आकर्षित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में शिक्षा के बेहतर स्थान सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से अन्य विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, नहीं। हालांकि, भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में वर्ष 2012 में लगभग 152 देशों के विदेशी छात्र पंजीकृत किए गए थे किन्तु, वैश्विक मानकों के अनुसार उनकी कुल संख्या बहुत बड़ी नहीं है।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय के साथ-साथ भारतीय उच्च शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अपने विदेशी प्रतिस्थानियों के साथ आरम्भ किए गए द्विवपक्षीय और बहुपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम छात्रों का विदेशों से भार को प्रवाह सुगम बनाते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एनआरआई/पीआईओ सहित विदेशी छात्रों की 15 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें स्वीकृत करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विदेशी छात्रों को भारतीय संस्थाओं विकास मंत्रालय का कार्यक्रम 'भारत को जानें' एवं प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम; भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा अध्येतावृत्ति और विजिटर्स कार्यक्रम और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अध्येतावृत्तियां शामिल हैं।

भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र

1557. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (इग्नू) ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी) को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2010 में उक्त केन्द्र के लिए निधियों का आबंटन किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मूक और बधिरों के बीच संवादहीनता को कम करने के लिए भाषा के रूप में संकेत पर बल दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त

विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंडल (बीओएम) ने 15 जून, 2013 को आयोजित अपनी 118वीं बैठक में इग्नू से भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी) को पृथक करने का अनुमोदन किया था जैसाकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय को अपेक्षित भूमि न मिलने तथा अन्य सांविधिक प्रावधानों के संबंध में आने वाली अनेक कठिनाईयों को देखते हुए प्रस्ताव किया गया था।

(ग) इग्नू द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आईएसएलआरटीसी **के लिए सामाजिक** न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से इग्नू द्वारा प्रापत की गई निधियों को राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्र. सं.	निधि प्राप्त करने की तारीख	राशि
1.	21.09.2011	74,50,000/- रुपए
2.	21.09.2011	1,25,50,000/- रुपए
3.	26.03.2013	9,25,50,0000/- रुपए
4.	30.03.2013	3,00,00,000/- रुपए
5.	17.09.2012	2,20,00,000/- रुपए
	कुल राशि	16,45,50,000/- रुपए

(घ) और (ङ) बधिरों और शेष दुनिया के बीच मुक्त संवाद के लिए संकेत भाषा पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है। तथापि, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संकेत भाषा का ज्ञान प्रदान करने के लिए सुविधाएं दोनों को समुचित रूप से डिजाइन करने ओर आयोजना करने की आवश्यकता है ताकि किसी विशेषीकृत संस्थान की मार्फत अधिक व्यावसायिक तरीके से ऐसे कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हों।

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा अर्हता ढांचा

1558. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कौशल ज्ञान और सामान्य व्यवसायिक शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा से सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा अर्हता ढांचे (एनवीईक्यूएफ) को अधिसूचित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा सितंबर, 2012 में राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा अर्हता कार्यढांचे (एनवीईक्यूएफ) पर कार्यपालक आदेश जारी किया गया। एनवीईक्यूएफ एक राष्ट्रीय-एकीकृत शिक्षा और योग्यता आधारित कौशल कार्यढांचा है जिसमें व्यवसायिक शिक्षा और सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा के बीच अधिगम के एक स्तर को दूसरे उच्च स्तर से जोड़ने और शिक्षुओं को शिक्षा और/अथवा कौशल प्रणाली में किसी भी आरंभिक बिंदु से उच्च स्तर तक प्रगति के बहु-मार्गों की व्यवस्था है। एनवीईक्यूएफ के मुख्य घटकों में निम्नलिखित का प्रावधान है:—

(i) व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समानता की ओर ले जाने वाले राष्ट्रीय सिद्धांत।

(ii) व्यावसायिक शिक्षा, सामान्य की शिक्षा और नियोजन बाजार के बीच बहु-प्रवेश तथा निर्गमन।

(iii) व्यावसायिक शिक्षा के दायरे में प्रगति।

(iv) व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के मध्य अंतरण, और

(v) उद्योग/नियोक्ताओं के साथ भागीदारी।

सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन

1559. श्री रुद्रमाधव राय :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है सरकार राजनीतिक दलों, बीसीसीआई और अन्य उच्च संगठनों को बचाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकरणों की परिभाषा से राजनीतिक दलों को बाहर रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए 12.08.13 को लोकसभा में एक विधेयक पुनःस्थापित कर दिया गया है।

जेएनएनयूआरएम

1560. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जेएनएनयूआरएम योजना के अंतर्गत महानगरों में वातानुकूलित वैस्टिब्यूल बसें आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का हरित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए हाइब्रिड (बैटरी चालित) और साथ ही शहरों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की बसें चलाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त बसों को कब तक चलाए जाने की संभावना है और इन बसों से किस प्रकार का लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) से (घ) माननीय वित्त मंत्री के बजट 2013-14 के उद्घोषणा के अनुपालन में, शहरी विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान सभी शहरों/कस्बों/शहरी समूहों के लिए जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी परिवहन हेतु 10,000 तक बसों की स्वीकृति के लिए पहल-प्रयास शुरू किया है। इसमें मिनी/मिनी बसें/स्टैंडर्ड टाइप बसें, आर्टिकुलेटेड बसें शामिल होगी।

(ङ) सभी 10,000 बसें 2013-14 के दौरान स्वीकृत की जाएगी। कार्यान्वयन अवधि जेएनएनयूआरएम की अवधि के साथ समाप्त हो जाएगी। औपचारिक स्वीकृति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त किए जाने वाले संभावित लाभ हैं आम आदमी के लिए बेहतर गुणवत्तापरक सार्वजनिक परिवहन और उसके द्वारा सार्वजनिक परिवहन में बेहतर मॉडल फेरों की संख्या।

[हिन्दी]

अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ताओं का दर्जा देना

1561. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार उच्चतम न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा प्राप्त अधिवक्ताओं की न्यायालय-वार संख्या कितनी है;

(ख) अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ताओं का दर्जा देने के लिए उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित किन मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) क्या विभिन्न न्यायालयों में उक्त मानदंड एक-समान अथवा भिन्न-भिन्न है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है जो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पत्नियां, पुत्र अथवा पुत्रियां हैं, जिन्हें उक्त न्यायालयों में वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया गया है;

(च) क्या सरकार को अधिवक्ता अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिससे कि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेणी को हटाया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ऑनलाइन बाल पोषण पाठ्यक्रम

1562. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (इग्नू) ने ऑनलाइन बाल पोषण पाठ्यक्रम आरंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस विश्वविद्यालय ने जुलाई, 2012 सत्र से बाल चिकित्सा पोषण में ऑनलाइन स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र/डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीसीपीडीएन/पीजीडीपीडीएन) आरंभ किए हैं। यह

(पीजीसीपीडीएन/पीजीडीपीडीएन) एक मॉड्यूलर दृष्टिकोण के साथ आरंभ किया गया है ताकि ज्ञान आधार विकसित किया जा सके, ज्ञान और कौशलों का उन्नयन किया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं खुशहाली से संबंधित स्वास्थ्य रक्षा व्यवसायियों, पोषणकर्ताओं और अन्य संबंधित स्टेकहोल्डरों की व्यावसायिक सक्षमता में सुधार किया जा सके। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य रक्षा व्यावसायियों, आहार विज्ञानियों, आहार परामर्शकों, स्वास्थ्य प्रशासकों और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों जैसे बाल चिकित्सा पोषण में विशेशता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करता है। बाल चिकत्सा पोषण स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र कार्यक्रम पीजीसीपीडीएन छः महीने का कार्यक्रम है जबकि बाल चिकित्सा पोषण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीपीडीएन) एक वर्ष की अवधि का है। इस विश्वविद्यालय ने क्रमशः जुलाई, 2012 और जुलाई, 2013 सत्र के लिए कुल 88 और 104 छात्रों को नामांकत किया है।

आवासीय इकाइयां

1563. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में उपलब्ध केन्द्रीय सरकार आवासीय इकाइयों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों में सरकारी आवासों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार और शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने राज्य में रायपुर और नया रायपुर में नई आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकार से भूमि आबंटन का निवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) छत्तीसगढ़ में कोई भी सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) नहीं है। तथापि, छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के स्वामित्व वाले रिहायशी आवास है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) छत्तीसगढ़ के रायपुर में सामान्य पूल रिहायशी आवास की मांग है जो निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आवास का टाईप	इकाईयों की संख्या
1.	टाईप-II	302
2.	टाईप-III	318
3.	टाईप-IV	121
4.	टाईप-V	65
5.	टाईप-VI	09
6.	सकल योग	815

(घ) और (ङ) जी, हां। शहरी विकास मंत्रालय ने नया रायपुर में सामानय पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) के लिए 29.53 एकड़ भूमि के आबंटन के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया है। तथापि अब तक राज्य सरकार द्वारा किसी भी भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

विवरण

छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में उपलब्ध केन्द्र सरकार रिहायशी आवास

क्र. सं.	शहर का नाम	विभाग/कार्यालय का नाम	रिहायशी आवास का टाईप						
			टाईप-I	टाईप-II	टाईप-III	टाईप-IV	टाईप-V	टाईप-VI	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	रायपुर	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	08	12	48	12	04	01	85
		आयकर	04	12	40	08	02	—	66
		क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	—	—	04	03	—	—	07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		महालेखाकार	03	30	60	15	05	01	114
		उप-योग (क)	15	54	152	38	11	02	272
2.	भिलाई	आयकर	04	12	04	01	—	—	21
		उप-योग (ख)	04	12	04	01	—	—	21
3.	बिलासपुर	अनुषंगी आसूचना ब्यूरो	01	03	01	01	—	—	06
		मौसम विभाग	—	02	01	—	—	—	03
		उप-योग (ग)	01	05	02	01	—	—	09
4.	अंबिकापुर	अनुषंगी आसूचना ब्यूरो	01	03	01	01	—	—	06
		उप-योग (घ)	01	03	01	01	—	—	06
5.	रायगढ़	आयकर	01	04	04	01	—	—	10
		अनुषंगी आसूचना ब्यूरो	01	—	01	—	—	—	02
		उप-योग (ङ)	02	04	05	01	—	—	12
6.	कुल योग	कुल (क+ख+ग+घ+ङ)	23	78	164	42	11	02	320

[हिन्दी]

एमटीएनएल प्रबंधन कार्यकरण

1564. श्री रतन सिंह :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की ओर से नीति निर्धारण और शिकायतों/परिवादों के निपटान में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एमटीएनएल प्रबंधन के कार्यकरण की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली) : (क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) शिकायतों/परिवादों का निपटान व्यवहार्यता और व्यवहारिकता के मद्देनजर निर्धारित समय-सीमा के भीतर करने के लिए सभी प्रयास करता है। एमटीएनएल संसाधनों के संकट का सामना कर रहा है जिसके कारण मांग को पूरा करने के लिए अपने नेटवर्क में संवृद्धि करने संबंधी उसकी योग्यता अवरुद्ध हुई है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए एमटीएनएल की बुनियादी और ब्रांडबैंड सेवाओं के संबंध में दूर की गई कतियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) एमटीएनएल द्वारा सभी प्रचालन संबंधी निर्णय एमटीएनएल के मेमोरंडम ऑफ ऐसोसएशन (एमओए) और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन्स (एओए) में निहित उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल के माध्यम से लिए जाते हैं। सरकार और एमटीएनएल के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में रेखांकित पैरामीटरों के संबंध में विभिन्न पैरामीटरों पर एमटीएनएल के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

आधारभूत सेवाएं : 3 दिनों के भीतर दूर की गई कमियों का %

एमटीएनएल ईकाई	2010-11				2011-12				2012-13				2013-14
	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	प्रथम तिमाही
दिल्ली	90.91%	86.15%	86.56%	93.85%	92.62%	90.15%	90.27%	95.23%	95.18%	89.88%	936.50%	93.80%	95.56%
मुंबई	93.44%	91.84%	96.62%	97.51%	93.50%	92.71%	96.85%	97.87%	96.63%	95.98%	98.24%	98.07%	94.62%

ब्रांडबैंड सेवाएं : 3 दिनों के भीतर दूर की गई कमियों का %

एमटीएनएल ईकाई		2010-11				2011-12				2012-13				2013-14
		प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	प्रथम तिमाही
दिल्ली	पंजीकृत की गई कुल कमियां	263305	281295	236224	214279	276928	285430	284402	290842	310155	339173	278693	308152	359999
	3 दिनों के भीतर दूर की गई कमियां	79.58%	76.30%	76.87%	89.28%	77.95%	76.33%	89.02%	96.67%	95.30%	93.17%	94.36%	95.33%	95.92%
मुंबई	पंजीकृत की गई कुल कमियां	234337	313561	254939	261902	356465	332495	274723	271116	298611	328680	267700	291460	458271
	3 दिनों के भीतर दूर की गई कमियां	85.61%	84.59%	88.21%	93.37%	86.38%	85.87%	93.61%	96.52%	93.01%	91.16%	96.27%	95.30%	92.56%

[अनुवाद]

निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बरती गई अनियमितताएं

1565. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बरती गई कथित अनियमितताओं पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी **रिपोर्ट** प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जैसाकि राज्यपाल सचिवालय द्वारा सूचित किया गया है सीएमजे विश्वविद्यालय की तथाकथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए, विश्वविलाय अनुदान आोग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

(ख) इस विशेषज्ञ समिति में 7 सदस्य है। समिति के अध्यक्ष प्रो. मिहिर के. चौधरी, कुलपति तेज़पुर विश्वविद्यालय

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नालंदा विश्वविद्यालय

1566. श्री एंटो एंटोनी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के साथ मुख्यालय समझौता (एचए) किया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में अन्य विश्वविद्यालयों के साथ मुख्यालय समझौता (एचए) करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश मंत्रालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय के बीच मुख्यालय करार पर 20 जुलाई, 2013 को हस्ताक्षर किए गए। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 में संशोधन किए जाने के पश्चात् इसे अधिसूचित किया जाएगा। यह करार विश्वविद्यालय तथा इसके स्टाफ को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्रदान करता है ताकि इसके कुशल कार्यचालन तथा प्रचालन के लिए आवश्यक समग्र ढांचा उपलब्ध हो सके। इस करार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(i) विश्वविद्यालय परिसर में किसी अनाधिकार प्रवेश अथवा हानि के विरुद्ध तथा विश्वविद्यालय के कार्य को सुसाध्यकर बनाने के लिए मेजबान देश आवश्यक कदम उठाएगा।

(ii) विश्वविद्यालय, इसकी परिसंपत्ति, आय तथा अन्य संपत्तियों को सभी प्रत्यक्ष कर से छूट प्राप्त होगी तथा कार्यालयी उपयोग के लिए आयातित/निर्यातित उपकरणों को आात तथा निर्यात पर मनाही तथा प्रतिबंध से छूट दी जाएगी।

(iii) विश्वविद्यालय के कुलपति तथा शैक्षिक स्टाफ, जो मेजबान देश के नहीं हैं, को वेतन, मानदेय भत्ता तथा अन्य पारिश्रमिक के मामले में करों से छूट मिलेगी; उन्हें उपयुक्त वीजा पाने, मेजबान देश में विश्वविद्यालय में नौकरी के दौरान चल तथा अचल संपत्ति रखने (इसमें अचल संपत्ति की खरीद/उपार्जन/बिक्री का अधिकार शामिल नही है) तथा मोटर-गाड़ी सहित निजी उपयोग के लिए वस्तुओं के सीमा शुल्क, कर तथा अन्य महसूलों से मुक्त आयात का अधिकार प्राप्त होगा।

(iv) मेजबान देश अर्थात् भारत के कुलपति तथा शैक्षिक स्टाफ तथा भारत के सथायी निवासी को वेतन, मानदेय, भत्ता तथा अन्य परिलब्धियों, जो विश्वविद्यालय को प्रदान की जाने वाली सेवा से संबंधित है, के मामले में कर से छूट प्राप्त होगी।

(ग) जैसाकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, सरकार देश के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ मुख्यालय करार संपन्न करने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

यूआईडी नामांकन का द्वितीय चरण

1567. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अप्रैल 2012 से यूआईडी नामांकन का दूसरा चरण आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस चरण में अभी तक कवर किए गए राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस चरण में विशिष्ट पहचान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) सरकार द्वारा जनवरी, 2012 में, यूआईडीएआई को, उसके द्वारा पहले ही किए जा चुके 20 करोड़ नामांकनों के बाद, 40 करोड़ अतिरिक्त निवासियों का नामांकन करने का शासनादेश देने का निर्णय लिा गया था। उन 18 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की सूची, जहां यूआईडीएआई ,रा नामांकन किया जा रहा है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यूआईडीएआई का प्रयास है कि प्रक्रियाओं में सुधार और प्रौद्योगिकी का क्रमोन्नयन सतत आधार पर किया जाए। हाल ही में किए गए कुछ परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) प्रत्येक नामांकन के लिए प्रचालकों का तथा बायोमीट्रिक अपवादों के मामले में पर्यवेक्षकों का बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण।

(ii) दिन के अंत में, पर्यवेक्षकों द्वारा जनांकिकीय डेटा की समीक्षा।

(iii) नामांकन मशीन का सीआईडीआर के साथ अनिवार्य रूप से आवधिक तालमेल स्थापित करना।

(iv) नामांकन की तारीख से 20 दिनों के अंदर डेटा पैकिटों को अनिवार्य रूप से अपलोड करना।

(v) डेटा की घटिया गुणवत्ता, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अननुपालन और विलंब से अपलोड करने पार जुर्माना लगाना।

(vi) सभी नामांकन केन्द्रों में जावा आधारित क्लाइंट वर्शन को चरण-वार रूप से लागू करना।

विवरण

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश
2.	चंडीगढ़
3.	दमन और दीव
4.	गोवा
5.	गुजरात
6.	हरियाणा
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	झारखंड
9.	कर्नाटक
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
14.	पुदुचेरी
15.	पंजाब
16.	राजस्थान
17.	सिक्किम
18.	त्रिपुरा

महिलाओं के लिए विशेष बसें

1568. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के मद्देनजर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत कवर किए गए शहरों में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के सचिवों की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस प्रयोजन हेतु राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) से (ग) "महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों के खतरे से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों" विषय पर दिनांक 23.1.2013 को आयोजित सचिवों की समिति की बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के लिए विशेष बसों के संचालन का निर्णय लिा गया था। इस निर्णय के अनुपालन में, दिनांक 07.02.2013 को शहरी विकास मंत्रालय ने एक मिलियन से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में महिलाओं के लिए विशेष शहरी बसों के प्रावधान की जांच करने के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को एक परामर्शिका जारी की थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) द्वारा अब तक उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार निम्नवत एसटीयू द्वारा महिलाओं के लिए विशेष बसों का संचालन किया जा रहा है:—

(i) दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी);

(ii) चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम;

(iii) बैंगलोर महानगर परिवहन निगम;

(iv) पुणे महानगर परिवहन महामंडल निगम (पीएमपीएमएल); और

(v) वृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन उपक्रम (बीईएसटी)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का दायरा

1569. श्री अमरनाथ प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 से 6 वर्ष और 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी पात्र बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाने और उन्हें रोजगार दिलाने हेतु व्यावसायिक योग्यता के साथ शिक्षा पूरी कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009, संविधान (86वां) संशोधन अधिनियम 2002 के परिणामस्वरूप कानून बना दहै, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 21-क जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 11 में यह प्रावधान है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आरंभिक बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी। 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम के अंतर्गत 74,993.19 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करायी है ताकि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसके प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

विद्यार्थियों में नशे की लत

1570. श्री जगदीश सिंह राणा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों और युवाओं में नशे की लत को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) नशीली दवाओं का प्रयोग करने से रोकने के लिए छात्रों को जागरूक बनाने हेतु प्राचार्यों और शिक्षकों को अपेक्षित जानकारी और कौशल

से लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। बोर्ड ड्रग दुरूपयोग संबंधी जागयकता और बचाव को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को समय-समय पर हिदायतें भी जारी करता है! अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने राष्ट्रीय समाज सेवा (एनएसएस) के छात्र विंग के नाटकों के विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक संस्थाओं और उनके इर्द-गिर्द ड्रग के प्रयोग को रोकने के कदम भी उठाए हैं।

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा

1571. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश में तकनीकी शिक्षा का संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) सभी पाठ्यक्रमों और सभी कार्यक्रमों में प्रवेश की सीटों का कुल 5% ट्यूशन फीस छूट योजना के तहत रखा गया है। इस योजना से प्रति वर्ष लगभग उन एक लाख छात्रों को लाभ पहुंचता है जिनके परिवार की आय 4.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। (ii) कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत संस्थाओं को स्थापित किए जाने की अनुमति दी गई हैं। (iii) पॉलिटेक्निकों में गुणवत्ता सुधार के लिए एआईसीटीई द्वारा वित्त पोषण की सभी योजनाओं का पॉलिटेक्निकों तक विस्तार किया गया है। (iv) नए संस्थान अब अधिक आर्थिक व्यवहार्यता के लिए अधिक प्रवेश क्षमता के साथ आरंभ किए जा सकते हैं। (v) शैक्षिक और प्रशासन के लिए सुपरिभाषित नियमों के साथ कार्यरत व्यावसायिकों के लिए अंशकालीन कार्यक्रम। (vi) बड़े शहरों में इंजीनियगिं संस्थाओं के लिए भूमि की आवश्यकता 3 एकड़ से कम करके 2.5 एकड़ और मेट्रो शहरों में 5 एकड़ से कम करके 4 एकड़ कर दी गई है। (vii) संस्थानों में अवसंरचना के उपयोग में वृद्धि करने के लिए दूसरी पाली का अनुमोदन। छात्रों को तकनीकी रूप से कुशल कार्मिकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करने हेतु डिप्लोमा के पश्चात् डिग्री शिक्षा के लिए अत्यधिक मांग को पूरा करने हेतु इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी संस्थाओं में लेटरल एंट्री के लिए अतिरिक्त डिवीजन (60 सीटें)। (viii) स्नातकोत्तर शिक्षा डॉक्टोरल शिक्षा, शोध प्रकाशनों, आईपीआर तथा पेटेंट पर अधिक बल। (ix) नौकरी के साथ स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने हेतु दूसरी पाली में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। (x) पॉलिटेक्निकों के लिए पीपीपी मॉडल। (xi) सभी जीएटीई/जीपीएटी अभ्यर्थियों के लिए एम.टेक/एम. फार्मा छात्रवृत्तियों का प्रावधान।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) जो देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की संदर्श आयोजना और समन्वित विकास तथा गुणतापरक सुधार का संवर्धन का कार्य करती है, ने राज्य सरकारों को अपने संबंधित राज्यों में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए संदर्श योजना प्रदान करने का अनुरोध किया है। ऐसी राज्य संदर्श योजनाएं राज्य के क्षेत्राधिकार में अलग-अलग की संदर्श योजनाओं का समेकन है। एआईसीटीई राज्य सरकारों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करती हैं, जिन पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका और विनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

सरकार ने 12वीं योजना के लिए के एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का भी अनुमोदन किया है। आरयूएसए राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में अवस्थापनात्मक अंतरों को भरने के लिए तकनीकी शिक्षा हेतु नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना के लिए पात्र बनाती है।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के मिशन के अंतर्गत पॉलिटेक्निकों से संबंधित उप-मिशन के तहत भारत सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को 300 असेवित जिलों/अल्पसेवित जिलों में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने, 100% आवर्ती व्यय पूरा करने और 12.30 करोड़ रुपए से अधिक के अनावर्ती व्यय को पूरा करने के अधीन पॉलिटेक्निक की स्थापना की लागत को पूरा करने के लिए प्रति पॉलिटेक्निक 12.30 करोड़ रुपए तक की सीमित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कुल 287 जिलों को 31.07.2013 तक 2034.69 करोड़ रुपए की आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 7 नए प्रबंध संस्थान (आईआईएम), 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी),

5 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) और 2 नए आयोजना एवं वास्तुकला स्कूलों की स्थापना की गई थी और वे संचालनरत हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने लाभ न कमाने वाले सार्वजनिक निजी भागीदारी (एन-पीपीपी) आधार पर 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) की स्थापना का अनुमोदन किया है।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक ढांचों का संरक्षण

1572. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेट्रो निर्माण कार्य से हैदराबाद में ऐतिहासिक ढांचों को कोई खतरा उतपन्न हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विक्रेता विकास कार्यक्रम

1573. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्र स्तरीय विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम में कितने विनिर्माताओं और क्रेताओं ने भाग लिया;

(ग) क्या पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम ओोजित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। विकास आयुक्त का कार्यालय एमएसएमई-विकास संस्थानों के माध्यम से राष्ट्रीय वेंडर विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2012-13 में आयोजित वेंडर विकास कार्यक्रम तथा कार्यक्रम में भाग लेने वाले विनिर्माताओं और क्रेताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2013 के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय वेंडर विकास कार्यक्रमों (एनवीडीपी) का ब्यौरा संलग्न विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-I

वर्ष 2012-13 में आयोजित राष्ट्रीय वेंडर विकास कार्यक्रम (एनवीडीपी)

क्र. सं.	एमएसएमई-डीआई का नाम	आयोजित राष्ट्रीय वेंडर विकास कार्यक्रम	भाग लेने वाले विनिर्माता (संख्या में)	भाग लेने वाले क्रेता (संख्या में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश, हैदराबाद एवं विशाखापट्टनम	4	350	40
2.	असम, गुवाहाटी	1	110	8
3.	बिहार,	1		
	पटना	1	120	6
	मुजफ्फरपुर	1	100	5

1	2	3	4	5
4.	छत्तीसगढ़, रायपुर	1	115	5
5.	दिल्ली	4	201	30
6.	गोवा, गोवा	1	110	8
7.	गुजरात, अहमदाबाद	1	220	20
8.	हरियाणा, करनाल	1	73	15
9.	हिमाचल प्रदेश, सोलन	1	60	6
10.	झारखंड, रांची	2	160	18
11.	कर्नाटक			
	बंगलुरु	3	181	41
	हुबली	2	95	23
12.	केरल, तृश्शूर	2	74	34
13.	मध्य प्रदेश, इंदौर	1	82	7
14.	महाराष्ट्र			
	मुंबई	2	121	16
	नागपुर	2	133	21
15.	नागालैंड, शाखा दीमापुर	1	30	4
16.	ओडिशा, कटक	2	234	34
17.	पंजाब, लुधियाना	1	57	5
18.	राजस्थान, जयपुर	2	230	30
19.	तमिलनाडु, चेन्नई	5	693	29
20.	उत्तर प्रदेश			
	आगरा	2	105	9
	कानुपर	1	60	4
21.	उत्तराखंड हल्द्वानी	1	80	6
22.	पश्चिम बंगाल कोलकाता	2	321	10
	योग	47	4115	434

विवरण-II

वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर के वेंडर विकास कार्यक्रम

क्र. सं.	एमएसएमई डीआई का नाम	राष्ट्रीय स्तर के प्रस्तावित वेंडर विकास कार्यक्रम (संख्या में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	
	हैदराबाद	2
	विशाखापट्टनम	2
2.	असम, गुवाहाटी	2
3.	बिहार	
	पटना	1
	मुजफ्फरपुर	1
4.	छत्तीसगढ़, रायपुर	1
5.	दिल्ली	4
6.	गोवा, गोवा	1
7.	गुजरात, अहमदाबाद	1
8.	हरियाणा, करनाल	1
9.	हिमाचल प्रदेश, सोलन	1
10.	जम्मू और कश्मीर	1
11.	झारखंड, रांची	2
12.	कर्नाटक	
	बंगलुरु	4
	हुबली	3
13.	केरल, तृश्शूर	2
14.	मध्य प्रदेश, इंदौर	1
15.	महाराष्ट्र	
	मुंबई	2
	नागपुर	2
16.	नागालैंड, शाखा दीमापुर	1
17.	ओडिशा, कटक	2
18.	पंजाब, लुधियाना	2
19.	राजस्थान, जयपुर	2
20.	तमिलनाडु, चेन्नई	5
21.	उत्तर प्रदेश	
	आगरा	2
	कानुपर	1
22.	उत्तराखंड	
	हल्द्वानी	2
23.	पश्चिम बंगाल कोलकाता	4
	योग	56

फेरी वाले

1574. श्री के. सुगुमार :
श्री जोस के. मणि :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे स्ट्रीट वेंडर (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलिहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) बिल को अधिनियमित किए जाने तक फेरी वालों को न हटाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत

फेरी वालों के कौशल विकास और उद्यम विकास के लिए एक व्यापक योजना को लागू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने "राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन" (एनयूएलएम) शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्तावित एनयूएलएम का एक घटक शहरी पथ विक्रेता को सहायता करना है। इस घटक में विक्रय अनुकूल शहरी आयोजना, विक्रेता बाजार का विकास, विक्रेताओं को ऋण लेने में समर्थ बनाना, पथ विक्रेताओं का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, कौशल विकास और माइक्रो उद्यमों को विकास तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सहायता के साथ समाभिरूपता शामिल है।

प्रशासन की जवाबदेही

1575. श्री रामसिंह राठवा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तंत्र को जनहितैषी बनाए जाने के अतिरिक्त त्वरित और कार्यकुशल बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (द्वितीय एआरसी) का गठन अन्य बातों के साथ सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए सक्रिय, उत्तरदायी, जवाबदेह, सततता योग और कार्य कुशल प्रशासन प्राप्त करने हेतु उपाय सुझाने के लिए किया गया था। इस आयोग ने शासन के विभिन्न पहलुओं पर केन्द्र सरकार को 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अप्रैल-मई, 2013 में अनुरोध किया गया है कि सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने हेतु संबंधित सचिवों की अध्यक्षता में संस्थागत तंत्र का गठन किया जाए। इसी प्रकार, मई, 2013 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने हेतु संबंधित मुख्य सचिवों/प्रशासकों की अध्यक्षता में संस्थागत तंत्र का गठन करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी कालोनियों में जल की कमी

1576. श्री महेश जोशी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली सहित दिल्ली के विभिन्न भागों में सरकारी क्वार्टरों में पेयजल की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान आवंटियों से केन्द्री लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्युडी) द्वारा प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्वार्टरों में पेयजल की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी, हां। आराम बाग, डीआईजेड क्षेत्र एंड्रयूज गंज, सादिक नगर, नेहरु नगर, श्रीनिवासपुरी, हडको प्लेस, एनसीईआर टी कैंपस, एजीवी कॉम्पलेक्स, पुष्पविहार सेक्टर-I, III, V एवं VII देव नगर, कॉलोनी और एंड्रयूज गंज एक्स्टेंशन में पेयजल की कमी है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटियों और निकासी कल्याण संघ ने पेयजल की कमी से संबंधित 3799 शिकायतें सीपीडब्ल्युडी को दायर की है।

(ग) विशेष रूप से दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली में पेयजल की पूर्ति में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सोनिया विहार में 140 एमजीडी जल शोधन संयंत्र स्थापित करने के बाद क्षमता में वृद्धि हुई है। पुष्पविहार कॉलोनी और देव नगर कॉलोनी में जलापूर्ति की कमी को ट्यूबवेल द्वारा पूरा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ई-डाक केन्द्र

1577. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रयोक्ताओं को द्रुत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रानिक डाक सेवा शुरू करने हेतु ई-डाक केन्द्र खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने ई-डाक केन्द्र खोले गए और महाराष्ट्र सहित प्रत्येक राज्य में कितने ई-डाक केन्द्र खोले जाने का विचार है;

(ग) ई-पोस्ट सेवा आरंभ करने के पश्चात् क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(घ) इस योजना के प्रति उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) जी, हां। डाक विभाग द्वारा गंतव्य ई-पोस्ट केन्द्र तक ग्राहकों को इलेक्ट्रानिक रूप में उनको संदेशों को भेजने में सक्षम बनाने के लिए ई-पोस्ट केन्द्रों का सृजन किया गया है, जहां पर वे संदेश मुद्रित किए जाते हैं और इसके बाद संदेशों को हार्ड कापी के रूप में पाने वाले को वितरित कर दिया जाता है।

(ख) वर्तमान समय में समूचे देश में 13051 ई-पोस्ट केन्द्रों में ई-पोस्ट सुविधा उपलब्ध है। महाराष्ट्र सहित राज्य-वार सूची संलग्न विवरनण में दी गई है। नए ई-पोस्ट केन्द्र खोलना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) ई-पोस्ट सेवा से प्राप्त राजस्व 001 (सेवा का शुरूआती वर्ष) के दौरान 0.82 लाख रुपए से बढ़कर 2012-13 में 267 लाख रुपए हो गया है।

(घ) ई-पोस्ट स्कीम के तहत ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए डाक विभाग ने कॉरपोरेट तथा प्री-पेड सेवा शुरू की है।

विवरण

क्र. सं.	सर्किल का नाम	ई-पोस्ट केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1801
2.	असम	54
3.	बिहार	139
4.	छत्तीसगढ़	243
5.	दिल्ली	92
6.	गुजरात*	883
7.	हरियाणा	253
8.	हिमाचल प्रदेश	365
9.	जम्मू और कश्मीर	56
10.	झारखंड	120
11.	कर्नाटक	1258
12.	केरल**	1060
13.	मध्य प्रदेश	604
14.	महाराष्ट्र#	1494
15.	पूर्वोत्तर##	51
16.	ओडिशा	343
17.	पंजाब@	19
18.	राजस्थान	911
19.	तमिलनाडु@@	2090
20.	उत्तर प्रदेश	588
21.	उत्तराखंड	162
22.	पश्चिम बंगाल	465
	कुल	13051

* दमन, दीव एवं दादरा और नगर हवेली सहित

** लक्षद्वीप सहित

गोवा सहित

मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, त्रिपुरा सहित

@ चंडीगढ सहित

@@ पुदुचेरी सहित

@@@सिक्किम, अंडमान और निकोबार दीपसमूह सहित

[हिन्दी]

हिंदी विश्वविद्यालयों की स्थापना

1578. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में हिंदी विश्वविद्यालयों की राज्य-वार और स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सहित राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में नए हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित करने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन हिंदी विश्वविद्यालयों के विकास हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में तीन हिंदी विश्वविद्यालय हैं नामत:—

1. अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय (एबीवीएचवी), भोपाल (मध्य प्रदेश)

2. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (डीबीएचपीएस), चेन्नई तमिलनाडु (राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से नए हिंदी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) XIवीं योजना और XIIवीं योजना के दौरान, यूजीसी ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा को निम्न प्रकार से निधियां जारी की:—

(लाख रुपए)

XIवीं योजना		XIIवीं योजना (आज की तिथि तक)	
योजनागत	10709.50	योजनागत	5250.00
योजनेतर	3372.85	योजनेतर	1605.37

XIवीं योजना और XIIवीं योजना के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्री हिंदी निदेशालय ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई को निम्न प्रकार से निधियां जारी की:—

(लाख रुपए)

XIवीं योजना		XIIवीं योजना (आज की तिथि तक)	
योजनागत	1324.94	योजनागत	302.98

अटल बिहार वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल को सरकार अथवा यूजीसी द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई।

[अनुवाद]

यातायात की समस्या

1579. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी और महानगरों में यातायात की अभूतपूर्व समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को यातायात का घनत्व घटाने हेतु अवसंरचना बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) केन्द्र सरकार ने शहरों में यातायात की कठिनाइयों के समाधान के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे व्यापक मोबिलिटी योजना (सीएमपी) एवं अन्य यातायात तथा परिवहन अध्ययन/सर्वेक्षण तैयार करने के लिए वित्तपोषण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु वित्तपोषण, जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत बस द्रुत परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) एवं बसों का वित्तपोषण, विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति एवं वित्तपोषण, मार्गदर्शन हेतु टूलकिट, प्रशिक्षण सामग्री एवं अन्य दस्तावेज तैयार करके क्षमता निर्माण तथा साथ ही साथ कार्यशाला एवं सेमिनार का आयोजन।

सरकार ने 1 बीआरटीएस को अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें से तीन परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरण में हैं। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत दिल्ली एवं अन्य मेट्रो शहरों सहित सभी 61 मिशन मोड शहरों के लिए कुल 15260 बसें पहले ही स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पहाड़ी राज्यों पर विशेष जोर देते

हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 10,000 तक बसों की स्वीकृति की घोशणा की है। सरकार ने तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी के लिए परिवहन की सुरक्षित, किफायती, तीव्र, आरामदायक, विश्वसनीय एवं सुस्थिर पहुंच प्रदान करने के लिए दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), कोलकाता, बंगलौर, जयपुर, कोच्चि, चेन्नई, हैदराबाद एवं मुंबई में भी मेट्रो रेल परियोजनाएं स्वीकृत की है।

(ख) और (ग) जी, हां। मेट्रो रेल परियोजनाओं के राज्य-वार एवं वर्ष-वार वित्तपोषण ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है, शहरी परिवहन योजना स्कीम के अंतर्गत ब्यौरा संलग्न विवरण-II में एवं जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी परिवहन के लि बसों की खरीद हेतु केन्द्रीय सहायता (एसीए) का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य-वार एवं वर्ष-वार अनुमोदित मेट्रो रेल परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

करोड़ रुपए

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय सहायता				
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन	1941.00	3668.00	3650.33	3389.89	1612.95
2.	तमिलनाडु	चेन्नई मेट्रो रेल कारपोरेशन लि.	—	—	112.79	652.00	1810.00
3.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लि.	—	12.00	124.00	407.00	250.00
4.	कर्नाटक	बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लि.	144.00	280.09	386.10	578.22	1480.00
5.	महाराष्ट्र	मुंबई मेट्रो लाइन-I	—	—	235.50	—	75.00

*परियोजना रेल मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है। रेल मंत्रालय ने अभी तक परियोजना को अपने हाथ में नहीं लिया है।

विवरण-II

शहरी परिवहन योजना स्कीम के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य/यूटी को केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

लाख रुपए

क्र.सं.	राज्य	11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय सहायता				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	—	19.80	—	44.00	—
2.	चंडीगढ़	—	—	—	—	20.02

1	2	3	4	5	6	7
3.	दिल्ली	152.58	—	—	—	250.79
4.	गुजरात	—	—	—	—	121.05
5.	हरियाणा	55.10	—	—	—	—
6.	कर्नाटक	—	32.942	—	331.72	45.69
7.	केरल	33.06	—	—	—	—
8.	मध्य प्रदेश	—	—	—	360.00	4.54
9.	महाराष्ट्र	—	11.47	—	251.45	12.00
10.	मणिपुर	—	—	—	—	—
11.	मेघालय	—	—	—	24.26	—
12.	पंजाब	—	—	—	9.96	39.85
13.	राजस्थान	—	—	—	184.21	—
14.	तमिलनाडु	—	—	—	205.00	—
15.	त्रिपुरा	—	—	39.96	—	—
16.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	133.46
17.	पश्चिम बंगाल	26.45	39.33	—	—	—

विवरण-III

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसों की खरीद हेतु स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता (एसीए) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	एसीए	11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय सहायता				
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	176.50	—	90.88	0	19.10	1.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.74	—	1.95	0	0	0.9913
3.	असम	47.29	—	7.11	0	13.49	0
4.	बिहार	25.35	—	12.68	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	चंडीगढ़	34.20	—	17.10	0	8.28	0
6.	छत्तीसगढ़	11.88	—	5.94	0	0	0
7.	गोवा	6.16	—	3.08	0	1.96	0
8.	गुजरात	88.20	—	39.08	0	0	0
9.	हरियाणा	27.30	—	13.65	0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	6.08	—	3.04	0	2.43	0
11.	जम्मू और कश्मीर	23.76	—	0	5.94	0	13.04
12.	झारखंड	23.90	—	11.95	0	0	0
13.	कर्नाटक	159.04	—	72.12	12.04	26.52	12.14
14.	केरल	78.22	—	39.11	0	0	0
15.	मध्य प्रदेश	101.12	—	50.56	0	0	3.98
16.	महाराष्ट्र	299.60	—	142.67	0	16.29	17.38
17.	मणिपुर	6.08	—	3.04	0	0	0
18.	मेघालय	14.76	—	0	3.69	3.69	0
19.	मिज़ोरम	2.93	—	1.46	0	0	0
20.	नागालैंड	2.70	—	0	0.68	0	0
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	274.75	—	115.52	1.75	0	106.88
22.	ओडिशा	15.84	—	7.92	3.68	2.59	0
23.	पुदुचेरी	12.92	—	0	3.23	0	0
24.	पंजाब	49.15	—	24.63	0	0	0
25.	राजस्थान	77.57	—	38.68	0	0	17.08
26.	सिक्किम	2.70	—	0	0.68	1.12	0
27.	तमिलनाडु	192.35	—	96.18	0	13.09	13.08
28.	त्रिपुरा	14.65	—	7.65	0	0	2.71
29.	उत्तर प्रदेश	142.92	—	130.30	0	0	0
30.	उत्तराखंड	21.74	—	10.87	0	2.65	0
31.	पश्चिम बंगाल	145.40	—	68.50	0	0	0

विदेशी ई-पत्रिका की खरीद

1580. **श्री पी.आर. नटराजन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विश्वविद्यालयों द्वारा ई-पत्रिकाओं की खरीद का विश्लेषण करने हेतु कोई तकनीकी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी विश्वविद्यालयों के प्रबंधन से कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चुनिंदा विदेशी ई-पत्रिकाओं की खरदी पर मनमाने ढंग से जोर देती रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के निदेशक की अध्यक्षता में तकनीकी संस्थाओं में ई-जनरलों की आवश्यकता का विश्लेषण करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

(ग) और (घ) एआईसीटीई ने ई-जनरलों की खरीद पर जानबूझ कर दबाव नहीं दिया है क्योंकि यह शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर लिया गया निर्णय था और इसका तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिया गया था। तथापि, अनिवार्य रूप से ई-जनरलों के सब्सक्रिपशन के संबंध में एआईसीटीई में प्राप्त शिकायतों को न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) आर.जी धिकर की एक-सदस्यीय समिति को भेजा गया था जिसने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया है कि "स्थिति की दोबारा जांच करना अनावश्यक है और मैंने यह पाया है कि परिषद ने अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी करने से पहले पर्याप्त कदम उठाए हैं और सावधानी बरती है। इसलिए, यह कहना व्यर्थ है कि अनिवार्य दिशा-निर्देश प्रकाशकों और एआईसीटीई के अनामित कर्मचारियों के बीच किसी संघर्ष का परिणाम है।"

(ङ) वर्तमान में यह मामला न्यायाधीन है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है जो इस प्रकार है "डीईएलएनईटी/आईएनडीईएसटी के माध्यम से जनरलों की खरीद हेतु आवेदक।"

[हिन्दी]

अंतरिक्ष मौसम अध्ययन केन्द्र की स्थापना

1581. **श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अंतरिक्ष पर्यावरण में पद्धति हेतु कोलकाता में अंतरिक्ष मौसम अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस केन्द्र को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा अंतरिक्ष मौसम अध्ययन केन्द्र और भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र के बीच समन्वय के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की योजना के तहत भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता में धरती के निकट अंतरिक्ष के मौसम को समझने और उसका अनुमान लगाने जो सैटेलाइट प्रचालनों, उड्डयन, दूरसंचार जैसी अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकियों पर प्रभाव डालता है, मानव संसाधनों को इन उभरते हुए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की है।

(ग) और (घ) इस केन्द्र की स्थापना अगस्त, 2013 में की गई और भारतीय मौसम विभाग से समन्वय करना इस केन्द्र के परिकल्पित उद्देश्यों में से एक है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

1582. **श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ** :
श्री शिवकुमार उदासी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्यरत सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्थापित/स्वीकृत विश्वविद्यालयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान स्थायी/स्वीकृत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पास पर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक स्थान पर गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) आबंटित धनराशि के समुचित उपयोग की निगरानी करने हेतु स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में कार्यरत 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची उनकी अवस्थिति के साथ संलग्न विवरण-I में दी गई है। गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया है। हालांकि, सरकार ने दो और केन्द्रीय विश्वविद्यालय — एक बिहार में मोतिहारी और दूसरा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में केवल महिलाओं के लिए स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये विश्वविद्यालय केवल संसद द्वारा संबंधित विधान पारित किए जाने पर ही स्थापित/संस्वीकृत किए जा सकते हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आोग (यूजीसी) के माध्यम से वित्तपोषित 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा इस योजना के तहत् जारी किए गए अनुदान और व्यय का विश्वविद्यालय-वार, वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इस मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के संबंध में ये ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिये गये हैं।

(ङ) यूजीसी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा निधियों का उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित करने हेतु अनेक कदम उठाता है। निधियां जारी करना उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही निर्भर है। प्रत्येक योजनावधि के आरंभ में यूजीसी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा पूर्ववर्ती योजना में की गई प्रगति की समीक्षा करता है और प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की निधियों की आवश्यकता का अकादमिक, अनुसंधान और अभिशासन जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटरों के आधार पर मूल्यांकन भी करता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए संबंधित वित्त समितियों/कार्यकारी परिषदों जैसे सांविधिक निकायों को उनकी वास्तविक और वित्तीय प्रगति दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखा-परीक्षा के अध्यधीन हैं और प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे प्रतिवर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

विवरण-I

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम और स्थान

क्र. सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना का वर्ष	केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थान
1	2	3	4
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	1974	हैदराबाद आंध्र प्रदेश
2.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	1997	हैदराबाद आंध्र प्रदेश
3.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	2007	हैदराबाद आंध्र प्रदेश
4.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	2007	ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
5.	असम विश्वविद्यालय	1994	सिल्चर, असम
6.	तेजपुर विश्वविद्यालय	1994	तेजपुर, असम
7.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009	पटना, बिहार [अस्थाई परिसर (टीसी)]
8.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	2009	विलासपुर, छत्तीसगढ़
9.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1922	दिल्ली
10.	जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय	1968	नई दिल्ली
11.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1988	नई दिल्ली
12.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009	गांधीनगर, गुजरात (टीसी)

1	2	3	4
13.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009	महेंद्रगढ़, हरियाणा (टीसी)
14.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009	धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश (टीसी)
15.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर (टीसी)
16.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009	जम्मू, जम्मू और कश्मीर (टीसी)
17.	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009	रांची, झारखंड (टीसी)
18.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009	गुलबर्ग, कर्नाटक (टीसी)
19.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009	कासरगोड, केरल (टीसी)
20.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	2008	अमरकंटक, मध्य प्रदेश
21.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय	2009	सागर, मध्य प्रदेश
22.	महात्मा गांधी अर्न्तराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	1997	वर्धा, महाराष्ट्र
23.	मणिपुर विश्वविद्यालय	2005	इम्फाल, मणिपुर
24.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	1973	शिलांग, मेघालय
25.	मिजोरम विश्वविद्यालय	2001	आइजोल, मिज़ोरम
26.	नागालैंड विश्वविद्यालय	1994	लुमामी, नागालैंड
27.	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009	कोरापुट, ओडिशा (टीसी)
28.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	1985	पुदुचेरी
29.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009	भटिंडा, पंजाब (टीसी)
30.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009	अजमेर, राजस्थान
31.	सिक्किम विश्वविद्यालय	2007	गंगटोक, सिक्किम (टीसी)
32.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2009	तिरुवरुर, तमिलनाडु (टीसी)
33.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2007	अगरतला, त्रिपुरा
34.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	1916	वाराणसी, उत्तर प्रदेश
35.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1920	अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
36.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1996	लखनऊ, उत्तर प्रदेश
37.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	2005	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
38.	हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	2009	श्रीनगर, उत्तराखंड
39.	विश्वभारती	1951	शांति-निकेतन, पश्चिम बंगाल
40.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	1985	नई दिल्ली

विवरण-II

जारी अनुदानों और सूचित व्यय का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	योजनागत के तहत जारी अनुदान					केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सूचित व्यय*			
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 आज की तिथि तक	कुल	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
गैर पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय											
1.	आंध्र प्रदेश	एमएएन उर्दू विश्वविद्यालय	5620.30	1720.00	5112.50	2500.00	12452.80	3428.93	2914.67	4202.24	10545.84
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	5107.29	8033.11	8175.00	0.00	21315.40	5271.61	8312.89	4928.24	18512.74
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	4628.84	2500.00	4700.00	0.00	11828.84	3631.93	2472.00	1688.07	7792.00
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	3000.00	6060.00	7100.00	0.00	16160.00	4415.74	5374.01	3004.09	12793.84
5a		दिल्ली विश्वविद्यालय	23881.78	21800.00	8927.40	0.00	54609.18	8477.47	17092.13	1392.56	26962.16
b		यूसीएमएस	1000.00	1986.94	1500.00	2400.00	4486.94	871.70	1832.11	1468.84	4172.65
6.	दिल्ली	जामिया मिलिया इस्लामिया	7785.00	6394.00	8355.00	0.00	22534.00	4230.84	3635.54	4393.26	12259.64
7.		जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय	7430.06	9253.05	2100.00	0.00	18783.11	4971.01	7152.86	1652.98	13776.85
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय	1500.00	6946.96	1575.00	0.00	10021.96	1533.60	3311.62	1371.89	6217.11
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	3052.00	9502.00	11075.00	5000.00	23629.00	2796.73	10057.14	10208.15	23062.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय	2442.59	3915.50	4250.00	1000.00	10608.09	2185.17	2435.63	3108.94	7729.74
11.	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	6724.27	6984.48	7275.00	3000.00	20983.75	6310.64	7784.79	6729.45	20824.88
12.	उत्तराखंड	हेवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	4500.00	9180.82	6350.00	0.00	20030.82	1963.45	5609.84	3870.11	11443.40
13.		अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	7650.00	3420.00	13559.66	482.14	24629.66	4318.93	6155.12	4687.83	15161.88
14.	उत्तर प्रदेश	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	11545.38	8009.00	14166.73	0.00	33721.11	11951.30	20244.51	4397.13	36592.94
15.		बीबीएयू	2900.00	5987.00	4843.72	0.00	13730.72	3059.16	4146.18	917.72	8120.06
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	5849.37	5055.74	2020.00	0.00	12925.11	3889.60	3104.67	709.17	7703.44
17.	पश्चिम बंगाल	विश्वभारती	6819.82	6501.40	525.00	0.00	13846.22	3611.39	8278.88	702.20	12592.47
	कुल (आई) (गैर पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		111436.70	123250	111610.01	14382.14	346296.71	76916.20	119914.59	59432.87	256263.66
नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय											
18.	बिहार	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार	1500.00	0.00	2030.00	0.00	3530.00	493.32	760.65	961.80	2215.77
19.	गुजरात	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात	2500.00	3000.00	3175.00	0.00	8675.00	1049.49	1839.50	1642.11	4531.10
20.	हरियाणा	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा	4000.00	4400.00	2565.00	0.00	10965.00	2309.44	1767.61	2823.28	6900.33
21.	हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	1500.00	1000.00	2575.00	0.00	5075.00	596.14	489.99	968.76	2054.89
22.	जम्मू और	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू	0.00	1150.00	3037.50	0.00	4187.50	0.00	332.40	726.40	1058.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	कश्मीर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर	1000.00	0.00	781.25	2500.00	1781.25	316.30	398.12	1192.77	1907.19
24.	झारखंड	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड	4000.00	4900.00	5075.00	5000.00	13975.00	2943.96	4202.38	7429.08	14575.42
25.	कर्नाटक	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक	9075.00	10000.00	3075.00	0.00	22150.00	6445.69	11288.06	1265.00	18998.75
26.	केरल	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल	1250.00	2500.00	4875.00	0.00	8625.00	774.40	1631.38	3302.78	5708.56
27.	ओडिशा	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडिशा	3000.00	3500.00	2531.25	0.00	9031.25	1743.87	1932.82	1048.07	4724.76
28.	पंजाब	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब	2500.00	2500.00	3075.00	0.00	8075.00	1878.19	1686.35	2474.67	6039.21
29.	राजस्थान	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान	8000.00	10700.00	10031.25	5000.00	28731.25	6597.13	12227.90	98.09.53	28634.56
30.	तमिलनाडु	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	7000.00	9800.00	11031.25	0.00	27831.25	5147.00	10892.00	7026.44	23065.44
	कुल-II (नए विश्वविद्यालय)		45325.00	53450.00	53857.50	12500.00	152632.50	30294.93	49449.16	40670.69	120414.78
	कुल (I+II)		156761.70	176700.00	165467.51	26882.14	498929.21	107211.13	169363.75	100103.56	376678.44
	पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय										
31.	असम	असम विश्वविद्यालय	5373.70	3695.00	4372.50	0.00	13441.20	4488.21	2962.11	1283.58	8733.90
32.		तेजपुर विश्वविद्यालय	4670.00	6300.00	7718.39	1600.00	18688.92	4401.37	4374.87	6206.26	14982.50
33.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	1075.00	1375.00	4006.25	0.00	6456.25	1159.03	1491.02	438.20	3088.25
34.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	4908.41	3496.69	5272.50	0.00	13677.60	2828.15	3222.91	2606.40	8657.46
35.	मेघालय	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	6164.15	3960.00	1132.00	0.00	11256.15	6361.06	3337.61	543.61	10242.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	मज़ोरम	मिज़ोरम विश्वविद्यालय	3500.00	4213.14	6758.75	0.00	14471.89	4319.67	6833.21	4022.54	15175.42
37.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	1700.00	2625.00	678.75	0.00	5003.75	224.36	1374.43	134.37	3753.16
38.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	3000.00	2000.00	5672.50	0.00	10672.50	2304.23	3217.63	2420.49	7942.35
39.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	5141.20	2225.00	1840.00	0.00	9206.20	3090.92	3703.57	105.75	6900.24
		कुल (III) पूर्वोत्तर)	35532.46	29890.36	37451.64	1600.00	102874.46	31197	30517.36	17761.20	79475.56
		कुल योग (गैर-पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय + नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	192294.16	206590.36	202919.15	28482.14	601803.67	138408.13	199881.11	117864.76	456154.00

*वर्ष 2013-14 के आंकड़े संकलित नहीं।

विवरण-III

इग्नू के संबंध में ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	योजनागत के तहत जारी अनुदान					इग्नू द्वारा सूचित व्यय*			
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 आज की तिथि तक	कुल	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1.	दिल्ली	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय	9321	9100	10500	3100	32021	7466	7204.68	9248.70	23919.38

*वर्ष 2013-14 के आंकड़े संकलित नहीं।

[हिन्दी]

विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय

1583. **श्री गोपाल सिंह शेखावत : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानदंड क्या हैं;

(ख) वर्तमान में देश में कार्यरत विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

न्यायालयों का कार्य समय

1584. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर :**
श्री रतन सिंह :
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्याय परिदान में सुधार के लिए 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कया दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु प्रात:/सायं की पालियों के माध्यम से न्यायालय का कार्य समय बढ़ाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु आबंटित धनराशि सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के विभिन्न न्यायालयों में भारी संख्या में बकाया लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) तेरहवें वित्त आयोग ने न्याय परिदान में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपायों पर सुझाव हैं:—

(i) प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालयों के आयोजन द्वारा विद्यमान अवसंरचना का उपयोग करके न्यायालय के कार्यघंटों की संख्या में वृद्धि करना; (ii) नियमित न्यायालयों में दबाव कम करने के लिए लोक अदालतों के समर्थन में वृद्धि करना; (iii) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को विधिक सहायता में वृद्धि करने और न्याय के प्रति उनकी पहुंच को सशक्त करने में समर्थ बनाने के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना; (iv) न्यायालय प्रणाली से बाहर विवादों के भाग रूप में समाधान करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन करना; (v) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों की क्षमता में वृद्धि करना; (vi) ऐसे प्रशिक्षण को सुकर बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक न्यायिक अकादमी के सृजन या उसको सुदृढ़ करने में समर्थन देना; (vii) न्यायपालिका को उनके प्रशासनिक कृत्यों में सहायता करने के लिए प्रत्येक न्यायिक जिले और उच्च न्यायालयों में न्यायालय प्रबंधकों के पद को सृजित करना; और (viii) विरासत न्यायालय भवनों का अनुरक्षण करना।

(ख) और (ग)तेरहवें वित्त आयोग के अधीन प्रदान किए गए 5000 करोड़ रुपए में से, 2500 करोड़ रुपए लघु मामलों का विचारण करने के लिए प्रात:कालीन/सांय कालीन/पारी/विशेष न्यायालयों के लिए आबंटित किए गए हैं और जिससे कि मामलों के बैकलॉग को निपटाया जा सके और विद्यमान अवसंरचना का प्रयोग करते हुए लंबित मामलों की संख्या को कम किया जा सके। निधि आबंटन और प्रगति के ब्यौरे उपाबंध पर हैं। राज्य सरकारों ने प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालयों में विभिन्न कठिनाईयां जैसे (i) भौगोलिक और स्थानीय नियंत्रण विशिष्टतया पूर्वोत्तर राज्यों में; (ii) इन न्यायालयों के लिए समुचित प्रास्थिति के न्यायिक अधिकारियों की कमी; और (iii) विधिज्ञ संगमो से प्रतिरोध, अभिव्यक्त किया है।

(घ) तेरहवें वित्त आयोग के अधीन लोक अदालतें, अनुकल्पी विवाद समाधान केन्द्र, न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण और लोक अभियोजकों का प्रशिक्षण जैसी पहलों ने न्यायालयों में लंबित मामलों के बैकलॉग के निपटान में योगदान किया है। तेरहवें वित्त आयोग के प्रारंभ होने के समय से 31 जुलाई, 2013 तक संपूर्ण देश में 94,000 लोक अदालतें आयोजित करके 46 लाख मामले का निपटान कर दिया जाना रिपोर्ट किया गया है।

विवरण

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के अधीन प्रात:कालीन/सांयकालीन/पाली न्यायालयों आदि की वास्तविक और वित्तीय प्रकृति (31 जुलाई, 2013 को प्रास्थिति)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	आबंटित निधि	जारी निधि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र	राज्य में कार्यरत प्रात:कालीन/सांयकालीन/ पाली न्यायालय आदि की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	145.18	43.55	0.00	207
2.	अरुणाचल प्रदेश	53.15	10.63	0.00	0
3.	असम	45.31	9.06	0.12	89
4.	बिहार	214.32	64.30	0.00	38
5.	छत्तीसगढ़	54.56	10.91	0.00	0
6.	गोवा	7.68	1.54	0.00	0
7.	गुजरात	161.17	48.35	0.00	0
8.	हरियाणा	61.61	18.48	1.82	64
9.	हिमाचल प्रदेश	19.75	7.9	0.45	2
10.	जम्मू और कश्मीर	32.61	9.78	0.00	0
11.	झारखंड	82.62	16.52	0.00	0
12.	कर्नाटक	136.71	41.01	0.00	0
13.	केरल	67.42	20.23	0.29	5
14.	मध्य प्रदेश	204.91	61.47	0.00	0
15.	महाराष्ट्र	297.57	89.27	12.88	394
16.	मणिपुर	5.33	1.07	0.06	0
17.	मेघालय	1.57	0.31	0.01	0
18.	मिज़ोरम	6.27	1.88	0.00	0
19.	नागालैंड	4.23	0.85	0.00	0

1	2	3	4	5	6
20.	ओडिशा	83.25	24.98	0.85	198
21.	पंजाब	54.25	16.28	1.69	52
22.	राजस्थान	129.34	38.80	0.00	0
23.	सिक्किम	2.04	0.41	0.00	0
24.	तमिलनाडु	123.54	24.71	1.00	10
25.	त्रिपुरा	12.54	3.76	0.18	135
26.	उत्तर प्रदेश	340.84	102.25	2.56	340
27.	उत्तराखंड	42.8	12.84	0.35	25
28.	पश्चिम बंगाल	109.43	32.83	0.00	0
	योग	2500.00	713.97	22.26	1559

[हिन्दी]

प्रतिदिन दो वक्त के भोजन का खर्च

1585. श्री अर्जुन राम मेघवाल :
प्रो. रामशंकर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार का प्रतिदिन दो वक्त का भोजन जुटाने हेतु प्रतिशत गत वर्षों में बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंड/पैरामीटर सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड/पैरामीटर के औचित्य के मद्देनजर इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पंचवार्षिक रूप से किए जाने वाले एनएसएउस उपभोक्ता व्यय संबंधी सर्वेक्षणों से परिवार उपभोक्ता व्यय के अनुमानों तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर इसके वितरण के बार में पता चलता है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर, जैसा कि "भारतीय परिवारों में खाद्य उपभोग की अनुमानित पर्याप्तता" पर एनएसएस रिपोर्ट सं. 547 (फरवरी 2013) में इंगित किया गया है, वर्ष भर दो वक्त का भोजन प्राप्त होने की सूचना देने वाले परिवारों की प्रतिशतता ग्रामीण भारत में 2004-05 में लगभग 97.4% से बढ़कर 2009-10 में 98.9% और शहरी भारत में 2004-05 में लगभग 99.4% से बढ़कर 99.6% हो गई है। ये अनुमान प्रतिनिधिक प्रतिदर्श परिवारों के साक्षात्कारों पर आधारित हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष भर खाद्य पर्याप्तता से संबंधित प्रश्न भी शामिल होते हैं। वर्ष 2004-05 और 2009-10 के लिए संबंधित एनएसएस रिपोर्टों से प्राप्त डेटा के आधार पर, भारत के 17 प्रमुख राज्यों (जनगणना 2001 के अनुसार 20 मिलियन या अधिक की आबादी वाले) में, इन अनुमानों का राज्य-वार वितरण, ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए पृथक रूप से, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इन अनुमानों को अभिनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड/पैरामीटर के औचित्य के संबंध में योजना आयोग को सामाजिक संगठनों से कोई अभिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

17 प्रमुख राज्यों में वर्ष भर पर्याप्त भोजन प्राप्त होने की सूचना देने वाले परिवारों की प्रतिशतता

	2004-05	2009-10
	1	2
	ग्रामीण क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	99.3	99.5
असम	94.0	98.7
बिहार	96.7	97.9
छत्तीसगढ़	97.4	99.1
गुजरात	99.8	99.9
हरियाणा	100	100
झारखंड	99.3	99.6
कर्नाटक	99.7	99.9
केरल	97.5	99.5
मध्य प्रदेश	97.98	99.1
महाराष्ट्र	99.0	99.5
ओडिशा	93.4	96.0
पंजाब	99.1	99.6
राजस्थान	99.9	99.8
तमिलनाडु	99.8	100
उत्तर प्रदेश	98.1	99.3
पश्चिम बंगाल	88.0	95.4
अखिल भारत	97.4	98.9
	ग्रामीण क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	99.9	99.8
असम	97.3	99.4
	1	2
बिहार	97.5	99.3
छत्तीसगढ़	99.9	100
गुजरात	100	99.7
हरियाणा	99.8	99.3
झारखंड	100	99.9
कर्नाटक	99.8	100
केरल	98.2	99.5
मध्य प्रदेश	99.6	97.5
महाराष्ट्र	99.4	100
ओडिशा	99.4	98.9
पंजाब	99.8	100
राजस्थान	100	100
तमिलनाडु	99.7	99.9
उत्तर प्रदेश	99.0	99.9
पश्चिम बंगाल	98.4	98.7
अखिल भारत	99.4	99.6

डेटा स्रोत: भारतीय परिवारों में खाद्य उपभोग की अनुमानित पर्याप्तता (2004-05 और 2009-10) पर एनएसएस रिपोर्ट सं.512 और 547।

[अनुवाद]

शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1586. **श्री कपिल मुनि करवारिया :**
श्री राम सुन्दर दास :
डॉ. भोला सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने विश्वविद्यालयों ने इस संबंध में अनुमति मांगी है;

(घ) क्या सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करने हेतु कोई एजेंडा तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एफडीआई से शिक्षा के क्षेत्र को क्या लाभ हुए हैं अथवा लाभ होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है।

(ग) किसी विश्वविद्यालय द्वारा मंत्रालय की अनुमति ली जानी आवश्यक नहीं है क्योंकि एफडीआई स्वचालित मार्ग से अनुमत है।

(घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय 3 मई, 2010 को संसद में विदेशी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश एवं संचालन विनियमन) विधेयक, 2010 ला चुका है। इस विधेयक में विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं (एफडीआई) के प्रवेश एवं संचालन के विनयम के लिए कार्यतंत्र की व्यवस्था की गई है। इसका आशय सरकार को संदिग्ध गुणवत्तायुक्त विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं की रोकथाम करते हुए प्रतिष्ठित विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश की अनुमति देने में समर्थ बनाना है।

(ङ) उच्च गुणवत्तायुक्त विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं का प्रवेश और अस्तित्व अन्य बातों के साथ-साथ उच्च शिक्षा प्रणाली की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने; देश से प्रतिभा पलायन को रोकने में सहायता करने; अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने; सहयोग और भागीदारियों के माध्यम से भारतीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्ता लाभ प्रदान करने और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में अधिक निवेशों को सुगम बनाने में योगदान देगा।

साइबर और सूचना सुरक्षा विषयों के रूप में

1587. **श्री एम. आनंदन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं से अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर साइबर और सूचना सुरक्षा को विषय के रूप में आरंभ करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर इन विश्वविद्यालयों/तकनीकी विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में उनके द्वारा क्या प्रगति की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रिमंडल समिति के निदेश से सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखा है कि विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थाओं में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर साइबर सुरक्षा/सूचना सुरक्षा को एक विषय के रूप में शुरू करना सुनिश्चित किया जाए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने सूचित किया है कि कार्यबल की सिफारिशें मिलने के पश्चात् उसने अनुमोदन पुस्तिका में यह व्यवस्था की है कि स्नातकोत्तर और पोस्ट डिप्लोमा स्तरों पर आवंटित दो प्रभावों में से एक इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की कंप्यूटर/आईटी शाखाओं में एक साइबर सुरक्षा या साइबर सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों के संबंध में होगा। विभिन्न राज्यों में सुरक्षा पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों का ब्यौरा और उनके लिए उपलब्ध सीटों की संख्या, जैसाकि एआईसीटीई ने प्रदान की है संलग्न विवरण में है।

विवरण

साइबर सुरक्षा संबंधी पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	संस्थाओं की संख्या	कुल अनुमोदित सीटें
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	साइबर फॉरेन्सिक और सूचना सुरक्षा	2	36

1	2	3	4	5
2.		साइबर सुरक्षा	2	42
	आंध्र प्रदेश कुल		4	78
3.	छत्तीसगढ़	साइबर फॉरेन्सिक और सूचना सुरक्षा	1	18
		सूचना सुरक्षा	1	24
	छत्तीसगढ़ कुल		2	42
4.	दिल्ली	सूचना सुरक्षा	2	43
	दिल्ली कुल		2	43
5.	गुजरात	साइबर सुरक्षा	1	18
	गुजरात कुल		1	18
6.	हरियाणा	साइबर फॉरेन्सिक और सूचना सुरक्षा	1	24
	हरियाणा कुल		1	24
7.	झारखंड	सूचना सुरक्षा	1	18
	झारखंड कुल		1	18
8.	कर्नाटक	साइबर फॉरेन्सिक और सूचना सुरक्षा	1	18
		साइबर सुरक्षा	1	18
	कर्नाटक कुल		2	36
9.	केरल	साइबर फॉरेन्सिक और सूचना सुरक्षा	2	42
		साइबर सुरक्षा	4	96
		सूचना सुरक्षा	1	18
	केरल कुल		7	156
10.	मध्य प्रदेश	साइबर फॉरेन्सिक	1	18
		साइबर सुरक्षा	5	102
		सूचना सुरक्षा	1	18
	मध्य प्रदेश कुल		7	138

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	साइबर सुरक्षा	1	25
	महाराष्ट्र कुल		1	25
12.	पुदुचेरी	सूचना सुरक्षा	1	36
	पुदुचेरी कुल		1	36
13.	पंजाब	सूचना सुरक्षा	1	18
	पंजाब कुल		1	18
14.	तमिलनाडु	साइबर सुरक्षा	2	42
	तमिलनाडु कुल		2	42
15.	उत्तर प्रदेश	साइबर सुरक्षा	1	18
	उत्तर प्रदेश कुल		1	18
16.	उत्तराखंड	सूचना सुरक्षा और प्रबंधन	1	18
	उत्तराखंड कुल		1	18

पीपीपी आधार पर आदर्श विद्यालय

1588. श्री रमेन डेका :
श्री संजय भोई :
श्री हेमानंद बिसवाल :
श्री मानिक टैगोर :
श्री एस. अलागिरी :
श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर आदर्श माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्य-विधियां तैयार की गई हैं;

(ग) उन निजी कंपनियों की संख्या सहित नाम क्या हैं जिन्होंने पीपीपी आधार में अपनी रूचि दर्शाई है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने मॉडल स्कूल योजना के घटक के रूप में उन ब्लॉकों, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं, में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत 2500 मॉडल स्कूलों को स्थापित किए जाने की योजना को अनुमोदित कर दिया है। इस घटक का कार्यान्वयन वर्ष 2012-13 से शुरू कर दिया गया है। निजी संस्थाएं अपने खर्चे पर भूमि-अधिग्रहण करेंगी और तदुपरांत स्कूलों का विकास, डिजाइन, निर्माण, वित्त-पोषण अवसंरचना उपलब्ध कराने, संचालन, रख-रखाव तथा प्रबंधन संबंधी कार्य करेंगी और उनका स्वामित्व प्राप्त करेंगी। सरकार इस योजना के तहत अनुमत

प्रति स्कूल 2500 छात्रों की अधिकतम संख्या में से 980 चयनित छात्रों की प्रति व्यक्ति आय की दर से आवर्ती लागत में योगदान देगी। इसके अलावा, प्रत्येक प्रायोजित छात्र के लिए दी जाने वाली इस प्रकार की सहायता के 25 प्रतिशत के बराबर की राशि, जो स्कूल में पूंजीगत निवेश की 10 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं हो, भी अवसंरचना अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक स्कूल के लिए गुणवत्ता शिक्षा के इस प्रावधान का निजी संस्थाओं के साथ प्रारंभिक करार 10 वर्ष के लिए होगा जिसे पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकता है। इस मंत्रालय ने इस प्रकार के 2500 मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए देश भर में 3203 ब्लॉकों, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नहीं हैं, की पहचान की ली है और निजी संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। स्थापित किए जाने वाले स्कूलों की अनुमानित संख्या निजी संस्थाओं द्वारा दर्शाई जाने वाली अभिरूचि पर निर्भर है।

(ग) सरकार द्वारा इस घटक के कार्यान्वयन के अनुमोदन के बाद वर्ष 2012-13 से सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति (पीपीपी मॉड) के तहत मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए निजी संस्थाओं की प्रवृत्ति और उनकी अभिरूचि-सीमा-मापन हेतु मार्च 2012 में रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई थी। इसके प्रत्युत्तर में ईओआई प्राप्ति की निर्धारित तारीख तक 114 संस्थाओं ने प्रत्युत्तर दिया था। ऐसी संस्थाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने प्रायोगिक आधार पर 50 मॉडल स्कूलों के आवंटन हेतु योग्य निजी संस्थाओं द्वारा पूर्व-योग्यता प्राप्ति की योग्यता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) आमंत्रित किए थे। कुल 65 निजी संस्थाओं की लघु सूची बनाई गई है और प्रथम चरण में मॉडल स्कूलों के आवंटन हेतु बोलियां आमंत्रित करने के लिए लघु सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा दर्शायी गई प्राथमिकता के आधार पर 41 ब्लॉकों का चयन कर लिया गया है।

विवरण

रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का प्रत्युत्तर देने वाली निजी संस्थाओं का विवरण

क्र. सं.	नाम
1	2
1.	सास्तापेराम्पिल श्री एस वेलुतकुंजु मेमोरियल एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट
2.	यूरोकिड्स इंटरनेशनल लिमिटेड
3.	श्याम ग्रामोद्योग संस्थान
4.	श्री भगवान प्रतिष्ठान
5.	अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान
6.	समता विकास समिति
7.	रिचमंड एजुकेशनल सोसायटी
8.	नागराज सेवाभावी संस्था मुर्शादपुर
9.	मौर्य एजुकेशनल ट्रस्ट
10.	मां अनन्तेश्वर विद्यालय/श्री राम आग्रह ट्रस्ट, मुंबई
11.	लर्निंग लीडरशिप फाउंडेशन
12.	श्री सालासर एजुकेशन ट्रस्ट
13.	एडुकॉम्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कूल मैनेजमेंट लिमिटेड
14.	भारती फाउंडेशन
15.	श्री कृष्ण हरे एजुकेशन ट्रस्ट
16.	भारती फाउंडेशन
17.	मसूरी इंटरनेशनल स्कूल सोसायटी
18.	श्री दत्ता मेघे बालकल्याण शिक्षण संस्था, भांद्रा
19.	श्री राधा रमण एजुकेशनल ट्रस्ट
20.	डॉक्टर नकादर चैरिटेबल ट्रस्ट
21.	एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड,
22.	डॉक्टर नकादर चैरिटेबल ट्रस्ट
23.	काई. इस्माइल बानगी साब तंबोली शिक्षण प्रसारक मंडल
24.	श्रीमती कटोरी देवी गर्ग शिक्षा समिति
25.	ज्ञान विकास सोसायटी
26.	मुस्लिम शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन
27.	बीएलएस प्रबंधन संस्थान

1	2
28.	काई. गंगाबाई पिलोर बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, ब्रह्मपुरी
29.	बीएलएस एजुकेशन सोसाइटी
30.	भारतीय प्रतिभूति लिमिटेड,
31.	गुट निरपेक्ष अध्ययन और अल्पाइन मिनमैटल इंडिया
32.	पैन इंडिया नेटवर्क इन्फ्रावेस्ट प्रा. लिमिटेड, प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, लिमिटेड
33.	बनयान ट्री स्कूल
34.	जे तुलजाभवानी बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था
35.	आरकेकेआर फाउंडेशन
36.	श्री विद्यार्थी सुधार संघ
37.	बनयान ट्री स्कूल
38.	परमज्ञानी स्वामी विवेकानंद शिक्षण समिति
39.	बनयान ट्री स्कूल
40.	रतन कॉन्वेंट स्कूल
41.	दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद सोसायटी
42.	लोटस लर्निंग सिस्टम्स सोसायटी
43.	वेदांत शिक्षा एवं शोध संस्थान
44.	अखिल भारतीय शिक्षा सोसायटी
45.	वेदांत फाउंडेशन
46.	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान
47.	जीसीएस कंप्यूटर प्रौद्योगिकी प्रा. लिमिटेड
48.	आदर्श शिक्षा सोसायटी
49.	श्री दत्ता मेघे बालकल्याण शिक्षण संस्था, वर्धा
50.	काई. डॉ. मनोहर तिरकर स्मृति प्रतिष्ठान
51.	श्री दत्ता मेघे बालकल्याण शिक्षण संस्था, चंद्रपुर

1	2
52.	श्री चैतन्य शिक्षा समिति
53.	श्री दत्ता मेघे बालकल्याण शिक्षण संस्था, गढ़चिरौली
54.	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान
55.	भूपेन्द्र सोसायटी
56.	सी रॉक इंटरनेशनल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी
57.	कोर एजूकेशन एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
58.	समन्वय प्रतिष्ठान
59.	तुर्तार विस्ता ग्लोबल प्रा. लिमिटेड
60.	श्री विनायग एजुकेशनल ट्रस्ट
61.	रौनक शिक्षा फाउंडेशन
62.	सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड,
63.	श्रीमती मालती दहानुकर ट्रस्ट
64.	शेतकारी शिक्षण प्रसारक मंडल
65.	तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
66.	मानव कल्याण संस्थान
67.	अंगद मंशा फाउंडेशन और ब्यास शिक्षा एंड हेल्थकेयर सोसायटी
68.	ग्रान्डविल शिक्षा सोसायटी
69.	अंगद अर्दास फाउंडेशन और ब्यास एजुकेशन एंड हेल्थकेयर सोसायटी
70.	इंटरनेट ग्लोबल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड,
71.	दहानुकर विद्यालय ट्रस्ट
72.	श्री विजय बहादुर आदर्श ऊचाहार माध्यमिक विद्यालय
73.	बोनी पॉलिमर प्रा. लिमिटेड,
74.	सप्तगिरि एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट

1	2
75.	सीएमआर जनाधार ट्रस्ट
76.	लियो मुतु एजुकेशन ट्रस्ट
77.	श्री रामराज्य ट्रस्ट
78.	शिक्षा अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन
79.	अजमल फाउंडेशन
80.	सप्तगिरि एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट
81.	श्री विनायग एजुकेशनल ट्रस्ट
82.	विश्वास शिक्षण प्रसारक मंडल
83.	पंजाब शिक्षा सोसायटी (पंजी.)
84.	नालंदा विज्ञान और तकनीकी शिक्षा सोसायटी अकादमी
85.	सांख्य इन्फोटेक लिमिटेड
86.	विकलांग मंदबुद्धि कल्याण समिति
87.	बनयान ट्री स्कूल
88.	एवरॉन एजुकेशन लिमिटेड
89.	दवेंद्र कालवी समिति
90.	श्री विनायग एजुकेशनल ट्रस्ट
91.	गाडेकर जिन्निग एंड प्रेसिंग लिमिटेड
92.	आईआईएलएम फाउंडेशन
93.	फ्रांसिस एग्नेल स्कूल
94.	ईगल हंटर सोल्यूशन लिमिटेड
95.	राज एजुकेशन ट्रस्ट
96.	जोशेश्वरी सेवाभावी संस्था
97.	बनयान ट्री स्कूल
98.	श्री दत्ता शिक्षण प्रसारक मंडल जामगांव
99.	लाला माधो राम भगवान दास चैरिटेबल सोसायटी

1	2
100.	श्री दत्ता शिक्षण प्रसारक मंडल जामगांव
101.	मोजाइक ऐज्यूकेशन शिक्षा इंक
102.	साहु महाराज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था एवं शिक्षण प्रसारक मंडल
103.	साहु महाराज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था एवं शिक्षण प्रसारक मंडल
104.	ग्रामोद्योग शिक्षण मंडल
105.	वंडर ईयर ऐज्यूकेशन सोसायटी
106.	लुई एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट सोसायटी
107.	जगन्नाथ प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन ट्रस्ट
108.	श्री मम्मथस्वामी मानव विकास प्रतिष्ठान
109.	कालरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन
110.	अजीत प्रतिष्ठान
111.	सलवान जुकेशन ट्रस्ट
112.	मुस्लिम शैक्षिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और कल्याण सोसायटी
113.	एसडीवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी
114.	अंजुमन एजुकेशन ट्रस्ट

खादी भवनों में कारोबार संबंधी कर्मचारी

1589. श्री चार्ल्स डिएस :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अंतर्गत खादी भवनों में कारोबार संबंधी कर्मचारियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार खादी भवनों में कारोबार संबंधी कर्मचारियों को नियमित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केवीआईसी की देश में खादी भवनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 11वीं तथा 12वीं योजना अवधि में राज्य-वार क्या कदम उठाए गए?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के खादी भवन के नियमित प्रतिष्ठान में कार्यरत कारोबार संबंधी कर्मचारियों सहित कारोबार वाले कर्मचारियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्तमान में सरकार के पास ट्रेडिंग संवर्ग से संबधित खादी भवन के कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से वर्ष 2008-09 में 'मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता' नामक योजना आरंभ की है जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण की व्यवस्था है। इस योजना के तहत सरकारी अनुदान के रूप में केवीआईसी के प्रति विभागीय बिक्री केन्द्रों के लिए अधिकतम 25.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।

इसके अलावा वर्ष 2009-10 से तीन वर्षों की अवधि में 300 चुनिंदा खादी संस्थानों में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के 150 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता से एक व्यापक 'खादी सुधार और विकास कार्यक्रम' भी आरंभ किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ निजी सरकारी सहभागिता के तहत विपणन संगठन की स्थापना के अलावा महानगरों और राज्य की राजधानियों में नए बिक्री केन्द्र आरंभ करने और बिक्री केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण की व्यवस्था करता है। 11वीं और 12वीं योजना के दौरान नवीकृत बिक्री केन्द्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

केवीआईसी के खादी ग्रामोद्योग भवनों में कार्यरत ट्रेडिंग कर्मचारियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	खादी भवन में कार्यरत कुल ट्रेडिंग कर्मचारियों की संख्या	खादी भवन जिनमें वे तैनात हैं
1.	दिल्ली	111	केजीबी, नई दिल्ली और ग्रामशिल्प
2.	मध्य प्रदेश	4	केजीबी, भोपाल
3.	महाराष्ट्र	5	केजीबी, मुंबई
4.	गोवा	3	केजीबी, मडगांव
5.	केरल	20	केजीबी, एर्नाकुलम
6.	पश्चिम बंगाल	24	केजीबी, कोलकाता
7.	बिहार	9	केजीबी, पटना
8.	त्रिपुरा	3	केजीबी, अगरतला
	कुल	179	

विवरण-II

11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान नवीकृत बिक्री केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	नवीकृत केन्द्रों की कुल संख्या
1	2	3
1.	असम	1
2.	राजस्थान	1
3.	केरल	3
4.	उत्तर प्रदेश	19
5.	तमिलनाडु	6

1	2	3
6.	महाराष्ट्र	6
7.	पश्चिम बंगाल	2
8.	गोवा	1
9.	मध्य प्रदेश	1
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	छत्तीसगढ़	1
12.	ओडिशा	6
13.	झारखंड	1
14.	कर्नाटक	1
15.	हरियाणा	4
16.	गुजरात	1
17.	दिल्ली	1
	जोड़	56

उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र

1590. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न भागों में स्थापित उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) देशभर में उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या है तथा अब तक उनके द्वारा किए गए नवाचारों और विकसित उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्रों से जुड़ी दूरसंचार कंपनियों के नाम क्या हैं तथा ऐसे प्रत्येक केन्द्र के लिए चिन्हित किए गए अनुसंधान के क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्रों की स्थापना के लिए "रेल-टेल" और आईआईटी, रुड़की के बीच किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्रों की स्थापना पर अनुमानतः कितना खर्च एवं इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?;

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ग) सात उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्रों (टीसीओई) के स्थापना औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा कार्यों में अनुसंधान एवं विकास को संवर्धित करने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक क्षेत्र और सरकार की सहाता से देश में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के प्रमुख केन्द्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर 2007-08 में हुई थी। आईआईटी रुड़की में आठवां उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र (टीसीओई) स्थापित करने के लिए 5 जून, 2013 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्रों के ब्यौरे उनकी अवस्थिति और उनसे जड़ी कंपनियों के नाम सहित प्रत्येक उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र के लिए अनुसंधान कार्य क्षेत्रों पर ध्यान सकेन्द्रित करते हुए विवरण-I में दिए गए हैं।

उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र को स्थापित करने संबंधी उद्देश्यों और उनके द्वारा विकसित नवाचारों और उत्पादों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) प्रायोजित करने वाले भागीदार की हैसियत से रेलटेल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ आईआईटी रुड़की में आठवां उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र स्थापित करने हेतु दिनांक 5 जून, 2013 को दूरसंचार विभाग के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम रेलटेल इंडिया कॉर्पोरेशन उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रहा है। इस केन्द्र को रेलटेल — आईआईटी और उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र (आरआईसीईटी) के नाम से जाना जाता है और इसका सकेन्द्रण क्षेत्र "आईसीटी एवं ब्राडबैंड अनुप्रयोग" है।

रेलटेल द्वारा पांच वर्षों की अवधि में इस पर अनुमानतः 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही आरआईसीईटी की उत्पत्ति हो गई है।

विवरण-I

देश के विभिन्न भागों में अपनी अवस्थितियों सहित कार्यस्त उत्कृष्ट कार्य करने वाले दूरसंचार केन्द्रों के ब्यौरे

2007-08 में, अनुसंधान और विकास के लिए विभिन्न सकेन्द्रण क्षेत्रों पर 7 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्ट दूरसंचार केन्दों का गठन किया गया जिसमें प्रत्येक की दूरसंचार प्रचालक द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। दूरसंचार क्षेत्र में शैक्षणिक अनुसंधान को समन्वय एवं प्रोत्साहित करने के लिए एक समन्वय केन्द्र स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 5 जून, 2013 को रुड़की में 8वां उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द स्थापित किया गया है। 8वें उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द का ब्यौरा	उस शैक्षिक संस्थान का नाम जहां वह स्थित है	अवस्थिति	प्रधान प्रायोजक (सेवा प्रदाता)	सकेन्द्रण क्षेत्र
1.	आईआईएमए आइडिया उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र (आईआईटीसीओइ)	भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद	अहमदाबाद	आईडिया सेल्यूलर लिमिटेड	दूरसंचार नीति विनियमन, विपणन एवं उपभोक्ता सेवा
2.	वोडाफोन आईआईटी केजीपी केन्द्र उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र (वीआईसीईटी)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर	खड़गपुर	वोडाफोन इंडिया	नेक्सट जनरेशन नेटवर्क एवं प्रौद्योगिकी
3.	एयरसेल आईआईएससी उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र (एआईआईएससीईटी)	भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर	बैंगलोर	एयरसेल लिमिटेड	सूचना सुरक्षा एवं सूचना अवसंरचना का आपदा प्रबंधन
4.	एयरटेल आईआईटीडी उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र (एआईसीईटी)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली	नई दिल्ली	भारतीय एयरसेल लिमिटेड	दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन
5.	बीएसएनएल आईआईटीके उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र (बीआईटीसीआई)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर	कानपुर	भारत संचार निगम लिमिटेड	मल्टिमीडिया एवं दूरसंचार संज्ञानात्मक रेडिया एवं कम्प्यूटेशनल गणित
6.	टाटा टेलीसर्विसेज आईआईटीवी उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र (टीआईसीईटी)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई	मुंबई	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	ग्रामीण दूरसंचार प्रौद्योगिकी
7.	रिलायन्स आईआईटीएम उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र (आरआईटीसीओई)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास	चेन्नई	रिलायन्स संचार लिमिटेड	दूरसंचार अवसंरचना (सक्रिय एवं निष्क्रिय तथा ऊर्जा)
8.	रेलटेल आईआईटीआर उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र (आरआईसीईटी)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की	रुड़की	रेलटेल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आईसीटी एवं ब्राडबैंड एप्लीकेशन

विवरण-II

देश के (उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्रों) की स्थापना के उद्देश्य और अभी तक उनके द्वारा विकसित नवाचार एवं उत्पाद।

उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्रों को निम्नलिखित उद्देश्यों से जुड़ी गतिविधियों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंच उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया:—

(i) हर कोई दूरसंचार क्षेत्र में गतिविधि के आसान रूप पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है ताकि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हो जो विश्व मानक के बराबर हो और वह अपना ध्यान दूरसंचार प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार को अपनाने में लगाकर भटकना नहीं चाहता।

(ii) भारत केन्द्रित अनुप्रयोग का विकास करना जो जनता के व्यवहार पैटर्न के साथ मेल खाए ओर उनकी आर्थिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार की रोजमर्राह की गतिविधियों में गुणवत्ता लाए।

(iii) दुनिया भर की श्रेष्ठ गतिविधियों का परागण पार करना और इसे भारतीय स्थितियों में उपयुक्त बनाना। यह इष्टतम मॉडल बनाने में सहायक होगा जो आवृत्ति और विशेषकर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अभिसरण के क्षेत्र में संसाधनों की बर्बादी को रोकेगा।

(iv) वृहत अवसंरचना आयोजना जो लागत प्रभावी तरीके से व्यवस्थित और सतत् विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

(v) "मार्केट-रेडी टेलेन्ट पूल" का निर्माण करना और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से निरंतर प्रतिभा निर्माण के प्रयास को जारी रखना।

(vi) प्रौद्योगिकी का एकीकरण और "बेंच मार्किंग" करना जो अंतिम रूप से सेवाएं प्रदान करने अथवा निर्माण करने के लिए मानकों को तैयार करे।

(vii) मौजूदा प्रौद्योगिकी के समामेलन और भविष्य के लिए स्वदेशी योग्यता का विकास करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में नवोन्मेषी वातावरण निर्मित करना।

उत्कृष्ट दूरसंचार केन्द्र की नवोन्मेषी और विकसित किए गए उत्पादों के संबंध में अभी तक की उपलब्धियां नीचे दी गईं हैं:—

वर्ष	दर्ज किए गए पेटेंट	अनुसंधान पत्र (एमजीएमएनटी)	प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के चरण तक के उत्पाद	आईपीआर/ वैश्विक मानकों को योगदान	अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं/ सम्मेलन एक्स्पो	निर्माणाधीन परियोजनाएं (पहचाने गए मुद्दों पर)
2009 तक	2	17	3	5	4	
2010	3	12	6	9	4	
2011	6	15	17	—	2	70
2012	3	5	2	—	2	
2013	3	—	1	—	1	
कुल	17	49	29	14	13	

मध्याह्न भोजन योजना में आईवीआरएस का कार्यकरण

1591. **श्री एल. राजगोपाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के अंतर्गत शामिल किए गए विद्यालयों और बच्चों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का दैनिक आधार पर अंतर-संवादी ध्वनिक प्रतिसाद प्रणाली (आईवीआरएस) के माध्यम से इस योजना की निगरानी करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आईवीआरएस से इस योजना की निगरानी किस प्रकार की जाएगी;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधि आबंटित की गई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) मध्याह्न भोजन योजना में देश में 12.12 लाख स्कूलों में 10.68 करोड़ बच्चे शामिल हैं।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना की मॉनीटरिंग के लिए वेब समर्थित प्रबंध सूचना प्रणाली आरंभ की है। योजना के प्रमुख संकेतकों से संबंधित वार्षिक और मासिक आंकड़े एमडीएम-एमआईएस में उपलब्ध हैं। समुदाय भागीदारी के माध्यम से योजना की वास्तविक मॉनीटरिंग के लिए आईवीआरएस के साथ एमडीएम-एमआईएस के समेकन की गुंजाइश है। वर्तमान एमडीएम-एमआईएस की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

i. बच्चों के नामांकन, मध्याह्न भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, खाद्यान्न के उपयोग, निधियों के उपयोग इत्यादि से संबंधित स्कूल-वार आंकड़े उपलब्ध करवाना।

ii. स्कूल में रसोइया-सह-सहायक की श्रेणी-वार नियुक्ति और उन्हें मानदेय का भुगतान।

iii. स्कूल में अवसंरचना नामतः रसोई-सह-भंडारगृह और रसोई उपकरणों की उपलब्धता।

iv. पेयजल सुविधाओं और शौचालयों की उपलब्धता।

v. भोजन पकाने की पद्धति।

vi. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों का स्वतः प्रस्तुतीकरण।

vii. पिछले वर्ष में योजना के निष्पादन के आधार पर राज्य के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट का ऑटो जनरेशन।

viii. अपवाद रिपोर्ट तैयार करना।

(घ) और (ङ) मध्याह्न भोजन योजना में इस स्कीम के प्रबंध, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए कुल आवर्ती केन्द्रीय सहायता का 2% (लगभग 246 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से 1.8% राज्यों को जारी किया गया है और 0.2% राष्ट्रीय स्तर पर व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्र में रखा जाता एमडीएम-एमआईएस व्यय इस उपबंध में से पूरे किए जाते हैं।

उच्च शिक्षा में सब्सिडी

1592. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री बसुदेव आचार्य :
शेख सैदुल हक :
श्री महेन्द्र कुमार राय :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा और विकास की कमी के कारण राजें में पिछड़ापन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार उच्च शिक्षा में सब्सिडी प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की तुलना में उच्च शिक्षा में सब्सिडी का लाभ ले रहे छात्रों का प्रतिशत कितना है; और

(ङ) संबंधित मानकों को शिथिल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ताकि अधिकाधिक छात्र सब्सिडी का लाभ ले सकें?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) शिक्षा का अभाव या इसकी कमी निश्चित रूप से किसी भी राज्य के पिछड़ेपन का मूल सूचक है। तथापि, देश के सभी राज्यों के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुस्थिर तीव्र उन्नति दीख रही है जैसा कि सकल नामांकन अनुपात की वृद्धि के आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। उच्चतर शिक्षा में जीईआर 2007-08 के 15% से वर्ष 2010-11 में 18.8% तक बढ़ गया है।

(ग) जी, हां। केन्द्र सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों (अर्थात् जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रुपए 4.5 लाख से कम हो) द्वारा भारत में तकनीकी/व्यावसायिक अध्ययन के लिए भारतीय

बैंक संघ (आईबीए) की शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों से लिए गए शैक्षिक ऋणों की अधिस्थगन की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की केन्द्रीय योजना आरंभ की है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुसार, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों एवं उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थानों में सभी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों का वर्ष 2011-12 के लिए नामांकन 203.27 लाख (अनंतिम) था। उन छात्रों की संख्या जो ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत अब तक लाभान्वित हुए हैं, 25 लाख से अधिक है। इस प्रकार उच्चतर शिक्षा में लगभग 12.5% छात्रों ने योजना के अंतर्गत लाभ उठाया है।

केन्द्र सरकार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर कोई ब्याज सब्सिडी नहीं देती।

(ङ) केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं ताकि अधिकतम संख्या में छात्र सब्सिडी का लाभ उठा सकें:

(i) राज्य सरकारों द्वारा पारिवारिक आय प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन से पदनामित प्राधिकारी घोषित करना अपेक्षित है;

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी बैंकों तक सब्सिडी योजना का विस्तार किया गया है; और

(iii) आईबीए ने हाल ही में संशोधित मॉडल शैक्षिक ऋण योजना जारी की है जिसमें इस योजना में बैंकों को प्रतिभाशाली छात्रों को ऋण के लिए पात्र बनाने की अनुमति दी है भले ही छात्र निजी संस्थाओं के प्रबंधन कोटे के अंतर्गत पाठ्यक्रम चुनता है।

मध्याह्न भोजन योजना की राशि का उपयोग न किया जाना

1593. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के अंतर्गत राज्यों को संस्वीकृत और निर्गमित निधि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या कतिपय राज्य केन्द्रीय आबंटन-राशि का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके और अप्रयुक्त राशि को वापस लौटा दिया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 2987340 लाख रुपए की जारी निधियों की तुलना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया कुल व्यय 2721936 लाख रुपए है जो जारी निधियों का 91 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) राज्य-वार और वर्ष-वार प्रतिशत व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अप्रैल माह के पहले पक्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई सूचना मांगे बगैर निधियां जारी करती है। पिछले वर्ष की निधियों की बकाया राशि का समायोजन किया जाता है और इसे चालू वर्ष के दौरान उपयोग हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पुन: वैधीकृत किया जाता है। अगले वित्तीय वर्ष के पहले दो माह के दौरान योजना के संचालन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निधियां जारी करने और जिलों तक उनके पहुंचने तक अव्ययित शेष निधियों के एक भाग की आवश्यकता होती है। घटक-वार बचत के विषय में राज्यों के साथ कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के दौरान, राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों के साथ हुई वार्षिक समीक्षा बैठकों में तथा राज्य स्तरीय निरीक्षण-सह-निगरानी समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है। किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान राज्य स्तरीय व्यय अगले वर्ष में निधियां जारी करने का आधार बनता है; पिछले वर्ष के अव्यययित शेष के समायोजन के पश्चात् ही किसी वर्ष में केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है।

विवरण

वर्ष-वार/राज्य-वार व्यय प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14
		जारी निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया व्यय	व्यय %	जारी निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया व्यय	व्यय %	जारी निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया व्यय	व्यय %	जारी (आज तक की तारीख तक)
1.	आंध्र प्रदेश	48302	42710	88%	85191	58518	69%	61233	53780	88%	22320
2.	अरुणाचल प्रदेश	2043	1035	51%	2092	1068	51%	3133	3176	101%	1509
3.	असम	34408	33687	98%	53221	43999	83%	47452	45500	96%	23920
4.	बिहार	80506	65575	81%	81820	74036	90%	99890	84250	84%	66092
5.	छत्तीसगढ़	36188	35914	99%	47463	37890	80%	40486	41132	102%	18154
6.	गोवा	1168	834	71%	825	1158	140%	1365	1390	102%	385
7.	गुजरात	28852	26258	91%	35302	33068	94%	39610	37640	95%	22904
8.	हरियाणा	15325	13894	91%	16713	20302	121%	17852	18764	105%	10800
9.	हिमाचल प्रदेश	6488	5696	88%	7352	7652	104%	7932	7568	95%	4477
10.	जम्मू और कश्मीर	7991	6931	87%	13431	7330	55%	6660	8869	133%	3933
11.	झारखंड	32595	26040	80%	52252	29951	57%	25035	27781	111%	9317
12.	कर्नाटक	45368	41545	92%	56526	46357	82%	73785	77818	105%	34037
13.	केरल	18511	14467	78%	14277	18083	127%	19740	19111	97%	10339
14.	मध्य प्रदेश	65782	51704	79%	76704	74684	97%	79048	78054	99%	42853
15.	महाराष्ट्र	107492	73956	69%	69256	90962	131%	105630	94253	89%	47471
16.	मणिपुर	5658	5103	90%	1894	1655	87%	1193	1970	165%	1445

17.	मेघालय	13832	11841	86%	3528	5304	150%	5884	15166	258%	3790
18.	मिज़ोरम	1902	1627	86%	3307	2800	85%	1948	3677	189%	117
19.	नागालैंड	4027	4027	100%	2464	2464	100%	2818	2818	100%	734
20.	ओडिशा	38959	24341	62%	37124	36798	99%	49163	50094	102%	32153
21.	पंजाब	16605	15388	93%	17562	16268	93%	18917	17008	90%	5652
22.	राजस्थान	46226	42118	91%	52901	49415	93%	49728	45040	91%	21832
23.	सिक्किम	900	899	100%	1036	1225	118%	1078	1034	96%	439
24.	तमिलनाडु	44251	42231	95%	40334	40879	101%	70054	45269	65%	28998
25.	त्रिपुरा	4857	4733	97%	8408	4903	58%	5236	5572	106%	2221
26.	उत्तराखंड	10963	10618	97%	14256	11840	83%	15759	12354	78%	4865
27.	उत्तर प्रदेश	102715	100567	98%	107639	105879	98%	132114	110537	84%	52449
28.	पश्चिम बंगाल	79480	66334	83%	77251	88573	115%	91666	100592	110%	40697
29	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	247	247	100%	509	238	47%	1329	258	19%	992
30.	चंडीगढ़	526	493	94%	681	681	100%	502	442	88%	682
31.	दादरा और नगर हवेली	290	290	100%	343	343	100%	349	306	88%	262
32.	दमन और दीव	148	148	100%	137	136	99%	121	39	32%	151
33.	दिल्ली	9072	6766	75%	6562	8430	128%	8524	7868	92%	2561
34.	लक्षद्वीप	81	49	60%	76	54	71%	76	59	78%	22
35.	पुदुचेरी	693	588	85%	636	636	100%	506	506	100%	198
	योग	912452	778656	85%	989072	923582	93%	1085816	1019698	94%	519771

वैकल्पिक शिक्षा-केन्द्र

1594. श्रीमती मेनका संजय गांधी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यालय से वंचित बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा में लाने हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कोई निधि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों में पढ़ाई करने के पश्चात् वापस विद्यालय जाना शुरू करने वाले छात्रों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान ने अपनी शिक्षा गांरटी योजना (ईजीएस) और वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा (एआईई) संघटन के अधीन वैकल्पिक स्कूल की सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की। शिक्षा गांरटी योजना के केन्द्रों की परिकल्पना किसी यिमित स्कूल द्वारा असेवित वस्तियों के बच्चों को स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में की गई थी जब तक उस क्षेत्र में नियमित और पूर्णकालिक स्कूल की सुविधाएं उपलब्ध न हो जाएं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया था, यह उपबंधित करता है कि समुचित सरकार अधिनियम के प्रारंभ होने से तीन वर्षों की एक अवधि के भीतर राज्य के आरटीई नियमों में यथापरिभाषित पड़ोस में कोई स्कूल स्थापित करेगी। अतः आरटीई अधिनियम के उपबंधों के तदनुरूप सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों मे संशोधन किया गया है। राज्यों को सभी शिक्षा गारंटी केन्द्रों का मार्च, 2012 तक नियमित प्राइमरी स्कूल के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए कहा गया है और 2010-12 से कोई भी नया शिक्षा गांरटी केन्द्र मंजूर नहीं किया है।

एआईई केन्द्रों के बजाए, अब स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के लिए उनकी आयु के अनुसार दाखिला और नियमित प्राइमरी स्कूलों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान विशेष प्रशिक्षण के तहत स्कूल नहीं जाने वाले 21,42,459 बच्चों की कवरेज के लिए और उनकी आयु के अनुरूप कक्षाओं में किसी स्कूल की मुख्यधारा में लाने के लिए 598.73 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। शामिल किए गए बच्चों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्कूल नहीं जाने वाले 17,86,495 बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 902.80 करोड़ रुपए अनुमोदित किए है।

विवरण

शामिल किए गए बच्चों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2012-13 के विशेक्षण प्रशिक्षण के अधीन उपलब्धियां		2012-13 के दौरान विशेष प्रक्षिण का लक्ष्य	
		वास्तविक (बच्चों की संख्या)	वित्तीय (लाख रुपए में)	वास्तविक (बच्चों की संख्या)	वित्तीय (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0	0.00	0	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	170399	3376.42	0214313	11764.877
3.	अरुणाचल प्रदेश	11206	1802.61	5383	470.905
4.	असम	292963	10358.99	201894	9084.300
5.	बिहार	226384	7884.12	237125	15829.390

1	2	3	4	5	6
6.	चंडीगढ़	6052	259.17	5463	284.320
7.	छत्तीसगढ़	72331	3481.89	86348	9830.980
8.	दादरा और नगर हवेली	84	3.88	83	3.320
9.	दमन और दीव	184	2.39	116	2.279
10.	दिल्ली	3628	168.32	8617	411.391
11.	गोवा	1716	80.88	1376	39.904
12.	गुजरात	137356	4255.79	154058	10841.570
13.	हरियाणा	78290	1710.50	98805	1872.59
14.	हिमाचल प्रदेश	2828	60.74	4935	139.120
15.	जम्मू और कश्मीर	31628	121.98	58450	1647.00
16.	झारखंड	344338	3194.52	78458	4346.390
17.	कर्नाटक	50314	3095.22	27140	1073.020
18.	केरल	0	0.00	0	0.00
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00
20.	मध्य प्रदेश	186147	3730.31	47682	3970.300
21.	महाराष्ट्र	147879	4211.48	120627	2815.030
22.	मणिपुर	19915	1367.99	19554	1428.470
23.	मेघालय	8759	86.02	39205	921.320
24.	मिज़ोरम	7051	923.66	7362	578.510
25.	नागालैंड	11508	701.79	7657	623.790
26.	ओडिशा	29665	853.43	22793	1417.299
27.	पुदुचेरी	322	11.26	341	3.410
28.	पंजाब	16582	808.98	8770	469.610
29.	राजस्थान	83025	1393.34	47061	1563.830
30.	सिक्किम	893	105.33	1309	180.730

1	2	3	4	5	6
31.	तमिलनाडु	45912	3244.24	37574	1688.449
32.	त्रिपुरा	4496	141.68	4914	413.510
33.	उत्तर प्रदेश	58378	1272.82	39108	1173.240
34.	उत्तराखंड	22801	622.37	3621	90.470
35.	पश्चिम बंगाल	69425	541.19	196353	5301.530
	कुल	2142459	59873.30	1786495	90280.854

चार-वर्षीय डिग्री/अवर-स्नातक कार्यक्रम संबंधी समिति

1595. श्री उदय सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदाय आयोग ने हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू किए गए चार-वर्षीय डिग्री/अवर-स्नातक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए कोई परामर्शदात्री समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रो.एस.के. जोशी, पूर्व महानिदेशक, सीएसआईआर और सदस्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय परामर्शदात्री समिति के विचारार्थ विषय हैं: (1) दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्षीय अवर स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखना, (2) पाठ्यचर्या, शैक्षणिक व मूल्यांकन प्रणालियों से संबंधित मामलों में सुधारक परामर्श देना, (3) दिल्ली और अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रमों के लिए एफवाईयूपी के निहितार्थों का निर्धारण, (4) एफवाईयूपी से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर विचार-विमर्श तथा समय-समय पर दी जाने वाली अंतरिम रिपोर्टों के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपयुक्त सिफारिशें करना।

(ग) यूजीसी ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि परामर्शदात्री समिति ने कोई अंतरिम रिपोर्ट नहीं दी है। प्रदत्त विषय-वस्तु पर समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की निश्चित समय-सीमा दी जानी सम्भव नहीं है।

विश्वव्यापी भ्रष्टाचार मापन-प्रणाली

1596. श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2013 की विश्वव्यापी मापन-प्रणाली (ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर) के अनुसार, भारत में घूस के मामले और भ्रष्टाचार सर्वकालीन उच्चतम-स्तर पर पहुंच गया है और इसकी दर विश्वव्यापी भ्रष्टाचार से ठीक दोगुनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इससे अवगत है कि उक्त सर्वेक्षण के अनुसार, विगत एक वर्ष के दौरान 54% भारतीयों ने जन-सुविधाओ और संस्थाओं में कार्य करवाने के लिए रिश्वत दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त रिपोर्ट के मद्देनजर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ङ) विश्वव्यापी भ्रष्टाचार मापन-प्रणाली, 2013 (ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर) एक दृष्टिकोण निरूपित करती है। भ्रष्टाचार के

विरुद्ध लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की अपनी नीति को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णत: सचेत एवं प्रतिबद्ध है तथा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियम;

(ii) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा व्यापक अनुदेश जारी करना;

(iii) संगठनों को मुख्य सरकारी प्रापण गातिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के निदेश देते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना; मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है;

(iv) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

(v) नागरिक चार्टर जारी करना;

(vi) वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन करना;

(vii) केन्द्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों तथा अन्य समूह 'क' अधिकारियों की अचल सम्पत्ति विवरणी को जनव्यापी बनाना;

(viii) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों की सुनवाई के लिए अनन्य रूप से 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन करना। इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश भर में विभिन्न राज्यों में 2 और विशेष न्यायालयों के सृजन का हाल ही में अनुमोदन किया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भ्रष्टचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हाल ही में संसद में अनेक विधायनों का पुरःस्थापन भी किया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

i. लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011;

ii. सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011;

iii. विदेशी लोक पदधारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोक पदधारियों की रिश्वतखोरी निवारण विधेयक, 2011;

iv. सामान एवं सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी तथा शिकायतों के निपटान हेतु नागरिक अधिकार विधेयक, 2011; तथा

(v) लोक प्रापण विधेयक, 2012

मूवी-पाइरेसी

1597. **श्री वरुण गांधी :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इंटरनेट मूवी-पाइरेसी में संलिप्त शीर्ष 10 देशों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) भारत में इंटरनेट पर मूवी पाईरेसी की मात्रा का पता लगाने के लिए संख्यात्मक रूप से कोई भी कार्यालयी अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह माना जाता है कि इंटरनेट मूवी पाइरेसी किसी अन्य कॉपीराइट आधारित उद्योग की तरह ही है।

(ग) (i) देश में डिजिटल कन्टेट के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों को यथा संशोधित कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत शामिल किया गया है और इसके उल्लंघन से कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63-68 के अंतर्गत अर्थदंड और दांडिक कार्यवाई सहित कारावास दोनों लागू होंगे।

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संबंधित सभी विभागों के सदस्यों और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डीजी पी समेत उद्योग के प्रतिनिधियों के सदस्यों के साथ एक कॉपीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद (सीईएसी) का गठन किया है। इसके गठन के दो उद्देश्यों में एक तो कॉपीराइट अधिनियम के प्रवर्तन की प्रगति का पुनरावलोकन करना है और दूसरा उद्देश्य कॉपीराइट कानून के प्रवर्तन में सुधार करने के लिए सरकार को सलाह देना है। इस परिषद की सिफारिशों के अनुसरण में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से विशेष प्रकोश्ठ स्थापित करने का अनुरोध कया है। सभी सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस पर अच्छी प्रतिक्रिया दी है और कॉपीराइट पाइरेसी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए एक सेल राज्य पुलिस प्रणाली की स्थापना की है। इस परिषद की सिफारिशों के अनुपालन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य सरकारों में कॉपीराइट कानून के उपयुक्त मूल्यांकन

के लिए राज्य प्रशासन में नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है, ताकि वे कॉपीराइट उद्योग के विकास में प्रभावी रूप से अपना सहयोग दे सकें। बहुत सारे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कॉपीराइट प्रवर्तन मामलों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। एमएचआरडी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके इस विवरण को अद्यतन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रोहिणी आवासीय योजना

1598. श्री तूफानी सरोज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) रोहिणी आवासीय योजना, 1981 के कुछ आबंटितियों से उन लोगों की अपेक्षा अधिक प्रभार ले रहा है जिन्हें पूर्व में ही आवास का स्वामित्व दे दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का आवास के आबंटन में देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो वास्तविक और अपेक्षित व्यय से जुड़े न लाभ, न हानि आधार पर आवंटियों से पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) को प्रभारित करता है। तथापि, पिछले वर्षों की तुलना में कुछ अंतर हो सकता है। गत 5 वित्तीय वर्षों के दौरान आवंटियों से प्रभारित दरें भिन्न-भिन्न है जो 5395/- से 9179/- तक प्रति वर्ग मी. में जनता के लिए 6820/- से 11662/-, एलआईजी के लिए 11096/- से 19112/- तक एमआईजी भवनों के लिए हैं।

(घ) और (ङ) रोहिणी आवासीय योजना 1981 के पंजीकृतों के लिए भूमि के आवंटन में विलंब, भूमि के कमी के कारण प्रणालीगत विलंब की वजह से और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रावधान के कारण हुआ, इसलिए व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

विद्यालयों में नए विषयों का समावेशन

1599. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध कुछ पब्लिक स्कूलों ने जून, 2013 में 11वीं और 12वीं कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा और वाणिज्य विषयों के शिक्षण की अनुमति के लिए आवेदन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) वर्ष 2014-15 के शैक्षणिक सत्र के लिए जुलाई, 2012 से जून, 2013 के बीच कुल 52 स्कूलों ने शारीरिक शिक्षा और 86 स्कूलों ने 11वीं और 12वीं कक्षाओं में लेखाविधि, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र और गणित को अतिरिक्त विषय के रूप में शुरू करने हेतु आवेदन किया।

दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि

1600. श्री संजय धोत्रे :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री घनश्याम अनुरागी :
श्री राकेश सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की निवेशक विदेशी कंपनियों के कंपनी-वार और देश-वार नाम सहित वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या दूरसंचार उद्योग ने दूरसंचार क्षेत्र की हालत सुधारने के लिए सरकार से इसकी स्पष्ट रूपरेखा बनाने और विनियामक नीति तय करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार कंपनियों, विशेषकर दूरसंचार क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों, में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर सौ-फीसदी करने के प्रभाव का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) दूरसंचार क्षेत्र को अप्रैल 2000 से मई 2013 तक 58,782 करोड़ रुपए का एफडीआई अन्तर्वाह प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2000 से मई 2013 **तक प्राप्त** 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि के एफडीआई **साम्या अन्तर्वाह** का विप्रेषित धन-वार विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय कंपनी, देश, विदेशी सहयोगी का नाम और कार्यकलापों के क्षेत्र की जानकारी दी गई है।

(ख) और (ग) दूरसंचार क्षेत्र को एक स्पष्ट रोड़ मैप और नियामक एवं नीति संबंधी रूपरेखा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से सरकार ने एक परामर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूरसंचार नीतियों का पुनरीक्षण पहले ही प्रारंभ कर दिया है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 (एनटीपी-2012) की घोषणा जुलाई 2012 में की गई थी जो सभी पणधारियों से किए गए परामर्श पर आधारित थी। ऐसी स्पष्ट नीति बनाने से, एनटीपी-2012 निवेशकों के अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करती है ताकि इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निवेश आकर्षित किए जा सकें और दूरसंचार क्षेत्र में सुधार करने के लिए नीति एवं विनियामक मुद्दों का समाधान करने हेतु एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करती है।

(घ) और (ङ) आशा है कि एफडीआई सीमा में वृद्धि करने से पूंजीगत अन्तर्वाह होगा और वर्तमान सेवा प्रदाता कम लागत से वित्त पोशण करने में सक्षम होंगे। पूंजीगत अन्तर्वाह में हुआ सुधार निजी प्रचालकों और दूरसंचार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निधियां प्राप्त करने में लाभकारी होगा।

विवरण

दूरसंचार क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक की एफडीआई
विप्रेषित धन-वार एफडीआई साम्या अन्तर्वाह
अप्रैल 2000 से मई 2013 तक

स्रोत: औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी)

क्र. सं.	भारतीय कंपनी का नाम	देश	विदेशी सहयोगी का नाम	निर्माण की मद	एफडीआई अन्तर्वाह की राशि	
					(करोड़ रुपए)	(मिलियन अमेरिकी डॉलरों)
1	2	3	4	5	6	7
1.	टीवी 18 होम शॉपिंग नेटवर्क प्रा.लि.	साईप्रस	टीवी 18 एचएनएस होलिंगस लि.	इंटरनेट सेवाए/सूचना प्रौद्योगिकी	108.00	23.19
2.	रिलायंस इन्फ्राटेल लि.	साईप्रस	रिलायंस ग्लोबल कॉम बीबी	दूरभाष संचार सेवा	139.66	31.04
3.	इंटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स इंडिया प्रा.लि.	जर्मनी	इंटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स जीएमबीएच	डाक, तार, बेतार और सिग्नल संचार सेवा	177.74	40.06
4.	जून डीरे (1) प्रा.लि.	जर्मनी	डीरी एंड क.	इंटरनेट सेवाएं	221.16	54.80

1	2	3	4	5	6	7
5.	सान्यो बीपीएल प्रा.लि.	जापान	सान्यो इलैक्ट्रि क.लि.	रेडियो प्रसारण टीवी संचरण, रडार उपकरणों हेतु कल-पूर्जे और साजो समान एनईसी	226.90	51.02
6.	सान्यो बीपीएल प्रा.लि.	जापान	सान्यो इलैक्ट्रि क.लि.	रेडियो प्रसारण टीवी संचरण, रडार उपकरणों हेतु कल-पूर्जे और साजो समान एनईसी	110.00	25.68
7.	आइडिया सेल्यूलर लि.	मॉरीशस	टीएमआई मॉरीशस लि.	दूरभाष संचार सेवा	7,294.48	1,600.95
8.	सन डायरेक्ट टीवी प्रा.लि.	मॉरीशस	साउथ एशिया एंटरटेन्मैंट होल्डिंग्स लि.	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	315.71	78.88
9.	भारती टेलीवेंचर्ज लि.	मॉरीशस			209.24	46.50
10.	तिकोना डिजिटल नेटवर्क्स प्रा.लि.	मॉरीशस	ओक इंडि इन्वैस्टमैंट्स	दूरभाष संचार सेवा	104.42	23.12
11.	तिकोना डिजिटल नेटवर्क्स प्रा.लि.	मॉरीशस	जीएस इन्वेस्टमेंट्स	दूरभाष संचार सेवा	482.29	106.80
12.	एटीसी इंडिया टॉवर कार्पो प्रा.लि. जो पहले एक्सीसी था	मॉरीशस	अमेरिकन टॉवर कॉर्पोरेशन यूएस	दूरभाष संचार एनईसी	386.00	85.48
13.	ऋतंबरा एजेंट्स प्रा.लि.	मॉरीशस	इस्पात टेलीको होल्डिंग्ज प्रा.लि.	इंटरनेट सेवाएं/सूचना प्रौद्योगिकी	374.09	94.15
14.	यूनिटेक डेवलेपर्स एंड प्रोजेक्ट्स लि.	मॉरीशस	ग्लेडियोज रियल्टी इंक	इंटरनेट सेवाएं/सूचना प्रौद्योगिकी	326.60	82.66
15.	हाथवे केबल एंड डाटा कॉम	मॉरीशस	मॉनेट लि.	इंटरनेट सेवाएं/सूचना प्रौद्योगिकी	264.72	67.12
16.	द स्टलाईट ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज लि.	मॉरीशस	टविन स्टार ओवरसीज लि.	ऑप्टिकल फाइबर सहित विद्युतरोधी तारों एवं केबलों के निर्माता	108.41	23.25
17.	हाथवे केवल एंड डाटा कॉम प्रा.लि.	मॉरीशस	इन्फ्रस्ट्रक्चर इंडिया होल्डिंग्ज एलएलसी	इंटरनेट सेवाएं/सूचना प्रौद्योगिकी	118.50	24.06

1	2	3	4	5	6	7
18.	तिकोना डिजिटल नेटवर्क्स प्रा.लि.	मॉरीशस	जीएस इन्वेस्टमैंट पार्टनर्ज मॉरीशस iv लि.	इंटरनेट सेवाएं/सूचना प्रौद्योगिकी	129.27	26.74
19.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा.लि.	मॉरीशस	एटिसलाट मॉरीशस लि.	इंटरनेट सेवाएं/सूचना प्रौद्योगिकी	106.95	23.62
20.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा.लि.	मॉरीशस	एटिसलाट मॉरीशस लि.	इंटरनेट सेवाएं/सूचना प्रौद्योगिकी	209.27	46.22
21.	टॉवर विजन इंडिया प्रा.लि.	मॉरीशस	टॉवर विजन मॉरीशस लि.	डाक, तार, बेतार और सिग्नल सिग्नल संचार सेवा	301.97	67.98
22.	टॉवर विजन इंडिया प्रा.लि.	मॉरीशस	टॉवर विजन मॉरीशस लि.	डाक, तार, बेतार और सिग्नल सिग्नल संचार सेवा	158.24	35.62
23.	भारती इन्फ्राटेल लि.	मॉरीशस	जीएस स्ट्रेटिजिक इन्वैस्टमैंट लि.	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	158.20	35.27
24.	भारती इन्फ्राटेल लि.	मॉरीशस	कम्पैसवेल इन्वैस्टमैंट लि.	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	791.00	176.35
25.	भारती इन्फ्राटेल लि.	मॉरीशस	जीएस स्ट्रेटिजिक इन्वैस्टमैंट लि.	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	237.30	52.91
26.	भारती इन्फ्राटेल लि.	मॉरीशस	कम्पैसवेल इन्वैस्टमैंट लि.	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	1,186.50	264.53
27.	भारती इन्फ्राटेल लि.	मॉरीशस	मिलेनियम	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	237.30	52.91
28.	भारती इन्फ्राटेल लि.	मॉरीशस	ऐनाडेल लि.	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	158.20	35.27
29.	भारती इन्फ्राटेल लि.	मॉरीशस	केकेआर टॉवर्ज क. प्रा.लि.	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	395.50	88.18
30.	भारती इन्फ्राटेल लि.	मॉरीशस	एआईएफ केपिटल टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	158.20	35.27
31.	भारती इन्फ्राटेल लि.	मॉरीशस	मिलेनियम मॉरिशस	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	158.20	35.27

1	2	3	4	5	6	7
32.	भारती इन्फ्राटेल लि.	मॉरीशस	केकेआर टॉवर्ज क. प्रा.लि.	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	593.25	132.26
33.	भारती इन्फ्राटेल लि.	मॉरीशस	एआईएफ केपिटल टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	237.30	52.91
34.	भारती इन्फ्राटेल लि.	मॉरीशस	सिटिग्रुप फाइनेंशियल प्रो.	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	118.65	26.45
35.	भारती इन्फ्राटेल लि.	मॉरीशस	ऐनाडेल लि.	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है	237.30	52.91
36.	जस्ट डॉयल प्रा.लि.	मॉरीशस	एससीआई ग्रोथ इन्वेस्टमैंट-II	दूरभाष संचार सेवा	125.50	22.98
37.	टॉवर विजन इंडिया	मॉरीशस	टॉवर विजन मॉरीशस लि.	डाक, तार, बेतार और सिग्नल संचार सेवा	143.95	31.79
38.	भारती टेली वेंचर्स लि.	मॉरीशस			565.48	125.66
39.	भारती टेली वेंचर्स लि.	मॉरीशस			117.81	26.18
40.	भारती टेलीकॉम लि.	मॉरीशस			353.57	78.57
41.	भारती टेली वेंचर्स लि.	मॉरीशस			1,193.38	265.19
42.	भारती टेलीकॉम लि.	मॉरीशस			716.04	159.12
43.	भारती टेली वेंचर्स लि.	मॉरीशस			346.80	77.07
44.	आदित्य बिरला टेलीकॉम लि.	मॉरीशस	पीएस एशिया होल्डिंग इन्वेस्टमैंट (मॉरीशस)	दूरभाष संचार सेवा	2,098.25	419.13
45.	एयरसेल लि.	मॉरीशस	ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग्ज लि.	दूरभाष संचार सेवा	1,250.76	278.26
46.	भाइक इन्फोटेल प्रा.लि.	मॉरीशस	वोडाफोन मॉरीशस लि.	दूरभाष संचार सेवा	3,268.12	801.37
47.	बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लि.	मॉरीशस		दूरसंचार	253.36	55.08
48.	हचीसन एस्सार साउथ लि.	मॉरीशस	अल अमीन इन्वेस्टमैंट्स लि.	दूरसंचार	264.41	57.48
49.	भारती टेली वेंचर्स लि.	मॉरीशस			396.14	82.53
50.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम लि.	मॉरीशस	एटिसला मॉरीशस लि.	इंटरनेट सेवाएं/सूचना प्रौद्योगिकी	3,228.45	667.93

1	2	3	4	5	6	7
51.	डीक्यू एन्टरनटेन्मेंट लि.	मॉरीशस	डीक्यू एंटरटेन्मैंट (मॉरीशस) लि.	इंटरनेट सेवाएं/सूचना प्रौद्योगिकी	106.94	22.13
52.	अलाइड डिजिटल सर्विसेज लि.	एनआरआई***	वेरियस एफआईआईएस	इंटरनेट सेवाएं/सूचना प्रौद्योगिकी	148.33	32.27
53.	श्यामटेलीलिंक लि.	रुस	सिस्टमा ज्वाइंट स्टॉक फाइनेंशियल को.	दूरभाष संचार सेवा	1,482.00	304.72
54.	यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	180.14	37.19
55.	यूनिटेक वायरलेस (नॉर्थ) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	212.90	43.95
56.	यूनिटेक वायरलेस (वेस्ट) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	271.71	59.31
57.	यूनिटेक वायरलेस तमिलनाडु प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	115.70	25.26
58.	यूनिटेक वायरलेस (वेस्ट) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	204.71	42.26
59.	यूनिटेक वायरलेस (साउथ) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	204.71	42.26
60.	यूनिटेक वायरलेस (नार्थ) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	235.51	48.58
61.	यूनिटेक वायरलेस (साउथ) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	226.45	46.71
62.	यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	199.28	41.11
63.	यूनिटेक वायरलेस (वेस्ट) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	226.45	46.71
64.	भारती इन्फ्राटेल लि. प्रा.लि.	सिंगापुर	नमूरा एशिया इन्वेस्टमैंट (आईवी) पीटीई लि.	संचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	118.65	26.45
65.	यूनिटेक वायरलेस (नार्थ) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	274.03	61.58
66.	यूनिटेक वायरलेस (साउथ) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	247.66	55.65

1	2	3	4	5	6	7
67.	यूनिटेक वायरलेस (साउथ) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	274.61	61.71
68.	यूनिटेक वायरलेस (साउथ) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	138.30	31.08
69.	यूनिटेक वायरलेस (दिल्ली) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	112.28	25.23
70.	यूनिटेक वायरलेस (नार्थ) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	257.57	57.88
71.	यूनिटेक वायरलेस तमिलनाडु प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	121.06	26.43
72.	यूनिटेक वायरलेस तमिलनाडु प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	109.19	23.84
73.	यूनिटेक वायरलेस (वेस्ट) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	124.41	27.16
74.	यूनिटेक वायरलेस (वेस्ट) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	247.66	54.06
75.	यूनिटेक वायरलेस (कोलकाता) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	104.39	22.79
76.	यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	219.48	47.91
77.	यूनिटेक वायरलेस (ईस्ट) प्रा.लि.	सिंगापुर	टेलेनोर एशिया पीटीई लि.	दूरभाष संचार सेवा	217.94	47.57
78.	पोलीकेल वार्यज प्रा. लि.	यूएसए	आईएफसी	ऑप्टिकल फाइबर सहित विद्युतरोधी तारों एवं केबलों के निर्माता	231.75	49.60
79.	पोलीकेल वार्यज प्रा.लि.	यूएसए	आईएनटीएल फाइनेन्स को. आईएफसी	ऑप्टिकल फाइबर सहित विद्युतरोधी तारों एवं केबलों के निर्माता	170.00	37.11
80.	एसीएमई टेलीपॉवर लि.		मानसून (i) इन्फ्लैक्सन प्रा. लि.	दूरसंचार नियंत्रण के अभिकल्पन, निर्माण एवं एकीकरण का सतत् व्यवसाय	275.20	68.76

1	2	3	4	5	6	7
81.	फ्लैक्सट्रॉनिक्स साफ्टवेयर सिस्टम्ज लि.	मॉरीशस	फ्लैक्सट्रॉनिक्स सेल्स एंड मार्केटिंग	संचार समाधान	465.93	103.96
82.	आइडिया सेल्यूलर लि.	मॉरीशस	एगजयाटा इन्वेटमैंट्स 2 (इंडिया) लि.	दूरसंचार सेवाएं	306.70	62.26
83.	आइडिया सेल्यूलर लि.	यूके	मैरिल्ल लिंच इंटरनेशनल	दूरभाष संचार	659.99	146.69
84.	पटनी कम्प्यूटर सिस्टम्ज लि.	मॉरीशस	पैन-एशिया इगाटे साल्यूशन्स केयर ऑफ इंटरनेशन	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं	1,819.94	405.75
85.	टाटा टेलीसर्विसेज	मॉरीशस	टेलीकॉम इन्वैस्टमैंट्स (मॉरीशस) लि.	दूरसंचार	960.96	176.63
86.	टाटा टेलीसर्विसेज	जापान	एनटीटी डोकोमो इंक	दूरसंचार सेवाएं	465.14	92.91
87.	टाटा टेलीसर्विसेज	जापान	एनटीटी डोकोमो इंक	दूरसंचार सेवाएं	102.26	20.43
88.	भारती एयरटेल लि.		इंडियन कॉन्टिनेन्ट इन्वैस्टमैंट्स लि.	दूरसंचार सेवाएं	210.95	45.24
89.	भारती एयरटेल लि.		इंडियन कॉन्टिनेन्ट इन्वैस्टमैंट्स लि.	दूरसंचार सेवाएं	237.80	51.00
90.	डेन नेटवर्क्स लि.	सिंगापुर	स्टैन्डर्ड चार्टर्ड आईएल एंड एफएस एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर	केबल दूरदर्शन वितरण एवं इंटरनेट सेवाएं	139.82	28.84
91.	भारती एयरटेल लि.	मॉरीशस	इंडियन कॉन्टिनेन्ट इन्वैस्टमैंट्स लि.	दूरसंचार सेवाएं	237.53	52.26
92.	श्याम टेलीलिंक	रुस	सिस्टेमा ज्वाइंट स्टॉक फाइनेशियल	दूरभाष संचार सेवा	186.94	39.91
93.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	जापान	एनटीटी डोकोमो इंक	दूरसंचार सेवाएं	567.75	110.83
94.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	यूके	हघेज इलैक्ट्रानिक्स को.	दूरभाष सेवाएं	224.38	48.78
95.	एयरसेल लि. चेन्नै	मॉरीशस	ग्लोबल कम्युनिकेशन्स स.प्रा.लि.	दूरसंचार सेवाएं	1,876.69	422.01

नोट-1. इस राशि में केवल एसआईए/एफआईपीबी रूट, वर्तमान शेयरों का अधिग्रहण और आरबीआई के ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से प्राप्त अन्तर्वाह शामिल हैं।

2. एनआरआई निवेश पर संपूर्ण/पृथक आंकड़े आरबीआई द्वारा नहीं रखे जाते। तथापि, एक एनआरआई निवेश पर उपर्युक्त एफडीआई अनतर्वाह के आंकड़ों में ऐसे एनआरआईज द्वारा किया गया निवेश शामिल है जिन्होंने अपने निवेश के समय अपनी एनआरआई होने की स्थिति स्पष्ट कर दी थी।

प्रतिनियुक्ति की पात्रता

1601. **श्री समीर भुजबल :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों और केन्द्र सरकार के कर्मचारी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर जाने के पात्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विवादास्पद अधिकारी किसी भी राज्य, जहां वे तैनात हैं, में प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने के हकदार हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु केन्द्र/राज्य के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों पर भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है; ऐसे किसी पद पर अल्पकालिक संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु, जो कि प्रतिनियुक्ति का एक तरीका है, गैर-सरकारी निकायों तथा स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं आदि के कर्मचारियों पर विचार किया जाता है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति संबंधी भत्ते कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 सितंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं.2/22(8)/2008-स्था. (वेतन-II) के अनुसार दिए जाते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले पदों पर तैनात कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति संबंधी भत्ते की हकदारी के ब्यौरे केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं होते हैं।

[हिन्दी]

गणमान्य व्यक्तियों के दौरे

1602. **श्री गोपीनाथ मुंडे :**
श्री भूदेव चौधरी :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती मीना सिंह :
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री बलीराम जाधव :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
प्रो. रामशंकर :
श्री पी.सी. मोहन :
श्री निलेश नारायण राणे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत चार महीनों में और आज तक, विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों के भारत-दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके साथ किन-किन मुद्दों पर बातचीत हुई है;

(ग) क्या किन्हीं द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रधान मंत्री, विदेशी मंत्री और रक्षा मंत्री द्वारा किए गए विदेशी दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(च) इन देशों के साथ संबंधों में और सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (च) इस प्रश्न से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

निःशुल्क वॉयस-कॉल और मैसेजिंग

1603. **श्री ओ.एस. मणियन :**
श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-लाइसेंसयुक्त सेवाप्रदाता, यथा "गूगल" और "स्काइप", इंटरनेट के माध्यम से वॉयस-कॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग और विडियो-कान्फ्रेंसिंग, आदि की सुविधाएं दे रहे हैं जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सेवाप्रदाताओं के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या लैपटॉप, मोबाइल/टैबलेट कंप्यूटर, इत्यादि पर अभिगम चैट-एप्लीकेशन, अन्य अभिगम्य-सेवाओं की ही तरह किसी निगरानी प्रणाली के अंतर्गत रखे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन एप्लीकेशनों पर लागू होने वाले सुरक्षा-विनियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सेवाओं के दुरूपयोग को रोकने के लिहाज से ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा ऐसे क्रियाकलापों के विरुद्ध घरेलू सेवाप्रदाताओं को सहायता देने के क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ङ) भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं। अप्रतिबंधित इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं की अनुमति दिनांक 14 दिसबर, 2005 के यूएएस दिशा-निर्देशों के अनुसार एकीकृत अभिगत सेवा (यूएएस) के दायरे में प्रदान की जाती है। सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) और बुनियादी सेवा लाइसेंस के अंतर्गत भी इसी प्रकार के प्रावधान मौजूद हैं। प्रतिबंधित इंटरनेट सेवा की अनुमति (भारत में पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन)/पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन) के साथ कनेक्टिविटी के बिना) दिनांक 01 अप्रैल, 2002 और 24 अगस्त, 2007 के इंटरनेट सेवा दिशा-निर्देशों के अनुसार इंटरनेट सेवा लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, गूगल, स्काइप आदि सहित कतिपय विदेशी वेबसाइटों द्वारा दी जा रही वॉयस कॉल, चैट, मैसेजिंग, विडियो कान्फ्रेंसिंग आदि जैसी सेवाएं प्रयोग के लिए सार्वजनिक रूप से निःशुल्क हैं और लाइसेंसशुदा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से प्रयोक्ता इनका प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट सेवाओं के लिए लागू प्रभार तदनुसार वसूल कए जाते हैं।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने संबंधित लाइसेंस करार की निबंधन एवं शर्तों तथा भारतीय तार संशोधन नियमावली 2007 के नियम 419(क) के साथ पठित भारतीय तार अधिनियम, 1885 की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अपने नेटवर्क से गुजरने वाले संचार के अवरोधन की सुविधा प्रदान करनी होती है।

अवैध दूरसंचार सेवाओं प रोक लगाने के प्रयास में सरकार द्वारा देश में 34 दूरसंचार प्रवर्त्तन संसाधन एवं अनुश्रवण (टीईआरएम) एकक सृजित किए गए हैं। अर्म एककों द्वारा अवैध दूरसंचार प्रचालनों को रोकने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं। अन्य सेवा प्रदाताओं को भी प्राधिकृत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से "इंटरनेट कनेक्टिविटी" रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को दिनांक 27.10.2009 से सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है जिसमें किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से अवरोधन, अनुश्रवण और किसी भी सूचना की सार्वजनिक पहुंच को रोकने सहित कम्प्यूटर संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में समर्थकारी प्रावधान किए गए हैं।

आकाश-IV टैबलेट

1604. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्ययालयीन और महाविद्ययालयीन छात्रों के लिए कम कीमत वाले 'आकाश-IV' टैबलेट कंप्यूटर पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 'आकाश-IV' की विशिष्टियों को विकसित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए किसी उप-समिति की नियुक्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंपे जाने की संभावना है; और

(ङ) 'आकाश-IV' को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ङ) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगकी विभाग द्वारा निरंतर अनुसंधान एवं विकास और आकाश टैबलेट की समय पर सुपुर्दगी के लिए दिसंबर, 2011 में अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई थी। समिति ने आकाश-IV की तकनीकी विशिष्टताओं को तैयार करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक उप-समिति गठित

की थी। उप-समिति द्वारा तैयार की गई तकनीकी विशेषताओं पर इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 12 जून, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा विचार किया गया था और प्रस्तावित विशिष्टताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।

[हिन्दी]

विदेश में हिन्दी को बढ़ावा

1605. श्री पूर्णमासी राम :
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान हिन्दी को बढ़ावा देने के प्रयोजन से विदेशों में दौरे पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों की संख्या कितनी है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप क्या सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) ऐसे दौरों पर सरकार ने वर्ष-वार कितना खर्च किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशों में कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। विदेश स्थित हमारे मिशनों, विभिन्न देशों में स्थानीय संगठनों तथा विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर आईसीसीआर विश्व हिन्दी सम्मेलन, कवि सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हिन्दी कवियों, लेखकों तथा आलोचकों की यात्राओं का प्रयोजन/समर्थन करता रहा है। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित व्यक्तियों की सूची से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) आईसीसीआर को विदशों में भारतीय संस्कृति का संवर्धन करने का अधिदेश प्राप्त है। हिन्दी भाषा भारतीय संस्कृति का एक अनिवार्य भाग है तथा इसलिए यह आईसीसीआर के अधिदेश के अधीन है। आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित यात्राओं के परिणामस्वरूप व्यक्तियों को आपसी सम्पर्क शुरू हुआ है, हिन्दी में कार्यरत भारतीय लेखकों तथा आलोचकों को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है तथा उनके व्यक्तिगत कार्यकलापों से हिन्दी के संवर्धन में और सहयोगी प्राप्त हुए हैं। ऐसे समूहों की यात्राओं की रिपोर्ट सकारात्मक रही हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में परिषद द्वारा किए गए वर्ष-वार व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित व्यक्तियों की सूची

वर्ष 2010

1.	श्री मोहिंद्र शर्मा	काठमांडु	भारतीय दूतावास तथा अन्य हिंदी संगठनों द्वारा काठमांडु में आयोजित 3 दिवसीय हिंदी सम्मेलन
2.	श्री विनोद कालरा	तदैव	
3.	श्री भवानी सिंह	तदैव	
4.	श्री विवेक गौतम	तदैव	
5.	श्री शमशेर अहमद खान	तदैव	
6.	सुश्री कविता किरन	तदैव	
7.	श्री सुनील जोगी	सिंगापुर	चारकुला कला अकादमी सिंगापुर द्वारा आयोजित हास्य कवि सम्मेलन
8.	श्री संपत सिंह सरल	तदैव	
9.	श्री सुरेन्द्र शर्मा	तदैव	

10. श्री आश करण अटल	तदैव	
11. श्री रविन्द्र कालिया	ओसाका	भारतीय प्रधान कोंसलावास, ओसाका विश्वविद्यालय द्वारा ओसाका विश्वविद्यालय में आयोजित पांच दिवसीय हिंदी संगोष्ठी
12. श्री जोगिंद्र नाथ शर्मा	तदैव	
13. सुश्री ऋचा मिश्रा	तदैव	
14. प्रो. मोहम्मद कुजु मेथारन बात्ता पाम्बिल	तदैव	
15. श्री ऋषिकेश श्रीवास्तव	यूनाइटेड किंगडम	यूनाइटेड किंगडम हिंदी समिति द्वारा प्रदत्त कथा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए
16. श्री गजेन्द्र सोलंकी	यूनाइटेड किंगडम	भारतीय उच्चायोग, नेहरु केन्द्र तथा अन्य हिंदी संगठनों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए
17. श्रीमती शिश तिवारी	तदैव	भारतीय सांस्कृति केन्द्र ताशकन्द द्वारा आयोजित 5 दिवसीय संगोष्ठी एवं कार्यशाला में भाग लेने के लिए
18. श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी	तदैव	
19. श्री महेन्द्र कुमार	तदैव	
20. श्री विमलेश कान्ति वर्मा	उजबेकिस्तान	
21. श्री नरेन्द्र कोहली	तदैव	
22. प्रो. मंजुला राणा	तदैव	
वर्ष 2011		
1. श्री रविन्द्र शुक्ला	यूनाइटेड किंगडम	भारतीय उच्चायोग, नेहरु केन्द्र तथा अन्य हिंदी संगठनों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विराट कवि सम्मेलन में भाग लिया
2. श्रीमती मधु उपाध्याय	तदैव	
3. श्री कुंवर बहादुर	तदैव	
4. श्री रमेश चंद्र शर्मा	तदैव	
5. श्री विमलेश कांति वर्मा	पोर्ट ऑफ स्पेन	भारतीय उच्चायोग, पोर्ट ऑफ स्पेन द्वारा आयोजित कार्यशाला में व्याख्यान दिया।
6. डॉ. सुधीश पचौरी	यूनाइटेड किंगडम	नेहरु केन्द्र तथा अन्य हिंदी संगठनों द्वारा आयोजित तीन दिवसीय हिंदी सम्मेलन में भाग लिया
7. श्री बालेन्दु कुमार शर्मा	तदैव	
8. श्री रमेश चंद शर्मा	तदैव	

9. डॉ. रामचंद्र राय	तदैव	
10. डॉ.प्रेम प्रकाश कुंद्रा	तदैव	
11. प्रो. सत्यकाम	बेल्जियम	हिंदी संगठन, बेल्जियम द्वारा आयोजित हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए
12. श्री ज्योति जोशी		
13. श्री प्रदीप कुमार दीक्षित	अमरीका	अमरीका में आयोजित के 15वें हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए
14. सुश्री कमल मुसद्दी	तदैव	
15. श्री केसरी नाथ त्रिपाठी	तदैव	
वर्ष 2012		
1. श्री अशकरन अटल कवि	यूनाइटेड किंगडम	भारतीय उच्चायोग, नेहरु केन्द्र तथा अन्य हिंदी संगठनों द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विराट सम्मेलन में भाग लिया।
2. श्री शीन खफ निजाम	तदैव	
3. श्री कृष्ण तिवारी	तदैव	
4. श्री सुरेन्द्र शर्मा	दक्षिण अफ्रीका	विदेश मंत्रालय तथा भारतीय प्रधान कोंसलावास, जोहांसबर्ग द्वारा आयोजित 9वें विश्व में भाग लिया
5. श्री कुंवर बेचैन	तदैव	
6. श्री उदय प्रकाश	तदैव	
7. श्री शेरजंग गर्ग	तदैव	
8. श्री सुरेंद्र साल मलिक	तदैव	
9. श्री आलोक श्रीवास्तव	तदैव	
10. श्री नरेश चंद शर्मा	तदैव	
11. श्री विवेक गौतम	तदैव	
12. डॉ रत्नाकर शुक्ला	तदैव	
13. पंडित सुरेश नीरव	तदैव	
14. सुश्री संगीता गुप्ता	तदैव	
15. श्री विज्ञान	तदैव	
16. श्री बुद्धिमान मिश्रा	तदैव	

17. डॉ. वर्तिका नंदा	तदैव	
18. श्री योगेश दुबे	तदैव	
19. श्री अशरद फरीदी	तदैव	
20. श्री श्याम सिंह शशि	बेलग्रेड	इलेक्ट्राल कांग्रेस आफ वर्ल्ड रोमा आर्गेनाइजेशन में भाग लेने के लिए

विवरण-II

देश/वर्ष-वार व्यय

		2010	2011	2012
1.	काठमांडु	रुपए 1,08,801/-	—	—
2.	युनाईटेड किंगडम	रुपए 2,89,278/-	रुपए 3,09,800/-	रुपए 6,33,173/-
3.	उजबेकिस्तान	रुपए 1,56,432/-	—	—
4.	जापान	रुपए 2,43,535/-	—	—
5.	दक्षिण अफ्रीका	—	—	रुपए 16,87,500/-
6.	सिंगापुर	रुपए 1,25,484/-	—	—
7.	बेल्जियम	—	रुपए 1,19,200/-	—
8.	बैलग्रेड	—	—	रुपए 75,200/-
9.	पोर्ट ऑफ स्पेन	—	रुपए 1,35,400/-	—
10.	यूएसए	—	रुपए 3,32,629/-	—

[अनुवाद]

अनिवार्य ऋण-रेटिंग

1606. श्री अजय कुमार : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज) को आसान ऋण-प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का ऋण सूचना ब्यूरों लिमिटेड के माध्यम से ऋण-रेटिंग को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अगस्त 2000 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है जिसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने के लिए गारंटी कवर मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2010 में मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिसके तहत एमएसई को 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए संपार्श्विकता की अपेक्षा को अनविार्य रूप से समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कार्यनिष्पादन और क्रेडिट रेटिंग स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जो एमएसई को क्रेडिट रेटिंग कराने और इसके परिणामस्वरूप ब्याज की रियायती दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता

है। मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ओर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम भी कार्यान्वित करता है जिसमें मार्जिन मनी और पूंजी सब्सिडी ऋण की प्रभावी लागत को कम करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आईआईटी द्वारा नि:शुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम

1607. **श्री ताराचन्द भगोरा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) नि:शुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के अधीन शिक्षा प्रदान करने, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा, के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की शीर्ष-कंपनियों और 'नासकॉम' संगठन के साथ संयुक्त प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक व्यापक वर्ग उपलब्ध हो सकेगा जिससे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सहायता लेते हुए उन निजी तौर पर संचालित पाठ्यक्रमों का विकल्प प्रदान कर सकेगा जो औद्योगिक अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम (एनपीटीईएल) मद्रास, बाम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी और रुड़की में स्थित पुराने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की एक संयुक्त परियोजना है। एपपीटीईएल का लक्ष्य ऑनलाइन के लिए उच्च गुणवत्तापरक विषय-वस्तु तैयार करना और उसका प्रचार करना है।

नासकॉम और सॉफ्टवेयर कंपनियों कॉगनिजेंट, इन्फोसिस और टाटा कंसलटेंसी सर्विस (टीसीएस) के साथ एनपीटीईएल ने कम्प्यूटर विज्ञान के तीन विषयों अर्थात् प्रोग्रामिक अल्गोरिदम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र तथा अन्य उच्च तकनीकी उद्योग में रोजगार के लिए डाटा स्ट्रक्चर में ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाने का प्रस्ताव किया है।

द्रुत रेल-संपर्क

1608. **श्री एन.एस.वी. चित्तन :**
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में द्रुत रेल-संपर्क निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और इस हेतु केन्द्र और राज्यों के बीच लागत-हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का एनसीआर में इस महत्वाकांक्षी द्रुत रेल-संपर्क कार्य में शीघ्रता लाने के लिए कोई कंपनी गठित करने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस कंपनी के गठन में शामिल किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) उक्त कंपनी द्वारा कब तक कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) से (घ) सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) की डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्तपोषण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए 100 करोड़ के अधिकृत पूंजी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि. (एनसीआरटीसी) के सृजन को स्वीकृति दी है।

व्यक्तिगत आरआरटीएस परियोजनाएं के कार्यान्वयन हेतु वित्तपोषण पद्धति का निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि कोरिडोर स्वीकृत नहीं किए गए है। एनसीआरटीसी में विभिन्न स्टेक-होल्डरों की इक्विटी भागीदारी निम्नानुसार है:

केन्द्र सरकार

शहरी विकास मंत्रालय	:	22.5 प्रतिशत
रेल मंत्रालय	:	22.5 प्रतिशत
एनसीआर योजना बोर्ड	:	5.0 प्रतिशत

राज्य सरकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	:	12.5 प्रतिशत
हरियाणा सरकार	:	12.5 प्रतिशत
राजस्थान सरकार	:	12.5 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश सरकार	:	12.5 प्रतिशत

(ङ) एनसीआरटीसी के ज्ञापन एवं संगठन के अनुच्छेद पर सभी स्टेक-होल्डरों नामत: शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 1.8.2013 को हस्ताक्षर किए है। कंपनी को चलाने की

प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी को प्रचानल हेतु कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

स्पेक्ट्रम आबंटन

1609. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नीलामी के बजाय आबंटन के माध्यम से कुछ स्पेक्ट्रम आबंटित करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण **हैं; और**

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्पेक्ट्रम के आबंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित विभिन्नन मुद्दों की जांच करने के लिए दूरसंचार विभाग में एक समिति का गठन किया गया है जिनमें वे शर्तें भी शामिल हैं जिन्हें स्पेक्ट्रम के आबंटन से संबंधित तरजीहकृत/बुनियादी माध्यम के रूप में नीलामी के प्रयोजनार्थ अमल में लाया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, स्पेक्ट्रम की अन्य शर्तें और किस्में जिनके लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आबंटन मानदंड आदि के रूप में अंगीकृत किया जाना है, उसकी बाबत अभी समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

मंद सेवा-परिदान के विरुद्ध शिकायतें

1610. श्री नवीन जिन्दल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अकुशल और मंद परिदान के विरुद्ध असंतोष है और इस संबंध में सरकारी विभागों/एजेंसियों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त और हल की गई ऐसी शिकायतों की वर्ष-वार और विभाग-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सिलसिले में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए गए समान विधानों की तर्ज पर, जनता को सेवाओं के समयबद्ध परिदान की गारंटी देने के लिए जन-सेवा परिदान विधेयक लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश भर में जन-सेवाओं का कुशल और समयबद्ध परिदान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) सरकार ऑनलादन केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीग्राम्स) के जरिए लोक सेवा प्रदायगी में सुधार करने तथा शिकायतों का निवारण करने का प्रयास कर रही है। यह प्रणाली शिकायतें दर्ज कराने हेतु पर अभिगम्य है, तथा यह 105 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा देश भर के 8,016 अधीनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़ा है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायातों और निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या का विभाग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) देश भर में लोक सेवाओं की कुशल और समय पर प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:–

(1) वर्ष 2005 में, वस्तुओं और सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी तथा शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए 'सेवोत्तम' नामक एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) का सृजन कर इसकी शुरूआत की गई। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली 'सेवोत्तम' के तीन मॉड्यूल है:- (i) नागरिक चार्टर मॉडयूल जिसमें समय सीमा सहित प्रदान की जाने वाली सेवाओं तथा प्रत्येक के लिए जिम्मेदार अधिकारी के नाम का उल्लेख किया जाता है; (ii) उन मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए शिकयत निवारण मॉडयूल जिसमें नागरिक चार्टर में की गई सेवा प्रदायगी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया जाता है; और (iii) नागरिक चार्टर की समय सीमा के अनुसार सेवा प्रदायगी हेतु क्षमता निर्माण माड्यूल।

(2) वर्ष 2006 से 2011 तक गुणवत्ता प्रबंधन 'सेवोत्तम' को 14 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा चार राज्यों के चार क्षेत्रों में प्रायोगिक रूप से आरंभ किया गया।

(3) लोक सभा में दिनांक 20.11.2011 को "नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011" (2011 का विधेयक संख्यांक 131)" नामक एक अधिकार आधारित विधान पेश करना। इस विधेयक में सभी लोक प्राधिकरणों पर अपना नागरिक चार्टर तैयार करने की बाध्यता निर्धारित की गई है जिसमें उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और माल की प्रदायगी संबंधी समय सीमा का उल्लेख किया जाएगा। इसमें नागरिक चार्टर का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में एक बहु-स्तरीय शियकत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था की गई है।

विवरण

प्राप्त शिकायतों और निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या

क्र. सं.	सीपीग्राम्स में प्राप्त/निपटाई गई शिकायतें संगठन (1 जनवरी से 31 दिसंबर)	2010		2011		2012		1.1.2013-08.08.2013	
		प्राप्त	निपटाई गई	प्राप्त	निपटाई गई	प्राप्त	निपटाई गई	प्राप्त	निपटाई गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बीएसईएस राजधानी/यमुना पावर लि.	16	10	42	3	14	2	3	0
2.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	22	1	17	2	1	0	29	0
3.	मंत्रिमंडल सचिवालय	18	0	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
4.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर राजस्व विभाग)	776	108	3897	1705	7603	4177	6006	2681
5.	केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड	691	508	1768	1330	1926	1550	1301	870
6.	राज्य सभा याचिका समिति	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	1	0
7.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	154	24	320	29	185	44	227	100
8.	दिल्ली पुलिस	167	35	303	1	363	168	299	170
9.	दिल्ली परिवहन निगम	8	3	14	13	7	2	5	4
10.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	एनए	एनए	69	19	343	291	179	148
11.	कृषि और सहकारिता विभाग	157	108	321	239	299	198	201	153
12.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	39	8	168	26	109	61	117	90
13.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	54	2	176	0	103	40	88	70
14.	परमाणु ऊर्जा विभाग	82	52	276	179	294	244	192	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	14	14	69	58	41	33	31	24
16.	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	90	2	139	127	150	145	104	96
17.	वाणिज्य विभाग	128	36	372	264	438	352	334	251
18.	उपभोक्ता मामले विभाग	779	129	1518	753	2584	1055	1869	425
19.	विनिवेश विभाग	61	0	120	116	107	83	102	96
20.	रक्षा विभाग-भूतपूर्व सैनिक कल्याण	एनए	एनए	880	28	3565	20	4406	2472
21.	रक्षा वित्त विभाग	एनए	एनए	358	151	1120	910	513	169
22.	रक्षा उत्पादन विभाग	एनए	एनए	109	2	286	2	265	8
23.	रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग	एनए	एनए	1914	85	144	106	137	124
24.	पेयजल और स्वच्छता विभाग	258	0	214	203	271	244	190	110
25.	आर्थिक कार्य विभाग	228	104	715	443	408	228	310	189
26.	व्यय विभाग	85	44	257	156	196	154	125	103
27.	उर्वरक विभाग	22	9	81	52	65	38	41	31
28.	वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिंग प्रभाग)	3069	930	5048	2016	7835	4714	6526	3368
29.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	204	62	648	10	469	379	228	190
30.	भारी उद्योग विभाग	415	344	186	114	208	143	126	109
31.	औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग	64	32	175	101	269	189	292	110
32.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	340	240	625	577	886	835	689	597
33.	न्याय विभाग	665	5	1003	1	1191	560	1050	620
34.	भूमि संसाधन विभाग	59	34	85	44	101	1	73	70
35.	विधि कार्य विभाग	191	129	321	283	379	317	330	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग	622	226	8383	1567	7021	3357	4421	1730
37.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	677	255	2335	1173	1520	844	1661	705
38.	औषध निर्माण विभाग	35	24	98	86	138	95	72	49
39.	डाक विभाग	1183	818	2677	1922	4756	3040	3164	1708
40.	लोक उद्यम विभाग	107	52	193	191	219	214	123	122
41.	राजस्व विभाग	199	101	567	398	673	226	438	130
42.	ग्रामीण विकास विभाग	174	78	347	258	603	423	359	234
43.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	एनए	एनए	312	1	760	1	1103	1
44.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	79	8	243	145	298	189	170	91
45.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	21	0	56	5	79	26	45	20
46.	अंतरिक्ष विभाग	23	7	75	38	90	56	49	31
47.	दूरसंचार विभाग	69659	67072	21981	19480	31086	27973	21603	17286
48.	पर्यटन विभाग	105	0	249	198	345	198	220	6
49.	बीमा प्रभाग	684	368	1133	877	1254	506	1060	801
50.	निवेश शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	3	0	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	
51.	विधायी विभाग	41	2	31	18	85	43	123	35
52.	कोयला मंत्रालय	100	6	270	50	330	249	395	135
53.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	7	0	2	0	21	0	13	0
54.	नागर विमानन मंत्रालय	345	58	771	461	1516	308	670	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	1493	0	1164	709	1523	851	1542	379
56.	संस्कृति मंत्रालय	79	31	140	61	147	51	305	208
57.	रक्षा मंत्रालय	1227	201	2864	399	3147	673	2069	456
58.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	9	9	22	22	24	24	12	11
59.	भू-विज्ञान मंत्रालय	33	11	82	66	65	60	71	65
60.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	309	65	628	388	447	141	303	79
61.	विदेश मंत्रालय	2549	722	5061	931	5402	757	3377	1877
62.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	21	12	42	0	57	0	35	34
63.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	897	233	1746	771	2464	1111	1523	957
64.	गृह मंत्रालय	2970	541	4093	1896	4166	1886	3939	2549
65.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	एनए	एनए	10	1	102	79	118	52
66.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	1611	3	3945	1104	3085	862	2265	503
67.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	635	405	1547	947	1502	789	1021	445
68.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	3042	1429	3436	1656	2872	1425	2186	698
69.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	44	13	207	108	216	79	173	52
70.	खान मंत्रालय	233	41	290	94	258	106	202	63
71.	अल्पसंख्यक मंत्रालय	15	0	35	2	123	59	124	25
72.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	22	20	66	62	65	61	37	33
73.	गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	12	0	5	5	15	0	9	0
74.	प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय	148	61	511	211	345	142	161	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.	पंचायती राज मंत्रालय	83	9	91	86	145	144	118	114
76.	संसदीय कार्य मंत्रालय	163	0	203	122	219	89	136	3
77.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	927	577	2165	1584	3249	2174	1685	1270
78.	योजना मंत्रालय	40	0	89	0	152	0	187	0
79.	विद्युत मंत्रालय	912	817	695	608	577	430	402	289
80.	रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	4624	2516	11178	6845	11187	7717	9025	6187
81.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	930	125	848	272	1041	569	569	211
82.	पोत परिवहन मंत्रालय	115	9	285	79	254	24	171	55
83.	लघु उद्योग मंत्रालय	20	0	1	0	17	0	34	0
84.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	292	93	588	219	656	340	504	138
85.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	23	1	125	65	106	46	60	27
86.	इस्पात मंत्रालय	74	40	231	197	229	209	176	148
87.	वस्त्र मंत्रालय	53	0	192	104	223	102	195	128
88.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	29	1	67	9	91	27	90	75
89.	शहरी विकास मंत्रालय	538	246	1128	478	1435	1031	1053	780
90.	जल संसाधन मंत्रालय	129	72	281	147	280	175	244	166
91.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	118	30	217	188	364	301	323	214
92.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	173	15	159	7	191	67	121	36
93.	दिल्ली नगर निगम	509	8	884	99	604	143	367	342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लोक शिकायत आयोग, दिल्ली)	एनए	एनए	2514	696	2478	742	2389	854
95.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	एनए	एनए	1	0	0	0	9	0
96.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	एनए	एनए	1	0	0	0	4	0
97.	नई दिल्ली नगर परिषद	19	11	11	6	7	6	3	3
98.	नार्थ दिल्ली पावर लिमिटेड	5	2	5	5	1	1	एनए	एनए
99.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय	20	12	142	8	318	128	250	63
100.	योजना आयोग	42	0	193	50	355	50	469	238
101.	भारतीय रिजर्व बैंक	362	59	596	99	2093	1058	1491	1308
102.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	36	0	58	0	19	6	53	17
103.	कर्मचारी चयन आयोग	6	1	4	0	5	0	एनए	एनए
104.	संघ लोक सेवा आयोग	17	0	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
	कुल	108528	80489	109054	57404	135075	79768	101681	58280

टिप्पणी: लागू नहीं (एनए) का आशय यह है कि संबंधित वर्ष में मंत्रालय/विभाग सीपीग्राम्स के अंतर्गत नहीं था।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा मद संख्या 2 सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर चर्चा करेगी।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : मैं, डॉ. गिरिजा व्यास की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) सेंट्रल गवर्नमेन्ट इम्प्लाइज वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल गवर्नमेन्ट इम्प्लाइज वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9374/15/13]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9375/15/13]

(दो) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9376/15/13]

(तीन) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9377/15/13]

(चार) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9378/15/13]

(पांच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9379/15/13]

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय सूचना आयोग (रजिस्ट्रार) भर्ती नियम, 2013 जो 20 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 387(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय सूचना आयोग (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 2013 जो 20 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 388(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय सूचना आयोग (सहायक ग्रंथालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2013 जो 20 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 389(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9380/15/13]

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय श्री के. नारायण राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : मैं, श्री जतिन प्रसाद की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) एक्जोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्जोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9381/15/13]

(3) (एक) महिला समाख्या उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9382/15/13]

(5) (एक) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9383/15/13]

(7) (एक) केरल महिला समाख्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल महिला समाख्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9384/15/13]

(9) (एक) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी-कम-सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, शिमला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी-कम-सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, शिमला

[डॉ. शशी थरूर]

के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9385/15/13]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9386/15/13]

(3) (एक) बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉदर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉदर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9387/15/13]

(5) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9388/15/13]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मेट्रो रेल सामान्य नियम, 2013 जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 246(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) यात्रियों के लोक वहन के लिए मेट्रो रेल चलाया जाना नियम, 2013 जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 247(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9389/15/13]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव महोदय : महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने की निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 13 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है:–

प्रस्ताव

"कि अपनी 13 अगस्त, 2013 को हुई बैठक में राज्य सभा, लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने वाले विधेयक, जिसे 11 मार्च, 2013 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था और 12 मार्च, 2013 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस लेने के लिए लोक सभा द्वारा दी गई अनुमति से सहमत हुई।"

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि अपनी 13 अगस्त, 2013 को हुई बैठक में राज्य सभा ने 3 सितम्बर, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 को निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया है:–

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1 पंक्ति 1 में तिरसठवां शब्द **के स्थान** पर चौसठवां शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 1

2. पृष्ठ 1 पंक्ति 3 में अंक '2012' **के स्थान** पर अंक '2013' *प्रतिस्थापित* किया जाए।

अत: मैं, राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में उक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि उक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाए।"

2. महोदया, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¼ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

36वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी) : अध्यक्ष महोदया, मै गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरे से संबंधित प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर (वनगांव) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के जून-जुलाई, 2012 के दौरान कोच्चि, मुन्नार, बेंगलुरु और गोवा के अध्ययन दौरे से संबंधित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¾ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

(एक) 42वें से 45वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदया, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:–

---

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

(1) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन' के बारे में 42वां प्रतिवेदन।

(2) 'भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण' के बारे में 33वां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(3) 'काउंसिल फॉर एडवांसमैंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टैक्नोलॉजी (कापार्ट)' के बारे में 32वें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(4) 'पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमता निर्माण' के बारे में 45वां प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदया, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(3) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 29वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(4) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 240वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित विभागों से संबद्ध स्थायी समिति के 240वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

मैं माननीय अध्यक्ष लोक सभा के निदेश पर और लोक सभा समाचार भाग-II, दिनांक 01 सितंबर, 2004 में निहित लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के उपबंधों के अनुसरण में उद्योग संबंधी विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति के 240वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

240वें प्रतिवेदन के अध्याय-III और IV में इक्कीस और भी सिफारिशें/टिप्पणियां हैं। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मोटे तौर पर विपणन विकास, योजनाओं को विवेकपूर्ण बनाने, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और कॅयर बोर्ड के मूल्यांकन अध्ययन के परिणाम, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के तहत निधियों का उपयोग, सूक्ष्म क्षेत्रों को प्रदान की गई ऋण सुविधाओं की मानीटरिंग और बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) की वर्तमान स्थिति आदि से संबंधित हैं।

मेरे मंत्रालय ने उपर्युक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट इन सिफारिशों/टिप्पणियों

---

*सभा-पटल पर रखा गया और मंत्रालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9390/15/13.

के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। की गई कार्रवाई टिप्पण, जिसमें 240वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों में से प्रत्येक पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है, समिति सचिवालय को 2.7.2013 को भेज दिया गया है।

समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा इस वक्तव्य के अनुबंध में दिया गया है जो सभापटल पर प्रस्तुत है। मैं इस अनुबंध की विषयवस्तु को पढ़ने के लिए सदन का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि इन्हें पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) महोदया, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 19 अगस्त, 2013 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्यों की सूची में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे:—

1. आज की कार्य-सूची से अग्रपारित सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार करना।

2. प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक; 2013 पर विचार और पारित करना।

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:—

   (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 — अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए;

   (ख) परमाणुवीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011;

   (ग) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012;

   (घ) पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2012;

   (ङ) क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2011;

   (च) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013;

   (छ) सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2013

   (ज) राजयपाल (उपलब्धियों, भत्ते और विशेषधिकार) संशोधन विधेयक, 2012; और

   (झ) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011.

शेख सैदुल हक (बर्दवान-दुर्गापुर) : मैं आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का अनुरोध करता हूं:—

(1) पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर मिश्रधातु इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार योजना का कार्यान्वयन किया जाए।

(2) बर्दवान जिले में पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में 10 से अधिक गांवों के लोगों और आसपास की बस्तियों को सुविधा प्रदान करने के लिए कोंदैपुर में ठहराव स्टेशन का निर्माण किया जाए।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदया, मैं अगामी सप्ताह की कार्यसूची मे निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं:—

1. देश के कई राज्यों में हाईकोर्टों की बैंचों की स्थापना करने की मांग उठ रही है। वकीलों द्वारा हाईकोर्ट बैंच स्थापना के पक्ष में और विरोध में हड़ताल होती रहती है, जिससे आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा न्याय मिलने में देरी होती है। अत: हाईकोर्ट बैंचों की स्थापना के विषय पर संसद में चर्चा के लिए आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

2. सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में, विशेषकर आईएएस की परीक्षाओं में, सीटेट में इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंसिव स्किल को हटा कर पूर्व की भांति मुख्य परीक्षा में भाषाओं को क्वालीफाईंग पेपर ही लिए जाएं ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके और प्रशासन की भाषा संबंधी दक्षता

[श्री अर्जुन राम मेघवाल]

का उद्देश्य भी पूर्ण हो सके। अत: इस विषय पर चर्चा के लिए आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्री अशोक अर्गल — उपस्थित नहीं

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय — उपस्थित नहीं

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल करने का कष्ट करें—

1. गुजरात के रेल बजट के तहत आज तक जो सभी घोषणाएं हुई हैं आदर्श स्टेशन बनाने की, इनकी प्रक्रिया शुरू की जाए।

2. गुजरात राज्य में लैप्टोस्पाईसीसी का एडवांस रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु केन्द द्वारा उचित प्रयास किए जाएं।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित मामलों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं—

1. मेरे चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र की निदयां जिसमें पैनगंगा, वर्धा, इराई, निरगुडा, झरपट, इन निदयों में पर्यावरण प्रदुषण के कारण इन नदियों के अस्तित्व को खतरा तथा बढ़ते बाढ़ के खतरे को देखते हुए उपचारात्क प्रयास करने की आवश्यकता।

2. नेशनल हाइवे क्रमांक 7 पर वाहन चालकों से टोल प्लाजा लगवा कर अवैध वसूली का मामला उजागर होने के बाद इस नागपुर स्थित बोरखेड़ी अवैध टोल प्लाजा बंद करने की कार्यवाही तथा तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता।

इन दोनों मामलों को अगले सप्ताह के कार्य में शामिल करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय अध्यक्ष महादेया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए—

1. देश में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पीढ़ियों के हित में परिवार नियोजन ऐच्छिक नहीं अनिवार्य कानून बनाया जाए।

2. वर्तमान आबादी अनुपात में एससी/एसटी का आरक्षण 22.5 परसेंट से बढ़ा कर 32 परसेंट किया जाए। निजी क्षेत्र में, न्यायपालिका, उच्च शिक्षा (तकनीकी शिक्षा), रक्षा सेवाओं में 32 परसेंट आरक्षण का प्रावधान हो।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा) : महोदया, मैं निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह उठाने की अनुमति चाहता हूं:—

1. अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर रेल लाइन पर अमान परिवर्तन हेतु स्वीकृति होने के पांच वर्ष गुजरने के बाद भी इस परियोजना का कार्य बजट के अभाव में शुरू नहीं हुआ है। अत: आवश्यक बजट उपलब्ध करवा कर तत्काल कार्य शुरू करवाया जाए।

2. शामला जी-मोडासा रेल कनेक्टीविटी की स्वीकृति पांच साल पहले दी गई थी, लेकिन अभी तक एलाइनमेंट का काम पूरा नहीं होने से काम शुरू नहीं हुआ है। अत: एलाइनमेंट का कार्य तत्काल पूरा करके कनेक्टीविटी का कार्य अविलंब शुरू किया जाए।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित अति-महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें:—

1. खोए हुए नेटवर्क उपकरणों की पुलिस में सूचना दर्ज करना अनिवार्य करने के संबंध में।

2. पोस्टमार्टम पद्धति में आवश्यक सुधार करने के संबंध में

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव) : मैडम, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यवाही में कृपया निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए:—

प्रधानमंत्री राहत कोष से देश में हर आपात स्थिति और घटना से निपटने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।...*(व्यवधान)* इसी तर्ज़ पर देश के गरीब बीपीएल परिवार के मरीज़ों के इलाज़ के लिए भी आर्थिक सहायता माननीय संसद सदस्यों की सिफारिशों पर दी जाती है।...*(व्यवधान)* लेकिन निवेदनों की मंजूरी की सीमित संख्या एवं कम आर्थिक सहायता देने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

राज्यरानी एक्सप्रेस ट्रेन जो अभी मनमाड से मुंबई चलती है, उसे भुसावल तक बढ़ाने की वर्षों से मांग करने के बाद भी नहीं बढ़ाया जा रहा है।...*(व्यवधान)* इस ट्रेन को भुसावल से मुंबई करने से रेल विभाग को बहुत बड़ा राजस्व मिलने वाला है।...*(व्यवधान)* वहां की जनता की कई सालों से लंबित इस मांग को सरकार द्वारा गंभीरता

से लेकर तत्काल इस ट्रेन को भुसावल से मुंबई किए जाने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

श्री अशोक अर्गल (भिंड) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निलम्न विषयों को शामिल करने का कष्ट करें:—

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 की हालत बहुत खराब है। इसे ठीक कराने की आवश्यकता है। नागरिक बहुत परेशान हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

भिंड जिले से बीस हजार से ज्यादा नौजवान सेना में हैं।...*(व्यवधान)* वहां एक कैन्टीन खोलने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.11 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 50वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा 13 अगस्त, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा के 50वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है—

"कि यह सभा 13 अगस्त, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 50वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह (पूर्णिया) : धन्यवाद महोदया, आप ने मुझे इस बहुत ही संवेदनशील मामले में कुछ कहने की अनुमति दी है।

मैं देश में चल रहे मध्याह्न भोजन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और मैं जो भी कह रहा हूं वह न तो किसी केन्द्र सरकार के विरोध में है और न किसी राज्य सरकार के विरोध में है।...*(व्यवधान)* अगर यह किसी के विरोध में है तो वह हम संसद सदस्यों की संवेदनशून्यता के विरोध में है।...*(व्यवधान)* वर्ष 1995 में यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गयी। इसके तीन मुख्य उद्देश्य थे कि स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आएं; वे जो कुपोषण के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार न रहें; और बच्चों में एक बराबरी की भावना आए।...*(व्यवधान)* लेकिन मुझे यह कहने में दुःख है और मैं समझता हूं कि हम सभी संसद सदस्य अपने क्षेत्रों में यह देख रहे होंगे।...*(व्यवधान)* महोदया, आप भी बिहार से एक संसद सदस्या हैं।...*(व्यवधान)* आप भी देख रही होंगी कि जिस तरह से हम लोगों ने कल्पना की थी कि यह मध्याह्न भोजन की योजना चले, वह नहीं चल रही है।...*(व्यवधान)* आज यह मामला ओर भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जहां एक तरफ पिछले माह बिहार के छपरा में 23 बच्चों की मृत्यु हो गयी, वहीं आज यह सदन खाद्य सुरक्षा नियम पर चर्चा कर रहा है।...*(व्यवधान)* हमें देखना चाहिए कि यह मध्याह्न भोजन की योजना को शुरू हुए बीस साल हो गए। पर, आज तक हम यह भी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में सही भोजन दे सकें।...*(व्यवधान)* खाद्य सुरक्षा की जो इतनी बड़ी योजना आ रही है, इसका हम क्या करेंगे, यह भगवान जानें।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं आप लोगों से और खासकर आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस मध्याह्न भोजन की जो बनावट है, इसकी जो डिज़ाइन है, इसमें जो त्रुटियां हैं, संसद में इस पर एक चर्चा हो।...*(व्यवधान)* हमारे स्कूलों में वैसे ही शिक्षकों का अभाव है। यह संभव नहीं है कि हमारे स्कूलों में जो शिक्षक शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते, वे सुबह से आकर खिचड़ी बनवाने में लग जाते हैं तो इससे शिक्षा भी पीछे रह जाती है और बच्चों के लिए जो भोजन है, वह उन्हें नहीं मिल पाता।...*(व्यवधान)*

मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां शिक्षकों की कमी थी और पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने अशिक्षित शिक्षक रख लिए, लाखों की तादाद में रख लिए।...*(व्यवधान)* मैडम, आप भी बिहार की सांसद हैं। आप जानती होंगी कि जिस तरह की शिक्षा हमारे स्कूलों में प्रदान की जा रही है, उससे हम एक अशिक्षित भारत का निर्माण कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह मध्याह्न भोजन महत्वाकांक्षी भी है, आवश्यक भी है, जरूरी भी है लेकिन जिस तरह से इसका निर्माण हुआ है और जिस तरह से इसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है, यह बिल्कुल विफल है।...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि संसद में इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए और इसके लिए कोई नयी व्यवस्था सोचनी चाहिए। इस योजना में परिवर्तन करना चाहिए ताकि हम लोगों का जो उद्देश्य है, वह पूरा हो सके।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री उदय सिंह द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री शिवकुमार उदासी, श्री शिवराम गौड्डा, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र एवं डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी अपने को संबद्ध करते हैं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आसन का शुक्रगुजार हूं कि मेरे जख्म की आवाज का आपने समादर किया है।...*(व्यवधान)* भारत हिन्दुत्व और इस्लाम का संयुक्त परिवार है, नवादा उसकी झांकी है। सदियों से हिन्दू और मुसलमान अपने-अपने पर्व, त्यौहारों में एक-दूसरे की खुशियों में भाग लेते रहे हैं।...*(व्यवधान)* नवादा शांति और सौहार्द की एक चेतन आत्मा बनी हुई है।...*(व्यवधान)* दुर्भाग्य है कि जब नवादा में ईद के अवसर पर हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के प्रति खुशियां एवं रेवड़ियां बांट रहे थे और सारा आलम खुशियों में खोया हुआ था। कल होकर न जाने बादलों के दरमियां क्या साजिश हुई, मेरा ही घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से दुख के साथ कहन चाहता हूं कि खाने के सवाल को लेकर दोनों के बीच में झड़प हुई, पुलिस उपस्थित हुई, अफरा-तफरा मची, न लाठियां चलीं पुलिस की, न हवाई फायर हुए, न चेतावनी हुई, न अश्रु गैस के गोले फोड़े गए। एक दरोगा ने उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दीं। गोलियां हवा में नहीं चलाई गईं, गोलियां छाती, मस्तक और हाथ की कांख में चलाई ग ईं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो तीन लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं, उसमें एक कुंदन नाम का महा दलित का बेटा है। वह 15 वर्ष का था। उसके न जाने कितने सपने थे, वे खून हुए, परंन्तु हिन्दू और मुसलमानों की तरफ से किसी ने गोलियां नहीं चलाई, किसी ने एक-दूसरे को हताहत नहीं किया, पर इसे मदहोश सत्ता साम्प्रदायिक हिंसा का सहारा लेकर एक समूह पर अत्याचार कर रही है। मदहोश सत्ता वहां की जनता को कीड़े-मकोड़े समझ करके, घरों में घुस कर लाठियां मार रही है, छाती पर गोलिया चला ही है। मैं आपको बताऊं कि एक श्रीकांत सिंह नामक वकील अपनी छत पर टहल रहे थे, उनकी छाती पर गोलियां मारी गईं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस दारोगा ने गोलियां चला कर हत्याएं की हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए।...*(व्यवधान)* आपने हमारी आवाज को यहां रखने का आदेश दिया है तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि नवादा प्यासी आत्मा है, नवादा के खेत सूखे हैं, नवादा की नदियां सूखी हुई हैं।...*(व्यवधान)* नवादा 65 वर्षों के बाद भी पानी के लिए हाहाकार कर रहा है।...*(व्यवधान)* आज हम उनको खून दे रहे हैं। उनको पानी के बदले में खून दिया जा रहा है। हम खून से लथपथ हैं।

अध्यक्ष महोदया, हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप एक सॉवरन सदन की सर्वदलीय कमेटी का गठन करके नवादा भेजें। वहां के प्रशासन से बात करके, पुलिस वहां जो अत्याचार कर रही है, खून की होली खेल रही है, पुलिस जो चुन-चुन कर लोगों को मार रही है, भेद कर रही है, आप उसे रोकें। भारत सरकार बिहार सरकार से बात करे और एक सर्वदलीय कमेटी बना करके इसकी जांच करवाएं, मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अध्यक्ष महोदया, आज इस सभा की कार्यवाही के आरंभ में ही आपके द्वारा सुन्दरगढ़ जिले में कोयले के मलबे के नीचे आ जाने के कारण कम से कम 11 व्यक्तियों की मृत्यु होने संबंधी मामले का उल्लेख किए जाने पर मैं आपका आभारी हूं। इस घटना में कम से कम 11 लोगों की मृत्यु हुई है। उनके शव बरामद होने के कारण ही उन शवों की पहचान की जा सकी। लेकिन महानदी कोलफील्ड क्षेत्र की कुलदा धुले मुंहाने वाली खान में कोयले के नीचे दबे हुए अनेक लोगों के शव अभी तक बरामद नहीं हुए हैं...*(व्यवधान)*

यह घटना जब उस समय घटी जब ग्रामीण लोगों का एक बड़ा समूह आधार के निकट कोयले के टुकड़े उठा रहा था और खान का एक हिस्सा उनपर गिर गया...*(व्यवधान)* पुलिस का कहना है कि इसमं किसी के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जिला प्रशासन को फंसे हुए ग्रामीण लोगों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुख्य मंत्री ने राजस्व मंडल आयुक्त द्वारा जांच कराए जाने का आदेश दिया है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने भारीबोझ वाले स्थल के निकट जाने से रोकने के लिए कोई एहतियाती उपाय नहीं किए हैं। केवल चेतावनी देकर एमसीएल अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। कोयला मिश्रित ऊपरी सतह की मिट्टी को हटाकर धान स्थल के निकट उसका भंडारण किया जाता हैं भुरभुरी मिट्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए ओवरबर्डन स्थल पर पौधरोपण नहीं किया जाता।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि क्षेत्र के कुछ कोयला माफियाओं द्वारा गैरकानूनी तरीके से कोयले की तस्करी किए जाने के कारण यह दुर्घटना घटी है। तस्कर स्थानीय लोगों को भारी रकम का लालच देकर उनसे कोयला इकट्ठा करा रहे हैं। चूंकि ये अवैध कार्य हो रहे हैं, और एमसीएल प्राधिकारियों की उनके साथ सांठ-गांठ है इसलिए वे भी इसके बारे में चुप हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पीड़ित के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है पर एमसीएल ने बहुत छोटी राशि उपलब्ध कराई है।

इसलिए मैं इस सभा के समक्ष यह मांग करता हूं कि एमसीएल अथवा कोल इंडिया पीड़ितों के परिवारों को कम से कम 10 लाख रुपए का पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराये और साथ ही, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जवाबदेही भी निर्धारित की जाए।...*(व्यवधान)* इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

मुझे आशा है कि भारत सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी जिनके कारण यह दुखद घटना हुई। यह एक मानव निर्मित विपत्ति है और इस विपत्ति के लिए जिम्मेदार लोगों को उत्तरदायी बनाया जाए और उनपर आपराधिक अभियोग के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।

अध्यक्ष महोदया : श्री शिवकुमार उदासी और डॉ. प्रसन्न कुमार पारसाणी को श्री भृतहरि महताब द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज – अनुपस्थित।

श्री रेवती रमण सिंह।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एक अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप सभापटल पर रख दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रेवती रमण सिंह : माननीय अध्यक्षा जी, पूरे देश में पंडित जवाहर लाल नेहरु ने पब्लिक सैक्टर की कंपनियां खोल रखी थीं, जिससे देश मजबूत हुआ। कालान्तर में ये कंपनियां बीमार हुई है हैं और बीमारी की हाल में इन कंपनियों को बंद कर दिया गया। उनमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक साल बीत गया, लेकिन एक साल बीतने पर भी उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, वे भुखमरी के कगार पर हैं। उन लाखों कर्मचारियों और उनके बच्चों की दवाई नहीं हो रही है, उनकी फीस नहीं दी जा रही है।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें कि इस पर तत्काल कार्रवाई करने का कष्ट करे।

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.एल. पनिया को श्री रेवती रमण सिंह के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरण (कासरगोड) : अध्यक्ष महोदया, मैं इस सभा के सम्मुख आवश्यक वस्तुओं की अनियंत्रित कीमतों के कारण देश में व्याप्त एक गंभीर स्थिति को रखना चाहता हूं। आज प्रत्येक नागरिक का दैनिक बजट सच में गड़बड़ा गया है। दिल्ली में ही, प्याज की कीमतें 80 रुपए और 90 रुपए प्रति किलो के बीच हो गयी हैं ओर टमाटर की कीमतें 35 रुपए से 40 रुपए प्रति किलों तक हो गई हैं। जब हम बाजार जाते हैं, तो हमें पता चलता है के लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़कर 80 रुपए प्रतिकिलो हो गई हैं। इस प्रकार लाना सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने में पूरी तरह असफल रही है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या उपाय किए हैं।...*(व्यवधान)* यह सच है कि सरकार ने कुछ उपाय किए हैं, परंतु उनसे केवल कीमतें बढ़ ही रही हैं। सरकार ने 27 बार पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई हैं।. ..*(व्यवधान)* डीजल की कीमतों का भी यही हाल है। कीमत बढ़ने का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है।...*(व्यवधान)* आजकल, आम आदमी अपनी कम आय में बाजार में कोई भी सामान खरीदने में सक्षम नहीं है।...*(व्यवधान)*

इसलिए, मेरी मांग है कि सभा में एक विशेष चर्चा होनी चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए यह कौन से उपाय करने जा रही है।...*(व्यवधान)* धन्यवाद।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री शिवकुमार उदासी और श्री पी.आर. नटराजन को श्री पी. करूणाकरण द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह (दार्जीलिंग) : पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले में सामान्य स्थिति बहाल करने और संवाद को शुरू करने के लिए मैं सरकार से कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।...*(व्यवधान)* मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच राजनीतिक संवाद पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है।...*(व्यवधान)* यह आवश्यक है कि जीटीए समझौते अथवा त्रिपक्षीय समझौते के अनुरूप राजनीतिक संवाद को शुरू किया जाए।. ..*(व्यवधान)* राज्य सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ केन्द्र सरकार भी इसका अंग है।...*(व्यवधान)* यह सही समय है जब केन्द्र सरकार को शुरूआत करनी चाहिए और राजनीतिक संवाद शुरू करना चाहिए।...*(व्यवधान)* संपूर्ण स्थिति को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि शांति बहाल की जाएं...*(व्यवधान)* यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री जगदम्बिका पाल।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं कया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.28 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए।*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.0½ बजे

इस समय श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे यदि इन मामलों को सभापटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं 20 मिनट के अंदर पटल पर पर्ची रख दें। केवल वही मामले सभापटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। व्यपगत माने जाएंगे।

(एक) हरियाणा के फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम के सुधार और जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना (फ़रीदाबाद) : मेरे संसदीय क्षेत्र फरीदाबाद, हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में वर्ष 1981 में नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हुआ था। इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की क्षमता 25000 के आसपास है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, जिसमें वर्ष 1981 से 1996 तक राज्य स्तरीय, देश स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन होता रहा है। किंतु पिछले 8 वर्षों से इस स्टेडियम की अनदेखी की जा रही है। इसका मुख्य कारण है यहां पर दो-दो क्रिकेट एसोसिएशन की आपसी सामंजस्य की कमी। जिसके कारण पिछले 8 वर्षों से एक भी देश, राज्य और स्थानीय स्तर के मैचों का भी आयोजन नहीं हो पाया है और न स्थानीय क्रिकेटर को अभ्यास करने का मौका मिला है। महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि बीससीआई ने इस स्टेडियम का नया स्वरूप देने और उसके जीर्णोद्धार के लिए 180 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं ताकि यहां पर पुन: अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों का आयोजन शुरू हो सके। लेकिन दो क्रिकेट एसोसिएशन की आपसी लड़ाई के कारण यह धनराशि भी ऐसी ही पड़ी है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि यदि दोनों क्रिकेट एसोसिएशन में कोई समझौता नहीं होता है तो दोनों को भंग कर नई क्रिकेट एसोसिएशन बनाई जाए ताकि बीसीसीआई द्वारा स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग हो सके और पुन: यहां पर मैचों का आयोजन शुरू हो सके।

(दो) राजस्थान में मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन के बीच रेललाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल सिंह शेखावत (रासमंद) : मेरे लोक सभा क्षेत्र में उत्तर-पश्चिम रेलवे के अजमेर खंड के अंतर्गत पूर्व से मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन तक मीटरगेज रेलवे लाइन है। इस रेल लाइन को मावली से नाथद्वारा तक ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर दिया गया है। शेष

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

बचे नाथद्वारा से मारवाड़ जंक्शन तक आमान परिवर्तन नहीं किया गया है। कई बार सर्वेक्षण किया जा चुका है। आमान परिवर्तन होने से इस लाइन द्वारा, जो सुरक्ष की दृष्टि से पाकिस्तान से लगे सीमा क्षेत्र को जोड़ती है, व्यापारिक एवं धार्मिक दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध जोधपुर एवं रामदेवरा को दक्षिणी राजस्थान से जोड़ा जा सकेगा। अस्तु सरकार से निवेदन है कि इस रेल लाइन का आमान परिवर्तन किया जाए।

(तीन) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जिलों/क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार लाने संबंधी प्रयासों को बल देने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से निधियों के आवंटन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती) : मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जनपद बलरामपुर एवं श्रावस्ती शैक्षणिक एवं विकास की दृष्टि से अति पिछड़े जनपद हैं। दोनों जनपद योजना आयोग की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) योजना अंतर्गत आच्छादित है। उपरोक्त दोनों जनपदों में शिक्षण संस्थाओं का बड़ा ही अभाव है और उनमें से भी राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे शिक्षण संस्थान बहुत ही कम है। अगर सिर्फ राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे विद्यालयों को ही एमपी लैड्स अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी तो शैक्षणिक दृष्टि से ये क्षेत्र और भी पिछड़ते जाएंगे क्योंकि सरकार अपने सीमित संसाधनों में नए शिक्षण संस्थान खोलने अथवा नए शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में इन पिछड़े क्षेत्रों के आच्छादन में अपेक्षित सहयोग नहीं कर पाती है।

अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा के शैक्षणिक एवं विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा योजना आयोग द्वारा बीआरजीएफ आच्छादित जनपदों में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एमपी लैड्स अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर पिछड़े क्षेत्रों को शैक्षणिक रूप से सक्षम होने का अवसर प्रदान करे।

(चार) ओडिशा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांवों का विद्युतीकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हेमानंद बिसवाल (सुंदरगढ़) : ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की गई थी। ओडिशा के सभी तीस जिलों को योजना में शामिल किया गया है और एक चतुष्पक्षीय समझौते के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उद्यमों (एनटीपीसी, एनएचपीसीएल, पीजीसीआईएल) द्वारा कार्यों को किया जा रहा है तथा 10वां और 11वीं योजना अवधि के दौरान क्रमश: 14,856 और 29,351 गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया था। तथापि, जमीनी वास्तविकता अलग है। ठेकेदार लक्ष्य को पूरा करने के इच्छुक नहीं है। ज्यादातर बीपीएल परिवारों को अभी तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है क्योंकि ओडिशा में कार्यरत विभिन्न कंपनियां आपस में सहयोग नहीं कर रही हैं। अनुसूचित जन जातियों की बहुलता वाले बहुत से गांव और छोटी बास्तियों को लक्षित गांवों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं, इसलिए, सरकार से अनुरोध करता हूं कि 12वीं योजना अवधि के दौरान इस अग्रणी कार्यक्रम की सफलता हेतु मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे।

(पांच) राजस्थान में भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए पिछले रेल बजटों में स्वीकृत रेल परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतन सिंह (भरतपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में गत दो रेल बजटों में रेल परियोजनाओं की घोषणा की गई थी परंतु उन पर अभी तक कार्य आरंभ नहीं किया गया है जिसके कारण भरतपुर जिले के निवासी इन योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं कि इन योजनाओं का क्या हुआ। वर्ष 2010-11 के रेल बजट में भरतपुर जिले के लिए जंक्शन उन्नयन अंतर्गत भरतपुर जंक्शन पर बाह्य रोगी विभाग एवं डायग्नोस्टिक केन्द्र की स्थापना, भरतपुर में तृतीय स्तरीय बहु-विशेषज्ञता अस्पताल की स्थापना, भरतपुर-डीग-कामां-कोसीकलां नई लाईन का सर्वेक्षण, मथुरा-अलवर-रेवाड़ी-हिसार के बीच 330 किलोमीटर का विद्युतीकरण एवं वर्ष 2012-13 के रेल बजट में टांटपुर से बंसी पहाड़पुर नई रेल लाईन का सर्वेक्षण की घोषणा की गई थी। यह सभी कार्य भरतपुर के विकास में सहयोग करने वाले थे और जन-कल्याण को बढ़ावा मिल सकता है। भरतपुर में जलवायु की अनुकूलता एवं कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर कई उद्योगों की स्थापना हो सकती है परंतु रेल सुविधा के अभाव में उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है जबकि दक्षिण एवं पश्चिम भारत के हिस्सों में लगभग सभी गाड़ियां यहीं से गुजरती है।

सरकार से अनुरोध है कि जो घोषणा एवं स्वीकृत परियोजनाएं रेल बजट 2010-11 एवं 2011-12 एवं 2012-13 में की गई है उनको जनहित में जल्द आरंभ करने की कृपा की जाए।

(छह) सेवाकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर तुरन्त नियुक्त करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित) : यह बहुत चिंता का विषय है कि सेवाकाल के दौरान मृत कर्मियों पर आश्रित अनेक व्यक्ति अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं यद्यपि, सेवा कर्मियों के कल्याण हेतु अनेक कल्याणकारी उपाय शुरू किए गए हैं तथापि, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने के मामले में अत्यधिक विलंब होता है। इसके फलस्वरूप बहुत से शोक संतप्त परिवारों को गहन वेदना से गुजरना पड़ता है।

यह बात स्पष्ट है कि सेवाकाल के दौरान मृत कर्मियों के निकट संबंधियों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए रिक्तियों की संख्या पर्याप्त नहीं है।

सरकार को सेवा कर्मियों के आश्रितों को निकटतम सरकारी संस्थाओं में नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए। इस संबंध में मौजूदा नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। मैं सरकार और रक्षा मंत्री से इस संबंध में कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(सात) देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में युवाओं को उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर) : केन्द्र सरकार ने देश के निर्बल वर्ग के छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की है। चूंकि इन विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्रदान किए जाने की सुविधा है, इसलिए ऐसे छात्र जो निर्धन परिवार से हैं, वे 11वीं कक्षा के पश्चात् धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। विशेषकर देश के अनुसूचित जाति वे जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित नवोदय विद्यालय से 12वीं की कक्षा उर्त्तीण करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु एक कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि वे उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा से वंचित न रह सके।

आज देश नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण जनजातीय क्षेत्रों का अविकसित होना और जनजातीय छात्रों में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा का अभाव है। यदि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इस समुदाय के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा की सुविधा प्रदान करके इन युवकों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत् प्रयास किया जाए तो नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इस समुदाय के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा हेतु एक कार्यक्रम शीघ्र बनाए जाने हेतु आवश्यक पहल करे।

(आठ) केरल में एक नया रेल ज़ोन बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन. पीताम्बर कुरुप (कोल्लम) : केरल में रेल नेटवर्क का विस्तार और उसका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। केरल में रेल लाइनों के विद्युतीकरण और दोहरीकरण का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। केरल की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों के डिब्बे और इंजन अप्रचलित और बहुत पुरान हैं। डिब्बों के अंदर शौचालय जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं और कई डिब्बों में खिड़की के कांच गायब हैं। खिड़कियां पूरी तरह से बंद नहीं होती। बहुत से डिब्बों की वातानुकूलन प्रणाली उचित रूप से कार्य नहीं करती और कई बार उसमें खराबी आ जाती है। रेलगाड़ियों में दिया जाने वाला भोजन न केवल घटिया होता है अपितु उसकी मात्रा भी कम होती है। कंबल और चादरों को दुबारा उपयोग में लाने से पहले उनकी धुलाई/ड्राई क्लिनिंग नहीं की जाती।

उपरोक्त के बावजूद एक महीने पहले भी सीटें आरक्षित नहीं हो पाती। इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों के पास लंबी और छोटी दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत मेरा यह अनुरोध है कि केरल में एक रेल जोन बनाए जाने के संबंध में राज्य की बहु प्रतीमिक्षत मांग पर विचार किया जाए। पड़ोसी राज्यों के रेल जोनों के कुछ भागों को शामिल करके ऐसा करना संभव है। यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि केरल में एक नया रेल जोन बनाने हेतु कदम उठाए जाने से रेलवे की आय में वृद्धि करने और राज्य में रेल नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

अत:, मेरा माननीय रेल मंत्री जी से यह अनुरोध है कि केरल में एक नया रेल जोन बनाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं।

(नौ) मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक नई सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : जबलपुर संसदीय क्षेत्र जहां से मैं निर्वाचित सदस्य हूं एवं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं रक्षा मंत्रालय की पांच बड़ी इकाइयों के साथ-साथ अन्य केन्द्र शासित संस्थान स्थापित हैं इन संस्थानों में कार्यरत एवं सवोनिवृत कर्मचारियों की संख्या लगभग 80 हजार से एक लाख के मध्य है, जां यहां निवासरत हैं तथा सभी को सीजीएचएस के अंतर्गत उपचार कराने की पात्रता है। वर्तमान में जबलपुर में मात्र तीन औषधालय हैं, जो पात्रताधारी व्यक्तियों की संख्या के अनुपात में कम है। मेरे तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा गया था कि औषधालय खोलने का मापदंड 6000 अथवा इससे अधिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का होना है एवं शहर में यदि नया औषधालय खोला जाता है तो 3 किमी की परिधि में 2000 अथवा उससे अधिक केन्द्रीय कर्मचारियों का होना आवश्यक है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जबलपुर में पर्याप्त हितग्रहियों की संख्या इस मानदंड के अनुसार है। लेकिन इन मानदंडों के विरित अनेक शहरों में लाभार्थियों की संख्या कम होने के पश्चात् भी कई डिस्पेंसरियां खोली गई हैं। बुजुर्ग पेंशनभोगियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के सीजीएचएस के लाभार्थियों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने माननीय स्वासयि मंत्री से भेंट कर समस्याओं से अवगत कराया था। मंत्री जी ने दिनांक 20 फरवरी, 2013 को लिखे अपने पत्र में यह लिखा था कि वे संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। मैं पुन: सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वे जबलपुर में अतिरिक्त सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोलने पर शीघ्र विचार करें।

(दस) गुजरात के छोटा उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की घोघंबा तहसील में इंटरनेट सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर) : आज हमारे देश में इंटरनेट की सुविधा हो जाने से कठिन से कठिन कार्य आसानी एवं सरलतापूर्वक किया जाता है, चाहे वह सरकारी कार्य हो या निजी कार्य। आज देश के हर कोने में हर वर्ग के लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। देश का कोना कोना इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आज देश के सभी ताल्लुका या तहसील इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

एक बड़े दु:ख की बात है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में घोघंबा नामक एक तहसील में इंटरनेट की सुविधा ठीक ढंग से नहीं मिल पाने के कारण कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रकार के सरकारी अथवा निजी कार्य करने में वहां की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस तहसील को इंटरनेट से जोड़ने के लिए बारीया स्थिर बूस्टर स्टेशन से घोंघबा तहसील को जोड़ा गया है, घोघंबा से बारीया बूस्टर स्टेशन के बीच की दूर 60 से 70 किलो मीटर है।

घोघंबा से बारीया बुस्टर स्टेशन की दूरी काफी अधिक होने के कारण ऑप्टिक फाईबर वर्षा के मौसम में या फिर किसी अन्य प्रकार के कन्स्ट्रक्शन कार्य के दौरान केबल ब्रेक हो जाता है और इस तरह से इंटरनेट सिग्नल की गति धीमी हो जाती है और इंटरनेट काम करना बंद कर देती है, इस प्रकार से उस तहसील में स्थित सभी प्रकार के विभागीय/प्रशासनकि/निजी कार्यालयों में कम्प्यूटर से संबंधित सभी कार्य अचानक रूक जाते है, जिससे वहां जनता के कल्याण से संबंधित सभी कार्य रूक जाते हैं और इस तरह से यहां की जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि यदि घोघंबा तहसील में इंटरनेट की अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए बारीया बूस्टर स्टेशन से जोड़ने के बजाए हालोल बूस्टर स्टेशन से जोड़ा जाए तो घोघंबा तहसील में इंटरनेट की समस्या स्वत: समाप्त हो जायेगी क्योंकि घोघंबा से हालोल बूस्टर स्टेशन के बीच की दूरी केवल 20 से 25 कि.मी. है। हालोल और घोघंबा की दूरी कम होने के कारण इंटरनेट सिग्नल की गति तेज रहेगी और इस तरह से घोघंबा तहसील की जनता तथा सरकारी कर्मचारी बिना किसी बाधा के इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

(ग्यारह) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा रेल की सुविधा से पूरी तरह से वंचित है। बनासकांठा जिले का मुख्यालय पालनपुर रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की रेल सेवा नहीं है। दूर जाने के लिए दूसरे स्टेशनों पर जाना पड़ता है। कई महत्वपूर्ण गाड़ियों का इस रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्य रेलवे स्टेशन अमीरगढ़, इकबालगढ़, धनेरा, दीसा, दियोदर, भिल्डी एवं भब्बर इत्यादि पर रेलवे विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही समदारी-भिल्डी पर एल सी 149ए फाटक जो 50 साल पुराना है उसके स्थान पर पुल बनाने के लिए रेलवे एवं गुजरात सरकार द्वारा लागत की हिस्सेदारी के आधार पर निर्माण शुरू किया गया परंतु रेलवे विभाग ने कार्य का निर्माण होने के बाद लागत की हिस्सेदार देने से मना कर दिया है जिसके कारण यह फाटक न बनने से इस फाटक से यातायात मे काफी विलम्ब होता है और घाटक दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।

सरकार से अनुरोध है कि बनासकांठा के मुख्यालय पालनपुर स्थित रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और यहां के लोगों

[श्री हरिभाई चौधरी]

की मांग पर आवश्यक रेल सेवाएं शुरू कराने का काम किया जाये और जिन रेल सेवाओं के ठहराव की मांग की जा रही है उनका ठहराव किया जाए और जोधपुर रेलवे प्रबंधन कार्यालय अंतर्गत समदारी-भिल्डी रेलवे लाईन पर स्थित एल सी 149ए पुराने फाटक पर रेके गये कार्य को रेलवे एवं गुजरात सरकार की हिस्सेदारी के माध्यम से निर्माण कार्य में तेजी लाई जाये जैसा कि पूर्व में हिस्सेदारी के आधार पर निर्माण कार्य शुरू किया गया था।

(बारह) झारखंड के धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धनबाद-गया और धनबाद-कतरास रेल लाइनों पर सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : झारखंड के मेरे धनबाद संसदीय क्षेत्र में यातायात की बढ़ती समस्या का एक बड़ा कारण रेलवे भी है। लेकिन समस्या के समाधान के प्रति रेलवे के अधिकारी गंभीर नहीं है। शहर में एनएच-32 पर मटकुरिया से लेकर बैंक मोड़-गया पुल होते हुए श्रमिक चौक तक यातायात जाम होने की समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है जिससे यहां कई प्रकार की समस्या का सामना वहां के नागरिकों को करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए गोधर से झारखंड मोड़ के बीच धनबाद-गया और धनबाद-कतरास रेल लाइन को पार करने के लिए आरओबी को निर्माण करना आवश्यक है। ऐसे में बाईपास निर्माण के लिए रेलवे की सहभागिता अति आवश्यक है। भूली लेबेल क्रासिंग पर पहले से रेलवे का आरओबी प्रस्तावित है। साथ ही भूली लेबेल क्रासिंग पर बनने वाले आरओबी से गोधन — झारखंड लिंक रोड को भी जोड़ा जाए।

अत: माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध होगा कि मेरे द्वारा उठाये जा रहे धनबाद संसदीय क्षेत्र में यातायात की बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन की समस्या का शीघ्र ही निपटान कराया जाए जिससे धनबाद की जनता को राहत व यातायात में सुगमता आ सके।

(तेरह) केरल में मन्नुथी और वडक्कनचेरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 के हिस्से की मरम्मत और नवीकरण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.के. बिजू (अलथूट) : मैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र अलाथूर, केरल से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर मन्नुथी और वडक्कनचेरी के बीच के मार्ग की दयनीय स्थिति और वहां दुर्घटना के कारण बड़ी संख्या में होने वाली मौतों की केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सड़क की मरम्मत और उसके नवीकरण हेतु केन्द्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 4.90 करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। उपरोक्त प्रयोजन हेतु 9.11.2012 को एक निविदा आमंत्रित की गई थी परंतु उसमें किसी ठेकेदार ने भाग नहीं लिया। 30.11.2012 को फिर से जारी की गई निविदा में केवल एक ठेकेदार ने भाग लिया। ठेकेदार को एक माह में कार्य पूरा करने की शर्त पर ठेका दिया गया और उसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय को भेजा जा चुका है। भारराप्रा ने यह कहते हुए कि निविदा में केवल एक ठेकेदार ने भाग लिया था, इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। राज्य सरकार ने भी इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। भारराप्रा और राज्य सरकार दोनों की उदासीनता के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के नवीकरण का कार्य व्यर्थ हो जाएगा। नवीकरण के कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार को गत वर्ष की तरह धनराशि को सीधे राज्य सरकार को अंतरिम करना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर मन्नुथी और वडाक्कनचेरी के बीच मार्ग की दयनीय स्थिति को देखते हुए स्वीकृत की गई 59.28 लाख रुपए की धनराशि पूरी तरह से अपर्याप्त है। इस मार्ग को यातायात योग्य बनाने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। ठेकेदार और भा.रा.प्र.प्रा. के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार सड़कों को 6 लेन और पलने का बनाने का कार्य पूरा होने तक मौजूदा सड़कों की यातायात उपयोगिता को बनाए रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। कोडुंगालूर (त्रिशूर जिला) और पलक्कड कार्यालय इस ठेके के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। मैं आपसे इन कार्यालयों के कार्यकरण की जांच करने का अनुरोध करता हूं ताकि, नवीकरण कार्य बिना किसी विलंब के आरंभ हो सके।

(चौदह) ओडिशा के क्योंझर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 पर एक उपरिपुल अथवा बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर) : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता से मुंबई वाा जामसेला-संभलपुर-क्योंझर होकर जाता है। यह राजमार्ग मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर शहर के बीच में होकर निकलता है। इस मार्ग पर बड़े वाहन के यातायात रात-दिन चलते हैं और आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दिन के समय यातायात जाम हो जाता है जिससे लंबे रूट के वाहनों एवं स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्योंझर शहर में एक उपरिपुल या बायपास की व्यवस्था हो जाये तो इन सब परेशानियों से निजात पाई जा सकती है।

सरकार से अनुरोध है कि क्योंझर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर एक उपरिपुल या बायपास का निर्माण करवाया जाये।

(पन्द्रह) देश में गायों की सुरक्षा करने के लिए एक "गाय बोर्ड" का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : देश में हिन्दुओं की गायों के प्रति भक्ति भावना पर केन्द्र सरकार पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। हर साल कई लाख भारतीय हिन्दुओं की माता रूपी की हत्या हो रही है और हर दिन कई सैकड़ों गायों को गैर-कानूनी ढंग से रेलों में और ट्रकों द्वारा सीमा के रास्ते बंगला देश में भेजा जा रहा है। सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है जिस तरह से उनकी हत्या की जाती है वह जीव जंतु पर क्रूर मजाक है। सरकार द्वारा गायों की हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और गायों को मारकर उनके मांस को निर्यात किया जा रहा है। दूसरा लगभग सभी शाकाहारी पशुओं के विकास के लिए उनके बोर्ड बना रखे हैं, परंतु अभी तक भारतीय गाय बोर्ड नहीं बनाया गया है इससे पता लगता है कि भारत सरकार गायों के विकास एवं उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं है।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि गायों की हत्या को प्रतिबंधित किया जाये और भारतीय गाय बोर्ड का गठन शीघ्र किया जाये।

(सोलह) तमिलनाडु में सलेम नगर को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) चरण-II के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : तमिलनाडु का पांचवां सबसे तेज बढ़ता शहर सलेम, जिसकी जनसंख्या 8,50,000 है इस समय तीव्र आर्थिक विकास की दहलीज पर है। तथापि, विकास संबंधी कार्यकलापों का नागरिक सुख-सुविधाओं पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों से सलेम शहर की ओर लोगों के निरन्तर पलायन से नागरिक समस्याओं और बदतर होती जा रही हैं।

सड़क पर बढ़ते वाहन खतरे को और बढ़ा रहे हैं जिसके कारणा बारंबार सड़क दुर्घटनाएं होती रही हैं। सलेम निगम, अपनी उपलब्ध वित्तीय स्रोतों के माध्यम से शहर की नागरिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा हैं राज्य सरकार निगम को यथा संभव वित्तीय सहायता दे रही है। परंतु, सलेम शहर को अभी भी सुधार और अच्छी नागरिक सुख-सुविधाओं की आवश्यकता है।

इसलिए सलेम शहर को तीव्र विकास के साथ तालमेल बैठाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। यहां परिवहन, आवास, पेयजल सुविधाएं मलजल के तंत्र के विस्तार, सड़क, पुल, वातावरण की देखभाल और जन-सुविधाओं के रूप में अवसंरचना की आवश्यकता है। इसलिए मैं जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) चरण-II में तमिलनाडु के सलेम शहर को शामिल करने के लिए सरकार से पुरजोर निवदेन करता हूं ताकि शहर की आवश्यकता पूरी सके और लोगों की उच्च गुणवत्ता वाले जीवन की महत्वाकांक्षा पूर्ण हो सके।

(सत्रह) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निधियों का समुचित उपयोग और योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री विभू प्रसाद तराई (जगतसिंहपुर) : ओडिशा के जगतसिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पारादीप क्षेत्र में पारादीप फास्फेट लिमिटेड, इफ्फको, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के टर्मिनल, कारगिल खाद्य तेल प्लांट, कार्बन कंपनी इत्यादि जैसी औद्योगिक इकाईयां हैं। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। निजी कंपनियां वर्षों से लगातार लाभ दे रहे हैं। कंपनी बिल, 2011 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों के लिए अपने लाभ का निश्चित प्रतिशत कार्पोरेट सामाजिक दायित्व हेतु आवंटित करना अनिवार्य कर दिया गया है। तथापि, कंपनी विधेयक के 2012 के संशोधित दिशा-निर्देशों में उल्लेखित है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो 100 करोड़ तक 100 से 500 करोड़ और 500 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित करते हैं, वे क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तीकरण पर्यावरण सुरक्षा समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, हरित और ऊर्जा कुशलता तकनीकों को बढ़ावा देने पिछले क्षेत्रों के विकास और क्षेत्र के वंचित वर्गों के उत्थान पर बल देते हुए कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की ओर अपने लाभ का क्रमश 5%, 2-3% और 05-2% व्यय करेंगे। इस संदर्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि पारादीप में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी स्वामित्व की कंपनियां कार्पोरेट सामाजिक दायित्व हेतु निर्धारित निधि का समुचित उपयोग नहीं कर रही हैं, यद्यपि वे ऐसा दावा करती है। चूंकि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है और इस प्रक्रिया में जिला प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के शामिल होने के अभाव में स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कल्याण परियोजनाओं या क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यकलापों पर निर्धारित निधियों के प्रतिशत के बारे में जानना कठिन हो जाता है।

इसलिए मैं कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों को शामिल करके कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि के उपयोग के लिए एक विशिष्ट तंत्र सुनिश्चित करे। इससे देश में, विशेष रूप से ओडिशा के पारादीप में निधि के सही और समुचित उपयोग में सहायता मिलेगी।

अपराह्न 2.01 बजे

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 (राज्य सभा द्वारा यथापारित) — वापस लिया गया

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 16 — श्री नमो नारायन मीणा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री पी. चिदम्बरम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 जिसे राज्य सभा द्वारा 11 मार्च, 2013 को पारित किया गया था और 12 मार्च, 2013 को लोक सभा के सभापटल पर रखा गया था, में आगे और संशोधन करने के प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है:

"कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 जिसे राज्य सभा द्वारा 11 मार्च, 2013 को पारित किया गया था और 12 मार्च, 2013 को लोकसभा के सभापटल पर रखा गया था, में आगे और संशोधन करने के प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नमो नारायन मीणा : मैं विधेयक वापस होता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.03 बजे

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 — पुर:स्थापित*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 17 - श्री नमो नारायन मीणा।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री पी. चिदम्बरम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में आगे और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. सौगत राय — उपस्थित नहीं।

प्रश्न है:

"कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में आगे और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नमो नारायन मीणा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं और सदन को चलने दें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)...**

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुषमा स्वराज जी।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : केवल सुषमा जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय जी, आज सदन में एक बहुत ही दुखदायी घटना घटी। आदरणीय जसवंत सिंह जी, मेरे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी हैं और इस सदन के वरिष्ठतम सांसदों

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 14.08.2013 में प्रकाशित।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में उनकी गणना होती है। वे जब भी अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं, बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखते हैं। वे कभी भाषा का संयम नहीं खोते हैं और कभी आक्रामक नहीं होते हैं। वे जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उससे संबंधित एक प्रश्न उन्होंने आज शून्य प्रहर में उठाया और सुझाव के रूप में एक बात रखी कि जो त्रिपक्षीय वार्ता गोरखा जन मुक्ति मोर्चा, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच चल रही है, लगता है कि वह राजनीतिक संवाद ध्वस्त हो गया है।...*(व्यवधान)* वह संवाद पुन: प्रारंभ होना चाहिए। मात्र इतनी बात उन्होंन कही। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की और कर भी नहीं सकते क्योंकि उनकी नेता के साथ उनके बहुत स्नेहिल संबंध भी हैं। उन्होंने केवल अपनी बात सुझाव के रूप में रखी।...*(व्यवधान)* मुझे नहीं मालूम हमारे तृणमूल कांग्रेस के साथी उस पर क्यों उत्तेजित हो गए। हो भी सकते हैं। वे यह कह सकते थे कि हम उनके सुझाव से असहमत हैं। वे यह भी कह सकते थे कि हमें उनका सुझाव अमान्य है। वहां तक भी ठीक था।...*(व्यवधान)* लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उनके एक साथी सांसद जिनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, श्री कल्याण बनर्जी, पहली बार आए हैं, जुझारू सांसद हैं, लेकिन वे गुस्से में आपा खो बैठे और ऐसी सिंक मुद्रा में इस तरफ बढ़े जैसे जसवंत सिंह जी को मारेंगे।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं कि कल्याण जी का आचरण केवल अशोभनीय ही नहीं था, संसद कीह गरिमा के विपरीत भी था। मैं यहां खड़े होकर कह सकती हूं कि उनकी नेता को भी वह पंसद नहीं आया होगा।

[अनुवाद]

सुश्री ममता बनर्जी जसवंत सिंह जी के प्रति आपके उस व्यवहार का कभी समर्थन नहीं करेंगी।

[हिन्दी]

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल्याण दा, आप एक बार खड़े होकर अपने उस आचरण के लिए खेद व्यक्त कर दीजिए। जसवंत सिंह जी जैसे सम्मानित सांसद के प्रति आपका वह आचरण शोभा नहीं देता। उसके बाद सदन चले।

कल भी एक घटना घटी थी जब डा. जोशी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। मंत्री जी तक ने खड़े होकर अपना शब्द वापिस ले लिया था और संसद चली थी। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप खड़े हों और जो आचरण आपने जसवंत सिंह जी के प्रति किया, उसके लिए खेद प्रकट करें और उसके बाद सदन चले। यह मेरी आपसे दरख्वास्त है, यह मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा है...*(व्यवधान)* उन्होंने इसे शून्यकाल में बहुत ही लापरवाह तरीके से उठाया। यह पश्चिम बंगाल का एक ज्वलंत मुद्दा है। यह अभी जारी है। क्या इसे इतने लापरवाह तरीके से उठाया जा सकता है?...*(व्यवधान)* महोदया, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे के तुरंत बाद मैंने इसके बारे में अपने नेता से बात की। और मेरे नेता ने मेरे व्यवहार को गलत नहीं माना क्योंकि मैं अपने राज्य के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैं संघर्ष करता रहूंगा।...*(व्यवधान)* यदि कोई व्यक्ति गोरखलैंड राज्य बनाने के लिए इस राज्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपने हित के लिए या पार्टी के हित में, विभाजन करना चाहता है तो इसे हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अंत तक संयुक्त पश्चिम बंगाल के लिए संघर्ष करते रहेंगे। कोई सदस्य, चाहे वह वरिष्ठ सदस्य हों या कोई अन्य, यदि उनकी भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं।

इसके साथ ही मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम गोरखलैंड के मुद्दे पर समझौता करने वाले नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल को दो भागों में बांटने की कोशिश करेगा तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुषमा जी, मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूं। मैंने अपने नेता से इस बारे में बात की थी और मेरे नेता ने मेरे व्यवहार को गलत नहीं माना है क्योंकि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं और पश्चिम बंगाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। इसलिए अब मामला समाप्त हुआ।

अपराह्न 2.09 बजे

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 – *जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : इस विधेयक का आशय खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का समाधान एक जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य- लक्षित सार्वजनिक

[प्रो. के.वी. थॉमस]

वितरण प्रणाली के तहत काफी अधिक जनसंख्या को प्राप्त होने वाले सब्सिडी प्रापत खाद्यान्नों की पात्रता के अतिरिक्त, गर्भवती महिलाओं और 6 माह से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अलग से पात्रता के रूप में करना है।...*(व्यवधान)*

इस विधेयक का आशय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एकल श्रेणी के रूप में, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज की समान पात्रता के साथ ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के क्रमश: 75 प्रतिशत ओर 50 प्रतिशत को लाभ पहुंचाना है।...*(व्यवधान)* मौलिक विधेयक में कवर किए गए परिवारों के प्राथमिकता प्राप्त ओर सामान्य श्रेणी के रूप में श्रेणीकरण को स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार समाप्त कर दिया गया है।...*(व्यवधान)* इससे लाभार्थियों के श्रेणीकरण से जुड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन:समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

पाकिस्तानी सेना के कृत्य की निन्दा करने तथा पाकिस्तान सरकार को युद्ध विराम संबंधी वचनबद्धता के पालन की याद दिलाने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों मैं सभा के समक्ष संकल्प रखूंगी।

"यह सभा 13 अगस्त, 2013 को पाकिस्तान की नेशनल एसेम्बली और पंजाब की प्रांतीय एसेम्बली द्वारा पारित किए गए संकल्पों, जिनमें भारतीय सेना और भारत के नागरिकों पर पूरी तरह निराधार आरोप लगाए गए हैं, को अस्वीकार करती है और उसकी निन्दा करती है।

पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली के सदस्यों तथा अन्य किसी के भी मन में लेशमात्र यह संदेह नहीं होना चाहिए कि 6 अगस्त, 2013 को नियंत्रण रेखा पर हमारी सीमा के भीतर भारतीय सेना के गश्ती दल पर पाकिस्तानी सेना के बिना किसी उकसावे के हमला किया था।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने ऐसे समय यह अकारण हमला किया जबकि स्थायी शांति, मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे ताकि दोनों देश अब अपने संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग अपने लोगों के कल्याण के कार्य को अग्रसर करने के महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकें।

भारत पाकिस्तान अथवा पाकिस्तानी जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान ने भारत को निशाना बनाने के लिए जिन आतंकवादी समूहों को पोषित किया वे ही अब इस क्षेत्र में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं।

यह सभा पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई की भी कड़ी निन्दा करती है और एक बार पुन: दोहराती है कि पाकिस्तान द्वारा बलपूर्वक और गैर-कानूनी रूप से हथियार हुए भू-भाग सहित संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और सदैव रहेगा। भारत नियंत्रण रेखा का सम्मान करता है तथा पाकिस्तान सरकार से मांग करता है कि वह अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा दोनों पर वर्ष 2003 की युद्ध विराम संबंधी वचनबद्धताद का अक्षरश: पालन करे।

यह सभा भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों जिन्होंने नियंत्रण रेखा की पवित्रता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, के साहस ओर उनकी वीरता को नमन करती है। हमारे संयम की परीक्षा न ली जाए और न ही हमारे सशस्त्र बलों की अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने की क्षमता को कम करके आंका जाए।

मुझे आशा है कि सभा सहमत होगी।"

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प पर सभा सहमत हुई।

अध्यक्ष महोदय : सभा सोमवार, 19 अगस्त, 2013 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.05 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा सोमवार, 19 अगस्त, 2013 28, श्रावण 1935(शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री रामसिंह राठवा	121
2.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी श्री महाबली सिंह	122
3.	श्री रूद्रमाधव राय श्री एल. राजगोपाल	123
4.	श्री सज्जन वर्मा श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	124
5.	श्री प्रहलाद जोशी श्रीमती मेनका संजय गांधी	125
6.	चौधरी लाल सिंह श्री समीर भुजबल	126
7.	श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ	127
8.	श्री मधु गौड यास्खी श्री उदय सिंह	128
9.	श्री आर. थामराईसेलवन श्री गजानन ध. बाबर	129
10.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय श्री नरहरि महतो	130
11.	श्री गोपाल सिंह शेखावत श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	131
12.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	132
13.	श्री के. सुगुमार	133
14.	श्री अर्जुन राम मेघवाल प्रो. रामशंकर	134
15.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन श्री अधलराव पाटील शिवाजी	135
16.	श्री रतन सिंह डॉ. संजय सिंह	136
17.	श्री एम. आनंदन श्री आनंदराव अडसुल	137
18.	डॉ. एम. तम्बिदुरई श्री चार्ल्स डिएस	138
19.	श्री रमेन डेका श्री हरिन पाठक	139
20.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री प्रदीप माझी	220

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	1441
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	1408, 1476, 1555
3.	श्री बसुदेव आचार्य	1592
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1535, 1547, 1592, 1593
5.	श्री आधि शंकर	1471
6.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	1476
7.	श्री आनंदराव अडसुल	1535, 1547, 1592, 1593
8.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1476, 1512
9.	श्री हंसराज गं. अहीर	1404, 1581

1	2	3
10.	श्री सुल्तान अहमद	1531
11.	श्री एम. आनंदन	1587
12.	श्री अनंत कुमार	1447, 1475
13.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1464
14.	श्री घनश्याम अनुरागी	1496, 1600
15.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	1490
16.	श्री कीर्ति आजाद	1420
17.	श्री गजानन ध. बाबर	1535, 1547, 1592, 1593
18.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	1454
19.	श्री कामेश्वर बैठा	1419
20.	डॉ. बलीराम	1529
21.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	1493
22.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	1451, 1457, 1467
23.	श्री सुदर्शन भगत	1514
24.	श्री ताराचन्द भगोरा	1470, 1607
25.	श्री संजय भोई	1452, 1588
26.	श्री समीर भुजबाल	1601
27.	श्री कुलदीप बिश्नोई	1399
28.	श्री हेमानंद बिसवाल	1405, 1551, 1588
29.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	1397, 1480, 1602
30.	श्री सी. शिवासामी	1410, 1541
31.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	1451, 1457, 1467
32.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1446
33.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1391

1	2	3
34	श्री एन.एस.वी. चित्तन	1473, 1510, 1608
35.	श्री भूदेव चौधरी	1453, 1602
36.	श्री निखिल कुमारी चौधरी	1451, 1457, 1465, 1588
37.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1402, 1434, 1589
38.	श्री राम सुन्दर दास	1422, 1586
39.	श्री गुरुदास दासगुप्त	1463
40.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	1449
41.	श्री रमेन डेका	1588
42.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	1532
43.	श्रीमती अश्वमेध देवी	1453
44.	श्रीमती रमा देवी	1466, 1540
45.	श्री के.पी. धनपालन	1416
46.	श्री संजय धोत्रे	1461, 1600
47.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1460, 1495, 1554
48.	श्री चार्ल्स डिएस	1589
49.	श्री निशिकांत दुबे	1457, 1476, 1511, 1536
50.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	1501
51.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1584
52.	श्री एकनाथ महोदव गायकवाड़	1452, 1473, 1479, 1510, 1604
53.	श्रीमती मेनका संजय गांधी	1594
54.	श्री वरुण गांधी	1456, 1597
55.	श्री ए. गणेशमूर्ति	1479, 1538, 1604

1	2	3
56.	श्री राजेन गोहेन	1539
57.	श्री एल. राजगोपाल	1591
58.	श्री शिवराम गौडा	1472, 1523
59.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1398, 1538
60.	शेख सैदुल हक	1592
61.	श्री महेश्वर हजारी	1382
62.	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	1484
63.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1394, 1540, 1578
64.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	1527, 1588
65.	श्री बलीराम जाधव	1466, 1503, 1542, 1602
66.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	1460, 1584, 1599
67.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1482, 1508
68.	श्री बद्रीराम जाखड़	1384, 1554, 1561
69.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1423, 1451
70.	श्री हरिभाऊ जावले	1419, 1428, 1529
71.	श्री नवीन जिन्दल	1413, 1426, 1478, 1610
72.	श्री महेश जोशी	1438, 1544, 1576
73.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1458
74.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	1417, 1563
75.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	1457, 1530
76.	श्री सुरेश कलमाडी	1505
77.	श्री पी. करुणाकरन	1418, 1520
78.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1435, 1586

1	2	3
79.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	1396, 1602
80.	श्री राम सिंह कस्वां	1430, 1472, 1478
81.	श्री नलिन कुमार कटील	1385
82.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	1523
83.	श्री चंद्रकांत खैरे	1527, 1564
84.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	1507
85.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	1411, 1476, 1517
86.	श्री मिथिलेश कुमार	1389
87.	श्री विश्व मोहन कुमार	1457
88.	श्री अजय कुमार	1448, 1606
89.	श्री पी. कुमार	1392
90.	श्रीमती पुतुल कुमारी	1451, 1457, 1467, 1478
91.	श्री सुखदेव सिंह	1401, 1549
92.	श्री पी. लिंगम	1502
93.	श्री एम. कृष्णास्वामी	1407, 1554
94.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1409, 1536, 1556
95.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1415
96.	श्री सतपाल महाराज	1522
97.	श्री नरहरि महतो	1552
98.	श्री भर्तृहरि महताब	1461, 1600
99.	श्री प्रदीप माझी	1590, 1602
100.	श्री शक्ति मोहन मलिक	1425
101.	श्री जोस के. मणि	1528, 1574
102.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1585

1	2	3
103.	डॉ. थोकचोम मैन्या	1510
104.	श्री महाबल मिश्रा	1501
105.	श्री सोमेन मित्रा	1497
106.	श्री पी.सी. मोहन	1480, 1602
107.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1397, 1602
108.	श्री विलास मुत्तेमवार	1491, 1602, 1604
109.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1432, 1466, 1478, 1571
110.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	1475
111.	श्री नामा नागेश्वर राव	1444, 1538
112.	श्री नरेनभाई काछादिया	1424
113.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	1536
114.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	1457, 1467, 1488, 1605
115.	श्री ओ.एस. मणियन	1390, 1541, 1603
116.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1386, 15468
117.	श्री पी.आर. नटराजन	1387, 1580
118.	श्री जगदम्बिका पाल	1525
119.	श्री वैजयंत पांडा	1472, 1489, 1536
120.	श्री प्रबोध पांडा	1463, 1502
121.	कुमारी सरोज पाण्डेय	1544
122.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	1469
123.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1452, 1473, 1479, 1510, 1538
124.	श्री देवजी एम. पटेल	1419, 1439, 1472
125.	श्री बाल कुमार पटेल	1487

1	2	3
126.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1590, 1602
127.	श्री संजय दिना पाटील	1475
128.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1483
129.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1501, 1516
130.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	1381
131.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	1452, 1473, 1479, 1510, 1538
132.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	1466, 1503, 1542, 1602
133.	श्रीमती कमला देवी पटले	1466, 1517, 1543
134.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1398, 1538, 1565, 1609
135.	श्री अमरनाथ प्रधान	1429, 1569
136.	श्री नित्यानंद प्रधान	1437, 1476
137.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	1382, 1406, 1536, 1553
138.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	1548
139.	श्री अब्दुल रहमान	1398, 1507, 1513, 1543
140.	श्री प्रेम दास राय	1472, 1494
141.	श्री रमाशंकर राजभर	1520
142.	श्री सी. राजेन्द्रन	1492
143.	श्री पूर्णमासी राम	1457, 1467, 1605
144.	प्रो. रामशंकर	1585, 1602
145.	श्री जगदीश सिंह राणा	1394, 1431, 1536, 1570
146.	श्री निलेश नारायण राणे	1440, 1536, 1577, 1602

1	2	3
147.	श्री के. नारायण राव	1485
148.	श्री रायापति सांबासिवा राव	1602
149.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	1462
150.	श्री रमेश राठौड़	1478, 1485
151.	श्री रामसिंह राठवा	1536, 1575
152.	डॉ. रत्ना डे	1395
153.	श्री अशोक कुमार रावत	1466, 1481, 1536
154.	श्री अर्जुन राय	1464
155.	श्री विष्णु पद राय	1524
156.	श्री रुद्रमाधव राय	1559
157.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1433, 1572
158.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	1461, 1588
159.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1550
160.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1546
161.	श्री महेन्द्र कुमार राय	1592
162.	प्रो. सौगत राय	1515
163.	श्री एस. अलागिरी	1393, 1540, 1588
164.	श्री एस. सेम्मलई	1420
165.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1408, 1526
166.	श्री एस.आर. जेयदुरई	1419, 1497, 1538
167.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1413, 1560, 1608
168.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	1476, 1519
169.	श्रीमती सुशीला सरोज	1382
170.	श्री तूफानी सरोज	1459, 1598

1	2	3
171.	श्री हमदुल्लाह सईद	1383, 1538, 1559, 1567
172.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	1504
173.	श्री नीरज शेखर	1455, 1537, 1596
174.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	1583
175.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1412, 1414, 1562
176.	श्री राजू शेट्टी	1536
177.	श्री एंटो एंटोनी	1403, 1414, 1421, 1566
178.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	1518
179.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1442, 1492, 1538, 1579
180.	डॉ. भोला सिंह	1486, 1586
181.	श्री भूपेन्द्र सिंह	1394, 1478
182.	श्री इज्यराज सिंह	1466
183.	श्री जगदानंद सिंह	1499
184.	श्री महाबली सिंह	1544
185.	श्रीमती मीना सिंह	1453, 1500, 1602
186.	श्री राधा मोहन सिंह	1453
187.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1443
188.	श्री राकेश सिंह	1463, 1600
189.	श्री रतन सिंह	1564, 1584
190.	श्री रवनीत सिंह	1474, 1536
191.	श्री सुशील कुमार सिंह	1477, 1603
192.	श्री उदय सिंह	1595
193.	श्री यशवीर सिंह	1455, 1537, 1596

1	2	3
194	श्री धनंजय सिंह	1445
195.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1458
196.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1468, 1584
197.	श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला	1427
198.	डॉ. संजय सिंह	1466, 1468
199.	श्री यशवंत सिन्हा	1533, 1541
200.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1410, 1412, 1558, 1602
201.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1534
202.	श्री ई.जी. सुगावनम	1436, 1463, 1573
203.	श्री के. सुगुमार	1574
204.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1498
205.	श्री मानिक टैगोर	1400, 1548, 1588
206.	श्रीमती अन्नू टन्डन	1472, 1521
207.	श्री लालजी टन्डन	1451, 1517
208.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1390, 1466, 1472, 1545
209.	श्री आर. थामरईसेलवन	1536, 1557
210.	डॉ. एम तम्बिदुरई	1394
211.	श्री पी.टी. थॉमस	1388
212.	श्री मनोहर तिरकी	1546, 1552
213.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1403
214.	श्री लक्ष्मण टुडु	1508, 1588
215.	श्री शिवकुमार उदासी	1450, 1582
216.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1382
217.	श्री हर्ष वर्धन	1382
218.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	1466, 1482
219.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1392, 1402, 1463
220.	श्रीमती ऊषा वर्मा	1382
221.	श्री वीरेन्द्र कुमार	1457, 1506
222.	श्री अद्‌गुरु एच. विश्वनाथ	1582
223.	श्री पी. विश्वनाथन	1520
224.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1478, 1534, 1539
225.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	1393
226.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1535, 1547, 1592, 1593
227.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	1509
228.	श्री मधु गौड यास्खी	1535, 1592
229.	योगी आदित्यनाथ	1541

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	132, 137
विदेश	:	
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	126
मानव संसाधन विकास	:	125, 127, 128, 129, 133, 139
विधि और न्याय	:	122, 123, 131
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	121, 130
प्रवासी भारतीय कार्य	:	138
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	124, 134, 135
अंतरिक्ष	:	140
शहरी विकास	:	136.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	1381, 1529
परमाणु ऊर्जा	:	1422, 1465, 1497, 1516, 1532, 1533
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1386, 1387, 1390, 1392, 1398, 1403, 1404, 1413, 1417, 1431, 1436, 1439, 1441, 1442, 1445, 1451, 1452, 1462, 1463, 1466, 1471, 1473, 1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 1487, 1517, 1524, 1531, 1539, 1550, 1552, 1564, 1577, 1590, 1597, 1600, 1603, 1609
विदेश	:	1397, 1410, 1443, 1470, 1510, 1515, 1530, 1541, 1543, 1548, 1566, 1602, 1605
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	1405, 1457, 1506, 1535, 1536, 1538, 1544, 1574
मानव संसाधन विकास	:	1382, 1384, 1389, 1391, 1393, 1395, 1406, 1407, 1408, 1412, 1414, 1415, 1416, 1419, 1420, 1421, 1423, 1426,

		1427, 1428, 1429, 1432, 1435, 1438, 1447, 1449, 1454, 1456, 1461, 1467, 1472, 1476, 1488, 1489, 1492, 1493, 1494, 1499, 1500, 1502, 1503, 1504, 1505, 1508, 1514, 1519, 1520, 1522, 1523, 1525, 1526, 1534, 1537, 1542, 1546, 1547, 1554, 1556, 1557, 1558, 1562, 1565, 1569, 1570, 1571, 1578, 1580, 1581, 1582, 1586, 1587, 1588, 1591, 1592, 1595, 1594, 1595, 1599, 1604, 1607
विधि और न्याय	:	1399, 1401, 1430, 1440, 1448, 1455, 1460, 1483, 1495, 1501, 1518, 1555, 1561, 1583, 1584
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	1388, 13994, 1434, 1484, 1511, 1521, 1573, 1606
प्रवासी भारतीय कार्य	:	1507
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	1411, 1418, 1424, 1425, 1433, 1468, 1527, 1545, 1549, 1551, 1553, 1559, 1575, 1596, 1601, 1610
योजना	:	1396, 1437, 1446, 1450, 1458, 1459, 1464, 1475, 1486, 1490, 1528, 1567, 1585
अंतरिक्ष	:	1385, 1402
शहरी विकास	:	1383, 1400, 1444, 1453, 1469, 1474 1481, 1491, 1496, 1498, 1509, 1512, 1513, 1540, 1560, 1563, 1568, 1572, 1576, 1579, 1598, 1608

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडिया ऑफसैट प्रैस, ए-1 मायापुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।